

मराठा-मारवाड़ सम्बन्ध

(१७२४-१८४३ ई०)

जी. आर. परिहार



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के बाद इसकी राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। किन्तु हिन्दी में इन प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। परिणामतः भारत सरकार ने इस न्यूनता के निवारण के लिए वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग की स्थापना की थी और इसी क्रम में 1969 में पाँच हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों की स्थापना भी पाँच हिन्दी-भाषी प्रान्ता में की गयी। यद्यपि पाठ्य-पुस्तक-निर्माण का अभियान शब्दावली आयोग के द्वारा ही आरम्भ किया गया था किन्तु यह प्रयत्न बँसा सफल नहीं हो सका जैसा अपेक्षित था। अनुभव किया गया कि इस असफलता का कारण इस अभियान में व्यापक सहयोग का अभाव है। इस प्रकार पाँचों हिन्दी-भाषी प्रदेशों में अकादमियों की स्थापना का प्रयोजन विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तक-निर्माण के इस अभियान में अधिकाधिक व्यापक सहयोग प्राप्त करना ही था।

गत छ वर्षों में अकादमियों ने शास्त्र और विज्ञान के विभिन्न विषयों में लगभग 850 पुस्तकें का प्रकाशन कर दिया है और भविष्य में भी प्रायः इसी गति में पुस्तक-निर्माण होगा। किन्तु इस क्षेत्र में पुस्तक-निर्माण की आवश्यकताओं का कोई अन्त नहीं है, इसीलिए अकादमियों का कार्य भी पूर्णता से असंभव है।

हमारी अकादमी की पुस्तक-निर्माण-प्रक्रिया ऐसी है कि उसके द्वारा तैयार करवायी गयी पुस्तकें का स्तर बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए और वे निर्दोष होनी चाहिए। अकादमी विषय-विशेषज्ञ समितियों की अनुमति पर लेखकों को आमंत्रित करती है, लगभग षण्मास पूर्व किसी विद्वान को परामर्श के लिए भिजवायी जाती है और उस परामर्श के अनुसार लेखक पुस्तक का संशोधन करता है। तदुपरांत इनका भाषा-परिमाणन कराया जाता है। इस पर भी यदि दोष रहते हैं तो यही कहा जा सकता है कि 'यत्न कृतेऽपि यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः ?'

प्रस्तुत पुस्तक हमारे आमंत्रण पर डॉ. जी. आर. दग्गिहार, विभागाध्यक्ष, डॉ. आर. विभाग, डूंगर महाविद्यालय श्रीवांगेर ने लिखी जिम्मे के लिए अकादमी इनके प्रति बहुत आभारी है। डॉ. गोपीनाथ शर्मा ने लेखक को विषय विवेचन में और डॉ. महेशशोषण शर्मा, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने भाषा परिमाणन में सहयोग दिया है। हम इनके प्रति भी अनुग्रहीत हैं।

मोहन छांगाणी,

शिक्षा मन्त्री, राजस्थान सरकार एवं
अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

यशदेव शल्य

का का निदेशक

प्राक्कथन

यह पुस्तक मेरे शोध ग्रन्थ 'मारवाड एण्ड दों मराठाज' पर आधारित है। मैंने हिन्दी में इसका रूपान्तर करते समय शोध-ग्रन्थ के मूल आधारी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अतः यह ग्रन्थ समकालीन फारसी, संस्कृत, राजस्थानी मराठी और अंग्रेजी प्रलेखों पर आधारित मारवाड के राठौड़ शासकों का मराठा शक्ति से संबंधों की विवेचनात्मक व्याख्या करता है। मारवाड के इतिहास पर कई ग्रन्थ रचे गए हैं। परन्तु ओझा, रेऊ, ग्रामोपा और गहलोत की कृतियों मराठों के सम्बन्ध में मारवाड के इतिहास का सही मूल्यांकन नहीं कर पायी। अठारहवीं शताब्दी एवं उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में मुगल साम्राज्य के घबर्तति के युग में, मराठी और राठौड़ शक्तियों ने प्रसार की नीतियाँ अपनाईं। दोनों के आपसी सघर्ष के परिणाम-स्वरूप के परिस्थितियाँ बन गईं जिसमें अंग्रेजों ने दोनों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रथम बार, उस युग की राजनैतिक शक्तियों के आपसी सघर्ष का, समकालीन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, विवेचनात्मक अध्ययन कर इस ग्रन्थ की रचना की गई है।

ग्रन्थ में नौ अध्याय हैं। नवें अध्याय को सामान्यतः 'पुस्तक अनुक्रमिका' के रूप में ही लिया जाता रहा है परन्तु मैंने प्रलेखों, ग्रन्थों, तवारीखों आदि की व्याख्या एवं विवेचना करना उचित मान कर एक अध्याय के रूप में इसको स्थान दिया है। सात परिशिष्ट पृथक् हैं।

परिशिष्ट 'द' को मूल रूप में अंग्रेजी में रखना मैंने उचित समझा। इसका हिन्दी रूपान्तर इसकी महत्ता को कम कर देता। ग्रन्थ में अंग्रेजी पुस्तकों के लेखों आदि का नाम देवनागरी लिपि में परिणत किये गये हैं। उनके हिन्दी रूपान्तर नहीं किये गये क्योंकि ऐसा करने से यह प्रतीत होता है कि पुस्तकें हिन्दी में हैं और सदभ्रं पृष्ठ भी हिन्दी पुस्तकों पर आधारित हैं। प्रलेखों पर अंकित तिथियाँ विक्रम सम्बत् हिजरी सम्बत् एवं शक सम्बत् की पायी गईं। अन्तर्राष्ट्रीय कलेन्डर की तिथियों में परिवर्तन करते समय यह ध्यान में रखा गया है कि मारवाड में नववर्ष 'श्रावण' माह से प्रारम्भ होता था जब कि अन्य स्थानों में 'चैत्र' माह से।

विषय-प्रवेश के रूप में 'मारवाड में राठौड़-शक्ति का उत्थान' ग्रन्थ के मूल विषय की पृष्ठभूमि में इसलिए सम्बन्धित किया गया है कि जिसमें राठौड़ों की राजनैतिक उपलब्धियों को जाना जा सके और जब वे मराठों के सघर्ष में आए तब उनकी मारवाड और भारत में राजनैतिक स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। परिशिष्ट 'ग' में 'मारवाड का शासन प्रबन्ध' राठौड़ उपलब्धि के रूप में ही दिया गया है।

मेरे शोध-ग्रन्थ में, जो कि इस ग्रन्थ का प्रेरणा-त्रिन्दु है, मुझे डॉ० गोपीनाथ शर्मा, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, डॉ० दशरथ शर्मा, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर, एव स्व श्री नाथुराम खडगावत, निदेशक, राजस्थान अभिलेखागार, बीकानेर से न सिर्फ मूल्यवान निर्देशन प्राप्त हुए बल्कि उनकी सलाह, व्याख्या एव विवेचना से मुझे कार्य करने की प्रेरणा भी प्राप्त हुई। अतः उनका मैं बड़ा आभारी हूँ। मेरे शोध-परीक्षक प्रो० नुरुल हसन, शिक्षा मन्त्री, भारत सरकार, दिल्ली (श्री पू० अध्यक्ष, इतिहास विभाग, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़) ने जो बहुमूल्य सुभाव मुझे दिए, उसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभार प्रदर्शन करता हूँ।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर ने जो धैर्य रखा, उसके लिए मैं उनका बड़ा कृतज्ञ रहूँगा। अकादमी के निदेशक चाहते थे कि यह ग्रन्थ जल्दी से जल्दी प्रकाशित हो जाय पर देरी का कारण मैं ही हूँ। हिन्दी में शोध-ग्रन्थों को उपलब्ध कराने का उनका कार्य सराहनीय है।

बीकानेर (राज०)
मार्च, 1977

—जी. आर. परिहार

विषय-सूची

त्रिपय-प्रवेश—मारवाड़ में राठौड़-शक्ति का उत्थान

- 1 — मराठो से प्रारम्भिक सम्बन्ध 1
- (अ) दक्षिण में जसवन्तसिंह, 1
(ब) जसवन्तसिंह और शिवाजी, 3
(ग) मुगल-राठौड़ युद्ध और शम्भाजी, 7
(द) शाहू के समय राठौड़ और मराठा, 11
- 2 — मारवाड़ में मराठा प्रभाव का उपाकात्, (1724-1749) 21
- (अ) अमरसिंह एव गृह-युद्ध 21
(ब) गुजरात में अमरसिंह, 24
(1) नये सूत्रेदार की समस्या-मराठा आतङ्क, 24
(2) त्रिकोण स्वार्थों का संघर्ष, 26
(3) अहमदाबाद समझौता, 1731 और उसके परिणाम, 29
(4) पीलाजी गायकवाड़ की हत्या, (मार्च 23, 1732), 32
(ग) मराठों के विरुद्ध संयुक्त राजपूत मोर्चा, 34
(द) मुगल दरबार में मराठा-विरोधी गुट और अमरसिंह, 35
(क) अमरसिंह-होल्कर समझौता, 1748 ई०, 39
- 3 — रामसिंह और बल्ललसिंह के बीच गृह-युद्ध (1749-1752) 50
मराठा हस्तक्षेप
- (अ) राम-वन्त व मनस्य, 50
(ब) बाल्य-शक्तियों का हस्तक्षेप, 51
(ग) पीलाड युद्ध (14-16 अप्रैल 1750) और उसके बाद, 52
(द) मराठा हस्तक्षेप (1751-1752) 54

- 4 — विजयसिंह और मराठे (पूर्वादि) 1752-1780
- (अ) जोधपुर का उत्तराधिकारी सघर्ष और मराठे, 62
- (1) एक 'राजनैतिक विराम' (1752-1753), 62
- (2) सिन्धिया का मारवाड पर आक्रमण, (जुलाई-मगस्त-1754), 63
- (3) मेडता का प्रथम-युद्ध (14-17 सितम्बर 1754), 64
- (4) नागौर का घेरा (अक्टूबर 1754-फरवरी 1756), 65
- (5) जयप्पा की हत्या (24 जुलाई 1755) और, 66 उसके बाद
- (6) राठौड़ सिन्धिया-सधि, (फरवरी, 1756), 69
- (ब) पानीपत का युद्ध (जनवरी 1761) के पूर्व और पश्चात् राठौड़-नीति, 70
- (स) मराठा-राठौड़ सहयोग का युग (1762-1780), 73
- 5 — विजयसिंह और मराठे उत्तरादि (1780-1793) 87
- (क) राठौड़ सिन्धिया संघर्ष (1782-1790), 87
- (1) मतभेद और तनाव की परिस्थितिया, 87
- (2) तूपा का युद्ध (28 जुलाई, 1787), 89
- (3) सिन्धिया-विरोधी राठौड़ कूटनीति (1788-1790), 92
- (4) सिन्धिया का मारवाड पर आक्रमण (जून-सितम्बर 1790), 94
- (5) मेडता का द्वितीय युद्ध, (10 सितम्बर, 1790), 95
- (ख) सामर की सधि (5 जनवरी 1791) और उसके बाद, 97
- (1) शान्ति के लिए प्रयास (सितम्बर 1790-जनवरी 1791), 97
- (2) सधि की शर्तें, 99
- (घ) क्षति-पूर्ति, 99
- (ङ) प्रादेशिक विभाजन और वायिक-कर, 99
- (च) धन्य, 99
- (3) सधि का परिणाम, 100
- 6 — पराठा प्रभाव का सन्ध्याकाल (1793-1818) 111
- (घ) भीम-मान संघर्ष (1793-1803) में मराठा हस्तक्षेप, 111
- (ब) घोसल-मराठा युद्ध (1802-1805) और मानसिंह, 114

- (स) वृष्णा कुमारी काण्ड में मराठा हस्तक्षेप (1805-1810), 115
 (1) उदयपुर की वृष्णाकुमारी (जनवरी-जून, 1806), 115
 (2) नाद सम्मेलन व उसके परिणाम (जून-अक्टूबर 1806), 117.
 (3) जयपुर-जोधपुर संधि (जनवरी-अक्टूबर 1807), 118
 (4) मानसिंह-धमीरखा मैत्री वृष्णाकुमारी काण्ड की समाप्ति (1807-1810), 120
- (द) मारवाड़ में पिढारी प्रभाव (1811-1818), 122
- (ब) मराठा प्रभाव की इतिश्री (मारवाड़-ब्रिटिश संधि, 6 जनवरी 1818), 126

७ — मराठों का प्रस्थान (1815-1843) 144

- (अ) मधुराज भोंसले (धप्पा जी साहिब) व ब्रिटिश, 144
- (आ) मानसिंह और धप्पाजी भोंसले, 145
 (1) भोंसले को राठौडी सहायता (1829-1830), 145
 (2) धप्पाजी के जोधपुर में दस वर्ष (1830-1840), 149
- (इ) राठौड़-मराठा मैत्री-सम्बन्ध, 150.
- (ई) मराठा प्रभाव का अन्त और आंग्ल प्रभाव की वृद्धि (1818-1843), 151

८ — मारवाड़ में मराठा प्रभाव 169

- (क) राजनैतिक, 169
- (ख) आर्थिक, 172
- (ग) सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध, 175
- (घ) मूल्यांकन, 178

९ — ऐतिहासिक ग्रन्थ विवरण 188

- (क) फारसी तवारीखें, 188
- (ख) फरमान, अखबारों और वकील रिपोर्ट (फारसी में), 190
- (ग) समकालीन मराठी ग्रन्थ, 191
- (घ) समकालीन मराठी-पत्र, 192
- (च) समकालीन राजस्थानी खरीते और पत्र, 194
- (छ) समकालीन बही अभिलेख (राजस्थानी में), 196
- (ज) राजस्थानी इस्तख़ि़त पत्र, 199

- (त) सस्कृत के-हस्तलिखित पत्र और ग्रन्थ, 200
 (थ) रूदात साहित्य, 200
 (द) अग्रजे जी अभिलेख (अप्रकाशित), 201
 (ध) अग्रजे जी अभिलेख (प्रकाशित), 202
 (न) प्रकाशित पुस्तकें, 202
 (प) गजेटियर, 205
 (फ) पत्रिकाएँ, 205
 (ब) मानचित्र, 205
 (भ) (पचाग), 205

परिशिष्ट—(क) मारवाड़ का शासन प्रबन्ध 1724-184:

- (ख) ग्रन्थ में प्रयुक्त किंए राजस्थानी शब्द
-

- (स) कृष्णा कुमारी काण्ड मे मराठा हस्तक्षेप (1805-1810), 115
 (1) उदयपुर की कृष्णाकुमारी (जनवरी-जून, 1806), 115
 (2) नाद सम्मेलन व उसके परिणाम (जून-अक्टूबर 1806), 117.
 (3) जयपुर-जोधपुर संधि (जनवरी-अक्टूबर 1807), 118
 (4) मानसिंह-अमीरखा मंत्री कृष्णाकुमारी काण्ड की समाप्ति (1807-1810), 120

(द) मारवाड मे पिढारी प्रभाव (1811-1818), 122

(ब) मराठा प्रभाव की इतिथी (मारवाड-ब्रिटिश संधि, 6 जनवरी 1818), 126

७ — मराठों का प्रस्थान (1815-1843) 144

(अ) मधुराज भोंसले (अप्पा जी साहिब) व ब्रिटिश, 144

(आ) मानसिंह और अप्पाजी भोंसले, 145

(1) भोंसले को राठौडी सहायता (1829-1830), 145

(2) अप्पाजी के जोधपुर मे दस वर्ष (1830-1840), 149

(इ) राठौड-मराठा मंत्री-सम्बन्ध, 150.

(ई) मराठा प्रभाव का अन्त और अंगल प्रभाव की वृद्धि (1818-1843), 151.

८ — मारवाड मे मराठा प्रभाव 169

(क) राजनैतिक, 169

(ख) आर्थिक, 172

(ग) सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध, 175

(घ) मूल्यांकन, 178

९ — ऐतिहासिक ग्रन्थ विवरण 188

(क) फारसी त्तवारीखें, 188

(ख) फरमान, अलबारात और वकील रिपोर्ट (फारसी मे), 190

(ग) समकालीन मराठी ग्रन्थ, 191

(घ) समकालीन मराठी-पत्र, 192

(च) समकालीन राजस्थानी खरीते और पत्र, 194

(छ) समकालीन बही अभिलेख (राजस्थानी मे), 196

(ज) राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ, 199

- (त) सस्कृत के-हस्तलिखित पत्र और ग्रन्थ, 200
- (थ) हवात साहित्य, 200
- (द) अग्रजे जी अभिलेख (अप्रकाशित), 201
- (घ) अग्रजे जी अभिलेख (प्रकाशित), 202
- (न) प्रकाशित पुस्तकें, 202
- (प) गजेटियर, 205
- (फ) पत्रिकाएँ, 205
- (ब) मानचित्र, 205
- (भ) (पचाग), 205

परिशिष्ट—(क) मारवाड का शासन प्रबन्ध 1724-1843

(ख) ग्रन्थ में प्रयोग किए राजस्थानी शब्द

मानचित्र-सूची

1. मारवाड़-प्राकृतिक
 2. मारवाड़-मराठा सम्बन्धी युद्ध-स्थल एवं मारवाड़ में मराठों की जागीरें
 3. गुजरात में राठीड़ व मराठों के प्रभाव क्षेत्र
 4. मारवाड़ में 1752 ई. में अजमेर के युद्ध के बाद बख्तसिंह-रामसिंह के अधिभूत प्रदेश
 5. मारवाड़ में 1756 की मराठा-राठीड़ सन्धि के बाद विजयसिंह-रामसिंह के अधिभूत प्रदेश ।
 6. डी० बोईन का यात्रा मार्ग ।
 7. मेड़ता का युद्ध 10 सितम्बर 1790 युद्ध के पूर्व की स्थिति (प्रातः 5-30 बजे)
 8. मेड़ता का युद्ध 10 सितम्बर 1790 प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक द-बोईन के सैनिकों द्वारा नागा साधु पंक्ति पर आक्रमण ।
 9. मेड़ता का युद्ध 10 सितम्बर 1790 प्रातः 10 बजे राठीड़ मश्वारोही पंक्ति का अचानक आक्रमण और उसका घेराव ।
-

संक्षेपण-संकेत

प्र.घ.	: प्रर्जीबही
प्रख्बारात	: प्रख्बारात-दरबार-ए-मुल्ला
प्रार.ए.घो.	: राजपूताना एजेन्सी ऑफिस
प्राई.एच.सी.	: इण्डियन हिस्ट्री कप्रेस प्रोसीडिंग्ज
प्राई.एच.प्रार.सी.	: इण्डियन हिस्टोरिकल रिकार्ड कमीशन प्रोसिडिंग्ज
प्रोर्मी	: हिस्टोरिकल फ्रेगमेण्टस ऑफ द मुगुल एम्पायर
एच.एस.प्राइ.एस.	: होल्कर शाहीच्या इतिहांची साधणें
एच. पी.	: सिंधिया संबंधी ऐतिहासिक पत्रें
एफ. एस.	: फोरेन सिफ्रेट प्रोसिडिंग्ज
एफ.पी.	: फोरेन पोलिटिकल प्रोसीडिंग्ज
एफ.प्रार.	: फोरेन रिकार्ड
एम.एम.	: मार्टिन मोगरी द्वारा संकलित वेलेंजली के पत्र
एस.एस.प्राई.एस.	: सिंधे शाही इतिहासाची साधणें
एस.सी.सी.प्रार.	: चन्द्रचूड रिकार्ड से संकलन
ऐति.पत्रें	: ऐतिहासिक पत्रें यादि वगैर लेख
कपड	: कपड द्वार विभाग के अभिलेख, जयपुर
के.के.दत्ता	: दॅ सर्वे ऑफ सोशल लाईफ एण्ड इकोनॉमिक कन्डीशन्स ऑफ इण्डिया इन 18 सेन्चुरी ।
जय.	: जयपुर
जोध.	: जोधपुर
जोध.येथील	: जोधपुर येथील राज करणें
जी.एम.जी.प्रार.	: ग्लोरीज ऑफ मारवाड एण्ड ग्लोरियस राठीड
जे.प्राई.एच.	: जॉरनल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री
जे.बी.प्रार.एस.	: जॉरनल ऑफ बिहार रिसर्च सोसायटी
पे.द.का	: सेलेक्शन्स फ्रॉम पेशवा दफतर
पी.प्रार.सी.	: पूना रेजीडेन्सी कॉरसपोन्डेन्स
पो.फो.	: पोर्टफोलियो फाईल, दस्तरी रिकार्ड, जोधपुर
बनियर	: ट्रेवल्स इन मुगुल इण्डिया
बाम्बे गजेटियर	: गजेटियर ऑफ दॅ बाम्बे प्रेसीडेन्सी

मनुषी	• स्टोरियाँ हैं मँगोर
महेश दरबार	: महेश्वर दरवाराचीन धादामी पत्रें
दिल्ली येथील	दिल्ली येथील मराठांवाची राजकरणीं
दिलकुष	नव्व ए दिन कुष
टॉड	एनस एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान
डोलिया	डोलिया का बोठार विभाग के पत्र-जोषपुर
रजवाडे	मराठाच्या इतिहासाचीन साधणें
राज गजेटियर	राजपूताना गजेटियर
वि स	विक्रम-सम्बन्ध
वित्सन	मिस्त हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इण्डिया
वीलर जे टालबॉयज	समेरी ऑफ दॅ एकेयस ऑफ दॅ मराठा स्टेट
सियर	सियर मुतासरीन
स भ लाइब्रेरी	सरस्वती भडार लाइब्रेरी, उदयपुर
सभासद	शिव छत्रपति चरित्रेन भारवर
सी पी सी	क्लेम्डर फॉर पॅशियन कॉरस्पोंडेंस
घाटन	गजेटियर ऑफ द टेरिटरी अण्डर दॅ गवर्नमे ट ऑफ ई आई कम्पनी एण्ड नेटिव इस्टेटस इन दॅ का टीने ट ऑफ इण्डिया बाई घाटन एडवड
हेमिस्टन	ज्योप्राफीकल, स्टेटिकल एण्ड हिस्टोरीकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान बाई हेमिस्टन वाहटर

मारवाड़ में राठौड़-शक्ति का उत्थान

तेरहवीं शताब्दी के प्रथम अर्द्ध-भाग में, मारवाड़, (वह प्रादेशिक इकाई जिस पर 30 मार्च 1949 तक महाराजा हनुवतसिंह का शासन था) के अधिकांश भाग पर जालोर के चौहान राजपूतों का शासन था। प्रतिहार नगर माण्डवपुर (मण्डोर) भी उनके अधिकार में था।¹ चौहानों के पतन के बाद मारवाड़ में राठौड़ शक्ति का उदय हुआ और उसे मण्डोर पर अधिकार करने में करीब एक शताब्दी से कम समय लगा।²

चौहान, प्रतिहार साम्राज्यवादियों के सामन्त शासक थे। उनकी राजधानी शाकम्भरी (सांभर) थी। वे 973 ई० तक अपना स्वतन्त्र शासन स्थापित करने में सफल हो गये। उन्होंने मारवाड़ में अपना प्रसार किया। शीघ्र ही उन्हें दक्षिण-पूर्व में चालुक्यों से सघर्ष में जूझना पड़ा। नाडोल, पानी और जालोर पर अधिकार करने के लिए चौहान शासक व्याघ्रराज (4) (1151-1163 ई०) ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से युद्ध किया। पृथ्वीराज (3) (1180-1194) के समय मण्डोर नागौर प्रदेश चौहान प्रान्त था। पहले नाडोल के चौहानों ने, बाद में, जालोर के चौहानों ने कानान्गर में मण्डोर को अपने प्रभाव-क्षेत्र में मिला लिया।³

चौहान विर्तमान ने 1181 ई० में जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की। उसके पीछे उदयसिंह (1205-1257) के समय जालोर राज्य में नाडोल, जालोर, मण्डोर, बाहमेर, मुरचन्द, रटाहडा, खेड राममरिया, श्रीमाल, रतनपुर, भायपुर, आदि के प्रदेश थे। वह वृत्तबुद्धीन ऐवक, धारामशाह और इल्तुतमिश का समन्वयित था। उसकी बढ़ती हुई शक्ति बाहमेर के मुसलिम क्षेत्रों को तबतब बढ़ा कर लेगी। इल्तुतमिश ने उदयसिंह पर आक्रमण किया। इस युद्ध में चौहान शासक हार गया। उसने मण्डोर का प्रदेश, सी ऊँट और दो सौ छोटे मुल्तान को दिए। 1221 ई० एक बार पुनः इल्तुतमिश पश्चिमी-राजस्थान की ओर आया और गुजरात को भी बड़ा। उदयसिंह और गुजरात के बाघेला शासक ने उसे लौटने की मजबूर किया। इल्तुतमिश के लौटते ही चौहान शासक ने पुनः मण्डोर पर अधिकार कर लिया। यह अधिकार कुछ समय तक ही रहा क्योंकि 1226 ई० में मुल्तान ने इस नगर को अपने अधिकार में कर लिया था।⁴

1244 ई० में सुल्तान मसूद ने काशलीखों को मन्डोर, नागौर और अजमेर का प्रान्तपति नियुक्त किया।⁵ चौहानों के 1319 वि स (1262 ई०) के एक अभिलेख के अनुसार मन्डोर चौहान राज्य के अन्तर्गत था।⁶ 1291 ई० में खिलजी सुल्तान ने मन्डोर पर अधिकार कर साचोर पर आक्रमण कर दिया।⁷ तत्कालीन जालोर शासक सावन्तसिंह उसका विरोध न कर सका। 1296 ई० में उसके पुत्र कान्हडदेव ने राज्य का कार्यभार अपने पिता से ले लिया।⁸ कान्हड एक योग्य सेनापति, प्रशासक और राजनीतिज्ञ सिद्ध हुआ। 1301 ई० में उसने खिलजियों से मन्डोर छीन लिया और इन्दा परिहार को उसकी सुरक्षा का भार सौंपा।⁹ 1308 में अल्लाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। मन्डोर, साचोर और सिवाना पर उसका अधिकार हो गया। 1311 ई० में जालोर पर खिलजी का आक्रमण हुआ। कान्हड हार गया। चौहान साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया।¹⁰

राठीडों का आदि पुरुष सीहा माना जाता है। उसका मूल निवास गगा-जमना के दो-आब प्रदेश में बदायु का क्षेत्र था। इल्तुतमिश का उस क्षेत्र पर अधिकार हो जाने के बाद सीहा को वहां से भागना पड़ा। उसने 1226-1236 ई० के बीच राजस्थान की ओर प्रस्थान किया।¹¹ उसने और उसके पुत्र आसथान ने भीम-माल और पाली के महाजनों के यहाँ नौकरी करली।¹² उस समय ये दोनों नगर जालोर के चौहान राज्य के अधीन थे। मारवाड़ के इतिहासकार नेनसी, टॉड, घोषा, रेड, आसोपा और गहलोत इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आसथान ने खेड, जो कि चौहान साम्राज्य का एक मुख्य नगर था, पर अधिकार कर लिया। समकालीन या अर्द्ध-समकालीन ग्रन्थों या तबारीखों में इसका उल्लेख नहीं पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब खिलजी आक्रमण हुए (1308-1311) तब तक राठीड एक महत्वपूर्ण राजनैतिक शक्ति नहीं बन सके। यदि ऐसा होता तो खिलजी खेड के राठीडों को स्वतंत्र शक्ति नहीं देने रहने देते और समकालीन तबारीखों में इसका उल्लेख अवश्य किया जाता। मारवाड़ के इतिहासकार इस बात का उल्लेख करते हैं कि 1291 ई० में आसथान जलालुद्दीन के आक्रमण का सामना करता हुआ पाली में मारा गया।¹³

1314 ई० में कान्हडदेव की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद राठीडों को उन्नति करने की अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त हुईं। खिलजी शासकों का जालोर पर अधिकार हो चुका था, नागौर पर भी मुस्लिम शासन था और उन्होंने मन्डोर भी अपने अधीन कर रखा था।¹⁴ 1316 ई० में अल्लाउद्दीन की मृत्यु हो गयी। उसका लाम उठाकर इन्दा परिहार घेरपाल ने मन्डोर पर आक्रमण कर खिलजियों को वहां से निकाल दिया। मन्डोर पर परिहार राज्य पुनः स्थापित हो गया।¹⁵ दिल्ली राजनीति की असन्तुलित परिस्थितियों (1316-1320), सुगलक

राज्य क्रान्ति (1321) और गिय सुदीन तुगलक की प्रारम्भिक कठिनाईयों के कारण मारवाड़ मुस्लिम आक्रमण से मुक्त रहा। खेड में राठीड रायपाल और उसके पुत्र कान्हपाल (मृत्यु 1328 ई०) ने अपनी शक्ति मजबूत करली।¹⁶ चौदहवीं शताब्दी के मध्य में खेड ने राठीडों को मुल्तान के मुसलमानी शासकों से लगातार युद्ध करना पड़ा फलस्वरूप उनके कई शासक, टोडा (मृत्यु 1357) आदि युद्ध करते हुए मारे गए।¹⁷

1374 ई० के बाद राठीड-शक्ति के उत्थान का दूसरा चरण प्रारम्भ होता है। खेड के शासक कान्हड की मृत्यु (करीब 1374 ई०) के पश्चात् उसके भाई त्रिभुवनसी और भतीजे मल्लिनाथ (दूसरा भाई सलखा का पुत्र) के बीच उत्तराधिकारी सघर्ष प्रारम्भ हुआ।¹⁸ मल्लिनाथ ने महवे में एक पृथक राठीड शासन की स्थापना की। बाद में उसने खेड पर अधिकार कर लिया। जालोर के मुस्लिम शासक ने उसे राठीडों का नेता 'स्वीकार कर राखन' की उपाधि से सम्मानित किया। मल्लिनाथ ने खूणी नदी तक अपने राज्य का प्रसार किया। अपने राज्य का नाम उसने 'मालानी' रखा।¹⁹ उनकी मृत्यु (1393 ई०) के बाद दूसरा उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ। उसके पुत्र जगमाल को गद्दी से उतार कर उसके छोटे भाई के पुत्र चूडा ने राज्य पर अधिकार कर लिया।

1383 ई० में मल्लिनाथ का छोटा भाई वीरम जोड़िया राजपूतों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया। उस समय उसका पुत्र चूडा अल्पावस्था में था।²⁰ अतः उसका सालन पालन मल्लिनाथ ने किया। 1393 ई० में चूडा ने इन्दाके परिहार, जागलू के साखला और जोड़िया राजपूतों की सहायता से महवे पर अधिकार कर लिया।²¹ वह अत्यन्त महत्वाकांक्षी था। अब उसने मन्डोर लेने की योजना बनाई। चौदहवीं शताब्दी के मध्य में तुगलकों ने परिहारों से मन्डोर छीन लिया था। 1388 में मुल्तान फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली पुनः राजनैतिक अस्थायित्व तत्वों का केन्द्र बन गई। मुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक अत्यन्त कमजोर था। अतः मन्डोर के मुस्लिम शासक को उसके सहायता की प्राथा नहीं रही। उसने चूडा की बढ़ती हुई शक्ति से सुरक्षित होने के लिये गुजरात के मुल्तान से सहायता की प्रार्थना की।²² चूडा ने परिहारों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर उनसे सैनिक-समर्थता कर लिया। राठीड-परिहार सेना ने 1394 ई० में मन्डोर पर अधिकार कर लिया। प्रारम्भ में द्वैध शासन स्थापित किया गया परन्तु यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी। राठीड व परिहारों में शक्ति के लिए सघर्ष छिड़ गया। चूडा सफल रहा। उसने मन्डोर को अपनी राजधानी बना लिया। उसने 'राव' की पदवी धारण की।²³

गुजरात के शासक मुज्जफरखां ने पुन मण्डोर पर इस्लामी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसने 1396 ई० मे मण्डोर पर घात्रमण कर दिया। गुजराती घेरा एक वर्ष छ माह तक पडा रहा परन्तु राठीडो ने घात्रम-समर्पण नहीं किया। 1398 के प्रारम्भ में तंमूर के घात्रमण की सम्भावनाओं ने घीर उसके पौत्र पीर मोहम्मद का मुस्तान पर अधिकार ने राठीड घीर गुजरातियो को सन्धि करन को मजबूर किया। माच 1398 की सन्धि के अनुसार मुज्जफर खां न मण्डोर पर राठीडो के अधिकार को मान्यता दे दी। चू डा ने उसे घाषिक-कर, जो मुस्लिम श सक, तुगलक शासकों को देते थे, देने का वचन दिया। तंमूर घात्रमण के पश्चात् चू डा ने यह कर देना बन्द कर दिया।²⁴

चू डा ने 1399 मे नागौर से जलालखां खोखर को निकालकर वहाँ अपना अधिकार स्थापित किया।²⁵ परन्तु 1408 मे मुज्जफर शाह ने नागौर पुन ले लिया घीर शम्स खां को वहा का गवर्नर नियुक्त किया।²⁶ इसके बाद दो शताब्दी तक राठीडो घीर गुजराती शासकों के बीच नागौर के लिए सघर्ष होता रहा।²⁷

चूडा ने नाडोल पर भी अधिकार कर लिया।²⁸ अब उसके राज्य की सीमा चित्तौड के सिसोदिया राज्य से जा मिली। पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे राठीड राज्य राजस्थान को सिसोदिया शक्ति से टक्कर लेने लगा। पर उसके बीच सघर्ष नहीं हुआ। चू डा की शक्ति शिशु अवस्था मे ही थी जबकि सिसोदिया सात शताब्दियो से मेवाड मे जन्म हुए थे। चू डा न अत्यन्त कूटनीति से काम किया। उसने अपनी पुत्री हसा बाई की शादी चित्तौड के वृद्ध शासक साखा से कर दी। शादी इस शत पर की गई थी कि हसा की सतान ही मेवाड की भावी शासक होगी। उसका पुत्र रणमल चित्तौड रहने लगा।²⁹ इससे मेवाड की राजनीति मे हस्तक्षेप का अवसर उस प्राप्त होने लगा। जीवन के अन्तिम समय मे उसने फलीदी जैसलमेर की घीर अपना प्रसार करना शुरू किया। 1422-1423 ई० मे वह जागलू के साखला, जैसलमेर घीर पू गल के भाटी शासकों से युद्ध करता हुआ मारा गया। उस समय उसका बडा पुत्र रणमल चित्तौड मे था। अत राठीडो ने उसके छोटे भाई कान्हा को शासक घोषित कर युद्ध जारी रखा। कान्हा एक वर्ष के भीतर ही मर गया। युद्ध का नेतृत्व सता ने सम्हाला। उसे नया शासक मान लिया गया।

मण्डोर की राजनीति मे रणमल का समर्थक कोई नहीं था अत उसे राज्य गद्दी से वंचित रखा गया। पर वह शान्त रहने वाला नहीं था। सिसोदिया की सहायता से 1427 ई० मे उसने मण्डोर पर अधिकार कर लिया। 1428-1438 तक राजस्थान मे वह सर्वशक्तिमान व्यक्ति था। उसकी सहायता से ही 1433 मे कुम्भा चित्तौड की गद्दी प्राप्त कर सका। वह (कुम्भा) अल्पावस्था मे था अत राज्य का 'रिजेन्ट' वह बन गया। 1433-1438 के काल में मेवाड पर कई मुस्लिम घात्रमण

हुए। उसने सफलतापूर्वक उनका सामना कर मेवाड की रक्षा की। अपार-शक्ति के कारण वह अत्यन्त महत्वाकांक्षी हो गया। उसने अपने विरोधियों को बुरी तरह कुचलकर मेवाड का राठीहीकरण करना शुरू किया। राज्य के ऊँचे पद राठीयों को दिए गए। मेवाडी लड़कियों को राठीयों के साथ शादी करना अनिवार्य कर दिया। इससे वह अप्रिय होने लगा। जब उसने 1439 में मेवाड के सामन्त राघवदेव की हत्या करवादी तो उसके विरुद्ध विद्रोह ही गया। स्वयं कुम्भा राणमल विरोधी बन गया। वह किले में मार डाला गया। उसका पुत्र जोधा भाग गया। कुम्भा ने जोधा का पीछा किया और मन्डौर पर अधिकार कर लिया।³⁰

बीस वर्ष तक जोधा पश्चिमी-राजस्थान के प्रदेशों में घुमनकूट जीवन बिताता रहा। धीरे-धीरे उसने देवडा, चौहानों, इन्दापरिहारों, छल्लू के साखला, पू गल व जागलू के भाटी राजपूतों से सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की।³¹ उसकी शक्ति बढ़ने लगी। वह मन्डौर पुनः प्राप्त करने का सुझाव रखने लगा। 1457-1458 में धिलौड के राणा कुम्भा की स्थिति शोचनीय होने लगी। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के क्रुतुबदीन ने मेवाड पर आक्रमण कर दिया। इसी समय कुम्भा के भाई क्षेमा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

राणा ने मन्डौर, मेढता और सोजत-स्थित अपनी सेना को बुला लिया। ऐसी स्थिति में जोधा ने आक्रमण कर कोसना, चौकडी और मन्डौर पर अधिकार कर लिया।³² नेनसी लिखता है कि³³ जोधा ने मेवाड पर भी आक्रमण किया और पिछोली प्रदेश को लूटा। कुम्भा सभी मोर्चों पर लड़ नहीं सकता था अतः उसने नेपा साखला के द्वारा जोधा से समझौता कर लिया।³⁴ इसके अनुसार कुम्भा ने जोधा को मन्डौर का शासक स्वीकार किया तथा गोडवाह तक उसके राज्य सीमा को मान्यता दी। इसके बदले में जोधा राणा की मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। जोधा ने अपनी पुत्री की शादी राणा के पुत्र से कर पारिवारिक सम्बन्ध भी दृढ़ कर लिए।³⁵ मेवाड पर मुसलमानों के आक्रमण काल 1458-1468 के समय तिस्रोदिया-राठीय सहयोग बना रहा।³⁶

जोध्या के समय में मारवाड़ में राठीय-शक्ति के उत्थान का तीसरा युग प्रारम्भ होता है। उसने नयी राजधानी बनाई। मन्डौर से पाँच मील दूर पहाड़ी पर एक गढ़ निर्मित किया तथा एक नगर बसाया, जो जोधपुर कहलाता है। उसने राठीय राज्य को नई संवैधानिक मान्यता प्रदान की कि राज्य पर व्यक्ति का नहीं बल्कि राठीय परिवार का अधिकार रहेगा तथा शासक 'समान में प्रथम व्यक्ति' होगा। राज्य प्रसार के लिए उसने अपने भाइयों एवं पुत्रों को सीमान्त पर नियुक्त किया एवं पड़ोसी प्रदेशों पर प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने की नीति को प्रोत्साहित किया। जो क्षेत्र नये जीते जाते थे उन पर विजेताओं के अधिकार की मान्यता दी।

गुजरात के शासक मुज्जफरखाँ ने पुन. मण्डोर पर इस्लामी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसने 1396 ई० में मण्डोर पर आक्रमण कर दिया। गुजराती घेरा एक वर्ष छ माह तक पड़ा रहा परन्तु राठीडों ने घातम-समर्पण नहीं किया। 1398 के प्रारम्भ में तैमूर के आक्रमण की सम्भावनाओं ने घोर उसके पौत्र पीर मोहम्मद का मुल्तान पर अधिकार ने राठीड घोर गुजरातियों को सन्धि करने की मजबूर किया। मार्च 1398 की सन्धि के अनुसार मुज्जफर खाँ न मण्डोर पर राठीडों के अधिकार को मान्यता दे दी। चूँडा ने उसे वार्षिक-कर, जो मुस्लिम शासक, तुगलक शासकों को देते थे, देने का वचन दिया। तैमूर आक्रमण के पश्चात् चूँडा ने यह कर देना बन्द कर दिया।²⁴

चूँडा ने 1399 में नागौर से जलानखाँ खोखर को निकालकर वहाँ अपना अधिकार स्थापित किया।²⁵ परन्तु 1408 में मुज्जफर शाह ने नागौर पुन ले लिया और शम्स खाँ को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया।²⁶ इसके बाद दो शताब्दी तक राठीडो घोर गुजराती शासकों के बीच नागौर के लिए सघर्ष होना रहा।²⁷

चूँडा ने नाडोल पर भी अधिकार कर लिया।²⁸ अब उसके राज्य की सीमा चित्तौड़ के सिमोदिया राज्य से जा मिली। पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में राठीड राज्य राजस्थान की सिमोदिया शक्ति में टकरा लेने लगा। पर उसके बीच सघर्ष नहीं हुआ। चूँडा की शक्ति शिशु अवस्था में ही थी जबकि सिमोदिया सान शताब्दियों से मेवाड़ में जमे हुए थे। चूँडा न अत्यन्त कूटनीति से काम किया। उसने अपनी पुत्री हसा बाई की शादी चित्तौड़ के बृद्ध शासक साला से कर दी। शादी इस शर्त पर की गई थी कि हसा की सतान ही मेवाड़ की भावी शासक होगी। उसका पुत्र रणमल चित्तौड़ रहने लगा।²⁹ हमसे मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर उसे प्राप्त होने लगा। जीवन के अन्तिम समय में उसने फलीदी-जैसलमेर की घोर अपना प्रसार करना शुरू किया। 1422-1423 ई० में यह जागजू के साखला, जैसलमेर और पू गल के भाटी शासकों से युद्ध करता हुआ मारा गया। उस समय उसका बड़ा पुत्र रणमल चित्तौड़ में था। अतः राठीडो ने उसके छोटे भाई कान्हा को शासक घोषित कर युद्ध जारी रखा। कान्हा एक वर्ष के भीतर ही मर गया। युद्ध का नेतृत्व सता ने सम्हाला। उसे नया शासक मान लिया गया।

मण्डोर की राजनीति में रणमल का समर्थक कोई नहीं था अतः उसे राज्य गद्दी से वंचित रखा गया। पर वह शांत रहने वाला नहीं था। सिमोदिया की सहायता से 1427 ई० में उसने मण्डोर पर अधिकार कर लिया। 1428-1438 तक राजस्थान में वह सर्वशक्तिमान व्यक्ति था। उसकी सहायता में ही 1433 में कुम्भा चित्तौड़ की गद्दी प्राप्त कर सका। वह (कुम्भा) अल्पावस्था में था अतः राज्य का 'रिजेन्ट' वह बन गया। 1433-1438 के काल में मेवाड़ पर कई मुस्लिम आक्रमण

हुए। उसने सफनतापूर्वक उनका सामना कर मेवाड की रक्षा की। अपार-शक्ति के कारण वह अत्यन्त महत्वाकांक्षी हो गया। उसने अपने विरोधियों की बुरी तरह कुचलकर मेवाड का राठौड़ीकरण करना शुरू किया। राज्य के ऊँचे पद राठौड़ों को दिए गए। मेवाडी लड़कियों की राठौड़ों के साथ शादी करना अनिवार्य कर दिया। इससे वह अग्रिय होने लगा। जब उसने 1439 में मेवाड के सामन्त राघवदेव की हत्या करवादी तो उसके विरुद्ध विद्रोह हो गया। स्वयं कुम्भा रणमल विरोधी बन गया। वह किले में भ्रार डाला गया। उसका पुत्र जोधा भाग गया। कुम्भा ने जोधा का पीछा किया और मन्डौर पर अधिकार कर लिया।³⁰

बीम वर्ष तक जोधा पश्चिमी-राजस्थान के प्रदेशों में घुमबकूट जीवन बिताता रहा। धीरे-धीरे उसने देवडा, चौहानों, इन्दापरिहारों, रूण के साखला, पूंगल व जागलू के भाटी राजपूतों से सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की।³¹ उसकी शक्ति बढ़ने लगी। वह मन्डौर पुनः प्राप्त करने का सुपवसर खोजने लगा। 1457-1458 में वित्तोड के राणा कुम्भा की स्थिति शोचनीय होने लगी। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के भुतुबद्दीन ने मेवाड पर आक्रमण कर दिया। इसी समय कुम्भा के भाई क्षेमा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

राणा ने मन्डौर, मेड़ता और सोजत-स्थित अपनी सेना को बुला लिया। ऐसी स्थिति में जोधा ने आक्रमण कर कोसना, चौकड़ी और मन्डौर पर अधिकार कर लिया।³² नेनसी लिखता है कि³³ जोधा ने मेवाड पर भी आक्रमण किया और विछोली प्रदेश को लूटा। कुम्भा सभी मोर्चों पर लड़ नहीं सकता था अतः उसने नेपा साखला के द्वारा जोधा से समझौता कर लिया।³⁴ इसके अनुसार कुम्भा ने जोधा को मन्डौर का शासक स्वीकार किया तथा गोडवाड तक उसके राज्य सीमा को मान्यता दी। इसके बदले में जोधा राणा की मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। जोधा ने अपनी पुत्री की शादी राणा के पुत्र से कर पारिवारिक सम्बन्ध भी दृढ़ कर लिए।³⁵ मेवाड पर मुसलमानों के आक्रमण काल 1458-1468 के समय सिसोदिया-राठौड़ सहयोग बना रहा।³⁶

जोधरा के समय में मारवाड़ में राठौड़-शक्ति के उत्थान का तीसरा युग प्रारम्भ होना है। उसने नयी राजधानी बनाई। मन्डौर से पाँच मील दूर पहाड़ी पर एक गढ़ निर्मित किया तथा एक नगर बसाया, जो जोधपुर कहलाता है। उसने राठौड़ राज्य को नई संवैधानिक मान्यता प्रदान की कि राज्य पर व्यक्ति का नहीं बल्कि राठौड़ परिवार का अधिकार रहेगा तथा शासक 'समान में प्रथम व्यक्ति' होगा। राज्य प्रसार के लिए उसने अपने भाइयों एवं पुत्रों को सीमान्त पर नियुक्त किया एवं पहाड़ी प्रदेशों पर प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने की नीति को प्रोत्साहित किया। जो क्षेत्र मये जीते जाते थे उन पर विजेताओं के अधिकार की मान्यता दी।

मिफं शासनाध्यक्ष एक ही रहने लगा । इस प्रकार उसके छोटे भाई कान्धल और बड़े पुत्र बीका ने जागल, चन्दासौर, देशनोक, कोडमदेसर, पूगल, हिसार तक का जाट प्रदेश 1485 ई० में अधिकार कर लिया।³⁷ दूसरे पुत्र वरसी और दूदा ने मेड़ता, अजमेर, और तामर तक अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित किया।³⁸ 1477 ई० में उसने बीका, उदा, जगा की सहायता से छापर-द्रोणपुर प्रदेश जीत लिया। पहले जगा को, बाद में बीदा को वहा का शासन मिला।³⁹ अन्य पुत्रों में सातल ने जैसलमेर के भाटी शासकों के कुछ प्रदेश छीन कर अपने नाम पर सातलमेर की स्थापना की। सूत्रा ने सोजत लिया। नागौर के मुस्लिम शासक फतेवा से लम्बे अरस तक युद्ध कर करमती और बनबीर ने खीवसर, रायपुर और घासोप पर अधिकार कर लिया।⁴⁰ दूदा ने 1487 में सिधवा के मेगा को हरा कर जंतरण ले लिया।⁴¹

दिल्ली के लोदी शासक बहलोल के साथ जोधा के अच्छे सम्बन्ध थे। सन् 1505 के गोसुन्डी अभिलेख में उसका काशी, गया और अन्य घर्म-स्थलों पर जाना लिखा है तथा जोनपुर के शर्की सुल्तान हुसैनशाह ने साथ युद्ध का उल्लेख है। बहलोल लोदी और शर्की शासकों में युद्ध हुआ करते थे अतः उपरोक्त उल्लेख की सत्यता इस रूप में स्पष्ट की जा सकती है कि जोधा बहलोल के मित्र के रूप में शरियों के विरुद्ध लड़ा और उस दौरान में उसने धार्मिक स्थानों की यात्रा भी की। यह आश्चर्यजनक है कि लोदी साम्राज्य के समकालीन इतिहासकार ब्रह्मद यादगार, परिशता, मुस्ताकी, याह्या आदि ने राठीड-शक्ति का उल्लेख कहीं भी नहीं किया। सम्भवतः राठीड उस समय तक दिल्ली राजनीति को प्रभावित करने वाली शक्ति नहीं बन सके थे। जोधा की मृत्यु 1488 ई० में हुई।

जोध्या की मृत्यु के समय मारवाड में राठीड राज्य की सीमा उत्तर में हिमार, द० पूर्व में गोडवाड, पश्चिम में जैसलमेर सिन्ध तक फैल गई थी। उसकी मृत्यु के पूर्व ही बीका ने स्वतन्त्रता स्थापित कर ली थी। और जोधा ने उसे बीकानेर का शासक स्वीकार कर लिया था।⁴² पर सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण बीका ने जोधपुर पर अपने अधिकार को नहीं त्यागा। जोधा की मृत्यु के बाद जब सातल गद्दी पर बैठा तो बीका ने जोधपुर पर आक्रमण की तैयारियां प्रारम्भ कीं। इससे जोधा के राज्य का विघटन होने लगा। बीदा द्रोण-छापर में स्वतन्त्र हो गया। मालवा के सुल्तान ने मल्लुर्वा के नेतृत्व में सेना भेज कर अजमेर और मेड़ता पर अधिकार कर लिया। दूदा भी स्वतन्त्र हो गया।⁴³ नागौर के मुस्लिम सूबेदारों की ओर से राठीड राज्य पर आक्रमण की सम्भावनाएं हर समय बनी रहने लगीं।

सोलहवीं शताब्दी के प्रथम अर्द्ध-भाग में उत्तरी भारत की राजनीति, जिसमें मुगलों और अफगान शासकों के बीच संघर्ष चलता रहा, का लाभ उठा कर राठीडों

ने राव गांगा और और राव मासदेव के नेतृत्व में राजस्थान की एक प्रमुख शक्ति बनने में सफलता प्राप्त की। 1527 ई० में राणा सांगा के सहयोगी के रूप में राठौड़ों ने खानवा के युद्ध में भाग लिया। 1531 में मारवाड़ की गद्दी पर राव मासदेव कासीन हुआ। उसके नेतृत्व⁴¹ में राठौड़ शक्ति चरमसोमा पर पहुँच गई। दमर्ष के भीतर न सिर्फ़ मेवाड़ के सिसोदिया शक्ति के प्रभाव को ही शून्य नहीं किया बल्कि अफगान शासक शेरशाह से टक्कर लेने की क्षमता उसने बढ़ा ली। 1541 ई० में उसने भगोड़े मुगल शासक हुमायूँ को शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने की प्रणयिणी की। परन्तु हुमायूँ ने इसका लाभ नहीं उठाया। जुलाई 1542 में शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सैनिक अभियान का इच्छा करते हुए भी नहीं किया क्योंकि उसकी तैयारियाँ पर्याप्त नहीं थी। मालदेव ने अजमेर, मेड़ता बीकानेर और नागौर पर अधिकार कर लिया। मेड़ता व बीकानेर के शासक शेरशाह से जा मिले। इस पर अफगान शासक ने 1543 के अन्त में मारवाड़ पर आक्रमण करने हेतु दिल्ली से प्रस्थान किया। 5 जनवरी 1544 की सामेल के युद्ध में मालदेव हार गया परन्तु मुट्ठी भर बाजरे के लिए शेरशाह की गद्दी खतर में पड़ गयी थी। उसने मेड़ता, अजमेर, नागौर, बीकानेर और जोधपुर पर अपना शासन स्थापित किया⁴² पर यह विजय अल्पकालीन रही। 1545 ई० में शेरशाह की मृत्यु हो गयी। इस पर मालदेव ने अपनी राजधानी पर पुनः अधिकार कर लिया। 1560 तक उसकी राज्य-सीमा पुनः उस वि दू तक पहुँच गई जो सामेल के युद्ध के पूर्व थी।⁴³

1555 ई० में हुमायूँ न दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा। मेड़ता का जयमल मालदेव के विरुद्ध सहायता लेने अकबर के पास पहुँचा। बीकानेर के शासक ने भी मुगल दरबार की यात्रा इसी उद्देश्य से की। 1558 ई० में, बाद में 1562 में अकबर ने मिर्जा सरफुद्दीन हुसैन को मेड़ते पर अधिकार करने को भेजा। राठौड़ व मुगलों की यह पहली टक्कर थी। मेड़ता पर मुगल अधिकार स्थापित हो गया। नवम्बर, 1562 ई० में मालदेव की मृत्यु के साथ मारवाड़ में राठौड़ों का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया।⁴⁷

मालदेव के बाद उसका बड़ा पुत्र चन्द्रसेन जोधपुर का शासक बना। उसके दो भाई, उदयसिंह और राम भी गद्दी की माँग करने लगे। वे विद्रोही हो गए। इसका लाभ मुगलों ने उठाया। नागौर के मुगल हाकिम हुसैन कुली बेग ने 1564 ई० में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। चन्द्रसेन भाद्राजून की और व उदयसिंह फलीदी की ओर भाग गए। राम ने मुगलों की सरक्षता स्वीकार कर ली। जोधपुर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। वहाँ सरकार स्थापित कर दी गई। चन्द्रसेन राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए सघर्ष करता रहा।⁴⁸

1570 ई० में अकबर ने नागौर में पश्चिमो-राजस्थान के शासकों का सम्मेलन बुलाया। बीकानेर, जैसलमेर के शासक और जोधपुर के चन्द्रमेन और उदयसिंह नागौर पहुँचे। अकबर की नीति स्पष्ट थी। राजपूत प्रदेश मुगल साम्राज्य के अधीन क्षेत्र हैं, राजपूत शासकों को मुगल सार्वभौमिकता स्वीकार करनी पड़ेगी, राज्य पर उनका अधिकार मुगल सम्राट की स्वेच्छा पर निर्भर रहेगा, उनके उत्तराधिकारी के बारे में मुगल-निर्णय अन्तिम निर्णय होगा और उन्हें मान्य होगा। शासकों को वार्षिक-कर मुगल-बोप में जमा करना पड़ेगा, उन्हें मुगल सेवा देनी पड़ेगी तथा राजकुमारियों की शादी मुगल शासकों या शहजादों से करनी पड़ेगी, उन्हें मुगल मनसब में लिया जायेगा तथा योग्यतानुसार सैनिक, प्रशासनिक और राजनैतिक उत्तरदायित्व दिया जायेगा। उनके राज्य की भाय पर उनका अधिकार बना रहेगा।

बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने अपनी पुत्रियों की शादी अकबर से शीघ्र करदी। उदयसिंह ने मुगल सार्वभौमिकता तो स्वीकार की परन्तु अपनी पुत्री की शादी मुगलों से करने को तैयार नहीं हुआ। चन्द्रमेन सम्मेलन से हट गया और एक बार पुनः मुगलों से संधि की नीति उसने अपनाई। उसके पास न तो साधन थे और न सैनिक ही। एक-एक करके उसके प्रदेश मुगलों के अधीन होने गए। 1572 ई० में भाद्राजून और 1576 में सिवाना तथा पोकरण उसके हाथ से निकल गए। जनवरी, 1581 ई० में मुगलों से युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु ही गयी।

नागौर से प्रस्थान करने से पूर्व अकबर ने जोधपुर के प्रशासन का उत्तर-दायित्व बीकानेर शासक रायसिंह को दिया। 1583 ई० में उदयसिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई की शादी शाहजादा सलीम से करदी। इस पर अकबर ने जोधपुर का राज्य उसे दे दिया, यद्यपि मारवाड़ पर राठौड़ों का शासन पुनः स्थापित हो गया परन्तु अब वे स्वतंत्र शासक नहीं रहे। जोधपुर अजमेर सूबे की एक सरकार ही माना जाता था। राठौड़ शासक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के अभिन्न अंग बन गए। उदयसिंह मुगल दरबार में रहने लगा।

धीरे-धीरे जोधपुर पर मुगल प्रभाव बढ़ने लगा। सामान्यतः शासक मुगल अभियानों में भेजे जाते थे। यदि अभियान में नहीं जाता पड़ता तो वे मुगल दरबार में उपस्थित रहते। पारिवारिक आवश्यकताओं के समय ही उन्हें जोधपुर जाने की शाही आज्ञा मिल सकती थी। उनकी अनुपस्थिति में 'देश' का शासन प्रबन्ध दीवान व अन्य पदाधिकारी करते, जिनकी नियुक्ति के लिए शाही पूर्वानुमति उन्हें लेनी पड़ती थी। शाही दरबार में वे हमेशा बादशाहों की कृपा की आकांक्षा करते थे, जिससे उनकी मनसब में बढि हो सके और अतिरिक्त भाय प्राप्त हो सके।

उदयसिंह को एक हजार जात का मनसबदार बनाया गया और 'राजा' की पदवी दी गई। मृत्यु (जुलाई 1595 ई०) के समय वह 1,500 जात का मनसबदार था तथा उसके अधीन जोधपुर, सातलमेर, फलोदी, सोजत, जंतरण और सोवाना के प्रदेश थे। उसने 1588-1593 के बीच मुगलों के गुजरात, राजस्थान (सिरोही) और दक्षिण अभियानों में भाग लिया था। 1588 ई० में उसने कच्ये के के पास मुजफ्फर खाँ गुजराती और दौलत खाँ लोदी के विद्रोह को दबाया और 1593 ई० में सिरोही के सुरताण पर विजय पाई।

मुगल बादशाह राठौड़ शासकों के उत्तराधिकारी निश्चित करते समय शासकों की प्रतिभामय इच्छामयों का ध्यान भी रखत थे। अतः उदयसिंह की मृत्यु के बाद घरुवर ने, उसकी इच्छानुसार उसके छोटे पुत्र शूरसिंह को 23 जुलाई 1595 को जोधपुर का शासक स्वीकार किया। वह 2000 जात/सवार का मनसबदार था और सोलह परगनों (मारवाड़ में नौ, गुजरात में चार, मालवा, मेवाड़ व दक्षिण में एक/एक) पर उसका शासन था। उसने 1597 ई० में गुजरात के बहादुर गुजराती, 1600 ई० में सदतखान और 1602 ई० में खुदाबन्द के विद्रोहों को दबाया। वह 1608 ई० में मलिक अम्बर (अहमद नगर) और 1613 ई० में राणा अमरसिंह (मेवाड़) के विरुद्ध सैनिक अभियानों में शामिल था। जहाँगीर के शासनकाल में यह अधिकतर दक्षिण में रहा, जहाँ उसकी मृत्यु 7 सितम्बर, 1619 को हुई। मृत्यु के समय वह 5000 जात और 3,300 सवार का मनसबदार था। उसके राज्य में जालोर,⁴⁹ भोजना⁵⁰ और साबौर प्रदेश मिला दिए गए थे। शेरशाह ने मुगल राजनीति को भी प्रभावित किया था। जहाँगीर अपनी यात्म-कथा में लिखता है कि, "वह (शूरसिंह) राणा की तरह शक्तिशाली जमींदार था जिसे ऊँचा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।"

शूरसिंह का उत्तराधिकारी गर्जसिंह था। पिता के समय से ही वह शाही सेवा में अपनी योग्यता का परिचय दे चुका था। उसने पठानों से जालोर छीन लिया था। राणा अमरसिंह के विरुद्ध युद्ध में जहाँगीर इससे बड़ा प्रभावित हुआ था। सादरी के घानेदार के रूप में उसने प्रशासकीय दक्षता प्रदर्शित की। परन्तु जब वह गद्दी पर बैठा तो न तो उसके पिता का मनसब ही प्राप्त हुआ और न उसके समय के प्रदेश ही। शूरसिंह की मृत्यु के बाद जहाँगीर ने फलोदी, जालोर, मेढता और सिवाना के परगने शहजादा खुर्रम को दे दिए। गर्जसिंह को शासक बनने पर 3000 जात, दो हजार सवार का मनसब दिया गया। शीघ्र ही शाही सेवा के कारण उसके मनसब में वृद्धि होने लगी। उसने मलिक अम्बर के आक्रमण को अमकव बनाया, 1624 ई० में हाजीपुर के स्थान पर उसने और आमेर शासक जयसिंह ने मिल कर खुर्रम को करारी हार दी। उसका मनसब बढ़ा कर 5000 जात 5000 सवार का कर

दिया गया। शाहजहाँ के बाल में, उसने 1630 ई० में खानजहा सोदी के विद्रोह को दबाने में मदद दी। 1631-1636 ई० में उसने बीजापुर के विह्वल सैनिक अभियानों में भाग लिया। इन सेवाओं के उपलक्ष में शाहजहाँ ने मारोठ का परगना उसे दे दिया।

मई, 1638 ई० में गजसिंह की मृत्यु होगई। शाहजहाँ ने राठीड राज्य को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग, जिसकी राजधानी जोधपुर थी, पर जसवंतसिंह (गजसिंह का छोटा पुत्र, जिसकी 1638 ई० में आयु 12 वर्ष की थी) का शासन माना गया और दूसरे भाग पर, जिसकी राजधानी नागौर थी, अमरसिंह (गजसिंह का बड़ा पुत्र) का शासन माना गया। समकालीन ऐतिहासिक ग्रन्थ एवं त्वारीखों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि अपने शासन के प्रथम बीस वर्षों में जसवंतसिंह ने न तो कोई महत्वपूर्ण सैनिक अभियान में भाग लिया और न कोई उसे राजनैतिक प्रतिष्ठा मुगल दरबार में प्राप्त हुई। वह शाहजहाँ के साथ यात्राओं में जाता था। समय समय पर उसे मनसबों से विभूषित किया गया। उसने जालौर, पोकरण, फालोदी, और सातलमेर के प्रदेश शाहजहाँ से प्राप्त किए। जनवरी से अगस्त 1645 ई० तक वह आगरे का कार्यवाहक सूबेदार भी रहा।

... ..

सन्दर्भ

- 1-डा० दशरथ शर्मा प्रती चौहान डायनेस्टीज पृ० 148
- 2-राठीडों ने 1394 ई० मे मन्डोर पर अधिकार किया था ।
- 3 डा० दशरथ शर्मा, प्रती चौहान डायनेस्टीज पृ० 58, 77, 148
- 4-उपरोक्त पृ० 144, 148, 151, 152
- 5-हब्बीबुल्ला फाउण्डेशन्स आफ द मुस्लिम कूल इन इण्डिया, पृ० 124
- 6-डा० दशरथ शर्मा प्रती चौहान डायनेस्टीज पृ० 152, डा० शर्मा के अनुसार उदयसिंह ने वि. म. 1283-1314 (1226 1257 ई०) के बीच मन्डोर पर पुन अधिकार किया था ।
- 7-उपरोक्त पृ० 159
- 8-उपरोक्त
- 9-रामकरण भातोपा : मारवाड का मूल इतिहास पृ० 22
- 10-डा० दशरथ शर्मा : प्रती चौहान डायनेस्टीज पृ० 167-169, डा. शर्मा के अनुसार जानोर का पतन ज्येष्ठ वदि 10, वि. सं. 1371 (1314 ई.) के ग्राम पास हुआ था (उपरोक्त पृ० 170 फुटनोट-60)
- 11 योगेशकर हीरा चन्द मोफा के अनुसार सीहा वदायू से 1196 ई० में बना (जोधपुर का इतिहास, भाग (1) पृ० 146); रामकरण भातोपा उसे महवी से 1234 ई० में प्रस्थान करता हुआ मानते हैं । (मारवाड का मूल इतिहास पृ० 49) के निगघम 1226 ई. में उसके प्रस्थान की तिथि देता है । (प्राकियोनोजिकल सर्वे रिपोर्ट : भाग (3) पृ० 123)
- 12-नेनसी लिखता है कि सीहा ने गुजरात मे लाखा कुलाणी के विरुद्ध चौहवा शामकों की सहायता देकर भाग्य भाजमाना चाहा परन्तु बाद में यह कमीज लोट प्राया (स्वात (2) पृ० 267-274)
- 13-मारवाड स्वात (1) पृ० 19, बाकीदास, ऐतिहासिक वार्ता न० 1615; डा. दशरथ शर्मा : प्रती चौहान डायनेस्टीज पृ० 159 । उस समय सेइ पर कान्हड देव का अधिकार था ।
- 14-मोफा : जोधपुर का इतिहास भाग (1) पृ० 173
- 5-टॉड लिखता है कि भास्यान के पुत्र दुशन्द ने देरवाल पर आक्रमण किया और कुछ समय मन्डोर पर अधिकार किए रखा (ग्रन्थ (2) पृ० 943)

- 16-भोभा : जोधपुर का इतिहास भाग (1) पृ० 170 फुटनोट-1; दँ देहली सल्तनत (विपत्स हिस्ट्री एण्ड बरुचर प्रॉफ इन्डिया भाग (6) पृ० 349
- 17-बी० एन० रेऊ : मारवाड का इतिहास भाग (1) पृ० 50-53, भोभा : जोधपुर का इतिहास भाग (1) पृ० 173, 183, 192; दँ देहली सल्तनत पृ० 350
- 18-रेऊ : ग्लोरिज प्रॉफ मारवाड एण्ड दँ ग्लोरियस राठोड़ पृ० (13)
- 19-भोभा : जोधपुर का इतिहास भाग (1) 190-192
- 20-वीर विनोद भाग (1) पृ० 802
- 21-नेनसी ख्यात (2) पृ० 304, 307
- 22-मिरात-ए-अहमदी (गुजराती सफ़रएण) पृ० 13; भोभा जोधपुर का इतिहास भाग (1) पृ० 212 फुटनोट
- 23-नेनसी ख्यात (2) पृ० 308-309
- 24-मिरात ए अहमदी-पृ० 13, भोभा . भाग (1) पृ० 212 दँ देहली सल्तनत पृ० 116-117/मिरात मे 'माण्डु, मन्डोर के लिए है न कि मालवा के माण्डु के लिए ।
- 25-नेनसी ख्यात (2) पृ० 310
- 26-मिरात-ए-अहमदी पृ० 18; भोभा . भाग (1) पृ० 202; रेऊ भाग (1) पृ० 64
- 27-दँ देहली सल्तनत पृ० 127 इसमे लिच्छवियों का नागीर पर आक्रमण 1416 का लिखा है ।
- 28-जोधपुर इतिहासकार उसका राज्य सांभर घोर डीहवाना तक भी मानत है ।
- 29-नेनसी के अनुसार पिता से भगडा हो जाने पर रणमल मन्डोर से भाग कर बितौड गया था (ख्यात (2) पृ० 313-314)
- 30-लेखक का लेख कुम्भा के राजस्थान के अन्य शासकों के साथ सम्बन्ध 1433-1439 (राजस्थान भारती, ग्रन्थ (8) भाग (1-2)
- 31-रेऊ : भाग (1) पृ० 80 फुटनोट-2
- 32-उपरोक्त पृ० 89-90, दँ देहली सल्तनत पृ० 335-336
- 33-ख्यात (3) पृ० 9-12
- 34-उपरोक्त घोर विनोद के अनुसार हसाबाई ने राठोड मोर सिसोदिया रे बीच समझौता कराया (ग्रन्थ (1) पृ० 323-324) प० रामकरण घासोपा इसका श्रेय राम को देते है । (मारवाड का मूल इतिहास, पृ० 108)

- 35-घोळा : भाग (1) पृ० 241
 36-द्वे देहली सस्तनन
 37-नेमसी ख्यात भाग (3) पृ० 13-15, पाठभेट गजे टियर-पृ० 1
 38-बाकीदास : ऐतिहासिक खार्तांन . 620-642
 39-नेमसी ख्यात भाग (3) पृ० 166
 40-रेऊ भाग (1) पृ० 99
 41-उपरोक्त पृ० 101
 42-घोळा : भाग (1) पृ० 250
 43-रेऊ : ग्लोरिज डॉक मारवाड एन्ड द ग्लोरियम राडीड पृ० 18-19
 44-भागंव : मारवाड एन्ड द मुगल एम्परस पृ० 17
 45-कानूनगो : शेरशाह और उसका यग पृ० 331
 46-भागंव : मारवाड एन्ड द मुगल एम्परस पृ० 35
 47-उपरोक्त पृ० 38 40
 48-मारवाड और मुगल शासकों के बीच रिस्तुन जानकारी के लिए देखिये
 डॉ. वी एस. भागंव : मारवाड एन्ड द मुगल एम्परस ।
 49-विषादरत्ने बिहारी पठानों से 1619 इ० म गजबिहू ने जालोर लिया था ।
 50-1602 में दलिया मे दो गई सेवाओं के बदल म कबर ने दिया था ।

मराठो से प्रारम्भिक सम्बन्ध

जसवतसिंह दक्षिण में

सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में, जब शाहजहाँ की लम्बी बीमारी के कारण उसके पुत्रों में साम्राज्य के लिए शक्ति संघर्ष हो रहा था, जसवतसिंह (१६३८-१६७८ ई०) मारवाड़ का वशानुगत शासक था। वह छ हजार जात छ. हजार सवार का भुगल मनसबदार था जिसे 'महाराज' की पदवी दी गयी थी। १६४६ ई० और १६५२ ई० में उसने कन्नार में मुगलों की सेवा की थी। उत्तराधिकार के युद्ध में वह तिहासन के प्रति निष्ठावान था। उसने दाराशिकोह का पक्ष लिया और उसकी और से लड़ा भी तथापि दोराई^१ के युद्ध (१४ मार्च १६५६) के पूर्व राजनैतिक भौचित्य और अमेर के शासक जयसिंह की मध्यस्थता के फलस्वरुप, उसने औरगजेब की ओर हाथ बढाया। इस सेवा के बदले में बादशाह ने १६ मार्च को उसे गुजरात की सूबेदारी प्रदान की और ७००० जात ७००० सवार का मनसबदार बना दिया। १५ अप्रैल, १६५६ को महाराजा ने अहमदाबाद में अपनी नया कार्य भार ग्रहण किया।^२

जसवतसिंह गुजरात में अप्रैल १६५६ से जुलाई १६६२ तक रहा। इस अवधि में उसने स्थानीय विद्रोह विशेषतः नेवेदा के दूदा कोली के विद्रोह को दबाया। उसे पराक्रम देने व शाही सेवकों में अने के लिए बाध्य किया। इससे बादशाह की दृष्टि में जसवतसिंह का मान बढ़ गया।^३ अब बादशाह ने उसे शिवाजी मराठा की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए दक्षिण में सूबेदार शाहस्ताखा के साथ नियुक्त किया। वह जुलाई १६६२ में दक्षिण की ओर चला।^४ उसने पूना के पास अपनी मुख्यावास स्थापित किया। नगर में शाहस्ताखा का निवास था, अतः सिंहगढ की ओर जाने वाली सड़क पर उसने डेरा डाल दिया।^५ नगर की बाह्य सुरक्षा का भार जसवतसिंह को दिया गया और आन्तरिक सुरक्षा का दायित्व शाहस्ताखा के सैनिकों पर था जो महल के चारों ओर फँसे हुए थे। शिवाजी ने ५ अप्रैल १६६३ की रात्रि को शाहस्ताखा के महलों पर अचानक आक्रमण कर दिया। बिना प्रतिरोध के वे किले में प्रविष्ट हुए। शाहस्ताखा असावधान था। उसने भागकर अपनी जान बचायी। बिना प्रतिरोध एवं हानि के शिवाजी किले से बाहर निकलने में सफल हुए।

इस घटना के कारण दक्षिण में मुगल प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। इसने एक विवाद को जन्म दिया कि क्या जसवंतसिंह शिवाजी से मिला हुआ था या शिवाजी ने अपने ही विना इस मुगल सेनापति की सहायता के, जो कि बर्मान में उस समय दूसरे स्थान पर था, यह कृत्य किया? समकालीन और अर्द्ध-समकालीन अभिलेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जसवंतसिंह शिवाजी के साथ मिला हुआ था इसलिए उसने अपने मूबेदार की मदद नहीं की और न मराठों को रोकने का प्रयत्न किया। इसकी पुष्टि कई तरह से की जाती है।

गेफार्ड ने राजापुर से १२ अप्रैल, १६६३ को एक पत्र सूरत फौजरी के अध्यक्ष को लिखते हुए सूचित किया कि इस घटना का उत्तरदायित्व मारवाड़ के शासक पर था। यह लिखता है कि उसकी तटस्थता ने घासपास के लोगों को यह विश्वास करने पर विवश किया कि यह कार्य उसकी (जसवंतसिंह की) सहमति से हुआ।^६ शिवाजी के पुतंगासी जीवनीकार बोस्मे-डी-गाडॉ, जिसने १६६५ ई० में अपना ग्रन्थ लिखा,^७ के शब्दों में "शिवाजी द्वारा भेजी गयी भेंट के प्रति जसवंतसिंह ने पूर्ण आभार प्रदर्शित किया तथा इस बात का विश्वास दिनाया कि जो गुप्त बातें उसके और शिवाजी के मध्य हुई हैं, उनका वह पालन करेगा तथा मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की योजना का सवेत किसी को नहीं देगा।"^८ बर्नियर भी लिखता है "ऐसा सदेह किया जाता था कि एक गुप्त अलिखित समझौता जसवंतसिंह और शिवाजी के मध्य था और शाइस्ताखां पर आक्रमण का पूर्वाभास जसवंतसिंह को था।"^९ मनुजी का यह कथन भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जसवंतसिंह की सलाह से शिवाजी ने शाइस्ताखां का मारने का विचार किया।^{१०} 'नक्स-ए-दिलखश' का रचयिता भीमसेन भी इस घटना में जसवंतसिंह का हाथ बतलाता है।^{११} इन स्रोतों के आधार पर कई आधुनिक मराठा इतिहासकारों^{१२} ने यह निर्विवाद स्वीकार किया कि बिना राठोड़ शासक के सहयोग से शिवाजी पूना में आक्रमण नहीं कर सकता था।

यदि हम ऐतिहासिक प्रलेखों, घटना के प्रभावों एवं इसके प्रति शाइस्ताखां और मोगलजब के दृष्टिकोण की विवेचना करें तो यह तथ्य स्पष्ट नहीं प्रतीत होता है कि पूना पर आक्रमण, शिवाजी और जसवंतसिंह का संयुक्त कार्य था। राजकीय सवारीखो एवं फारसी कृतियों जैसे आलमगीरनामा, फतूहात-ए-आलमगीरी, मद्मातिर-ए-आलमगीरी और मद्मातिर-उल-उमरा के लेखकों ने जसवंतसिंह पर आभावधानी या निष्क्रियता का आरोप नहीं लगाया। खफीखां लिखता है, अगले दिन जब जसवंतसिंह सेनापति (शाइस्ताखां) को देखने गया तो उसने कहा, "जब दुश्मन मुझ पर दूट पड़ा तो मैंने ख्याल किया कि तुम उसके विरुद्ध लड़ते हुए काम आ चुके हो।"^{१३} खफीखां ने ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि राठोड़ शासक शिवाजी से मिला हुआ था। यदि ऐसा होता तो मुन्तजब-उल-जुबाब का लेखक राजा के इस कार्य की कड़ी आलोचना करता और स्पष्ट शब्दों में बादशाह की प्रतिक्रिया को व्यक्त करता। मई के प्रारम्भ में बादशाह को पूना-आक्रमण की

घटना मालूम हुई। उसने शाहस्ताखा को उसकी कर्तव्य विमुखता के लिए दापी ठहराया। सेनापति को दिल्ली बुला लिया गया और बाद में उसे बगाल भेज दिया गया।^{१४} यदि बादशाह को तनिक भी संदेह होता कि राठौड़-मराठा मिल गये थे, तो वह एक और वर्ष के लिए (मार्च १६६५ तक) जसवतसिंह को स्वतन्त्र सेनापति के रूप में दक्षिण में नहीं रहने देता।^{१५}

शिवाजी का यह कथन भी काफी प्रभाव रखता है कि उसकी सफलता का श्रेय उसके परमेश्वर को था, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। उन्होंने राजाजी पण्डित को लिखा, 'परमेश्वर ने उन्हें यह कार्य करने की शक्ति दी। अन्य कोई इसके लिए उत्तरदायी नहीं था।'^{१६} तथ्य यह है कि शाहस्ताखा पर किया गया भ्रष्टाचारित आक्रमण शिवाजी द्वारा स्वयं नियोजित एवं संचालित था। इस कार्य की क्रियान्विति में केवल भयंकर विश्वसनीय व्यक्ति, नेताजी पालकर, मोरो पत, बाबजी बापूजी और खेड के चिमनाजी बापूजी ही सम्मिलित किये गये थे। चन्द्रराव मोरे और अफजलखाने के विरुद्ध पूर्व नियोजित योजना की ही भाँति शाहस्ताखा को भारने की यह योजना भी थी।^{१७} उस समय तक शिवाजी की जसवतसिंह से इतनी घनिष्टता नहीं थी कि वह उस पर इस प्रकार की योजना के बारे में विश्वास कर लेते, जिसकी अमफलता का मूल्य उन्हें अपने प्राणों से चुकाना पड़ता।

अपनी योजना की सफल बनाने के लिए शिवाजी ने हर प्रकार की सावधानी से काम लिया। उक्त क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, युद्ध की गुरिल्ला प्रणाली, शाहस्ताखा का पूना निवास, रमजान का महीना और चारों ओर का घना जंगल इस योजना की सफलता के मुख्य तत्त्व थे। शिवाजी ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था द्वारा कई मित्रों और सम्बन्धियों से, जो कि मुगल सेना में थे, शत्रु की आन्तरिक कमजोरियों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। वहीं जसवतसिंह अचानक आक्रमण नहीं कर दे, इसके लिए शिवाजी ने एक एक हजार के दो डिवीजन, जिनमें पुडसवार और मालवी सैनिक भी शामिल थे, नेताजी पालकर और मोरो पत के नेतृत्व में मुगल घेरे के दोनों ओर भील भर की दूरी पर तैनात कर दिये। राठौड़ शासक सिंहगड की सड़क पर बाह्य सुरक्षा के लिए नियुक्त था। शाही पडाव की आन्तरिक सुरक्षा शाहस्ताखा के सतरियों के हाथ में थी, जो अनुशासनहीन थे।^{१८} इसका लाभ उठाकर शिवाजी ने शाहस्ताखा के छेमे में प्रवेश किया तथा भयंकर विषम कर सुरक्षित सिंहगड खिसक गये। उन्मुक्त तथ्यों और शाहस्ताखा को वापिस बुलाये जाने के बाद दक्षिण में जसवतसिंह की नीति को देखकर गद्दी कहा जा सकता है कि जसवतसिंह किसी भी प्रकार से शिवाजी से मिला हुआ नहीं था।

जसवतसिंह और शिवाजी

शाहस्ताखा के प्रस्थान के बाद दक्षिण में मुगल हितों की रक्षा का भार जसवतसिंह को दिया गया। महाराजा ने शीघ्र ही कोवाना किले पर, जो कि मराठा

शक्ति का गढ़ समझा जाता था, आक्रमण कर दिया। १५ मार्च १६६४ को राठौड़ सेनापति सुन्दरदास ने मुख्य द्वार पर हमला किया पर वह सफल न हो सका। राठौड़ों के २० व्यक्ति मारे गये। मराठों ने जबरदस्त किलेबन्दी कर रखी थी। अग्रत में एक बार पुनः राठौड़ों ने किले की संघ लगाकर किले बन्दी तोड़नी चाही। किले की दीवार में सी गज की दरार पड़ गयी। ५० या ६० मराठे सिपाही मारे गये। परन्तु आक्रमणकारियों को किले में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। ६ मई को पुनः दीवार तोड़ने का प्रयत्न किया गया। इस बार ७०० सैनिक किले की दीवार को पार कर गये। घमासान युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों को काफी हानि उठानी पड़ी। एक सप्ताह बाद एक और झड़प हुई। वर्षा प्रारम्भ होते ही राठौड़-मुगल स्थिति कमजोर होने लगी। कोघाता के किले पर अधिकार सम्भव नहीं था अतः जसवन्तसिंह ने किले का घेरा हटा लिया और पूना चला आया। वर्षा के महीनों में राठौड़ शासन पूना में ही रहा। उसने औरगावाड से अरुनी रातियों को बुलवा भेजा। जब पाचोली केसरीसिंह २१०० सैनिकों के साथ औरगावाड से पूना जा रहा था तो मार्ग में मराठों से मुठभेड़ हुई जो कि मुगल क्षेत्र में घुट्ट-मार कर रहे थे। राठौड़ शक्ति के समक्ष मराठे टिक न सके और वे भाग गये।^{१६}

शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में जसवन्तसिंह असफल रहा, अतः उसे दिल्ली बुला लिया गया।^{१७} उसके स्थान पर अमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह, को भेजा गया। १६ अक्टूबर १६६४ को महाराजा जसवन्तसिंह ने दक्षिण से प्रस्थान किया और १४ मई १६६५ को वह दिल्ली पहुँचा।^{१८} आसदखान ने किले के द्वार पर उसका स्वागत किया। जब वह दरवार में उपस्थित हुआ तो बादशाह ने उसे गले लगाया और खिलअत तथा रत्न-जडित तनवार प्रदान कर उसका सम्मान किया।^{१९} १२ मई १६६६ को बादशाह को ५० वीं जन्म तिथि का समारोह मनाया गया। कई व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। शाहजहाँ, वजीर जफरखान एवं जसवन्तसिंह को सम्मान सूचक खिलअतें दी गयीं।^{२०} उस समय पचहजारी मनसबदारों की श्रेणी में शिवाजी भी उपस्थित थे।^{२१} जसवन्तसिंह के शाही सम्मान से वह प्रोषित हो उठे। उन्होंने जिस राठौड़ शासक को पराजित किया था वह तो सम्मानित ही और वह स्वयं पाँच हजार का मनसबदार ही रहे यह भेद-भाव यह महन नहीं कर सके। उन्होंने दरवार में इसका खुला विरोध किया।^{२२} भरे दरवार में अनुशासन की चुनौती देने से शिवाजी को हिरासत में ले लिया गया। मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह का उन पर निगरानी रखने का कार्य सौंपा गया।^{२३}

शाही दरवार में शिवाजी का आचरण अप्रत्याशित था। उन्होंने साम्राज्य की प्रभुसत्ता को तलवारों से।^{२४} जसवन्तसिंह ने वजीर जफरखान और वेगम साहिब (जहानपारा वेगम) का समर्थन पाकर १६ मई को बादशाह से प्रार्थना की, 'शिवाजी को इस प्रकार के कार्य के लिए कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए, अन्यथा हर एक भूमिदा यहाँ आकर इस प्रकार का प्रदर्शन करेगा जिसका कुप्रभाव समस्त साम्राज्य पर

पढेगा ।^{२८} जसवतसिंह की राय से बादशाह सहमत था अतः शिवाजी को मृत्यु-दण्ड या देश-निर्वासन का निर्णय लिया गया ।^{२९} उन पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये । परन्तु शिवाजी अत्यन्त सजग थे । अगस्त १६६६ ई० में एक जाली दस्तखत की सहायता से वे मुगल कैंद से भाग निकले तथा नारनील होने हुए बिना रुके दक्षिण की ओर चल पडे ।^{३०} मुगल दरबार में भगदड मच गयी । शिवाजी को कुचलना मुगल बादशाह की दक्षिण-नीति का मुख्य विन्दु हो गया । मार्च १६६७ ई० में शाहजादा मुअज्जम और जसवतसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया ।^{३१}

दोनों अनुभवी सेनापति १२ मई को बुरहानपुर और २० मई को औरंगाबाद पहुँचे ।^{३२} उन्होंने मराठी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की । आगरा से लौटकर शिवाजी अपने राज्य के प्रशासन को सगठित करने एव मुगलों से लड़ने के लिए सेना का पुनः सगठन करने में व्यस्त हो गये ।^{३३} उनके द्वारा अग्रेल, अगस्त, तथा सितम्बर १६६७ में बादशाह को लिखे गये पत्रों से ज्ञात होता है कि शाही सेना ने महाराष्ट्र में घातक फैला दिया था ।^{३४} शिवाजी अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ विराम चाहते थे, अतः उन्होंने महाराजा जसवतसिंह से सम्पर्क स्थापित किया । वे मुगलों से सधि के लिए तैयार थे ।^{३५} राठौड शासक जसवतसिंह और शाहजादा मुअज्जम भी इसके लिए तैयार थे । इसके दो कारण थे । प्रथम तो वे घातक का राज्य तो स्थापित कर सके थे परन्तु दक्षिण में उनके पैर न जम सके थे । दूसरा, दोनों के शत्रु दिलेरखा की नियुक्ति दक्षिण में कर दी गयी थी ।^{३६} शिवाजी द्वारा भेजे गये शांति-प्रस्ताव को शाहजादे ने स्वीकार किया । इस पर विस्तृत बात करने हेतु, जसवतसिंह ने गोविन्दराय और रणछोडदास को २० सितम्बर को शिवाजी के पास भेजा ।^{३७} शीघ्र ही मराठा-मुगल प्रस्तावों का मसविदा तैयार कर बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया ।^{३८} ये प्रस्ताव^{३९} निम्नलिखित थे ।

- १ मुगलों की सेवा में शिवाजी एक मराठा टुकड़ी रखेंगे, जो औरंगाबाद में रहेगी ।
- २ शिवाजी मुगल प्रभुसत्ता को स्वीकार करेंगे । बादशाह उन्हें 'राजा' की उपाधि देगा तथा मुगल क्षेत्रों से उन्हें देशमुखी वसूल करने का अधिकार भी दिया जाएगा ।
- ३ उनके पुत्र शम्भाजी को मनसब दिया जाएगा ।
- ४ शिवाजी को जागीर दी जाएगी ।

औरंगजेब ने कुछ प्रस्तावों को तो स्वीकार किया । शम्भाजी को पाँच हजार का मनसब दिया गया । शिवाजी को बरार की जागीर प्रदान की गयी । बाकी प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचना भेजी गयी कि वे विचाराधीन थे ।^{४०} मनसब प्राप्त करने के लिए शम्भाजी शाहजादे के खेमों में गया । वह २८ दिसम्बर १६६७ को जसवतसिंह से मिला और ४ नवम्बर को मुअज्जम से मुलाकात की । ५ नवम्बर को उसने विदा

सी १५१ शाहजादे ने उसे पचहजारी मनसब का अधिकार-पत्र एव शिवाजी के लिए बरार में जागीर का एक पट्टा प्रदान किया १५२ मार्च १६६८ को शाहजादे ने शिवाजी को सूचित किया कि बादशाह ने उन्हें 'राजा' की पदवी प्रदान कर दी १५३ उसने इस बात पर जोर दिया कि मराठा टुकड़ी शीघ्रातिशीघ्र औरंगाबाद भेजी जाए १५४ अगस्त में नीराजी-रावजी और प्रतापराव के नेतृत्व में मराठा सेना शाहजादे की सेवा में भेजी गयी । इस सेना को दो भागों में विभाजित किया गया । एक भाग औरंगाबाद में रखा गया और दूसरा भाग बरार में भेज दिया गया १५५

१६६७ से १६६९ तक मुगल-मराठा विराम-नाल था । शिवाजी ने यह समय अपनी स्थिति को सुधारने एवं सैनिक तैयारियाँ करने में लगाया । सेना मुगल-पद्धति के अनुसार प्रशिक्षित की गयी । जसवंतसिंह और मुघज्जम शिवाजी के प्रति बेलबंद रहे । अतः जब १६६९ ई० के अन्त में शिवाजी ने बरार और औरंगाबाद से अपनी सैनिक टुकड़ियाँ वापिस बुला ली और मुगलों पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया तो मुगल स्थिति अत्यन्त कमजोर पड़ गयी । इस पर बादशाह ने दिलेरखा को दक्षिण में भेजा । वह २६ जनवरी १६७० को औरंगाबाद की ओर चला । जसवंतसिंह और मुघज्जम को यह ठीक नहीं लगा । उन्होंने दिलेरखा का विरोध किया और ताप्ती तक पीछे हटने के लिए उसे विवश किया १५६

बादशाह को अपने पुत्र और राठौड़ शासक का आचरण उचित नहीं लगा । जहाँ सीनो मिलकर शिवाजी के विरुद्ध अभियान करते वहाँ ये गृह-मुद्द में लिप्त हो गये थे । उसे सन्देह हुआ कि शिवाजी जसवंतसिंह और मुघज्जम से निकट सम्बन्ध स्थापित कर रहा था । इनकी दिलेरखा के विरुद्ध कार्यवाही साम्राज्य के हित में नहीं थी १५७ अतः सितम्बर, १६७० में उसने जसवंतसिंह को मुघज्जम से अलग कर दिया । कुछ समय तक उसे बुरहानपुर में रखा गया, जिससे वह उस ओर से मराठों के हमलों को रोक सके १५८ इसके लिए उसे तीन-चार लाख रुपये भी दिये गये १५९ साथ में उसे आदेश दिये गये कि वह महावतला से सहयोग करे १६० अगले वर्ष उसे गुजरात भेज दिया गया १६१ फिर उसका स्थानान्तरण जमरुद (पेशावर के पास) कर दिया गया १६२ १० सितम्बर, १६७८ को वहाँ उसकी मृत्यु हो गयी १६३

जसवंतसिंह का दक्षिण-अभियान मराठों के प्रति उसकी निष्प्रियता का प्रतीक था । १६६७-६९ की विराम-सन्धि का लाभ वह नहीं उठा सका । जहाँ शिवाजी ने अत्यन्त दूरनीतिक चाल से मुगल सेनापति को निष्क्रिय कर दिया था, वहाँ मुघज्जम और जसवंतसिंह दोनों शिवाजी की ईमानदारी के प्रति विश्वस्त बने रहे । जसवंतसिंह और दिलेरखा का व्यक्तिगत द्वेष मुगल प्रतिष्ठा के लिए हानि-प्रद रहा । तत्कालीन मराठा रातरे के प्रति उनकी उपेक्षा ने शिवाजी को शक्तिशाली बना दिया । जसवंतसिंह को दक्षिण से हटाना बादशाह के लिए अनिवार्य हो गया था, पर साम्राज्य को इसका कुछ भी लाभ नहीं हुआ । मराठों की शक्ति बढ़ती ही गयी ।

मुगल-राठौड युद्ध और शम्भाजी

जसवतसिंह की मृत्यु के बाद बादशाह ने फरवरी १६७६ में मारवाड को शाही शासन के अन्तर्गत ले लिया। परन्तु शीघ्र ही २६ फरवरी, १६७६ को उसे सूचना मिली कि जसवतसिंह की गर्भवती रानियो ने साहौर में सात दिन पूर्व दो पुत्रों को जन्म दिया है। जसवतसिंह की मृत्यु के बाद राठौड परिवार का दल जमरुद से जोधपुर की ओर रवाना हुआ। इस दल का नेतृत्व दुर्गादाम राठौड कर रहा था। साहौर में २१ फरवरी को अजीतसिंह और दलयमन पैदा हुए। बादशाह ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसने उक्त दल को दिल्ली पहुँचाने के आदेश भेजे। अतः दुर्गादास रानियो सहित दिल्ली की ओर चला। मार्ग में दलयमन की मृत्यु हो गयी। अतः जब जून १६७६ में राठौड दल दिल्ली पहुँचा तो उसके साथ अजीतसिंह रह गया था। इस दल को नूरगढ़ में ठहराया गया। शीघ्र ही दुर्गादास को सन्देश होने लगा कि बादशाह अजीतसिंह को मरवा देगा, अतः मारवाड के भावी शासक की सुरक्षा का उपाय किया जाने लगा। किसी तरह अजीतसिंह को जुलाई में दिल्ली से निकाल कर अरावली पहाड़ों में भेज दिया गया।

मारवाड के राठौडों ने मुगल-प्रशासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। दुर्गादास के मारवाड में आ जाने से युद्ध में तीव्रता आ गयी। राठौडों की सीसोदिया शक्ति से भी समर्थन प्राप्त हो गया था, जो कि मुगलों से लड़ रहे थे। राठौडों को दबाने के लिए बादशाह ने अकबर की नियुक्ति किया। दुर्गादास ने अत्यन्त चतुराई से अकबर को अपनी ओर मिला लिया। राठौडों के सहयोग से उसने ३ जनवरी, १६८१ में नाडोल में अपने को बादशाह घोषित किया और अपने पिता के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करनी प्रारम्भ की। इस बीच मेवाड़ के महाराणा राजसिंह की अकबर, १६८० में मृत्यु हो गयी। उसके पुत्र जगतसिंह ने मुगलों से समझौता कर लिया। राठौडों ने अपना समर्थन जारी रखा। राठौडों और अकबर की संयुक्त शक्ति प्रबल होने लगी। स्वयं औरंगजेब इनके विरुद्ध अजमेर आया। प्रथम तो राठौडों ने अकबर का साथ दिया पर शीघ्र ही दोराई के युद्ध (जनवरी १६८१) के पूर्व उन्हें सन्देश हो गया कि अकबर का विद्रोह एक मुगल चाल थी, जिससे उन्हें आसानी से कुचला जा सके, अतः वे युद्ध क्षेत्र से हट गये।

दुर्गादास अकबर के प्रति निष्ठावान बना रहा। उसके व राठौड आन्दोलन के सहयोग के लिए उसने मराठों से मदद लेने का निश्चय किया।^{५५} औरंगजेब अजमेर में बना रहा।^{५५} अतः उस रास्ते से वह दक्षिण नहीं जा सकता था। उसने उदयपुर, जाडोल, छप्पन और सलुम्बर होते हुए दक्षिण की ओर प्रयाण किया। जब वह बसिवाड़ा पहुँचा तो उसके मार्ग में पुनः रुकावटें आयीं। फिर वह स्वर्णगढ़ की ओर बढ़ा। ६ मई को अकबरपुर के निकट उसने नर्मदा नदी की ओर राजपीपला प्रदेश में प्रवेश किया। फिर खानदेश, बगलाना और कोकण का मार्ग पकड़ा। १ जून १६८१

को वे महाराष्ट्र के राहिडी नगर में पहुँचे ।^{५६} बाद में दुर्गादास, भकवर व उसके ५०० सैनिकों ने पाली (पातशाहपुर) में अपना मुख्यावास बनाया ।^{५७}

दुर्गादास व भकवर की दक्षिण-यात्रा ने श्रीरगजेव को सजग कर दिया । वह स्पष्ट रूप से समझने लग गया था कि दुर्गादास का दक्षिण में जाने का उद्देश्य भकवर और राठीड आन्दोलन के लिए मराठा सहायता प्राप्त करना था । उनके प्रयत्नों को विफल करने के लिए वह सितम्बर १६८१ में अजमेर से दक्षिण की ओर नला ।^{५८} नवम्बर में वह बुरहानपुर पहुँचा ।^{५९} बादशाह की इस नीति का परिणाम राठीड आन्दोलन के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ । भव राठीड युक्ति और समझदारी से काम लेते हुए लम्बे संघर्ष की तैयारियाँ करने लगे ।^{६०}

प्रारम्भ में शम्भाजी को दुर्गादास और भकवर का अचानक दक्षिण में आना गन्देहजनक लगा ।^{६१} परन्तु महाराष्ट्र की जनता ने भकवर और राठीड नेता का साथ दिया ।^{६२} बहुत कम समय में बिना शम्भाजी की सहायता और संरक्षण के दुर्गादास ने एक मराठा सैनिक टुकड़ी तैयार कर ली ।^{६३} शम्भाजी को यह कार्य भी पसन्द नहीं आया । अतः दुर्गादास को इस प्रकार की गतिविधि न करने के आदेश दे दिये गये ।^{६४} शम्भाजी का यह रूखा व्यवहार अधिक दिन तक नहीं रहा । शीघ्र ही उत्तर के इन मेहमानों को खर्च के लिए एक जागीर प्रदान की गयी ।^{६५} सितम्बर, १६८१ में शम्भाजी दातो द्वारा नियोजित शम्भाजी की हत्या के पडयत्र का रहस्योद्घाटन कर दुर्गादास ने शम्भाजी का विश्वास प्राप्त कर लिया ।^{६६} साथ में शम्भाजी व प्रिय मंत्री कवि कलश से राठीड नेता ने पारिवारिक अभिन्नता स्थापित कर ली, जिससे शम्भाजी का विश्वास प्राप्त करने में सहायता मिली ।^{६७} कवि कलश की मध्यस्थता के फलस्वरूप रविवार १३ नवम्बर, १६८१ को शम्भाजी पातशाहपुर में भकवर और दुर्गादास से मिला ।^{६८} हमारे पास इस मुलाकात की विस्तृत जानकारी नहीं है, परन्तु बाद की घटनाओं से यह अनुमान लगाया जाता है कि मराठा-राठीड-भकवर गुट के आपसी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर हो गये थे । शम्भाजी ने राठीड व भकवर के लिए ३०,००० सेना देने का वचन दिया ।^{६९} दुर्गादास ने जजोरा के सिद्धियों के विरुद्ध मराठा-प्रभियान प्रारम्भ करने में सहायता दी ।^{७०} दुर्गादास और भकवर भी मराठों के साथ थे, परन्तु दक्षिण में बादशाह के आ जाने से शम्भाजी को जजोरा का घेरा उठाना पड़ा तथा भकवर और दुर्गादास के साथ राजगढ़ लौटना पड़ा ।^{७१}

फरवरी १६८२ में बादशाह को सूचना प्राप्त हुई कि भकवर जोधपुर जाने की योजना बना रहा है । अतः उसे कोई उल्लेखनीय उपलब्धि न हो सके इसके लिए वह बुरहानपुर से श्रीरगावाड की ओर बढ़ा ।^{७२} २२ मार्च, १७८२ को वह श्रीरगावाड पहुँचा ।^{७३} अमेर महाराजा का समर्थन प्राप्त करने हेतु भकवर ने २२ मई, १६८२ को रामसिंह को पत्र भेजा कि वह उसकी सहायता के लिए सैनिक भेजे ।^{७४} शम्भाजी ने कच्छवाहा शासक को लिखा कि वह राठीड और भकवर को सैनिक एवं वित्तीय

सहायता दे ।^{१४} रामसिंह मुगल बादशाह के विरोध में खड़ा होता नहीं चाहता था, अतः उसने इन पथों में की गयी प्रार्थनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया ।^{१५} फिर भी शम्भाजी ने रामसिंह से कुछ न कुछ सहायता देने का आग्रह किया ।^{१६} बरसात के बाद दुर्गादास और अकबर एक मराठों सैनिक टुकड़ी के साथ, जिसका नेतृत्व कवि बलश के पुत्र सण्णपति और घन्ताजी जादव को दिया गया था, गुजरात की ओर चले ।^{१७} अक्टूबर १६८२ में राठोडों ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया ।^{१८}

इस घटना ने औरंगजेब को चौंका दिया । वह स्वयं अहमदाबाद की ओर चला । १० दिन तक उस पर घेरा डाले रखा ।^{१९} बाद में यह कार्य शाह आलम को सौंप कर वह वापिस औरंगाबाद लौट आया ।^{२०} एक अन्य सेना शाहजादा मुईजुद्दीन के नेतृत्व में बीदर व नांदेड की ओर भेजी गयी, जिससे कि उस ओर से कोई मराठा सहायता दुर्गादास को नहीं पहुँच सके ।^{२१} मई, १६८३ में राठोड दुर्गादास ने औरंगजेब से समझौता करना चाहा । इसके अनुसार अकबर को क्षमा व उसे अहमदाबाद की सूबेदारी प्रदान की जानी थी । बादशाह ने इसे अस्वीकार किया ।^{२२} नवाब मुकर्रब खा ने राठोड-अकबर सेना को अहमदाबाद में घुरी तरह परास्त किया ।^{२३} फलतः दुर्गादास व शाहजादा, शम्भाजी के पास भागने को विवश हुए ।^{२४}

इस पराजय से अकबर को भारी आघात पहुँचा । उसे मराठा सहायता की कम-जोरी स्पष्ट हो गयी । अतः हिन्दुस्तान छोड़कर फारस जाने की उसने योजना बनायी ।^{२५} परन्तु दुर्गादास और कवि बलश ने उस पर नवम्बर १६८३ में दबाव डालकर प्रस्थान के विचार को स्वयं गित करा दिया ।^{२६} इसी बीच कई मुगल दरबारियों ने अकबर को क्षमा कराने व पुनः पद प्रतिष्ठा दिलाने और मुगल सेवा में लाने का प्रयास किया ।^{२७} परन्तु इन प्रयासों का कोई ताभ नहीं हुआ ।^{२८} १६८४-१६८६ के बीच दुर्गादास और अकबर ने उत्तर भारत की ओर जाने के कई प्रयत्न किये परन्तु वे असफल रहे । बादशाह ने इन वर्षों में बीजापुर और गोलकुण्डा पर अधिकार कर लिया था । अतः उसने मराठो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराने की नीति अपनायी । अकबर को अपनी गिरफ्तारी का भय सताने लगा । अतः फरवरी १६८७ में वह फारस चला गया ।^{२९} इसके बाद दुर्गादास भी भारवाड लौट पड़ा ।^{३०}

राठोडों के लिए मराठा मदद प्राप्त करने के दुर्गादास के प्रयास असफल रहे । उसने छ वर्ष तक महाराष्ट्र में रहकर मराठो को सिद्धियो, पुर्तगालियो व मुगलो के विरुद्ध समर्थ में मदद दी । फिर भी वह उनके छत्रपति से कोई ठोस सहायता प्राप्त नहीं कर पाया । शम्भाजी राठोडों की मित्रता का मूल्य समझ नहीं पाया । उसमें अपने पिता की तरह योग्यता नहीं थी और राठोड-आन्दोलन से मराठा स्वतन्त्रता-आन्दोलन को संयुक्त कर उसका नेतृत्व करने की उसमें क्षमता भी नहीं थी । मराठा-राठोड संयुक्त मोर्चे की असफलता का परिणाम १६८७ में अकबर का विदेश के लिए निर्वासन एव १६८६ में मुगलो द्वारा शम्भाजी की हत्या थी । फिर भी औरंगजेब की

दक्षिण नीति राठौडो के लिए बरदान सिद्ध हुई। वे अपना स्थानीय सघर्ष न केवल दृढ़ ही कर सके, बल्कि अन्तिम समय तक मुगलो से सफलतापूर्वक लोहा भी ले सके।

१६८७ में दुर्गादास की वापसी और अजीतसिंह के अज्ञातवास से प्रकट होने से राठौडो के मुक्ति आन्दोलन को बल प्राप्त हुआ। अब राठौड सैनिकों ने अजमेर व मारवाड की मुगल चौकियों पर सफलतापूर्वक घावा करना प्रारम्भ किया। १६९०-१६९६ के बीच मारवाड से होकर गुजरात और दक्षिण जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं पर उन्होंने बर लेना शुरू किया।^{६२} औरगजेब के लिए यह कठिन था कि दक्षिण में मराठों से लड़ रही मुगल सेना में से कुछ टुकड़ियाँ मारवाड की ओर भेज सके। फलतः उसने मई १६९८ में दुर्गादास और अजीतसिंह से समझौता कर लिया। अजीतसिंह को जालौर साबौर और मिवाना का फौजदार बना दिया गया और दुर्गादास को ३,००० का मनसब प्रदान किया गया।^{६३} अक्टूबर १७०० ई० में अजीतसिंह ने बादशाह को ४,००० अश्वारोही सैनिकों के साथ अपनी सेवाएँ दीं।^{६४} १७०० ई० के बाद राठौड आन्दोलन में तीव्रता आयी। दक्षिण में मराठे सबल अभियान करने लगे। राठौडो को इससे प्रेरणा मिली। १७००-१७०२ में दुर्गादास ने गुजरात में विद्रोह कर दिया।^{६५} अजीतसिंह ने कई कारणों से बादशाह के बुलावों की उपेक्षा की।^{६६} दोनों ने मुगलो पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया। औरगजेब दक्षिण में उलझा हुआ था।^{६७} अतः उसने राठौडो को प्रसन्न रखने की नीति अपनायी। १७०५ में उसने अजीतसिंह को भेड़ता और दुर्गादास को पुराना मनसब देने की घोषणा की।^{६८} राठौडो की ओर से कोई सतोषजनक प्रत्युत्तर नहीं मिला। १५ मार्च, १७०६ को घन्नाजी जादव ने रतनपुर के स्थान पर मुगलो को बुरी तरह परास्त किया।^{६९} अब वे गुजरात में प्रवेश करने लगे। औरगजेब को मराठा राठौड समुक्त कार्यवाही का सन्देह होने लगा।^{७०} एक बार पुनः उसने राठौडो का अपनी ओर करने के लिए कदम उठाया। जनवरी १७०७ में उसने अजीतसिंह को कहला भेजा कि यदि वह गुजरात में मराठों के विरुद्ध मुगल हितों की रक्षा करे तो उसे मारवाड में प्रशासक के अधिकार दिये जा सकते हैं।^{७१} इसके पूर्व कि अजीतसिंह इसे स्वीकार कर बादशाह को सूचित करता, औरगजेब की ३ मार्च १७०७ को मृत्यु हो गयी। अजीतसिंह ने अबसर पाकर १२ मार्च को जोधपुर पर अधिकार कर लिया।^{७२}

यदि मराठे मुगलो के विरुद्ध १६८९ के बाद शस्त्र नहीं उठाते तो राठौडो के मुक्ति संग्राम को बल प्राप्त नहीं होता। दक्षिण में मराठे और उत्तर में राठौड संग्रामों ने १६९० से १७०७ ई० तक मुगल राजनीति को बुरी तरह प्रभावित किया। बादशाह दोनों आन्दोलनों को दबाने में असफल रहा। इससे मुगल राजनीति में कई उतार चढ़ाव आये जिन्होंने औरगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को पतन की ओर उन्मुख कर दिया।

शाहू के समय राठौड और मराठा

घोरगजेब की मृत्यु के बाद मराठा-राठौड सम्बन्धों पर हमारे स्रोत मौन है। यह इस समय के कारण हो सकता है कि अजीतसिंह १७०७ से १७१० तक अपने राज्य को मुगल साम्राज्य से मुक्त रखने में व्यस्त रहा^{१०३} और छत्रपति शाहू अपनी घात-रिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में लगा रहा। अजीतसिंह ने मई १७१० ई० में बहादुरशाह की अघीनता स्वीकार कर ली।^{१०४} १७१२ में जहाँदारशाह से गुजरात की सूबेदारी का फरमान उसे प्राप्त हो गया।^{१०५} पर जहाँदारशाह अधिक दिनों तक शासक नहीं रहा। नये बादशाह फर्रुखसियर (१७१२ में १७१६) ने अजीतसिंह से पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये। फलस्वरूप १७१४ में राठौड शासक को गुजरात की सूबेदारी प्राप्त हुई।^{१०६} अजीतसिंह जुलाई १७१७ तक गुजरात का सूबेदार रहा।^{१०७} ऐसा प्रतीत होता है कि शाहू को मुगलों से मुक्ति^{१०८} के बाद के काल में राठौड-मराठा सम्बन्ध अच्छे बने रहे, क्योंकि जब अजीतसिंह ने गुजरात के बहुत से प्रदेश भारवाड में मिलाने शुरू किये^{१०९} तो मराठों ने; जो कि इनके निकट पड़ोसी थे और जिनका प्रभाव-क्षेत्र मूरत तक फैला हुआ था,^{११०} उनका कोई प्रतिरोध नहीं किया।

फर्रुखसियर कालीन मुगल राजनीति की उथल-पुथल ने अजीतसिंह के प्रभाव को और बढ़ा दिया। बादशाह अपने वजीर अन्दुल्लाखा और मीरवल्ली हुसैनअली से अप्रसन्न हो गया। ये दोनों संन्यद बंधु बादशाह के विरोधी बन गये। १७१६ में हुसैनअली को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा गया, जिससे वह मराठों के प्रभाव को रोक सके। पर हुसैनअली चतुर था। अपनी व अपने भाई की स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने फरवरी १७१८ में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि कर ली।^{१११} बादशाह ने अजीतसिंह को गुजरात से अघिस युगा लिया। वह उससे संन्यदों के विरुद्ध सहायता चाहता था। अतः अगस्त-सितम्बर, १७१८ में उसे काफी सम्मानित किया गया।^{११२}

अजीतसिंह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ की तरह कुछ समय तो तटस्थ रहा पर बाद में उसने अपना भाग्य संन्यद बंधुओं के साथ जोड़ दिया। उसने वजीर अन्दुल्लाखा को सलाह दी कि हुसैनअली को गुप्त रूप से दिल्ली बुला ले, जिससे कि उसकी स्थिति को कोई भाव न घा सके।^{११३} हुसैनअली बालाजी विश्वनाथ को मराठा फौज के साथ ७ फरवरी १७१६ को दिल्ली पहुँचा और अजीतसिंह के निवास के समीप उसने अपना शिविर जमाया।^{११४} दोनों नेताओं ने गुप्त परामर्श किया। १८ फरवरी को दिल्ली के किले पर दोनों ने अधिकार कर लिया। बालाजी विश्वनाथ को नगर में त्रिद्रोह दवाने के लिए नियुक्त किया गया।^{११५} सभी त्रिद्रोह क्रूरता से दबा दिये गये, जिनमें भारी सहायता में लोग हताहत हुए।^{११६} उसी दिन अजीतसिंह और हुसैनअली ने फर्रुखसियर की गद्दी से हटा दिया और रफीउद-दरजात को

बादशाह घोषित किया।^{११०} नये बादशाह के समय अजीतसिंह और सैय्यदो की शक्ति पराकाष्ठा तक पहुँच गयी। उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया।^{११८} मराठों के साथ फरवरी १७१८ में की गयी संधि को बादशाह से स्वीकार करा लिया गया।^{११६} अजीतसिंह को गुजरात की सूबेदारी पुनः प्राप्त हो गयी। इसके अलावा उसे अजमेर का सूबा भी सौंप दिया गया।^{१२०} मार्च १७१६ में मराठा फौज दक्षिण के लिए चल पड़ी। मुगल बादशाहत में कई परिवर्तन किये गये। सितम्बर १७१६ में मोहम्मदशाह को बादशाहत प्राप्त हुई। सैय्यदो के विरुद्ध न सिर्फ बादशाह ही था बल्कि शाही दरबार का प्रमुख भाग भी उनके विरुद्ध हो गया। बादशाह ने दरबार में तूरानी दल से मिलकर ८ अक्टूबर १७२० को हुसैनप्रली की हत्या करवा दी तथा १३ नवम्बर १७२० को अरदुल्लाखां को बन्दी बना लिया। उनके सहयोगी अजीतसिंह को गुजरात और अजमेर की सूबेदारी से हटा दिया गया,^{१२१} और अन्त में शाही दरबार के निर्देशनों पर २३ जून १७२४ को उसकी हत्या करवा दी गयी।^{१२२}

सन्दर्भ

१. दोराई भ्रजमेर से साढ़े चार मील दक्षिण में है ।
२. ममासिर-उल-उमरा, ३, पृ० ६००, भालमगीरनामा, पृ० ५६-५७, ३१६-३०; ममासिर-ए-भालमगीर, ७ब; फतूहात-ए-भालमगीरी, ४४ब; मुतखब-उल-लुबाब २, पृ० ६५-६६; मीरात-ए-अहमदी-१, पृ० २२४; बनियर, पृ० ८६; मनुसी १, पृ० ३३६; नैणसी १, पृ० २७६; मारवाड ह्यात १, पृ० २३१ ।
३. ममासिर-ए-भालमगीरी १५ ब; दिलखस १, पृ० ४४; फतूहात-ए-भालमगीरी, ५०ब; मीरात-ए-अहमदी-१, पृ० २५३; सियर ४, पृ० १४७; मारवाड ह्यात १, पृ० २३१ ।
४. फतूहात-ए-भालमगीरी ५०ब; दिलखश-१, पृ० ४४; मीरात-ए-अहमदी १, पृ० २५३; सियर ४, पृ० १४; ईश्वरदास के अनुसार वह ५०,००० सेना लेकर गुजरात गया था ।
५. राजापुर से गेफॉर्ड का सूरत फैक्ट्री के प्रेसीडेन्ट को पत्र, १२ अप्रैल १६६३ एफ० आर० (सूरत) भाग १०३, पृ० २६८ ।
६. उर्पयुक्त;
७. कासमे-डी-गाढा ने १६६५ ई० में शिवाजी का जीवन चरित्र लिखा परन्तु इसका प्रकाशन १७३० ई० में हुआ ।
८. लाइफ ग्रॉफ सेलिब्रेटेड शिवाजी, पृ० ६४-६६ (एस०एन० सेन कृत फॉरेन बायग्राफीज ग्रॉफ शिवाजी, पृ० ६४ पर अंकित) ।
९. ट्रेबल्स इन मुगल इण्डिया, पृ० १८८ ।
१०. स्टोरिया-द-मोगोर २, पृ० १०४ ।
११. दिनखश १, पृ० ४५ ।
१२. 'ए हिस्ट्री ग्रॉफ मराठाज' भाग १, पृ० १५४ में घाण्ट डफ; 'ए हिस्ट्री ग्रॉफ मराठा पिपल्स' भाग १, पृ० २०० में किनकेड व पारसनीस, 'शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स', पृ० ६१ में यदुनाथ सरकार और 'ए न्यू हिस्ट्री ग्रॉफ मराठाज', भाग १, पृ० १४४ में जी० एस० सरदेमाई ।
१३. मुतखब-उल-लुबाब २, पृ० ७५-७६ ।
१४. भालमगीरनामा, पृ० ८१६; ममासिर-ए-भालमगीरी, १७ अ; मुतखब-उल-लुबाब २, पृ० १७७; सियर ४ पृ० १५ ।

१५. ममासिर-ए-भालमगीरी, १८ अ-ब, मुन्तखब-उल-लुबाब २, पृ० १७७; सियर-४, पृ० १५ ।
१६. गेफॉडं का मूरत फंक्टी के मध्यक्ष को पत्र, १२ अप्रैल १९६३, एफ० मार० (मूरत), भाग १०३, पृ० २६८
१७. सियर-४, पृ० १४ ।
१८. ऐवेकारे—हिस्ट्री ऑफ शिवाजी, पृ० ६२ (एस० एन० सेन कृत फरिन बायो-ग्राफीज ऑफ शिवाजी, पृ० १६४ में प्रकृत) ।
१९. भालमगीरनामा, पृ० ८६७, मुन्तखब-उल-लुबाब २, पृ० १७७, दिनपत्र २, पृ० ४७, राठीड दानेश्वर वशावली, पृ० १६६, मुडियाड क्यात (जसवन्तसिंह), पृ० २३१-२३५, जेप शकावली, शक स० १५८५ मार्गशीर्ष शक स० १५८६, ज्येष्ठ के सदभं मे ।
२०. फतूहात-ए-भालमगीरी-५२ अ, ममासिर-ए-भालमगीरी, १८ अ-ब, राठीड दानेश्वर वशावली, पृ० १६७, दोहा २६४ ।
२१. भालमगीरनामा, पृ० ८८४, ममासिर-ए-भालमगीरी, १६ अ, राठीड दानेश्वर वशावली, पृ० १६७, दोहा २६५-२६६; मुडियाड क्यात (जसवन्त सिंह) पृ० २४६-२४७ ।
२२. भालमगीरनामा, पृ० ८८४; मारवाड क्यात, पृ० २३६ ।
२३. पारकालदास की दीवान कल्याणदास की रिपोर्टें, ज्येष्ठ बदी ७, वि० सं० १७२३ । १५ मई १६६६ (वकील रिपोर्टें-जय०), भालमगीरनामा, पृ० ६६१-६६३ ।
२४. उपयुक्त,
२५. उपयुक्त,
२६. भालमगीरनामा, पृ० ६६६, मुन्तखब-उल लुबाब-२, पृ० १८६-१९० ।
२७. पारकालदास की दीवान कल्याणदास की रिपोर्टें, ज्येष्ठ बुदी ७, वि० सं० १७२३/१५ मई १६६६ (वकील रिपोर्टें, जय०) ।
२८. उपयुक्त, ज्येष्ठ बदी ८, वि० सं० १७२३ । १६ मई १६६६ (वकील रिपोर्टें जय०) ।
२९. उपयुक्त,
३०. बालुकानी की दीवान कल्याणदास की रिपोर्टें, भाद्रपदी सुदी ७, वि० सं० १७२३/२६ अगस्त १६६६ (वकील रिपोर्टें, जय०)
३१. उपयुक्त, चैत्र सुदी १३, वि० सं० १७२४/२७ मार्च १६६७, अक्षवारात, दिनांक २६ शंवल, १० वां शासन वर्ष । १४ अप्रैल १६६७; ममासिर-ए-भालमगीरी, २३ अ, मुन्तखब-उल लुबाब २, पृ० २०७ ।
३२. अक्षवारात, दिनांक ११ जिलहज्जा, १० वां शासन वर्ष/२१ जून १६६७,

दिनांक ६ मुहर्रम, १० वां शासन वर्ष । जून १६६७ जय०, घालमगीरनामा,
पृ० १०३७; मारवाड ख्यात १, पृ० २४०-२४१ ।

३३ सभासद, ५८ ।

३४ अखबारात २२, जिल्काद, ११, रबी-उल-अव्वल और २४ रबी-उल-आखीर,
१० वां शासन वर्ष । ६ मई, २१ अगस्त, ३ अक्टूबर १६६७-जय०; दिलखश,
पृ० ६६-७०; सभासद ५८-७१ ।

३५ अखबारात, दिनांक २४, रबी-उल-आखीर, १० वां शासन वर्ष । ३ अक्टूबर
१६६७-जय०, दिलखश-१ पृ० ६६-७० ।

३६ दिलखश-१, पृ० ६६-६८ ।

३७ मारवाड ख्यात-१, पृ० २४१ ।

३८ अखबारात, दिनांक २४, रबी-उल-आखीर, १० वां शासन वर्ष, १३ अक्टूबर
१६६७ जय० ।

३९ उपयुक्त ११, रबी-उल २४, रबी-उल-आखीर, १० वां शासन वर्ष २१
अगस्त व ३ अक्टूबर १६६७ जय, दिलखश-१, पृ० ६६-७१ ।

४० उपयुक्त, २४ रबी-उल-आखीर, १०वां शासन वर्ष । ३ अक्टूबर, १६६७
जय० ।

४१ जेधे शकावली, कार्तिक कृष्णा ८ व १३, शक सं० १५८६ के सन्दर्भ में ।

४२ दिलखश-१, पृ० ७० ।

४३ शिवाजी को मुद्राजम का निशान, दिनांक ५ शव्वल, ११ वां शासन वर्ष ।
१६ मार्च, १६६८ जय० ।

४४ अखबारात, दिनांक २४ रबी-उल-आखीर, १० वां शासन वर्ष, ३ अक्टूबर
१६६७ जय० ।

४५ दिलखश-१, पृ० ७०, सभासद ६१ ।

४६ अखबारात, दिनांक १२ वां शासन-वर्ष । १६६६-जय०; दिलखश-१, ६४-७१
सभासद २७-३३, जेधे शकावली, श्रावण शक सं० १५६१ के सन्दर्भ में

४७ दिलखश-१, पृ० १०१, सभासद ६२; घोमें पृ० १६५-१६६ ।

४८ एस० मास्टर का सूरत फौजदारी के अध्यक्ष को पत्र, १६ दिसम्बर १६७०,
एक० आर० (सूरत) भाग १०५, पृ० ६० ।

४९ उपयुक्त,

५० ओरिजिनल कारेसपोण्डेन्स (सूरत से बम्बई) भाग ३१ न० ३५४७, दिनांक
२८ जनवरी १६७१ (दिलखश रिकाडं घॉन शिवाजी, पृ० १८० में अंकित) ।

५१ फतुहात-ए-घालमगीरी ६० ब. दिलखश भाग १, पृ० १०१, मीरात-ए-
अहमदी-१, पृ० २७६ ।

- ५२ ममासीर-ए-भालमगोरी, पृ० १०९ ।
- ५३ उपयुक्त पृ० १७१; मुन्तखब-उल-लुवाब-२, पृ० २५९ ।
- ५४ ममासीर-ए-भालमगोरी, पृ० १७२-१९८, २०७-२०८; फतूहात-ए-भालमगोरी ७२ ब, ७३ ब, ७६ अ, ब, ७७ अ-ब, ८० अ, ८३ ब; मुन्तखब-उल-लुवाब-२, पृ० २५५-२७०; सियर-४, पृ० १५२, अजितोदय सर्ग ६, पद १-४, २६, २७, ६६, ६९, ६३ सर्ग-११, पद ४-७, २४-२५; अजीतग्रन्थ पद, ३३१, ५३७, ६१४, १४८६-१४८७; राजरूपक-२, पृ० २६, ३०, प्रकाश ६, पृ० ९२, डा० जी० एन० शर्मा, मेवाड एण्ड द मुगल्स १६९-१८० ।
- ५५ मुन्तखब-उल-लुवाब-१, पृ० २६९-२७० ।
- ५६ ममासीर-ए-भालमगोरी, पृ० २०३-२०६, मुन्तखब-उल-लुवाब-२, पृ० २७५ २७७, (पजाब के रास्ते से राह अकित करता है), फतूहात-ए-भालमगोरी, ८३ ब, जेधे शकाबलो, ज्येष्ठ १६०३ के सन्दर्भ में, अजीत ग्रन्थ पृ० ६३० पद १४२५, ओमें पृ० १०४
- ५७ अखबारात, दि० ११ शब्वल, २४ वीं शासन वर्ष । १७ अगस्त १६८१-जय०, सियर ४, पृ० १६३, ओमें पृ० १०४, पाली रायगढ़ से २५ मील दूर है ।
- ५८ ममासीर-ए-भालमगोरी ७६ ब ।
- ५९ मुन्तखब-उल-लुवाब २ पृ० २७८ ।
- ६० अजितोदय सर्ग-१२ ।
- ६१ उपयुक्त सर्ग-११ पद २७ ।
- ६२ ओमें, पृ० २७० ।
- ६३ अखबारात, दि० ११ शब्वल, २४ वीं शासन वर्ष । १७ अगस्त १६८१-जय०, ओमें, पृ० १०५ ।
- ६४ अखबारात, दि० ११, शब्वल, २४ वीं शासन वर्ष । १७ अगस्त १६८१—जय० ।
- ६५ उपयुक्त, सियर ४, पृ० १५३, ओमें पृ० २७० के अनुसार दुर्गादास ने अपना गुजारा अक्बर द्वारा लाये गये रत्नों से किया ।
- ६६ ओमें, पृ० १०५ ।
- ६७ अजितोदय, सर्ग ११, पृ० २७ ।
- ६८ जेधे शकाबलो कासिक शुक्ला १३/१६०३ के सन्दर्भ में, अजितोदय, सर्ग-११, पद २८, (इसमें शम्भाजी द्वारा अक्बर और दुर्गादास के स्वागत का वर्णन है ।), अजीत ग्रन्थ, पद १४२५-१४२६ ।
- ६९ ओमें पृ० १०५-१०६ ।
- ७० उपयुक्त पृ० १०९-११० ।
- ७१ उपयुक्त, पृ० ११० ।

७२. कंवलसेन की महाराजा जयपुर को रिपोर्ट (फारसी) १५ सफर २५ वां शासन-वर्ष । १३ फरवरी १६८२ (वकील रिपोर्ट जय०)
७३. मुन्तसब-उल-लुवाब, भाग २, पृ० २७६ ; अजीत ग्रन्थ पद १४१७-१४१८
७४. अकबर का रामसिंह (जयपुर महाराजा) को पत्र, दि० २४ जमाद-उल-अव्वल, हि० १०६३/२२ मई १६८२—जय०
७५. शम्भाजी का रामसिंह को पत्र, सख्या १२३, १२५ (तिथि नहीं है)—जय०
७६. उपयुक्त
७७. उपयुक्त
७८. कंवलसेन की महाराजा जयपुर को रिपोर्ट (फारसी) दि० २६ शव्वल, २५ वां शासन-वर्ष २१ अक्टूबर १६८२ (वकील रिपोर्ट—जय०); अजितोदय, सर्ग १३, पद १-२; मारवाड ख्यात-२, पृ० ५०
७९. कंवलसेन की महाराजा जयपुर को रिपोर्ट, दि० १७ जिल्काद, २६ वां शासन-वर्ष ७ नवम्बर १६८२ (वकील रिपोर्ट—जय०)
८०. उपयुक्त, दिनांक जिल्काद-२६ वां शासन-वर्ष । १ नवम्बर १६८२ जय०
८१. उपयुक्त, दि० १७ जिल्काद-२६ वां शासन-वर्ष । ७ नवम्बर १६८२ जय०
८२. मन्नासिर-ए-भालमगोरी, पृ० २२४
८३. कंवलसेन की महाराजा जयपुर को रिपोर्ट (फारसी), दिनांक १७ जमाद-उल-अखिर २६ वां शासन-वर्ष । ४ मई १६८३ (वकील रिपोर्ट) जय०
८४. अजितोदय, सर्ग १३, पद ३
८५. उपयुक्त, पद ६-८
८६. घोर्मे पृ० १२३-१२५
८७. उपयुक्त
८८. मनुषी-२, पृ० २५८-२५९
८९. उपयुक्त
९०. जेधे शकावली, फाल्गुन १६०८ शक के सदमे में, घोर्मे, पृ० २६२
९१. अजितोदय, सर्ग १३, पद १०-१३; अजीत ग्रन्थ पद १४२८, १५०३-१५१०; दुर्गादास जावड (जहा उसने नर्मदा पार की) मासपुरा, रेवाड़ी, रोहतक, मुण्डाना होता हुआ मारवाड गया ।
९२. फतूहात-ए-भालमगोरी, १२१ अ; अजितोदय, सर्ग-१३, पद १३-१४, सर्ग-१६ (अन्य प्रतिरोधों के लिए) सर्ग १५ पद १८-२७; अजीत ग्रन्थ पृ० ३१५, ३५६, ४०५, ४०८; राजरूपक, प्रकाश १७ पद २८, ५६ पृ० २६७, ३०५

६३. मन्नासिर-ग भालमगीरी पृ० ३६५; पतूहात ए घातमगारी १६७ अ-१६८ ब, मीरात-ए अहमदी १, पृ० ३३८; अजितोदय सर्ग-१५, पद ५; राज-रूपक, प्रकाश २१, पृ० १३७-१४६ पृ० ३४६-३५१, दुर्गादास ने बादशाह की निष्ठा कि वह अजीतसिंह के माथ उममे मित्रने दक्षिण की ओर आया। बादशाह को था हई कि दुर्गादास के दक्षिण मे आ जाने से वही राठोड-मराठा मैत्री पुन जीवित न हो जाए अत उतने दुर्गादास को लिख भेजा कि वार्ता का स्थान जोधपुर ही उपयुक्त रहेगा (राजरूपक, प्रकाश-१६, पृ० २५०, पद १४४)
६४. अखबारात दि० १५ जमाद अल आरीर, ४५ वा शासन वर्ष । १६ नवम्बर १७०० जय०
६५. मीरात-ए-अहमदी-१, पृ० ३४८-३५६
६६. उपयुक्त, पृ० ३४४-३४५
६७. मुन्तखब उल लुबाब २, पृ० ५२१-५२७
६८. मीरात-ए अहमदी-१, पृ० ३७७
६९. मुन्तखब-उल लुबाब-११, पृ० ५१८, ५१९, मीरात ए-अहमदी भाग १, पृ० ३७८ ३८३
१००. इस समय दुर्गादास और अजीतसिंह ने तीसरी बार बादशाह के विरुद्ध विद्रोह किया (मीरात-ए-अहमदी-१ पृ० ३६०, ३६४)
१०१. अखबारात, ७, जिल्काद, ५१, शासन वर्ष । ३१ जनवरी, १७०७ जय०
१०२. मीरात-ए-अहमदी-१, पृ० ३०७, अजितोदय सर्ग १७, पद ११, राजरूपक प्रकाश-२२, पद-१६, पृ० ४०७
१०३. अजितोदय सर्ग १७ और १८ (सम्पूर्ण) १६, पद १०३
१०४. बहादुरशाह का फरमान, दि० ४ रबी-उत आखीर, हि० ११२२ । ६ मई १७१० १० ३ जोधपुर, अखबारात दि० २४ रबी उल आखीर, ४ था शासन वर्ष । ४ पुन १७१० जय०, मुन्तखब-उल-लुबाब-२ पृ ६०५-६०७, अजितोदय सर्ग १६ (सम्पूर्ण), सियर-१, पृ० ६७
१०५. अखबारात दी० २५ शव्वल, १ ला शासन वर्ष । १२ नवम्बर, १७१२ और दि० ७, जिल्काद, १ ला शासन वर्ष । २५ नवम्बर १७१२, जगजीवन की महाराजा जयपुर को रिपोर्ट (राजस्थानी) माघशीष बदी ६, वि० स० १७६६ । ११ नवम्बर १७१२ (बकील रिपोर्ट—जय०)
१०६. जगजीवन की महाराजा जयपुर को रिपोर्ट (राजस्थानी) दि० कार्तिक बदी वि० स० १७७० । २७ सितम्बर १७१३ (इसम अजीतसिंह और संघपद बन्धुओं के गुप्त सबंधों का उल्लेख है), दि० वैशाख बदी १, वि० स० १७७१, २१ माघ, १७७४ (हुमेन अनी के मारवाड की ओर कूच का वर्णन है), दि० ज्येष्ठ सुदी वि० स० १७७१ । मई, १७७४ (अजीतसिंह

का फर्हस्तियर से सम्बन्ध व्यक्त करता है); द्वितीय धापाढ़ सुदी ६, वि स १७२१। १० जुलाई १७१४ (हूसेन अनी अमयसिंह को लेकर भुगत दरवार में उपस्थित होता है); बंगील रिपोर्ट-जय०। फर्हस्तियर ने अजीतसिंह को गुप्त रूप से तारा कि यह हुसैनअली की हत्या करवादे। अजीतसिंह ने इस पत्र को हुसैनअली को बतला दिया। संघर्ष ने अजीतसिंह को गुजरात की सूबेदारी दिला का विश्वास दिलाया। १७१४ में शासक की सूबेदारी का हुकम प्राप्त हो गया (अजितोदय सर्ग २०, पद २६; राजरूपक प्रकाश-२६, पद ४३, पृ० ४७०। राजरूपक इस स्थान पर अमयसिंह की गुजरात का सूबेदार लिखता है। यह गलत है।)

- १०७ मीरात-ए अहमदी-१, पृ० १२; अजितोदय सर्ग २४, पद ४०, मारवाड की ख्यात-११, पृ० १०६
- १०८ मुत्तखब-उल-लुबाब-२, पृ० ५८२
- १०९ मीरात-ए-अहमदी-२, पृ० १-१२, २८-३५, अजितोदय सर्ग २२ (सम्पूर्ण), २३ पद १-३५, राजरूपक, प्रकाश-२७ पद १-२८, पृ० ४७५ से ४७७, पद ४२, पृ० ४६३,
- ११० मुत्तखब-उल-लुबाब-२, पृ० ७७७-७७८
- १११ उपर्युक्त पृ० ७८४, आई० एच० आर० सी० प्रोसीडिंग्स (१६४०) पृ० २०४-२१२ म डा० ए० जी पेंवार का लेख, 'सम ओरिजनल डाक्युमेन्ट्स ऑफ मुगल मराठा रिलेशन्स'
- ११२ अजीतसिंह का दयालदाम को पत्र, ज्येष्ठ वदी ११, वि० स० १७७५/४ मई १७१६, भाद्रपदी सुदि ७, वि० स० १७७५।२२, अगस्त १७१८, जोध, महाराणा सधामसिंह का अजीतसिंह को खरीता, मार्गशीर्ष सुदी १०, वि० स० १७७५।६ नवम्बर १७१८, पोर्ट फोर्सियो न० २ खरीता न० १६, जोध०, मुत्तखब उल लुबाब-२, पृ० ७६२ (इसके अनुसार अजीतसिंह को अहमदाबाद से दिल्ली आने के लिए लिखा गया), मीरात-ए अहमदी के अनुसार उस समय अजीतसिंह जोधपुर में था। वहाँ से वह दिल्ली पहुँचा (भाग २, पृ० १२), अजितोदय, सर्ग २६, पद ५०, राजरूपक प्रकाश-३१, पद ६१-६४ पृ० ५०८-५०९
- ११३ अजीतसिंह का दयालदास को पत्र, ज्येष्ठ वदी ११, वि० स० १७७५। ४ मई १७१६, जोध०
- ११४ उपर्युक्त, मुत्तखब-उल-लुबाब २ पृ० ८०४
- ११५ महाराजा अजीतसिंह का दयालदाम को पत्र, ज्येष्ठ वदी ११, वि० स० १७७५। ४ मई १७१६ जोध०; मुत्तखब-उल-लुबाब-२, पृ० ८०५; अजितोदय सर्ग २, पद २३, ४१-४७, निघर-१, पृ० १३२

- ११६ मुन्तखब-उल-लुवाब-२, पृ० ८१२-८१३; अजितोदय सर्ग-२७ पद ४६-५०; सियर-१, पृ० १३२-१३३; मराठो के लगभग १५०० से २००० सिपाही मारे गये ।
११७. महाराजा अजीतसिंह का दयालदास को पत्र, दि० ज्येष्ठ वदी ११ वि० स० १७७५ । ४ मई १७१६ जोष०; मुन्तखब-उल-लुवाब-२, पृ० ८१४-८१६, अजितोदय सर्ग २७, पद ४८-५१
११८. महाराजा अजीतसिंह का दयालदास को पत्र, ज्येष्ठ वदी ११, वि० स० १७७५ । ४ मई १७१६ जोष०; राणा सप्रामसिंह का अजीतसिंह को खरीता (तिथि नहीं दी गयी है) पो०को० न० २, खरीता न० १७, जोष०; मुन्तखब-उल-लुवाब-२, पृ० ८१६; सियर-१, पृ० १३६
- ११९ आई० एच० आर० सी० (प्रोमोडिगज) १६४०, पृ० २०४-२१२ में टा० ए० जी० पेंवार का लेख 'सम ओरिजनल डोक्युमेन्ट्स ऑफ मुगल-मराठा रिलेशन्स' ।
१२०. मुन्तखब-उल-लुवाब २, पृ० ८३८; अजितोदय सर्ग २७, पद ५७, सियर-१, पृ० १३८, २३१
१२१. मुन्तखब-उल-लुवाब २, पृ० ६३७; भीरात-ए-अहमदी-२, पृ० ३८
१२२. अजितोदय सर्ग ३१, पद ३२-३३; मारवाड़ री ख्यात-२. पृ० १२३



मारवाड़ में मराठी के प्रभाव का उषःकाल

(१७२४-१७४६ ई०)

अभयसिंह एवं गृह-युद्ध

अजीतसिंह की हत्या से, जो उसके पुत्र बलरामसिंह ने २३ जून १७२४ को की थी, उसके पुत्रों में राज्य-गद्दी प्राप्त करने के लिए गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गया। मुगल सम्राट् मोहम्मदशाह ने उसके बड़े पुत्र अभयसिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया तथा २५ जुलाई १७२४ को इस सम्बन्ध में फरमान भी जारी किया^१, परन्तु अजीतसिंह के छोटे पुत्रों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनमें से आनन्दसिंह और रायसिंह ने विद्रोह कर दिया। उन्हें जैतावत, कूपावत और ऊदावत राठोड़ों का समर्थन प्राप्त था। उनकी प्रारम्भिक सफलताएँ शानदार रहीं। शीघ्र ही गोडवाड़, सोजत एवं जैतारण क्षेत्र पर अपना अधिकार करने में वे सफल हो गये।^२ उन्होंने मेड़ता पर घावा बोल दिया तथा उसके चारों तरफ वे क्षेत्र को लूटना शुरू कर दिया।^३ उनकी बढ़ती हुई शक्ति के कारण जोधपुर की भी खतरा हुआ। दिल्ली में अभयसिंह ने अपने दीवान भण्डारी रघुनाथ^४ को पत्र लिखा कि वह विद्रोहियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए। भण्डारी को जोधपुर के शासक रघुसिंह ने भी सहायता का आश्वासन दिया। उसने अपने सेनापति राम शिवदास को आदेश दिया कि भण्डारी की महयता के लिए प्रस्थान करे।^५ जोधपुर-शासक ने जोधपुर के महाराणा को १३ नवम्बर १७२४ को पत्र लिख कर मारवाड़ की राजनीति से अवगत कराते हुए सूचित किया कि स्थिति इतनी गम्भीर हो चुकी है कि मुगल सम्राट् ने अभयसिंह को मारवाड़ जने के आदेश दे दिये हैं।^६ उसने महाराणा से प्रार्थना की कि वह अभयसिंह की सहायता के लिए सीसोदिया सैनिकों को भेजे।^७ दिल्ली से प्रस्थान करने के पूर्व अभयसिंह ने मुगल सम्राट् को विश्वास दिलाया कि वह सम्राट् के प्रति निष्ठा बनाये रखेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर मुगल सेना के लिए बीस से तीस हजार राठोड़ सैनिक^८ भेजेगा। परन्तु उसके स्वर्ण के लिए उसने मुगल कोष से नकद या जागीर की माँग की, जिसे बादशाह ने स्वीकार किया।^९ अभयसिंह ने आमेर एवं मेवाड़ के शासकों की सैनिक सहायता प्राप्त कर भाइयों के विद्रोह को दबा दिया। १७२५ के प्रारम्भ में उसका राज्याभिषेक पारम्परिक रीति से किया गया।^{१०} आनन्दसिंह और रायसिंह गुजरात

भाग गये।^{११} बरातसिंह ने अमरसिंह का समर्थन किया, जिसने फलस्वरूप नागीर का प्रशासन जो कि मुगलों ने अमरसिंह को सौंपा था, बरात के हवाले कर दिया गया।^{१२}

इसी बीच गुजरात की राजनैतिक स्थिति मुगल दरबार के लिए एन भयङ्कर समस्या बनती जा रही थी। जनवरी १७२५ में निजाम-उल-मुल्क के स्थान पर सरबुलन्दखा को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। नये सूबेदार ने अपना कार्य सँभालने में देरी की। उसने स्थिति सँभालने के लिए गुजरातवासी को अपना नायब बना कर भेजा। निजाम-उल-मुल्क को यह परिवर्तन अपमानजनक लगा। उसने अपने चाचा हमीदखा को, जो कि गुजरात में निजाम का प्रतिनिधि था, आदेश दिया कि इस परिवर्तन का विरोध करे। उसने मराठों से भी सहायता प्राप्त कर ली। इसके लिए उसे वचनबद्ध होना पड़ा कि यह गुजरात और मालवा में उनके प्रसार में रुकावटें नहीं डालेगा।^{१३} मराठों ने इन क्षेत्रों से धीरे धीरे सरदेसमुखी एवम् करनी प्रारम्भ कर दी। बादशाह ने सरबुलन्दखा को आदेश दिया कि वह गुजरात जाकर शासन का भार स्वयं सँभाले। इसके साथ ही उसने जोधपुर के शासक अमरसिंह को भी फरमान भेज कर आदेश दिया कि वह शीघ्र ही सरबुलन्दखा की सहायता के लिए प्रस्थान करे।^{१४} सरबुलन्दखा ने अप्रैल १७२५ में दिल्ली से प्रस्थान किया। अमरसिंह स्वयं नहीं गया बल्कि कच्छवाह एवम् सीसोदिया फौजों को गुजरात की ओर रवाना कर दिया।^{१५}

गुजरात में राठौड़ों का विरोध स्वयं था। अजीतसिंह ने गुजरात की सूबेदारी के काल में कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके शब्दों में 'बृहत् मारवाड़ की सीमा गुजरात के समुद्र-तटों तक फैली हुई है।' अमरसिंह गुजरात की सूबेदारी पर तान लगाए हुए था। इसलिए उसे सरबुलन्दखा को नायब बनाकर गुजरात भेजे जाने का आदेश उचित नहीं लगा। मारवाड़ की राजनैतिक स्थिति में अपनी उपस्थिति आवश्यक बताकर उसने शाही फरमान की अवहेलना प्रारम्भ की। किन्तु उसमें खुला विरोध करने की शक्ति नहीं थी। अतः अपने पास स्थित कच्छवाही और सीसोदिया फौजों को गुजरात भेज देने के जयसिंह के प्रस्ताव को उसने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने इन फौजों के सेनापतियों को गुप्त आदेश दिये कि वे ईडर की, जो बादशाह ने उसे जागीर के रूप में दिया था, मराठों से रक्षा करें। इन फौजों ने सफलतापूर्वक मराठों का सामना किया और ईडर को राठौड़-अधिकार में बनाये रखा।^{१६} अमरसिंह को शीघ्र ही इस प्रकार के सैनिक अभियान से शक्ति होना पड़ा। जयसिंह और महाराणा उदयपुर के आपसी पत्रों^{१७} से मालूम होता है कि दोनों के बीच एक गुप्त समझौता हो गया, जिसके अनुसार ईडर की मेवाड़ में मित्रता देना तय हुआ। इसकी सूचना जब अमरसिंह को मिली तो उसने माँग की कि मेवाड़ी और आमेरी फौजें ईडर से हटा ली जाएँ। परन्तु, जयसिंह और महाराणा दोनों ने, ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका ख्याल था कि ऐसा करने से

ईडर पर मराठों का आक्रमण और बढ़ जाएगा और जो सफलता उन्हें प्राप्त हुई थी वह निरर्थक हो जाएगी।^{१८}

इस परिस्थिति के अनुराग्त अमर्यासिंह मारवाड से प्रस्थान करने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का बहाना बनाया^{१९} और फिर भाग की कि बादशाह उसे पहले घन दे तो वह पूरी सेना सहित प्रस्थान कर सकता है। अन्वया वह चार सौ से पाँच सौ सैनिक ही गुजरात भेज सकता है।^{२०} अमर्यासिंह के इस आचरण से मुगल दरबार में उसकी कड़ी आलोचना होने लगी। २ दिसम्बर १७२५ का जयसिंह ने अमर्यासिंह को एक पत्र लिखकर पदगत कराया कि यदि वह गुजरात की ओर प्रस्थान नहीं करता है और दो हजार सैनिक नहीं भेजता है तो बुरे परिणामों के लिए उसे तैयार रहना चाहिए।^{२१} उसने यह इशारा भी किया कि यदि वह गुजरात की ओर प्रस्थान करेगा तो उस वित्तीय सहायता भी छद्म दे दी जाएगी।^{२२} जयसिंह के दबाव और मुगल दरबार द्वारा बठोर कायवाही के कारण अमर्यासिंह गुजरात जाने के लिए तैयार हो गया। उसने २२ नवम्बर १७२५ को गुजरात के लिए प्रस्थान किया।^{२३} उसने जालौर के मार्ग में जाने का निश्चय किया।^{२४} जोधपुर का प्रशासन बख्तसिंह और दीवान रघुनाथ को सौंपा गया।^{२५} अभी वह जालौर की ओर बढ़ ही रहा था कि 'दीवान रघुनाथसिंह न उसे सूचित किया कि आनन्दसिंह मराठों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर रहा है और उसकी सहायता से वह जोधपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है।' अमर्यासिंह ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। वह जोधपुर लौट पड़ा और जयसिंह को इस सम्बन्ध में सूचना भेज दी।^{२६}

आनन्दसिंह और रायसिंह ने मराठों की सहायता से ईडर लेना चाहा। १७२५ में उनके धावे ईडर पर होने लगे।^{२७} यद्यपि वे अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके तथापि उनके लगातार आक्रमणों के कारण ईडर से प्राप्त राजस्व समाप्त हो गया।^{२८} मार्च १७२६ में दोगे भाइभा ने मराठा-सहायता से जोधपुर पर आक्रमण करने की योजना बनायी।^{२९} मारवाड में मराठों के प्रवेश की आशंका से अमर्यासिंह घबरा उठा घन उसने जयसिंह के द्वारा बादशाह को सूचित किया कि मारवाड में मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए उसकी उपस्थिति यहाँ जरूरी है।^{३०} नई परिस्थितियों के कारण मुगल बादशाह ने अमर्यासिंह को गुजरात-अभियान के दायित्व से मुक्त कर दिया।^{३१}

ईडर के प्रश्न को लेकर महाराणा और अमर्यासिंह के बीच मतभेद बढ़ने लगे। जयसिंह ने प्रस्ताव किया कि दोनों भाइयों को गुजरात में अमर्यासिंह की जागीर देकर ऋग्गडा शांत किया जाय, परन्तु अमर्यासिंह को यह मान्य नहीं था।^{३२} फिर जयपुर के शासक ने सुरक्षा हेतु ईडर को महाराणा को सौंप देने की बात चनायी। अमर्यासिंह इसके लिए इस शर्त पर राजी हो गया कि उदयपुर के शासक किसी तरह आनन्दसिंह और रायसिंह की इत्था करवा दें।^{३३} इतना ही नहीं उसने महाराणा को बचन


दिया कि यदि यह कार्य सम्पन्न हो गया तो वह मेवाड़ पर मराठा आक्रमण^{३४} के विरुद्ध राणा को सैनिक सहायता भी देगा ।^{३५}

महाराणा ने इसे स्वीकार लिया । ईडर पर उसने अधिकार कर लिया परन्तु वह दोनों भाइयों की हत्या नहीं करवा सका ।^{३६} इन दोनों ने सिरोही होते हुए मारवाड़ की ओर बढ़ना शुरू किया । मार्ग में महाराणा के प्रदेश को भी लूटा ।^{३७} भानन्दसिंह और रायसिंह एव मराठों के आक्रमण का सामना करने के लिए अभयसिंह ने बखतसिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी । महाराणा ने भी अपनी फौजें सीमा पर तैनात कर दीं ।^{३८} बखतसिंह को गुप्त आदेश दिये गये कि वह सीसोदियों की फौजों से मिलकर भानन्दसिंह का रास्ता रोके ।^{३९} परन्तु महाराणा अपने वचन पर हठ नहीं रह सका । उसने भानन्दसिंह से समझौते की गुप्त वार्ता के लिए सन्देशों का स्वागत किया ।^{४०} अभयसिंह इससे नाराज हो गया । महाराणा से उसके सम्बन्ध टूट गये । १७२० में कन्या जी और पीलाजी ने जालौर के रास्ते से मारवाड़ पर आक्रमण किया ।^{४१} अभयसिंह ने भण्डारी खीवसी को उनका सामना करने को भेजा ।^{४२} खीवसी ने महाराजा को मराठों से समझौता करने की राय दी । एक ओर भानन्दसिंह का सिरोही के रास्ते से आक्रमण, दूसरी ओर महाराणा का विरोधी हो जाना तथा ईडर पर उसका अधिकार बना रहना; इन परिवर्तित एव प्रतिकूल परिस्थितियों में अभयसिंह ने खीवसी की राय को स्वीकार कर लिया ।^{४३} पीलाजी व कन्याजी को भारी धन-राशि देकर उनके आक्रमण से मारवाड़ को बचा लिया ।^{४४} महाराणा के आचरण से वह क्षुब्ध हो गया था अतः अगस्त १७२० में उसने जयसिंह की राय स्वीकार कर ली कि ईडर भानन्दसिंह को देकर गृह-युद्ध समाप्त कर दिया जाय ।^{४५}

गुजरात में अभयसिंह

(i) नये सूबेदार की समस्या-मराठा आतंक

१७२५ के बाद पेशवा बाजीराव की उत्तर की ओर प्रसार की नीति के कारण मालवा तथा गुजरात में मराठी प्रभाव बढ़ने लगा । गुजरात में सेनापति दाभाडे का प्रभाव-क्षेत्र था । उसके प्रतिनिधि पीलाजी गायकवाड और कन्याजी व दे मुगल सल्तनत के लिए सर-दर्द बन रहे थे ।^{४६} सरबुलन्दखा को जब १७२५ में सूबेदार बनाया गया था, तो यह आशा की गयी थी कि वह गुजरात से मराठों को बाहर निकाल सकेगा । जोधपुर के महाराजा अभयसिंह को आदेश दिये गये कि-वह सरबुलन्द की सहायता के लिए प्रस्थान करे, परन्तु जोधपुर-शासक ने किसी प्रकार की सहायता नहीं दी । उधर मराठी आतंक बढ़ता ही गया । अतः वाच्य होकर सरबुलन्द ने फरवरी १७२७ में पीलाजी व कन्याजी से समझौता कर लिया, जिसके फलस्वरूप गुजरात की चौध-वसूली का अधिकार दाभाडे को दे दिया । १७३० में उसने चिमनाजी अर्प्या के साथ सन्धि कर ली ।^{४७} इस सन्धि के अनुसार मुगल सूबेदार ने बाजीराव पेशवा को गुजरात की चौध व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया ।



चित्र 3 गुजरात में सलोह व मराठो के प्रभाव क्षेत्र

सरबुलन्द का ऐसा विरक्तान था कि फरवरी १७२३ व १७३० की संधियों के कारण गुजरात की चौध-सूत्री के लिए सेनापति दाभाडे व पेशवा बाजीराव के बीच संधर्ष होगा जिससे मराठा प्रभाव को रोकने में वह सफल हो सकेगा। परन्तु इन समझौतों की मुगल दरवार में प्रतिश्रिया होने लगी। ऐसा विश्वास उभरने लगा कि मराठों की सहायता से सरबुलन्दखान अपने लिए गुजरात में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की योजना बना रहा है। अतः उसे शीघ्र ही पदच्युत कर दिया गया। महाराजा भ्रमरसिंह को नया सूबेदार नियुक्त किया गया। अब तक महाराजा अपने भाइयों के संधर्ष से मुक्त हो चुका था। एक बड़ी सेना लेकर जिसमें २०,००० सैनिक, चालीस तोरें, २०० मन दारूद और सो मन शीशा था, महाराजा ने मार्च ८, १७३० को जोधपुर से प्रस्थान किया।^{१५}

भ्रमरसिंह की नियुक्ति से सरबुलन्दखान को बुरा लगा। उसने उसे कार्य-भार सौंपने से इन्कार कर दिया। इस पर दोनों के बीच साबरमती के किनारे १० अक्टूबर, १७३० को भयंकर युद्ध हुआ।^{१६} सरबुलन्द हार गया। उसे गुजरात छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा।^{१७} सरबुलन्द की २७३ तोपों पर राठौड़ी अधिकार हो गया।^{१८} शीघ्र ही महाराजा ने गुजरात के २२ जिलों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।^{१९} परन्तु मराठा का २८ जिलों पर अधिकार बना रहा। वहाँ पोलाजी गायकवाड का आदेश चलता था।^{२०} पावागड पर चिमनाजी का अधिकार था। कन्याजी ने चपानेर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रखी थी।^{२१} भ्रमरसिंह को गुजरात में मुगल सत्ता को प्रभावशाली बनाने के लिए धनी बठिनाइयों का सामना करना था। सूबे का प्रशासन अस्त-व्यस्त हो चुका था।^{२२} मराठे अत्यन्त निश्चरता से चौक व सरदेगमुची वसूल करते थे। मुगल क्षेत्रों में उनकी इच्छानुसार भूमि कर की वसूली होती थी। कई क्षेत्रों पर उनका प्रत्यक्ष प्रशासन था। खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी थी। इजारेदारों ने किसानों से वसूली कर ली थी परन्तु राज्य-कोष खाली था। सायर से आय प्राप्त नहीं हो रही थी। व्यापार शिथिल अवस्था में था। राजनैतिक अव्यवस्था एवं मराठी शासक के कारण व्यापारी वर्ग भाग गया था। सरबुलन्दखान काफी धन अपने व्यक्तिगत कार्यों में खर्च कर गया था। रबी की फसल की आंशिक रूप से ही लेती की जा रही थी। सेना को वेतन का भुगतान करना था। भ्रमरसिंह ने खानदोरों को सूचना भिजवायी^{२३} कि एक प्रभावशाली प्रशासन स्थापित करने एवं सशक्त सेना रखने के लिए उसे आठ माह तक १० से १२ लाख रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता चाहिए। इसके अतिरिक्त मराठी प्रभाव को समाप्त करने के लिए योग्य व अनुभवी सेनापतियों को भेजने के लिए भी लिखा।^{२४} मुगल दरवार और बजीर की ओर से शीघ्र कोई प्रत्युत्तर नहीं आया।^{२५} इससे स्थिति और बिगड़ने लगी। मराठों ने नवम्बर १७३० में बडोदा, दमाई व जम्बुसर पर जिनकी आय ३० लाख रुपये थी, अधिकार कर लिया।^{२६}

केन्द्र की उदासीनता से भ्रमरसिंह परेशान था, परन्तु १७३० के अन्त में गुजरात

सरबुलन्द का ऐसा विश्वास था कि फरवरी १७२७ व १७३० की संघियों के कारण गुजरात की चौक-उमूची के लिए सेनापति दामाडे व पेशवा बाजीराव के बीच सवर्ण होगा जिससे मराठा प्रभाव को रोकने में वह सफल हो सकेगा। परन्तु इन समझौतों की मुगल दरबार में प्रतिव्रिया होने लगी। ऐसा विश्वास उभरने लगा कि मराठों की सहायता से सरबुलन्दखा अपने लिए गुजरात में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की योजना बना रहा है। अतः उसे शीघ्र ही पदच्युत कर दिया गया। महाराजा अमर्यासिंह को नया सूबेदार नियुक्त किया गया। अब तक महाराजा अपने भाइयों के सवर्ण से मुक्त हो चुका था। एक बड़ी सेना लेकर जिसमें २०,००० सैनिक, चालीस तोपें, २०० मन बारूद और सौ मन शीशा था, महाराजा ने मार्च ८, १७३० को जोधपुर से प्रस्थान किया।^{१८}

अमर्यासिंह की नियुक्ति से सरबुलन्दखा को बुरा लगा। उसने उसे कार्य-भार सौंपने से इन्कार कर दिया। इस पर दोनों के बीच साबरमती के किनारे १० अक्टूबर, १७३० को भयकर युद्ध हुआ।^{१९} सरबुलन्द हार गया। उसे गुजरात छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा।^{२०} सरबुलन्द की २७३ तोपों पर राठौड़ी अधिकार हो गया।^{२१} शीघ्र ही महाराजा ने गुजरात के २२ जिलों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।^{२२} परन्तु मराठों का २८ जिलों पर अधिकार बना रहा। वहाँ पोलाजी गायकवाड का प्रादेश चलना था।^{२३} पावागड़ पर चिमनाजी का अधिकार था। कन्याजी ने चपानेर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रखी थी।^{२४} अमर्यासिंह को गुजरात में मुगल सत्ता को प्रभावशाली बनाने के लिए अभी कठिनाइयों का सामना करना था। सूबे का प्रशासन अस्त-व्यस्त हो चुका था।^{२५} मराठे अत्यन्त निडरता से चौक व सरदेजमुची वसूल करते थे। मुगल क्षेत्रों में उनकी इच्छानुसार भूमि कर की वसूली होती थी। कई क्षेत्रों पर उनका प्रत्यक्ष प्रशासन था। खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी थी। इजारेदारों ने किसानों से वसूली कर ली थी परन्तु राज्य-कोष खाली था। सामर में आय प्राप्त नहीं हो रही थी। व्यापार स्थिति अवस्था में था। राजनैतिक अव्यवस्था एवं पराधीन अतंक के कारण व्यापारी वर्ग भाग गया था। सरबुलन्दखा काफी धन अपने व्यक्तिगत कार्यों में खर्च कर गया था। रबी की फसल की आगिक रूप से ही खेती की जा रही थी। सेना की वेतन का भुगतान करना था। अमर्यासिंह ने खानेदोरों को सूचना भिजवायी^{२६} कि एक प्रभावशाली प्रशासन स्थापित करने एवं सशक्त सेना रखने के लिए उसे आठ माह तक १० से १२ लाख रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता चाहिए। इसके अतिरिक्त मराठी प्रभाव को समाप्त करने के लिए योग्य व अनुभवी सेनापतियों को भेजने के लिए भी लिखा।^{२७} मुगल दरबार और वजीर की ओर से शीघ्र कोई प्रत्युत्तर नहीं आया।^{२८} इससे स्थिति और बिगड़ने लगी। मराठों ने नवम्बर १७३० में बड़ोदा, दमाई व जम्बुतर पर जिनकी भाय ३० लाख रुपये थी; अधिकार कर लिया।^{२९}

वेन्द्र की उदासीनता से अमर्यासिंह परेशान था, परन्तु १७३० के अन्त में गुजरात

की नयी राजनीति न उसे अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। सेनापति त्र्यम्बकराव दामाडे और पेशवा बाजीराव के बीच मनोमालिन्ध्य हो गया। १७३० की सरबुलन्द विमनाजी घण्टा की संधि के कारण पेशवा का गुजरात में हस्तक्षेप अनिवार्य था। यह संधि दामाडे के अधिभार क्षेत्र में आन्तरिक हस्तक्षेप थी। दामाडे न पेशवा की इस नीति का घोर विरोध किया परन्तु बाजीराव के लिए 'उत्तर की घोर प्रसार की नीति का यह आवश्यक अंग था, अतः दोनों मराठे सरदार एक दूसरे के विरोधी बन गए।^{१०} त्र्यम्बकराव ने पेशवा के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। यह बाजीराव के लिए अमंजनीय था। उसने इसका कुपगिणामों की ओर सेनापति का ध्यान आकर्षित किया। परन्तु दामाडे ने बाजीराव के शत्रुओं में सम्बन्ध स्थापित करना शुरू किया। अक्टूबर १७३० में उसने निजाम उल मुल्क को पेशवा का विश्व सहायता के लिए लिखा।^{११} निजाम गुजरात में अपने प्रभाव का पुनः स्थापित करने के लिए इस प्रकार के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र यह सेना लेकर खानदेश होता हुआ दामाडे की सहायता के लिए चल पड़ा। अपनी इस योजना में उसने मालवा के सूबेदार मोहम्मदशाह बख्श को भी शामिल कर लिया। दामाड और निजाम के सैनिक अभियान में शक्ति होकर बाजीराव अक्टूबर १७३० में उत्तर की ओर चल पया।^{१२} दिसम्बर, १७३० में यह सूरत पहुँच गया।^{१३} इस प्रकार १७३० के अन्त में गुजरात के राजनैतिक वातावरण में मराठों की आन्तरिक शक्तियों का सघन अवश्यम्भावी हाना जा रहा था।

ग्रहमदावाद के सन्निकट विरोधी राजनैतिक गतिविधियों से नया सूबेदार शक्ति हो उठा। मोहम्मदशाह बख्श और निजाम का गुजरात की घोर प्रयाण महाराजा की स्थिति के लिए हानिकारक था क्योंकि निजाम और राठौड़ शासन एक दूसरे के विरोधी गुटा में से थे।^{१४} अतः महाराजा ने मुगल दरबार को नयी परिस्थितियों से अवगत कराते हुए शीघ्र ही सहायता के लिए लिखा।^{१५} अमरसिंह भंडारी के हाथ भेजे गए पत्र में महाराजा ने लिखा कि दामाडे की विजय से उसे गुजरात में जिसे उसने स्वयं की शक्ति से जीता था हाव घोना पड़ेगा, जो कि वह नहीं चाहता था।^{१६} अतः भंडारी को आदेश दिया गया कि वजीर व बकशी से मिल तथा अधिकतम अधिक सैनिक सहायता की व्यवस्था करें।^{१७} परन्तु मुगल दरबार गुना में इतना विभाजित था कि गुजरात का राजनीति में प्रति कोई शीघ्र निष्पत्ति नहीं लिया जा सका। जब लिखा गया तो बादशाह ने अमरसिंह का आदेश दिया कि यह बाजीराव के विश्व निजाम की सहायता करें।^{१८}

(ii) त्रिकोटा स्वार्थों का सघर्ष

गुजरात की भौगोलिक स्थिति मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन के लिए अत्यन्त लाभदायक थी। उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बीच गुजरात एक कड़ी का काम करता था। १५७३ ई० में अकबर ने इसे जीता था। तब से यह

मुगल साम्राज्य का एक सूबा बना हुआ था। न सिर्फ राजनैतिक दृष्टि से बल्कि प्रायिक दृष्टि से भी मुगल शासक अपना प्रभाव बनाये रखना चाहते थे। विदेशों से खानदेश, मालवा, बरार व उत्तरी भारत के व्यापार का मार्ग गुजरात होकर ही जाता था। गुजरात के समुद्री तट पर भड़ोच व मूरन जैसे प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। इन्हीं बन्दरगाहों से भारतीय मुसलमान मक्का के लिए हज्र करने जाते थे। विदेशों से यात्री, व्यापारी, बुद्धिजीवी, भगोड़े सैनिक और शरणार्थी, जो फारस, अरब, टर्की, मिश्र, जर्जीवार, खोरास्तान से राजनैतिक कारणों से भाग निकलते थे, इन्हीं बन्दरगाहों से भारत में प्रवेश करते थे। अतः गुजरात केन्द्रीय शासन के लिए समुद्री फरो व भूमि से प्राप्त राजस्व तथा अन्य करों से होने वाली आय का अग्रस्त स्रोत था। यही कारण था कि मुगल शासक किसी भी स्थिति में गुजरात को साम्राज्य से पृथक् नहीं देखना चाहते थे। सैनिक दृष्टि से भी गुजरात की स्थिति महत्त्वपूर्ण थी। मुगलों के दक्षिण के सैनिक अभियानों के लिए यह क्षेत्र आधार का कार्य करता था। उत्तर व दक्षिण भारत के बीच यातायात, गुजरात पर उनके अधिकार के कारण ही, निष्कटक था। श्रीरगजेव की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति गुजरात में शिथिल पड़ने लगी। जिसे भी सूबेदार बनाया जाता, वह उसी धन और सैनिक शक्ति से जो मुगलों से प्राप्त होती थी, अपने लिए अर्ध-स्वतन्त्र राज्य बनाने की सोचता था। जब कभी सूबेदारी में परिवर्तन होता तो सनान्तरित सूबेदार बिना युद्ध के अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था।^{१६} इसमें गुजरात में मुगल प्रशासन की दशा गिरती गयी।

शिवाजी के समय से ही मराठों के लिए गुजरात निरन्तर प्राय और धन का साधन बना हुआ था। बाद में जब बाजीराव प्रथम ने 'उत्तर की ओर प्रसार की नीति' के आधार पर मराठा-विस्तार की नीति अपनायी तो गुजरात पर मराठी अधिकार राजनैतिक दृष्टि से अनिवार्य हो गया। इसके अलावा निजाम को, जिसे दक्षिण का मुगल सूबेदार बनाया गया था, तीनों ओर से घेर कर शक्तिहीन बनाये रखने के लिए भी बाजीराव ने गुजरात पर मराठी आधिपत्य स्थापित करना आवश्यक समझा। इस प्रकार गुजरात पर अधिकार करना मराठा साम्राज्य के प्रसार का प्रथम चरण था।

• यों तो १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही गुजरात में मराठों का प्रवेश होना शुरू हो गया था, परन्तु १७१६ तक कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ था। उस वर्ष खाष्टेराव दामाडे ने अजमेर और खानदेश के क्षेत्रों से चौथे व सरदेगमुखी वसूल करनी प्रारम्भ की तथा बुरहानपुर से मूरत तक कई जिलों का निर्माण करवाया। इन भेदाओं के बदले में शाहू ने उसे सेनापति नियुक्त किया।^{१७}

१७१६ में सेनापति खाष्टेराव दामाडे के प्रतिनिधि के रूप में पीलाजी गायकवाड ने, जिसने सोनगढ़ को अपने कार्य का केन्द्र बना लिया था, दक्षिणी गुजरात में मराठा प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। १७२३ में उसने राज-

पीपसा क्षेत्र में कई किलों का निर्माण कराया तथा सुरत सरकार के कई भागों पर अधिकार कर लिया।^{७१} शाह के आदेशों पर कन्याजी कदम ने भी गुजरात से चौथ बसूली प्रारम्भ की।^{७२} १७२४ में निजाम ने मुगल बादशाह के विरुद्ध मराठों की सहायता मांगी। मराठों ने इस शर्त पर सहायता देने का वचन दिया कि वह गुजरात व मालवा में मराठी प्रसार में कोई बाधा उपस्थित नहीं करेगा।^{७३} १७२६ में पीलाजी ने माही नदी के दक्षिण तट तक आधिपत्य स्थापित कर दिया। अहमद नगर पर उसके आक्रमण की आशंका सदा बनी रहने लगी।^{७४} परन्तु मराठों के ये सभी आक्रमण योजनाबद्ध व नीतिबद्ध नहीं थे। बाजीराव ने इन सैनिक अभियानों को योजनाबद्ध करने की नीति अपनायी और दामाडे से उस योजना के अनुसार कार्य करने को कहा। परन्तु दामाडे के लिए इस नीति को स्वीकार करना अपने प्रभाव को कम करना था। वह गुजरात में पेशवा का हस्तक्षेप नहीं चाहता था अतः उसने इस नीति का घोर विरोध करना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में तो पेशवा ने सेनापति के विरोध की परवाह नहीं की। उसने मुगल सूबेदार सरबुलन्दखान से फरवरी १७२७ में सन्धि की जिससे गुजरात की चौथ व सरदेशमुखी की बसूली का अधिकार पेशवा को प्राप्त हो गया।^{७५} १७३० में मुगल सूबेदार ने उक्त सन्धि पर पुनः मोहर लगा दी। इसी बीच में मराठों ने दक्षिणी गुजरात के २८ जिलों पर अधिकार कर लिया। अब सेनापति और पेशवा के बीच सघर्ष अवश्यम्भावी हो गया। सेनापति ने निजाम को सहायता के लिए लिखा। दामाडे-निजाम की मंत्री से बाजीराव शक्ति हो उठा। गुजरात में मराठी प्रभाव को बनाये रखने के लिए उसने अक्टूबर १७३० में उत्तर की ओर प्रयाण किया।

राठौड़ों का गुजरात में प्रसार उतना ही महत्वपूर्ण था जितना मराठों का गुजरात, मारवाड के दक्षिण में है। जालोर, जसवन्तपुरा एवं भीनमाल की तहसीलें पालनपुर से मिलती हैं। मारवाडी व्यापारियों के लिए गुजरात एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। समुद्री तटों एवं दक्षिण के लिए व्यापार मार्ग गुजरात से ही जाता था। राठौड़ शासक इन व्यापारियों से जो वर लेने थे वह इस पर निर्भर रहता था कि इन व्यापारियों को कितना निष्कटक व्यापार मार्ग प्राप्त हो। अतः व्यापार मार्गों की सुरक्षा का दायित्व राठौड़ शासकों पर था। इसके अलावा गुजरात की राजनैतिक हलचलों का प्रभाव मारवाड की आन्तरिक सुरक्षा पर यथासमय पडा करता था। अमरसिंह के शासनकाल से ही गुजरात की ओर से मराठा आक्रमण होने लगे थे जिनसे आन्तरिक शान्ति को खतरा पैदा हो गया था।^{७६} अतः राठौड़ शासकों के लिए यह आवश्यक था कि या तो गुजरात राठौड़ प्रभाव में रहे या वहाँ की राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे, जिससे मारवाड में अशान्ति न फैले। गुजरात की हरी-भरी भूमि भी राठौड़ों के लिए आकर्षण का कारण थी। रेगिस्तानी मारवाड से होनेवाले घाटों की कमी वहाँ से पूरी हो सकती थी। १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुगल साम्राज्य के विघटन काल में गुजरात की ओर प्रसार करना मारवाड के शासकों

की राजनैतिक महत्वाकांक्षा थी।^{७७} १५६६ में मारवाड़ का शासक शूरसिंह कुछ समय के लिये गुजरात का सूबेदार बनाया गया। उसने गुजरात के उत्तरी सीमा क्षेत्रों में राठौड़ आधिपत्य की नीति के बारे में प्रथम बार योजना बनायी परन्तु न तो वह व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली था और न उसमें मुगल प्रशासन को प्रभावित करने की क्षमता ही थी। महाराजा जसवन्तसिंह प्रथम और अजीतसिंह क्रमशः १६५६-१६६२ और १७१५-१७१७ में गुजरात के सूबेदार रहे। इन दोनों ने गुजरात में जागीरें प्राप्त की। अजीतसिंह ने मारवाड़ की सीमा का गुजरात में प्रसार करने का असफल प्रयास किया।^{७८} अपने विता की नीति का अनुसरण करते हुए^{७९} अर्भवसिंह ने १७२७ से ही गुजरात की सूबेदारी प्राप्त करने का प्रयास किया। १७२८ में बाजीराव ने मारवाड़ से सरजामी वसूल करने का अधिकार मल्हारराव होल्कर को दिया।^{८०} मारवाड़ पर मराठा आक्रमण की सभावना बढ़ने लगी। मारवाड़ की सुरक्षा हेतु मराठा प्रभाव को गुजरात तक ही सीमित रखना आवश्यक था। यह तभी संभव था जबकि गुजरात पर राठौड़ों का प्रभाव रहे। १७३० में मुगल दरबार में सरबुन्दखान की मराठी नीति की तीव्र आलोचना होने लगी। उसे सूबेदार के पद से हटा दिया गया। उसके स्थान पर अर्भवसिंह को नियुक्त किया गया। महाराजा ने फरमान प्राप्त होते ही, बिना मुगल कोष और सेना की प्रतीक्षा किये, अहमदनगर की ओर बृच कर दिया। फरवरी १७३० में उसने एक युद्ध के पश्चात् गुजरात पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।^{८१}

(iii) अहमदाबाद समझौता और उसके परिणाम—फरवरी, १७३०

फरवरी, १७३० के बाद गुजरात में तीनों शक्तियों के घापसी सघर्ष की सभावना बढ़ने लगी। दामाडे-निजाम मित्रता, पेशवा का सैनिक अभियान एवं मुगल आदेश कि पेशवा के विरुद्ध निजाम की सहायता की जाए, अर्भवसिंह के लिए पूर्ण समस्या थी। राठौड़ों स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए निजाम के विरुद्ध उसने पेशवा का समर्थन करने का निश्चय किया। उसने राठौड़ अर्भवसिंह, अजीमुल्लाखान और विजयसिंह भट्टारी को बाजीराव के पास भेजा। बाजीराव को निमंत्रण दिया गया कि वह उससे अहमदाबाद में मिले। पेशवा ने इसे स्वीकार किया। वह २३ जनवरी १७३१ को अहमदाबाद पहुँचा। उसे शाही बाग में ठहराया गया। वही एक माह तक वहाँ^{८२} बसती रही।^{८३} अग्न में फरवरी १७३१ में बाजीराव और अर्भवसिंह ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।^{८४} इस समझौते के अनुसार—

१. पीलाजी गायकवाड़ व कन्याजी शिंदे को गुजरात से निकालने में पेशवा सहायता करेगा।
२. गुजरात की धीप के रूप में अर्भवसिंह पेशवा को १३ लाख रुपये देगा।
३. १५ लाख रुपये दरबान्त दिये जाएंगे। बाकी रकम पेशवा को उस समय

मिलेगी जयक्रि यह पीलाजी व कन्याजी को गुजरात से निकाल देगा और स्वयं भी प्रस्थान कर जाएगा ।

४. यदि पीलाजी व कन्याजी गुजरात में पुनः प्रवेश करें तो पेशवा भी गुजरात में हस्तक्षेप करेगा ।
५. बाजीराव के अलावा किसी अन्य मराठा सरदार की सेना गुजरात में प्रवेश नहीं करेगी ।
६. बड़ौदा पर अधिकार हो जाने के बाद उसे महाराजा को सौंप दिया जाएगा ।
७. पेशवा की सहायता के लिए महाराजा मुगल सेना और द्वाँई हजार राठीड़ सैनिक देगा ।

इस समझौते की शर्तें बरीब-बरीब वंसी ही थीं जैसी कि सरयुलन्ददा ने १७३० में चिमनाजी अप्पा के साथ की थी ।^{१५} अभयसिंह ने पेशवा को गुजरात की चौथी व सरदेशमुखी बसूल करने का अधिकार दे दिया । इसके बदले में, बाजीराव ने पीलाजी और कन्याजी को गुजरात से दूर रखने का विश्वास दिया, जिससे दामाडे का प्रभाव समाप्त किया जा सके । इस समझौते से अभयसिंह को पीलाजी से; जिसने कि मूरत अठाविसी में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी, मुक्ति प्राप्त हो सकती थी । पेशवा ने यह सोचा कि सेनापति के इस योग्य प्रतिनिधि का हटा देने से गुजरात में उसका प्रभाव आसानी से हो जाएगा । इस समझौते ने गुजरात में एक ही मराठा शक्ति को मान्यता दी, वह थी पेशवा की शक्ति । इस शक्ति की शून्यता के लिए भी समझौते में धारा रख दी गयी थी । अभयसिंह ने इस प्रकार १३ लाख रूपयों की चौथ के बदले में गुजरात में अपने निःशक शासन की पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी । इसके अलावा यदि पीलाजी और कन्याजी ने गुजरात में पुनः प्रभाव-क्षेत्र स्थापित करने का प्रयास किया, तथा चौथ देने के लिए मूवेदार पर दबाव डाला तो समझौते के अनुसार बाजीराव को गुजरात में पुनः प्रवेश करने तथा पीलाजी व कन्याजी को पुनः निकालने का अधिकार दिया गया था ।

तत्कालीन परिस्थितियों में अभयसिंह के लिए यह समझौता अत्यन्त लाभकारी था । अपने पड़ोस के क्षेत्रों में मराठी आतंक को हटाने के लिए उसे उम समय सिर्फ ६ लाख रूपये और २५०० राठीड़ सैनिक ही दान थे । दामाडे के स्थान पर उसने बाजीराव का साथ इसलिए दिया कि वह निजाम के विरुद्ध अपनी शक्ति को हट कर सके तथा गुजरात में अपने प्रभाव को स्थायी बना सके । वह गुजरात में अर्ध-स्वतन्त्र राठीड़ी शासन की महत्वाकांक्षा रखता था परन्तु पटनाघो ने ऐसा मोड़ मारा कि उसकी यह महत्वाकांक्षा हवाई महान बनकर ही रह गयी ।

समझौते के अनुसार बाजीराव ने बड़ौदा विजय करने के लिए प्रस्थान किया । बड़ौदा पर उस समय पीलाजी के भाई मालाजी का अधिकार था । पेशवा के साथ

भडारी विजयसिंह और राठोड अमरसिंह के नतृत्व में एक राठोडी सैनिक टुकड़ी भी चली।^{१५५} मार्च २५, १७३१ को पेशवा सावनी पहुँचा। वहाँ उसे सूचना प्राप्त हुई कि निजाम मोहम्मदशाह बगल से मिलकर दामाडे की सहायतायें आ रहा है। पेशवा न दामाडे व निजामबख्त की सेनाओं को न मिलने देन की नीति अपनायी। अश्वसिंह की फौज और तोपखाने की मर्यादा से पेशवा न दामाडे पर आक्रमण कर दिया।^{१५६} अप्रैल १, १७३१ को दमोई के पास भिलापुर के मैदानों में पेशवा ने सेनापति को घुरी तरफ परास्त किया, जिगम सेनापति युद्ध करता हुआ मारा गया।^{१५७} उसके सामन्त पीताजी, बन्धाजी और आनदराव भाग गये। परन्तु बड़ोदा में मालाजी ने अपना अधिकार बनाये रखा।^{१५८} महाराजा ने राठोड-पेशवा विजय का शानदार स्वागत किया। उसने मुगल सम्राट को सिफारिश की कि बाजीराव को योग्यतापूर्ण सेवाओं के कारण एक फरमान, एक हाथी, एक मन्सब तथा एक खिलअत सिरोपाव दिये जाने चाहिए।^{१५९}

मुगल दरबार में इसका विरोधी प्रतिक्रिया होने लगी। सानेदौरा को यह सदेह हुआ कि बादशाह के पक्ष में बाजीराव पेशवा की सहायता प्राप्त करने में अश्वसिंह का निहित स्वार्थ था जिससे उसकी स्थिति कमजोर हो सकती थी।^{१६०} प्रारम्भ में उसकी यह प्रतिक्रिया थी कि दामाडे के डर से बाजीराव ने अश्वसिंह की सहायता की थी। वह किसी प्रकार भी बड़े कार्यों में मुगलों की महायता नहीं करेगा।^{१६१} वजीर ने भी अश्वसिंह का समर्थन नहीं किया। निजाम की सूचना पाकर उसने महाराजा द्वारा स्वीकृत अहमदाबाद नमन्ते पर (फरवरी १७३१ में) शाही मोहर नहीं लगने दी।^{१६२} वजीर ने महाराजा, निजाम और बगल को गुप्त संदेश भेजा कि बाजीराव को निर्णय दहित ही नहीं किया जाए^{१६३} बल्कि उसकी हत्या कर दी जाए।^{१६४} बाजीराव के प्रति शाही नीति का घोर विरोध महाराजा ने किया।^{१६५} उसने अपने वकील के द्वारा वजीर को सूचना भिजवायी कि यदि बाजीराव को इस प्रकार से पृथक् रखा गया तो वह पीताजी और बन्धाजी से जा मिलेगा। गुजरात में मुगल शासन को बनाये रखना प्रत्यन्त कठिन हो जाएगा। उमने इस बात पर अघिच बल दिया कि उसके द्वारा की गयी सधि व सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाय, जिससे कि मुगलों को गुजरात न खोना पड़े।^{१६६} बाजीराव के साथ की गयी सधि के प्रति वह इतना अशासन था कि उसने वजीर व मुगल दरबार को धुनौती दे दी। उसने अपने वकील भडारी अमरसिंह को लिखा कि यदि वजीर उसकी नीति का समर्थन नहीं करे तो वह वहाँ से छुट्टी लेकर चला आए।^{१६७}

इसी बीच निजाम ने अश्वसिंह को एक भयकर कूटनीति के जजाल में फँसा दिया। उमने बाजीराव को उस गुप्त आलेख की सूचना दे दी, जो कि वजीर ने अश्वसिंह, निजाम और बगल को लिखा था और जिसके अनुसार पेशवा को गिरफ्तार कर उसकी हत्या का आदेश दिया गया था।^{१६८} इससे बाजीराव पेशवा

महाराजा के प्रति सशक्त हो गया। महाराजा ने पेशवा की शंका को दूर करने का बहाना ही प्रयास किया। एक बार उसने पुनः बजीर को जिला सिविल बाजीराव को शाही खिलफत और प्रशंसा का फरमान भिजवाया। पेशवा को पृथक्-पृथक् खीनों से निजाम द्वारा दी गयी सूचना की सचाई प्राप्त होने लगी। अतः उसने अभयसिंह से की गयी संधि की शर्तों का अनुपालन करना छोड़ दिया।^{१०६} अग्रेत १७३१ में उसने बडोदा से बेरा उठा लिया और सतारा की ओर चल पड़ा, जहाँ की राज-नैतिक गतिविधियों में उसकी उत्पत्ति आघरप्रकृषी।^{१०७} उसने जून में जोधपुर से अपने पण्डित को वापस बुला लिया और अभयसिंह ने पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद कर लिया।^{१०८}

(११) पीलाजी गायकवाड की हत्या (मार्च २३, १७३२)

पेशवा के आचरण से महाराजा अत्यंत दुःख हो गया। उसकी स्थिति उस समय नाजुक हो गयी जबकि छत्रपति शाहू ने भिलापुर के युद्ध के पश्चात् गुजरात की चौपट व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार बाजीराव के स्थान पर दामाडे को दे दिया।^{१०९} इस प्रकार ब्रह्मदाबाद-समन्तीता हर रूप से नगण्य हो गया। न मुगल दरबार ने और न शाहू ने उसे पुनः स्वीकृति प्रदान की। महाराजा की गुजरात में स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी।

त्र्यम्बकराव दामाडे की मृत्यु के बाद शाहू ने उसके पुत्र यशवतराव को सेनापति की पदवी से विभूषित किया। वह छल्लायु ही था अतः उसके प्रभाव क्षेत्र का कार्य-भार पीलाजी पर आ पड़ा। यद्यपि पीलाजी बाजीराव से हार चुका था तथापि उसने दामोई व बडोदा पर अपना अधिकार बनाये रखा।^{११०} उसे गुजरात की भील व कोहली जातियों का भी समर्थन प्राप्त था। मुगल सूबेदारों के अत्याचार और शोषण की नीति के कारण गुजरात के नागरिक, विशेषतः घादिवासी लोग सग आ चुके थे। महाराजा भी नये कर लगाकर धन-संग्रह कर रहा था।^{१११} अतः अन्ततः व घादिवासियों के सरदारों के रूप में पीलाजी का उत्थान अभयसिंह की स्थिति के लिए वास्तविक चुनौती था।

नयी परिवर्तित परिस्थितियों में उसने (महाराजा ने) भी नयी नीति अपनायी। उसने पीलाजी की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया।^{११२} परन्तु गायकवाड ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस पर महाराजा ने उसकी हत्या करने की योजना बनायी।^{११३} राठी सरदारों का एक दल, जिसमें ऊदा, लखधीर, पचोली रामानन्द और भडारी अजबसिंह थे, पीलाजी से चौपट व सरदेशमुखी तय करने डाकोर पहुँचा, जहाँ मराठा सरदार ठहरा हुआ था।^{११४} इस दल को युक्त आदेश दिये गये थे कि पीलाजी की हत्या के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ज्योंही अतिरिक्त लिखित सूचना प्राप्त होगी, २००० सैनिक अश्वारोही सहायता के लिए भेज दिये जाएंगे।^{११५} २३ मार्च, १७३२ को जब यह दस्ता डाकोर पहुँचा, तो ऊदा

लखवीर ने पीलाजी से विदा लेने हेतु उससे उसके महल में साक्षात्कार किया। वही उसी रात्रि को पीलाजी की हत्या कर दी गई।^{११६} मराठी सेना अस्त-व्यस्त होकर बिखर गयी।^{११७} पीलाजी की हत्या के बाद गुजरात में अभयसिंह का कार्य सरल हो गया। एक माह के भीतर उसने मराठों के २४ किले छीन लिये। अप्रैल, १७३२ में उसने बड़ोदा पर अधिकार कर लिया तथा दाभोई का घेरा डाल दिया।^{११८} परन्तु किले पर उसका शीघ्र अधिकार नहीं हो सका। उसकी स्थिति शोचनीय होने लगी। उसने दिल्ली स्थित अपने वकील को लिखा कि^{११९} बजीर से यह हुनम प्राप्त करे कि मूरत का फौजदार उसे बड़ी तोपें भेजे। वह वर्षा प्रारम्भ होने से पहले ही दाभोई पर अधिकार कर लेना चाहता था। वर्षा के प्रारम्भ होने तक मुगल दरबार से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया।^{१२०} मुगल सहायता की कोई आशा न पाकर महाराजा ने वर्षा प्रारम्भ होते ही घेरा उठा लिया। बड़ोदा में शेरखा बाबी को फौजदार नियुक्त कर वह अहमदाबाद लौट आया।^{१२१} शीघ्र ही महाराजा को गुजरात में अथवा अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसका प्रभाव सेना पर पड़े बिना नहीं रह सका।^{१२२} सैनिक बकाया वेतन की माँग करने लगे।^{१२३}

मुगल सेना की अराजकतापूर्ण स्थिति और वर्षा ऋतु का लाभ उठाकर, मराठों ने अपनी बिखरी हुई शक्ति को पुनः सगठित करना शुरू किया। वे गुजरात के कई भागों से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने लगे। पीलाजी की तरह महाराजा ने कन्याजी कदम की भी हत्या कराने का प्रयास किया पर वह बच कर भाग निकला।^{१२४} पीलाजी के पुत्र दाभाजी गायकवाड ने गुजरात के पूर्वी भाग को लूटना शुरू किया। उसकी सेना १७३२ के अन्त तक मेवाड़ की सीमा पर भी आक्रमण करने लग गयी।^{१२५} १७३३ के प्रारम्भ में महारराव होस्कर और रानोजी सिधिया ने चम्पानेर और पावागढ पर अधिकार कर लिया।^{१२६} अश्वकराव सेनापति की पत्नी उमाबाई दामाडे ७०,००० की सेना लेकर अहमदाबाद की ओर चल पड़ी। फरवरी १७३३ में उसने अहमदाबाद का घेरा डाल दिया।^{१२७} महाराजा के लिए समर्पण के अलावा कोई रास्ता न था। अतः उसने दुर्गादास के पुत्र अभयकरण को प्रतिनिधि बनाकर उमाबाई के पास समझौते हेतु भेजा।^{१२८} उमाबाई की शर्तों के अनुसार महाराजा ने उसे न सिर्फ गुजरात की चौथ व सरदेशमुखी देने का विश्वास दिया बल्कि अहमदाबाद की आय से ८०,००० रु भी दिये।^{१२९}

शीघ्र ही इसके बाद उमाबाई ने बड़ोदा पर आक्रमण कर दिया और शेरखा बाबी को चौथ देने के लिए विवश किया।^{१३०} महाराजा की स्थिति अब अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी। गुजरात में उसकी नीति असफल रही। मराठों का प्रभाव बढ़ता ही गया। मुगल दरबार में उसकी प्रतिष्ठा कम होने लगी। उसके विरोधियों का प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक इसी समय बीकानेर के शासक ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया।^{१३१} महाराजा इस पर अपने डिप्टी रतनसिंह भडारी को

गुजरात का भार सौंपकर १७३३ के मध्य में गुजरात से जोधपुर चला गया।^{१२५} यद्यपि १७३३ से १७३७ तक अमर्यासिंह गुजरात का सूबेदार बना रहा, परन्तु वह पुनः अहमदाबाद कभी नहीं गया। सारा कार्य रतनसिंह भंडारी देखता रहा।^{१२६} १७३७ में मोमिनखा को गुजरात का सूबेदार बनाया गया, जिसने मई २६ को प्रबल विरोध के बाद रतनसिंह से सूबेदारी छीन ली।^{१२७}

मराठों के विरुद्ध संयुक्त राजपूत मोर्चा

मारवाड लौट आने के बाद शीघ्र ही महाराजा अमर्यासिंह को बीकानेर राज्य से युद्ध करना पड़ा।^{१२८} वर्षा समाप्ति के बाद उसे वजीर कमरुद्दीन का आदेश प्राप्त हुआ कि वह गुजरात वापिस लौट जाए, परन्तु बीकानेर के युद्ध को अधोचम छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था।^{१२९} १७३४ के प्रारम्भ में बीकानेर के साथ समझौता हो गया। उसने वजीर को सूचित किया^{१३०} कि वह अहमदाबाद या अजमेर जिस ओर भी मराठों का आतंक बढ़ने^{१३१} लगा है, जाने के लिए तैयार है। उसकी इच्छा थी कि उसे अजमेर का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाए।^{१३२} साथ ही उसने यह भी लिखा कि अजमेर की सुरक्षा हेतु उसे एक बड़ी सेना की आवश्यकता है अतः उसे २५,००० रुपये भेजे जाएँ।^{१३३} उसने वजीर को विश्वास दिलाया कि इसके बदले में वह अहमदाबाद में मुगल सुरक्षा हेतु १०,००० राठीय अश्वारोही शीघ्र ही भेजने को तैयार है।^{१३४}

इसी बीच उसे जयसिंह ने पत्र लिखा कि मराठों के विरुद्ध उसकी सहायतायें आएँ।^{१३५} १७३४ में मराठों का बूँदी में हस्तक्षेप अवश्यम्भावी हो गया। उस समय बूँदी का शासक दलेलसिंह जयसिंह की मदद से राज्य कर रहा था। वास्तविक शासक बुर्घसिंह गद्दीच्युत् कर दिया गया था। बुर्घसिंह की रानी ने मल्हारराव को पत्र लिखकर सहायता माँगी। मार्च, १७३४ में होल्कर और रानोजी सिंधिया ने बूँदी पर आक्रमण किया और बुर्घसिंह को पुनः गद्दी पर बिठाया।^{१३६}

राजस्थान में मराठों का यह प्रथम प्रवेश था। राजपूत शासकों में इसकी भयकर प्रतिक्रिया हुई। मराठों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा स्थापित करने के लिए जयसिंह ने राजपूत शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन हुरडा में जुलाई १७३४ में हुआ। अमर्यासिंह और उसका छोटा भाई बखतसिंह सम्मेलन में शामिल हुए। जो अन्य शासक सम्मिलित हुए उनमें मेवाड़, किशनगढ़, बीकानेर, कोटा और बरोली नरेश भी थे। १३ जुलाई, १७३४ को उन्होंने एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के अनुसार—

- १ अक्षी या बुरी सभी परिस्थितियों में सभी एक बने रहेंगे। युद्ध व शान्ति की शर्तों को सभी समान रूप से स्वीकार करेंगे।
- २ कोई भी एक शासक दूसरे शासक के विद्रोही को शरण नहीं देगा।

३. वर्षों के बाद सभी हस्ताक्षरी शासक अपनी सेना सहित रामपुरा में एकत्र होंगे। यदि किसी कारणवश शासक उपस्थित नहीं हो सके तो वह या तो अपने युवराज को नियुक्त करें या किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति को भेजें।
४. यदि किसी कारणवश युवराज या प्रभावशाली व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो सिर्फ राणाजी ही उसे हस्तक्षेप करके ठीक कर सकेंगे।
५. मराठों के विरुद्ध जो कोई भी अभियान होगा उसमें सभी संगठित रहेंगे और सभी एक होकर उसे कार्यान्वित करेंगे।^{१३७}

हुरडा में किये गये निर्णयों की सूचना वजीर व बख्शी को दे दी गयी कि राजपूत शासक मराठों को नर्मदा नदी के उस पार रखने के लिए संयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं। वजीर ने शासकों को विश्वास दिलाया कि उन्हें मुगल सहायता दी जाएगी।^{१३८} वर्षों समाप्त होते ही मराठों का आतंक बढ़ने लगा। उनकी प्रगति को रोकने के लिए वजीर ने नवम्बर १७३४ में दो सेनाएँ भेजी। पहली सेना उसके स्वयं के नेतृत्व में चली, जो दक्षिण-पूर्वी भागों से मराठों को दूर करने के लिए थी, दूसरी सेना का उत्तरदायित्व बख्शी खानेदोराँ को दिया गया, जो राजस्थान की ओर चल पडा। मार्ग में उससे जयसिंह, अमर्यासिंह और कोटा के दुर्जनसाल भी मिले। सेना की संख्या करीब ५०,००० सैनिकों से ऊपर हो गयी थी। फरवरी १७३५ के प्रारम्भ में राजपूत शासकों और मुगल बख्शी की सेना रामपुरा पहुँची। होल्कर और सिधिया रामपुरा के आस-पास दिखाई दिये। अतः संयुक्त मोर्चे की सेना ने उन्हें वही परास्त करने का निश्चय किया। मल्हारराव व रानोजी ने एक पुरानी युक्ति से काम लिया। उन्होंने राजपूत सेना को पहुँचने वाली रसद पर रुकावटें डालनी शुरू की। आठ दिन तक इन दोनों मराठी नेताओं ने राजपूतों और बख्शी को तंग किये रखा। फिर अचानक इस धेरे को हटाकर मुगल सेना के पीछे के भाग को लूटते हुए वे मुकन्दरा दर्रे की ओर चल पडे, जहाँ से निष्कण्ठक जयपुर की सीमा में प्रवेश कर गये।^{१३९} २८ फरवरी को उन्होंने साँभर को लूटा, जहाँ उन्हें पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई।^{१४०} जब मराठों ने जयपुर की ओर बढ़ना शुरू किया तो जयसिंह संयुक्त मोर्चे से, जो कि प्रभावहीन हो गया था,^{१४१} हट गया और गुप्त रूप से उसने और खानेदोराँ ने मराठों से समझौते की बातें प्रारम्भ कर दी। इन्होंने मालवा की चौख के रूप में बाईस लाख रुपये सालाना देकर जयपुर से, मराठों के आतंक को हटाने में सफलता प्राप्त की।^{१४२}

मुगल दरबार में मराठा विरोधी गुट और अमर्यासिंह

जयसिंह और खानेदोराँ की मराठों को सन्तुष्ट करने की नीति से अमर्यासिंह अत्यंत खुश हुआ। यद्यपि सिद्धान्ततः हुरडा सम्मेलन के निर्णयों से वह सन्तुष्ट नहीं था, तथापि रामपुरा में कराग्रे हार के बाद वह मराठों के प्रति कठोर नीति का समर्थक बन गया। पृथक रूप से जयसिंह ने मराठों से जो समझौता किया था, वह

समुक्त राजपूत मोर्चे के प्रति विश्वासघात था। इससे समुक्त मोर्चा विघटित हो गया। अमर्यासिंह कूटनीति और रणनीति दोनों में कछवाह शासक से पिछड़ गया था।

रामपुरा के युद्ध के बाद वह दिल्ली पहुँचा। मराठों के प्रति क्या नीति अपनानी चाहिए इस सम्बन्ध में मुगल दरबार में दो गुट बन चुके थे। एक गुट मराठों को प्रसन्न बनाये रखने के पक्ष में था। उसका नेतृत्व खानेदौरा व जयसिंह कर रहे थे। दूसरा गुट वजीर कमरुद्दीन का था, जो मराठों के विरुद्ध कठोर सैनिक कार्यवाही करना चाहता था। महाराजा अमर्यासिंह ने वजीर के गुट में शामिल होने का हृदय निश्चय किया।^{१४३} १७३१ से ही अमर्यासिंह और वजीर के बीच मन-मुटाव चला आ रहा था। गुजरात में निजाम तथा मराठों के विरुद्ध वजीर ने उसे कोई सहायता नहीं भेजी थी, जिससे उसे युद्ध में न सिर्फ हार ही खानी पड़ी थी बल्कि गुजरात से उसे पलायन भी करना पड़ा था। मुगल बादशाह मुहम्मदशाह भी मराठों के विरुद्ध कठोर नीति अपनाना चाहता था। अतः उसने वजीर और अमर्यासिंह के बीच समझौता करा दिया। शीघ्र ही योजना बनायी गयी। बादशाह स्वयं सेना का नेतृत्व करने के लिए उद्यत हुआ। इसके अलावा यह निश्चय किया गया कि मराठों के विरुद्ध एक सेना, जिसमें वजीर, अमर्यासिंह और शहादतखा हो, ग्वालियर होती हुई दक्षिण की ओर प्रमाण करे। दूसरी सेना जयसिंह और खानेदौरा के नेतृत्व में जयपुर होती हुई दक्षिण की ओर बढ़े।^{१४४} जयसिंह ने मुगल दरबार में यह विचार व्यक्त किया था कि मराठों से सफलतापूर्वक लड़ना असंभव है, अतः समझौते की नीति अपनानी चाहिए, परन्तु बादशाह व मुगल दरबार ने उसे अस्वीकार कर दिया।^{१४५}

जयसिंह अपनी नीति पर दृढ़ रहा। उसने युद्ध की तैयारियों में रोड़े अटकाने शुरू किये और युद्ध के लिए प्रयाण करने में आनाकानी करने लगा। इस पर उसे हुक्म दिया गया कि यदि वह सैनिक अभियान में नहीं गया तो उसे दंड का भागी बनना पड़ेगा।^{१४६} जयसिंह के लिए यह असहनीय था। उसने पेशवा से गुप्त सम्पर्क कर उसे राजस्थान आने का निमन्त्रण दिया। उसने यह विश्वास दिलाया कि यह न सिर्फ राजस्थान अभियान का खर्चा ही देगा बल्कि मालवा की चौप वसूल करने का शाही फरमान भी दिलवा देगा।^{१४७}

अक्टूबर १७३५ में बाजीराव उत्तर के लिए चल पड़ा और जयसिंह से धम्मोला के स्थान पर १४ मार्च, १७३६ को मिला।^{१४८} उन दोनों के बीच कई दिन तक वार्ताएँ चली। जयसिंह की राय पर उसने मारवाड पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जो वह मारवाड के शासक से नाराज भी था। १७३५ में उसने अपनी श्रृंखला-भुक्ति के लिए अमर्यासिंह से चौप की बकाया राशि माँगी थी किन्तु महाराजा ने वचन देकर भी उसका भुगतान नहीं किया।^{१४९} अतः उसने महारराव होल्कर, रानोजी सिधिया, कन्याजी और आनदराव पेंवार को मारवाड के शासक से धन की वसूली के आदेश दिये।^{१५०}

महाराज राव और रानोजी शाहपुरा को सूटते हुए मेहता की धोर बड़े। बूंदी का राजा प्रतापसिंह ^{१५१} भी उनके साथ था। दिल्ली में महाराजा को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो उसने अपने सेनाध्यक्ष भठारी विजयराव को आदेश दिया कि वह मारवाड में मराठों के आक्रमण का दृढ़तापूर्वक सामना करे। मेहता ने राठोड़ सैनिक एकत्र हुए। शाहपुरा का शासक उम्मेदसिंह सीसोदिया अपनी चार हजार सैनिकों की फौज के साथ उनसे जा मिलता। प्रारम्भ में होल्कर व सिधिया ने प्रतापसिंह हाडा को धन की दसूसी के लिए भठारी के पास भेजा, परन्तु भठारी और उम्मेदसिंह ने, 'जिसने भी बातों में भाग लिया था प्रतापसिंह के आदेशों को पालन करते हुए धन राशि देने से इनकार कर दिया। इस पर मराठों ने मेहता नगर पर अधिकार कर लिया तथा किले का घेरा डाल दिया। किले के चारों ओर खाई खोदकर वे दीवारों की ओर बढ़ने लगे। किले से राठोड़ों का तोपखाना लगातार अग्नि वर्षा करता रहा। शत्रु को भयकर हानि होन लगी तथा युद्ध की प्रगति रुक गयी। कुछ समय तक ऐसा प्रतीत हुआ कि मराठे भाग जाएंगे। परन्तु दो माह तक लगातार घेरे के कारण राठोड़ों की शक्ति क्षीण हो गयी। अग्रेल, १७३६ के प्रारम्भ में भठारी ने आत्मसमर्पण कर दिया। वह मुआवजा देने को तैयार हो गया। मेहता विजय के बाद होल्कर और सिधिया नागौर की ओर बड़े। वहाँ के शासक बख्तसिंह को चौध देने को मजबूर किया। इसके बाद अजमेर होते हुए अग्रेल के अन्त में वे पेशवा से जा मिले। ^{१५२}

बम्बोला में जयसिंह ने बाजीराव को यह विश्वास दिलाया कि वह मुगल बादशाह से उसे मालवा की चौध-बमूली का फरमान प्राप्त करा देगा पर वह पूरा नहीं हो सका। ^{१५३} दिल्ली स्थित अपने प्रतिनिधि बाजी भीरराव से पेशवा को यह सूचना प्राप्त हुई कि मुगल दरबार में जब तक कमरुद्दीनखाना, रोशनउद्दोला, शहादतखाना और अमर्यासिंह का प्रभाव रहेगा तब तक उसे अपने अधिकारों के लिए कोई फरमान प्राप्त नहीं हो सकेगा। ^{१५४} इस पर पेशवा ने यह निश्चय किया कि जब तक पेशवा विरोधी गुट का विघटन नहीं कराया जाता या युद्ध क्षेत्र में उसकी पराजय नहीं होती तब तक मालवा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर उसके अधिकार को प्राणा घूमित रहेगी। अतः उसने अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए दबाव की नीति अपनायी। दोमाव पर आक्रमण करने के लिए १२ नवम्बर, सन् १७३६ को वह दक्षिण से चल पड़ा। ^{१५५}

मराठा आक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली में बड़ी तैयारियाँ की जाने लगी। वजीर व मीर बख्शी के नेतृत्व में सुसज्जित सेना का संगठन किया गया। मुगल सूबेदारी और राजपूत शासकों को सेना सहित आने के लिए फरमान भेजे गये। अमर्यासिंह को, जो उस समय भोजपाद में था, आगरे की तरफ बढ़ने के आदेश दिये गये। वहाँ से मुगल सेना संगठित होकर मराठों के विरुद्ध प्रमाण करने वाली थी। ^{१५६} अमर्यासिंह १० से १५ हजार सैनिकों सहित राजधानी के आस-पास बना

रहा । १५० पेशवा ने २८ मार्च, १७३७ को दिल्ली पर घातमण किया । ३ दिन तक दिल्ली लूटी गयी फिर वह वहाँ से चला गया । १५० इस घचानक घातमण से पेशवा को कोई महत्त्वपूर्ण लाभ पहुँचा ही ऐसा प्रतीत नहीं होता । जब दिल्ली से मराठी घातक समाप्त हो गया तो भ्रमरसिंह ने बादशाह से छुट्टी प्राप्त की और वह मद्रास में जोधपुर चला गया । १५६

बादशाह का फरमान पाकर मुगल सूबेदार अपनी सेना सहित आगरे की ओर बढ़ने लगे । निजाम दक्षिण से चला परन्तु मार्ग में भोपाल के पास दिसम्बर १७३७ में उसे बाजीराव ने बुरी तरह से हराया । इस विजय के बाद पेशवा राजस्थान के राज्यों पर हमले करने लगा । १५० एक बार पुनः मराठों के विरुद्ध शाही सेना संगठित करने का प्रयास किया गया । राजपूत शासकों को सम्मिलित होने के फरमान भेजे गये । १५१ परन्तु १७३७-१७४२ तक भ्रमरसिंह ने मराठों के विरुद्ध किसी भी अभियान में भाग लिया ही ऐसा प्रतीत नहीं होता । पेशवा के दिल्ली-घातमण से भ्रमरसिंह की प्रतिष्ठा को घातक लगा था । इसका लाभ उसके विरोधी महाराजा जयसिंह ने उठाया । जब नागौर के बलरामसिंह ने अपने भाई के विरुद्ध अक्टूबर १७४० में विद्रोह किया तो जयसिंह को मारवाड़ पर घातमण करने का सुप्रवसर प्राप्त हो गया । १५२ १७४१ में उसने नये पेशवा बालाजी बाजीराव को राजस्थान में आने का पुनः निमन्त्रण दिया । पेशवा जयसिंह से घोलपुर में मई १७४१ में मिला । १५३ दोनों ने आपसी शत्रुओं के विरुद्ध पारस्परिक सहायता का समझौता किया । १५४ भ्रमरसिंह को जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो उसने अपने भाई से समझौता कर लिया । १५५ जयसिंह ने इस पर भ्रमरसिंह के एक अन्य भाई रतनसिंह को जो कंद में था, १५६ जोधपुर के शासक के रूप में मान्यता दे दी । १५७ जयसिंह के आक्रमण ने भ्रमरसिंह-और बलरामसिंह को एक कर दिया । बलरामसिंह के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना ने २८ मई, १७४१ को गगवाना के स्थान पर जयसिंह को बुरी तरह परास्त किया । १५८ इस पर जयसिंह ने १७४२ में एक संधि की, जिसके अनुसार उसने न सिर्फ रतनसिंह का समर्थन छोड़ दिया बल्कि भविष्य में मारवाड़ के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का विश्वास भी दिलाया । १५९

१७३६ में राठीडों ने मराठों को धीय देने की शर्तें स्वीकार कर ली थी । होल्कर व सिधिया द्वारा पेशवा को १३ मार्च, १७४२ को लिखे गये पत्र से प्रतीत होता है कि भ्रमरसिंह इस घन-राशि को लगातार नहीं दे सका । पेशवा ने मार्च, १७४२ में होल्कर और सिधिया को बकाया घन-राशि वसूल करने हेतु मारवाड़ भेजा । उनके पत्र के अनुसार घनराशि एकत्र होने की संभावना नहीं थी । सोजत, रायपुर और जैतारण क्षेत्र से होल्कर व सिधिया को वसूली करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । वे सिर्फ १००,२०० रुपये ही प्राप्त कर सके । जनता ने मराठों का विरोध किया । ज्योंही मराठे आते, लोग अपनी भौंरडियों में आग लगा देते और पहाड़ियों की ओर भाग जाते । भ्रमरसिंह ने भी कोई घनराशि नहीं दी, अतः होल्कर ने पेशवा

को लिखा कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पहले ही कुछ बठोर कदम उठाये जाने चाहिए, जिससे कि पर्याप्त धन-राशि एकत्र की जा सके ।^{१७०}

अभयसिंह होल्कर समझौता १७४८ ई०

त्रयपिह की ओर से मुक्त होकर अभयसिंह ने अपनी व्यवस्था को पुनः सगठित करने का विचार किया परन्तु शीघ्र ही उसे बखतसिंह की ओर से खतरा पैदा होने लगा । इन दोनों के आपसी सम्बन्ध बिगड़ने लगे ।^{१७१} एक बार पुनः मारवाड में गृह युद्ध के बादल मड़राने लगे । बखतसिंह, शाहजादा अहमदशाह का परम मित्र था, अतः जब अग्रेल, १७४८ में बादशाह मोहम्मदशाह की मृत्यु के पश्चात् अहमदशाह मुगल शासक बना तो बखतसिंह की शक्ति में वृद्धि हो गयी । अहमदशाह ने उसे गुजरात व अजमेर का सूबेदार बना दिया ।^{१७२} इसके अलावा उसे नारनोल, डोडवाना और सांभर क क्षेत्र भी शाही परमान द्वारा प्राप्त हो गये ।^{१७३} बादशाह की गद्दी नशीनी के जलसे के बाद दिल्ली से लौटने हुए उसने सांभर पर अधिकार कर लिया ।^{१७४} अभयसिंह को उस समय खतरा होने लगा जब बखतसिंह ने बीकानेर के शासक गजसिंह से मित्रता करने के लिए अपने पुत्र को भेजा ।^{१७५} उसको लगा कि उसका भाई अत्यन्त महत्वाकांक्षी है और वह उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र के जोधपुर की गद्दी पर बैठने के मार्ग में विकट समस्या बन जाएगा । अतः बखतसिंह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उसने होल्कर से मित्रता करने की बात सोची । उस समय होल्कर बूंदी में था । राठौड़ शासक का प्रतिनिधि मनरूपचन्द भण्डारी होल्कर से बातचीत करने बूंदी गया ।^{१७६} बूंदी के शासक उम्मेदसिंह की मध्यस्थता से एक समझौता हो गया जिसके अनुसार होल्कर को ग्यारह हजार रुपया प्रतिदिन की शर्त पर राठौड़ों की सहायता करना था ।^{१७७}

अगस्त १७४८ के प्रारम्भ में होल्कर सांभर की ओर बढ़ा, जहाँ बखतसिंह ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रखी थी ।^{१७८} परन्तु अचानक जयपुर के राजनैतिक सक्त^{१७९} ने होल्कर का ध्यान सांभर से हटा लिया । उसने दोनों भाइयों के बीच मध्यस्थता कर आपस में समझौता करा दिया ।^{१८०} शीघ्र ही होल्कर जयपुर के ईश्वरीसिंह के विरुद्ध चला । उसके साथ मनरूपचन्द भण्डारी के नेतृत्व में राठौड़ फौज भी थी ।^{१८१} मराठा व राठौड़ फौजों ने अगस्त १७४८ में बगरू के स्थान पर ईश्वरीसिंह को बुरी तरह हराया ।^{१८२} इस विजय के बाद होल्कर पुष्कर आया और वहाँ महाराजा अभयसिंह से मिला ।^{१८३} दोनों ने अपनी पगडी बदलकर भाई-चारा स्थापित किया और एक ही साथ बैठकर खाना खाया ।^{१८४} बाद का इतिहास बताता है कि मारवाड के शासकों और होल्कर परिवार के भावी सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बन रहे ।

अभयसिंह के अन्तिम दिन बड़ी चिन्ता में बीते । बखतसिंह से समझौता हो चुका था,^{१८५} परन्तु वह असन्तुष्ट ही बना रहा । महाराजा जानता था कि उसका पुत्र रामसिंह इस योग्य नहीं था कि वह राठौड़ों का नेतृत्व कर सके ।^{१८६} इसी चिन्ता में एक लम्बी बीमारी के बाद १६ जून, १७४९ को अजमेर में उसका स्वर्गवास हो गया ।^{१८७}

सन्दर्भ

- १ मन्तव्य उक्त त्रिमास २, पृ० ६७४, अभ्युदय सर्ग ६, दो० ११-१२, उक्त 'राज-राजेश्वर'की पदवी दी गयी और ७००० जात/७००० सवार का मनसब दिया गया ।
- २ अमरसिंह का अमरवरण को पत्र, मार्गशीर्ष बदी ७, वि० स० १७८१/२७ अक्टूबर १७२४ एव माघाढ सुदी ११, वि०स० १७८१/६ जुलाई १७२५ जोष०
- ३ अजितोदय, सर्ग ३२, दो० २-३, जयसिंह का शिवदास को परवाना (झापट), मार्गशीर्ष बदी ७, वि० स० १७८१ २७ अक्टूबर १७२४ जय० ।
- ४ जयसिंह का शिवदास को परवाना मार्गशीर्ष बदी ७, वि० स० १७८१/२७ अक्टूबर १७२४ जय०
- ५ उपर्युक्त
- ६ जयसिंह का महाराणा उदयपुर को खरीता (झापट), मार्गशीर्ष बदी ८, वि०स० १७८१/१३ नवम्बर १७२४ जय०
- ७ उपर्युक्त
- ८ मारवाड की ख्यात २, पृ० १२५
- ९ अमरसिंह का जयसिंह को खरीता, चैत्र सुदी १०, वि० स० १७८२/३१ मार्च, १७२५ जय०
- १० मारवाड की ख्यात २, पृ० १२५
- ११ अमरसिंह का जयसिंह को खरीता, चैत्र सुदी १०, वि० स० १७८२/३१ मार्च १७२५ जय०
- १२ बख्तसिंह का पचोली बालकृष्ण को पत्र, भावण बदी ८, वि० स० १७८६/७ जुलाई १७२६ जोष० । इस पत्र के अनुसार बख्तसिंह ने नागौर पर अपना एकाधिपत्य ३० जून १७२६ को किया । टॉड लिखता है कि बख्तसिंह ने नागौर के शासन अमरसिंह के पत्र इन्द्रसिंह, पर आक्रमण कर उससे नागौर छीन लिया । (ग्रन्थ २, पृ० १०३७) । मारवाड की ख्यात के अनुसार बादशाह मोहम्मदशाह ने अमरसिंह को जुलाई, १७२४ में नागौर का शासन सौंपा, (भाग २, पृ० १२६)
१३. पृ० ८० का (१०) ?

- १४ जयसिंह का अभयसिंह को खरीता, कार्तिक सुदी ४, वि० स० १७८२/
२० अक्टूबर १७२५ जोष० ।
- १५ उपयुक्त आश्विन सुदी ४, वि० स० १७८२/२६ सितम्बर १७२५
जय० ।
- १६ उपयुक्त
- १७ उपयुक्त, जयसिंह ने अभयसिंह को सलाह दी कि ईडर महाराणा
को दे दिया जाए । इसके बदले मे महाराणा से क्षतिपूर्ति ले ली जाए ।
अभयसिंह ने इस सलाह को उस समय नही माना ।
१८. उपयुक्त
- १९ जयसिंह का अभयसिंह को खरीता मार्गशीर्ष वदी २ वि० स० १७८२/
२५ नवम्बर १७२५ जय०
- २० उपयुक्त, मार्गशीर्ष वदी ८, वि० स० १७८२/२ दिसम्बर १७२५
जय० ।
- २१ उपयुक्त, बादशाह ने शाही दरबार मे अमरसिंह राठोड के पौत्र
इन्द्रसिंह को उपस्थित रहने का आदेश दिया जिससे कि नागौर उसे
सौंप दिया जाए । शाही दरबार मे यह विचार भी व्यक्त किया गया
कि आनन्दसिंह को मारवाड का शासक बना दिया जाए ।
- २२ जयसिंह का अभयसिंह को खरीता, मार्गशीर्ष वदी ३, वि० स० १७८२/
२६ नवम्बर १७२५ जय०
- २३ उपयुक्त, पौष वदी १२, वि० स० १७८२/२० दिसम्बर १७२५ जय०
- २४ उपयुक्त, पौष सुदी ११, वि० स० १७८२/३ जनवरी १७२६ जय०
- २५ अभयसिंह का जयसिंह को खरीता, चैत्र वदी ३, वि० स० १७८२/६
मार्च १७२६ जय०
- २६ उपयुक्त चैत्र सुदी १०, वि० स० १७८२/३१ मार्च, १७२६ जय०
- २७ जयसिंह का अभयसिंह को खरीता, आश्विन सुदी ४, वि० स० १७८२/
२६ सितम्बर, १७२५ जय० ।
- २८ उपयुक्त
- २९ अभयसिंह का जयसिंह को खरीता, आश्विन सुदी ६, वि० स० १७८३/
२३ सितम्बर, १७२६ जय० ।
- ३० उपयुक्त, चैत्र सुदी १०, वि० स० १७८२/३१ मार्च १७२६ जय०
- ३१ जयसिंह का अभयसिंह को खरीता, भाद्रपद वदी ११, वि० स० १७८३/
१२ अगस्त १७२६ व आश्विन सुदी ११, वि० स० १७८३ । ११
सितम्बर १७२६ जय० ।
३२. उपयुक्त, भाद्रपद वदी ४, वि० स० १७८३ । ६ अगस्त १७२६ जय० ।

- ३३ अभयसिंह का जयसिंह को खरीता, आपाठ बदी ७, वि० स० १७८३/३१ मई १७२७ (बीर-विनोद भाग २, पृ० ६६६ में उल्लेख)
३४. १७२६ में मराठों ने मेवाड की सीमा पर पुनः आक्रमण करना शुरू कर दिया था ।
३५. जयसिंह का अभयसिंह को खरीता, आश्विन बदी ३, वि० स० १७८३/३ सितम्बर १७२६, जयसिंह का महाराणा को खरीता, कार्तिक बदी ४, वि० स० १७८३/४ अक्टूबर १७२६ जय० ।
- ३६ महाराणा सग्रामसिंह का अभयसिंह को खरीता, श्रावण बदी ३, वि० स० १७८४ । २५ जून, १७२७ (पो० फो० न० ३, फाइल न० २, जोध०)
- ३७ अभयसिंह का जयसिंह को खरीता, श्रावण बदी ४, वि० स० १७८४ । २६ जून १७२७ जय०
- ३८ उपर्युक्त
- ३९ सग्रामसिंह का अभयसिंह को खरीता, कार्तिक बदी २, वि० स० १७८४ । २१ सितम्बर १७२७ (पो० फो० न० ३ फाइल न० २, जोध०)
- ४० अभयसिंह का महाराणा उदयपुर को खरीता, भाद्रपद बदी २, वि० स० १७८५ । १० अगस्त १७२८ उद०)
- ४१ मारवाड की ख्यात २, पृ० १३१
- ४२-४३-४४ उपर्युक्त ।
- ४५ अभयसिंह का महाराणा उदयपुर को खरीता, भाद्रपद, बदी २, वि० स० १७८५ । १० अगस्त १७२८, जयसिंह का सग्रामसिंह को खरीता, भाद्रपद बदी १३, वि० स० १७८५ । २२ अगस्त १७२८ उद० ।
- ४६ वे० द० का० (३०) ३१२
- ४७ उपर्युक्त (१५) ८६
४८. अभयसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, कार्तिक सुदी १२, वि० स० १७८७ । १० नवम्बर १७३० जोध०, राजरूपक, प्रकाश ४२, पृ० ६५६ दोहा ८०, पृ० ६६६, दोहा २३८, सियर १, पृ० २५४
- ४९ अभयसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, कार्तिक बदी २, वि० स० १७८७ । १६ अक्टूबर १७३० जोध० । राजरूपक प्रकाश ४४ पृ० ७०७-८११ दोहा १-४७०, सियर (१) पृ० २५४-२५५
- ५० उपर्युक्त
- ५१ मीरात ए-अहमदी भाग २, पृ० १३१
- ५२ अभयसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, कार्तिक बदी २, वि० स० १७८७ । १० नवम्बर १७३० जोध०
- ५३ से ५६ उपर्युक्त (४० लाख रुपये तो सेना के ही बकाया थे ।)

६१. उपयुक्त (१०) ७३
६२. उपयुक्त (१०) ६७ (१२) ४२
६३. अमरसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, माघ बदी ८, वि० सं० १७८७ ।
१७ जनवरी १७३१ जोध० ।
६४. उपयुक्त, चैत्र सुदी १४, वि० सं० १७८७ । १० अप्रैल १७३१ जोध०
६५. उपयुक्त, कार्तिक सुदी १२, वि० सं० १७८७ । १० नवम्बर १७३० एवं
माघ बदी ८, वि० सं० १७८७ । १७ जनवरी १७३१ जोध० ।
६६. उपयुक्त, कार्तिक सुदी १२, वि० सं० १७८७ । १० नवम्बर १७३० जोध०
- ६७ उपयुक्त एव पत्र माघ बदी ८, वि० सं० १७८७ । १७ जनवरी १७३१
जोध० ।
- ६८ उपयुक्त, चैत्र सुदी १४, वि० सं० १७८७ । १० अप्रैल १७३१ जोध०
सघर्ष का विस्तृत वर्णन देखिए मीरात-ए-अहमदी (२) पृ० १४५-१६६
- ६९ उपयुक्त, कार्तिक सुदी १२, वि० सं० १७८७ । १० नवम्बर १७३०
जोध० । सघर्ष का विस्तृत वर्णन देखिए मीरात-ए-अहमदी (२) पृ०
१४५-१६६
- ७० राजवाड़े (२) पृ० २८
- ७१ पे० द० का० (३०) ३१२, सोनगढ खानदेश के पश्चिम में है ।
७२. उपयुक्त (१३) २
७३. उपयुक्त (१०) १
७४. मीरात-ए-अहमदी (२) पृ० ६२-६३
७५. पे० द० का० (१५) ८६
७६. आनन्दसिंह ने भराठों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर उनसे मारवाड़
में अपनी स्थिति की सुरक्षा हेतु सहायता चाही थी । अमरसिंह का जयसिंह
को खरीता, चैत्र सुदी १०, वि० सं० १७८२ । ३१ मार्च १७२६ जय०
- ७७ अमरसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, कार्तिक सुदी १२, वि० सं०
१७८७ । १० नवम्बर १७३० जोध०
- ७८ अजितोदय सर्ग (२२) (२३) दोहा—१-३५, मारवाड़ की स्थापना (१) पृ० १४२
७९. बलरामसिंह का पत्र, आश्विन बदी १३, वि० सं० १७८४ । १७ सितम्बर
१७२७, जोध०
- ८० पे० द० का० (नयी सिरीज) (१) ६
८१. अमरसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, कार्तिक सुदी १२, वि० सं० १७८७
१० नवम्बर १७३० जोध० ।
८२. मारवाड़ (२) पृ० १३६
८३. अमरसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, चैत्र सुदी १४ वि० सं० १७८७ ।
१० अप्रैल १७३१, जोध०; डेनियल इन्म का हेनरी लाउयरर को पत्र, ७.

अप्रैल १७३१ स० ६७ (सूरत पंक्टरी डायरी ग्रन्थ ६१४), मीरात-ए-अहमदी (२) पृ० १३४-१३५, मारवाड ख्यात (२) १३६

८४. राजवाडे (२) पृ० ५६ इस समझौते के अनुसार सरखुलन्दखी ने अहमदाबाद की आय का ५ प्रतिशत और गुजरात (सूरत के अतिरिक्त) की सरदेशमुखी देने का वचन दिया था ।

८५ मारवाड री ख्यात (२) पृ० १३६

८६ अभयसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, चैत्र सुदी १४, वि० स० १७८७ । १० अप्रैल १७३१ जोध०

८७ उपयुक्त, राजवाडे (२) ६१, पे० द० का० (१२) ४६

८८ अभयसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, चैत्र सुदी १४ वि० स० १७८७ । १० अप्रैल १७३१, जोध० ।

८९ से ९२ उपयुक्त

९३ उपयुक्त (इसी दिनांक का दूसरा पत्र)

९४ उपयुक्त, ज्येष्ठ बुदी ६, वि० स० १७८७ । १८ मई १७३१ जोध०

९५ उपयुक्त, चैत्र सुदी १४, वि० स० १७८७ । १० अप्रैल १७३१, जोध०

९६-९९ उपयुक्त

१००. मीरात-ए-अहमदी (२) पृ० १३४-१३५

१०१ वाजोराव का महाराजा जयसिंह को पत्र, आषाढ बदी ७, वि० स० १७८८ । १५ जून १७३१ कपड-जय० ।

१०२ पं० द० का० (१२) ५४, ५५

१०३. अभयसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, चैत्र सुदी १४, वि० स० १७८७ । १० अप्रैल १७३१ जोध० ।

१०४ मीरात-ए-अहमदी (२) पृ० १३५-१४१, महाराजा ने जाली फरमानो, जाली सिक्को और धार्मिक भूमि पर राज्य के पुनः अधिकार की नीति अपनायी । एकत्र घन का काफी भाग जोधपुर भेजा गया । मारवाड री ख्यात के अनुसार गुजरात की तीन वर्ष की कुल आय, जो महाराजा को प्राप्त हुई थी, ८५, ३४,००० रुपये थी (ग्रन्थ २ पृ० १३८) राठोड दानेश्वर वशावली पृ० २६८, दोहा ३१

१०५ अभयसिंह का अमरसिंह को पत्र, चैत्र सुदी ११, वि० स० १७८८ । २६ मार्च १७३२, जोध०

१०६ उपयुक्त एव पत्र, वैशाख सुदी १३, वि० स० १७८८ । २६ अप्रैल १७३२, जोध० ।

१०७ उपयुक्त मारवाड री ख्यात (२) पृ० १४०

१०८ उपयुक्त

- १०६ उपयुक्त, डाकोर वेंणव व जैन मतावलम्बियों के लिए धार्मिक स्थान है, अतः पीलाजी की हत्या से हिन्दू भावनाओं को गहरी ठेस लगी ।
- ११० अभयसिंह का अमरसिंह भण्डारी को पत्र, वैशाख सुदी १३, वि० स० १७८८ । २६ अप्रैल १७३२, जोध०, महाराजा ने वजीर को सूचित किया कि इस अवसर पर उसने मराठा से ७०० से ८०० घाड़े और कुछ तोपें छीनी थी ।
- १११ उपयुक्त, ज्येष्ठ वदी २, वि० स० १७८८ । ३० अप्रैल १७३२ और पत्र दिनांक भाद्रपद वदी १, वि० स० १७८९ । २७ जुलाई १७३२ जोध०
- ११२ उपयुक्त, ज्येष्ठ वदी २, वि० स० १७८८ । ३० अप्रैल १७३२ एवं पत्र दिनांक आषाढ सुदी ११, वि० स० १७८८ । ७ जून १७३२ जोध०
- ११३ उपयुक्त, भाद्रपद वदी १, वि० स० १७८९ । २७ जुलाई १७३२—जोध० शाही दरवार को गुप्त स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हुई कि महाराजा को बडौदा से ३० लाख रुपये प्राप्त हुए । अनः महाराजा को कोई सहायता नहीं भेजी गयी ।
- ११४ मीरात-ए अहमदी (२) पृ० १४३-१४४
- ११५ अभयसिंह का भण्डारी अमरसिंह को पत्र, भाद्रपद वदी १, वि० स० १७८९ । २७ जुलाई १७३२ जोध० । गेहूँ का भाव एक रुपये का एक सेर था । घास मिला नहीं पा रही थी । सैनिक व घोड़े आम के पत्तों खाने लगे थे, जिससे कई सौ अच्छे घोड़े मर गये ।
- ११६ उपयुक्त, बकाया वेतन की घन-राशि बरीव तीस लाख रुपये थी, महाराजा ने एक ताम्र रुपया ऋण लेकर शेरखा बाबी को भेजा था, जिससे कि वह बडौदा की रक्षा कर सके ।
- ११७ मारवाड की स्वात (२) पृ० १२९
- ११८ ग्राण्टडफ : मरहठों का इतिहास (प्र प्रेजी म) (१) पृ० ३८१
- ११९ पे० द० का० (१४) १
- १२० उपयुक्त, मीरात ए अहमदी (२) पृ० १५७-१५८, राठौड दानेश्वर वशावली पृ० २६६, दोहा ३७
- १२१ मारवाड की स्वात (२) पृ० १४१
- १२२ राजवाडे (२) पृ० ६४, मीरात ए-अहमदी (२) पृ० १६०-१६१, मारवाड की स्वात (२) पृ० १४१, इसके अनुसार महाराजा ने दो लाख रुपये देने का वचन दिया ।
- १२३ मीरात ए-अहमदी (२) पृ० ६१
- १२४ दयालदास की स्वात (२), ६१
- १२५ मीरात-ए अहमदी (२) पृ० १६२-१६३ मारवाड की स्वात (२) पृ० १४२-१४३

१२६. मीरात-ए-अहमदी (२) पृ० १६३-१६८, १७७-२३६ (रतनसिंह के कार्यों का विस्तृत वर्णन)
१२७. उपर्युक्त, पृ० १६५-२३६, मारवाड़ की ख्यात (२) पृ० १४६
१२८. दयालदास की ख्यात (२) ६१, मारवाड़ की ख्यात (२) पृ० १४६
१२९. अमर्यासिंह का अमरसिंह भडारी को पत्र, मार्गशीर्ष सुदी ७, वि० सं० १७६०-३० नवम्बर १७३३, जोध०
१३०. उपर्युक्त, दिनांक फाल्गुन सुदी १०, वि० सं० १७६० । ३ मार्च १७३४ जोध०
- १३१ से १३५ उपर्युक्त
१३६. वश भास्कर (४) पृ० ३१२६-३१२७, वि० सं० १७६०-१७६१, वस्ता न० ४७ भण्डार न० १, कोटा रिवाड़ राजस्थान अभिलेखागार, बीकानेर ।
१३७. टाड (१) पृ० ४८२-४८३ (फुट नोट), वश भास्कर (४) पृ० ३२२७-३२२८; राठोड दानेश्वर वंशावली, पृ० २६६-२७० दोहा ३६-४१, मारवाड़ की ख्यात (२) पृ० १४२-१४३; वीर-विनोद (२) पृ० १२१८-१२२१ हुरडा सम्मेलन की तिथि के बारे में, मैंने वीर-विनोद की तिथि को सही मानकर स्वीकार किया है । वश-भास्कर के अनुसार यह सम्मेलन कार्तिक सुदी (अक्टूबर) में हुआ था, टाड यह तिथि श्रावण सुदी १३ (१ अगस्त) लिखता है, मारवाड़ की ख्यात में सिर्फ वर्ष दिया हुआ है, माह और दिनांक नहीं है । समझते में 'वर्षा के बाद' मिलने का उल्लेख है । इससे स्पष्ट है कि सम्मेलन वर्षा के पहले हुआ था । राजस्थान में जुलाई के मध्य से सामान्यतः वर्षा शुरू होती है । टाड ने श्रावण सुदी लिखा है, सम्भवतः सुदी के स्थान पर 'वदी' हो, जो भूल से अंकित कर दी गयी हो । अतः वीर-विनोद की तिथि १३ जुलाई १७३४ ठीक प्रतीत होती है । टाड के 'वदि' से इसकी पुष्टि होती है ।
१३८. सिंघर (१) पृ० २६८-२६५, मारवाड़ की ख्यात (२) पृ० १४३
१३९. पे० द० का (१४) २१, २३, (३०) ३१२-३१८; सिंघर (१) पृ० २८६; वशभास्कर (४) पृ० ३२२७; धार स्थित मराठा वकील नारो शिवदेव के अनुसार इस सेना (मुगल-राजपूत समुक्त सेना) में दो लाख अश्वारोही और असंख्य पैदल थे । मारवाड़ की ख्यात (ग्रन्थ २) पृ० १४४ भी यही सख्या अंकित करता है परन्तु यह सख्या बहुत अधिक प्रतीत होती है । ऐतिहासिक चरित्रों (पन् ६८) में लिखी सख्या पचास हजार ठीक प्रतीत होती है ।
१४०. पे० द० का० (१४) २१-२३, सिंघर (१) पृ० २८६
१४१. हस्ताक्षरियों में आपसी मनमुटाव सम्मेलन समाप्त होते ही होने लग गये थे । जयसिंह ने मुगलों से माँग की कि उसे रणथम्भौर का किला दे दिया जाए । इस पर अमर्यासिंह ने गढ़ बीटली (अजमेर का तारागढ़) की माँग की ।

बादशाह ने इसे स्वीकार नहीं किया। राठीठ दानेश्वर वशावली, पृ० २७०, दोहा ४२-४४।

१४२. पे० द० का० (१४) २३-२७, (२२) २८४, हिंगणों दपनर (१) २, रस्तम अली, तारीख-ए-हिन्द (इलियट और डाऊसन : ग्रन्थ (८) पृ० ५०-५१
१४३. पे० द० का (१५) ८६, ९१, सियर (१) पृ० २८६, मारवाड की ख्यात (२) पृ० १४४, सतीशचन्द्र, पार्टीज एण्ड पोलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, पृ० २२३
१४४. पे० द० का० (१४) ३६
१४५. पे० द० का० (१५) ८६, ९१, मनीशचन्द्र - पार्टीज एण्ड पोलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, पृ० २२३, डा सतीशचन्द्र के अनुसार १७३५-१७३६ में मराठों के विरुद्ध कोई मुगल सैनिक अभियान नहीं हुआ (पृ० २४०)
१४६. पे० द० का (१४) ३६, जयसिंह की अप्रसन्नता का यह कारण भी था कि आगरा और मालवा की सूबेदारी उससे लेकर वजीर को दे दी गयी थी।
१४७. पे० द० का (१४) ४७, ५१
१४८. पे० द० का (३०) ३२२-३२४
१४९. पे० द० का० (२६) ३६
१५०. पे० द० का० (१३) ४६, मारवाड की ख्यात (२), पृ० १४५
१५१. १७३४ से ही होल्कर और प्रतापसिंह हाडा में मित्रता थी। उनकी वजह से ही वृधसिंह को मराठी सहायता प्राप्त हो सकी।
१५२. पे० द० का० (१४) १४ (इस पन्ना का सही दि १ अप्रैल १७३६ है), भीरात-ए-अहमदी (२) पृ० १६२-६३, इसके अनुसार महाराराव व कन्याजी भीममाल के मार्ग में मारवाड में प्रविष्ट हुए, तारीख ए-हिन्द (इलियट और डाऊसन, ग्रन्थ (८) पृ० ५२, मारवाड की ख्यात (२) पृ० १४५ १४६, इस ग्रन्थ के अनुसार होल्कर और सिधिया ने गुजरात की ओर से मारवाड में प्रवेश किया। इनके पास ५०,००० सेना थी। वे जालौर, सोजत, विलाहा को लूटते हुए पेशवा पहुँचे। एक अन्य मराठी दुकडी जोधपुर की ओर बढ़ी और रातानावा का क्षेत्र लूटा।
१५३. पे० द० का० (१४) ५४
१५४. उपर्युक्त (१५) ८६, ९१
१५५. उपर्युक्त (२२) ३४१, वश भास्कर (४) पृ० ३२४०, सतीशचन्द्र-पार्टीज एण्ड पोलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, पृ० २३०-२३१
१५६. पे० द० का० (३०) १६७, (१५) १७, १८, सियर (१) पृ० २६१-२६२
१५७. पे० द० का० (१५) १८

- १५८ पे० द० का० (१५) १७, ३७ (३०) १६८, २००, मियर (१) पृ० २६१-२६२
- १५९ पे० द० का० (१५) ३०, ५ अप्रैल को अभयसिंह जोधपुर में था (बाजीराव का जयपुर से चिमनाजी अण्णा को लिखा ५ अप्रैल १७३७ का पत्र) ।
१६०. पे० द० का० (१५) ६८, ६९
- १६१ उपर्युक्त ३३
१६२. पे० द० का० (नयी सीरीज) (१) ५६
- १६३ पे० द० का० (२१) २
- १६४ उपर्युक्त
- १६५ उपर्युक्त (नयी सीरीज) (१) ५६
- १६६ मारवाड की ख्यात (२) पृ० १५५-१५६
- १६७ उपर्युक्त
- १६८ राठौड दानेश्वर वशावली, पृ० २८३, दोहा ११६
- १६९ अभयसिंह का जयसिंह को खरीता, माघ सुदी २, वि० स० १७६८ ।
३० जनवरी १७४२, कपड जय०
- १७० पे० द० का० (२७) (इस पत्र का सही दिनांक १३ मार्च १७४२ है)
- १७१ जब अभयसिंह ने १७४३-१७४४ ई० में अजमेर पर आक्रमण किया तो बख्तसिंह उससे अलग हो गया । (मारवाड की ख्यात २, पृ० १५७) बीकानेर के उत्तराधिकार-युद्ध में दोनों भाइयों ने एक दूसरे के विरोधी प्रत्याशिया का साथ दिया (दयालदास की ख्यात) (२) (६६-७२), पे० द० का० (२) ।
- १७२ मीरात-ए-अहमदी (२) पृ० ३७६ ३७७, हिगणों दफतर (१) ३२, मारवाड की ख्यात (२), पृ० १६०
- १७३ मारवाड की ख्यात (२) पृ० १६०
- १७४ उपर्युक्त
१७५. उपर्युक्त, दयालदास की ख्यात (२) ७१-७२
- १७६ मारवाड की ख्यात (२) पृ० १६०
- १७७-१७८. उपर्युक्त
- १७९ जयसिंह की मृत्यु सितम्बर १७४३ में हुई । ईश्वरसिंह, जो कि जयसिंह का बड़ा पुत्र था, नया शासक बन गया । इस पर उसके सौतेले भाई माधोसिंह ने विद्रोह कर दिया । मई, १७४८ में बालाजी बाजीराव पेशवा ने निवाई नामक स्थान पर दोनों भाइयों के बीच समझौता करा दिया । बालाजी के प्रस्थान के शीघ्र बाद ही ईश्वरसिंह ने समझौते की शर्तों को भंग करना शुरू

किया। पेशवा ने होल्कर को माघोसिंह के पक्ष में शर्तें बनाये रखने हेतु जयपुर जाने का आदेश दिया।

- १८० दयालदाम री ख्यात (२) ७१-७२, मारवाड री ख्यात (२), पृ० १६०
- १८१ वण भास्कर (४), पृ० ३४८३-३५२७, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १६०
- १८२ पे० द० का० (२) १, मारवाड री ख्यात (२), पृ० १५६
- १८३ वणभास्कर (४) पृ० ३५३४ ३५४३, मारवाड री ख्यात (२), पृ० १५०-१६०
- १८४ उपर्युक्त मारवाड में मराठा प्रतिनिधि कृष्णाजी जगन्नाथ ने पेशवा को लिखा कि मल्हार राव और अभयसिंह घर्म भाई वन गये हैं (जोध० ये धील, ५)
- १८५ हिमणों दपतर (१) ३२, बखतसिंह-अभयसिंह की अन्तिम मुलाकात २६ दिसम्बर १७४८ को हुई।
- १८६ वण भास्कर (४) पृ० ३५८३-३५८४
- १८७ मारवाड री ख्यात (२), पृ० १६१

अध्याय ३

रामसिंह और बखतसिंह के बीच गृह युद्ध (१७४६-१७५२) और मराठा हस्तक्षेप

राम और बखत में वैमनस्य

१७४८ में बखतसिंह की शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। नये मुगल बादशाह अहमदशाह ने उसे गुजरात और अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया, जिससे वह उन क्षेत्रों में मराठों के प्रभाव को रोके।^१ अभयसिंह और बखतसिंह के बीच १७४० से ही मनोमालिन्य प्रारम्भ हो चुका था। बखतसिंह की महत्वाकांक्षा दिनों-दिन बढ़ रही थी। वह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करना चाहता था। होल्कर की सहायता से अभयसिंह ने अपने भाई की महत्वाकांक्षा को सीमित रखा परन्तु ज्योंही उसके भतीजे रामसिंह ने १३ जुलाई, १७४६ को गद्दी प्राप्त की, उसकी महत्वाकांक्षा पुन उग्र हो गयी।^२

मारवाड़ का नया शासक उस समय १६ वर्ष का था।^३ उसके बारे में उसके पिता का भी विश्वास था कि वह मारवाड़ का शासक बनने में असमर्थ रहेगा। वह अत्यंत लापरवाह, दुराचारी, दुश्चरित्र एवं विश्वासघाती था। ऐसे शासक के लिए यह असम्भव था कि वह अपने महत्वाकांक्षी चाचा के होते हुए शासन से शासन कर सके। इसके अलावा अभयसिंह के समय लगातार कभी मराठों से, कभी बीकानेर से और समय-समय पर जयपुर से युद्धों में उलझे रहने के कारण मारवाड़ की वित्तीय स्थिति अत्यंत कमजोर हो गयी थी।^४ इन परिस्थितियों में सामंती तत्वों की बन घायी। उनके आपसी द्वेष के कारण मारवाड़ का राजनैतिक वातावरण अशांत हो गया। यो रामसिंह सुसंस्कृत और अच्युत समझ का था परन्तु अपने अस्थिर, उग्र और उत्प्लुखन स्वभाव के कारण उसने मारवाड़ के सामन्तों को नाराज कर दिया था।

महाराज होल्कर ने रामसिंह को राठौड़ों के नये शासक के रूप में मान्यता देकर उसकी स्थिति को मजबूत बना दिया। राजतिलक के भवसर पर उसने एक हाथी और टीका भेजा,^५ पर बखतसिंह ने उसे शासक मानने से इन्कार कर दिया।^६ बीकानेर के शासक गजसिंह से मिलकर वह रामसिंह के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा।^७

गृह-युद्ध का नगाडा बज चुका था। राठौड़ सामन्त दो गुटों में विभाजित हो गये। कुछ सामन्त, जिनका नेतृत्व घाउवा के कुशालसिंह, घासोप के बनीराम और सीवसर के ठाकुर कर रहे थे—रामसिंह के स्वभाव व आचरण से प्रति खुबूध हो चुके थे। महाराजा ने छोटी जाति के लोगों, ग्रामिया नगारची, चन्दा-पाकर, सरफुद्दीन चूड़ीगर और खुदावस्त्र घसियारे को अपना सजाहकार बना लिया था। अतः उपयुक्त सामन्त नाभौर चले गये।^{१८} बख्तसिंह ने अपनी सीमा पर उनका स्वागत किया।^{१९} उन्हें अपनी सेवा में लेकर कई जागीरें प्रदान की।^{२०} बाकी रीया, कुचामन, घासनियावास, भाद्राजून आदि के अन्य जागीरदार महाराजा रामसिंह के भक्त बने रहे और उसके भण्डे के नीचे एकत्र हो गये।^{२१} रामसिंह ने अपने चाचा से जालौर का किला, जिसमें राज्य कोष सुरक्षित था, लेने की कोशिश की परन्तु वह सफल नहीं हो सका।^{२२}

बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप

दोनों दलों ने बाह्य शक्तियों की सहायता के लिए प्रयास करना प्रारम्भ किया। रामसिंह ने १७५० के प्रारम्भ में जयपुर के महाराजा ईश्वरसिंह से सहायता मांगी।^{२३} राजस्थान की राजनीति में यह एक नया मोड़ था। १७४१ में सवाई जयसिंह ने भ्रमरसिंह को गद्दी से हटाने और रतनसिंह को गद्दी पर बैठाने की कोशिश की थी, परन्तु मई १७४१ में गगवाना के युद्ध में जब वह हार गया तो उसे राठौड़ शासक के साथ समझौता करना पड़ा। १७४३ में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में, ईश्वरीसिंह और माघोसिंह के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ। भ्रमरसिंह ने महाराराय होन्कर में मिलकर माघोसिंह का माथ दिया। राठौड़ कछवाह वैमनस्य, जो परम्परा से चला आ रहा था, और तीव्र हो गया। अतः ईश्वरी सिंह ऐसे समय की खोज में था जबकि मारवाड़ में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हो। मई १७४८ में बख्तसिंह के विद्रोह के समय यह अवसर प्राप्त हुआ। परन्तु मराठों के साथ मयघं म गलान होने के कारण वह कुछ न कर सका। बगल के युद्ध के बाद उसके राज्य में अन्धायी शान्ति स्थापित हो गयी, परन्तु अन्तरिक्ष स्थितियों के कारण राज्य में पुनः अराजकता फैलन लगी।^{२४} अतः जब मारवाड़ के शासक रामसिंह की ओर से सहायता के लिए मदेश प्राप्त हुआ तो उनमें परम्परागत वैमनस्य की मित्रता में बदलेर एक-दूसरे की सहायता करने की नीति अपनायी।^{२५} जब यह सूचना बख्तसिंह की मिली तो उसने माघोसिंह को सहायता के लिए लिखा।^{२६} ईश्वरीसिंह की चानो में निष्क्रिय करने के लिए माघोसिंह न दामनसिंह को सूचित किया कि वह सहायता के लिए तैयार है।^{२७} इमरु घलावा दगतसिंह को मुगल सहयोग भी प्राप्त हो गया। बादशाह ने इस भर्त पर उसकी सहायता की कि वह अजमेर और आगरा के गूरो से मराठों को दूर रगन में उनकी मदद करेगा।^{२८} रामसिंह और बख्तसिंह ने जयपुर के प्रतिद्वन्दी तत्त्वों का सहयोग तो प्राप्त कर लिया था परन्तु यह

पर्याप्त नहीं था। अतः दोनों ने मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। माधोसिंह ने नवम्बर, १७४६ में बखतसिंह को सूचित किया कि वह उदयपुर के महाराणा से सैनिक सहायता लेकर और समभव हो सकेगा तो होल्कर के ५०००-६००० मराठा सैनिकों को लेकर उसकी सहायता को पहुँचेगा।^{१६} रामसिंह ने ईश्वरीसिंह से प्रार्थना की कि वे मराठा सहायता के लिए भी प्रयास करें।^{१७} जयपुर के शासक ने अपने दीवान केशोराय को, जो कि रायमल का पुत्र था, शाहू और पेशवा के पास भेजा।^{१८} पेशवा ने १५०० सैनिक रामसिंह की सहायता भेजे।^{१९} होल्कर ने रामसिंह के लिए अपने पुत्र के नेतृत्व में एक फौज भेजी।^{२०}

पीपाड-युद्ध (१४ से १६ अप्रैल १७५०) और उसके बाद

बखतसिंह को मुगलों की पूरी सहायता प्राप्त हुई। बखशी सलावतखाने ने एक बड़ी फौज लेकर दिल्ली से प्रस्थान किया। बखतसिंह उसकी अगुवाई करने के लिये नारनौल पहुँचा। फिर वे दोनों द्वाजमेर, मेड़ता होते हुए जाधपुर चले। पीपाड से ५ मील पूर्व उन्होंने अपना डेरा जमाया। इसी बीच रामसिंह, ईश्वरीसिंह और उनके मराठे सहयोगी ३०,००० सैनिक और एक बड़े भारी तोपखाने के साथ जोधपुर से रवाना होकर ४ अप्रैल, १७५० को पीपाड पहुँचे। अप्रैल माह में भयंकर गर्मी और अपर्याप्त जल के अभाव के कारण दोनों दलों की सेना परेशान होने लगी। मनावतखाने ने ईश्वरीसिंह के द्वारा रामसिंह और बखतसिंह के बीच समझौता कराने की पहल की। १० दिन तक वार्ताएँ चलती रहीं। परन्तु समझौता न हो सका। मराठे इस दौरान तटस्थ रहे। गर्मी की अधिकता, पानी की कमी और निष्क्रियता के कारण वे अत्यन्त परेशान थे। अतः बहुत-सी मराठा फौज वहाँ से प्रस्थान कर गयी। रामसिंह के कई जागीरदारों ने भी हल बदलने का क्रम प्रारम्भ किया। १४ अप्रैल से १६ अप्रैल तक अनियोजित युद्ध हुआ। अन्त में सलावतखाना और रामसिंह ने समझौता करने का निर्णय किया। १६ अप्रैल का शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर हो गये। इस संधि के अनुसार रामसिंह ने मुगल सम्राट को सात लाख रुपये देने का वचन दिया, जिसमें ३ लाख नकद और बाकी के ४ लाख ऋणों के अनुसार देने का तय किया। बखतसिंह को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।^{२१}

यह समझौता बखतसिंह को अमान्य था क्योंकि उसका किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अतः वह पीपाड से हटकर नागौर चला गया।^{२२} वहाँ जाकर रामसिंह के विरुद्ध युद्ध की पुनः तैयारियाँ करने लगा। ज्योंही बाह्य शक्तियाँ मारवाड से हट गयीं उसने रामसिंह पर आक्रमण कर दिया। २७ नवम्बर, १७५० को लूणियावास के स्थान पर चाचा और भतीजे के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ।^{२३} रामसिंह को अपनी राजधानी की ओर भागना पड़ा।^{२४} इस युद्ध के बाद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बखतसिंह को अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने लगीं। १२

दिसम्बर १७५० को जयपुर के शासक ईश्वरीसिंह ने आत्म-हत्या कर ली।^{२५} मल्हारराव होल्कर को सैनिक सहायता से माघोसिंह दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में जयपुर का शासक बन गया।^{२६} बखतसिंह ने माघोसिंह को याद दिलाया कि रामसिंह के विरुद्ध उसे मराठा सहायता प्राप्त होनी चाहिए।^{२७} इसके साथ ही उसने लिखा कि मल्हारराव पर, जो उस समय जयपुर में था, वह दबाव डाले कि रामसिंह को किसी प्रकार की सहायता न दे।^{२८} उक्त पत्र में इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह किसी प्रकार रामसिंह से समझौता करने को तैयार नहीं था अतः होल्कर इस प्रकार का प्रयास नहीं करने पाए।^{२९} उनकी इच्छा यही थी कि होल्कर उसकी (बखतसिंह की) सहायता न करे तो वह कम-से-कम तटस्थ तो बना ही रहे।^{३०}

रामसिंह ने भी होल्कर से सम्पर्क स्थापित किया। उसके पिता अमरसिंह के अन्तिम दिनों से ही होल्कर के साथ पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे। अतः अपने चाचा की विद्रोही प्रवृत्तियों को दवाने हेतु रामसिंह ने होल्कर से सहायता मांगी। उसने अपने प्रतिनिधि को जयपुर भेजा जिससे कि वह होल्कर को जोधपुर ला सके।^{३१} होल्कर के लिए दुविधा का समय था। एक ओर पारिवारिक सम्बन्ध, दूसरी ओर माघोसिंह का दबाव। अतः उसने तटस्थ रहने का वहाना किया।^{३२} इसी बीच मुगल राजनीति की दृष्टि से और आपसी संघर्ष के कारण होल्कर का ध्यान उधर चला गया। उसके पास वजीर सफदरजंग की ओर से सहायता के लिए संदेश आने लगे।^{३३} यह वहाना उचित मिला। होल्कर फरवरी १७५१ के प्रथम सप्ताह में जयपुर में मथुरा की ओर चल पड़ा।^{३४} इसका लाभ उठाकर बखतसिंह ने रामसिंह को भेदता के युद्ध में हराया और जोधपुर पर आक्रमण कर उस पर २१, जून १७५१ को अधिकार कर लिया।^{३५}

रामसिंह का यह दुर्भाग्य था कि एक अनुपयुक्त समय पर गृह युद्ध प्रारम्भ हुआ। जयपुर और दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों की ओर होल्कर का ध्यान बँटा हुआ था अतः वह अपने धर्म भाई के पुत्र को उचित सहायता नहीं दे सका। सितम्बर १७५० से फरवरी १७५१ तक के समय में पहले तो ईश्वरीसिंह ने मराठों को चुनौती देकर जयपुर में उनका हस्तक्षेप आमन्त्रित किया।^{३६} बाद में, उसकी मृत्यु के बाद माघोसिंह ने भी मराठा सैन्यबल मोन ले लिया। उसने दक्षिणी सिपाहियों को अपने नगर में आमन्त्रित कर उनकी हत्या करवा दी।^{३७} इसी बीच सद्देलखण्ड में वजीर सफदरजंग के सामने एक समस्या उठ खड़ी हुई और उसने होल्कर से सहायता मांगी।^{३८} इसने अलावा रामसिंह के प्रतिनिधि ने होल्कर को प्रसन्न बनाये रखने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। होल्कर भी जोधपुर के नये शासक से प्रसन्न नहीं था। राजतिलक के समय होल्कर का टीका लेकर उसका प्रतिनिधि जोधपुर पहुँचा तो नये शासक ने उचित व्यवहार नहीं किया, जिससे होल्कर क्षुब्ध हो

उठा।^{५२} धीरे-धीरे प्रभावशाली जागीरदार रामसिंह का साथ छोड़ने लग। इस परिवर्तन को भी होल्कर नगण्य नहीं मान सकता था। फिर भी वह रामसिंह से सम्बन्ध-विच्छेद के पक्ष में नहीं था। इसलिए पीपाड के युद्ध (१७४६) में उसने एक छोटी सी टुकड़ी रामसिंह की सहायता में भेजी थी।^{५३} परन्तु उसके बाद वह तटस्थ रहा। उसकी तटस्थता के कारण ही रामसिंह को बखतसिंह से हार खानी पड़ी और जोधपुर से भागना पड़ा। परन्तु बखतसिंह की विजय का श्रेय मराठा तटस्थता को ही नहीं बल्कि राज्य के बड़े जागीरदारों एवं मुगल दरबार के सहयोग को भी था।^{५४}

मराठा हस्तक्षेप (१७५१-१७५२)

जोधपुर हाथ में निकल जान के बाद रामसिंह मारोठ चला गया।^{५५} वहाँ वह अपनी सेना को पुनः संगठित करने लगा। साथ ही उसने अपने प्रतिनिधि पुरोहित जगन्नाथ को माधोसिंह के पास सहायता प्राप्त करने के लिए भी भेजा।^{५६} जोधपुर पर अधिकार करने के बाद बखतसिंह के लिए यह आवश्यक हो गया कि रामसिंह वही से सहायता प्राप्त नहीं कर सके। इसी उद्देश्य से उसने अपने प्रतिनिधि बारहूठ करणीदान को आदेश दिया कि जयपुर महाराजा से मिलकर पूर्ण स्थिति से अवगत कराए तथा रामसिंह के कार्यों को सफल न होने दे।^{५७} मारवाड के गृह-युद्ध में माधोसिंह का हस्तक्षेप करने का सुझाव प्राप्त हो गया। जयपुर-स्थित मराठा राजदूत गोविन्द तामाजी ने जुलाई १७५१ में^{५८} अपने एक पत्र में दिल्ली स्थित मराठा प्रतिनिधि बापूजी महादेव हिगले को सूचित किया कि माधोसिंह ने पुरोहित जगन्नाथ को दरबार में आमंत्रित किया एवं उसके विचारों पर सहानुभूति सँगीर किया। बखतसिंह की बढ़ती हुई शक्ति माधोसिंह के लिए ठीक नहीं थी। वह उसके उग्र स्वभाव व महत्वाकांक्षा को जानता था। अतः वही जयपुर की शक्ति के लिए वह चुनौती न बन जाए इस दृष्टि से उसने रामसिंह को सहायता देने की नीति अपनायी। परन्तु जयपुर-शासक की शक्ति इतनी नहीं थी कि वह तत्काल ही सेना और धन से गद्दी-च्युत शासक की सहायता कर सके। अतः उसने पुरोहित जगन्नाथ को अपने जागीरदारों सहित होल्कर व सिन्धिया से सहायता प्राप्त करने को लिख दिया।

पुरोहित जगन्नाथ मराठों के प्रतिनिधि बापूजी महादेव हिगले से मिला।^{५९} तामाजी ने अपने पत्र में इस बात का संकेत भी दिया था कि पुरोहित दो मास के लिए १०,००० सैनिका का व्यय तत्काल देने को तैयार था।^{६०} उसका विश्वास था कि रामसिंह और बखतसिंह के बीच एक साल तक युद्ध चलेगा और मराठों को करीब एक करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना थी।^{६१} हिगले ने होल्कर और सिन्धिया को सूचित किया कि यदि रामसिंह की सहायता करें।^{६२}

जब जगन्नाथ पुरोहित होल्कर के पास पहुँचा तो उसे इस कार्य में सहायता देने के प्रति उदासीन पाया।^{६३} इसी बीच बखतसिंह ने अपने प्रतिनिधि राजसिंह चौहान

द्वारा होल्कर को २ लाख रुपये देकर अपनी ओर कर लिया था ।^{५४} पुरोहित ने होल्कर को बहुत मिन्नतें कीं । अमरसिंह को दिये गये वचन की याद दिलायी, पर होल्कर इस वहाने से उसे लगातार टालता रहा कि इस प्रकार के सैनिक अभियान के लिए पेशवा साथ नहीं देगा ।^{५५} पर पुरोहित ने दबाव डालना नहीं छोड़ा । इस पर होल्कर ने उसे जयप्पा सिन्धिया से मिलने को कहा ।^{५६} दो माह तक राठौड़ प्रतिनिधि होल्कर व सिन्धिया से वार्ता करते रहे ।^{५७} सिन्धिया ने १०-१२ हजार सैनिकों के लिए दो माह का खर्च पहले मागा, जिसे जगन्नाथ ने शीघ्र ही दे दिया ।^{५८} इस पर सिन्धिया ने राठौड़ प्रतिनिधियों को विश्वास दिलाया कि ज्योंही हाथ में लिया हुआ सफदरजग-अफगान सधर्ष समाप्त होगा, वह रामसिंह की सहायता के लिए प्रस्थान करेगा ।^{५९}

अप्रैल, १७५२ में सफदरजग का अफगानों से सधर्ष समाप्त हुआ । शीघ्र ही होल्कर व सिन्धिया को पेशवा का सन्देश प्राप्त हुआ कि वे दक्षिण के नये सूवेदार गाजीउद्दीन को लेकर चले आएँ । अतः १४ मई को वे पूना के लिए चल पड़े ।^{६०} मई के अन्त में मार्ग में ही ५,००० सैनिकों सहित सिन्धिया नं, होल्कर से अलग होकर, अजमेर पर अधिकार कर लिया ।^{६१} वह अघिः दिनों तक अजमेर में नहीं रहा । रामसिंह की सहायता का काम उसका साहिबा पटेल को सौंपा । फिर वह दक्षिण की ओर चल पड़ा ।^{६२} मराठों का अजमेर पर अधिकार हो जाने से मारवाड़ में इसकी मजकूर प्रतिक्रिया हुई । अपने राठौड़ सरदारों सहित आक्रमणकारियों का सामना करने हेतु बखतसिंह दून, १७५२ में जोधपुर से चला ।^{६३} अजमेर के पास लाडपुरा में उससे बीकानेर का शासक गर्जसिंह भी भ्रा मिता ।^{६४} दोनों पुष्कर की ओर बढ़े, जहाँ बखतसिंह ने अपनी सीमा पर मुठ रक्षा-पक्ति स्थापित की।^{६५} इसी बीच साहिबा पटेल मारोठ गया और वहाँ से रामसिंह को अजमेर ले आया ।^{६६} जुलाई के मध्य में बखतसिंह ने अचानक मराठों पर आक्रमण कर दिया ।^{६७} राठौड़ अश्वारोहियों और तोपखाने के भागे रामसिंह और मराठे टिक न सके । १८ जुलाई, १७५२ के युद्ध में वे हार कर रामसर की ओर भाग गये ।^{६८} बाद में साहिबा पटेल और उसकी मराठी सेना दक्षिण की ओर चल पड़ी ।^{६९} रामसिंह को मारोठ में रखा हुआ अपना तोपखाना भी गंवाना पड़ा क्योंकि बखतसिंह के पुत्र विजयसिंह ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया था ।^{७०} परन्तु बखतसिंह रामसिंह से घाट क्षेत्र^{७१} को छीनने में असफल रहा ।^{७२}

इस विजय के बाद इसकी संभावना अधिक बढ़ गयी कि मराठे पुनः कभी भी आक्रमण कर सकते हैं । अतः बखतसिंह ने राजपूत शासकों का नया संयुक्त मोर्चा बनाने की योजना गठित की, जिससे राजस्थान से मराठों को दूर रखा जा सके ।^{७३} उसने कई राजपूत शासकों से पत्र-व्यवहार किया । अजमेर के पास स्थित शकरदत्त के नेतृत्व में पाच हजार की कछवाही फौज ने बखतसिंह का साथ देने का निश्चय

किया ।^{७४} शाहपुरा के शासक उम्मेदसिंह की ओर से उसका प्रतिनिधि फतेहराय कायस्थ सयुवन कार्यवाही के लिए बात-चीत करने पहुँचा ।^{७५} बखतसिंह ने माधोसिंह को एक प्रस्ताव भेजा कि राठौड़ बख्खवाहा फौज मराठा की नर्मदा नदी के पार धकेल दे और मालवा पर अधिकार कर उसे दोनों के बीच विभाजित कर ले ।^{७६} इससे माधोसिंह होल्कर से बदला ले सकेगा और बखतसिंह सिधिया से ।^{७७} माधोसिंह-बखतसिंह मुलाकात निश्चित की गयी । १४ अगस्त, १७५२ को बखतसिंह केवडी से रवाना हुआ ।^{७८}

वह माधोसिंह से सोनेली गाव मे १८ सितम्बर, १७५२ को मिला ।^{७९} इस मुलाकात की दिल्ली मे बड़ी प्रतिक्रिया हुई । वहाँ के मराठा सेनापति अन्ताजी मनकेश्वर ने पेशवा को सूचित किया कि जयपुर व जोधपुर के शासन उत्तरी भारत से मराठों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए सयुक्त योजना बना रहे हैं ।^{८०} परन्तु इसके पूर्व कि सारी योजना को अन्तिम रूप दिया जा सके, बखतसिंह वा २१ सितम्बर, १७५२ को सोनेली गाव मे स्वर्गवास हो गया ।^{८१} बखतसिंह का सम्पूर्ण जीवन सघर्षमय रहा । पहले तो उसने जोधपुर की राजगद्दी से अपने भतीज रामसिंह को, जो कि अयोग्य और कमजोर शासक था, हटाने के लिए सघर्ष किया । इसमें उसने सफलता प्राप्त की । बाद में, उसने अपने राज्य को मराठों के हस्तक्षेप से दूर रखने के लिए कठोर परिश्रम किया । मराठों ने जयपुर के उत्तराधिकार-सघर्ष (१७४३-१७५१) में जिस सीमा तक हस्तक्षेप किया, बखतसिंह ने जोधपुर की राजनीति में उस हस्तक्षेप को नगण्य कर दिया । रामसिंह ने दो बार मराठों की सहायता ली । परन्तु दोनों ही बार मराठे मारवाड की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाये । बखतसिंह की असामयिक मृत्यु से मारवाड की गद्दी के उत्तराधिकारी की समस्या का युद्ध से समाधान अनिर्णीत ही रह गया ।



सन्दर्भ

- १ मीरात ए-अहमदी (२) पृ० ३७६-३७७, हिगणें दपतर (१) १३२
- २ अमयसिंह की मृत्यु १६ जून, १७४६ को अजमेर म हुई । रामसिंह का राज्याभिषेक जोधपुर म १३ जुलाई, १७४६ को हुआ (मारवाड री ख्यात (२) पृ० १६३)
- ३ उसका जन्म २८ जुलाई १७३० को हुआ (उपर्युक्त)
- ४ पे० द० का० (२७) २
- ५ उपर्युक्त (२७) ४०, वश भास्कर (४) पृ० ३५८५, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १६४
- ६ बखतसिंह न घाभाई क साथ टीका भेजा । परम्परा के अनुसार नय महाराजा के राजनिवृत्त के अवसर पर बखतसिंह को उपस्थित रहकर टीका देना चाहिए था । यह उसकी राज्यभक्ति का प्रदर्शन होता । बखतसिंह के न जाने पर नवयुवक महाराजा उससे अप्रमत्न हो गया । हिगणें दपतर (२) ८, विजयविलास पृ० १०, दोहा १०३ राठीड दानेश्वर वशावली, पृ० २६५, दोहा (१६)
- ७ दयालदास री ख्यात (२) ७२-७३, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १७२
- ८ पे० द० का० (२) १७, विजयविलास पृ० १०३-१०४, वश भास्कर (४) पृ० ३६२५-२६, मारवाड री ख्यात (४) पृ० १६४-१६५
- ९ उपर्युक्त
- १० मारवाड री ख्यात (२) पृ० १६४-१६५
- ११ राठीड दानेश्वर वशावली, पृ० २६६-३०१ दोहा ३८-४८
- १२ उपर्युक्त पृ० २६५, दोहा १६
- १३ पे० द० का० (२) १५, १६ (२१) २५, सियर (३) पृ० ३१६, मारवाड री ख्यात (२) १७२
- १४ पे० द० का० (२) १, १५
- १५ पे० द० का० (२१) २७, ३५, सियर (३) पृ० ३१६ मारवाड री ख्यात (२) पृ० १६८ १६९ । इस ग्रन्थ के अनुसार ईश्वरीसिंह ने अपनी पुत्री की शादी रामसिंह से कर दी ।

- १६ माधोसिंह का बखतसिंह को खरीता, कार्तिक सुदी ११, वि० स० १८०६/
६ नवम्बर १७४६-जय० । उस समय माधोसिंह नेनवा मे था (पे० द० का०
(२) १३) ।
१७. उपर्युक्त
१८. सियर (३) पृ० ३११
- १९ माधोसिंह का बखतसिंह को खरीता, कार्तिक सुदी ११ वि० स० १८०६/
६ नवम्बर १७४६ जय०
- २० पे० द० का० (२१) २५, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १७२
२१. पे० द० का० (२) २५
- २२ उपर्युक्त, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १७२
- २३ सियर (३) पृ० ३१७, सम्भवत यह पुत्र खाडेरार था ।
- २४ पे० द० का० (२) १६, (२१) २५, २७, ३५, सियर (३) पृ० ३१५-३१८,
मारवाड री ख्यात (२) पृ० १७१-७२, सलावतखा सम्भवत पोपाड से ७
मील पूर्व की ओर रावणा गाव म ठहरा ।
- २५ सियर (३) पृ० ३१८
२६. पे० द० का० (२) १५, वश भास्कर (४) पृ० ३६२६ ३०, दयालदास री
ख्यात (२) ७४-७५ (इमके अनुसार यह युद्ध दूदासर तालाब के पास ११ नवम्बर,
१७५० को हुआ था । सूनियावाम मेडता के दक्षिण-पश्चिममे ११ मील
दूर है)
- २७ दयालदास री ख्यात (२) ७५
- २८ पे० द० का० (२) ३१, सियर (३) पृ० ३२५
- २९ पे० द० का० (२) ३१
- ३० बखतसिंह का प्रेमसिंह गोगावत को परवाना, पौष सुदी ६, वि० स० १८०७/
२६ दिसम्बर १७५० जय०
- ३१ बखतसिंह का माधोसिंह को खरीता, पौष सुदी ११, वि० स० १८०७/(२८
दिसम्बर १७५०) जय० (इस पत्र मे वर्ष अंकित नहीं है, परन्तु विषय के
आधार पर इसका वर्ष आवा गया है ।)
- ३२-३३-३४ उपर्युक्त
३५. माधोसिंह का बखतसिंह को खरीता पौष सुदी १५ वि० स० १८०७/
३१ दिसम्बर १७५० जय० ।
- ३६ पे० द० का० (२५) ६४, ६५

- ३७ उपर्युक्त माधोसिंह का रामसिंह को खरीता फाटगुन बंदी १२, वि० सं० १८०७/१२ फरवरी १७५१ (जय०)
३८. माधोसिंह का होल्कर को खरीता भाद्रपद बंदी १, वि०सं० १८०८ २८ जुलाई १७५१-जय०, हिगणों दफ्तर (१) ५६, आई० एच० आर० सी० (१६४४) पृ० १०-१२ में लेख 'ए लेटर फॉम द मराठा एजेण्ट एट जयपुर इन १७५१ ए० डी०', दयालदास री स्यात (२) ७५, मारवाड री स्यात (२) पृ० १७८
- ३९ पै० द० का० (२) १६, ३१, (२) ३४
४०. उपर्युक्त (२७) ६४, ६५
- ४१ उपर्युक्त (२१) ३८, ४० (२७) ६४, ६५
- ४२ वश भास्कर (४) पृ० ३५८५, मारवाड री स्यात (२) पृ० १६४-१६५
४३. सियर (३) पृ० ३१८, महारराव के पुत्र ने युद्ध के बीच में ही महाराजा का साथ छोड़ दिया और दक्षिण की ओर चल पड़ा ।
- ४४ आई० एच० आर० सी० (१६४४) पृ० १०-१२ में लेख 'ए लेटर फॉम द मराठा एजेण्ट एट जयपुर इन १७५१ ए० डी०'
- ४५ माधोसिंह का होल्कर को खरीता भाद्रपद बंदी १, वि० सं० १८०८/२८ जुलाई १७५१ जय० । मारोठ साभर के १३ मील उ० प० म है ।
- ४६-४७ उपर्युक्त
- ४८ आई० एच० आर० सी० (१६४४) पृ० १०-१२ में लेख "ए लेटर फॉम द मराठा एजेण्ट एट जयपुर इन १७५१ ए० डी०"
- ४९ एच० एस० आई० एस० (१) १४३
- ५० आई० एच० आर० सी० (१६४४) पृ० १०-१२ में लेख, 'ए लेटर फॉम द मराठा एजेण्ट एट जयपुर इन १७५१ ए० डी०'
५१. उपर्युक्त
- ५२ एस० एच० आई० एस० (१) १४३
- ५३ हिगणों दफ्तर (१) ५६, राठोड दानेश्वर वशावली, पृ० ३६६ दा० ४१३
- ५४ राठोड दानेश्वर वशावली पृ० ३६६, दो० ४१३
- ५५ उपर्युक्त, हिगणों दफ्तर (१) ५६
- ५६ हिगणों दफ्तर (१) ५६, राठोड दानेश्वर वशावली, पृ० ३६६ दो० ४१४; वश भास्कर पृ० ३६३०-३१
- ५७ हिगणों दफ्तर (१) ५६
- ५८ उपर्युक्त

- ५६ उपर्युक्त, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १८३, मराठे १७५१ व १७५२ के प्रथम चार महीनों में वजीर सफ़्दरजंग और अफगानों के बीच युद्ध में व्यस्त थे अतः राजस्थान में सैनिक अभियान के लिए वे सेना नियुक्त नहीं कर सके ।
- ६० ऐतिहासिक पत्रें १०२, पे० ६० का० (२१) ४०
६१. मारवाड री ख्यात में इस बात का उल्लेख है कि जयप्या सिधिया ने १०,००० की सेना लेकर अजमेर पर आक्रमण किया (पत्र २, पृ० १८४)
६२. शकरदत्त का दीवान सदाशिव को पत्र, थावण बदी २ वि० स० १८०६/१७ जुलाई १७५२ जय०, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १८४ टॉड ने महादजी पटेल का नाम साहिबा पटेल के स्थान पर लिखा है, जो गलत है ।
- ६३ विजय-विलास पृ० १०७, दोहा १६-१७, राठौड दानेश्वर वशावली पृ० ३६८
- ६४ मारवाड री ख्यात (२) पृ० १८४-१८५, लाडपुरा मारवाड अजमेर-सीमा पर आसनिवावास से ८ मील पूर्व की ओर है ।
- ६५ मारवाड री ख्यात (२) पृ० १८४-१८५
- ६६ शकरदत्त का दीवान सदाशिव को पत्र थावण बदी २, वि० स० १८०६ । १७ जुलाई १७५२ जय० ।
- ६७ विजय विलास पृ० १०६, दोहा १५ राठौड दानेश्वर वशावली, पृ० ३६७ दो० ४२०
- ६८ शकरदत्त का दीवान सदाशिव को पत्र, थावण बदी ३, वि० स० १८०६ । १८ जुलाई १७५२ जय०, विजय विलास पृ० १०८, दोहा २१, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १८५ (इसके अनुसार रामसिंह मन्दमौर की ओर भाग गया ।) रामसर-अजमेर के ६० पृ० में २० मील पर है ।
- ६९ शकरदत्त का दीवान सदाशिव को पत्र थावण बदी ३ वि० स० १८०६ । १८ जुलाई १७५२ जय०
- ७० उपर्युक्त पत्र थावण बदी १२, वि० स० १८०६ २६ जुलाई १७५२ । जय०, विजय-विलास, पृ० ११० दो० ।
- ७१ मारवाड का दक्षिण-पूर्वी भाग घाट क्षेत्र कहलाता है । इसमें गोडवाड के प्रदेश भी शामिल हैं (नवशा सख्या-१) ?
७२. शकरदत्त का दीवान सदाशिव को पत्र, थावण बदी १२ वि० स० १८०६ । २६ जुलाई १७५२ जय०
- ७३ मारवाड री ख्यात (२) पृ० १८५

७४. शकरदत्त का दीवान सदाशिव को पत्र, आवण बदी २ व ३ वि० स० १८०६ ।
१७ व १८ जुलाई १७५२ जय०
७५. उपर्युक्त पत्र, भाद्रपद बदी २, वि० स० १८०६/१५ अगस्त १७५२-जय० ।
कोटा के हाडा, सिरौही के राव, व मवाड के सीसोदिया शासक ने भी बखत-
सिंह का साथ देने का निश्चय किया (विजय विलास पृ० १०८, दोहा
१६-२०)
७६. मारवाड की ख्यात (२) पृ० १८५
७७. उपर्युक्त
७८. शकरदत्त का दीवान सदाशिव को पत्र, भाद्रपद बदी २, वि० स० १८०६ ।
१५ अगस्त १७५२ जय० । केरुटी अजमेर के द० पृ० म ६० मील पर है ।
७९. मारवाड की ख्यात (२) पृ० १८५, राठौड़ दानेश्वर वशावली, पृ० ३७२,
दोहा ४४८-४५६
८०. पे० द० का० (२१), ५०
८१. विजय-विलास पृ० १०६ दोहा २४

मारवाड की ख्यात (२) पृ० १८६ के अनुसार बखतसिंह की मृत्यु २१ सित-
म्बर को हुई थी । यदुनाथ सरकार (मुगल साम्राज्य का पतन भाग (१) पृ०
१७९ (अंग्रेजी) बखतसिंह की मृत्यु २३ सितम्बर को मानते हैं । समकालीन
राजस्थानी ग्रन्थ 'विजयविलास' में यह तिथि २१ सितम्बर को ही पड़ती है
इसके दोहे २४ के अनुसार

'सम्बन्ध अठारे सो नवे, मुद्र पक्ष भाद्रव मास ।

तिथि तेरस अश्वनी नृपन चमियो सुरपुर वास ॥

अर्थात् भाद्रवा सुदी १३ वि० स० १८०६ । २१ सितम्बर १७५२ को बखत-
सिंह स्वर्गवासी हुए थे ।



अध्याय : ४

विजयसिंह और मराठे (पूर्वाद्धि) (१७५२-१७६० ई०)

जोधपुर का उत्तराधिकार-संघर्ष और मराठे

(१) एक राजनैतिक विराम (१७५२-१७५३)

मुगल राजनीति में घराजकता के कारण, १८ वीं शताब्दी के मध्य चरण में उत्तरी भारत में मराठों के प्रसार के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगीं। राजस्थान इससे छछूटा नहीं रह गया। बूंदी (१७३४), जयपुर, (१७४३-५१) और जोधपुर (१७५०-५२) के उत्तराधिकार युद्धों में मराठों का हस्तक्षेप हो चुका था। अजमेर-युद्ध (१८ जुलाई १७५२) के बाद बख्तसिंह ने उत्तरी भारत से मराठों को निबालन के लिए कछशाह, राठौड़, जाट एवं मुगल शक्तियों की समुक्त कार्यवाही की योजना बनाई थी। परन्तु इससे पूर्व कि यह योजना ठोस नीति में परिणत हो सके, राठौड़ शासक बख्तसिंह की सितम्बर १७५२ में मृत्यु हो गयी।

पिता की मृत्यु के समय, विजयसिंह मारोठ में था और रामसिंह मन्दमौर में मराठी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा था।^२ नये शासक को मराठों के विरुद्ध अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए समय की आवश्यकता थी जो उसे १७५२-१७५३ उत्तरी व दक्षिणी भारत की राजनैतिक स्थिति के कारण उपलब्ध हो गया।

अगस्त २७ १७५२ को अहमदशाह के प्रिय सेवक जाविदगया की हत्या कर दी गयी। इससे वजीर सफदरजगला का प्रभाव बढ़ने लगा। बादशाह सफदरजगला का प्रभाव कम करना चाहता था, जिसके परिणामस्वरूप मुगल दरबार पडयत्रों का केन्द्र बन गया। मुगल राजनीति की शोचनीय अवस्था का लाभ उठाकर अफगान शासक अहमदशाह अब्दाली ने अपने प्रतिनिधि को भेज कर ५० लाख रुपये की माँग की। वजीर के लिए इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करना असम्भव था, फिर भी उसने कुछ राशि भेज कर अब्दाली का सतुष्ट करने का प्रयास किया। मुगलों के लिए उत्तर-पश्चिम से अब्दाली का खतरा बना रहता था दक्षिण की ओर से मराठों का। वजीर चाहता था कि मराठों की सहायता से अब्दाली का मुकाबला

किया जाए, जबकि बादशाह की माँ ऊधमबाई, मीरबक्शी, इम्तजामहोला और शहाबुद्दीन मराठों के विरुद्ध थे तथा अम्बाली को प्रसन्न बनाने रखना चाहते थे। इन गुटों में इतना मतभेद बढ़ा कि १७५२ के अन्त में और १७५३ के प्रारम्भिक महीनों में गृह-युद्ध की सम्भावनाएँ बढ़ने लगी। वजीर ने पेशवा को सैनिक सहायता के लिए लिखा। बादशाह ने दिल्ली स्थित मराठों सेनापति अन्ताजी मानकेश्वर और प्रतिनिधि बापूजी महासेव हिंणों से सम्पर्क स्थापित किया।^३ बापूजी ने बादशाह महमदशाह को पाँच हजार मराठा सैनिक देने का वादा किया। इसके बदले में उसने प्रवय और इलाहाबाद की चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार माँगा। दूसरी ओर अन्ताजी मानकेश्वर वजीर और बादशाह दोनों से गुप्त बातचीत में सलग्न था। बापूजी को यह खुरा लगा। उसकी दृढ़ता के कारण ही बादशाह के लिए मराठी सहायता निश्चित हुई। इस पर अन्ताजी ने सपदरजग का यह प्रस्ताव मस्वीकार कर दिया कि उसे सहायता देने पर मराठों को सोलह लाख रुपये वार्षिक की जागीर दी जा सकेगी।^४ इन्हीं दिनों दक्षिण भारत में पेशवा नये निजाम गाजीउद्दीन को दक्षिण की सूबेदारी दिलाने के लिए उसकी स्थिति मजबूत करने में तथा कर्नाटक-विजय में व्यस्त था।^५

यत्तसिंह की मृत्यु के बाद विजयसिंह मारोठ में मारवाड़ का नया शासक घोषित किया गया।^६ अक्टूबर १७५२ में मल्हारराव होल्कर से उसे एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें नये शासक को न सिर्फ बधाई ही दी गयी थी बल्कि मारवाड़ के राठौड़ घराने और होल्कर परिवार के बीच आपसी सहयोग का वचन भी दिया गया था।^७ इन परिस्थितियों में विजयसिंह का जोधपुर के गढ़ में ३१ जनवरी, १७५३ को राजतिलक शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया।^८

(२) सिंधिया का मारवाड़ पर आक्रमण (जुलाई-अगस्त १७५४)

यह 'राजनैतिक विराम' अल्पकालीन ही रहा। दिल्ली में २६ मार्च, १७५३ को गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया। पेशवा ने रघुनाथराव को उत्तर की ओर भेजा। उसे आदेश दिये गये थे कि वह वहाँ की स्थिति का मूल्यांकन करे और गृह-युद्ध समाप्त होने तक प्रतीक्षा करे। फिर या तो विजयी दल का समर्थन करे या दोनों पक्षों की शक्ति की पूर्णतया क्षीणता का लाभ इस प्रकार उठाए कि उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव बढ़ सके। अक्टूबर १७५३ के प्रारम्भ में रघुनाथराव होल्कर और सिंधिया राजस्थान के मार्ग से दिल्ली की ओर बढ़े। राजस्थान में रघुनाथराव ने कोटा, बूंदी और जयपुर के शासकों से सम्बन्धों से चली आ रही बनाया धन-राशि वसूल की।^९

१७ दिसम्बर को रामनिष्ठ कोटा के मर्माप जयल्ला के मार्फत रघुनाथराव से मिला और उसने अपने भाई विजयसिंह के विरुद्ध मराठों की सहायता की प्रार्थना की। रघुनाथराव ने सहायता का वचन दिया। अन्तः ज्योही राजनैतिक उथल-पुथल

से मराठो को विराम प्राप्त हुआ, रघुनाथराव ने २३ जून, १७५४ को जयप्पा सिंधिया को आदेश दिया कि वह मारवाड़ जाकर जोधपुर की गद्दी पर रामसिंह को आसीन कराए। जयप्पा बूढ़ी होता हुआ, जहाँ के शासक उम्मेदसिंह ने उसकी बड़ी भावभंगन की, मारवाड़ की ओर बढ़ा। मार्ग में उसका पुत्र जनकोजी और भाई दत्ताजी भी शामिल हो गये। कोटा के शासक ने भी सिंधिया को कई सैनिक दिये।^{१०}

सिंधिया के आक्रमण की सूचना मिलते ही महाराजा विजयसिंह ने अपने सहायकारों, राज्याधिकारियों एवं सामन्तों की बैठक गढ़ में बुलायी। मानसूमी की रक्षा हेतु चम्पावन देवीसिंह, कल्ला उदयसिंह, ऊदावत केसरसिंह, मेडतिया जवानसिंह, सूजावत उदयसिंह और दीवान फतेहमल ने युद्ध की नीति अपनाने पर जोर दिया। सामन्ती बल पाकर विजयसिंह ने बरणी तालपन परिहार को आदेश दिया कि वह शीघ्रातिशीघ्र युद्ध की तैयारी करे।^{११}

बैठक में यह भी तय किया गया कि सिंधिया के विरुद्ध बीकानेर, किशनगढ़ व जयपुर के शासकों से सहायता प्राप्त की जाए। इन राज्यों के शासकों ने आशा से अधिक सहायता देने का विश्वास दिलाया। मारवाड़ की सीमा पर ही मराठो को रोकने का निश्चय किया गया, अतः अजमेर के पास ५ हजार राठौड़ सैनिक भेजे गये।^{१२} बीकानेर के शासक गजसिंह और किशनगढ़ के बहादुरसिंह स्वयं अपनी सेना लेकर मेडता में महाराजा विजयसिंह में आ मिले।^{१३} जयपुर के माधोसिंह ने अपने सेनापति राव मोहनसिंह को आशा दी कि जयपुर क्षेत्र में से गुजरती हुई मराठी फौज के रास्ते में रुकावट डाले।^{१४}

(२) मेडता का प्रथम युद्ध (१४-१७ सितम्बर १७५४)

सिंधिया दस हजार की फौज लेकर अजमेर की ओर बढ़ा। राठौड़ों से पहला मुकाबला गगरार के पास हुआ। मराठा शक्ति के सामने राठौड़ टिक न सके। वे पीछे हट गये और मेडता में एकत्र हो गये। बीकानेर व किशनगढ़ की फौज आ जाने से राठौड़ों की शक्ति बढ़ गयी। जयप्पा ने बिना किसी विरोध के अजमेर पर अधिकार कर लिया। फिर वह पुष्कर की ओर बढ़ा। वहाँ कुछ समय तक ठहरा। सितम्बर के प्रारम्भ में रामसिंह व उसकी दस से पन्द्रह हजार की फौज को लेकर वह मेडता की ओर चल पड़ा। १४ सितम्बर को मेडता के मैदान में राठौड़ों और मराठों के बीच अचानक लड़ाई प्रारम्भ हुई। दिन भर लोपे आग उगलती रही और अस्वारोही सैनिकों के आक्रमण होते रहे पर राठौड़ अपनी स्थिति भावूत न कर सके। वे हार गये। राठौड़ विजयसिंह, गजसिंह, व बहादुरसिंह भाग खड़े हुए। जयप्पा ने १७ सितम्बर को मेडता नगर में विजयी के रूप में प्रवेश किया। रामसिंह भी उसके साथ था। लगातार तीन घंटे तक मेडता नगर में मराठों ने बूट-पाट की। उत्तराधिकार युद्ध के पहले चरण में रामसिंह जीत गया था।^{१५}

(४) नागौर का घेरा (अक्टूबर १७५४ फरवरी १७५६)

मेड़ता के मैदान में विजयसिंह हार गया था, परन्तु उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। वह भागकर नागौर चला गया। उसने अपनी सेना को पुनः संगठित किया। बित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए गुडला और नन्दवाना के बोहरो से धन-राशि प्राप्त की।^{१९} जयप्पा ने कुछ समय मेड़ता में व्यतीत कर ३१ अक्टूबर को नागौर का घेरा डाल दिया।^{१७}

मराठा सेनापति ने नागौर पर अधिकार करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। किले में माल असवाब पहुँचाने के सारे रास्ते रोक दिये गये।^{१८} नागौर और जोधपुर के बीच ईडाना में सिधिया-रामसिंह फौज तैनात कर दी गयी, जिससे जोधपुर से विजयसिंह को किसी प्रकार की सहायता प्राप्त न हो सके।^{१६}

जनकोजी सिधिया, सन्ताजी बावेल और पुरोहित जगन्नाथ के नेतृत्व में एक फौज जोधपुर की ओर भेजी गयी। इस सेना ने अमरसागर पर डेरा डाला और सुरगें विद्याकर गढ़ पर आक्रमण कर दिया।^{२०} अजमेर नगर पर अधिकार करने के बाद मराठों ने वहाँ के किले तारागढ़ का घेरा डाल दिया। १७५५ के प्रारम्भ में जयप्पा को यह सूचना प्राप्त हुई कि किसी भी समय तारागढ़ पर मराठों का अधिकार हो सकता था।^{२१} रामसिंह के आदमियों के साथ मराठों की एक टुकड़ी जानीर पर अधिकार करने गयी, जहाँ जोधपुर के शासकों का खजाना सदियों से सुरक्षित था।^{२२} जनवरी १७५५ में जयप्पा ने पेशवा को सूचित किया कि कुछ ही दिनों में विजयसिंह आत्मसमर्पण कर देगा और नागौर पर मराठों का अधिकार हो जाएगा।^{२३}

पेशवा ने सिधिया को मारवाड़ के उत्तराधिकार-सर्प में मराठों के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये थे। वह रेगिस्तान में मराठों को उलभाये रखने के पक्ष में नहीं था क्योंकि वहाँ से प्राप्त होने वाली भाय इतनी नहीं हो सकती थी जितनी उज्जाड़ क्षेत्रों में जो दिल्ली के पूर्व में थे। रघुनाथराव अबध और इलाहाबाद से शीघ्र बसूत करने के लिए नियुक्त किया गया था। अबध के नये उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला से धन-बमूली का सुप्रवसर आ रहा था अतः उसे अतिरिक्त सेना की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने पेशवा को लिखा तो पेशवा ने जयप्पा सिधिया को आदेश दिया कि वह मारवाड़ अभियान को शीघ्र ही समाप्त कर रघुनाथराव की सहायता को पहुँचे। उसे यह भी आदेश था कि विजयसिंह से इस बात पर समझौता कर लिया जाए कि उसे उत्तराधिकार में अपने पिता का क्षेत्र मिले तथा रामसिंह को अपने पूर्वजों का क्षेत्र अथवा फिर मारवाड़ को दो समान भागों में विभाजित कर समझौता कर लिया जाए। पेशवा विजयसिंह को पूर्णतः नष्ट करने के पक्ष में नहीं था। वह उसे भी बनाये रखना चाहता था ताकि मराठी सेना अन्त काल तक मारवाड़ में बनी रहे। वह चाहता था कि मराठी सहायता से 'रामसिंह के अधीन चार-पाँच राठोड

स्थान को दक्षिणियों से मुक्त कराया जा सके।^{५२} विजयसिंह ने प्रहमदशाह अन्धाली को भी मराठों के विरुद्ध सहायता के लिए लिखा। अफगान शासक ने मुल्तान के सूबेदार को आदेश दिया कि वह राठौड़ शासक की सहायता के लिए जाए।^{५३}

महाराजा माधोसिंह ने अनिरुद्धसिंह रागारोठ को सेना देकर विजयसिंह की सहायता लिए भेजा। वह रामगढ़ होता दृष्टा नागौर की तरफ बढ़ा। मार्ग में शाहपुरा का शासक जम्मेदसिंह, रूपनगर का बहादुरसिंह, करौली का गोपालसिंह और बूंदी का हाडा शासक सेना सहित उससे घा मिले। इस सेना के पास पच्चीस से तीस हजार सैनिकों की फौज और शक्तिशाली तोपखाना था।^{५४} परन्तु अनिरुद्धसिंह का रास्ता मराठी सेनापति रागोजी मोहिते ने रोक लिया। १० अक्टूबर १७५५ को घाडोल के स्थान पर उनमें बछवाही सेना को बुरी तरह हराया^{५५} और शान्ति वार्ता के लिए मजबूर किया।^{५६}

दूसी बीच बीकानेर सेना, जिसका नेतृत्व दीवान बरनावरमल कर रहा था, नागौर पहुँची। वहाँ से दीवान, अनिरुद्धसिंह की सहायता के लिए चल पड़ा।^{५७} बछवाहा सेनापति ने मोहिते से ही रही शान्ति वार्ता भग कर दीवान की सेना से मिलने हेतु रामगढ़ से प्रस्थान किया।^{५८} जनकोजी ने इन दोनों सेनाओं को एक न होने देन के लिए नरसिंह सिंधियों और खानाजी को, जिसे जोधपुर से बुला लिया गया था, आदेश दिया कि वे मोहिते की सहायता करें। तीनों मराठा सेनापतियों ने अनिरुद्धसिंह पर १६ अक्टूबर की रात्रि को हमला कर दिया। अनिरुद्ध न भाग कर डोडवाना के जिले में शरण ली।^{५९} बीकानेर की सेना डोडवाना की ओर चल पड़ी। इसकी भी परन्तु वही गति हुई जो कि बछवाहा सेना की हुई।^{६०} दीवान बरनावरमल दीनतपुरा नामक स्थान पर हार गया।^{६१} मराठों ने डोडवाना के लिए रसद के सब भागें अग्रद्वार कर दिये।^{६२} जोधपुर में मराठों का घेरा पड़ा हुआ था। अन्त जोधपुर की सेना की सहायता के लिए जालौर की राठौड़ सेना राजधानी की ओर बढ़ने लगी, परन्तु गोडावास नामक स्थान पर उसकी भी हार हो गयी। नवम्बर १७५५ के प्रथम सप्ताह में अन्ताजी मनकेश्वर डोडवाना पहुँचा।^{६३} राजपूतों की सफलता अब संभव नहीं थी। दीनतपुरा की हार के बाद माधोसिंह ने अनिरुद्धसिंह को मराठों से समझौता करने के आदेश दिये। ३१ अक्टूबर को बछवाहा सेनापति ने वार्ता प्रारम्भ की।^{६४} अन्ताजी के आ जाने से माधोसिंह विजयसिंह की सहायता के लिए आनाकानी करने लगा।^{६५} राठौड़ शासक ने बीकानेर की यात्रा कर वहाँ से सहायता के लिए जोर लगाया पर उसे निराशा ही हाथ लगी।^{६६} एक बार पुन मुगल दरबार में सहायता के लिए प्रार्थना की गयी पर वहाँ की गुट-परस्त राजनीति के कारण उसकी सुनवाई भी नहीं हुई।^{६७} नागौर के घेरे में कोई शिथिलता दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी।^{६८} माधोसिंह ने विजयसिंह और जनकोजी के बीच समझौता कराने का प्रयास किया परन्तु विजयसिंह

ने उसे शम्भौर कर दिया, १६ जनवरी १७५६ में मराठों ने जोधपुर का घेरा और कठोर कर दिया।^{७०} पेशवा न नारोशकर को आदेश दिया कि मारवाड़ में विधिया की सहायता कर उलझी हुई स्थिति से उसे मुक्त कराए।^{७१}

(६) राठौड़-सिधिया संधि (फरवरी १७५६)

बीकानेर की यात्रा का असफल होना, मुगलों की ओर से सहायता का न मिलना, जोधपुर व शामर माधोसिंह का विरोध में अभियान करना और मराठों की शक्ति में वृद्धि होना आदि कारणों से अन्ततः विजयसिंह ने समझौता करने का निश्चय किया। जनवरी १७५६ में, उसने अपने अपने दीवान सिधवी फतेहचन्द और प्रधान देवीसिंह चाँपावत को दत्तात्री सिधिया के पास वार्ता के लिए भेजा।^{७२} मराठा भी समझौते के लिए तैयार था क्योंकि नये वर्षों के प्रारम्भ में ही मारवाड़ में अराल पड़ने लगा। इससे वे खम्बे बाल नरु घेरा लगाये रखने की स्थिति में नहीं थे।^{७३} दोना शक्तियों के बीच फरवरी, १७५६ में समझौते पर हस्ताक्षर हो गये।^{७४} इस समझौते के अनुसार—

१. अजमेर, गड बोटली (तारागढ़) व उसके आसपास के क्षेत्र पर मराठों का प्राधिपत्य मान लिया गया।
२. विजयसिंह से मुठ व क्षतिपूर्ति के रूप में ५० लाख रुपये लिया जाना निश्चित हुआ, इसमें २५ लाख रुपये एक वर्ष के भीतर और बाकी धनराशि दो वर्षों में देने का निश्चय हुआ।
३. जोधपुर के शामर ने प्रतिवर्ष मराठों को एक लाख पचास हजार रुपये कर के रूप में देना स्वीकार किया।
४. रामसिंह का जानौर, सानर, मारोठ, सोजत, परबतसर और अजमेर में केकड़ी क्षेत्र के ८४ गावों पर और विजयसिंह का जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर प्राधिपत्य मान लिया गया।^{७५}
५. मराठों की सहायता के लिए एव अजमेर की सुरक्षा के लिए विजयसिंह ने अपने लक्ष्य पर एक मंजूर टुकड़ी रखने का वचन दिया।^{७६}
६. मराठों ने यह स्वीकार किया कि यदि रामसिंह ने विजयसिंह के अधीनस्थ क्षेत्र में हस्तक्षेप किया तो जोधपुर-शामर रामसिंह के विरुद्ध कार्यवाही करने में स्वतन्त्र होगा परन्तु इससे रामसिंह के क्षेत्र में मराठों के हितों की उपेक्षा नहीं होगी।^{७७} रामसिंह के साथ जनकोजी ने एक पृथक् संधि पर हस्ताक्षर किये, जिसके अनुसार मराठों का एक कमबिसदार उसके क्षेत्र में रहेगा और यह प्रतिदिन चुगी आदि एकत्रित करेगा। रामसिंह और मराठे उस धन का समान बटवारा करेंगे।^{७८}

दत्ताजी ने रामसिंह के पास सदाशिव को कमबिसदार नियुक्त किया।^{७४} मराठा सेना मेड़ता होती हुई अप्रैल में रूपनगर पहुँची।^{७५} इस प्रकार मारवाड में सिधिया के आक्रमण का अन्त हुआ। राठौड़ राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। साभर से जालौर तक एक रेखा बने तो पूर्व का भाग रामसिंह को तथा पश्चिम का भाग विजयसिंह को प्राप्त हुआ।^{७६} उसे क्षतिपूर्ति की भारी रकम देनी पड़ी। इस सन्धि ने मारवाड को मराठों का "अमुख्य राज्य" या कृपाकाक्षी राज्य (ट्रीब्युटरी स्टेट) बना दिया। राजनैतिक दृष्टि से मारवाड मराठों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। रामसिंह को जोधपुर की गद्दी प्राप्त न हो सकी। इस दृष्टि से यह समझीता 'विजयसिंह के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। मराठा शक्ति के आश्रय में मारवाड में राठौड़ वंश की द्वितीय शाखा का शासन प्रारम्भ हुआ।

पानीपत वा युद्ध (जनवरी १७६१) के पूर्व और पश्चात् राठौड़ नीति

१७५२ से १७५६ तक राठौड़-मराठा युद्ध के फलस्वरूप मारवाड की अर्थ-व्यवस्था नष्ट हो गयी थी। कोप खाली था, खालसा भूमि पर खेती नहीं हो पायी थी, असुरक्षा की स्थितियों और डाके पड़ने के कारण कृषक भाग गये और व्यापार शिथिल पड़ गया। इस युद्ध के कारण मारवाड के शासकों का सग्रहीत धन समाप्त हो गया। फरवरी १७५६ के समझौते ने तो विजयसिंह की स्थिति और शोचनीय कर दी। जालौर में रखा कोप अब रामसिंह के अधिकार में था। अजमेर और गढ़बीटली, साभर की नमक पूर्णों और दक्षिण-पूर्वी मारवाड का उपजाऊ क्षेत्र सभी विजयसिंह से छीने जा चुके थे। वह तो सिर्फ राजधानी और मारवाड के रेगिस्तानी भाग का शासक ही बना रहा। रामसिंह भी प्राप्त हुए भाग से असन्तुष्ट था। वह जोधपुर की गद्दी पर अपने अधिकार प्रदर्शित करता रहा और उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता रहा।^{७७}

१७५६ में विजयसिंह ने "शांति खरीद तो ली" परन्तु उसके राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि क्षतिपूर्ति की रकम तत्काल दे सके और फिर आगे के दो वर्षों तक बकाया रकम के साथ-साथ वार्षिक कर भी दे सके। किसी तरह वह प्रथम किश्त देने में सफल हो सका। परन्तु शीघ्र ही उसे असन्तुलित आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति सभालना भारी पड़ गया। अतः कुछ सुविधाएँ पाने के लिए वह मराठों से पत्र-व्यवहार करने लगा। जून १७५७ में रघुनाथराव दिल्ली और पंजाब जाने के लिए राजस्थान से गुजरा। विजयसिंह ने अपने मंत्रियों को उसके पास भेजा, जिससे समझौते की वित्तीय शर्तों को सुविधाजनक बनाने हेतु यह सिधिया पर दबाव डाले।^{७८} रघुनाथराव ने महाराजा की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया ऐसी करना वह सिधिया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता था।^{७९} परन्तु वास्तव में तथ्य यह था कि राधोवा विजयसिंह से नाराज था, वह अजमेर के मराठा सूबेदार गोविन्दकृष्ण जी

से सहयोग करने के स्थान पर उसे अत्यन्त तग करता था ।^{१५} पेशवा ने फरवरी १७५८ में अन्ताजी मनकेश्वर को आदेश दिया कि वह अजमेर जाकर गोविन्दकृष्णा की स्थिति सुरक्षित करें ।^{१६} १७५८ के मध्य में सिधिया राजपूताने की ओर आया ।^{१७} विजयसिंह ने वापिक कर की राशि को पुन सशोधित करने हेतु अपने प्रतिनिधियों को कोटा भेजा, जहाँ जनकोजी ठहरा हुआ था ।^{१८}

जनकोजी जुलाई अगस्त तक कोटा में ठहरा रहा और जयपुर, कोटा व बूंदों से कर एकत्र करता रहा । विजयसिंह के प्रतिनिधियों से उसकी बातों सफल नहीं हुई । उसने क्षतिपूर्ति और कर के लिए कोई मुविधा प्रदान नहीं की । राठौड़ शासक की वित्तीय परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होने के कारण वह इतनी बड़ी धन राशि देने में असमर्थ था । इस पर जनकोजी ने सितम्बर में मारवाड़ की ओर प्रस्थान किया । पुष्कर में वह कुछ दिन ठहरा । वहाँ उस रघुनाथराव और अन्ताजी मनकेश्वर के पत्र प्राप्त हुए कि वह मारवाड़ की ओर न जाकर दिल्ली की ओर शीघ्र प्रस्थान करे । जनकोजी फिर भी कुछ समय पुष्कर में ठहरा रहा । राठौड़ प्रतिनिधि, व्यास गुलाबराय, बारहठ करणीदान और पहाडसिंह ने मराठों की स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की । उन्होंने पुन सशोधित सुझाव रखे परन्तु सिधिया हड़ रहा । मराठे सेनापति ने रामसिंह को जोधपुर का राज्य देने की नीति अपनाकर मारवाड़ पर आक्रमण की धमकी दी । इस पर विजयसिंह ने मराठों के ध्वसात्मक अभियान से भयभीत होकर एव रामसिंह की शक्ति में वृद्धि की सम्भावना का अनुमान कर पुरानी शर्तों पर ही बकाया धनराशि देकर पुष्कर से उसे विदा किया ।^{१९}

१७५८ में मराठों की शक्ति पंजाब तक फैल चुकी थी । रघुनाथराव के मराठा सैनिक अटक तक चौप और सरदेशमुखी करने लगे । अफगान शासक अहमदशाह अब्दाली ने, जो कि पंजाब और दिल्ली के मुगल बादशाहों से कर वसूल किया करता था, पंजाब व दिल्ली में मराठों के प्रभाव को समाप्त करने हेतु भारत पर पुन आक्रमण करने का निश्चय किया । राठौड़ शासक भी मराठों से मुक्ति के लिए अब्दाली का साथ देने को तैयार था । फरवरी १७५७ से ही विजयसिंह अब्दाली से पत्र व्यवहार कर रहा था । अगस्त १७५६ में अब्दाली ने सिंध नदी पार कर मराठों को पंजाब से भगा दिया । जब वह दोआब की ओर बढ़ा तो उसने जोधपुर और नदपुर व शासकों को फरमा भेजा कि वे मराठों के विरुद्ध उससे आकर मिलें । दिसम्बर के फरमान में तो उसने राठौड़ शासक को शीघ्र ही सेना भेजने के लिए कहा ।^{२०}

राठौड़ अब्दाली पत्र-व्यवहार से मराठे अनभिज्ञ नहीं थे । फरवरी १७५७ में राजा केशवराव ने पेशवा को लिखा कि विजयसिंह मराठों की तुलना में अब्दाली के प्रति अधिक निष्ठा प्रकट करता था ।^{२१} गोविन्द बल्लाल ने सदाशिवराव भाऊ को २२ नवम्बर १७५६ को सूचित किया कि विजयसिंह ने यह निश्चय किया है कि वह

मराठो को उखाड़ फेंकने के लिए भ्रष्टाली का साथ देगा।^{१२} मराठो न भ्रष्टाली के रूप में चाहे सतरे को उस समय तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जब तक कि १ जनवरी १७६० को वरीया घाट के युद्ध में दत्ताजी सिंधिया युद्ध करता हुआ नहीं मारा गया। सिंधिया के मंत्री, भानुदराव बावले ने विजयसिंह को शोध सहायता के लिए लिखा।^{१३} इस स्थिति का लाभ उठाकर विजयसिंह ने एक भार अपने प्रतिनिधि बरहठ करणीदान को बावन के पास भेजकर सहायता की शर्तें तय करनी चाहीं,^{१४} दूसरी ओर उसने भ्रष्टाली को विश्वास दिलाया कि वह उसे सहायता भेज रहा है।^{१५}

विजयसिंह के लिए अपनी सोयी हुई भूमि को, जो रामसिंह को १७५६ के समझौते के कारण दी गयी थी, पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न था। सिंधिया और अन्य मराठे सेनापति भ्रष्टाली के प्रति सगठित हो रहे थे। उसने स्थिति का उचित मूल्यांकन किया कि ऐसे समय में वह रामसिंह से भूमि छीन ले तो उसकी सहायता करने के लिए मराठे नहीं भा सकेंगे। अतः यह बहाना बनाकर कि रामसिंह के दासियों ने उन १७६० में उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है, विजयसिंह ने रामसिंह के क्षेत्रों पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया।^{१६} इस सम्बन्ध में जयपुर के शासक का विरोध पहले ही नगण्य बन चुका था। राठौड़ एवं बछवाहो के बीच १७६० के फरवरी माह में यह समझौता हुआ कि भ्रष्टाली और मराठो के प्रति दोनों शासक एक ही नीति अपनाएँगे और वे एक दूसरे के शत्रुओं की सहायता नहीं करेंगे।^{१७}

करणीदान और बावले के बीच घातक चलती रही। समझौते में काफी समय लगा। विजयसिंह ने इस प्रकार के समझौते पर १५ जनवरी १७६१ को हस्ताक्षर किये।^{१८} इस समझौते के अनुसार विजयसिंह भ्रष्टाली के विरुद्ध मराठो की सहायता करेगा। सिंधिया रामसिंह की कोई मदद नहीं करेगा। यदि रामसिंह ने मारवाड के क्षेत्रों पर, जिन पर विजयसिंह का एकाधिकार था, आक्रमण किया तो सिंधिया जोधपुर तरेण की सहायता करेगा। इस प्रकार पानीपत के युद्ध के पूर्व मराठो की स्थिति का लाभ उठाकर विजयसिंह ने अपनी राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ कर ली। फिर भी १४ जनवरी १७६१ में पानीपत के युद्ध में मारवाड का शासक तटस्थ रहा। कारण स्पष्ट थे, जैसा कि राजा केशवराव ने पेशवा को सूचित किया "राठौड़ शासक एक ओर तो शक्तिशाली भ्रष्टाली को दृष्ट नहीं कर सकता और दूसरी ओर वह मराठो से पुनः शत्रुता मोल लेते हुए घबराता था।"^{१९}

पानीपत के युद्ध में मराठो की हार का प्रभाव राठौड़ शक्ति पर भी पड़ा। २० फरवरी १७६१ को भ्रष्टाली ने विजयसिंह को लिखा कि वह उससे मित्र और राठौड़ो को शत्रु से दिया जाने वाला कर भी भेजे।^{२०} उसने यह विश्वास दिलाया था कि भविष्य में उसे मराठो ने तग किया तो वह उससे सैनिक सहायता की अपेक्षा कर सकता था।^{२१} मार्च १७६१ में भ्रष्टाली भारत से चला गया। उत्तरी भारत में राजनैतिक रिक्तता की स्थिति उत्पन्न हो गयी। भ्रष्टाली के चने जाने के बाद, कई

१७६१ में रामसिंह ने विजयसिंह से अपने क्षेत्रों पर पुन अधिकार करने के लिए आक्रमण करना शुरू किया।^{१०२} माघोसिंह ने फरवरी १७६० की संधि की अवज्ञा कर रामसिंह का समर्थन किया।^{१०३} शीघ्र ही उसे चांपावत व कूपावत राठौड और शेखावाटी के कछवाहों का सहयोग भी प्राप्त हो गया।^{१०४} वह मराठों से भी सहायता की आशा करने लगा।^{१०५} जुलाई के प्रारम्भ में खानाजी जादव ने मारवाड पर आक्रमण किया—कुछ स्थानों पर सैनिक टुकड़िया स्थापित की और जोधपुर के पास पीपाड में अपना ठेका स्थापित किया।^{१०६} विजयसिंह अकेला पड़ गया। उसने एक ओर तो अपनी स्थिति मजबूत की^{१०७} दूसरी ओर उसने रघुनाथराव को सहायता के लिए लिखा।^{१०८} उत्तरी भारत में मराठों के प्रतिनिधि गोविन्दकृष्ण ने राघोबा को ६ जुलाई को पत्र लिखकर मारवाड की स्थिति से अवगत कराया तथा इस बात का उल्लेख किया कि सिंधिया की प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक था कि वह मारवाड के वकीलों को प्रोत्साहन नहीं दे।^{१०९} पानीपत की हार को मराठा शक्ति का पतन मानकर जयपुर शासक पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने लगा। कोटा और बूंदी के शासकों को इससे खतरा पैदा हुआ। पेशवा ने महारराव होल्कर को माघोसिंह के विरुद्ध सैनिक अभियान के आदेश दिये। उसने विजयसिंह को भी सूचित किया कि होल्कर की सहायता करे।^{११०} वर्षा प्रारम्भ हो जाने से महारराव ने अपनी राजस्थान यात्रा स्थगित रखी।^{१११} अक्टूबर १७६१ में माघोसिंह ने रामसिंह और चांपावत श्यामसिंह को मारवाड पर आक्रमण करने के लिए साभर की ओर भेजा।^{११२} विजयसिंह ने भंडता की ओर प्रस्थान किया।^{११३} इसी बीच होल्कर का निमंत्रण पाकर खानाजी जादव मारवाड से विदा हो चुका था।^{११४} राठौड शासक ने होल्कर को राजस्थान में बुलाने के लिए उससे पत्र व्यवहार किया।^{११५} नवम्बर के प्रारम्भ में होल्कर इन्दौर से चला और २६ नवम्बर को मांगरोल नामक स्थान पर माघोसिंह की सेना को घुरी तरह से हराया।^{११६} यद्यपि मराठों को पानीपत के मैदान में भयकर धक्का लगा था और कुछ समय के लिए उत्तरी भारत में उनकी शक्ति प्रभावहीन हो गयी थी फिर भी मारवाड में उनकी शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकी। रामसिंह और विजयसिंह के बीच पुन हुए युद्ध में उन्होंने भाग लिया और उनके द्वारा समर्थित शासक को ही विजय प्राप्त हुई। मांगरोल के युद्ध के बाद मारवाड में अपना स्थान बनाने के लिए आतुर रामसिंह को हमेशा के लिए हाथ धोने पड़े। अपना अन्तिम समय उसने जयपुर में बिताया, जहाँ १७७२ में उसकी मृत्यु हो गयी।^{११७}

मराठा-राठौड सहयोग (१७६२-१७८०)

नवम्बर १७६१ के बाद रामसिंह की ओर से आक्रमण की आशंका मिट गयी प्रतः विजयसिंह ने जालौर व साभर पर पुनः अधिकार कर लिया। परन्तु प्रजमेर

एव घाटक्षेत्र उसके हाथ से निकल चुके थे । १७६२ में उसने अजमेर लेने का प्रयास किया । मराठा सूबेदार सन्तोजी बाबले की प्रार्थना पर सिधिया ने बाबुराव के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी जो कि मारवाडी आक्रमण से अजमेर की रक्षा कर सके । इस पर राठौड-शासक ने आक्रमण का विचार त्याग दिया । सिधिया ने उससे वार्षिक कर के अलावा ३ लाख रुपये की क्षतिपूर्ति चाही । विजयसिंह ने धानाकानी की, परन्तु सैनिक अभियान की धमकी देकर सिधिया ने यह रकम प्राप्त कर ली ।^{११८}

इस घटना के बाद राठौड शासक ने बाह्य रूप से ऐसी नीति अपनायी कि मराठे मारवाड पर आक्रमण न करें, वे उसे सहयोगी समझते रहे व आंतरिक रूप में वह उनके प्रभाव से मुक्त हो सके । १७६४ में होल्कर ने जब जयपुर पर आक्रमण किया तो माधोसिंह ने विजयसिंह से सहायता चाही पर उसने सहायता देने से इन्कार कर दिया ।^{११९} १७६४-६५ में मराठों द्वारा सहायता मागने पर उसने सैनिक टुकड़ियाँ भेजी ।^{१२०} होल्कर ने भी सैनिक सहायता के लिए १७६५ में मध्य में लिखा । वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष में नवाब की सहायता के लिए राठौड शक्ति का सहयोग चाहता था, परन्तु विजयसिंह अंग्रेज और नवाब के झगड़ों के बीच पडना नहीं चाहता था, अतः उसने होल्कर के दीवान गण्डित गगाधर को ६ जून १७६५ को लिखा कि मारवाड पर सिधिया के आक्रमण की सम्भावना है, अतः राठौड फौज भेजने में वह असमर्थ है ।^{१२१} १७५६ के समझौते के अनुसार राठौड राज्य सिधिया का एक प्रभावित एवं रक्षित राज्य बन चुका था । परन्तु राठौडों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से वार्षिक कर समयानुसार नहीं दिया जा सकता था । बकाया राशि बनी रहती थी । १७६५ तक बाफी बकाया राशि एकत्र हो गयी थी । सिधिया का दीवान अच्युत गणेश इसकी बमूनी करने नवम्बर में अजमेर आया । वहाँ से वह जोधपुर की ओर सैनिक अभियान की तैयारियाँ करने लगा । इसके लिए उसने अजमेर की सूबेदारी बापूजी तकवीर से हटाकर गोविन्दकृष्ण जी को सौंपी । विजयसिंह ने एक ओर अपनी सुरक्षा के लिए मेड़ता में सैनिक एकत्र किये तथा साभर की ओर से आक्रमण को रोकने के लिए उसकी सुरक्षा मजबूत की, दूसरी ओर उसने चारण घालाकरण को यशवन्तराव बाबला के पास भेजकर दीवान से किरतो में बकाया देने की बात चलायी । बाबले व चारण की मध्यस्थता से उस समय १० लाख रुपये हुण्डियों के रूप में देना तय हुआ । इसके पूर्व कि दीवान इन हुण्डियों को प्राप्त करे उसे जयपुर की ओर जाना पडा, जहाँ जाट-सिक्ख सयुक्त सेना ने कछवाहा राज्य पर आक्रमण कर दिया था ।^{१२२}

दीवान ने हुण्डियों का भुगतान प्राप्त करने के लिए गानाजी जादव को नियुक्त किया । मई १७६४ में गानाजी ने पाच-सात हजार मराठों को लेकर मारवाड में प्रवेश किया और नारवाँ क्षेत्र को लूटना शुरू कर दिया । विजयसिंह को यह खुरा लगा । उसने अपने दीवान मूरनराम को जादव को खदेड़ने के लिए भेजा ।

मराठा सेनापति हार गया और उसे अजमेर की ओर भागना पड़ा। दीवान मूरतराम, जादव का पीछा करता हुआ, पिसनगाव में ठहर गया और अजमेर के सूबेदार से वार्ता प्रारम्भ की। इसी बीच विजयसिंह ने महादजी को बकाया पन राशि की सूचना भेज दी थी अतः उसे काटकर बाकी रकम अजमेर के सूबेदार को दे दी गयी।^{१२३} मराठों के लगातार आक्रमणों से राजस्थान के राज्यों में स्थिति अस्त-व्यस्त हो गयी थी। शासकों की कमजोरी का लाभ मराठों ने पूर्ण रूप से उठाया और उनकी कर सम्बन्धी मांग इतनी बढ़ने लगी कि शासकों द्वारा उसे पूरा करना असम्भव हो गया। उनकी माँग की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी। वे किसी शासक से कर सम्बन्धी समझौता कर लेते परन्तु पूर्ण धनराशि वे एक साथ कभी नहीं लेते थे। एक किश्त तो उसी समय दे दी जाती थी। शामकी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण, बाकी किश्तें देर से दी जाती थी। इससे मराठों को पुनः सैनिक अभियान का अवसर मिल जाता था और नया समझौता होता। उनके लिए मित्रता और शत्रुता का कोई सिद्धान्त नहीं था। धनराशि की मात्रा के प्रलोभन के आघार पर ये बड़ी आसानी से पक्ष या विपक्ष का दृष्टिकोण बना लेते थे। अतः मराठों के इस दृष्टिकोण से सभी राजपूत शासक परेशान थे। वे उन पर भरोसा भी नहीं करते थे।

१७६२ के बाद विजयसिंह मराठा के लगातार हस्तक्षेप और सैनिक अभियान की घमकियों के कारण अत्यन्त परेशान था, परन्तु उसमें इतनी सैनिक शक्ति नहीं थी कि मराठों का सामना कर सक अतः समय समय पर वह कर भी देता रहा और सैनिक सहायता भी।^{१२४} इस प्रकार के सहयोग से प्रभावशाली राजनीति की भूमिका नहीं बन सकी। १७५२ तक वह इसी प्रकार की राजनीति अपनाता रहा। मराठों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु उसने मारवाड़ में एक नया कर, जिसे 'रखबाव' कहा गया, लगाया।^{१२५} और स्थानीय बोहरो से व्याज की ऊँची दर पर ऋण लिया।^{१२६} इसके अलावा १७६६-६७ में, जब भरतपुर के जाट शासक राजा जवाहरसिंह ने राजस्थान के शासकों का मराठा विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश की, तो विजयसिंह ने उसका स्वागत किया। दोनों ने 'पुष्कर में ६ नवम्बर १७६७ को मुलाकात की और पण्डो बदल 'धर्म भाई' का रिश्ता स्थापित किया। उन्होंने राजपूताना और मालवा से मराठों को निकालने का निश्चय किया और जयपुर के माधोसिंह को इस कार्य में सहायता के लिए लिखा। परन्तु जाट-रुद्धडाहा अनवन के कारण माधोसिंह प्रारम्भ में तटस्थ रहा, बाद में वह माँवडा के युद्ध (१४ दिसम्बर १७६७) में मराठों की ओर मिन गया। जाट राठौड सेना घुरी तरह से हार गयी। मराठों ने परबतसर तक राठौडों का पीछा किया, जहाँ दीवान मूरतराम ने घन देकर उनसे पीछा छुड़ाया।^{१२७}

१७६६ के प्रारम्भ में मेवाड़ में गृह-युद्ध की आशंकाएँ बढ़ने लगीं। महाराणा धर्मसिंह ने विपक्ष रतनसिंह ने विद्रोह कर दिया। मार्च १७६६ में महाराणा ने

अपने चाचा बाघासिंह को विजयसिंह के पास सहायता के लिए भेजा ।^{१२८} इसके पूर्व कुछ सामन्तो ने राठौड शासक को पत्र लिखकर^{१२९} प्रार्थना की कि वह रतनसिंह की सहायता करे तो वे इसके लिए १५ लाख रुपया देने को तैयार हैं ।^{१३०} रतनसिंह के समर्थकों ने मराठा नेताओं माधोजी घोर तुफाजी को भी सहायता के लिए लिखा । सिधिया और होल्कर ने इसे तत्काल स्वीकार किया । वे उदयपुर की ओर चल दिये । मई म उन्होंने मेवाड की राजधानी के पास भ्रमना डेरा डल दिया ।^{१३१} जब सिधिया को ज्ञात हुआ कि अरिसिंह विजयसिंह से सहायता की वार्ता कर रहा है तो उसने हस्तक्षेप कर इस वार्ता को असफल कर दिया ।^{१३२} महादजी ने विजयसिंह को जून म लिखा कि वह वापिक कर की १ सिफ बकाया राशि भेजे बल्कि नजराना और भागामी वपों की राशि का भुगतान भी करे ।^{१३३} इस पर विजयसिंह ने रतनसिंह का समर्थन करना राजनैतिक और वित्तीय दृष्टि से उचित समझा । एक तो उस रतनसिंह के समर्थकों से १५ लाख रुपये प्राप्त हो गये ।^{१३४} दूसरी ओर सिधिया को वह प्रसन्न बनाये रख सका ।^{१३५} विजयसिंह के प्रतिनिधि छतरसिंह व्यास गुलाबराय और मेहतालाल १७६६ से १७६६ के वपों की बकाया राशि के ३ लाख ८८ हजार ८३५ रुपये लेकर महादजी के समक्ष उपस्थित हुए ।^{१३६} इसके अलावा राठौड शासक ने १७६६-१७७२ के लिए पाँच लाख दस हजार रुपये भी दत्त का वायदा किया ।^{१३७} इस रकम की अदायगी म पच्चीस हजार नजराना भी था ।^{१३८} इस प्रकार मेवाडी सामन्तो से प्राप्त पन्द्रह लाख रुपयो मे से उसने करीब नौ लाख रुपये सिधिया को दे दिये ।

महाराणा अरिसिंह की स्थिति कमजोर थी । अतः उसने सिधिया और होल्कर से समझौते हेतु बातचीत करने का निश्चय किया । कुछ समय तक होल्कर वहाँ ठहरा, परन्तु शीघ्र ही सिधिया और उसके बीच मतभेद उभर आया । अतः २ जून को उदयपुर से प्रस्थान कर कोटा की ओर चले पडा ।^{१३९} उसका लाभ महाराणा को प्राप्त हुआ । जुलाई म अरिसिंह और महादजी के बीच जो समझौता हुआ उससे उदयपुर की गद्दी पर अरिसिंह का अधिकार बना रहा । महाराणा ने मराठो को ६४ लाख रुपया दिया । रतनसिंह को पच्चीस हजार रुपयो की आम की भूमि दी और महादजी को पृथक् से पाँच लाख रुपये दिये ।^{१४०} सितम्बर म सिधिया भी उदयपुर से चल पडा । जाने से पूर्व उसने मेवाड मे अपने व्यक्तिगत एवं मराठा स्वार्थों की रक्षा हेतु मराठा-राठौड सेना को कार्य सोपा ।^{१४१} मराठा सेनापति गोविंदराव था । अप्रैल, १७७० मे राठौड मराठा सेना ने गोडवाड पर अधिकार कर लिया ।^{१४२} महाराणा के २१ अप्रैल, एवं ७ अक्टूबर १७७० के पत्रो^{१४३} से स्पष्ट होता है कि उसने राठौडो को गोडवाड का क्षेत्र इस शर्त पर दिया कि वे महाराणा के विरोध मे शामिल नहीं होंगे । विजयसिंह ने ३००० राठौड सैनिक गोडवाड के क्षेत्र मे रख दिये ।^{१४४} सितम्बर मे मेवाड मे सिन्धी पैदल सैनिको ने विद्रोह किया । राठौड, मराठा फौज ने उसे दबा दिया ।^{१४५}

१७७१ में उदयपुर की राजनीति में एक बार पुनः अरिसिंह-रतनसिंह विवाद उठ खड़ा हुआ। इस बार होल्कर ने हस्तक्षेप किया। इससे सिंधिया के स्वार्थों को खतरा पैदा होने लगा। महादजी के ३० व ३१ मई १७७१ के पत्रों १४९ से मालूम होता है कि होल्कर ने मेवाड़ में पण्डित बीसाजी को भजा। उसने रतनसिंह के पदावली सामन्तों से वार्ता की। सिंधिया ने राठौड़ शासक को स्पष्ट सकेत दिया कि वह बीसाजी या अन्य किसी भी प्रतिनिधि से समझौते की वार्ता नहीं करे बल्कि वह और गोविन्दराव मिलकर मेवाड़ एवं मोड़वाड़ में मराठा-राठौड़ स्वार्थों की रक्षा हेतु संयुक्त कार्यवाही करें। सिंधिया ने इस तथ्य पर अधिक बल दिया कि यदि मेवाड़ में किसी प्रकार का किसी शोर से हस्तक्षेप हो तो सैनिक कार्यवाही द्वारा मेवाड़ को उसके प्रभाव से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। ४ अक्टूबर १७७१ के १४७ पत्र में उसने विजयसिंह को लिखा कि यदि रतनसिंह मेवाड़ में पुनः गड़बड़ी करे तो वह स्वयं मेवाड़ की ओर प्रस्थान करे तथा उसे उन शर्तों पर निपटाये जो कि पहिले ही निश्चित की जा चुकी थी। १० फरवरी १७७२ को विजयसिंह ने महादजी को सूचित किया कि १४८ वह उसके निर्देशानुसार मेवाड़ की ओर जा रहा है तथा गोविन्दराव को मोड़वाड़ के कर के रूप में एक लाख का भुगतान करेगा। परन्तु राठौड़ शासक को मेवाड़ में कोई लाभ नहीं हुआ। होल्कर और अरिसिंह की वार्ता में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। १४९ शीघ्र ही उसे राजधानी में सूचना प्राप्त हुई कि सिंधिया, १७६९-१७७२ की राशि न दिख जाने पर, जिसे अग्रिम देने १७७२ को महादजी ने विजयसिंह को सूचित किया कि यदि १५ जून १७७२ तक पूर्ण रकम विशतो म नहीं पहुँची तो वह सैनिक कार्यवाही करेगा। १५१ विजयसिंह रकम न मिलने से वह निराश होकर जून १७७२ के प्रथम सप्ताह में जोधपुर

सिंधिया की रकम चुकाने हेतु उसके पास पर्याप्त धन राशि नहीं थी। यद्यपि सिंधिया ने राठौड़ शासक को विश्वास दिलाया कि यदि समय पर किश्तें चुका दी गयीं तो कोई मराठा आक्रमण नहीं होगा। १५३ शोर यदि भूतकण ऐमा ही भी गया तो उसके देश में इस कारण जो हांगि होगी उसको रकम विशता में से काटी जा सकेगी। १५४ सिंधिया मारवाड़ के बर्षाधिक कर की रक्कत में से काटी जा बल्कि मोड़वाड़ का कर भी माँग रहा था, जो कि बर्षा ३० हजार रूपया निश्चित किया गया था। इसमें ५ हजार नजराना भी शामिल था। १५५ उसने विजयसिंह को स्पष्ट लिखा कि इस राशि में से होल्कर व अन्य को कुछ भी नहीं दिया जाए। १५६ पर विजयसिंह ने कोई भुगतान नहीं किया। इस पर डिम्बकर सिंधिया ने बाजीप्लसिंह को सतैन्य बसूमी के निर्देशों पर डिम्बकर

इसी बीच रामसिंह की १७७२ में मृत्यु हो गयी ।^{१४८} विजयसिंह ने सांभर के उस क्षेत्र पर, जहाँ उनका शासन था, अधिकार कर लिया । विजयसिंह ने १८ फरवरी १७७३ को मनोजी बाबने का एक पत्र^{१४९} लिखा कि विजयसिंह प्रकट किया कि सिंधिया को मान्यता देगा तथा उसी बचाया रकम चुका दी जाएगी । अपने वचन का विजयसिंह अपने हेतु ठाणुद बदनसिंह को सिंधिया के पास जमानगी बनाकर भेजा ।^{१५०} सिंधिया ने सांभर पर विजयसिंह का अधिकार स्वीकार किया ।^{१५१} महाराजा ने कशात गुलाबराय को २७ फरवरी, १७७३ को सिंधिया के पास बचाया रकम के बारे में गया समझौता करने हेतु भेजा ।^{१५२} १७६६-१७७२ की बचाया रकम दो किशो में दी गयी, पहली किश ४,८६,४८३ रुपये ७ आना, ३० पैसे १७७४^{१५३} को, दूसरी किश के रुपये ६०,५१६ और ६ आना, १४ जुलाई १७७५ को दिये गये ।^{१५४}

विजयसिंह के पास न तो पर्याप्त धन था और न सैनिक शक्ति ही, अतः वह सिंधिया की लगातार माँग को न तो पूरा ही कर सकता था और न पूर्णतः ठुकरा ही सकता था वह कभी देता तो कभी घानारानी करने लगता । इससे मारवाड में मराठों के सैनिक अभियान होने लगते जिन्हें फणस्वरूप बचाया राशि का भुगतान करना ही पड़ता । मराठों के सेनापतियों की माँग का न कोई धन था और न सैनिक कार्यवाही का अधिकार, जैसा कि १६ नवम्बर, १७७६ को दीवान मुरतराम के महादजी को भिसे गये एक पत्र से पता लगता है । उसने अम्बाजी इगने की सैनिक कार्यवाही को अनुचित बताया पर मराठों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी ।^{१५५} राठोड शासन सिंधिया से अप्रसन्न बना रहा, पर होल्कर से सम्बन्ध अच्छे रहे । महारानी अहिल्याबाई को मन्दिर निर्माण के लिए सगमरमर पत्थर विजयसिंह ने मकराणा से भिजवाने के स्थायी आदेश दे दिये थे ।^{१५६}

सन्दर्भ

१. पे० द० का० (२१) ५०
२. मारवाड की ख्यात (२), पृ० १८५
३. ऐतिहासिक पत्र-व्यवहार ८६
४. ऐतिहासिक पत्र ग्रन्थ २, ८६
५. पे० द० का० (२७), ६८
६. मारवाड की ख्यात (३), पृ० १
७. महाराराव का विजयसिंह को पत्र, आश्विन सुदी १२ वि० स० १८०६ ।
६ भक्तव्रत १७५२ (पो० फो० २, व फाईल १ जोध०); विजय-विलास पृ०
११० दोहा १ ।
८. मारवाड की ख्यात (३) पृ० १
९. पे० द० का० (२७) १०४
१०. मीणा दस्तूरी वस्त्रा स० २६ । वि० स० १८१० । १७५३ ई० (बूंदी
रिकाई)
११. विजयविलास, पृ० स० १२२-१२६
१२. पे० द० का० (२७) ६८
१३. मारवाड की ख्यात (३), पृ० १-२
१४. माणोसिंह का मोहनसिंह को पत्र, वि० स० १८११ । १७५४ (कपड जय०)
१५. पे० द० का० (नई सीरीज (१) १७७ (युद्ध की तिथि १४ सितम्बर है);
मारवाड की ख्यात में इस तिथि को युद्ध होना माना है— (३) पृ० ३-६),
पे० द० का (२) ३५ (२१) ६०, (२७) ६८, ७६, १०८;
ऐतिहासिक पत्र (२) १२२, १२४; एत० एम० आई० एत०, पृ० ६६-१२४;
रामसिंह का दाता के भवानीसिंह को पत्र, आषाढ सुदी ४ वि० स० १८११
२४ पून १७५४ (वरदा पत्रिका ग्रन्थ ४, पृ० ६ में प्रकाशित)
१६. विजयसिंह का नन्दवाना के बोहरो को पत्र, मार्गशीर्ष सुदी १४ वि० स०
१८११ । २८ नवम्बर १७५४ व गुडला के बोहरो को पत्र, माघ सुदी ८
वि० स० १८११ । ५ जनवरी १७५५ (मर्जी वही ४, पृ० २८५-२८६)
१७. पे० द० का० (२१) ६७ मारवाड की ख्यात (३) पृ० ७; दयालदास की ख्यात
(२), ७६
१८. पे० द० का (२१) ६७

१६. उपयुक्त
 २० उपयुक्त
 २१ हिमणो दपनर ग्रन्थ, (१) १०६, मुडियाड स्थात (विजयसिंह), पृ० ४६ यस्ता स० २० (जोष०)
 २२ पे० द० का० (२१) ६०, (२७), १०७, हिमणो दपनर (१), १०६; मारवाड री स्थात (३) पृ० ७, ८
 २३ पे० द० का० (२१) ६७
 २४ पे० द० का ग्रन्थ (२१), ६७, ६६ (२७) १०५, १०७, ऐतिहासिक पत्र, १२५, १२७, १३१, राजवाडे ग्रन्थ (६) ३२७ ३४१
 २५ पे० द० का० (२१) ६६, (२७) १०७
 २६ उपयुक्त (२७) १०५
 २७ उपयुक्त १०६
 २८ उपयुक्त १०५
 २९ उपयुक्त १०७
 ३० उपयुक्त
 ३१ उपयुक्त (२१) ६६
 ३२ उपयुक्त
 ३३ उपयुक्त, मारवाड री स्थात (३), पृ० ७, ८, स्थात मे समभिते के लिए वार्ता वा श्रेय जयप्पा के कैम्प मे मेवाड के राजदूत जैतसिंह रावत को जाता है ।
 ३४-३५ पे० द० का० ग्रन्थ (२७) १०७
 ३६ उपयुक्त १०६
 ३७ उपयुक्त (२१) ६६
 ३८ उपयुक्त (२७) १०६, मारवाड री स्थात (३), पृ० ७, ८
 ३९ राजवाडे (१) ४४
 ४० पे० द० का० (२७, १०६)
 ४१ उपयुक्त ११२
 ४२-४३. उपयुक्त
 ४४. महाराजा वीकानेर का जयपुर के माधोसिंह की खरीता, ज्येष्ठ सुदी ७, वि० स० १८११ । १७ मई १७५५, माधोसिंह से विजयसिंह की खरीता ज्येष्ठ सुदी ३०, वि० स० १८११ । ६ जून १७५५ (जय०)
 ४५. उपयुक्त
 ४६ पे० द० का० (२७) ११६
 ४७. पे० द० का० (२) ४६ (२७) ११६, ऐतिहासिक पत्र १३६, १४१; एस० एस० आई० एस० (३), ३२०, चहर गुतजार (इलियट व डाउसन (८) पृ०

२१०) फारसी तवारीखी के अनुसार जयप्पा ने विजयसिंह को गालियाँ दीं अतः उसने दूतों ने हत्या कर दी। राजपूत सौनी (टाड ग्रन्थ २, पृ० ८१३, वश भास्कर ग्रन्थ ४, पृ० ३६४६-३६५२, मारवाड री ख्यात ग्रन्थ ३, पृ० ८, ९) में वर्णित हत्या का उल्लेख अविश्वसनीय है। राठौड़ों के लिए राजनैतिक हत्याएँ करना कोई नयी बात नहीं थी। अमरसिंह ने १७३२ में पीलाजी गायकवाड की राजनैतिक हत्या करवायी थी। बख्तसिंह ने अपने पिता अर्जातसिंह की हत्या की थी।

- ४८ पे० द० का० (२७), ११६, इस हत्या के फलस्वरूप मराठा सेना में क्रोध की लहर फैल गयी। समझौता करने आने वाले राठौड़ प्रतिनिधियों एवं मेवाडी दूतों को वही मौत के घाट उतार दिया गया। सेना में बदला लेने की भावना उग्र होने लगी।
- ४९ पे० द० का० (२), ५२, ५६ (२१) ७०
- ५० उपर्युक्त
- ५१-५२ उपर्युक्त (२७), ११६ गजसिंह का जयपुर के माधोसिंह को खरीता, मार्गशीर्ष वदी २, वि० स० १८१२। २१ नवम्बर १७५५ (कपड जय०)
- ५३ अहमदशाह अब्दाली का विजयसिंह को फरमान, सफर १७ हिजरी, ११६७। १७ नवम्बर १७५५ (स० १४ जोष०)
- ५४ पे० द० का० (२१), ७४, ७७, (२७) ११७, रामगड डोडवाना से ३८ मील पूर्व की ओर है।
५५. पे० द० का० (२१), ७७ (२७) ११७
- ५६-५७ ५८ उपर्युक्त (२१) ७४
- ५९ पे० द० का० (२) ५०, ५१ (२१) ७६, ७७, वह २० अक्टूबर को किले में पहुँचा।
- ६० महाराजा बीकानेर का माधोसिंह को खरीता, मार्गशीर्ष वदी २, वि० स० १८१२। २१ नवम्बर १७५५ (कपड-जय०)
- ६१ पे० द० का० (२१) ७७; दौलतपुरा डोडवाना से ५ मील दूर पूर्व में है।
- ६२ उपर्युक्त
- ६३ उपर्युक्त ८७
- ६४ ६५ उपर्युक्त (२१), ७७, ८०, उपर्युक्त, (नयी सीरीज १), १८६
- ६६ उपर्युक्त, महाराजा बीकानेर का माधोसिंह को खरीता, मार्गशीर्ष वदी २, वि० स० १८१२। २१ नवम्बर १७५५ (कपड जय०)
- ६७ पे० द० का० (नयी सीरीज) १. १८६
- ६८-६९ उपर्युक्त
- ७० पे० द० का० (२१) ८२
- ७१ उपर्युक्त (२७), ११६

- ७२ उपयुक्त (२१) ८२, मुडियाड ख्यात (विजयसिंह) पृ० ५६ (जोध०)
७३. उपयुक्त
७४. उपयुक्त, ऐतिहासिक पत्र १४२, दयालदास री ख्यात (२), ८२ (इसके अनुसार यह समझौता २, फरवरी १७५६ में हुआ था)
७५. पे० द० का० (२१) ८२ ८४ (२७) १२८, हिंगणें दफनर १, १८६, राठीड दानेश्वर वशावली, पृ० ४०७ ४०८, दो० ४५५-४६२, मारवाड री ख्यात (३) पृ० १२
७६. जनकाजी का विजयसिंह को पत्र, आपाड बंदी १६, वि० स० १८१३ । २६ जून १७५६ (पो० फो० फाइल न० १०८-११२ जोध०)
७७. विजयसिंह का आनदराव बावले को पत्र, आपाड मुदी ६ वि० स० १८१६ । २२ जून १७६० (अर्जी बही न० ४ पृ० ६१ जोध०), राठीड दानेश्वर वशावली, पृ० ४०८, दोहा ६६५ ।
७८. राठीड दानेश्वर वशावली, पृ० ४०८, दोहा ६६५
७९. उपयुक्त
८०. पे० द० का० (२१) ८४, ८५
८१. देखिए नक्शा (परिशिष्ट)
८२. रामसिंह का माघोसिंह को खरीता, ज्येष्ठ बुदी ४, वि० स० १८१४ । २६ मई १७५८ (जय०)
८३. राजवाडा (१) ६६
८४. उपयुक्त
८५. पे० द० का० (२) ८७
८६. महाराजा कृष्णनगड का विजयसिंह को खरीता, वैशाख मुदी १४ वि० स० १८१४ । २१ मई, १७५८ (पो० फो० ४, फा० न० ८ । ११ जोध०)
- ८७ ८८. उपयुक्त
८९. रामसिंह का माघोसिंह को खरीता ज्येष्ठ बुदी ४ वि० स० १८१४ । २५ मई १७५८ (जय०), विजयसिंह का आनदराव बावले को पत्र, कार्तिक मुदी १२ वि० स० १८१५ । १२ नवम्बर १७५८ (अ० ब० न० ४, पृ० ६०), पे० द० का० (२) ६४, ६५ ६६ १०१, (२७) २३०, २३६
९०. अहमदशाह का माघोसिंह को फरमान, १७ मुह०रम ११७३ हिजरी । १० सितम्बर १७५६ (कपड-जय०), अहमदशाह का विजयसिंह को फरमान (न १५), १६ रवि उल अरबीय ११७३ हिजरी । १० दिसम्बर १७५६ (जोध०)
९१. पे० द० का० (२) १०६, पे० द० का० (२१) १०१
९२. उपयुक्त (४०) १२६

६३. विजयसिंह का आनन्दराव वावले को पत्र, माघ बदी १०, वि० स० १८१६
१३ जनवरी १७६० (अर्जो बही न० ४, पृ० ६१, जोध०)
- ६४ उपयुक्त
- ६५ माधोसिंह का उदयपुर के राणा राजसिंह को खरीता, फाल्गुन सुदी १४,
वि० स० १८१६ । फरवरी २६, १७६० (कपड-जय०)
- ६६ विजयसिंह का आनन्दराव को पत्र, आषाढ सुदी ६ वि० स० १८१६ । २२
जून १७६० (अर्जो बही न० ४, पृ० स० ६१ जोध०)
- ६७ माधोसिंह और विजयसिंह के बीच कौलनामा, फाल्गुन सुदी १२, वि० स०
१८१६ । २४ फरवरी १७६० (कपड जय०)
६८. विजयसिंह और जनकीजी सिधिया के बीच समझौता, पौष सुदी ६, वि० स०
१८१७ । १५ जनवरी १७६१ (पो० फो० ६ फाईल न० १०८ । १२ जोध०)
इस समझौते की तिथि सन्देहात्मक है । १४ जनवरी १७६१ को पानीपत
के युद्ध में जनकीजी मारे जा चुके थे अतः उनकी मृत्यु के बाद यह समझौता
सम्भव नहीं माना जा सकता । ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के पूर्व ही यह
समझौता हो चुका था और विजयसिंह के हस्ताक्षर हेतु युद्ध के कुछ समय
पूर्व ही जोधपुर भेजा गया हो । विजयसिंह ने १५ जनवरी १७६१ को
हस्ताक्षर किये । उस समय तक पानीपत के युद्ध के परिणाम की सूचना
राठौड़ शासक के पास नहीं पहुँची ।
- ६९ पे० द० का० (२१) १८७
१००. अहमदशाह अब्दाली का विजयसिंह का फरमान, २५ रजब । ११७४ हिजरी
२० फरवरी १७६० (जोध०)
१०१. उपयुक्त
- १०२ पे० द० का० (नई मीरीज) १, २४६
- १०३-५ उपयुक्त
- १०६ - पे० द० का० (२७) २७५
- १०७ पे० द० का० (नयी मीरीज) १, २४६
- १०८-९. उपयुक्त (२७), २७५
११०. पे० द० का० (२७), २६६
- १११ उपयुक्त
- ११२-३ उपयुक्त (२६) १७
- ११४ उपयुक्त (२१) १२-६४ (२६) २७
- ११५ किशनगढ़ महाराजा का विजयसिंह को खरीता, मार्गशीर्ष सुदी ३ वि० स०
१८१८ । २६ नवम्बर १७६१ (पो० फो० नं० ४, फाईल न० ८ । ११
जोध०); पे० द० का० (२६) २७
- ११६ पे० द० का० (२६) २७ मारगोल कोटा के उत्तर-पूर्व में ३५ मील दूर है ।

- ११७ मारवाड री ख्यात (३) पृ० ४८
- ११८ विजयसिंह का सन्तोजी बाबले को पत्र, मार्गशीर्ष वदी १, वि० स० १८१६ । २ नवम्बर १७६२ (अ० ब० न० ४, पृ० ८० जोध०), विजयसिंह का महादजी को पत्र कार्तिक वदी ४ वि० स० १८२० । २६ अक्टूबर १७६३ (अ० ब० न० ४ पृ० २४ जोध०), मारवाड री ख्यात (३), पृ० ३४-३७
- ११९ दीवान सूरतराम का जयपुर के टलेलसिंह को पत्र, भावण वदी ४ वि० स० १८२१ । १७ जुलाई १७६४ (अ० ब० न० ४, पृ० २४४, जोध०)
- १२० विजयसिंह का प० गगाधर को पत्र, ज्येष्ठ सुदी १०, वि० स० १८२० । ६ जून १७६४ (अ० ब० न० ४ पृ० १७, जोध०) (विजयसिंह का बाबुराव पटेल को पत्र, माघ सुदी २, वि० स० १८२१ । २३ जनवरी १७६५ (अ० ब० न० ४ पृ० ७६ जोध०)
- १२१ विजयसिंह का प० गगाधर को पत्र, घ्रापाठ वदी ६, वि० स० १८२१ । ६ जून १७६५ (अ० ब० न० ४, पृ० १७ जोध०)
- १२२ उपर्युक्त प० द० का० (२६), १८, ६६, १०२
- १२३ विजयसिंह का महादजी को पत्र ज्येष्ठ वदी १२, वि० स० १८२२ । ४ जून १७६६ (अ० ब० स० ४, पृ० २४ जोध०), प० द० का० (२६), १२८, पृ० १०५-१०६, मारवाड री ख्यात (३), पृ० ४०-४१ साभर जिले के उत्तरी कोने पर नावा २७° १ उत्तर व ७५° पूर्व में है ।
- १२४ विजयसिंह का महादजी को पत्र, माघ वदी १०, वि० स० १८२३ । २५ जनवरी १७६७ (अ० ब० न० ४, पृ० २६ जोध०)
- १२५ मारवाड री ख्यात (३) पृ० ४१
- १२६ विजयसिंह का नन्दवाना के बोहरो को पत्र, पौष वदी ३०, वि० स० १८२३ । ३१ दिसम्बर १७६६ (अ० ब० न० ४, पृ० २८६ जोध०)
- १२७ प० द० का० (२६) १६२, १६४, १६५, चहर गुलजार (इलियट और डाउसन (८) पृ० २२५, वश भास्कर (४), पृ० ३७२०-३७२७, मारवाड री ख्यात (३), पृ० ४३-४७, परवतसर किशनगढ़ की क्षैण्य सीमा के पास व मकराणा स्टेशन से १२ मील दक्षिण की ओर २७° ५३ उत्तर व ७४° ४६ पूर्व में है ।
- १२८ धरिसिंह का विजयसिंह को खरीता, चैत्र वदी ५, वि० स० १८२६ । १६ मार्च १७६६ (पो० फो० ३, फाइल न० ३ खरीता न० ४, जोध०)
- १२९ मेवाड के मामन्ती का विजयसिंह को पत्र, भावण वदी १२, वि० स० १८२५ । ६ अगस्त १७६८ (पो० फो० फाइल न० ३ पत्र न० ३ जोध०)
- १३० प० द० का० (३८) १८५
- १३१-२ उपर्युक्त (२६) २३६, (३८), १८५

- १३३ महादजी का विजयसिंह का पत्र, ज्येष्ठ सुदी ५, वि० स० १८२६ । ८ जून १७६६ (पो० फो० न० ६, पत्र न० ८, जोध०)
- १३४ प० द० का० (३८) १८५
- १३५ विजयसिंह का महादजी को पत्र, मांगशीपे बंदी १२, वि० स० १८२५ । ५ दिसम्बर १७६८ (घ० ब० न० ४, पृ० न० २६ जोध०), विजयसिंह का बहादुरसिंह किशनगढ नरेश, को पत्र, पीप बंदी ६, वि० स० १८२५ । २६ दिसम्बर १७६८ (घ० ब० न० ४, पृ० २४०, जोध०), महाराजा पृथ्वीसिंह का महादजी को पत्र, पीप सुदी २, वि० स० १८२५ । १० जनवरी १७६६ (कपड-जय०)
- १३६ महादजी का विजयसिंह को पत्र, ज्येष्ठ सुदी ५, वि० स० १८२६ । ८ जून १७६६ (पो० फो० न० ६, पत्र न० ८, जोध०) रकम प्राप्ति की रसीद ।
- १३७ हयवही न० २ पृ० १२२-१२३ (जोध०) कुल रकम ५,५०,००० रुपये घांटी गई, जिनमे ४०,००० रुपये सिधिया ने हम शत पर कम किये कि घदायगी अग्रिम दी जायगी ।
- १३८ उपर्युक्त, महादजी का विजयसिंह को पत्र, ज्येष्ठ सुदी ५, वि० स० १८२६ ८ जून १७६६ (पो० फो० न० ६ पत्र न० ६ जोध०), रकम-प्राप्ति की रसीद
- १३९ प० द० का० (२६) २३६
- १४० उपर्युक्त (२६), २४३ (३८) १८५
- १४१ गोविन्दराव का विजयसिंह को पत्र, घापाड सुदी ५, वि० स० १८२७ । २७ जून १७७० (पो० फो० न० ६, पत्र ५ जोध०)
- १४२ मूरनराम का बाघसिंह को पत्र, चैत्र सुदी १२, वि० स० १८२६ । १७ अप्रैल १७७० (घ० ब० स० ४, पृ० १७६ जोध०)
- १४३ घांसिंह का विजयसिंह को खरोता, बंशाष्ट बंदी ११, वि० स० १८२७ । २१ अप्रैल १७७० (पो० फो० न० ३ फाईल न० १ खरीता न० ३ जोध०), घांसिंह का विजयसिंह को खरीता, ७ अक्टूबर १७७० (पो० फो० न० ३ फाईल न० १ खरीता न० ६ जोध०)
- १४४ मेहता श्रीचन्द मे बापस्य जसवंतराम को पत्र, पीप सुदी १३, वि० स० १८२७ । ३० दिसम्बर १७७० (उदयपुर-रिकाई)
- १४५ महादजी का विजयसिंह को पत्र, भाद्रपद सुदी वि० स० १८०७ । सितम्बर १७७० (पो० फो० न० ६ पत्र न० १० जोध०)
- १४६ महादजी का विजयसिंह को पत्र, घापाड बंदी २-३, वि० स० १८२८ । ३१ मई १७७१ (पो० फो० न० ६, पत्र न० ३ व ४ जोध०)

१४७. उपर्युक्त को पत्र, भाषिवन बंदी ११, वि० सा० १८२८ । ४ अक्टूबर १७७१
(पो० फो० न० ६, पत्र न० ११ जोध०)
१४८. विजयसिंह का महादजी को पत्र, माघ सुदी ६ वि० सा० १८२८ । १०
फरवरी १७७२ (घ० ब० न० ४, पृ० ३० जोध०)
१४९. उपर्युक्त, चैत्र बंदी १३, वि० सा० १८२८ । ३१ मार्च १७७२ (घ० ब० ४,
पृ० ३०, जोध०)
१५०. महादजी का विजयसिंह को पत्र, चैत्र बंदी ५ वि० सा० १८२९ । २३ मार्च
१७७२ (पो० फो० न० ६, पत्र न० १८ जोध०)
१५१. उपर्युक्त पत्र न० १९
१५२. विजयसिंह का महादजी को पत्र, ज्येष्ठ सुदी ६ वि० सा० १८२८ । ७ जून
१७२२ (घ० ब० न० ४, पृ० ३२ जोध०)
१५३. महादजी का विजयसिंह को पत्र, चैत्र बंदी ५, वि० सा० १८२९ । २३ मार्च
१७७२ (पो० फो० न० ६, पत्र न० १९ जोध०)
- १५४-६ उपर्युक्त, पत्र स २०
१५७. महादजी का विजयसिंह को पत्र, पौष सुदी ३ वि० सा० १८२९ । २७ दिस-
म्बर १७७२ (पो० फो० न० ६ पत्र न० १७ जोध०)
१५८. मुंडियाड ख्यात (विजयसिंह) पृ० १३९ (बस्ता न० २० जोध०)
१५९. विजयसिंह का सप्तोजी बाबले को पत्र, फाल्गुन बंदी १२ वि० सा० १८२९ ।
१८ फरवरी १७७२ (घ० ब० न० ४, पृ० ८१ जोध०)
१६०. महादजी का विजयसिंह को पत्र, भाषाड सुदी वि० सा० १८३० । जून १७७३
(पो० फो० न० ६ पत्र २५ जोध०)
१६१. उपर्युक्त पत्र न० २६
१६२. विजयसिंह का महादजी को पत्र, फाल्गुन सुदी ६ वि० सा० १८२९ ।
२७ फरवरी १७७३ (घ० ब० ४ पृ० ३२ जोध०)
१६३. महादजी का विजयसिंह को पत्र, वैशाख बंदी ५ वि० सा० १८३० । ३० अप्रैल
१७७४ (पो० फो० न० ६, पत्र न० २९ जोध०), हथबही न० २, पृ० १२५-
१२६ जोध०
१६४. महादजी का विजयसिंह को पत्र, भावण बंदी २, वि० सा० १८३२ । १४
जुलाई १७७५ (पो० फो० न० ६ पत्र न० ३० जोध०)
१६५. सूरतराम का महादजी को पत्र, कार्तिक सुदी ५, वि० सा० १८८३ । १६
नवम्बर १७७६ (घ० ब० न० ४, पृ० २६४)
१६६. हथबही न० २, पृ० १२७, १३१-१३२ जोध०

अध्याय : ५

विजयसिंह और मराठे (उत्तरार्द्ध)

(१७८०-१७९३)

(क) राठीड-सिंधिया संधि (१७८२-१७९०)

(१) मतभेद और तनाव की परिस्थितियाँ

विद्यने अध्याय में पढ़ चुके हैं कि महादजी सिंधिया और महाराजा विजयसिंह के राजनैतिक सम्बन्धों में घनिष्टता कभी भी नहीं रह सकी। न तो मराठों की कोई निश्चित राजनैतिक मान्यताएँ थी, जिससे वे राठीड राज्य पर स्थायी प्रभाव स्थापित कर सकें और न राठीड शासक १७५६ की संधि के प्रति ईमानदार था। वह हमेशा ही वार्षिक कर देने में उदासीनता की नीति अपनाता रहा। अतः राठीडों का बकाया कर को भुगतान करने का दृष्टिकोण,^१ और सिंधिया की सिद्धान्तहीन राजनीति के कारण विजयसिंह और महादजी के आपसी सम्बन्ध १७८० के बाद इतने बिगड़ने लगे कि उन दोनों के बीच युद्ध अवश्यम्भावी हो गया।

१७५६ की संधि के अनुसार अजमेर पर मराठों का शासन स्थापित हो गया था। राठीडों ने इसे मान्यता भी दी थी। परन्तु इसके आसपास के क्षेत्र पर राठीडों का अधिकार बना रहा। जुलाई १७८० में मिनाय के मामले में जब विजयसिंह ने हस्तक्षेप किया तो सिंधिया को बुरा लगा। राठीड शासक को वहाँ से अपने पदाधिकारी हटाने के लिए बाध्य किया गया।^२ इसके अलावा १७८१ में विजयसिंह की अग्रजों के साथ शर्ता सिंधिया को पसंद नहीं थी।^३ १७८४ में मेवाड़ में शक्तावत-जूडावत संधि में सिंधिया ने जूडावत का और राठीडों ने शक्तावतों का साथ दिया।^४ १७८६ में महादजी ने जयपुर के शासक को मंत्रिक आश्रमण की धमकी देकर उससे बकाया राशि के २१ लाख रुपये वसूल किये,^५ तो विजयसिंह ने जयपुर के शासक का समर्थन किया।

सन् १७७७ में रामसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर जोधपुर के सम्बन्ध सुधरने लगे। १७७४ में माचेडी के राजा प्रतापसिंह नरुवा ने जयपुर शासक पृथ्वीसिंह के विरुद्ध आक्रमण किया तो विजयसिंह ने महारा के विरुद्ध राठीड-मुगल छद्मवाहा सयुक्त कार्यवाही की योजना बनायी। उसने बादशाह को विश्वास दिलाया कि इससे मराठों की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकेगा।^६ इसका यह परिणाम हुआ कि माचेडी के

राजा की महत्वाकांक्षाएँ सफल न हो सकी। जब सवाई प्रतापसिंह १६ अप्रैल १७७८ को जयपुर का नया शासक बना तो नरुवा ने पुनः विद्रोही हरवर्तें करनी प्रारम्भ की। १७८२ में उसने जयपुर राज्य के एक भूभाग पर अधिकार कर लिया।^{१०} जब जयपुर के राजनीतिज्ञों ने मराठों में सहायता के लिए वार्ता प्रारम्भ की तो विजयसिंह ने प्रतापसिंह को इसके लिए आगाह किया^{११} और आश्वासन दिया कि वह उसकी सहायता के लिए सेना भेजने को तैयार है।^{१२} मई १७८५ तक जोधपुर-जयपुर संधि घनिष्ठ होने लगे।^{१३} अगस्त में विजयसिंह ने अपनी पत्नी की शादी सवाई प्रतापसिंह से कर इन सम्बन्धों को और घनिष्ठ बना लिया।^{१४}

जून १७८६ में महादजी रवम-वगुल कर जयपुर से चला गया।^{१५} विजयसिंह ने जयपुर-शासन से सैनिक समझौता करने के लिए लिखा, जिससे मराठों के विरुद्ध राठौड़-बच्छवाह मयुक्त सैनिक कार्यवाही की जा सके।^{१६} यद्यपि अगस्त १७८६ तक ऐसा विदित होने लगा था कि दोनों शासकों का सैनिक समझौता होने ही वाला है, तथापि निश्चित रूप से कुछ नहीं हो सका।^{१७} विजयसिंह ने यह प्रस्ताव रखा था कि दोनों सेनाओं के स्वर्ण हेतु जयपुर के कुछ क्षेत्र उसके अधीन कर दिये जाएँ।^{१८} यह प्रस्ताव जयपुर के राजनीतिक क्षेत्रों में मान्य नहीं था। अतः कुछ समय तक समझौते की वार्ता गीँण हो गयी। जयपुर में खुशीराम बोहरा के दल ने मराठों से मित्रता की नीति अपना कर उनसे वार्ता प्रारम्भ की।^{१९} इसके पूर्व कि खुशीराम अपनी कूटनीति में सफल हो सके जनवरी १७८७ में जयपुर के मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन हो गये। दौलतराम हल्दिया, जो कि मराठा-विरोधी राजनीतिज्ञ था, दीवान नियुक्त किया गया। उसने विजयसिंह की राजपूत संधि वाली योजना को क्रियान्वित करने का दृढ निश्चय किया।^{२०} विजयसिंह ने अपनी योजना पर कार्य करने के लिए शेस्तावतो से वार्ता प्रारम्भ कर रली थी। उसकी मध्यस्थता के फलस्वरूप बच्छवाह-सेनावत वैमनस्य दूर हो गया।^{२१} शेस्तावतो ने प्रतापसिंह का नेतृत्व स्वीकार किया। फरवरी १७८७ में जयपुर के शासक ने विजयसिंह को लिखा कि यह राठौड़-बच्छवाह सेना का खर्चा देने को तैयार है अतः शीघ्र ही राठौड़ सेना जयपुर भेजी जाए।^{२२}

उस समय तक राठौड़ शासन ने अपनी आन्तरिक और बाह्य स्थिति को शक्तिशाली बना लिया था। आन्तरिक क्षेत्र में उसकी वित्तीय स्थिति सभलने लगी। गौडवाड पर अधिकार हो जाने से उसे समृद्ध उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त हो गया। १७८१ में उसने नयी मुद्रा 'विजयशाही सिक्के' प्रचलित कर व्यापार को स्थायित्व दिया।^{२३} उसने भीमराज के नेतृत्व में एक स्थायी सेना का संगठन किया जिसमें सिंध और रूहेलखण्ड के सैनिकों को भी भर्ती किया गया।^{२४} बाद में इस सेना ने नागा और दादूपथी साधुओं को भी लेना शुरू किया।^{२५} १७८२ में उसने सिंध के अमरकोट पर अधिकार कर लिया, जिसमें वहाँ के क्षेत्रों से सैनिक प्राप्त किये जा सकें।^{२६} अगस्त १७८५ में नजफकुली खा और विजयसिंह के बीच आपसी सहायता का

समझौता हो गया।^{२४} फरवरी १७८६ में अपने होल्कर को सिधिया के विरुद्ध सहायता के लिए लिखा।^{२५} जून में अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने की वार्ता प्रारंभ हुई।^{२६} उसने मराठों के विरुद्ध राजपूत सव वा सगठन करना प्रारंभ किया।^{२७} फरवरी १७८७ तक उसकी स्थिति इतनी मजबूत हो गयी कि उसने जयपुर के दीवान हस्दिया को जयपुर जोधपुर समुक्त मोर्चा बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात लिखी।^{२८} नवाब गुजाउद्दौला तथा सिख और अफगान शासकों के पास भी उसने अपने दूतों को भेजकर सहायता के लिए प्रार्थनाएँ की।^{२९} महेशदास कूपावत ने जब यह राय दी कि मराठों से समझौता कर लेना ही उचित है तो राठौड़ शासक ने उसे अस्वीकार किया।^{३०} उसे सन्देश हुआ कि जोधपुर स्थित मराठों के प्रतिनिधि रामाराव सदाशिव (सिधिया का प्रतिनिधि) और कृष्णाजी जगनाथ (पेशवा का प्रतिनिधि) राठौड़ी सामन्तों में फूट डाल रहे हैं, अतः उन पर कड़ी नजर रखी जाने लगी।^{३१} मारवाड़ में तत्काल अनिवार्य सैनिक भर्तियों के आदेश दिये गये।^{३२}

(२) तूंगा का युद्ध (जुलाई २८, १७८७)

विजयसिंह और प्रतापसिंह की युद्ध की तैयारियों से महादजी क्रुद्ध हो उठा। उसने फरवरी १७८७ के अन्त में अपने बखशी जीवाजी बल्लाल केरकर (जीवदादा) को रायाजी पटेल की स्थिति को मजबूत करने भेजा जो कि जयपुर स्थित सिधिया की टुकड़ी का सेनापति था। परन्तु इससे राठौड़ कछवाहा शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस पर कहीं स्थिति बिगड़ नहीं जाए, यह सोचकर महादजी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर चला। उसने दोसा के पास २४ माच को डेरा डाला।^{३३} जयपुर के शासक से बकाया धनराशि देने को कहा गया। परन्तु शासक का दृष्टिकोण मराठा-विरोधी बना रहा। समझौता असम्भव था।^{३४} सिधिया ने राजपूतों के विरुद्ध अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए होल्कर को लिखा कि वह अम्बाजी इगले व खादेराव को सेना सहित भेजे। चार माह तक वह उनकी प्रतीक्षा करता रहा।^{३५} इतने लम्बे समय तक उसने कोई सैनिक कार्यवाही नहीं की। सम्भवतः वह वर्षा के बाद ही सैनिक कार्यवाही करना चाहता था। उसे विश्वास होने लगा था कि तब तक राजपूतों की सेना, जिमम कृष्ण वर्ग के सैनिक अधिक थे, पहली वर्षा के बाद खेतों में काम करने के लिए बिखर जाएंगे।^{३६} उसने यह भी सोचा था कि इसी बीच राजपूत शासक अपने स्वार्थों एव उसकी उपस्थिति के कारण लड़ भगड़ कर अलग हो जाएंगे।^{३७} पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। २६ जून को ग्यादेराव उससे घा मिला।^{३८} जुलाई में अम्बाजी सेना सहित दोसा पहुँच गया।^{३९}

विजयसिंह के नेतृत्व में "राजपूत सघ" भी शक्तिशाली बन चुका था। जयपुर-सिधिया वार्ता की असफलता के बाद विजयसिंह ने रण यात्रा के लिए गढ़ से प्रस्थान कर मेरठिया द्वार के बाहर डेरा डाल दिया।^{४०} पर शीघ्र ही जोधपुर में घटित कुछ समस्याओं के निपटाने हेतु घागे प्रस्थान नहीं किया।^{४१} मई १७८७ के प्रारंभ में

जयपुर शासन ने युद्ध क्षेत्र के लिए जरूरत से प्रस्थान कर दिया ।^{१२} बिरबसिंह ने अपने पुत्र जालमसिंह को १५ हजार सैनिक देकर जयपुर की ओर भेजा ।^{१३} इसके साथ ही उसने कछवाह शासक को सूचित किया कि जब तक उसका बरहो भीमराज उससे न मिला जाए युद्ध प्रारम्भ न करे ।^{१४} अतः मराठों पर शीघ्र आक्रमण न हो सका । राठोड कछवाहों ने सिधिया की फौज में स्थित मोहम्मद वेग हमदानी को अपनी ओर करने के लिए उसके साथ बातचीत की ।^{१५} सिधिया से छीनकर आगरा तथा जयपुर में जागीर देने का वायदा उससे किया गया ।^{१६} हमदानी ने इसे स्वीकार किया । वह और भीमराज सिधिया दोनों ही जयपुर की सेना में २५ मई को पहुँचे ।^{१७}

भीमराज की राठोड सेना में १५ हजार राठोड अश्वारोही, ४ हजार मीणा सैनिक, एवं ५ हजार नागा साधु थे ।^{१८} राजपूत सभ की पूरी फौज ४१ हजार तक पहुँच गयी थी ।^{१९} जुलाई में सिधिया के विरुद्ध युद्ध के उद्देश्यों की (राठोड कछवाह हमदानी के बीच) नये स्तर पर व्याख्या की गयी । इसके अनुसार^{२०} विजयी होने के बाद जयपुर को वह संपूर्ण क्षेत्र दिया जाएगा जो किसी समय माधोसिंह के पास था । माधोसिंह के शासक के क्षेत्र पर अधिकार कर उसे दो भागों में विभाजित कर एक भाग राठोड शासक को दिया जाएगा । नजफवाँ के क्षेत्रों पर हमदानी का अधिकार माना जाएगा । परन्तु उन क्षेत्रों में जयपुर के परिवार के पुराने भाग प्रतापसिंह को दे दिये जाएँगे । इसके अलावा अन्य कोई क्षेत्र जीता गया तो आधा हमदानी को दिया जाएगा और बाकी के आधे भाग को दोनों शासकों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा ।

राजस्थान के कोने कोने में स्थित मराठों के विरुद्ध एक रणनीति तैयार की गयी । उदयपुर के महाराणा से कहा गया कि वह अपने राज्य के पश्चिम क्षेत्र पर जिस पर सिधिया ने अधिकार कर रखा था, पुनः अधिकार करे और उज्जैन पर आक्रमण करे ।^{२१} कोटा के जालमसिंह को सूचित किया कि कोटा राज्य के जो क्षेत्र मराठों के अधिकार में हैं वे छीन लिये जाएँ ।^{२२} जयपुर के शासक ने कर्नल हार्पर से प्रार्थना की कि वह गवर्नर जनरल के द्वारा राजा हिम्मत बहादुर को आदेश दिलाए कि यमुना के दूसरी ओर से सिधिया पर आक्रमण करे ।^{२३} राजपूतों ने सिधिया के किराये के सैनिकों को अपनी ओर मिलावे का लालच देना प्रारम्भ किया ।^{२४} यद्यपि अम्बाजी इगले के आने के पहले ही युद्ध प्रारम्भ करने का निश्चय राजपूतों ने किया था, परन्तु जब तक बूंदी, खीचीवाडा तथा अन्य स्थानों के राजपूत शासकों की फौजें, विशेषतः सिधिया छोपची सम्मिलित नहीं हुई, युद्ध नहीं किया गया ।^{२५} जब अम्बाजी इगले और खाण्डेराव, सिधिया से आ मिले तो "राजपूत सभ" ने शीघ्र ही आक्रमण कर दिया । भीमराज, हमदानी, दौलतराव और मलिक मोहम्मदखान ने मराठों को पहुँचने वाली रसद लुटनी शुरू की ।^{२६} प्रति दिन ऋत्यों होने लगीं जिससे राठोडों की

रता और साहस के कारण "सब का मनोबल" श्रव्यत हट बना रहा ।^{५७} सिधिया कई सैनिक राजपूतो से मिलने लगे ।^{५८}

राजपूतो का मनोबल ऊँचा होने पर भी उनके "सब" में कुछ कमजोरियाँ थी । प वा नेतृत्व जयपुर-शासक प्रतापसिंह कर रहा था । उसका आचरण सैनिकों के लिए प्रेरणात्मक नहीं था । ज्यों-ज्यों उसकी सैनिक दृकडियों ने प्रतापसिंह नरुका से कछवाही प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना शुरू किया, त्यो-त्यो वह सिधिया से प्रत्यक्ष युद्ध करन में डिलाई करने लगा ।^{५९} प्रारम्भ से ही वह श्रम्बाजी डग्लिया, शिवाजी एटलराव और राखेखान के मार्फत महादजी से समझौते की बातें कर रहा था ।^{६०} राठोड सेनापति को यह आचरण उचित नहीं लगा । युद्ध के पूर्व २५ जुलाई १७८७^{६१} को उसने राजा से स्पष्ट कह दिया कि युद्ध अवश्यम्भावी है अतः उ-होंने यह ध्यान (प्रतिज्ञा) की कि वे "कल युद्ध में जूझ जाएँगे और पराजित रूप में जीवित नहीं लौटेंगे ।^{६२} यह धमकी काम कर गयी । सिधिया से वार्ता बन्द कर दी गयी और कछवाहा शासक को युद्ध में शामिल होना पडा ।^{६३}

तूंगा का युद्ध २८ जुलाई १७८७ को लडा गया ।^{६४} सब की सेना का ब्यूह इस प्रकार था कि सिधिया की सेना में फ्रांसीसी ले-सैन्यू व ता वसोल्ट की ६ बटालियनों का सामना करने के लिए दाईं ओर राठोड पक्ति थी, हमदानी दाईं ओर व मध्य में कछवाहा सैनिक थे । युद्ध का पूर्ण भार राठोडों पर था, जिन्होंने अपनी तोपें दाग कर युद्ध का श्रीगणेश किया ।^{६५} प्रातः ६ बजे तोपों का युद्ध प्रारम्भ हुआ । यह दो घंटे तक चलता रहा । यद्यपि राठोडों को भयकर नुकसान ही रहा था, फिर भी वे धीमे बढ़े ।^{६६} अब महाराजा जयपुर, जो कि पीछे की पक्ति में था, हरावल (प्रथम पक्ति) की ओर बढ़ने लगा परन्तु शीघ्र ही यह जानकर कि हरावल में राठोड लड रहे हैं, वह वहीं रुक गया ।^{६७} करीब ग्यारह बजे राठोडों की तोपें बन्द हो गयी । तब तनवारों, तीरों, राकेटों से युद्ध हुआ । चार बजे सिधिया के आसपास चार हजार राठोड सैनिकों ने श्रम्बाजी पर आक्रमण किया । मराठों की भरी भीड में उनके राकेटों व धाग उगलते तोपखाने की परवाह न कर वे प्रवेश कर गये । मराठी तोपों को उलाढते, तोपचियों को मारते हुए वे मराठा पैदल टुकडी पर टूट पडे । कई सौ सिपाही मारे गये, यहाँ तक कि डीबोइन के सिपाही, जिन्होंने तोपें दागी थी, इधर-उधर भागने लगे ।^{६८} परन्तु रानेखा के तोपखाने के सम्मुख उन्हें पीछे हटना पडा । इस आक्रमण में उनके बीस सरदार एवं चार सौ से पाच सौ राठोड सैनिक मारे गये या घायल हुए । उनका नेता शोभाराम भण्डारी और उसका पुत्र युद्ध क्षेत्र में मारे गये ।^{६९} सौक को मराठों के एक गोले से हृदय की भृत्यु हो गया । राठोडों ने पार-पार बार मराठों की पक्ति पर आक्रमण करना चाहा परन्तु उनके तोपखाने के कारण वे सक्षम नहीं बना सके ।^{७०} रात्रि को ८ बजे युद्ध बन्द हुआ ।^{७१}

यद्यपि राजपूतों के मृतकों की सख्या अधिक रही फिर भी उन्होंने एक श्रगस्त को सिधिया को तूंगा से प्रतबर और हिण्डोल की ओर जाने को मजबूर किया ।^{७२} यह

सिधिया की स्पष्ट हार थी। ज्यों ही सिधिया राजस्थान से चला गया, विजयसिंह ने मेड़ता स्थित अपने भेनासति सिधवी घनराज को अजमेर हस्तगत करने के लिए भेजा।^{१३} अजमेर पर राठौड़ों का अधिकार २७ अगस्त को हो गया।^{१४} फिर उसने तारागढ़ (गढ़ बीटली) का घेरा डाल दिया। जयपुर से राठौड़ों की सहायतायें रोडोजी खवास भेजे गये।^{१५} विजयसिंह ने नागौर और जालौर स्थित राठौड़ों टुकड़ियों को सिधवी की महायत्नाय भेजा, जिसमें कि गढ़ पर शीघ्र अधिकार हो सके।^{१६} परन्तु मराठा किलेदार, जेरखा जमादार ने, जो मिर्जा रहीम बेग का भाई था, किले की दृढ़तापूर्वक सुरक्षा की।^{१७} महादजी ने उसकी सहायता के लिए यद्यपि कोई मदद नहीं भेजी,^{१८} फिर भी उसने बडींदा के गायकवाड को मारवाड पर आक्रमण करने को लिखा, जिससे गढ़ का पतन रोका जा सके।^{१९} अक्टूबर में अम्बाजी इगले ने किशनगढ़ के शासन को अपनी ओर मिलाकर अजमेर पर पुनः अधिकार करना चाहा और किलेदार को रसद पहुँचाने की कोशिश की, परन्तु रोडोजी खवास ने उसे वापिस लौटने को मजबूर किया। शेरखा अधिक दिनो तक घेरे का सामना नहीं कर सका अपनी इज्जत बचाने हेतु उसने जहर खान्दर आत्म-हत्या कर ली। इस प्रकार २१ दिसम्बर को गढ़ पर राठौड़ों का अधिकार हो गया।^{२०} विजयसिंह ने घनराज सिधवी को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया।^{२१}

अजमेर के पतन के बाद राजस्थान में सिधिया का प्रभाव घटने लगा। विजयसिंह ने तुकोजी होल्कर को ७ जनवरी १७८८ को पत्र लिखने हुए कहा कि राजस्थान की भूमि राजस्थानियों की है और उनकी मित्रता में ही मराठों का भला है।^{२२}

(३) सिधिया-विरोधी राठौड़ कूटनीति (१७८८ से १७९०)

तूंगा युद्ध की सफलता ने राठौड़ों की महत्वाकांक्षा को पुनः जाग्रत कर दिया। विजयसिंह अपने पिता की तरह न सिर्फ राजस्थान में बल्कि उत्तरी भारत से भी सिधिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। उन सभी व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार एवं राजनैतिक वार्ताएँ प्रारम्भ की गयी, जो कि सिधिया के विरुद्ध थे। जनवरी १७८८ में उसने तुकोजी होल्कर के द्वारा पेशवा को एक पत्र लिखा कि उत्तर भारत में मराठा हितों के उत्तरदायित्व से सिधिया को मुक्त कर दिया जाए।^{२३} फरवरी-मार्च में भीमराज सिधवी को यादशाह के पास भेजकर शाही सहायता की कोशिश की गयी।^{२४} तुकोजी होल्कर और महादजी के मतभेद का लाभ उठाकर^{२५} उसने तुकोजी को लिखा कि यदि वे उत्तरी भारत में अपना प्रभाव बनाये रखना चाहते हैं तो महादजी की कोई सहायता न करें।^{२६} सिधिया ने कई बार प्रयास किया कि राठौड़ शासक के साथ अच्छे सम्बन्ध पुनः स्थापित हो जाएँ परन्तु विजयसिंह ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया।^{२७} दूसरी ओर जब दिल्ली में सिधिया-विरोधी गुलाम बादर ने यादशाह को केंद्र कर राज्य-शक्ति जवदंस्ती ले ली

तो राठोड शासक ने गुलाम बादिर का समर्थन किया।^{१८८} पञ्जाब के सिक्ख नेताओं से उसका पत्र व्यवहार चन रहा था। जुलाई में सिक्खों ने विजयसिंह से आपसी सहयोग का समझौता करने के लिए वार्ता प्रारम्भ की।^{१८९} अक्टूबर में इस हेतु राठोड प्रतिनिधि पञ्जाब भेजा गया।^{१९०} अफगानिस्तान के तैमूर शाह से प्रार्थना की गयी कि वह सहायता को आए। तैमूर दिसम्बर १७८८ में भारत में आ गया।^{१९१} अप्रैल, १७८९ में जब सिधिया की कुछ प्लेटूनो ने विद्रोह किया तो विजयसिंह ने दिल्ली-स्थित अपने प्रतिनिधियों को आदेश दिया कि उन सैनिकों को राठोड सेना में भर्ती कर ले।^{१९२} १७९० के प्रारम्भ में अंग्रेजों से सैनिक सहायता एवं सिधिया को उत्तरी भारत से निगलने हेतु वार्ता की गयी।^{१९३}

तीन वर्ष तक विजयसिंह प्रयास करता रहा कि उसके सिधिया-विरोधी मोर्चे में उत्तरी भारत की सभी शक्तियाँ सम्मिलित हो जाएँ परन्तु उसे निराशा ही हाथ लगी। तुर्कों और महादजी के मनभेद अवश्य थे, परन्तु जिस प्रकार के पत्र राठोड शासक लिख रहा था और जिन शक्तियों से वह सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था उसे देखने हुए तुर्कों की शक्ति या अज्ञान पर राठोडों की शक्ति से भी वह प्रसन्न नहीं था।^{१९४} उसने विजयसिंह को सूचित किया कि उत्तरी भारत में वह पेशवा का प्रतिनिधि पहले है अतः विजयसिंह जो कार्यवाही कर रहा है वह उसे पसन्द नहीं है।^{१९५} दिसम्बर १७८८ से मार्च १७८९ तक तैमूर शाह भारत में रहा पर विजयसिंह ने उसकी उपस्थिति का कोई लाभ नहीं उठाया। अप्रैल १७८९ में अफगानिस्तान में अकबर शाह के विद्रोहों का ज्ञान पर तैमूर बाबुल की ओर चला गया।^{१९६} विजयसिंह द्वारा तैमूर को आमंत्रण देने में बादशाह और सिक्ख नेता अप्रसन्न हो गये क्योंकि इससे पञ्जाब और उत्तरी भारत में उनकी स्थिति की खतरा था।^{१९७} उन्होंने विजयसिंह को लिखा कि वह तैमूर शाह को पुनः आमंत्रित न करे तो वे उसकी भरपूर सहायता करेंगे।^{१९८} पर विजयसिंह ने पुनः आमंत्रण दे दिया।^{१९९} परन्तु न तो तैमूर ने कोई उत्तर दिया न सिधिया में उसके प्रतिनिधि शाहनवाजगना ने कोई सूचना भेजी।^{२००} १७८९ के प्रारम्भ में सिधिया की स्थिति में सुधार हो गया।^{२०१} पेशवा ने उसे उत्तरी भारत में मराठों का नेतृत्व पुनः दे दिया।^{२०२} अब सिधिया राठोड शक्ति को चुनने की तैयारी करने लगा।^{२०३} जुलाई १७८९ में विजयसिंह ने होल्कर के मार्फत जत्र समझौता करना चाहा तो सिधिया ने कोई मुनवाई नहीं की।^{२०४} मार्च १७९० में अंग्रेजों ने राठोडों की सहायता के लिए अपनी अन्तिम प्रकट की क्योंकि वे उस समय टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध में लगे हुए थे।^{२०५}

ज्योंही सिधिया की स्थिति सुधरी उसने घोषणा की कि वर्षों के बाद वह मारवाड़ पर आक्रमण करेगा।^{२०६} परन्तु यह आक्रमण नहीं हुआ। अगस्त १७८९ तक वह बीमार रहा।^{२०७} फिर अचानक तुर्कों की हस्तक्षेप से अली बहादुर ने उसके मनभेद इतने उग्र हो गये कि शूर्य युद्ध की समाप्ति माने लगी। परन्तु अंग्रेज ही उनमें

सिधिया की स्पष्ट हार थी। ज्यों ही सिधिया राजस्थान से चला गया, विजयसिंह ने मेड़ता-स्थित अपने सेनापति सिधवी धनराज को अजमेर हस्तगत करने के लिए भेजा।^{७३} अजमेर पर राठौड़ो का अधिकार २७ अगस्त को हो गया।^{७४} फिर उसने तारागढ़ (गढ़ बीटली) का घेरा डाल दिया। जयपुर से राठौड़ो की सहायताार्थ रोडोजी खवास भेजे गये।^{७५} विजयसिंह ने नागौर और जालौर स्थित राठौड़ी टुकड़ियों को सिधवी की महायतार्थ भेजा, जिससे कि गढ़ पर शीघ्र अधिकार हो सके।^{७६} परन्तु मराठा किलेदार, शेरखा जमादार ने, जो मिर्जा रहीम बेग का भाई था, किले की दृढ़तापूर्वक सुरक्षा की।^{७७} महादजी ने उसकी सहायता के लिए यद्यपि कोई मदद नहीं भेजी,^{७८} फिर भी उसने बड़ोदा के गायकवाड को मारवाड पर आक्रमण करने को लिखा, जिससे गढ़ का पतन रोका जा सके।^{७९} अक्टूबर में अम्ब्राजी इगले ने किशनगढ़ के शासक को अपनी शर मिलाकर अजमेर पर पुनः अधिकार करना चाहा और किलेदार को रसद पहुँचाने की कोशिश की, परन्तु रोडोजी खवास ने उसे वापिस लौटने को मजबूर किया। शेरखा अधिक दिनों तक घेरे का सामना नहीं कर सका। अपनी इज्जत बचाने हेतु उसने जहर खाकर आत्म-हत्या कर ली। इस प्रकार २४ दिसम्बर का गढ़ पर राठौड़ो का अधिकार हो गया।^{८०} विजयसिंह ने धनराज सिधवी को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया।^{८१}

अजमेर के पतन के बाद राजस्थान में सिधिया का प्रभाव घटने लगा। विजयसिंह ने तुकोजी होल्कर को ७ जनवरी १७८८ को पत्र लिखते हुए कहा कि राजस्थान की भूमि राजस्थानियों की है और उनकी मित्रता में ही मराठो का भला है।^{८२}

(३) सिधिया-विरोधी राठौड़ कूटनीति (१७८८ से १७९०)

तुंग युद्ध की सफलता न राठौड़ो की महत्वाकांक्षा को पुनः जाग्रत कर दिया। विजयसिंह अपने पिता की तरह न सिर्फ राजस्थान से बल्कि उत्तरी भारत से भी सिधिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। उन सभी व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार एवं राजनैतिक बातचीत प्रारम्भ की गयी, जो कि सिधिया के विरुद्ध थे। जनवरी १७८८ में उसने तुकोजी होल्कर के द्वारा पेशवा को एक पत्र लिखा कि उत्तर भारत में मराठा हितो के उत्तरदायित्व से सिधिया को मुक्त कर दिया जाए।^{८३} फरवरी-मार्च में भीमराज सिधवी को वादशाह के पास भेजकर शाही सहायता की कोशिश की गयी।^{८४} तुकोजी होल्कर और महादजी के मतभेद का लाभ उठाकर^{८५} उसने तुकोजी को लिखा कि यदि वे उत्तरी भारत में अपना प्रभाव बनाये रखना चाहते हैं तो महादजी की कोई सहायता न करें।^{८६} सिधिया ने कई बार प्रयास किया कि राठौड़ शासक के साथ अच्छे सम्बन्ध पुनः स्थापित हो जाएँ परन्तु विजयसिंह ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया।^{८७} दूसरी ओर जब दिल्ली में सिधिया-विरोधी मुलाम बादर ने वादशाह को कंद कर राज्य-शक्ति जबरदस्ती ले ली

राठोड शासक ने गुलाम वादिर का समर्थन किया।^{१८८} पंजाब के सिक्ख नेताओं उसका पथ व्यवहार चल रहा था। जुलाई में सिक्खों ने विजयसिंह से आपसी हृद्योग का समझौता करने के लिए वार्ता प्रारम्भ की।^{१८९} अक्टूबर में इस हेतु ठोड़ प्रतिनिधि पंजाब भेजा गया।^{१९०} अफगानिस्तान के तैमूर शाह से प्रार्थना की थी कि वह सहायता को भ्राए। तैमूर दिसम्बर १७८८ में भारत में आ गया।^{१९१} अप्रैल, १७८९ में जब सिंधिया की कुछ पर्वतानों ने विद्रोह किया तो विजयसिंह ने दल्हो-स्थित अपने प्रतिनिधियों को आदेश दिया कि उन सैनिकों को राठोड सेना में भर्ती कर ले।^{१९२} १७९० के प्रारम्भ में अंग्रेजों से सैनिक सहायता एवं सिंधिया को उत्तरी भारत में निजालने हेतु वार्ता की गयी।^{१९३}

तीन वर्षों तक विजयसिंह प्रवास करता रहा कि उसके सिंधिया-विरोधी मोर्चे में उत्तरी भारत की सभी शक्तियाँ सम्मिलित हो जाएँ परन्तु उसे निराशा ही हाथ लगी। तुर्की और महादजी के मतभेद प्रबन्ध थे, परन्तु जिस प्रकार के पत्र राठोड शासक लिख रहा था और जिन शक्तियों से वह सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था उसे देखने हुए तुर्की की शक्ति था। अंग्रेजों पर राठोडों अधिकार से भी वह प्रसन्न नहीं था।^{१९४} उसने विजयसिंह को सूचित किया कि उत्तरी भारत में वह पेशवा का प्रतिनिधि पहरने है अतः विजयसिंह जो कार्यवाही कर रहा है वह उसे पसन्द नहीं है।^{१९५} दिसम्बर १७८८ से मार्च १७८९ तक तैमूर शाह भारत में रहा पर विजयसिंह ने उनकी उरस्थिति का कोई लाभ नहीं उठाया। अप्रैल १७८९ में अफगानिस्तान में अतः भारत के विद्रोहों ही जाने पर तैमूर काबुल की ओर चला गया।^{१९६} विजयसिंह द्वारा तैमूर को आमन्त्रण देने से बादशाह और सिक्ख नेता अग्रसन्न ही भये क्योंकि इनसे पंजाब और उत्तरी भारत में उनकी स्थिति को खतरा था।^{१९७} उन्होंने विजयसिंह को लिखा कि वह तैमूर शाह को पुनः आमन्त्रित न करे तो वे उसकी भरपूर सहायता करेंगे।^{१९८} पर विजयसिंह ने पुनः आमन्त्रण दे दिया।^{१९९} परन्तु न तो तैमूर ने कोई उत्तर दिया न मिय में उसके प्रतिनिधि शाहनवाजग्या ने कोई सूचना भेजी।^{१९००} १७८९ के प्रारम्भ में सिंधिया की स्थिति में सुधार हो गया।^{१९०१} पेशवा ने उसे उत्तरी भारत में कराटा का नेतृत्व पुनः दे दिया।^{१९०२} अब सिंधिया राठोड शक्ति को कुचलने की तैयारी करने लगा।^{१९०३} जुलाई १७८९ में विजयसिंह ने होल्कर के माफ़ेज जब समझौता करना चाहा तो सिंधिया ने कोई मुनवाई नहीं की।^{१९०४} मार्च १७९० में अंग्रेजों ने राठोडों की सहायता के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट की क्योंकि वे उस समय टीपू मुल्तान के विरुद्ध युद्ध में लगे हुए थे।^{१९०५}

जहाँही सिंधिया की स्थिति सुधरी अपने घोसलों की निःशर्का के बाद यह मारवाट पर आक्रमण करेगा।^{१९०६} परन्तु यह आक्रमण नहीं हुआ। अगस्त १७८९ तक वह बीमार रहा।^{१९०७} फिर अचानक तैमूर होल्कर से अपनी बहादुर में उसके मामले दावा उभरे ही गये कि युद्ध की सहायता करने लगी। परन्तु शीघ्र ही उनमें


समझीता हो गया। राणोबा को उसने पुनः अपने पद पर नियुक्त किया। इन्हीं बीच उसके फ्रांसीसी सेनापति डी बोईन ने अपने तोपखाने को सुसंगठित कर दिया।^{१०५} मई १७६० में उसने विजयसिंह से अजमेर पुनः प्राप्न करने का सैनिक अभियान किया।^{१०६} जोधपुर-शासक १७५६ से ही इस आक्रमण को रोकने के लिए पूर्ण तैयारी कर रहा था। राठौड़-कछवाह आपसी समझौते की पुनरावृत्ति की गयी।^{११०} १७६० के प्रारम्भ में जब इस्माइल बेग ने महादजी के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसे अपनी ओर मिला लिया।^{१११} जीवाजी बल्लाल और कर्नल डी-बोईन की फौज को जा कि रेवाडी होकर जदपुर और मारवाड की ओर प्रस्थान कर रही थी, पाटन^{११२} के पास राठौड़-कछवाह-मुगली की समुक्त सेना ने रोक दिया जिसका नेतृत्व गंगाराम भडारी और इस्माइल बेग कर रहे थे।^{११३} २० जून १७६० को एक भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि राठौड़ बड़ी वीरता से लड़े परन्तु कछवाहों की निष्प्रियता और बोईन के तोपखाने की पहली मार से इस्माइल बेग के भाग जाने के कारण वे हार गये। इस युद्ध में ३,००० राठौड़ सैनिक मारे गये या घायल हुए।^{११४}

(४) सिधिया का मारवाड़ पर आक्रमण (जून-सितम्बर १७६०)

इस युद्ध के बाद विजयसिंह ने एक बार पुनः सिधिया से रानछाँ और घावा चिटनिस की मध्यस्थता से शांति-वार्ता करने का प्रयास किया।^{११५} परन्तु महादजी ने इस वार्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह न सिर्फ अजमेर का किला ही लेना चाहता था बल्कि जोधपुर पर अधिकार कर विजयसिंह को राजगद्दी से हटाना चाहता था।^{११६} पाटन में कुछ दिन ठहर कर जीवाजी और बोईन के नेतृत्व में मराठी सेना न मारवाड़ की ओर कूच किया। मार्ग में साभर, परबतसर, रूपनगर पर अधिकार करती हुई यह सेना अजमेर पहुँची, जहाँ उसने २१ अगस्त १७६० को घेरा डाल दिया।^{११७}

इन दिनों विजयसिंह बीमार था।^{११८} फिर भी उसने युद्ध के लिए सेना संगठित की। जालोर, देवरी और सिरोही से सेनाओं को शीघ्र आने को लिखा।^{११९} भागी तोपें ठीक करायीं गयीं जिससे वे युद्ध में काम में लायी जा सकें।^{१२०} मारवाड़ में अनिवार्य सैनिक भर्ती लागू कर दी गयीं।^{१२१} बीकानेर की सेनाएँ राठौड़ों से डीह-वाना में घा मिलीं।^{१२२} जयपुर-शासक ने पूर्ण सहायता का वचन दिया।^{१२३} इस्माइल बेग सहायता हेतु सेना एकत्र करने लगा।^{१२४} राजधानी की सुरक्षा के लिए फौज रखी गयी।^{१२५} ३७ हजार सैनिक भीमराज बरूथी के नेतृत्व में मेड़ता भेजे गये,^{१२६} जिससे कि अजमेर में घिरे हुए राठौड़ सैनिकों को सहायता दी जा सके।^{१२७}

सिधिया ने होल्कर और अलीब्रह्मदुर से एक-एक हजार अश्वारोही प्राप्त किये।^{१२८} होल्कर ने इस शर्त पर सैनिक दिए कि विजयसिंह पर विजय के बाद



चित्र 6, डी० बोइन का यात्रा मार्ग ।

लाम का समान बटवारा किया जायगा ।^{१२६} सिधिया ने जयपुर की ओर से आने वाली बख्तशाह फौज को राठौडो से न मिलने देने के लिए एन फौज जयपुर की ओर रवाना की ।^{१३०} इसके उपरान्त जयपुर की सौ राठौडों से मेड़ता में जा मिली । इस्माइल बेग भी इम सेना में आ मिली । इम पर मराठी सेना अजमेर से मेड़ता की ओर चली । गोपाल भाऊ के नेतृत्व में मुख्य मराठी सेना ने ४ सितम्बर को अजमेर से प्रस्थान कर ७ सितम्बर को मेड़ता से ४ मील पूर्व की ओर नटारिया गाव में डेरा डाल दिया । अजमेर के किले पर अधिकार करने हेतु २,००० मराठे रखे गये । डी बोईन ने दूसरा मार्ग अपनाया । वह अजमेर के दक्षिण की ओर चला, फिर पश्चिम की ओर; फिर उत्तर की ओर पिसनगाव, गोविन्दगढ, आलनियावास, जहाँ लूनी नदी के रेतोले भाग से अपने तोपखाने को धीरे-धीरे पार करके रीया होता हुआ ६ सितम्बर को नटारिया पहुँचा । डी बोईन ने आते ही गोपाल भाऊ राठौडो पर, जो ३ मील दूर डाँगावास में ठहरे थे, आक्रमण करना चाहता था परन्तु फ्रांसीसी सेनापति ने एक दिन का अवकाश चाहा, जिससे कि वह तोपखाने का खर्चा लाभ उठा सके ।^{१३१}

(५) मेड़ता का युद्ध (द्वितीय) (१० सितम्बर १७६०)

मेड़ता के पास डाँगावास पर राठौड सेना की रण-जवबस्था बनी हुई थी । उससे ३ मील दूर नटारिया में मराठी सेना का पड़ाव था । राठौड सेना में २६ हजार अश्वारोही, १० हजार पैदल और पुरानी २५ तोपें थी । मेड़ता के दक्षिण की ओर डाँगावास के पश्चिमी भाग में अर्ध चन्द्राकार में सैनिक पंक्तियाँ बन गयी थीं । डाँगावास के तानाब के पास पश्चिम की ओर नागा पक्ति थी, चन्द्राकार के दाहिनी ओर मेड़ता के दक्षिण में महेशदास कूँपावत और शिवसिंह चम्पावत के नेतृत्व में राठौड अश्वारोही थे । इन दोनों के बीच म बहशी भीमराज अपनी पैदल और अश्वारोही पक्ति का नेतृत्व कर रहा था । सेना के सामने कुछ पश्चिम की ओर, मराठी सेना के सामने, तोपखाना लगा दिया गया था । सिधिया की सेना में स्वयं उसके २५ हजार अश्वारोही, ४ हजार होल्कर के और एक हजार अली बहादुर के अश्वारोही थे । इसके अलावा डी बोईन की सेना के १२ बटालियन और ५० तोपें थीं । तोपों के पीछे, कुछ दूरी पर मराठा अश्वारोहियों की पक्ति इस प्रकार बना दी गयी कि वाई बाजू में लक्ष्मण अर्जतलाड (लखवादादा), मध्य में गोपाल भाऊ और दाई ओर जीवाजी बल्लाल थे । पक्ति के एक मील पीछे की ओर होल्कर के अश्वारोही थे जिनका नेतृत्व बापूराव और काशीराव कर रहे थे, इसके साथ ही अली बहादुर के शीवान बलवन्त सराजिव आसवनकर के नेतृत्व में अश्वारोही पक्ति लगी हुई थी ।^{१३२}

कुछ राठौड सामत सरवाल युद्ध चाहते थे परन्तु भीमराज ने सरकारी आदेशों के कारण उस समय तक युद्ध का आह्वान नहीं किया जब तक मिर्जा इस्माइल उनसे




घाकर नहीं मिल गया। मराठों ने राठौड़ों को पहल करने का अवसर नहीं दिया। १० सितम्बर को प्रातः जब सूर्य उदय ही नहीं हुआ था, डी-बोर्डिन के तोपराने ने घागे बढ़कर राठौड़ पक्ति की दाईं ओर नागा साधुप्रो पर गोलों की वर्षा कर दी। इस पक्ति में हड़बड़ मच गयी। एक घंटे के भीतर-भीतर नागा सैनिक भाग गये।

राठौड़ों तोपराने पर मराठों का अधिकार हो गया। मध्य में भीमराज की पक्ति में अनुशासन विगड़ गया। सैनिक भागने लगे। भीमराज भी भाग गया पर राठौड़ सामन्त पचराये नहीं। उन्होंने डटकर मुकाबला करने का हृदय निश्चय किया। इसी बीच डी-बोर्डिन की सेना की दाईं पक्ति का सेनापति कॅप्टन रोहन, बिना बोर्डिन के आदेशों से, डाँगावास के तालाब की ओर बढ़ा। उसने और मुख्य सेना के बीच काफी दुराव हो गया। इसका लाभ उठाकर राठौड़ सेनापति ने उसे घेर लिया। बड़ी मुश्किल से रोहन बचकर निकला यद्यपि वह घायल हो गया था। ज्योंही सूर्य का प्रकाश बढ़ा, महेशदास और शिवसिंह ने अपने ४ हजार भस्वारोहियों सहित मराठों पर आक्रमण कर दिया। डी-बोर्डिन की तोपों की मार की परवाह न करते हुए वे गोपाल भाऊ और जीवादादा की पक्तियों पर टूट पड़े तथा उन्हें पीछे हटने के लिए बाध्य किया। डी-बोर्डिन ने परिस्थितियों में परिवर्तन पाकर अपनी तोपों का मुँह दूसरी ओर बदल दिया और राठौड़ भस्वारोहियों को चतुर्भुजी घेरे में लेकर घाग उगलने लगा। होल्कर और अलीबहादुर के भस्वारोही भी गोपाल भाऊ और जीवादादा की रक्षा के लिए आ गये। दो घंटों तक युद्ध होता रहा। शीघ्र ही राठौड़ों जोश समाप्त हो गया। यद्यपि प्रातः १० बजे युद्ध समाप्त हुआ पर मराठों को नगर पर अधिकार करने में पाँच घंटे लग गये। इसके बाद किले का घेरा डाला गया। मारवाडी सेनापति गगाराम भडारी ४ दिन तक दो हजार सैनिकों सहित किले की रक्षा करता रहा, परन्तु मराठों आक्रमण के समक्ष वह टिक न सका। किले पर भी मराठों का अधिकार हो गया। इस युद्ध में मराठों की सेना, व डी बोर्डिन के ६०० पैदल सैनिक व सिधिया के ५० सैनिक मारे गये तथा २५० घायल हुए। राठौड़ों सेना के २००० मरे एवं ३००० सैनिक हताहत हुए। भीमराज अपने दो हजार भस्वारोहियों के साथ नागौर भाग गया था।^{१५३}

भेडता के युद्ध में राठौड़ शक्ति की हार के कई कारण थे। राठौड़ सेना एक समुक्त सेना के रूप में नहीं लड़ रही थी, न इनका कोई एक सेनापति ही था। पृथक्-पृथक् सेनापतियों के नेतृत्व में एकत्र सेना में संगठन नहीं बन सका। उनका तोपराना अत्यन्त कमजोर था। नागा पक्ति न सिर्फ अप्रशिक्षित थी बल्कि अनुशासनहीन भी थी। सम्पूर्ण सेना में पलायन भावना थी और फुर्ती की कमी थी। यद्यपि उनका मनोबल ऊँचा था और सामन्ती पक्ति दूरवीर थी, फिर भी वे मराठों से जमतर सठे जाने वाले युद्ध में कमजोर साबित हुए। दूसरी ओर मराठी सेना का संचालन एवं व्यवस्था, उच्च कोटि की थी। डी-बोर्डिन भीमराज की अपेक्षा योग्य सेनापति था।

मेड़ता का युद्ध - 10 सितम्बर 1790

युद्ध के पूर्व की स्थिति (प्रातः 5-30 बजे)



चित्र 7-8 व 9 मेड़ता का द्वितीय युद्ध विभिन्न चरण

सिंधिया के सेनापति एक दूमरे से पूर्ण सहयोग कर रहे थे। होल्कर की सेना प्राव-
शकता पड़ने पर काम में लाने हेतु गुरक्षित थी। इस प्रकार डी-वोर्डन की पैदल सेना,
तोखाना और मराठा अश्वारोहियों के बुद्धिमत्तापूर्ण संगठन ने उन्हें युद्ध में मरुत
बना दिया। राठोडो की प्रारम्भिक गलती उस समय हुई जब मराठो के दो योग्य
सेनापतियों (जीवाजी और डी-वोर्डन) को ६ सितम्बर को एक होने दिया गया। यदि
डी-वोर्डन के आगे के पहले ही वे मराठी सेना पर टूट पड़त और इस तरह दोनों भागों
से पृथक्-पृथक् लड़ते, तो हार विजय में बदल सकती थी। जब डी-वोर्डन घालनिया-
वाम के पास लूनी नदी पार कर रहा था तो उसकी तीर्थे नदी के रेतिले भाग में फँस
गयी। यदि उस समय राठोडो की घुमक्कड़ पक्ति उस पर आक्रमण कर देती तो
फ्राँसीसी सेनापति का तोपखाना बेकार हो जाता। राठोडों से उस समय पुन गलती
हो गयी जब वे डी-वोर्डन की धकान से भूर सेना पर यथायक आक्रमण नहीं कर
सके। इसका लाभ मराठो ने उठाया और आक्रमण में पहल की। वोर्डन ने तोपखाने
का लाभदायक प्रयोग कर चार घंटे के भीतर-भीतर राठोडो पर विजय प्राप्त की।

(ख) साँभर को सधि (५ जनवरी १७६१) और उसके परिणाम

(१) शान्ति के लिए प्रयास (सितम्बर १७६० जनवरी १७६१)

मेडना में राठोडो की हार से जोधपुर के लोगो का मनोबल गिर गया। उन्हें
यह सम्भावना प्रतीत होने लगी कि मराठी सेना जोधपुर पर आक्रमण करेगी अत वे
भागने लगे।^{१३४} विजयसिंह भी जँसलमेर या जालौर जाने की तैयारियाँ करने
लगा।^{१३५} युद्ध के बाद जीवाजी के नेतृत्व में एक मराठी सेना जोधपुर की ओर
दबो पर वह खवासपुर प्राकर रुक गयी।^{१३६} इस पर विजयसिंह ने ठाकुर सवाईसिंह,
फतेहसिंह और पासवान गुलाबराय की सलाह पर समझौता करने का निश्चय
क्रिया।^{१३७}

महादजी के पास शांति प्रस्ताव लेकर व्यास नवलराय को भेजने का निश्चय
क्रिया गया। १४ सितम्बर १७६० को महागजा के प्रस्ताव को लेकर व्यास ने
जोधपुर में प्रस्थान किया।^{१३८} दूमरे दिन १५ सितम्बर को मुँहणोत गोपालदास,
बल्ला मुखराम, पण्डित मयुरानाथ और जोधपुर-स्विन पेशवा प्रतिनिधि पण्डित
कृष्णाजी जगन्नाथ का एक प्रतिनिधि मण्डन जीवाजी और गोपाल भाऊ के पास
मेडना भेजा गया।^{१३९} महादजी ने नवलराय में मिलने से इ-नार कर दिया।^{१४०}
विजयसिंह ने ६म पर अम्बरराय और रानेमा को १ अक्टूबर १७६० को पत्र लिखे
कि वे मध्यस्थता कर नवलराय के साथ भेजे गये प्रस्तावों पर सिंधिया से विचार
करने की प्रार्थना करें।^{१४१} पेशवा की ओर से भी महादजी पर दबाव पड़ने लगा
कि वह राठोड शासक के साथ इन शर्तों पर कि वकाया राशि का भुगतान किया
जाए, अजमेर का किला लौटाया जाए और युद्ध की क्षतिपूर्ति की जाए, समझौता कर

ने ।^{१४२} इस पर महादजी ने राठौड शासक को अपनी शर्तें प्रेषित की । इसके अनुसार—^{१४३}

१. राठौड शासक युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में दो करोड पैंतीस लाख रुपये देगा जिसमें से एक करोड नकद दिये जाएंगे ।
२. मारवाड-गोडवाड का गत वर्षों का बकाया वार्षिक कर का भुगतान नकद किया जाएगा ।
३. अजमेर लौटाया जाए तथा पिछले तीन वर्षों का जबकि अजमेर राठौडों के अधीन था, कर चुकाया जाए ।
४. रामसिंह के अधीन मारवाड के उस क्षेत्र का, जिस पर विजयसिंह ने अधिकार कर रखा है, मराठों को जो वार्षिक कर देय है, उसका आधा हिस्सा दिया जाए ।
५. मारवाड के कुछ जिले, लगातार धन-राशि की अदायगी के जमानत के रूप में सिंधिया को दिये जाएँ । राठौड शासक के लिए ये शर्तें अत्यन्त कठोर थी । व्यास नवलराय ने अपने शासक की ओर से निम्न शर्तों को ही मान्य समझा ।^{१४४}

(अ) अजमेर लौटा दिया जाएगा तथा पिछले तीन वर्षों का कर तीन लाख प्रति वर्ष के हिसाब से नौ लाख रुपये चुका दिया जाएगा ।

(ब) मारवाड एवं गोडवाड के बकाया कर के रुपये १५ लाख ६० हजार नकद चुका दिये जाएंगे ।

(स) साभर व नावा तथा एक अन्य जिले की आय युद्ध की क्षति पूर्ति के लिए सिंधिया को दे दी जाएगी ।

राठौड प्रतिनिधियों ने रामसिंह की बकाया धनराशि और एक करोड रुपये नकद देने की शर्तों को अति कठोर बतलाया ।^{१४५} सिंधिया अडिग रहा । समझौते की वार्ता में रुकावटें आने लगी । विजयसिंह को शका हुई कि सिंधिया जोधपुर पर आक्रमण करेगा ।^{१४६} अतः वह अपनी तैयारियाँ भी साध-साध करने लगा । मेड़ता-युद्ध के दूसरे दिन इस्माइलखान, राठौड सेनापति भीमराज से नागौर में मिला ।^{१४७} विजयसिंह ने उसे और भीमराज को सेना महित बुला भेजा ।^{१४८} मिर्जा इस्माइल १६ दिसम्बर और भीमराज १८ दिसम्बर को जोधपुर पहुँचे ।^{१४९}

राठौड युद्ध की तैयारियाँ बर रहे हैं, यह जानकर सिंधिया ने मारवाड की ओर स्वयं प्रस्थान किया ।^{१५०} दिसम्बर के तृतीय सप्ताह में वह सांभर पहुँचा,^{१५१} जहाँ उसे विजयसिंह की ओर से दूसरा प्रतिनिधि मण्डल मिला जिसमें बुद्धसिंह, कल्याणदास और भवानीदास थे ।^{१५२} इन प्रतिनिधियों ने सिंधिया के दीवान आबा चिटणीस की भी सहायता ली ।^{१५३} परिणामस्वरूप ५ जनवरी १७६१ को महादजी ने संधि पर

स्ताक्षर किये । १५५ राठौड़ प्रतिनिधि, सिन्धिया के प्रतिनिधि गडवा फकीर जी के १५ जनवरी को जोधपुर लौट आये । १५५ विजयसिंह ने इस समझौते को वीकार किया । इसकी स्वीकृति की सूचना २४ जनवरी को महादजी के पास भजवा दी गयी । १५६

(२) संधि की शर्तें १५७

(अ) क्षतिपूर्ति

१. युद्ध की क्षतिपूर्ति, नजराना, दरबार-सखं और खाता सवारी के लिए सिन्धिया को साठ लाख रुपये दिये जाएंगे ।
२. इसमें से १५,००,००० नकद दिये जाएंगे; बाँट लाख ४ फरवरी १७६१ को और बाँकी ४ अप्रैल १७६१ तक, इसके अलावा ३ लाख रुपये का भरना (मिश्रित वस्तुएँ पशु-जवाहरात आदि) दिया जाएगा ।
३. १५,००,००० रुपये गोपालराव रघुनाथराव को सेना में बितरित करने के लिए दिये जाएंगे । इसके अलावा उसमें तीन लाख का भरना दिया जाएगा ।
४. दो साल के भीतर समान विशतो म चार लाख के मूल्य का भरना दिया जाएगा ।
५. नावां, मारोठ और परबतसर का वार्षिक कर बीस लाख रुपया चार साल में दिया जाएगा । इसकी पहली विशत दो लाख रुपये की होगी और उसका भुगतान १६ जून १७६१ तक किया जाएगा ।
६. यदि कर की बचाया राशि एव युद्ध-क्षतिपूर्ति की रकम का भुगतान लगातार किया गया तो महादजी की ओर से दो लाख रुपये की छूट दी जाएगी ।

(आ) प्रादेशिक विभाजन और वार्षिक कर

१. विजयसिंह, मारवाड व गोहवाड का वार्षिक कर १,५०,००० रुपये और ३०,००० र० प्रति वर्ष लगातार देता रहेगा ।
२. अजमेर सिन्धिया को लौटा दिया जाएगा ।
३. सामर (भोल सहित), भेरवा, मसूदा और भिनाय के २६ गाँव सिन्धिया को दिये जाएंगे ।

(इ) अन्य

१. उपयुक्त क्षेत्रों में विजयसिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा पर एकत्रित करने वाले मराठा अधिकारियों के लिए अडचन पैदा नहीं की जाएगी ।
२. राठौड़ शासक विशनगड के शासक से युद्ध नहीं करेगा ।
३. यदि मराठा सेना मारवाड में प्रवेश करे और इससे सेना को हानि हो तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी ।

४. सिन्ध की शर्तों की पूर्ति के लिए यदि मराठा सेना मारवाड में प्रवेश करे और इससे श्वेतों को हानि हो तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।
५. यदि मराठा प्रतिनिधि वापिस कर से अधिक धनराशि उपयुक्त क्षेत्रों से एकत्र करेंगे तो वह लौटा दी जाएगी।
६. सिन्धिया विजयसिंह के विरुद्ध उसके पुत्र जालमसिंह की सहायता नहीं करेगा।
७. राठौड़ व सिन्धिया एक दूसरे के शत्रु को अपने-प्रपने राज्य में शरण नहीं देंगे।

दिनांक २० अगस्त १७६२ के एक पत्र के अनुसार उपयुक्त संधि की शर्तों का पालन करने हेतु विजयसिंह को जयपुर के विशिष्ट व्यक्तियों को जामिन के रूप में सिन्धिया के पास भेजना पड़ा।^{१५८}

(३) संधि का परिणाम

संधि की शर्तों को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया गया। एक माह के भीतर ही ४ लाख रुपये की प्रथम किस्त सिन्धिया को भेज दी गयी।^{१५९} अजमेर के राठौड़ राज्यपाल धनराज को आदेश दिये गये कि वह किला सिन्धिया को सौंप दे। सिन्धिया ने मार्च १७६१ को उस पर अधिकार कर लिया।^{१६०} जामिन के रूप में शासन के उच्च अधिकारी सिन्धिया के आगरा कैम्प में भेजे गये।^{१६१} साभर और अन्य स्थान शीघ्र मराठों को दे दिये गये।^{१६२} महादजी ने मारवाड से इस्माइल बेग को निकालने के लिए विजयसिंह को लिखा। अतः मिर्जा को शीघ्र ही मारवाड छोड़ने के आदेश दे दिये गये।^{१६३} जब जालमसिंह ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, तो महादजी ने राठौड़ शासक को सहायता दी।^{१६४} मई १७६२ में होल्कर और जयपुर-शासक ने महादजी के विरुद्ध विजयसिंह से सहायता मांगी तो उसने इन्कार कर दिया।^{१६५} राठौड़ सिन्धिया मैत्री बनी रही। जनवरी १७६३ के एक पत्र के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उसने (महाराजा ने) मराठों को लगातार वाधिक कर दिया था।^{१६६} छ माह बाद ७ जुलाई, १७६३ को उसकी मृत्यु हो गयी।^{१६७}

मेड़ता की हार और उसके परिणामस्वरूप साभर की संधि विजयसिंह के लिए अत्यन्त अपमानजनक थी। राजस्वान के शासकों में उसकी प्रतिष्ठा घट गयी एवं उसके परिवार का प्रभाव लुप्त हो गया। मारवाड के कई उपजाऊ क्षेत्र मराठों ने ले लिये जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में अव्यवस्था पैदा हुई। परिणामस्वरूप राजधानी में राजनीति व धराजकता फैलने लगी और सामन्ती विद्रोह होने लगे। जब से विजयसिंह गद्दी पर बैठे (१७५२) तब से ही सिन्धिया से सघर्ष चलता रहा परन्तु न तो उसके राज्य का विस्तार हुआ और न ही सिन्धिया का प्रभाव कम हुआ। उसकी हार के बाद तो सिन्धिया की शक्ति इतनी बढ़ गयी कि, फरवरी १७६१ में जयपुर-शासक^{१६८} ने तथा एक माह बाद उदयपुर के शासक ने महादजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।^{१६९}

संदर्भ

महादजी का विजयसिंह की पत्र, माघ वदी ५, वि० स० १८३८/४ जनवरी १७८२ (पो० फी० ६ पत्र न० ४१ जोष०), वि०स० १८२६-१८३४/१७७२-१७७७ के र० ३,६०,००० भेजे गये (हयवही न० २, पृ० १२४-१२५ जोष०), वि० स० १८३५-१८३६/१७७८-१७८२ के रुपये ४,३६,००० भेजे गये । (महादजी का विजयसिंह को पत्र, चैत्र वदी ४, वि०स० १८४२/२८ फरवरी १७८५), उपर्युक्त, चैत्र सुदी ७, वि०स० १८४२/१७ मार्च १७८५, उपर्युक्त वैशाख सुदी ८, वि० स० १८४२/१६ मई १७८५ (पो० फी० न० ६, पत्र न० ५०, ५१, ५२ क्रमानुसार जोष०)

२. महादजी का विजयसिंह को पत्र, घ्रापण्ड सुदी ६, वि०स० १८३७/७ जुलाई १७८० (पो० फी० न० ६, पत्र न० ३८ जोष०)

विजयसिंह का महादजी का पत्र, भाद्रपद वदी ३, वि०स० १८४७/१८ अगस्त १७८० (अ० ब० न० ४, पृ० ३१-जाष०)

३. नवम्बर १७८१ म गवर्नर जनरल वारेन हस्तिंग्स न विजयसिंह को सूचित किया कि वह अपने एजेण्ट एण्डरसन को दोनों क सामान्य शत्रुओं के विरुद्ध आपसी समझौते हेतु जोधपुर भेज रहा है । गवर्नर जनरल न एण्डरसन को स्पष्ट निर्देश दिये कि जोधपुर राजा की मांगो और इच्छाओं के प्रति ध्यान देकर उन्हें पूरा करे । उमने आगा प्रकट की कि विजयसिंह अंग्रेजी सरकार को मदद भेजगा । (नो० पी० सी० ग्रन्थ (६) २७५, २८०), सिन्धिया इन दिनों अंग्रेजो से युद्ध म लिप्त था ।

४. विजयसिंह का महादजी को पत्र, चैत्र वदी ७ वि० स० १८४०/२८ मार्च १७८४ व पत्र -यण्ड सुदी १० वि० स० १८४०, २६ मई १७८४ (अ० ब० न० ४, पृ० ४१ व ४२ क्रमानुसार जोष०)

५. एव० पी० ४०६, दिरनी यथीन ग्रन्थ (१), १३३

६. सी० पी० सी० (४), १२७७, विजयसिंह का महादजी को पत्र, कार्तिक सुदी ११, वि० स० १८३१ । १४ नवम्बर १७७४, विजयसिंह का तुक्वोजी होल्कर को पत्र, मार्गशीर्ष वदी ६, वि० स० १८३१/२४ नवम्बर १७७४ (अ० ब० न० ४, पृ० ४ व ५ जोष०)

७. सवाईराम का जयपुर के भाट जगतदत्त को पत्र, चैत्र सुदी ८, वि० स० १८३८/२२ मार्च १७८२ (अ० ब० न० ४ पृ० १६२, जोष०)

८-६. उपर्युक्त

१०. जोधपुर येथील २; सी० पी० सी० (७), १५५

११. जोधपुर-येथील २; एच० पी०, ४११

१२. महेश दरवार (२), १४४, १७८५ मे सवाई राजा ने सिधिया के यहाँ से अपने वकील को बुला लिया था। विजयसिंह ने भी ऐसा ही किया। जब जनवरी १७८६ में सिधिया ने जयपुर पर आक्रमण किया तो राठौड़-कछवाहा उनका सामना करने की तैयारी में नहीं थे, अतः प्रतापसिंह ने ६० लाख रुपये देन का वादा कर उसे जयपुर से प्रस्थान करा दिया। ज्योंही प्रथम विशत के रुपये ग्यारह लाख महादजी को प्राप्त हुए, उसने ४ जून १७८६ को जयपुर से प्रस्थान कर दिया।

१३. पी० आर० सी० (१) ४६

१४. पी० आर० सी० (१) ५१

१५. उपर्युक्त ११६

१६. उपर्युक्त ७१, ८२

१७. दिल्ली येथील (१) १७५; पी० आर० सी० (१) ८६, १७५

१८. प्रतापसिंह से विजयसिंह को खरीता, पोप सुदी १२, वि० स० १८४३/१ जनवरी १७८७। (पी० फो० न० ६, खरीता न० २६, जोध०); जोधपुर येथील (पूरक) (१)

१९. प्रतापसिंह से विजयसिंह को खरीता, फाल्गुन बदी ३०, वि० स० १८४३/१८ फरवरी १७८७ (पो० फो० न० ६ खरीता न० ३० जोध०)

२०. मुगल बादशाह शाहआलम (२) से स्वीकृति प्राप्त कर विजयसिंह ने नये सिक्के १७८१ में प्रचलित किये। इन सिक्कों को 'वाई सुन्दा' भी कहते हैं। ये चाँदी के सिक्के थे। (डब्ल्यु-डब्ल्यु वेब-ड करेन्सीज ऑफ हिन्दू स्टेट्स आफ राजपूताना, पृ० ४३)

२१. मारवाड री ह्यात (३) पृ० ५३

२२. ज्ञानमल का निर्भयराम को पत्र, फाल्गुन सुदी ४, वि० स० १८४२ / ४ मार्च १७८६ (अ० ब० न० ४ पृ० २७४ जोध०)

२३. मारवाड री ह्यात (३), पृ० ११२-११६

२४. एच० पी० ४११

२५. अम्बाजी इंग्ले का विजयसिंह को पत्र, फाल्गुन बदी ६, वि० स० १८४२ / २२ फरवरी १७८६ (पो० फो० न० २ ब, फाइल न० १, पत्र ६ जोध०)

२६. सी० पी० सी० (७) ५६४, ५६५

- २७ पी० आर० सी० (१) ४६
- २८ प्रतापसिंह का विजयसिंह को खरीता, फाल्गुन वदी ३०, वि० स० १८४३/
१८ फरवरी १७८७ (पी० फो० न० ६, खरीता न० ३० जोष०)
२९. जोधपुर येथील (पूरक) (१)
- ३०-३१-३२ उपयुक्त
- ३३ दिल्ली येथील (१), १६६; पी० आर० सी० (१) ५८, ७१, ८०, ८२
- ३४ दिल्ली येथील (१), २१०-२११, २२०
३५. पी० आर० सी० (१) १०२, १०३, १०४; जयपुर का प्रतिनिधि वातचीत व सभभौता करने सिधिया के बंधन में भेजा गया। कई दिनों तक वार्ताएँ चली। अन्तिम वार्ता १४ अप्रैल को हुई। वार्ता इस बात पर टूट गयी कि कछवाहा शासक १४ लाख रुपये देने की तो तैयार था पर उसने सिधिया से कहा कि वह जयपुर के गुणाली राम बोहरा को, जो उसके कब्जे में है, वापस जयपुर राज्य को सौंप दे। सिधिया ने इसे अस्वीकार किया।
- ३६ विलियम कर्क पेट्रिक का गवर्नर जनरल को पत्र, ३ मई १७८७, एफ० एस० १७, १७८७, न० ३, प्रोसिडिंज पृ० २८८८, २८८९
- ३७ पी० आर० सी० (१) ११८-११९
- ३८ विलियम कर्क पेट्रिक का गवर्नर जनरल को पत्र, ४ जुलाई १७८७, एफ० एस० १७ जुलाई १७८७, न० २, प्रोसिडिंज, पृ० ३८३६; पी० आर० सी० (१) १२४
- ३९ पी० आर० सी० (१) १२७
- ४० पी० आर० सी० (१) ११४
- ४१ प्रतापसिंह का विजयसिंह को खरीता, वैसाख सुदी १०, वि० स० १८४४।
२७ अप्रैल १७८७ (पी० फो० ६ खरीता न० ३८ जोष०)
- ४२ प्रतापसिंह का विजयसिंह को खरीता, ज्येष्ठ वदी ३ वि० स० १८४४ / ५
मई १७८७ (पी० फो० ६, खरीता न० ४० जोष०)
- ४३ महेश दरवार (२), १४६
- ४४ प्रतापसिंह का विजयसिंह को खरीता, ज्येष्ठ वदी ६, वि० स० १८४४ / ११
मई १७८७ (पी० फो० ६, खरीता न० ४१ जोष०)
- ४५ पी० आर० सी० (१) ११४
- ४६ विलियम कर्क पेट्रिक का गवर्नर जनरल को पत्र, १ जून १७८७, एफ० एस० ११ जून १७८७ न० ५, मारवाड री ख्यात (३), पृ० ५७ ६०
- ४७ उपयुक्त पत्र, २८ मई १७८७, एफ० एस० ११ जून १७८७ न० ३; पी० आर० सी० (१) ११५; सी० पी० सी० (७); १४४२

४८. जोषपुर येथील (पूरक) (१), दिल्ली येथील (१), २२०-२२१
४९. विजयसिंह का तुकोजी होल्कर को पत्र, पीप बंदी १४, वि० स० १८४४ / ७ जनवरी १७८८ (अ० ब० ४, पृ० ६ जोष०)
५०. एच० पी० ५०० (इसके अनुसार सख्या ५०,००० थी), विलियम कर्क पेट्रिक का गवर्नर जनरल को पत्र, ७ जुलाई १७८७, एफ० एस० २० जुलाई १७८७ न० ८, पी० आर० सी० (१) १२५
५१. एच० पी० ५०२
५२. ज्ञानमल मुंहणोत से जालिमसिंह को पत्र, भाद्रपद बंदी १२, वि० स० १८४४ / ८ सितम्बर १७८७ (अ० ब० न० ४, पृ० २२१ जोष०)
५३. सी० पी० सी० (अ०थ) (७) १४४२, १५५६
५४. विलियम कर्क पेट्रिक का गवर्नर जनरल को पत्र, ७ मई १७८७, एफ० एस० १७ मई १७८७, स० ४
५५. उपयुक्त को पत्र, ३ मई / ७ मई १७८७, एफ० एस० १७ मई १७८७ सख्या ३ व ४, पी० आर० सी० (१) १२२, १२४
५६. उपयुक्त पत्र, ४ जुलाई १७८७, एफ० एस० १६ जुलाई १७८७ सख्या २, पी० आर० सी० (१), १२७
५७. पी० आर० सी० (१) १२७
५८. हार्पर का गवर्नर जनरल को पत्र, २ अगस्त १७८७, एफ० एस० २८ अगस्त १७८७, स० १४, प्रोसीडिंगज पृ० ४२३६, युद्ध के ठीक पूर्व सिधिया की सेना के १०० रूहेल और २०० नजीब सैनिक राजपूतों से मिल गये ।
५९. प्रतापसिंह का विजयसिंह को खरीता, धावण सुदी २, १८४४ / १६ जुलाई १७८७ (पी० फो० न० ६, खरीता न० ४५ जोष०)
६०. पी० आर० सी० (१), १३३, १३५, सी० पी० सी० (७), १५४४
६१. पी० आर० सी० (१), १३१
६२. उपयुक्त, हार्पर का गवर्नर जनरल को पत्र, २ अगस्त १७८७, एफ० एस० २८ अगस्त १७८७, सख्या १४, प्रोसीडिंगज ४२४४
६३. उपयुक्त, सी० पी० सी० (७) १५४४
६४. पी० आर० सी० ग्रन्थ (१) १३५, १३६, १३७, एच० पी० ५०३; ऐतिहासिक पत्रे २६१, दिल्ली येथील ग्रन्थ (१) २२४, एस० सी० सी० आर० ग्रन्थ (२) ७१, १६५, सी० पी० सी० (७) १५४४, १५४५, १५५१, १५५३
६५. पी० आर० सी० (१) १३७

- ६६ पी० आर० सी० (१) १३५, हापरंर का गवर्नर जनरल को पत्र २ अगस्त १७८७, एफ० एस० २८, अगस्त १७८७ स० १४, प्रोसीडिंग्ज पृ० ४२३६-४२४४
- ६७ पी० आर० सी० (१) १३७
- ६८ पी० आर० सी० (१) १३५, १३७, एच० पी०, ५००; सी० पी० सी० (७) १५४४
- ६९ पी० आर० सी० (१) १३५, १३६, १३७, एच० पी० ५०० (इसके अनुसार मृतको की सख्या १००० थी), सी० पी० सी० (७) १५५१, प्रतापसिंह का विजयसिंह को खरीता, मार्गशीर्ष बदी ५, वि० म० १८४४। २९ नवम्बर १७८७ (पी० फो० ६ खरीता, न० ४६ जोष०), इसके अनुसार दोनो दलों के मृतको की सख्या बराबर थी।
- ७० पी० आर० सी० (१), १३७, एच० पी० ५०३
- ७१ पी० आर० सी० (१), १३५, पी० आर० सी० (१) १३७, १५५, एच० पी० ५०३, सी० पी० सी० (७) १५७२,
- ७२ प्रतापसिंह का विजयसिंह को खरीता, मार्गशीर्ष बदी ५, वि० स० १८४४। २९ नवम्बर १७८७ (पी० फो० न० ६ खरीता न० ४६ जोष०), विजयसिंह ने युद्ध में विजय प्राप्त करने पर गुनाहसिंह भेरमिधोन (टाटोही रयात न० २५, पृ० ८, बस्ता न० ४०) व रिडमन्सिंह असेमिधोन (गाम रुक्ना परवाना फाइल न० १०७ डोलिया का गाडार गोव०) को बराहमा भेजा।
- ७३ पी० आर० सी० (१), १७५, मारवाट री रयात (३) पृ० ६६ ७०
- ७४ पी० आर० सी० (१) १७५, सी० पी० सी० (७) १६४५
- ७५ पी० आर० सी० (१) १७५, महेश दरवार (२) १५४
- ७६ मारवाट री रयात (३) पृ० ६६-७०
- ७७ पी० आर० सी० (१) १७५
- ७८-७९ उपयुक्त
- ८० पी० आर० सी० (१) १६२, महेश दरवार (२) १५४, प्रतापसिंह का विजय सिंह को खरीता, मार्गशीर्ष सुदी १०, वि० स० १८४४। २० दिसम्बर १७८७ (पी० फो० न० ६ खरीता न० ५० जोष०),
- ८१ अजमेर और जोधपुर का हस्तलिखित इतिहास पृ० १४६
- ८२ विजयसिंह का तुकोजी होस्कर को पत्र, पीप बदी १४, वि० स० १८४४/७, जनवरी १७८८ (अ० व० न० ४ पृ० ६ जोष०)
- ८३ उपयुक्त

- १२४ इस्माइल बेग को इस सहायता के लिए १०,००० रुपये मासिक दिये गये ।
- १२५ एस० सी० सी० आर० (२) ७६
- १२६ एच० पी० ५७६, एस० सी० सी० आर० (२) ७६
- १२७ सी० पी० सी० (६) ७३७
- १२८ एच० पी० ५७४
- १२९ एस० सी० सी० आर० (२) ७८, ८०
- १३० एच० पी० ५७४
- १३१ एच० पी० ५७६, सी पी सी (४) ७३७, एस० पी० सी० आर० (२) ७६
मुडियाड रयात (विजयसिंह), पृ० २२५-२२६, बस्ता न० २०, जोधपुर, हवंटं
कॉम्पटन पृ० ६०, पीसनगाव अजमेर के द० पू० में १६ मील दूर है । गोविन्दगढ
पीसनगाव से ६ मील उत्तर म है । आलनियावास मेडता से द० पू० मे २०
मील २६, ३१, ' ७०, ' ३०, ई० म है । रीया जोधपुर के उ० पू० मे २८
मील मेडता के द० पू० म १६ मील पर है ।
- १३२ एच० पी० ५७६, सी० पी० सी० (६), ६१०, ७३७, एस० सी० सी० आर०
(२) ७६ ८१ एच० एस० आई० एम० (१) ३०२, महेश दरवार (२) २०६,
मुडियाड रयात (विजयसिंह) पृ० २२८-२३२ बस्ता न० २० (जोधपुर) हवंटं
कॉम्पटन पृ० ६० डांगावास मेडता के पूर्व मे २ मील दूर है ।
- १३३ एच० पी० ५७६, सी० पी० सी० (६) ६१०, ७३७, एस० सी० सी० आर
(२) ७६, ८१ दिल्ली येथील (पूरक) ३७, एस० एस० आई० एस० (१)
२६३, ३०२, महेश दरवार (२) २०६; मारवाड री रयात ग्रन्थ (३), पृ० ६०
६१; मुडियाड रयात (विजयसिंह), पृ० २३५-२५३, बस्ता न० २०; हवंटं
कॉम्पटन पृ० ६०-६१
- १३४ एस० सी० सी० आर० (२) ८२, मुडियाड रयात (विजयसिंह) पृ० २६४
बस्ता न० २० जोध०
- १३५ उपयुक्त
- १३६ मुडियाड रयात (विजयसिंह) पृ० २६४, बस्ता न० २० (जोध०)
- १३७ उपयुक्त, खीची गोरघन वा जीवाजी पडित को पत्र, भाद्रपद सुदी ६, वि०
स० १८४७/१४ सितम्बर १७६० (ग्र० व० न० ४, पृ० १६१ जोध०)
- १३८ उपयुक्त
- १३९ एस० सी० सी० आर (२) ८२, खीची गोरघन के जीवाजी पडित व गोपाल
भाऊ को पत्र, भाद्रपद सुदी ७ वि०स० १८४७, १५ सितम्बर १७६० (ग्र०
व० न० ४ पृ० १६२ जोध०); हकीकत बही न० ५ पृ० १५३

- १४० विजयसिंह का अम्बरकराव व रानेखा को पत्र, आश्विन बदी ८, वि० स० १८४७ । १ अक्टूबर १७६० (अ० ब० न० ४, पृ० ६४ व ६६ जोध०)
- १४१ उपयुक्त
- १४२ जोधपुर येथील १६
- १४३ उपयुक्त
- १४४ जोधपुर येथील १७
- १४५ उपयुक्त
- १४६ उपयुक्त
- १४७ एच० पी० ५६७, एस० सी० सी० आर० (२) ८२, कलकत्ता गजेटियर से सकलन (२) पृ० २८२
- १४८ हकीमत बही न० ५ पृ० १८१ व १८३ (जोध०)
- १४९ उपयुक्त
- १५० जोधपुर येथील १६-१८
- १५१ एच० पी० ५८६, दिल्ली येथील (पूरव) १
- १५२ जोधपुर येथील १६, दिल्ली येथील (पूरव) ४
- १५३ उपयुक्त
- १५४ महादजी सिधिया का विजयसिंह को पत्र, पीप सुदी १, वि० स० १८४७ । ५ जनवरी १७६१ (पी० फो० न० ६, पत्र न० ५४ जोध०), 'महादजी सम्बन्धी ऐतिहासिक पत्र' ग्रन्थ में यह तिथि ६ जनवरी है । (पत्र न० ५८७), महादजी के सधि पत्र में तिथि ५ जनवरी है । उपयुक्त ग्रन्थ में विद्वृत वर्णन नहीं है जैसा कि पत्र में है । ग्रन्थ का पत्र अजमेर से २४ मील दूर स्थित स्थान से लिखा गया है न कि सागर में । यह भी दूसरे दिन लिखा गया ।
- १५५ हकीम बही न० ५ पृ० १६० (जोध०)
- १५६ विजयसिंह से महादजी को पत्र, माघ बदी ५, वि० स० १८४७ । २४ जनवरी १७६१ (अ० ब० न० ४ पृ० ४५)
- १५७ महादजी का विजयसिंह को पत्र, पीप सुदी १, वि० स० १८४७ । ५ जनवरी १७६१ (पी० फो० ६ पत्र ५७, ५८ व ५९ जोध०), एच० पी० ५८७, दिल्ली येथील (पूरव) ४, जोध० येथील १६
- १५८ पंडित ऋग्गुण को पत्र, भाद्रपद सुदी ३, वि० स० १८४६ । २० अगस्त १७६२ (अ० ब० न० ४ पृ० १०७ जोध०), मारवाड की रयात, ग्रन्थ (३) पृ० १४२
- १५९ एच० पी० ५६२

१६०. पूना अखबारात (३) पृ० १४२; अजमेर व जोधपुर का हस्तलिखित इतिहास पृ० ७३ व १४७; मारवाड री रुपात (३) पृ० ६६
१६१. पंडित विश्राम भाऊ का पत्र, भाद्रपद बही ६ वि० स १८४६ । ८ अगस्त १७६२ (अ०ब०न० ४ पृ० १३३ जोध०)
१६२. खास हक्कावही नं० १, पृ० ७६ (जोध०)
१६३. हकीकत बही न० ५, पृ० २५ (जोध०), एच० पी० ६००
१६४. विजयसिंह का महादजी को पत्र, पीप बदी १०, वि० स० १८४८ । २० दिसम्बर १७६१ (अ० ब० न० ४, पृ० ४८ जोध०)
१६५. विजयसिंह का पंडित गोपालराव को पत्र, ज्येष्ठ बदी ५, वि० स० १८४८ । २६ मई १७६२ (अ०ब०न० ४, पृ० १२२ जोध०)
१६६. विजयसिंह का महादजी को पत्र, माघ सुदी २, वि० स० १८४६ । १४ जनवरी १७६३ (अ०ब० न० ४, पृ० ४६-५० जोध०) विजयसिंह का आबा चिटणीस को पत्र, माघ सुदी ५, वि० स० १८४६ । १६ जनवरी १७६३ (अ०ब०न० ४, पृ० ६६ जोध०)
१६७. भीमसिंह का महादजी को पत्र, आषाढ सुदी ६, वि० स० १८४६ । १७ जुलाई १७६३ (अ०ब०न० ४, पृ० ५० जोध०), हकीकत बही न० ५, पृ० ३१६, जोध०; जोध०ययील २३
१६८. सी० पी० सी० ग्रन्थ न० (६) १२२७ १३४४
१६९. उपर्युक्त १३४६, एच० पी० ५६६



अध्याय : ६

मराठा प्रभाव का संघ्याकाल

(१७६३-१८१८ ई०)

(अ) भीम-मान सघर्ष (१७६३-१८०३) में मराठा हस्तक्षेप

विजयसिंह के शासन के अन्तिम वर्षों (१७६१-१७६३) में उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर राज्य की राजनैतिक गतिविधियों में पड्यत्र, विद्रोह व हत्याओं का उग्र वातावरण बन गया था। जालिमसिंह वास्तविक उत्तराधिकारी था। परन्तु उसे इस अधिकार से वंचित कर शेरसिंह (चौथे पुत्र) को गद्दी पर बिठाने की कोशिश होने लगी। विजयसिंह की पासवान गुलाबराय ने पहले तो शेरसिंह का पक्ष लिया पर बाद में गुमानसिंह के पुत्र मानसिंह को, जिसे शेरसिंह ने गोद ले लिया था, शासक बनाने की योजना बनायी। अपने प्रभाव के कारण उसने मानसिंह को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। उसे जालौर का गढ़ सौंपा गया। गुलाबराय-विरोधी सामन्तों ने महाराजा को धमकी दी कि पासवान सरक्षित शेरसिंह-मानसिंह गुट को मारवाड का शासन सौंपा गया तो उसके भयकर परिणाम होंगे। उन्होंने गद्दी के उत्तराधिकारी के लिए भीमसिंह का समर्थन किया। पासवान सामंत वर्ग में अत्यन्त अग्रिय थी। उसके राजनैतिक उत्थान के कारण राठौड़ कुल के शक्तिशाली सामंत विजयसिंह-विरोधी हो चुके थे। अतः सामन्तों के दबाव में आकर महाराजा ने भीमसिंह को उत्तराधिकारी घोषित करने की इच्छा व्यक्त की। परन्तु मृत्यु के पूर्व उसने भीमसिंह के स्थान पर शूरसिंह के पक्ष में अपने विचार बदलने शुरू किये। इस प्रकार की स्थिति में राजनैतिक तनाव इतना बढ़ गया कि सामंत वर्ग के एक गुट ने गुलाबराय की हत्या करवा दी। जालिमसिंह मराठों और लदयपुर के महाराणा से सहायता प्राप्त करने हेतु जोधपुर से भाग गया। भीमसिंह ने राजधानी पर हमला कर गद्दी पर जबरदस्ती अधिकार करने की योजना बनायी।^२

महाराजा की मृत्यु के ठीक पूर्व, उत्तराधिकार का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से भीमसिंह व मानसिंह के बीच का सघर्ष था। ७ जुलाई १७६३ को विजयसिंह की मृत्यु हो गयी। पोंकरण ठाकुर सवाईसिंह, राजधानी में स्थित मराठा प्रतिनिधि धनसिंह, रामाराव सदाशिव और कृष्णाजी जगन्नाथ की सहायता से भीमसिंह ने १७ जुलाई

१८०० के अन्तिम माह में यह मारवाड की ओर चल पड़ा । सौर पर पुनः अधिकार कर उसने भीमसिंह को कर देने की बाध्य किया ।^{४२} जिस समय भीमसिंह पेरों के विरुद्ध सपर्यं में पूर्ण व्यस्त था, मानसिंह ने जोधपुर पर घातमण्डल करने के लिए दिसम्बर १८०० में कूच किया । मार्ग में उसने पाली को बुरी तरह से मूटा । परन्तु भीमसिंह के सेनापति मिथवी र्धनशरण और घम्पावन बहादुरसिंह ने उसे घाये नहीं बढो दिया । १८०१ जनवरी में राठवों के युद्ध में हारकर मानसिंह जातौर छोड़ गया ।^{४३} जुलाई १८०१ में जोधपुर की सेना ने जालोर का घेरा डाल दिया । १८०३ के मध्य में मानसिंह की स्थिति शोचनीय होने लगी ।^{४४} उसने धारम-समर्पण के लिए मिथवी इन्द्रराज से १० मितम्बर १८०३ की वार्ता प्रारम्भ की । इसने पूर्व कि ममभीता हो सके, भीमसिंह की अक्टूबर १९, को मृत्यु हो गयी । इन्द्रराज ने भीम अक्टूबर को मानसिंह को इसके बारे में सूचित किया और उसे शासन घोषित कर दिया । मानसिंह ने जोधपुर की ओर प्रस्थान कर ५ नवम्बर १८०३ को उस पर अधिकार कर लिया ।^{४५}

(ब) आंग्ल मराठा युद्ध (१८०२-१८०५) और मानसिंह

१७६८ में वेजेजली का अंग्रेज गवर्नर जनरल के रूप में भारत में भागमन आंग्ल साम्राज्य के प्रसार के लिए एक नये युग का प्रारम्भ था । उसकी 'सहायक नीति' का परिणाम वस्तुतः मराठों की शक्ति को समाप्त करना था जो कि १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत की प्रमुख राजनैतिक शक्ति थी । इसके लिए मारवाड के शासन को वह अपना सम्भावित मित्र मानने लगा । इससे मराठों से सपर्यं में राठोड शासन महादजी को दिये गये क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर सकेगा ।^{४६} १८०२ में सिधिया-अंग्रेज युद्ध प्रारम्भ हुआ । भीमसिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध दौलतराव का समर्थन किया ।^{४७} परन्तु अंग्रेजों के समक्ष मराठे टिक न सके और २४ सितम्बर १८०३ को अटई तथा १ नवम्बर १८०३ को सातडी के स्थान पर सिधिया की बुरी तरह हार हुई ।

इसी बीच १९ अक्टूबर को भीमसिंह की मृत्यु हो गयी थी । मानसिंह ने ५ नवम्बर १८०३ को जोधपुर पर अधिकार कर लिया था । उसे भय था कि सिधिया उसके विरोधियों का समर्थन करेगा । अतः एक ओर उसने अंग्रेजों के साथ संधि वार्ताएँ प्रारम्भ कीं,^{४८} दूसरी ओर होल्कर से सहयोग लेने हेतु उसने अपने प्रतिनिधि भट्टारी कल्याणदास और गेहलोत जीवनदास को जसवंतराव के पास ६ दिसम्बर को भेजा ।^{४९} अंग्रेजों और होल्कर दोनों की ओर से उसे सहयोग मिलने की आशा बढी । जसवंतराव ने राठोड प्रतिनिधियों के साथ अपने प्रतिनिधि पंडित बलवंतराव को जोधपुर भेजा ।^{५०} मराठा प्रतिनिधि १० जनवरी १८०४ को मानसिंह से मिला ।^{५१} अंग्रेजों से संधि की सभी बातें पूरी हो गयीं परन्तु शीघ्र ही अंग्रेजों

श्रीर होल्कर के सम्बन्ध बिगडने लगे । मानसिंह को दोनो मे से एक को चुनना था । उसने होल्कर का समर्थन करने का निश्चय किया । होल्कर व राठोड के बीच प्र ग्रेजो के विरुद्ध सहायता के लिए सात दिन तक बातें होती रही । अन्त मे दोनो के बीच दो कौलनामो पर हस्ताक्षर हुए । १७ जनवरी के कौलनामो के अनुसार^{५२}

१. होल्कर दौलतराव सिधिया से अजमेर और सांभर पर पुन राठोडो को अधिकार दिलाएगा ।

२. जयपुर के मामलात का अंतिम निर्णय राठोड नरेश की उपस्थिति में होगा । फरवरी के कौलनामो के अनुसार^{५३}

१ मानसिंह होल्कर की सहायता के लिए राठोड सेना भेजेगा ।

२ होल्कर के परिवार को जोधपुर मे शरण दी जाएगी ।

कौलनामो की शर्तों के अनुसार १८०४ के अप्रैल मे राठोड शासक ने होल्कर के परिवार को मानवाड मे आन का निमन्त्रण भेजा ।^{५४} होल्कर का परिवार जून १८०५ में जोधपुर पहुँचा ।^{५५} इसमे होल्कर की दो रानियाँ, तुलसीबाई और लवाबाई उसकी पुत्री भीमाबाई,^{५६} महार राव का पुत्र खाडेरार व जसवनराव का भतीचा हरिराव थे ।^{५७} इनके साथ गनपतराव, पंडित बायाजी परडनवीस, हरिसिंह, कुमेदार, राजाराम, बबिया मायाजी और नीनोमाचन्द्र भी थे ।^{५८} वे कुछ तोपें भी साथ लाये थे ।^{५९} मानसिंह ने उन्हे चैनपुरा मे ठहराया ।^{६०} इनका आनदार स्वागत हुआ और मानसिंह होल्कर की रानियों का राखीबन्द भाई हो गया ।^{६१} इनके खर्च के लिए गोडवाड में चार हजार रुपयों की भाय की जागीर भसूडी गाँव और दो हजार रुपयो की भाय का रूगोली गाँव दिया ।^{६२} बरीब चार वर्ष तक होल्कर परिवार जोधपुर मे रहा ।^{६३} जुलाई १८०६ मे उक्त परिवार पुन होल्कर से जा मिला ।^{६४}

दिसम्बर, १८०४, से अग्रेजो से वार्ता व प्रति दृष्टिकोण शिथिल हो गया । उसने सधि की शर्तों पर पुनः हस्ताक्षर नहीं किये ।^{६५} सितम्बर १८०५ मे जब होल्कर अजमेर पहुँचा तो राठोड सेना उसकी सहायता के लिए भेजी गयी ।^{६६} अग्रेजो ने इस पर जोधपुर पर सिधिया के अधिकारों की मान्यता दे दी ।^{६७} सिधिया की शक्ति बढी । दौलतराव ने मानसिंह को वापिक कर की बकाया राशि न भेजने पर आक्रमण की धमकी दी ।^{६८} मानसिंह ने होल्कर को सहायता के लिए लिखा पर होल्कर ने कोई सहायता नहीं भेजी । इस पर दिसम्बर १८०५ मे मानसिंह ने सिधिया के समक्ष समर्पण कर दिया ।^{६९}

(स) कृष्णाकुमारी काण्ड में मराठा हस्तक्षेप (१८०५-१८१०)

(१) उदयपुर की कृष्णाकुमारी (१८०६ जनवरी जून)

गद्दी पर बैठने ही मानसिंह के समक्ष कई समस्याएँ आयीं । भीमसेन के तथाकथित पुत्र धारलसिंह को पोरुण गुट का समर्थन मिल जाने से उसकी स्थिति

मकटास्पद होने लगी। थोरलसिंह के लिए सिधिया का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास क्रिया जाने लगा। भंगल-मराठा युद्ध के अंत में, अपनी स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मानसिंह, ने सिधिया से समझौता कर लिया। कुछ समय तक राठौड़ मराठा सम्बन्ध अच्छे बने रहें। परन्तु शीघ्र ही कृष्णाकुमारी काण्ड के कारण मराठों के आक्रमण की संभावना होने लगी।

कृष्णाकुमारी मेवाड़ के शासक भीमसिंह की पुत्री थी। उसकी सगाई जोधपुर के भीमसिंह से १७६६ में हुई, परन्तु शादी होने के पहले ही १८०३ में जोधपुर के शासक की मृत्यु हो गयी। ७० मानसिंह ने गद्दी पर बैठने के बाद कृष्णाकुमारी से विवाह का सन्देश उदयपुर भेजा। परन्तु महाराणा ने इसे प्रस्वीकार किया। ७१ महाराणा मानसिंह से नाराज था, क्योंकि मानसिंह ने मेवाड़ की जागीर खालीराव पर अधिकार कर लिया था। ७२ १८०५ के अंत में मेवाड़ के शासक ने कृष्णाकुमारी का विवाह जयपुर के शासक जगतसिंह से करना तय किया। ७३ इस पर कृष्णा को नाने के लिए जयपुर के ३००० मैनिकों की फौज उदयपुर की ओर रवाना हुई। ७४

मानसिंह को यह खुरा लगा। यह उसकी राठौड़ी राजपूती शान के लिए एक चुनौती थी। अतः उदयपुर के राणा से बदला लेने का उसने निश्चय किया। इसके लिए उसने मैनिक तैयारियाँ कीं। जनवरी १८०६ में मेड़ता के पास डाँगावास में फौज एकत्रित की गयी। ७५ चैनपुरा स्थित होल्कर का तोपखाना भी इस सेना से मिल गया। ७६ इनके अलावा उसने होल्कर को, जो कि उस समय पंजाब में था, सात हजार मैनिक शीघ्र भेजने के लिए लिखा। ७७ २८ जनवरी १८०६ को दौलतराव सिधिया को लिखे गये पत्र से स्पष्ट होता है कि मानसिंह ने उससे भी सहायता माँगी। उसे विश्वास दिलाया कि जब कभी अंग्रेजों के विरुद्ध वह हथियार उठाएगा, राठौड़ सेना उसकी सहायता को पहुँचेगी। उसके परिवार को जोधपुर में शरण दी जाएगी। वार्षिक कर के अलावा युद्ध का सम्पूर्ण खर्च दिया जाएगा तथा होल्कर और सिधिया के बीच समझौता कराने में वह मध्यस्थता करेगा। ७८ उसने अपनी मद्भावना प्रदर्शित करने हेतु वार्षिक कर एक लाख पचास हजार रुपये सिधिया को भिजवाया। ७९ सिधिया का समर्थन उसे प्राप्त हो गया। उदयपुर स्थित उसके प्रतिनिधि गिरजीराव घाटका ने मानसिंह को लिखा कि वह शीघ्र सेना भेजे। ८० इस पर मानसिंह ने इन्द्रराज सिधवी और मेहता सूरजमल को सेना सहित भेजा। ८१ इस सेना ने फरवरी १८०६ में शाहपुरा के पास जयपुर की सेना को रोका और उसे लौटने को बाध्य किया। ८२

इसी समय सिधिया मेवाड़ पहुँचा। ८३ उसने पंडित सुखराम के द्वारा मानसिंह को कहला भेजा कि वह उसकी सहायता करेगा परन्तु वास्तव में वह जयपुर और जोधपुर के बीच न्यायोचित स्थिति से अधिक कुछ नहीं करना चाहता था। ८४ उसने महाराणा को सुझाव दिया कि अपनी दोनों पुत्रियों में से बड़ी की शादी राठौड़

शासक से घोर छोटी की शादी जयपुर के शासक से कर दे ।^{१५५} परन्तु जयसिंह ने इसे स्वीकार नहीं किया ।^{१५६} सिंधिया को जयसिंह का प्राचरण उचित नहीं लगा । उसने उस पर दबाव डालना शुरू किया और शीघ्र ही बकाया कर का भुगतान माँगा और न मिलने पर सैनिक बार्थेबारी की धमकी दी ।^{१५७} इस पर जगतसिंह ने मानसिंह के अपनी बहन की शादी करने की वार्ता प्रारम्भ की ।^{१५८} कुछ समय के लिए जयपुर के शासक ने वृष्णाकुमारी से शादी की वार्ता स्वीकृत कर दी ।^{१५९}

(२) नाद सम्मेलन (जून-अक्टूबर १८०६) व उसके परिणाम

मानसिंह का पत्र प्राप्त होने के पश्चात् होल्कर कुछ समय तक तो पञ्जाब में बना रहा । परन्तु मई, १८०६ में वह साँभर पहुँचा और यह बहाना बनाकर कि जयपुर शासक ने वापिस कर नहीं दिया है, उसके राज्य की मूटने लगा ।^{१६०} जगतसिंह को कुछ फौजें मेवाड़ में थीं । उसके कई सरदार विद्रोही होने लगे थे । एक घोर होल्कर, दूसरी घोर सिंधिया का विरोध करने की क्षमता जगतसिंह में नहीं थी । घन न सिर्फ उदयपुर से उमने अपनी फौजें हटायी बल्कि भातसिंह से सम्मेलन कर होल्कर की पालन करने का प्रयास किया ।^{१६१} राजस्थान में होल्कर के आने से महारथपूर्ण राज-नैतिक परिवर्तन होने लगे । सिंधिया ने मानसिंह को लिखा कि वह होल्कर से वाजों कर उसके घोर होल्कर के बीच समझौता कराए ।^{१६२} मानसिंह ने होल्कर से मुलाकात करने का निश्चय किया ।^{१६३} यह मिलन इसलिए भी आवश्यक हो गया कि राठोट शासक अपने प्रतिद्वन्दी भोजसिंह के विरुद्ध महारथवाक या नैतिक एवं सैनिक समर्थन की चाहता था ।^{१६४} इस उद्देश्य से उमने आलनियावास से, जहाँ उमका डेरा लगा हुआ था, होल्कर से मिलने के लिए २२ जून १८०६ को प्रस्थान किया ।^{१६५} होल्कर अपनी सेना को हरमाडा में छोड़कर पुष्कर आया हुआ था और उमका डेरा तिनारे गाँव में लगा था ।^{१६६}

२३ जून को दोनों, मानसिंह और जयवन्तराव नाद गाँव में मिले ।^{१६७} फिर समय समय पर उनकी मुलाकातें होती रहीं । ये बातें २३ अक्टूबर तक चलती रहीं ।^{१६८} प्रारम्भिक मुलाकातों में जयपुर का दीवान रायचन्द भी शामिल हुआ । बाद में शिरजीराव घाटका, अमीरखा, आषसत्री महाराज भी शामिल हुए ।^{१६९} मानसिंह और जयवन्तराव में पारिवारिक घनिष्ठता स्थापित हो गयी । उन्होंने एक ही घाट पर बैठकर खाना खाया ।^{१७०} तत्कालीन पत्रों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि अमीरखा और मानसिंह के बीच भयंकर मतभेद हो गया था । वह (अमीरखा) मुलाकात में अनुपस्थित रहा और अजमेर चला गया था ।^{१७१}

होल्कर और राठोट की नाद में हुई मुलाकातें प्राणिक रूप में ही सफल मानी जाती हैं । सिंधिया होल्कर मतभेदों को मुलमनि में मानसिंह प्रसफल रहा ।^{१७२} जयपुर के प्रतिनिधि में बकाया वापिस के भुगतान के बारे में आला-चाली ही नहीं की बल्कि इसे उलझाये रखा । होल्कर की सैनिक अभियोग की धमकी से ही कुछ

धनराशि मिल सकी ।^{१०३} कृष्णाकुमारी के सम्बन्ध में होल्कर का प्रभाव मानसिंह के पक्ष में बना रहा । २६ जून १८०६ को होल्कर के प्रस्ताव पर दोनों शासकों ने कृष्णाकुमारी से विवाह न करने का निश्चय किया । इसके अलावा उन दोनों ने आपस में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर पारिवारिक घनिष्ठता बनाये रखने का समझौता भी किया ।^{१०४} होल्कर ने मानसिंह को विश्वास दिलाया कि यदि कृष्णाकुमारी से शादी की समस्या पुनः पैदा हुई और धोकलसिंह को जयपुर का समर्थन मिला तो वह उसकी सहायता करेगा ।^{१०५}

इसी बीच हरमाडा स्थित होल्कर की सेना ने बतन की माँग को लेकर विद्रोह कर दिया । सैनिकों ने यशवतराव के भतीजे खाडिराव को गिरफ्तार कर लिया ।^{१०६} नाद की मुलाकात समाप्त कर होल्कर एक राठौड़ फौज के साथ हरमाडा पहुँचा और बकाया वेतन देकर विद्रोह को शांत करने की चेष्टा की ।^{१०७} परन्तु हैदराबाद रिसाले ने उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिये ।^{१०८} बाकी बची सेना को लेकर वह रामसर शाहपुरा होता हुआ मालवा की ओर चन दिया ।^{१०९} शाहपुरा से अभी वह रवाना हुआ हुआ था कि उसे मानसिंह का पत्र मिला कि जयपुर का शासक उस पर आक्रमण की तैयारियाँ कर रहा है अतः वह आगे प्रस्थान न करे ।^{११०}

अक्टूबर १८०६ में होल्कर के प्रस्थान के बाद जयपुर के शासक ने अपनी स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए कई कदम उठाये । होल्कर के विद्रोही हैदराबाद रिसाले की अपनी सेना में भर्ती कर लिया ।^{१११} अमीरखा से उससे सैनिक सधि कर ली ।^{११२} जोधपुर की गद्दी के तथाकथित प्रत्याशी धोकलसिंह और पोकरण के विद्रोही ठाकुर सवाईसिंह को जयपुर में शरण देकर उनका समर्थन किया ।^{११३} बीकानेर के शासक सूरतसिंह का सहयोग भी उस प्राप्त हो गया ।^{११४} सिंधिया को अपनी ओर करने के लिए जगतसिंह ने उसे यह विश्वास दिलाया कि धोकलसिंह का कर भी वह देगा ।^{११५} इस प्रकार अपनी शक्ति में वृद्धि कर जगतसिंह ने मानसिंह से समझौता भंग कर दिया और कृष्णाकुमारी से विवाह रचाने की इच्छा व्यक्त की ।^{११६} नवम्बर १८०६ में जयपुर का राजनैतिक वातावरण इतना उग्र हो गया कि मानसिंह से युद्ध अवश्यंभावी हो गया ।^{११७} २६ दिसम्बर को मानसिंह ने यशवतराव को पत्र लिखा कि जयपुर की फौजी हलचलों का उद्देश्य मारवाड़ पर आक्रमण करने का है अतः वह उसकी सहायता के लिए आए ।^{११८}

(३) जयपुर-जोधपुर सघर्ष (जनवरी-अक्टूबर १८०७)

जगतसिंह का आचरण नैतिक दृष्टि से कितना ही बुरा हो, राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रभावपूर्ण था । मानसिंह होल्कर की सहायता पर पूर्ण रूप से आश्रित था । उसने यशवतराव को शीघ्रातिशीघ्र आने को पुनः लिखा ।^{११९} प्रारम्भ में तो होल्कर ने महाराणा उदयपुर पर दबाव डाला कि कृष्णा की शादी जयपुर नहीं करे ।^{१२०} यह इसके लिए किसी भी दल की सहायता करने का तैयार न था ।^{१२१} परन्तु उसे

निराशा ही हाथ लगी। जनवरी १८०७ के मध्य में जगतसिंह मारवाड की ओर चल पड़ा। इस पर होल्कर मानसिंह की सहायता हेतु भजमेर और किसानगढ़ की ओर बढ़ा।^{१२२} जगतसिंह ने कूटनीति अपनायी। उसे लौटाने हेतु चार लाख रुपये नकद देने का वचन दिया।^{१२३} परन्तु होल्कर ने इसे अस्वीकार करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि वह मानसिंह पर आक्रमण नहीं करे अन्यथा उसे वह अपने ऊपर आक्रमण समझेगा।^{१२४}

बछवाह नरेश न इस घमकी की परवाह नहीं की।^{१२५} १७ जनवरी को उसने धौकलसिंह को मारवाड के शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी।^{१२६} इसके पूर्व मानसिंह ने समझौता करना चाहा परन्तु उसने कोई जवाब नहीं दिया।^{१२७} उसका सैनिक अभियान चलता रहा। सांभर में धाकर उसने अपना पड़ाव डाला।^{१२८} परबतसर से चारह मील दूर पर मानसिंह का पड़ाव था।^{१२९} उसने होल्कर के पास अपने वकीलों के साथ युद्ध खर्च के दो लाख रुपये भेजे।^{१३०} वह मानसिंह की सहायता के लिए परबतसर की ओर चल पड़ा।^{१३१} अब जगतसिंह को परेशानी होने लगी। ४ फरवरी को होल्कर सांभर की ओर मुड़ा।^{१३२} ६ फरवरी को जयपुर का वकील १० लाख रुपये की हंडियाँ लेकर कंपनी में उपस्थित हुआ। इन हंडियों की कोटा में भुगतान की व्यवस्था की गयी थी। जयपुर-शासक ने इस शर्त पर हंडियाँ दी कि वह शीघ्र कोटा की ओर प्रस्थान कर देगा।^{१३३} होल्कर ने इसे स्वीकार किया। मानसिंह की सहायतायें कुछ सेना को छोड़कर^{१३४} वह कोटा की ओर चल पड़ा।^{१३५}

फरवरी में होल्कर के प्रस्थान के बाद जोधपुर के महाराजा ने दिल्ली स्थित ब्रिटिश राजदूत एलेक्जेंडर सेटोन से सहायता के लिए पत्र-व्यवहार शुरू किया।^{१३६} मार्च के पूर्वार्द्ध में उसने वकील फतेहराम व्यास से सेटोन से मुलाकात की और महाराजा का यह प्रस्ताव प्रेषित किया कि जोधपुर को ब्रिटीश सुरक्षा में ले लिया जाए।^{१३७} रेजिडेण्ट ने अत्यन्त नम्रता से इसे अस्वीकार किया।^{१३८}

होल्कर के हट जाने से और ब्रिटीश सहायता न मिलने के कारण मानसिंह अत्यन्त निराश हुआ। अतः जगतसिंह ने, अमीरखा की सेना की सहायता से^{१३९} परबतसर के पास १६ मार्च १८०७ को उस पर आक्रमण किया तो वह हार गया।^{१४०} वह रणक्षेत्र से भाग गया। प्रारम्भ में वह जालोर की ओर बढ़ा परन्तु बाद में विचार बदल दिया।^{१४१} २१ मार्च को वह जोधपुर की ओर चला।^{१४२} धौकलसिंह को लेकर आक्रमणकारियों ने उसका पीछा करना शुरू किया। मार्ग में उन्होंने नागौर पर अधिकार कर लिया।^{१४३} २ अप्रैल को कछवाह और अमीरखा की सेना ने जोधपुर का घेरा डाल दिया।^{१४४} अप्रैल १६ को राजधानी पर इस सेना का अधिकार हो गया।^{१४५} अब, किले का घेरा डाला गया।^{१४६} संपूर्ण मारवाड में धौकलसिंह का शासन स्थापित किया गया।^{१४७} सिर्फ किले पर

ही महाराजा का अधिकार था, जिसे वह छोड़कर जासूर जाने को तैयार नहीं था । १४८

घाशा के प्रतिकूल जोधपुर गढ़ का घेरा काफी समय तक चला । इससे जयपुर वालों को अंतिम सफलता में संदेह होने लगा । घास और पानी की कमी के कारण आक्रमणकारी सेना में विद्रोह होने लगा । १४९ मानसिंह की मातृभूमि की रक्षा की अपील पर १५० आक्रमणकारियों के कई समर्थक राठौड़ ठाकुर अपने महाराजा में आ मिले । १५१ अमीरखा प्रारम्भ से ही यह चाहता था कि जयपुर शामल उदयपुर जाकर कृष्णाकुमारी से शादी कर ले । १५२ जगतसिंह की यह नीति उसे पसन्द नहीं थी कि पहले धोकलसिंह को जोधपुर की गद्दी पर आसीन करें । १५३ लम्बे अर्से तक घेरा रहने से अमीरखा, जगतसिंह तथा सवाईसिंह के बीच मतभेद बढ़ने लगे । १५४ मई के प्रथम सप्ताह में अम्बाजी इ गले और बापूजी सिधिया, जिन्हें दौलतराव सिधिया ने भेजा था, जयपुर की सेना से आ मिले । वे आक्रमणकारियों का नेतृत्व करने लगे । १५५ जयपुर नरेश द्वारा अपना स्थान अम्बाजी को दिया जाना अमीरखा को बुरा लगा । १५६

मानसिंह आक्रमणकारियों में फूट की प्रतीक्षा कर रहा था । उसने गुलामस्ता को अमीरखा के पास गुप्त रूप से भेजकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, जिसे पठान नेता ने शीघ्र ही स्वीकार कर लिया । १५७ इसी प्रकार का प्रस्ताव महाराजा ने बापूजी सिधिया के पास भेजा परन्तु मराठा सेनापति ने यह शर्त स्वीकार नहीं की कि सवाईसिंह को समाप्त कर दिया जाए । १५८ मानसिंह ने अम्बाजी के शत्रु शिरजीराव घाटका को अपनी ओर मिला लिया । १५९ इन्द्रराज सिधवी के नेतृत्व में राठौड़ सैनिकों व शिरजीराव घाटका के मराठा सैनिकों को लेकर, अमीरखा पुष्कर की ओर चल पड़ा । १६० अचानक अगस्त १८०७ में उसने जयपुर पर आक्रमण कर दिया । १६१ अमीरखा का पीछा करने हेतु जगतसिंह ने शिवलाल के नेतृत्व में एक फौज भेजी, जिसने ३ अगस्त को उसे हराया । १६२ परन्तु १८ अगस्त के युद्ध में अमीरखा ने कछवाहा सेना को बुरी तरह परास्त कर १६३ जयपुर पर अधिकार कर कर लिया । १६४ जगतसिंह ने अपनी राजधानी को बचाने के लिए जोधपुर का घेरा ४ सितम्बर को हटा लिया । १६५ धोकलसिंह, सवाईसिंह और बापूजी सिधिया को नागौर में छोड़कर, १६६ अम्बाजी के साथ १६७ जगतसिंह जयपुर के लिए चल पड़ा, जहाँ वह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पहुँचा । १६८ अमीरखा से उसने समझौता कर लिया । उसकी मध्यस्थता से जोधपुर और जयपुर के बीच समझौता हो गया । १६९ १९ अक्टूबर १८०७ को शिरजीराव घाटका के साथ वह (अमीरखा) जोधपुर पहुँचा । १७०

(५) मानसिंह-अमीरखा मंत्री (कृष्णाकुमारी काण्ड की समाप्ति)

जयपुर पर विजय का श्रेय अमीरखा को प्राप्त हुआ । जब वह जयपुर से १९ अक्टूबर १८०७ को जोधपुर लौटा तो मानसिंह ने उसका शानदार स्वागत

किया ।^{१७१} यद्यपि जोधपुर से आक्रमण का खतरा हट गया था परन्तु धोरलसिंह और सवाईसिंह, जिन्होंने बापूजी सिधिया की फौज को अपने पास नागौर में रख लिया था, उसके लिए समस्या बने हुए थे ।^{१७२} मानसिंह ने अमीरखा के साथ इन दोनों का अन्त करने का समझौता कर लिया था ।^{१७३} इस समझौते के अनुसार (१) मानसिंह द्वारा अमीरखा को ४,५०,००० रुपये और (२) ४ लाख आय की जागीर देना तथा (३) अमीरखा की सेना की एक टुकड़ी जोधपुर में रखना तय हुआ ।^{१७४} इस समझौते के बाद अमीरखा ने अपने तीखाने के सेनापति मुस्तियारउद्दौला मोहम्मद खां को जोधपुर युवा भेजा । वह दिसम्बर में जोधपुर पहुँचा ।^{१७५} मानसिंह ने उससे पृथक् समझौता किया ।^{१७६} समझौते की शर्तें निम्न थीं—मुस्तियारउद्दौला मानसिंह के निर्देशन में कार्य करेगा, उसकी सेना में १० हजार पैदल, २ हजार घोड़ारोही और १२५ युद्ध तोपें रहेंगी । मानसिंह उसे प्रति माह १,५०,००० रुपये देगा तथा नया सहस्रालय म जागीर प्रदान करेगा ।^{१७७}

अमीरखा ने २६ दिसम्बर १८०७ को जोधपुर से नागौर की ओर प्रस्थान किया ।^{१७८} मानसिंह ने इन्द्रराज सिधिया को भी आदेश दिये कि वह अमीरखा के साथ जाए ।^{१७९} मुस्तियारउद्दौला भी अमीरखा की सहायता के लिए जोधपुर से ६ जनवरी १८०८ को रवाना हुआ ।^{१८०}

समकालीन पत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि अमीरखा और बापूजी सिधिया के बीच गुप्त वार्ता हुई ।^{१८१} वार्ता में क्या तय हुआ यह तो स्पष्ट नहीं था, परन्तु शीघ्र ही बापूजी बीन वेपटीस्ट को लेकर नागौर से चल पड़े ।^{१८२} पठान सरदार ने सवाईसिंह से मित्रता का खुला प्रदर्शन किया, परन्तु गुप्त रूप से वह उसकी हत्या की योजनाएँ तैयार करता रहा । इसके फलस्वरूप सवाईसिंह और उसके चार साथी ३० मार्च को मार डाले गये ।^{१८३} धोरलसिंह बचकर बीकानेर की ओर भाग गया ।^{१८४} नागौर पर मानसिंह का राज्य स्थापित कर^{१८५} अमीरखा जोधपुर आया । १५ मई १८०८ से १ जुलाई तक वह जोधपुर में ही बना रहा, जहाँ मानसिंह ने उसका बड़ा घाट सरकार ही नहीं किया बल्कि अपने गुप्त विश्वसनीय गुट में भी शामिल कर लिया ।^{१८६} जयपुर-शासन के निमंत्रण पर उसने मानसिंह से २ जुलाई को विदाई ली ।^{१८७}

मानसिंह की जयपुर के विरुद्ध सफलता, सवाईसिंह के अन्त और अमीरखा से उसकी मित्रता से दोलतराय का प्रभाव जोधपुर पर कम होने लग गया था । जयपुर के जगतसिंह ने अम्बाजी इ गले द्वारा दी गई सहायता के बदले कोई धन-राशि सिधिया को नहीं भेजी । इस पर सिधिया ने जुलाई १८०८ में जयपुर पर आक्रमण करने की धमकी दी ।^{१८८} जगतसिंह ने अमीरखा को जयपुर बुला भेजा । सिधिया ने मानसिंह को सेना के लिए लिखा परन्तु उसने यह बहाना बना कर कि बीकानेर की ओर से उस पर आक्रमण की सम्भावना है घतः राटोड सेना मारवाड से भेजें

नहीं जा सकती, सेना नहीं भेजी। १८६ इसके अन्वावा मानसिंह ने शिरजीराव घाटका की विद्रोही पैदल सेना को जो हीरासिंह के नेतृत्व में थी अपनी ओर मिला लिया। १८७ अमीरखाँ और मुस्तयारउद्दौला से संधियों के बाद मानसिंह न सिंधिया को कर देना बन्द कर दिया था। १८९ सिंधिया को यह बुरा लगा। उसने न सिर्फ कर की धनराशि को, बल्कि पठान सरदार की सेना को हटाने व हीरासिंह को निकालने की भी मर्ग की। १८२ मानसिंह ने इसे अस्वीकार किया। १८३

राठौड नरेश को दण्ड देने हेतु दौलतराव ने जून १८०६ में मारवाड की ओर प्रस्थान करने का इरादा किया। १८४ शिरजीराव को धोकरलसिंह से सम्पर्क स्थापित करने के उसने आदेश दिये, १८५ जिससे महाराजा पर राजनैतिक दबाव डाला जा सके। मानसिंह इसके लिए तैयार था। भडारी कानभल के नेतृत्व में राठौड सेना अजमेर के पास सीमा पर भेजी गयी। १८६ अमीरखाँ को सूचना भेजी गयी कि होल्कर की फौज सहित वह मारवाड चला आए। १८७ अगस्त में जयपुर के साथ आपसी सहायता की पुन संधि की गयी। १८८ मुस्तयारउद्दौला १० हजार अश्वारोही और तोपखाना लेकर मेड़ता की ओर बढ़ा। १८९

सिंधिया का मारवाड पर आक्रमण नहीं हो सका। अजमेर के सूबेदार वालेराव इगले ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। १८०० अत वह इस समस्या में उलझ गया। उसने मानसिंह के प्रति उदारता का दृष्टिकोण अपनाया १८०१ और कहा कि वह अमीरखाँ से सम्बन्ध त्याग दे तथा भविष्य में आवश्यकता पडने पर उसे सैनिक सहायता प्रदान करे। १८०२ इस पर मानसिंह ने अपने वकील को सिंधिया के पास भेजा। वार्ताएं प्रारम्भ हुई। १८०३ २७ जनवरी १८१० को सिंधिया ने बापूजी इगले को अजमेर का नया सूबेदार बनाया। १८०४ ७ फरवरी को वहाँ से वह मालवा की ओर चल दिया। १८०५ मानसिंह ने मुस्तयारउद्दौला को आदेश दिया कि वह अजमेर की तरफ बढ़े जहाँ उसने २२ फरवरी १८१० को डेरे डाल दिये। १८०६ कृष्णाकुमारी की शादी के लिए जयपुर और जोधपुर शासकों के बीच १८०६ से मतभेदों के कारण दोनों राज्यों पर बुरा प्रभाव पडा। दोनों के बीच पुन आपसी वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु नया समझौता हुआ। १८०७ फिर अप्रैल १८१० में दोनों के बीच आपसी सहायता की संधि हुई। १८०८ मानसिंह की सलाह पर १८०९ अमीरखाँ उदयपुर पहुँचा और उसने महाराजा पर दबाव डालकर अगस्त १८१० में कृष्णा को जहर पीने को मजबूर किया। १८१० इस संधर्ष के कारण मारवाड पर अमीरखाँ का प्रभाव स्थापित हो गया। व्यवहार में मानसिंह उसके अधीन मित्र बन गया। १८११ उसे न सिर्फ मारवाड में जागीर ही प्राप्त हुई १८१२ बल्कि उसकी सेना स्थायी रूप से जोधपुर में रहने लगी। १८१३

(द) मारवाड में पिंडारी प्रभाव

दौलतराव सिंधिया के दरबार में नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेण्ट के ११ मई १८१२ के एक पत्र में यह ज्ञात होता है कि मारवाड और सिंधिया में शांतिपूर्ण सम्बन्ध

स्थापित हो गये थे ।^{२१४} इस पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि १८१० से १८१२ तक मारवाड भराठों के आक्रमणों से मुक्त रहा ।^{२१५} परन्तु अमीरखा का प्रभाव नियमित रूप से बढ़ता गया । उसने मेडता के आसपास का क्षेत्र अपने साथियों के बीच वितरित कर दिया ।^{२१६} फरवरी १८११ में धाणोराव पर उसका अधिकार हो गया ।^{२१७} अक्टूबर में वह जोधपुर पहुँचा^{२१८} और मानसिंह से दो लाख रुपये बसूल किये ।^{२१९} अगस्त १८१२ में एक बार पुनः वह जोधपुर आया^{२२०} और तीन लाख रुपये प्राप्त किये ।^{२२१} वह वहाँ अक्टूबर तक रहा, फिर मोहम्मद खा और कुछ राठौड सैनिकों सहित जयपुर में दौलतराव से मिलने चल दिया ।^{२२२}

अमीरखा की लगातार माँग के कारण जोधपुर की आर्थिक स्थिति तो बिगड़ने लगी ही, साथ ही राजनैतिक असंतुलन भी होने लगा । बाह्य आक्रमणों का भय बढ़ता गया । सिध के तालपुरा-शासक ने १८१३ के प्रारम्भ में अमरकोट पर अधिकार कर लिया ।^{२२३} मानसिंह ने अमीरखा को मध्यस्थता के लिए लिखा ।^{२२४} पर वह जयपुर व बूँदी की समस्या में व्यस्त होने के कारण नहीं आया ।^{२२५} जनवरी १८१४ में पूर्व की ओर से बापूजी सिधिया ने मारवाड की लूटना शुरू किया ।^{२२६} इन परिस्थितियों में मानसिंह ने अंग्रेजों से सहायता की प्रार्थना की ।^{२२७} परन्तु अंग्रेजी सरकार ने आगल-सिधिया सिध के अनुसार मारवाड पर सिधिया के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था अतः मानसिंह के प्रस्ताव को उन्होंने प्रमान्य किया ।^{२२८}

इस स्थिति का लाभ मोहम्मदखा ने उठाया, जो कि १८१२ में जयपुर चला गया था ।^{२२९} यह बहाना बनाकर कि मानसिंह ने अभी तक मान्य धन-राशि नहीं दी है, उसने मेडता के आस-पास के क्षेत्रों को लूटना शुरू किया ।^{२३०} उसे शांत करने के लिए महाराजा ने दीवान इन्द्रराज को आदेश दिया कि शीघ्र ही उसे ५० हजार रुपये भेज दिये जाएँ ।^{२३१} मोहम्मद शाह इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसने अपने परिवार एवं सेना के खर्च के लिए नार्वा का परगना माँगा ।^{२३२} वह सेना सहित ७ फरवरी १८१५ को जोधपुर पहुँचा ।^{२३३} सैनिक दबाव के कारण मानसिंह ने उसे बकाया धन-राशि के ६ लाख रुपये तत्काल दे दिये तथा नार्वा, साभर, विलाडा, मालकोट व डाँगावास के क्षेत्रों की प्रायः एकत्र करने का अधिकार भी दिया । इसके अलावा वार्षिक भुगतान करने का भी वचन दिया जो कि ४ लाख रुपये का होता था ।^{२३४}

इसी समय अमीरखा भी जोधपुर पहुँच गया था ।^{२३५} वह मेडता में मुहम्मदखा से मिला ।^{२३६} वह भी मानसिंह-मुहम्मदखा वार्ता से सन्तुष्ट नहीं था । अतः बकाया राशि प्राप्त करने हेतु उसने अपने प्रतिनिधि दत्ताराम को मानसिंह के पास भेजा ।^{२३७} दत्ताराम ४ मई १८१५ को मानसिंह से मिला, और कुछ धन-राशि

प्राप्त कर मेड़ता लौट आया ।^{१२३८} इस घटन घनराणि की प्राप्ति पर भमीरखा ने भसन्नोप ब्यक्त किया ।^{१२४०} भतः वह स्वयं २० भगस्त को जोधपुर पहुँचा ^{१२४१} दो दिन बाद किले के मुख्य द्वार पर अपने सैनिकों को नियुक्त कर महाराजा से मिलने वह किले के ऊपर चला ।^{१२४२}

भमीरखा के भवानक किले में प्रवेश ने राज्य दरबार में सनबली पैदा कर दी । मानसिंह इस नयी परिस्थिति का मामला करने के लिए अपने को भसहाय अनुभव करने लगा । दीवान इन्द्रराज और भायस देवनाथ ने भमीरखा से मुलाकात की ।^{१२४३} भमीरखा ने तत्काल ४ लाख रुपये की माँग की पर इन्द्रराज उस समय सिर्फ दो या तीन लाख रुपये की व्यवस्था कर सकता था ।^{१२४४} वार्ता ६ नितम्बर तक चलती रही ।^{१२४५}

१८१२ से इन्द्रराज दीवान और बहगी के पद पर कार्य करता था । वह और भायस देवनाथ राज्य के सर्वोत्तम थे । इन दोनों के भलावा महाराजा से कोई मिल नहीं सकता था । एक घोषणा के द्वारा महाराजा ने इन दोनों को पाँच वर्ष के लिए अपार शक्तियाँ दे दी थीं । इससे राज्य के भविकारियों में भसन्नोप फैल गया । इन्द्रराज के विरुद्ध एक नया गुट तैयार हो गया । मोहता भसेचन्द, भास चतुर्भुज, मेहता सूरजमल, साहिबचन्द और भायस मूरतनाथ, जो कि देवनाथ का छोटा भाई था, इसमें प्रमुख सदस्य थे । भमीरखा ने मोहता भसेचन्द के गुट से गुप्त सम्पर्क स्थापित किया । इसके भलावा उसने ठाकुर केशरीसिंह भासोण के हरिसिंह, भम्बोहा के बल्लुवरसिंह, निम्बाज के मुस्तानसिंह और भाडसों के प्रतापसिंह से भी मुलाकात की और इन्द्रराज विरोधी गुट को सशक्त बना दिया ।^{१२४६}

मानसिंह की पटरानी भी इन्द्रराज से भसन्न थी ।^{१२४७} उसने अपने पुत्र छत्रसिंह को भमीरखा से मिलने उसके कम्प में १० सितम्बर १८१५ को भेजा ।^{१२४८} छत्रसिंह ने भमीरखा से लम्बी बात की ।^{१२४९} इन दोनों में क्या बातें हुईं इस सबध में तमकान्नीन ग्योन मीन हैं, परन्तु बाद की घटनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन दोनों ने इन्द्रराज और भायस देवनाथ की हत्या करने, मानसिंह को गद्दी से उतारने व छत्रसिंह को शासक बनाने की योजना बनायी ।^{१२५०} इस कार्य के लिए विरोधी दल ने भमीरखा को सात लाख रुपये नकद देने का वचन दिया ।^{१२५१}

पाँच लाख रुपये नकद प्राप्त होते ही^{१२५२} भमीरखा ने इन्द्रराज और देवनाथ के विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय किया ।^{१२५३} तत्काल ही नगर में उसके सैनिक तैनात कर दिये गये । इस कार्य के लिए सुधवसर की प्रतीक्षा की जाने लगी । ६ अक्टूबर की सध्या को भसेराज गुट के गुप्तचरों के द्वारा, जो कि किले में ही रहते थे, भमीरखा को सूचना प्राप्त हुई कि इन्द्रराज और देवनाथ किले के महल में वार्ता कर रहे हैं । भमीरखा ने कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में २५-३० पठान सैनिकों को

दीवान के पास घन प्राप्त करने भेजा। इस दल को गुप्त सन्देश दिये गये थे कि घन राशि की माँग रखते समय उनकी हत्या कर दी जाए। शाम को घाठ बजे यह दल उन दोनों मन्त्रियों से मिला।^{२५४} ६ महीनों के भीतर-भीतर किरनो द्वारा सारी बकाया राशि भ्रदा करने का इन्द्रराज ने वचन दिया। परन्तु कुतुबुद्दीन सम्पूर्ण घन उसी समय चाहता था। वार्ता में गर्मागर्मी हो गयी। सिपाहियों ने इन्द्रराज को पकड़ कर ले जाना चाहा पर वे सफल न हो सके।^{२५५} इस पर दीवान, देवनाथ और अन्य पाँच आदमियों की, जो वहाँ उपस्थित थे, हत्या कर दी गयी।^{२५६} रात्रि को आयस सूरतनाथ और किले में उपस्थित औरतो, ठाकुरो और पदाधिकारियों ने इन हत्यारो को किले के बाहर पहुँचा दिया।^{२५७} मानसिंह के महलो को धेर लिया गया। उसे किसी से मिलने नहीं दिया गया। उसके प्र-रक्षक व सेवक पदों से हटा दिये गये। वह नजरबन्द कर दिया गया।^{२५८}

जब दीवान और आयस गुरु की हत्या की सूचना शहर में पहुँची तो नागरिकों ने अमीरखा के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया। पर पठान नेता ने नगर लूटने व विद्रोहियों का दमन करने का आदेश देकर^{२५९} नागरिकों को घमकी दी कि यदि उन्होंने अधिक कदम उठाये तो वह मानसिंह को मार देगा।^{२६०}

अमीरखा द्वारा प्रभावित अखेचन्द के नेतृत्व में नयी सरकार की स्थापना हुई।^{२६१} नई सरकार और पठान नेता के बीच नया समझौता हुआ। इसके अनुसार,^{२६२} अमीरखा को कुल मिलाकर २० लाख रुपया देना तय हुआ जिसमें से पाँच लाख रुपये पहिले ही दिये जा चुके थे, दो लाख रुपया तत्काल ही दिया गया और बाकी घनराशि रबी की फसल के बाद देना निश्चित हुआ। अमीरखा कुछ समय तक जोधपुर में ही ठहरा रहा। इस अवधि में उसका उद्देश्य मानसिंह को पदच्युत् कर छत्रसिंह को राजसिंहासन पर बँठाना था।^{२६३} उसने मानसिंह को अपने अधिकार में लेने की योजना बनायी पर वह सफल न हो सका।^{२६४} दिसम्बर १८१५ में वह जोधपुर से चला गया।^{२६५} इन्द्रराज सिधवी की हत्या का और मारवाड़ के शासन पर अमीरखों के प्रभाव का विरोध हुआ। सिधवी के भाई गुल-राज ने बापूजी सिधिया से सहायता माँगी।^{२६६} दोनों ही २६ जनवरी १८१६ को जोधपुर पहुँचे।^{२६७} अखेरराज ने इनका सामना किया पर हार गया। उसे त्याग-पत्र देना पड़ा और उसके स्थान पर फतेहराज नियुक्त किया गया। १ फरवरी १८१६ की घोषणा के द्वारा महाराजा ने इन परिवर्तनों को स्वीकार किया।^{२६८}

इन परिवर्तन से शासन और राजनीति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। अमीरखा का स्थान बापूजी ने ले लिया और लूट-वसूली की क्रिया बनी रही। बापूजी एक और नयी सरकार से भारी रकम माँगता था, दूसरी ओर अमीरखों से पत्र-व्यवहार करता था।^{२६९} बापूजी की गतिविधियाँ मानसिंह को पसन्द नहीं थी।^{२७०} परन्तु अगस्त १८१६ के एक पत्र से प्रतीत होता है कि उसे अग्रसन्न करने

की क्षमता वह नहीं रखता था ।^{२७१} सितम्बर-नवम्बर १८१६ में राजनैतिक प्रस्थान-यित्व ने एक बार पुनः अमीरखा और बापूजी को अवसर प्रदान किया कि वे अपने प्रभाव के गुटों का समर्थन करें ।^{२७२} नवम्बर १८१६ में दोनों जोधपुर पहुँचे ।^{२७३} जनवरी १८१७ में पिडारी नेता चीतू ने अमीरखा को लिखा कि वह मारवाड के शासक पर दवाव डालकर उसके परिवार को वंसी ही शरण दिलाने के लिए प्रयास करे, जैसी उसने होल्कर को १८०५ में दी थी ।^{२७४} अमीरखा और बापूजी सिधिया ने मारवाड को खूब लूटना प्रारम्भ किया ।^{२७५}

मराठों और पठानों की कार्यवाहियों से मानसिंह परेशान था । न उसमें शक्ति थी न प्रभाव ही जिससे कि उन पर नियंत्रण किया जा सके । अतः वह समय-समय पर आंशिक रूप में उनकी धन लिप्ता को शांत करता रहता था ।^{२७६} दीवान गुलराज ने अमीरखा और बापूजी के सैनिकों की लूट को रोकने के लिए अजमेर स्थित सिधिया के सूबेदार और सेनापति धनसिंह से सहायता की प्रार्थना की ।^{२७७} परन्तु इसके पूर्व कि धनसिंह अपने तीपखाने सहित मारवाड पहुँचे, जोधपुर म राजनैतिक उधल-पुधल हो गयी । ४ अप्रैल १८१७ को गुलराज की हत्या कर दी गयी ।^{२७८} फतेहराज बन्दी बना लिया गया ।^{२७९} अक्षेराज, शालिमसिंह और भायस भीमनाथ ने, जो कि उधल-पुधल के नेता थे, महाराज को गद्दी त्यागने को बाध्य किया ।^{२८०} १६ अप्रैल १८१७ को महाराजा ने शासन का भार अपने पुत्र छत्रसिंह को सौंप दिया ।^{२८१} युवराज ने अक्षेराज को अपना दीवान घोषित किया ।^{२८२} तथा यह भी घोषणा की कि नया सरकार मारवाड में मुधारो का युग प्रारम्भ करेगी ।^{२८३} इन सेवाओं के बदले में अमीरखा को पर्याप्त धन प्राप्त हुआ ।^{२८४}

(क) मराठा प्रभाव की इतिथी (मारवाड ब्रिटिश सधि, ६ जनवरी १८१८)

प्रारम्भ से ही मानसिंह और ब्रिटिश सरकार के सम्बन्ध अच्छे नहीं हो सके थे । १८०३ में राठौड़ शासक ने एक सधि प्रस्तावित की थी, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार कर ली थी, पर बाद में मानसिंह ने उस पर स्वीकृति प्रदान नहीं की । अंग्रेज इसलिए भी नाराज थे कि उसने होल्कर के परिवार को अपने राज्य में शरण दी । अतः जब मानसिंह ने १८०५, २५५ १८०७, २५६ १८१२, २५७ और अन्त में १८१४, २५८ में अंग्रेजों से पुनः सधि करनी चाही तो यह कहकर अस्वीकार किया कि वे सिधिया के साथ भी सधि की धारा ८ के अन्तर्गत मारवाड में हस्तक्षेप करने में अपने को असमर्थ पाते हैं ।^{२५९} १८१५ में अंग्रेज गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिंग्स ने नयी नीति निर्धारित की । वह भारत में अंग्रेजी सत्ता को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था ।^{२६०} इसका स्वाभाविक परिणाम था—मराठों से युद्ध; क्योंकि वे ही ऐसी शक्ति थे जो समस्त उत्तरी व दक्षिणी भारत में अपना प्रभाव रखते थे । मराठों की एक शक्ति का स्रोत पिडारी वंश था । अंग्रेजों ने पिडारियों के विरुद्ध

सैनिक अभियान कर उनका घत कर दिया। फिर उन्होंने देशी राजाओं को अपनी ओर भिन्नाना शुरू किया। नाड हेस्टिंग्स जान चुका था कि देशी राज्य मराठी के चंगुन से मुक्त होना चाहते थे।

ज्योही नाड हेस्टिंग्स मार्च १८१६ में नेपाल-युद्ध से मुक्त हुआ उसने राज-पूताना की ओर अपना ध्यान दिया।^{२६१} अंग्रेजों में बापूजी और उसके पिढारी साधियों की मनमानी को रोकने के लिए मानसिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए हेस्टिंग्स को लिखा। गवर्नर जनरल इस शर्त पर सहायता देने को तैयार था कि जोधपुर शासक अंग्रेजों द्वारा निर्धारित नीति का स्वीकार करे।^{२६२} मानसिंह ऐसी कोई नीति स्वीकार करने को तैयार नहीं था, जिससे वह अंग्रेजों के अधीनस्थ शासक बन जाए।^{२६३} परन्तु १८१६-१८१७ में बापूजी और अमीरखा द्वारा मारवाड़ में लूट-पाट एवं १८१७ के प्रारम्भिक महीनों की राजनैतिक अराजकता ने महाराजा को^{२६४} विवश किया कि वह अंग्रेजों की शर्तों पर सधि करे। दिल्ली स्थित अपने वकील आसोपा विशनराम को अंग्रेजों से सधि कराने के लिए सम्पर्क करने के आदेश उसने भेजे।^{२६५} अंग्रेज इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

इस आधार पर कि सिधिया, पेशवा और रणजीतसिंह से सम्पर्क कर ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे, सिधिया से हुई सधि की मग कर अंग्रेजों ने अपने को सधि की धारा में से मुक्त कर लिया।^{२६६}

सधि सम्बन्धी अंतिम बातें तय करने हेतु रेजिडेण्ट मेटकाफ^{२६७} आसोपा विशनराम से १८१७ में (अक्टूबर १८१७ में) मिला।^{२६८} वार्ता शिथिल ढंग से चली।^{२६९} जोधपुर की राजनैतिक स्थिति में स्थायित्व नहीं था। महाराजा एक तरह से नजरबन्द था। युवराज ने सधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विशनराम को कोई निर्देश नहीं भेजे।^{३००} परन्तु कुछ सवैधानिक कठिनाइयों के दूर हो जाने के बाद दिसम्बर १८१७ में वार्ता पुनः प्रारम्भ हुई।^{३०१} जनवरी ६, १८१८ को मानसिंह और युवराज छत्रसिंह के समुक्त नाम से यह सधि सम्पन्न हुई।^{३०२}

मेटकाफ और आसोपा विशनराम के बीच निम्न शर्तों पर सधि हुई।^{३०३}

- (१) माननीय ईस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराजा मानसिंह एक उसके उत्तराधिकारी के बीच मित्रता, सधि और स्वार्थों की एकता रहेगी तथा एक के मित्र और शत्रु दोनों के मित्र और शत्रु रहेंगे।
- (२) जोधपुर राज्य और प्रदेश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा।
- (३) महाराजा मानसिंह और उसके उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को मान्यता देंगे, उनके अधीनस्थ सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे और अन्य राज्यों और शासकों से कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे।

- (४) महाराजा और उसके उत्तराधिकारी बिना ब्रिटिश सरकार को सूचना दिये और स्वीकृति प्राप्त किये, किसी भी शासक या राज्य से पत्र-व्यवहार, धार्ता नहीं करेंगे। परन्तु मित्रो व सम्बन्धियों के साथ शांति-पूर्वक पत्र-व्यवहार होता रहेगा।
- (५) महाराजा और उनके उत्तराधिकारी किमी पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि दुर्घटनावश किसी के साथ कोई मनभेद उत्पन्न हो जाए, तो उसे ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता व निर्णय के लिए प्रेषित करेंगे।
- (६) जोधपुर राज्य, जो वर अब तक सिधिया को देता आ रहा था, वह कर अब लगातार ब्रिटिश सरकार को दिया करेगा और सिधिया तथा जोधपुर सरकार के बीच सभी प्रकार के समझौते वा अन्त समझा जाएगा।
- (७) जैसाकि महाराजा न घोषणा की थी कि सिधिया के अलावा जोधपुर राज्य द्वारा किसी अन्य को कर नहीं दिया जाता था और वह कर अंग्रेजो को दिया जाएगा। अतः यदि सिधिया या अन्य कोई भी कर की मांग करेगा तो ब्रिटिश सरकार इस प्रकार की मांग का जवाब देगी।
- (८) जब कभी मांग की जाएगी तो जोधपुर सरकार ब्रिटिश सरकार की सेवा के लिए १५०० अश्वारोही सैनिक देगी और जब कभी आवश्यकता होगी तो सिवाय उन सैनिकों के जो देश के आंतरिक प्रशासन के लिए आवश्यक हों, सम्पूर्ण सेना ब्रिटिश सेना का साथ देगी।
- (९) महाराजा और उसके उत्तराधिकारी अपने देश के शासक बने रहेंगे और ब्रिटिश सरकार उनके राज्य को अपने क्षेत्राधिकार नहीं बनाएगी।
- (१०) दस घाराओ वाली सधि देहली में सम्पन्न हुई और चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ और ब्यास विष्णुराम और ब्यास उवेराम ने मोहर सहित हस्ताक्षर किये। उसकी पुन स्वीकृति इस तारीख (६ जनवरी १८१८) के छ, सप्ताह के भीतर-भीतर महामहिम गवर्नर जनरल और राजराजेश्वर महाराजा मानसिंह बहादुर और जुगराज महाराजा कुँवर चतुरसिंह बहादुर द्वारा की जाएगी।


लार्ड हेस्टिग्स ने १६ जनवरी १८१८ को इस सधि पर पुन अपनी स्वीकृति प्रदान की।^{३०५} इसके बाद इसे मानसिंह पास भेजा गया जो कि उस समय जोधपुर से पाँच मील दूर मण्डोर में निवास करता था। उसने इस समझौते के फारसी अनुवाद पर १ फरवरी १८१८ को युवराज की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये।^{३०५}

इस संधि से मारवाड पर सिंधिया के प्रभाव का अंत हो गया। जा कर अब तक सिंधिया का दिया जाना था वह अब से ब्रिटिश सरकार को दिया जाना नय हुआ। कर की राशि १०८००० रुपये निश्चित हुई।^{३०६} इसके बाद यदि सिंधिया जोधपुर से बकाया धन राशि की मांग करे तो उसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का हा गया। अमीरखा के प्रभाव का भी अंत हो गया। अंग्रेजों ने यह स्वीकार नहीं किया कि अमीरखा को जो धन राशि दी जाती थी वह कर था। उन्होंने जोधपुर के शासक को अधिकार दिये कि मारवाड में अमीरखा की जागीर पर पुन अधिकार कर ले।^{३०७} इस संधि के फलस्वरूप जोधपुर ईस्ट इण्डिया कंपनी का अधीनस्थ और सुरक्षित राज्य बन गया। सर्वोच्च शक्ति द्वारा मागे जाने पर जोधपुर शासक न १५०० अक्षरों की मंजूरि देना स्वीकार किया। सिंधिया के अधीन जोधपुर कर देना वाला राज्य ही था। शासक को पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वह किसी भी राज्य के साथ संधि कर सकता था। सिंधिया को लगातार कर की वसूली की चिंता रहती थी।^{३०८} दूसरी ओर ईस्ट इण्डिया कंपनी से हुई संधि ने जोधपुर के शासक को न सिर्फ अधीनस्थ स्थिति में ला दिया बल्कि उसके वैदेशिक नीति सम्बन्धी अधिकार भी छीन लिये। बिना ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के जोधपुर शासक किसी भी राज्य या शासक से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रख सकता था। यद्यपि संधि की धाराओं में कोई भी ऐसी धारा नहीं थी जिससे यह स्पष्ट हो कि ब्रिटिश सरकार जोधपुर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी, परन्तु यह संदेह हमेशा बना रहा कि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो गयी जिससे कि उनके राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आवश्यक हुआ तो ब्रिटिश सरकार शत दशक नहीं रहेगी।^{३०९}

संधि की पार्लियमेंट के कुछ दिन बाद २३ मार्च १८१८ को छत्रसिंह की मृत्यु हो गयी।^{३१०} अनेक दिनों और मालिसिंह को भय हुआ कि महाराजा को पुन शक्ति प्राप्त हो जायेगी। अतः उन्होंने धोर्लासिंह का जो कि इन दिनों दिल्ली में रहता था, जोधपुर की गद्दी पर बैठाने का पद्यत्र रचा।^{३११} मानसिंह भी सजग था। उसने समय न खोकर जनरल पाकर लूनी और मुभी महमूद बाज के माफत दिल्ली रेजिडेंट से २३ जुलाई १८१८ को सम्पर्क स्थापित किया और जोधपुर पर अपने अधिकार की सुरक्षा चाही।^{३१२} अक्टूबर में प्रारम्भ में उसने बरकतखान की महायत्ना से रेजिडेंट पर दबाव डाला।^{३१३} इस पर पाकर लूनी के तनूख में एक अंग्रेजी सेना ६ अक्टूबर को जोधपुर की ओर रवाना हुई।^{३१४} नवम्बर में जोधपुर की गद्दी पर मानसिंह का पुन अधिकार स्थापित हो गया।^{३१५}

१ यह वंशावली राठीड दानेश्वर वंशावली, पृ० ४३ बस्ता न० २८ पर आधारित है।

विजयसिंह



- २ जोध-येधील २०, २१, २४, २६; मारवाड री ख्यात (३) पृ० ६६-१०३
- ३ भीमसिंह का महादजी को पत्र, घापाड सुदी ६, वि० स० १८४६ । १७ जुलाई १७६३ (अ०ब०न० ४, पृ० ५० जोध०), जोध० येधील २६
४. जोधपुर येधील १२६; मारवाड री ख्यात ग्रन्थ (३) पृ० १२१, १२२, मानसिंह का महाराजा सूरतसिंह को खरीता, चैत्र सुदी ४ वि० स० १८५४। २० मार्च १७६८; मानसिंह का महाराणा भीमसिंह (उदयपुर को) खरीता वंशाख बर्दा १, वि० स० १८५४। १ अप्रैल १७६८ (वीर-विनोद २, पृ० १५७४)
- ५ भीमसिंह का महादजी को पत्र, घापाड सुदी ६, वि० स० १८४६ । १७ जुलाई १७६३ (अ०ब०न० ४ पृ० ५० जोध०)
६. भीमसिंह का अम्बाजी इम्ने को पत्र, भाद्रपद बदी १, वि० स० १८५० । २२ अगस्त १७६३ (अ०ब०न० ४, पृ० ७२ जोध०)
- ७ भीमसिंह का शिवाजी नाना को पत्र, भाद्रपद बदी ७ वि० स० १८५० । २८ अगस्त १७६३ (अ०ब०न० ४ पृ० १४६ जोध०)
- ८ भीमसिंह का महादजी, जीवाजी और गोपाल भाऊ को पत्र, फाल्गुन बदी ३० वि०स० १८५० । १ मार्च १७६४ (अ०ब०न० ४, पृ० ५१ व १२४ जोध०); जोधपुर येधील २६, २७; मारवाड री ख्यात ३, पृ० १२०-१२१
- ९ जोधपुर येधील २७
- १० उपर्युक्त २८

- ११ भीमसिंह का नारायण राव प० को पत्र, घासिवन बंदी ४ दि० म० १८२१ ।
१३ मिाम्बर १७६४ (अ०ब०न० ६, पृ० १२७ घोष०)
- १२ जाधपुर वैधीन २७
- १३ उपयुक्त
- १४ उपयुक्त २६
- १५ भीमसिंह का लक्ष्मण अनन को पत्र, पौन मुदी ६, दि०म० १८२१ । ३०
दिम्बर १७६४ (अ०ब०न० ४, पृ० १०८ चौष०)
- १६ उपयुक्त
- १७ भीमसिंह का प्रतापसिंह को खरीता, जेठ मुदी ४ दि० म० १८२० । २
१७६६ (जय०), मारवाड रो रुपान ३, पृ० १२१
१८. धाणोराव, देमूरी के द०पू० म ४ मीन दूर २५, १६ ए०, ३०; ३० ए०
पर है । भीमसिंह का प० लक्ष्मण अनन को पत्र, का० ३, दि०म०
१८५२ । १४ नवम्बर १७६५ (अ०ब०न० ६, पृ० ११० चौष०, ११०
का दौलतराव सिंधिया को पत्र, कार्तिक मुदी १६, दि०म० १८२३, २५
नवम्बर १७६६ (अ०ब०न० ४ पृ० ५३ चौष०), पौ० ३०, ३१ (८) ३६
- १९ पौ० आर० सी० (८) ३७
- २० उपयुक्त, (८) ७४-७६, १६८
२१. वीर-विनोद (२), पृ० १५७
२२. पौ० आर० सी० (८) ३७
- २३ उपयुक्त ३६
- २४ पन्चिक विभाग रिकार्ड, ग्रन्थ १५ (इण्डिया आर्टिक्ल के अन्तर्गत मुदी,
जनवरी १७६५, जून १७६७, पृ० ३११)
- २५ ओम्का-राजसूताने का इतिहास, ग्रन्थ ६, भाग २, पृ० ६०-६१, ६२ विनोद
(२), पृ० १५७४
- २६ भीमसिंह का धम्बानी इ गे को पत्र, प्रापाद बंदी २, दि०म० १८२५ । २०
जून १७६६ (अ०ब०न० ४, पृ० ७३, चौष०)
- २७ उपयुक्त, पौ० आर० सी० (८) १३२
- २८ किशनगढ शासक का भीमसिंह को खरीता, अ० ३, प० ३, दि०म० १८५६ । ५ जुलाई व २२ दिम्बर १८५६, दि०म० १८५६
फाइनल न० ८/११, खरीता न० ४ व ५ खरीता।
- २९ पौ० आर० सी० (८) १६८
३०. पौ०आर०सी० (९) ८
- ३१ उपयुक्त (११) ११
- ३२ उपयुक्त १४ ।

- ३३-३४-३५. उपयुक्त (१४, १७)
 ३६ उपयुक्त (६), १६ बी०
 ३७ भीमसिंह का लक्ष्मण अगत को पत्र, आपाठ बदी ६, वि०म० १८५६ । १२
 जून १८०० (अ०ब०न० ४, पृ० १११ (ब) जोध०)
 ३८. उपयुक्त—पी०आर०सी० (६) १६ बी०
 ३९ पी०आर०सी० (६) १६
 ४०. उपयुक्त २१; अजमेर और जोधपुर का इतिहास (हस्तलिखित) पृ० १५४
 ४१ आपाठ सुदी १४, वि०म० १८५६ । ५ जुलाई १८०० का पत्र (खतोखिताब
 फाइल न० ६ डोलिया कोठार-जोध०)
 ४२ पी०आर०सी० (६)-२४,
 अर्जी फाइल न० ६ (डोलिया का कोठार-जोध०), अजमेर और जोधपुर का
 इतिहास (हस्तलिखित) पृ० १५४
 ४३ मेलोनी ख्यात, पृ० ११, बन्ता न० ४०, जोध०, मारवाड री ख्यात (३),
 पृ० १३०
 ४४ मारवाड री ख्यात (३) पृ० १३०
 ४५ मारवाड री ख्यात (४), पृ० १-५
 ४६. एम०एम० वेनेजली-डिस्पेचेज ग्रथ ३, पृ० १६६-१७०, २३५, २८१ २४२,
 पी०आर०सी० (८) १२५
 ४७ भीमसिंह का दौलतराव को पत्र आश्विन सुदी ३, वि० म० १८७० । १६
 सितम्बर १८०३ (अ०ब०न० ४, पृ० ५५ जोध०)
 ४८ पी०आर०सी० ग्रन्थ (६) १४
 ४९ हकीकत बही न० ८, पृ० ४४४
 ५०-५१ उपयुक्त, पृ० ४५०
 ५२ जमवतराव होल्कर को मानसिंह का कोलनामा, माघ सुदी ५, वि०स०
 १८६०, १७ जनवरी १८०४ । (अ०ब०न० ५, पृ० १०५ जोध०)
 ५३ मानसिंह का जमवतराव होल्कर को कालनामा, फाल्गुन बदी ६, वि०स०
 १८६०/२ फरवरी १८०४ (अ०ब०न० ५, पृ० १०५ जोध०)
 ५४. भण्डारी गगाराम का जसवतराव होल्कर को पत्र, चैत्र बदी १३, वि०म०
 १८६० । ६ अगस्त १८०४ (अ०ब०न० ५, पृ० १०५ जोध०)
 ५५-५६ एच०एम०आई० एस० (२) ७०
 ५७ हकीकत बही न० ६, पृ० ३-४ जोध०
 ५८ उपयुक्त, बाद में प० बालाजी, दीवान, दुल्हराज और प० श्यामनराव भी
 इनसे आ मिले । (हकीकत बही न० ६, पृ० २२)
 ५९ उपयुक्त, पृ० ३

- ६० उपयुक्त, पृ० २ । जोधपुर के उत्तर में ६ मील दूर है ।
- ६१ उपयुक्त पृ० ३-४, ३७; मारवाड की ख्यात ग्रन्थ ४, पृ० १४
- ६२ हकीकत वही न० ६, पृ० ३७
- ६३ उपयुक्त, पृ० २२, पी०आर०सी० (११), १८५
- ६४ हकीकत वही नं० ६, पृ० ३-४ जोध० ।
- ६५ गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी का मालकम, सिधिया के साथ रेजिडेंट, ६ मई १८०४ का पत्र, एफ०एस० ६, सितम्बर १८०६, न० ६, प्रिसेप—हिस्ट्री ऑफ पोलीटीकल एण्ड मिलट्री ट्रांजंक्शन इन इण्डिया, ग्रन्थ पृ० १७
- ६६ पी०आर०सी० (११), १३४
- ६७ एम०एम० वेलेजली डिस्पेचेज (३), पृ० ५६३
- ६८ ६९ पी० आर० सी० (११) १३४ मानसिंह का दौलतराव को पत्र, पोप मुदी ८, वि० स० १८६२ । २६ दिसम्बर १८०५ (अ०ब० नं० ६-७ जोध०)
- ७० मालकम : मेमोयर्स ऑफ सेप्टल इण्डिया (१), पृ० ३३०, मारवाड की ख्यात (४) पृ० २७
७१. जनवरी ६, १८०४ को महाराणा ने कृष्णा की शादी मानसिंह से करने की इच्छा प्रकट की, जिसे मानसिंह ने स्वीकार किया परन्तु जब मानसिंह न जून में राणा के मित्र घाणेराम ठाकुर पर आक्रमण किया तो वह उसका विरोधी हो गया ।
- ७२ हिस्टोरिकल एसेज में कानूनगो का लेख 'मेमोयर्स ऑफ अमीरखा पिडारी' लेखक वसावनलाल, पृ० १३१
- ७३ मारवाड की ख्यात (४) पृ० २७-२८; मालकम (१), पृ० ३३१, टॉड (२), पृ० १०८२
- ७४ पी०आर०सी० (११) १३६; विल्सन ग्रन्थ ७, पृ० ६०
- ७५ ७६ हकीकत वही न० ६, पृ० ४८
- ७७ मानसिंह का तृतीया माधोराव को पत्र, माघ सुदी १२, वि० स० १८६२ । ३१ जनवरी १८०६ (अ०ब० न० ५, पृ० ११६ जोध०)
७८. मानसिंह का दौलतराव को पत्र, माघ सुदी ६, वि० स० १८६२, २८ जनवरी १८०६ (अ०ब० न ५, पृ० ३-४ जोध०)
- ७९ पण्डित बालाजी द्वारा प्राप्त कर की रसीद (सिधिया द्वारा भेजी गयी) चैत्र बदी ७, वि० स० १८६२ । ११ मार्च १८०६ (अ०ब० न० ५, पृ० ६६ जोध०)
८०. मानसिंह का शिरजीराव घाटका को पत्र, फाल्गुन सुदी ३, वि० स० १८६२ । २१ फरवरी १८०६ (अ०ब० न० ५, पृ० ६४, जोध०)
- ८१ उपयुक्त
- ८२ मारवाड की ख्यात (४) पृ० २७-२८; टॉड ग्रन्थ २, पृ० १०८३; विल्सन, ग्रन्थ ७, पृ० ७१

- ८३ पी०घार० मी० (१) १६२
 ८४-८५-८६-८७ उपयुक्त
 ८८ उपयुक्त १५६
 ८९ उपयुक्त, मारवाड री म्यात (४) पृ० २६, विस्तन (७), पृ० ६१
 ९० पी०घार०सी० (११) १६८, मालकम (१) पृ० २४१
 ९१ पी० घार० सी० (११) १६८
 ९२ उपयुक्त १७८
 ९३ उपयुक्त १६८
 ९४ पी०घार०पी० (११) भूमिका, पृ० १४, माग्वाड री रुवात (४) पृ० ३०-३१, घमल की चिट्ठी की फाइल न० ७ (दोसिये का कोठार, जोष०); तथाकथित पुत्र धोंबतसिंह भीमसिंह की मृत्यु के बाद पैदा हुआ था ।
 ९५ हकीकत बही न० ६, पृ० ७३
 ९६ हकीकत बही न० ६, पृ० ७३, प्रिन्सेप, मेमोयर्स ऑफ़ घमीरखा, पृ० २६८
 ९७ हकीकत बही न० ६, पृ० ७४
 ९८ पी०घार०मी० (११), २०३ मानसिंह के साथ होन्वर का परिवार भी था । अक्बर मे वह जोषपुर लौट आया ।
 ९९ पी०घार०मी० (११), १८३, हकीकत बही नं० ६, ७७, ७८, ७९, प्रिन्सेप, मेमोयर्स ऑफ़ घमीरखा पृ० २६८-२६९
 १०० हकीकत बही न० ६, पृ० ७८
 १०१ उपयुक्त, प्रिन्सेप, पृ० २६९
 १०२ पी०घार०मी० (११), १८५; होन्वर ने यह मानने से इन्कार कर दिया कि उदयपुर मे प्राप्त कर-राशि का आधा भाग वह छोड़ दे ।
 १०३. पी०घार०पी० (११), १८५, २०१ (जो घन-राशि तय हुई थी वह १५ लाख रुपये थी)
 १०४ ठाकुरदाम का दिल्ली स्थित ब्रिटिश रेजिडेण्ट की पत्र, १२ जनवरी १८०७, एक० एम० २८ जनवरी १८०७ न० ४, माददाश्त भापाड मुदी ११, वि० स० १८६२ । २६ जून १८०६, (सरीता बही न० १२, पृ० ४८-४९, जोष०) मानसिंह की पुत्री की शादी जगतसिंह मे और जगतसिंह की बहन की शादी मानसिंह मे तय हुई ।
 १०५ ए० सेटोन का गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी की पत्र, १२ जनवरी १८०७ एक एम० २६ जनवरी १८०७ न० १३ अ० ।
 १०६ पी०घार०सी० (११), १६७, २०४
 १०७. उपयुक्त, प्रिन्सेप मेमोयर्स ऑफ़ घमीरखा, पृ० ३०२-३०३
 १०८ पी० घार०सी० (११), २०४
 १०९ उपयुक्त २०६

- ११० उपयुक्त २०८
- १११ उपयुक्त २०४, २११
- ११२ उपयुक्त २०४, २१२, प्रिन्सेप, मेमायर्स ऑफ़ अमीरता, पृ० ३०७
- ११३ पी०घार०सी० (११) भूमिका, पृ० १५, (११), २१०, मालकम १, पृ० ३३३
- ११४ पी०घार०सी० (११), २१६; प्रिन्सेप, मेमोयर्स ऑफ़ अमीरता, पृ० ३१७
- ११५ पी०घार० सी० (११), २१६
- ११६ उपयुक्त, २०४
- ११७ उपयुक्त २०८
- ११८ मानसिंह का जसवन्तराय होल्कर को पत्र, पीप मुदी १, वि० स० १८६३ ।
२६ दिसम्बर १८०६ (अ०व०न० ५, पृ० १०२)
- ११९ मा० सिंह का यशवन्तराय को पत्र, पीप मुदी ८, १८६३ । १ जनवरी १८०७
(अ०व०न० ५, पृ० १०३, जोय०)
- १२० १२१ पी०घार०सी० (११) २०६
१२०. उपयुक्त २१३
- १२३-१२४ ए० सेटोन का गवर्नर-जनरल के सेक्रेटरी को पत्र, १२ जनवरी १८०७
एफ० एम० २६ जनवरी १८०७ न० १३ ए०
- १२५ राय रामसिंह, जयपुर के वकील की दिल्ली स्थित ब्रिटिश रजिस्ट्रार को अर्जी (७
फरवरी १८०७ को प्राप्त हुई । एफ० एम० १२ जनवरी १८०७ न० ६७)
- १२६ ए० सेटोन का ए० बी० एडमोन्स्टन को पत्र, २० जनवरी १८०७ एफ० पी०
५ जनवरी १८०७ न० १२७
- १२७ १२८ उपयुक्त को पत्र १५ जनवरी १८०७, एफ० पी० २६, जनवरी १८०७
न० ३२
- १२९-१३२ उपयुक्त को पत्र, २६ जनवरी १८०७, एफ० बी० १२ फरवरी १८०७
न० ६६ तथा १० फरवरी १८०७, एफ० पी० २६ फरवरी १८०७ न० २६
- १३३ ए० सेटोन का ए० बी० एडमोन्स्टन को पत्र, १० फरवरी १८०७, एफ०
पी० २६ फरवरी १८०७ न० २६
- १३४ पी०घार०सी० (११), २२४
- १३५ ए० सेटोन का ए० बी० एडमोन्स्टन को पत्र, ६ मार्च १८०७, एफ० पी०
१६ मार्च १८०७ न० २१, पी०घार०सी० (१) २२४
- १३६ ए० सेटोन का ए० बी० एडमोन्स्टन को पत्र २० फरवरी १८०७, एफ० पी०
१२ मार्च १८०७ न० २६
- १३७ १३८ उपयुक्त का पत्र, १० मार्च १८०७ एफ० पी० । १२ मार्च १८०७ न०
२८ वास्तव में अंग्रेज यह चाहते थे कि राजपूत शासकों को अमीरता गृह
भूट । अमीरता का इस प्रकार का आचरण उनके राज्य के लिए सुरक्षा

- समझी गयी । (बी० डी० चमु , राजज ऑफ ट्रिबिचयन पावर इन इण्डिया)
ग्रन्थ ४, पृ० २०, १६८
- १३६ ए० सेटोन का एडमोन्स्टन को पत्र १ मार्च १८०७ एफ० पी० १६ मार्च
१८०७ न० ३
- १४० उपयुक्त को पत्र २३ मार्च १८०७, एफ० पी०, ६ अप्रैल, १८०७ न० २५,
पी०प्रार०सी० (११), २२५
- १४१ मुद्र में मानसिंह अपने कम्प में नित्री खाने का सामान व इष्ट देवता
श्रीनाथजी आदि भी साथ रखता था । भागते हुए वह इन्हें साथ ले जाना
भूल गया ।
- १४२ ए० सेटोन का एन०बी० एडमोन्स्टन को पत्र, २३ मार्च १८०७, एफ० पी०
६ अप्रैल १८०७ न० २५, पी०प्रार०सी० (११), २२५
- १४३ पी०प्रार०सी० (११), २२७
- १४४ उपयुक्त २२८
- १४५ ए० सेटोन का एन०बी० एडमोन्स्टन को पत्र, २४ अप्रैल १८०७, एफ०पी०
७ मई १८०७, न० २२, पी०प्रार०सी० (११), २३०
- १४६ उपयुक्त
- १४७ ए० सेटोन को एन० बी० एडमोन्स्टन का पत्र, ११ अप्रैल, १८०७, एफ०पी०
३० अप्रैल १८०७ न० २८ , सवाईसिंह का बुद्धसिंह को पत्र, बैसाख मही
१४, वि०स० १८६७, २६ अप्रैल १८०७ (प्रमन की विट्ठी की पादल न० ७)
(कानियो का कोठार, जोध०)
- १४८ पी०प्रार०सी० (११) २३०
- १४९ पी०प्रार०सी० (११), २३२
- १५० श्वास (रक्का बही) न० २, पृ० २, जोध०, ए० सेटोन का एन०बी०
एडमोन्स्टन को पत्र, ११ अप्रैल, १८०७, एफ०पी० ३० अप्रैल १८०७
न० २८
- १५१ पी०प्रार०सी० (११) २३१
- १५२ १५३ सेटोन का एन०बी० एडमोन्स्टन को पत्र, ६ मार्च १८०७ एफ०पी० १६
मार्च १८०७ न० २१, पी०प्रार०सी० (११), २२५
- १५४ ए० सेटोन का एन० बी० एडमोन्स्टन को पत्र, ६ अगस्त १८०७, एफ०पी०
१ सितम्बर १८०७ न० ६ अ
- १५५ उपयुक्त को पत्र २४ मई १८०७ एफ०पी० ११ जून १८०७ न० १६:
पी०प्रार०सी० ग्रन्थ (११) २३२
- १५६ उपयुक्त को पत्र, ६ अगस्त १८०७, एफ०पी०, १ सितम्बर १८०७ न० ६,
७ प्रिन्सेप—मेमोयर्स ऑफ धमीरखा, पृ० ३१६, इ ग्ले के घाते ही जयपुर-

शासक ने अमीरखां के प्रतिदिन हाथसचं के ५००) रु० बन्द कर दिये थे ।

- १५७ खास खका बही न० २, पृ० ३ (जोध०): पी०भार०सी० (११) २३५;
मालूम ग्रन्थ १, ३३८
- १५८ पी०भार०सी० (११) २३५-२३६
- १५९ मानसिंह का शिरजीराव घाटका को पत्र आश्विन बदी १३, वि०स०
१८६४/२९ सितम्बर १८०७ (स०ब०न० ५, पृ० ६५, जोध०)
- १६० उपर्युक्त खास खाता बही न० २, पृ०, ३, पी०भार०सी० (१), २३७
- १६१ ए० सेटोन का एन०बी० एडमोन्स्टन को पत्र ९ अगस्त १८०७ एक०पी०
८ सितम्बर १८०७ न० ६ ए०
- १६२ पी०भार०सी० (११) २३७
- १६३ ए० सेटोन का एन०बी० एडमोन्स्टन को पत्र, २१ अगस्त १८०७, एक०पी०
८ सितम्बर १८०७, न० ४३ ए०
- १६४ उपर्युक्त, टॉड (२), पृ० १०८७
- १६५ खास खका बही न० २, पृ० ७ (जोध०)
- १६६ ए० सेटोन का एन०बी० एडमोन्स्टन को पत्र ८ अक्टूबर १८०७, एक० पी० २६
अक्टूबर १८०७ न० २०, पी०भार०सी० (१) २३८
- १६७ ए० सेटोन का एन०बी० एडमोन्स्टन को पत्र, ८ अक्टूबर १८०७, एक०पी०
२६ अक्टूबर १८०७ न० २०
- १६८ उपर्युक्त
- १६९ पी०भार०सी० (११), २४३
- १७० हकीकत बही न० ९, ८७ जोध०
- १७१ हकीकत बही न० ९, पृ० ९१-९२
- १७२ पी०भार०सी० (११), २४३
- १७३ उपर्युक्त २३६
- १७४ मालूम - पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ग्रन्थ १, पृ० २३४; प्रिन्सेप;
मेमोरियल ऑफ अमीरखां, पृ० २३४; विल्सन ग्रन्थ ७, पृ० ६४, फुटनोट ३
- १७५ हकीकत बही न० ९, पृ० ८६
- १७६-१७७ हथ बही न० ३ पृ० ४२-४३
- १७८ हकीकत बही न० ९, पृ० ९१
- १७९ मानसिंह का बापूजी सिधिया को पत्र, पीप सुदी २, वि० स० १८६४ । ३०
दिसम्बर १८०७ (स०ब०न० ५, पृ० ४२, जोध०)
- १८० हकीकत बही न० ९, पृ० ९३
- १८१ पी०भार०सी० (११), २४३

१८२. उपर्युक्त; धमीरखा, भपती आत्मकथा में लिखना है कि उसने बापूजी को आसोप की ओर भेज देने का निश्चय किया। प्रिन्सेप : मेमायमं आंक धमीर खां पृ० ३५१।
१८३. हकीकत वही नं० ६, पृ० १०१, मानसिंह का शिरजीराव को पत्र, चंद्र मुदी ५, वि०सं० १८६४। १ अप्रैल १८०८ (सं०ब०न० ५, पृ० जोध०), पी० मार०सी० (११), २५१
१८४. पी०मार०सी० (११), २५१
१८५. उपर्युक्त; मानसिंह का गवर्नर-जनरल को पत्र, ६ जून १८०८ एक० पी०, २० अगस्त १८०८ न० ५८
१८६. हकीकत वही न० १०८-१११
१८७. उपर्युक्त; पी०मार०सी० (११) २६०-२६२
१८८. पी०मार०सी० (११), २६०-२६२
१८९. उपर्युक्त २६१; मानसिंह का दीलतराव को पत्र, भाद्रपद सुदी ३, वि०सं० १८६५। २४ अगस्त १८०८ (सं०ब०न० ५, पृ० १० जोध०)
१९०. पी०मार०सी० (११) २६१, मानसिंह का शिरजीराव घाटके को पत्र, पीप सुदी ४, वि०सं० १८६५। २१ दिसम्बर १८०८, (सं०ब०न० ५, पृ० ६६, जोध०)
१९१. पी०मार०सी० (११) २८६, २९०, (१४), ११
१९२. उपर्युक्त २८६, २९० (१४) १०
१९३. उपर्युक्त, (११), २८७
१९४. उपर्युक्त २८५
१९५. उपर्युक्त २८६
१९६. उपर्युक्त, २९०; हकीकत नहीं न० ११, पृ० १६२ जोध०
१९७. पी०मार०सी० (१४) १
१९८. इन्द्रराज का राय रतनलाल को पत्र, श्रावण सुदी १४, वि० सं० १८१६। २४ अगस्त १८०६ (कपड-जय०), पी०मार०सी० (१४)-१२
१९९. पी०मार०सी० (१४) १८
२००. उपर्युक्त (११), २९० (१४) १
२०१. उपर्युक्त (१४) १
२०२. उपर्युक्त (११), २९०
२०३. पी०मार० सी० (१४) ४
२०४. उपर्युक्त १८
२०५. उपर्युक्त १९
२०६. उपर्युक्त २०, २१

- २०७ ए० मेटोन वा एन०बी० एडमान्स्टन को पत्र, ६ जून १८१०, एफ० पी० २१
 जून १८१०, न० ४२
२०८. पी०घार०सी० (१४), ३०
- २०९-२१० उपयुक्त; मारवाड की ख्यात (४), पृ० ५८; वीर-विनोद (१), पृ०
 १७३८-१७३९ टॉड (ग्रन्थ-१, पृ० ५३९-५४१) और प्रिन्सेप (मिमोयर्स ऑफ
 अमीरखां, पृ० ३९९) के अनुसार वृष्णा की हत्या में मानसिंह का कोई हाथ
 न था ।
२११. पी०घार०सी० (११) भूमिका, पृ० १४
२१२. उपयुक्त (१४) २७, अमीरखां को नार्वा में ३ नाल की घाय की जागीर दी
 गयी ।
- २१३ उपयुक्त ३४
- २१४ पी०घार०सी० (१४) ११५
२१५. उपयुक्त ५९, ११५
२१६. टॉड (२), पृ० १०९१
- २१७ मानसिंह का अमीरखां को पत्र, फाल्गुन सुदी १, वि०सं० १८६७/२४
 फरवरी १८११ (अ०ब०न० ५, पृ० १२० जोध०)
- २१८ मेटकाफ वा जे० एडम्स को पत्र, ७ नवम्बर १८११, एफ० पी० नवम्बर २९,
 १८११ न० १६
- २१९ वे०द० का (४१), ५०
- २२० पी०घार०सी० (१४), १२८
२२१. उपयुक्त १३६
२२२. पी०घार०सी० (१४), १३६
२२३. मेटकाफ का पत्र, जे० एडम्स को, २८ अप्रैल १८१३, एफ० पी० १५ मई
 १८१३ न० १७
२२४. पी०घार०सी० १४, पृ० २२६
२२५. उपयुक्त (१४), १७१
- २२६ मानसिंह का दीनराव विधिया को पत्र, माघ वदी १०, वि० म० १८७० ।
 १६ जनवरी १८१४ (अ०ब०न० ५, पृ० १६ जोध०)
२२७. उपयुक्त पत्र, फाल्गुन सुदी ७, वि०सं० १८७० । २० फरवरी, १८१४
 (अ०ब०न० ५, पृ० १६)
- २२८-२२९ मेटकाफ वा जे० एडम्स को पत्र, ३ अप्रैल १८१४, एफ०पी० २२ अप्रैल
 १८१४, न० ११
२३०. पी०घार०सी० (१४), १३६
२३१. उपयुक्त २२३, २२५, २२५ए

- २३२ मानसिंह का मोहम्मदशाह को पत्र, पीप बदी ५, वि०स० १८७१ । ३१
दिसम्बर १८१५ (अ०ब०न० ५, पृ० १४० जोष०)
- २३३ उपयुक्त को पत्र, वैशाख बदी १, वि०स० १८७१ । २४ अप्रैल, १८१५
(अ०ब०न० ५, पृ० १४१-१४२ जोष०)
- २३४ हकीकत बही न० १०, पृ० ३५
- २३५ मानसिंह का मोहम्मद शाह को पत्र, वै० बदी १, वि० स० १८७१ । २४
अप्रैल, १८१५ (अ०ब०न० ५, पृ० १४१-१४२)
२३६. पी०आर०सी० (१४), २२३, २२५, २२५ ए०, प्रिन्सेप, मेमोयर्स ऑफ़ प्रमीर
खा पृ० ४१२
- २३७-२३८ मेमोयर्स ऑफ़ प्रमीरखा, पृ० ४३२; मारवाड री ख्यात (४), पृ० ७०
- २३९ हकीकत बही न० १०, पृ० ५८
- २४० हकीकत बही न० १०, पृ० ७२, पी०आर०सी० न० १४, २२५ ए०, इसी
बीच मोहम्मदशाह की मृत्यु हो गयी थी ।
- २४१ हकीकत बही न० १०, पृ० ७८
- २४२-२४३ उपयुक्त, पृ० ८०
- २४४ उपयुक्त, पृ० ८६, मुडियाड ख्यात (मानसिंह) पृ० १२०-१२१, बस्ता न० ४०
- २४५ हकीकत बही न० १०, पृ० ८४
- २४६ मुडियाड ख्यात (मानसिंह), पृ० ११५-११६, बस्ता न० ४०, मारवाड री
ख्यात (४), पृ० ७३; प्रिन्सेप, मेमोयर्स ऑफ़ प्रमीरखा, पृ० ४३३
- २४७ मेटकॉफ़ का जे० एडम्स को पत्र, २५ अक्टूबर १८१५, एफ०पी० १० नवम्बर
१८१५, न० १६, प्रिन्सेप. मेमोयर्स ऑफ़ प्रमीरखा पृ० ४३४, विस्तृत
(८), पृ० १२६
- २४८ हकीकत बही न० १०, पृ० ८४
- २४९ उपयुक्त
- २५० मेटकॉफ़ का जे० एडम्स को पत्र, २ दिसम्बर १८१५, एफ०पी० १३ जनवरी
१८१६, न० २७
- २५१ मुडियाड ख्यात (मानसिंह), पृ० १२२, बस्ता न० ४०, मारवाड री ख्यात
अ०थ ४, पृ० ७३, टॉड (२), पृ० १०६१
- २५२ पी०आर०सी० (१४) २४३
- २५३ मेटकॉफ़ का जे० एडम्स को पत्र, १७ अक्टूबर १८१५, एफ०पी० १० नवम्बर
१८१५ न० १४
- २५४ हकीकत बही न० १०, पृ० ८०-८८, मुडियाड ख्यात (मानसिंह) पृ० १२३,
बस्ता न० ४०, मेटकॉफ़ का जे० एडम्स को पत्र, १७ अक्टूबर १८१५, एफ०
पी०, १० नवम्बर १८१५ न० १४

- २५५ मेटकॉफ का जे० एडम्स को पत्र, २५ अक्टूबर १८१५, एफ०पी० १० नवम्बर १८१५, न० १६
- २/६ हकीकत वही न० १०, पृ० ८८; मेटकॉफ के० जे० एडम्स को दो पत्र, १७ अक्टूबर १८१५, एफ० पी० १० नवम्बर १८१५ न० १४ तथा २५ अक्टूबर १८१५, एफ०पी० १० नवम्बर १८१५ न० १६
- २५७ हकीकत वही न० १६ पृ० ८६
- २५८ मुडियाड श्यात (मानसिंह), पृ० १२४, बस्ता न० ४०, टॉड (२), पृ० ८३०, १०६१, विलसन (८) पृ० १२७
- २५९-२६०. मुडियाड श्यात (मानसिंह), पृ० १२५, बस्ता न० ४०, जोष०
- २६१ मेटकॉफ का जे० एडम्स को पत्र, २ नवम्बर १८१५ एफ०पी० २५ नवम्बर १८१५, न० ३१
- २६२ पी०धार०सी० (१४), २४३
- २६३-२६४ मेटकॉफ का जे० एडम्स को पत्र, २ दिसम्बर १८१५, एफ०पी० १३ जनवरी १८१६, न० २७
- २६५ मारवाड री श्यात (४), पृ० ७३-७४
- २६६ दौलतराव सिधिया का जयपुर के जगतसिंह को पत्र, वि०स० १८७३। १८१६ (कपड-जय०)
२६७. हकीकत वही न० ६, पृ० ६४
- २६८ उपयुक्त, मारवाड री श्यात (४), ७३-७४
२६९. पी०धार०सी० (१४), पृ० ७३-७४
- २७० बलोक का जे० एडम्स को पत्र ३१ मई १८१६, एफ०एस० १५ जून १८१६, न० १०; पी०धार०सी० (१४), २७७, २८२
- २७१ मानसिंह का थापूजी सिधिया को पत्र, भाद्रपद वदी ३० वि० सं० १८७३। २३ अगस्त १८१६ (अ०ब०न० ५, पृ० ४६ जाध०)
- २७२ हकीकत वही न० १०, १०७ व ११०
- २७३ पी०धार०सी० (१४), २६२
- २७४ पी०धार०सी० (१४), ३६७-३६८
- २७५ मानसिंह का दौलतराव को पत्र, फाल्गुन सुदी १२ वि०स० १८७३। २८ फरवरी १८१७ (अ०ब०न० ५, पृ० ७७ जोष०), पी०धार०सी० (१४), ३६८
- २७६ उपयुक्त, पी०धार०सी० (१४), ३०५
- २७७ पी०धार०सी० (१४), ३२१
- २७८-२७९ हकीकत वही न० १०, पृ० न० १७; पी०धार०सी० (१४), ३१३, मारवाड री श्यात (४), पृ० ७५-७८
- २८० मुडियाड श्यात (मानसिंह), पृ० १२५, बस्ता न० ४०

- २३२ मानसिंह का मोहम्मदशाह को पत्र, पीप बदी ५, वि०स० १८७१ । ३१
दिसम्बर १८१५ (अ०ब०न० ५, पृ० १४० जोध०)
- २३३ उपयुक्त को पत्र, वैशाख बदी १, वि०स० १८७१ । २४ अप्रैल, १८१५
(अ०ब०न० ५, पृ० १४१-१४२ जोध०)
- २३४ हकीकत वही न० १०, पृ० ३५
- २३५ मानसिंह का मोहम्मद शाह को पत्र, बँ० बदी १, वि० स० १८७१ । २४
अप्रैल, १८१५ (अ०ब०न० ५, पृ० १४१-१४२)
- २३६ पी०झार०सी० (१४), २२३, २२५, २२५ ए०, प्रिन्सेप, मेमोयर्स ऑफ़ ममीर
खा पृ० ४१२
- २३७-२३८ मेमोयर्स ऑफ़ ममीरखा, पृ० ४३२; मारवाड री ह्यात (४), पृ० ७०
- २३९ हकीकत वही न० १०, पृ० ५८
- २४० हकीकत वही न० १०, पृ० ७२, पी०झार०सी० न० १४, २२५ ए०, इसी
बीच मोहम्मदशाह की मृत्यु हो गयी थी ।
- २४१ हकीकत वही न० १०, पृ० ७८
- २४२-२४३ उपयुक्त, पृ० ८०
- २४४ उपयुक्त, पृ० ८६, मुडियाड ह्यात (मानसिंह) पृ० १२०-१२१, बस्ता न० ४०
- २४५ हकीकत वही न० १०, पृ० ८४
- २४६ मुडियाड ह्यात (मानसिंह), पृ० ११५-११६, बस्ता न० ४०, मारवाड री
ह्यात (४), पृ० ७३; प्रिन्सेप, मेमोयर्स ऑफ़ ममीरखा, पृ० ४३३
- २४७ मेटकॉफ़ का जे० एडम्स का पत्र, २५ अक्टूबर १८१५, एफ०पी० १० नवम्बर
१८१५, न० १६, प्रिन्सेप. मेमोयर्स ऑफ़ ममीरखा पृ० ४३४; विल्सन
(८), पृ० १२६
- २४८ हकीकत वही न० १०, पृ० ८४
- २४९ उपयुक्त
- २५० मेटकॉफ़ का जे० एडम्स को पत्र, २ दिसम्बर १८१५, एफ०पी० १३ जनवरी
१८१६, न० २७
- २५१ मुडियाड ह्यात (मानसिंह), पृ० १२२, बस्ता न० ४०; मारवाड री ह्यात
ग्रन्थ ४, पृ० ७३, टॉड (२), पृ० १०६१
- २५२ पी०झार०सी० (१४) २४३
- २५३ मेटकॉफ़ का जे० एडम्स को पत्र, १७ अक्टूबर १८१५, एफ०पी० १० नवम्बर
१८१५ न० १४
- २५४ हकीकत वही न० १०, पृ० ८०-८८; मुडियाड ह्यात (मानसिंह) पृ० १२३,
बस्ता न० ४०, मेटकॉफ़ का जे० एडम्स को पत्र, १७ अक्टूबर १८१५, एफ०
पी०, १० नवम्बर १८१५ न० १४

- २५५ मेटकॉफ का जे० एडम्स को पत्र, २५ अक्टूबर १८१५, एफ०पी० १० नवम्बर १८१५, न० १६
- २५६ हकीकत वही न० १०, पृ० ८८; मेटकॉफ के० जे० एडम्स को दो पत्र, १७ अक्टूबर १८१५, एफ० पी० १० नवम्बर १८१५ न० १४ तथा २५ अक्टूबर १८१५, एफ०पी० १० नवम्बर १८१५ न० १६
- २५७ हकीकत वही न० १६ पृ० ८६
- २५८ मुडियाड ख्यात (मानसिंह), पृ० १२४, बस्ता न० ४०, टॉड (२), पृ० ८३०, १०६१, विल्सन (८) पृ० १२७
- २५९-२६० मुडियाड ख्यात (मानसिंह), पृ० १२५, बस्ता न० ४०, जोष०
- २६१ मेटकॉफ का जे० एडम्स को पत्र, २ नवम्बर १८१५ एफ०पी० २५ नवम्बर १८१५, न० ३१
- २६२ पी०भार०सी० (१४), २४३
- २६३-२६४ मेटकॉफ का जे० एडम्स को पत्र, २ दिसम्बर १८१५, एफ०पी० १३ जनवरी १८१६, न० २७
- २६५ मारवाड री ख्यात (४), पृ० ७३-७४
- २६६ दौलतराव सिधिया का जयपुर के जगतसिंह को पत्र, वि०स० १८७३। १८१६ (कपड-जय०)
२६७. हकीकत वही न० ६, पृ० ६४
- २६८ उपर्युक्त, मारवाड री ख्यात (४), ७३-७४
२६९. पी०भार०सी० (१४), पृ० ७३-७४
- २७० बलोक का जे० एडम्स को पत्र ३१ मई १८१६, एफ०एस० १५ जून १८१६, न० १०, पी०भार०सी० (१४), २७७, २८२
- २७१ मानसिंह का बापूजी सिधिया को पत्र, भाद्रपद वदी ३० वि० सं० १८७३। २३ अगस्त १८१६ (अ०ब०न० ५, पृ० ४६ जोष०)
- २७२ हकीकत वही न० १०, १०७ व ११०
- २७३ पी०भार०सी० (१४), २६२
- २७४ पी०भार०सी० (१४), ३६७-३६८
- २७५ मानसिंह का दौलतराव को पत्र, फाल्गुन सुदी १२ वि०स० १८७३। २८ फरवरी १८१७ (अ०ब०न० ५, पृ० १७ जोष०), पी०भार०सी० (१४), ३६८
- २७६ उपर्युक्त, पी०भार०सी० (१४), ३०५
- २७७ पी०भार०सी० (१४), ३२१
- २७८-२७९ हकीकत वही न० १०, पृ० न० १७, पी०भार०सी० (१४), ३११, मारवाड री ख्यात (४), पृ० ७५-७८
- २८० मुडियाड ख्यात (मानसिंह), पृ० १२५, बस्ता न० ४०

- २८१ हकीकत बही नं० १०, पृ० ११७; मारवाड री ख्यात (४), पृ० ७७-७८; मानसिंह का जयपुर-शासक को दिनांक २० अप्रैल १८१७ को पत्र, वैशाख सुदी ४ वि०स० १८७३ । २० अप्रैल १८१७ जय० और ब्रिटिश सरकार को पत्र, जो रेजिस्ट्रार को १३ जून १८१७ (एफ०पी० १५ भगस्त १८१७ न० ४०) को प्राप्त हुआ था ।
- २८२ हकीकत बही न० १०, पृ० न० ११८
- २८३ किशनगढ़ के महाराजा का छत्रसिंह को पत्र, प्रथम श्रावण वदी ५ वि०स० १८७४ । ३ जुलाई १८१७ (पो०फो० न० ४ फाइल ८/११ खरीता न० १ जोय०)
- २८४ मुडपाड ख्यात (मानसिंह) पृ० १२६, वस्ता न० ४०
२८५. पी०घार०सी० (१४), १८२
- २८६ ए० सेटोन का एन०बी०एडमोन्स्टन को पत्र, २० फरवरी १८०७, (एफ०पी० १२ मार्च १८०७ न० २६)
- २८७ पी०घार०सी० (१४) ६८
- २८८ मेटकाफ का ज० एडम्स को पत्र, ३ अप्रैल १८१४, एफ० पी० २२ अप्रैल १८१४ न० ११
- २८९ मेटकाफ का जे० एडम्स को पत्र, ३ अप्रैल १८१४, एफ० पी० २२ अप्रैल, १८१४, न० ११
२९०. द प्रॉक्वेट जनरल ऑफ मारवाडीय ग्राम ह्यूमिज, पृ० ३०
- २९१ बीलर जे० टालबायज, पृ० २०१
- २९२ पी०घार०सी० (१४), २६७
- २९३ बलोज का गवर्नर जनरल को पत्र २२ मई १८१६, एफ० एच० ११ जून १८१६ न० २८ ।
२९४. बलोज का जे० एडम्स को पत्र, ३१ मई १८१६, एफ०एस० १५ जून १८१६ न० १०, पी०घार०सी० (१४), २८२, २९१, २९२, २९८, २९९ व पृ० ३६७-३६८
- २९५ मारवाड री ख्यात (४), पृ० ८२-८३; टाड (२), पृ० १०६३
२९६. बी०डी० बगु राइज ऑफ द क्रिश्चन पावर इन इण्डिया भाग ४, पृ० १६१ बीलर जे टालबायज, पृ० २२३-२२४
- २९७ मारवाड री ख्यात (४), पृ० ८२-८३, बीलर जे० टालबायज, पृ० २२३-२२४
- २९८ पी०घार०सी० १४), ३२१
- २९९-३००. मेटकाफ का आक्टरलोनी को पत्र, २५ नवम्बर (१८१७), एफ० एस० १६ दिसम्बर १८१७ न० ११२
३०१. जोधपुर के राजा का गवर्नर-जनरल को पत्र, जो १ जनवरी १८१८ को प्राप्त हुआ, एफ० स० २० फरवरी १८१८ न० १, ५७

- ३०२ मेटकॉफ का जे० एडम्स को पत्र, १५ जनवरी १८१८, एफ०एम० ६ फरवरी १८१८, न० १०३
- ३०३ मारवाड की ख्यात ग्रन्थ ४, पृ० ८२ ८४ एटीशचन ट्रिटी, ए गेजमेण्टस व सनद (३) पृ० १२६ १२६
- ३०४ मारवाड की ख्यात (४) पृ० ८४, एटीशचन ट्रिटी, ए गेजमेण्ट्स व सनद (३) पृ० १३०
- ३०५ हकीकत बही न० १० पृ० न० २०२ जोध०
- ३०६ मानसिंह सिधिया की (वापिक) १,८० ००० रुपये (१५० ००० मारवाड के और ३०,००० गोडवाड के) कर देता था। कई कमीतियाँ होने के बाद सिधिया को सिर्फ ६७ ३०० वापिक मिलते थे। मेटकॉफ का जे० एडम्स को पत्र, १५ जनवरी १८१८ एफ०एम० ६ फरवरी १८१८ न० १०२)
- ३०७ प्रिन्सेप हिस्ट्री आफ पोलिटिकल एण्ड मिलट्री ट्रांजेक्शन इन इण्डिया, ग्रन्थ २, पृ० ३५८
- ३०८ हथबही न० २, पृ० १३४, महादजी का विजयसिंह को पत्र, आधिवन सुदी ७, वि०स० १८४३। २६ सितम्बर १७८६ (पो०फो० ६, पत्र ५५, जोध०)
- ३०९ मेटकॉफ का जे० एडम्स को पत्र, १५ जनवरी १८१८, एफ०एम०, ६ फरवरी १८१८ न० १०२
- ३१० हकीकत बही न० १०, पृ० न० २०७ (जोध०), मटकाफ का जे० एडम्स को पत्र, २ अप्रैल १८१८ एफ० पी० २४ अप्रैल १८१८ न० ४६
- ३११ उपर्युक्त टाइ के अनुसार पोवरन गुट न इंडर के शासक से प्रार्थना का कि उनके एक पुत्र को जोधपुर का शासक बनाने की अनुमति प्रदान कर परन्तु उसने मस्वीकार कर दिया (ग्रन्थ २) पृ० १०६२
- ३१२ हकीकत बही ग्रन्थ १०, पृ० २१० और पृ० २१३, २१४
- ३१३ उपर्युक्त, पृ० २१६
३१४. माक्टर लोनी का जे० एडम्स को पत्र, १५ नवम्बर १८१८, एफ०पी० २६ दिसम्बर १८१८ न० ५५
- ३१५ उपर्युक्त

मराठों का प्रस्थान १८१५-१८४३

(घ) मधुराज भोंसले (अप्पाजी साहिब) व ब्रिटिश

१८०३ में अंग्रेजों से युद्ध के बाद नागपुर का शासक रघुजी भोसला मराठा सशक्त के प्रति उदासीन हो गया। उसने भावी ब्रिटिश आक्रमणों में अपने को सुरक्षित रखने की नीति अपनायी। उसकी मृत्यु २२ मार्च १८१६ को हुई। इसमें नागपुर में ब्रिटिश हस्तक्षेप, जिसे उसने जीवन भर रोके रखा था, सम्भव प्रतीत होने लगा। उसका उत्तराधिकारी परसाजी बाला साहिब था। अन्धा होने के कारण वह स्वयं राज्य के प्रशासन की देख रेख करने में असमर्थ था। अतः उसके रिजेण्ट के रूप में उसका चचेरा भाई मधुराज भोसला^१ शासन कार्य की देख रेख करता था। वह बालाजी और भवसरवादी था। उसने २८ मई १८१६ को अंग्रेजों से गुप्त संधि कर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जून में उसके विरुद्ध विद्रोह की संभावना होने लगी। संधि के अनुसार अंग्रेजों ने उसकी सहायता की। कनक डोवटोन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना १८ जून को नागपुर पहुँची। अंग्रेजों के इस कार्य से नागपुर के राजनैतिक वातावरण में सदिग्धता और अनिश्चयता की स्थिति पैदा हो गयी। परित्यागस्वरूप शासक परसाजी की १ फरवरी १८१७ को हत्या कर दी गयी। अप्पा साहिब (मधुराज) २५ अप्रैल १८१७ को नागपुर का शासक बन गया।^२ गद्दी पर बैठने के पश्चात् अप्पाजी ने अंग्रेजों के प्रति अपनी नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया। उसने उस मंत्री को पद से हटा दिया जो अंग्रेजों से संधि के लिए उत्तरदायी था। पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसने पत्र व्यवहार प्रारम्भ किया, जिससे उसकी अंग्रेज विरोधी नीति स्पष्ट होने लगी। उसने अपनी सेना में नयी भर्ती शुरू की और गुप्त संधि (मई १८१६) में अंग्रेजों से अधिक सेना का संगठन किया। ब्रिटिश सरकार के लिए अप्पाजी का यह कार्य असहनीय था।^३ इन सम्बन्धों में तीव्रता उस समय अधिक पैदा हो गयी जब नवम्बर, १८१७ में अंग्रेजों के विरुद्ध उसने पेशवा का समर्थन किया।^४ इस पर अंग्रेजों ने नागपुर में सैनिक अभियान कर उसे पदच्युत कर दिया।^५ वह कैद कर लिया गया। परन्तु किमी प्रकार मई १८१८ में वह भागने में सफल हुआ।^६ १८१९ में वह पंजाब की ओर गया जहाँ कुछ समय तक रणजीतसिंह के पास रहा।^७ १८२० में उसने शिवना पहाड़ियों के उनाह नामक

स्थान पर, जहाँ का शासक साहिबसिंह वैदी था, शरण ली।^{१८} बाद में मडी को उसने अपना निवास स्थान बनाया।^{१९} परन्तु फरवरी १८२८ में वह अमृतसर चला आया, जहाँ वह गुप्त रूप से रहने लगा।^{२०} इन्दौर के तत्कालीन रेजीडेंट, वेल्लेजली द्वारा जन्म किये गये पत्रों^{२१} से ऐसा लगता है कि मडी में रहते हुए अर्प्या साहिब ने राजस्थान के कई शासकों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये थे। इन पत्रों द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि राजस्थान के राज्यों से सहायता प्राप्त करने का कार्य उसने गंगासिंह नामक अपने एक विश्वासपात्र पदाधिकारी को सौंपा।^{२२} १८२६ में बर्मा-युद्ध की समाप्ति पर, पदच्युत देशी शासकों की अग्रजों के प्रति विरोधी भावना^{२३} का लाभ उठाकर उसने अपने प्रतिनिधि को आदेश दिया कि वह मेटकॉफ और कालब्रुक से मिले और उनसे अनुकूल शर्तों पर समझौता करने की पहल करे।^{२४} गंगासिंह १० अक्टूबर १८२७ को कालब्रुक से मिला।^{२५} अपने मिशन के उद्देश्य से उसने जॉन मालकम को ८ फरवरी १८२८ को एक पत्र द्वारा अवगत कराया।^{२६} परन्तु मई १८२८ में गवर्नर जनरल का आदेश पाकर कालब्रुक ने गंगासिंह से सभी प्रकार की बातें समाप्त कर दी।^{२७} अर्प्या साहिब अत्यन्त निराश हुआ। उसने रणजीतसिंह से सहायता की आशा की पर वह भी प्राप्त नहीं हो सकी।^{२८}

(घ) मानसिंह और अर्प्याजी भोंसले

(१) भोंसले को राठौड़ी सहायता (१८२६-१८३०)

अर्प्याजी ने शिमला पहाड़ियों के सरक्षकों से शरण माँगी थी। वह उसे मिली परन्तु उसकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। उमकी पूर्ति के लिए पहाड़ियों का वातावरण अनुकूल न पाकर वह पञ्जाब की ओर चल पड़ा। राजस्थान के कई शासकों ने उसने सम्पर्क स्थापित किया पर उसे फिर भी सफलता नहीं प्राप्त हुई। वह अग्रजों से समझौता करने में भी असफल रहा। १८२६ के मार्च में वह बीकानेर पहुँचा।^{२९} उसने देशनोक के पवित्र मंदिर में शरण ली।^{३०} एक बार पुनः उसने अग्रजों से समझौते हेतु प्रयास किया। उसकी शर्त थी कि यदि उसे नागपुर का शासक पुनः बना दिया जाए तो न सिर्फ वह अग्रजों की अधीनता स्वीकार करेगा, बल्कि वह रुपये में ६ आना (३६ प्रतिशत) कर देने का भी तैयार था।^{३१} अग्रजों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया।^{३२}

नागपुर में अर्प्या साहिब को व्यापक समर्थन प्राप्त था। वहाँ के लोग उसे लगातार घन भेजते थे, जो कि उसे राजस्थान व उसके बाहर स्थित अपने प्रतिनिधियों के द्वारा मिलता रहता था।^{३३} देशनोक में रहने समय उसने जोधपुर के महाराजा मानसिंह को लिखा कि उसे नागौर में रहने की स्वीकृति दी जाए।^{३४} अर्प्याजी ने इस प्रकार के पलायन, शरण एवं पत्र व्यवहार के प्रति अग्रजों ने बीकानेर तथा जोधपुर के नरेशों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। गवर्नर-जनरल ने बीकानेर-शासक की कड़ी अर्चना की कि उसने सधि के उत्तरदायित्व को भंग कर अर्प्याजी को अपने राज्य में शरण दी और आदेश दिये कि अर्प्याजी को वहाँ से

निकाल दे तथा उसे जयपुर और जोधपुर प्रदेशों की ओर न जाने दे।^{२५} मानसिंह को भी पत्र द्वारा निर्देश दिया कि यदि अफ्जाजी मारवाड़ में प्रवेश करे तो उसे गिर-पतार कर लिया जाए।^{२६} बीकानेर के शासक ने अफ्जाजी को देशनोक छोड़ने के आदेश दिये।^{२७} अफ्जाजी दो माह तक देशनोक में रहे।^{२८}

बीकानेर से अफ्जाजी ने बहालपुर की ओर प्रस्थान किया।^{२९} वहाँ से उसने मारवाड़ की सीमा पार की^{३०} और अफ्जाजी के मित्र का रूप धारण कर^{३१} २०० सैनिकों सहित वह नागीर पहुँचा।^{३२} नागीर से उसने नागपुर में अपने मित्रों से सम्पर्क स्थापित किया।^{३३} अप्रैल, १८२६ में वह मण्डोर पहुँचा और महाराजा मानसिंह से प्रार्थना की कि कुछ समय तक उसे वहाँ रहने दिया जाए।^{३४} अफ्जाजी को भय हुआ कि अफ्जा साहिब धीरे-धीरे दक्षिण की ओर प्रयाण कर रहा है। अतः ब्रिटिश रेजिडेण्ट ने दिल्ली में स्थित जोधपुर के वकील को कहा कि वह अपने शासक को लिखे कि अफ्जा साहिब के बारे में उनके (अफ्जाजी के पूर्ववर्ती आदेशों का पालन करे।^{३५} तथा उसे सिन्ध या बहावलपुर की ओर निष्कासित करे।^{३६} रेजिडेण्ट ने इस सम्बन्ध में मानसिंह को नये निर्देश भेजे कि अफ्जा साहिब को जोधपुर से कुछ सैनिकों के साथ उसी रास्ते से वापिस किया जाए जिस रास्ते से उसने मारवाड़ में प्रवेश किया।^{३७} इस पर महाराजा ने अफ्जा साहिब को मारवाड़ में ठहरने की निषेधाज्ञा दी।^{३८} परन्तु बाद में उसे ठहरने दिया गया।^{३९} इसके लिए महामन्दिर अब जोधपुर का एक उपनगर, में रहने की व्यवस्था की गयी।^{४०}

अफ्जाजी के प्रति मानसिंह के इस प्रकार के आचरण के पीछे राजनैतिक कारण था। १८२७-१८२८ के सामंती विद्रोह को दबाने के लिए जब मानसिंह ने अफ्जाजी सहायता माँगी तो उन्होंने न सिर्फ़ इन्कार किया बल्कि बाद में दबाव डालकर सामंती की भाँति मानने पर उसे बाध्य किया।^{४१} अतः मानसिंह अफ्जाजी से क्षुब्ध हो गया। उसने अफ्जा साहिब को मारवाड़ में ठहरे रहने का आदेश दे दिया। आंतरिक क्षेत्र में वह अपने को पूर्ण स्वतन्त्र मानता था। उसकी दृष्टि में अफ्जाजी से की गयी सधि (१८१८) में कोई ऐसी धारा नहीं थी जिससे आंतरिक मामलों में इस अधिकार से वह अपने को वंचित समझे कि वह किसी भी व्यक्ति को शरण दे सकता था।^{४२} अफ्जाजी ने इसका प्रतिवाद किया। उन्होंने अफ्जाजी के अपराधी को शरण देने के कारण अपना रोप बार-बार प्रकट किया। इस सम्बन्ध में दिल्ली स्थित उसके वकील व रेजिडेण्ट के पत्र-व्यवहार (मई-जून १८२६) से स्पष्ट होता है कि वह अफ्जाजी के प्रतिवाद को स्वीकार करने का तैयार नहीं था।^{४३} इन पत्रों का प्रत्युत्तर देते हुए मानसिंह ने ब्रिटिश रेजिडेण्ट को स्पष्ट लिखा कि 'अफ्जा साहिब का एक एजेण्ट दिल्ली में रहने दिया जाता है। किन सिद्धान्तों पर उसे अफ्जा साहिब को अपमानित कर अपने राज्य से निष्कासित करने को कहा जाता है?'^{४४} उसने आगे और स्पष्ट किया कि सधि की शर्तों के अनुसार वह अफ्जाजी के शत्रु को उन्हें सौंपने

को बाध्य नहीं था।^{५५} फिर भी उसने इस सम्बन्ध में अंग्रेजी प्रतिनिधियों को जानने हेतु राज्य के एक बगाली कर्मचारी बाबू को गुप्त तरीके से भ्रमभेज भेजा।^{५६}

अंग्रेज सरकार को सन्देह हुआ कि मानसिंह अर्थात् साहिब से मिला हुआ है और वह उसे धर्म-यात्री (साधु) के भेष में पुष्कर के मार्ग से नागपुर भेजना चाहता है।^{५७} अतः एक और रेजिडेण्ट ने नागपुर, इन्दौर, ग्वालियर, सागर, कोटा, उदयपुर और जयपुर स्थित अपने 'पोलिटिकल एजेण्टों' को पत्र भेजकर सचेत रहने को कहा कि कहीं अर्थात् उन मार्गों से नागपुर न चला जाए,^{५८} दूसरी ओर भ्रमभेज स्थित ब्रिटिश पोलिटिकल एजेण्ट ने मानसिंह की इस स्थिति को अस्वीकार किया कि सधियों की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों के शत्रुओं को शरण देने का उसका आन्तरिक अधिकार था।^{५९} एक बार पुनः अर्थात् साहिब को गिरफ्तार करने के आदेश जोधपुर शासक को दिये गये।^{६०}

केम्ब्रिज के एक पत्र (२६ जून १८२६) से, जो कि उसने कालब्रुन को लिखा था, ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थात् साहिब महामन्दिर से बीकानेर की ओर प्रस्थान कर चुका था।^{६१} भ्रमभेज-स्थित ब्रिटिश पोलिटिकल एजेण्ट की नागौर स्थित उसके रिपोर्टर ने इसी प्रकार की सूचना भेजी।^{६२} परन्तु फिर कुछ समय बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि वह महामन्दिर पुनः लौट आया।^{६३} मानसिंह ने उसे जोधपुर से प्रस्थान करने को कहा या वह स्वयं अपनी इच्छा से गया, समकालीन पत्रों से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जाना जा सकता है। परन्तु जब वह लौटा तो उसकी पूर्ण देखरेख की गई तथा उसे महामन्दिर में ही ठहराया गया।^{६४} अर्थात् साहिब के जोधपुर में पुनः आगमन से अंग्रेज सरकार शक्ति हो उठी। भ्रमभेज में स्थित पोलिटिकल एजेण्ट केम्ब्रिज को भय हुआ कि मानसिंह किसी अर्थात् अर्थात् भोसला घोषित कर उसके भागने की परिस्थितियाँ तैयार कर रहा है।^{६५} दिल्ली स्थित रेजिडेण्ट हॉकिन्स ने केम्ब्रिज से स्पष्टीकरण चाहा कि वह जोधपुर में अर्थात् साहिब को शरण मिलने के सम्बन्ध में शिथिल नीति क्यों अपना रहा है।^{६६} केम्ब्रिज ने १० अक्टूबर को अपना स्पष्टीकरण भेजते हुए व्यक्त किया कि 'तत्कालीन शान्तिपूर्ण समय और हमारी शक्तिशाली स्थिति को देखते हुए मानसिंह की ओर से हमारे स्वार्थों को कोई खतरा नहीं है। उसे ब्रिटिश सरकार के साथ की गयी सन्धि पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है।'^{६७} केम्ब्रिज का उत्तर न तो पर्याप्त था और न सतोषजनक ही। गवर्नर-जनरल ने आदेश दिया कि अर्थात् साहिब को गिरफ्तार कर अंग्रेज सरकार को सौंप दिया जाए।^{६८} सरकार अधिक-से-अधिक दृष्टान्त कर सकती है कि अर्थात् साहिब की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ले सकती है और उसे आराम का जीवन निर्वाह करने के लिए पेशान दे सकती है।^{६९}

मानसिंह बिना शर्त अर्थात् साहिब को सौंपने को तैयार नहीं था। उसने ब्रिटिश सरकार को लिखा कि अर्थात् साहिब की बहिन के पुत्र को नागपुर की गद्दी से हटा दिया

जाए तथा उसके स्थान पर उसके (अप्पाजी) वंश के व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया जाए ।^{१०} उसने अप्पाजी के लिये जामोर की माँग भी की, जिससे वह सन्तुष्ट हो सके ।^{११} अंग्रेजों ने इन शर्तों को मानने से इन्कार कर दिया । रेजिडेण्ट ने मानसिंह को धमकी दी कि समर्पण करने के पूर्व किसी शर्त के लिए जोर देना सौदा होगा, अतः संधि का उल्लंघन समझा जाएगा ।^{१२} ऐसी स्थिति में रेजिडेण्ट ने लिखा कि यदि धोकलसिंह ने जोधपुर की गद्दी की माँग प्रेषित की तो अंग्रेज सरकार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।^{१३} केवण्डिश को विश्वास था कि मानसिंह अप्पाजी को बिना हिचकिचाहट से सौंप देगा । इसके लिए उसने अक्टूबर १८२६ के प्रारम्भ में लक्ष्मीचन्द को जोधपुर भेजा ।^{१४}

मानसिंह ने लक्ष्मीचन्द मिशन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ब्रिटिश आक्रमण की सभावना समझकर जोधपुर की सुरक्षा की तैयारियाँ करने लगा ।^{१५} सेना को तैयार रहने के आदेश दिये गये ।^{१६} नयी सैनिक भर्ती प्रारम्भ की गयी ।^{१७} कौरचन्द को नया सेनाध्यक्ष बनाया गया ।^{१८} आन्तरिक क्षेत्र में राजनैतिक स्थायित्व स्थापित करने के लिए उसने नाथ गुट के शक्तिशाली नेता भायस भीमनाथ से समझौता कर लिया ।^{१९} राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों में अपने मित्रों से, विशेषकर टोंक के नवाब से, सहायता की प्रार्थनाएँ की गयी ।^{२०} परन्तु सहायता कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकी ।^{२१} दूसरी ओर से सूचना प्राप्त हुई कि उसके विरोधी सामन्तों और धोकलसिंह ने अंग्रेजों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करना शुरू कर दिया है ।^{२२}

मानसिंह अपनी स्वयं की सैनिक तैयारियों से अंग्रेजों से लोहा नहीं ले सकता था । अतः उसने यही उचित समझा कि अंग्रेजों से वार्ता की जाए । उसने गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिन्क को दो पत्र लिखे । एक उसे सीधा १६ अक्टूबर १८२६ को प्राप्त हुआ, ^{२३} और दूसरा ब्रिटिश रेजिडेण्ट दिल्ली के मार्फत, जो उसे १६ अक्टूबर को मिला ।^{२४} इन दोनों पत्रों के अनुसार, अप्पा साहिब महामन्दिर में ठहरा हुआ था । मानसिंह ब्रिटिश प्रदेशों में किसी प्रकार का बखेड़ा नहीं करना चाहता था और न उसमें ऐसा करने की शक्ति ही थी । वह तो हमेशा अंग्रेजों सरकार से सुरक्षा और क्षमा की आशा रखता था । गवर्नर जनरल ने मानसिंह को सूचित किया कि उसकी भावनाएँ एक ही शर्त पर स्वीकार की जा सकती हैं कि वह अप्पा साहिब के अश्लेषे आचरण का जमानती रहे तथा यदि अप्पा साहिब नागपुर के खोये हुए प्रदेश को पुनः लेने का प्रयास करे या वहाँ की शांति को भंग करे तो इसका उत्तरदायित्व जोधपुर-शासक अपने ऊपर ले ।^{२५}

मानसिंह ने इसे स्वीकार किया । समस्या के शांतिपूर्वक निपटारे से मानसिंह प्रसन्न था ।^{२६} गवर्नर जनरल को एक पत्र के द्वारा जो कि १ फरवरी १८३० को उसे प्राप्त हुआ था, ^{२७} उसने सूचित किया कि वह अत्यन्त ईमानदारी से उसके

निर्देशों का पालन करेगा तथा अपना साहिव के आचरण व धर्मों पर बड़ी नज़र रहेगा। इस प्रकार अग्रजों में समझौता कर मानसिंह ने अपना जी को जाओर भेजना की कोशिश की।^{१७८} परन्तु यह इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसकी दृष्टि में महामन्दिर अधिक सुरक्षारमक स्थान था।^{१७९}

(२) अपना जी जोधपुर में १० वर्ष (१८३० से १८४०)

अपना जी जोधपुर में शांत नहीं रहा। १८३२ में उसने नागपुर में अपने लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने हेतु गुप्त व्यक्त भेजे।^{१८०} जमलमेर स्थित अग्रजों के अलवारनवीस ने २६ जनवरी १८३३ को अग्रमेर के ए०जी०जी० (गवर्नर-जनरल के एजेण्ट) एलवेस को सूचना भेजी कि अपना जी जोधपुर के पट्टीपी राज्य बहावलपुर और जमलमेर से सैनिक भर्ती कर सेना संगठित कर रहा है।^{१८१} भूतपूर्व शासक रघुजी भोंसले की दूसरी रानी अदिका बाई से उसका लगातार पत्र व्यवहार होता रहा है।^{१८२} १८३४ में नागपुर का राजनैतिक वातावरण उसके इतना अनुकूल हो गया कि उसने वहाँ अपने मित्रों को आदेश दिये कि शीघ्रानिशीघ्र कार्य किया जाए।^{१८३} परन्तु अपना साहिव नागपुर नहीं जा सके बल्कि महामन्दिर में ही बने रहे।^{१८४} इससे मानसिंह और ब्रिटिश सरकार के बीच सम्बन्धों में पुनः तनाव पैदा होने लगा।^{१८५}

कृच्छ्र समय तक अपना जी शांत बना रहा। परन्तु १८३८ के मध्य में अंग्ल-अफगान मतभेदों का लाभ उठाकर उसने नेपाल,^{१८६} सतारा,^{१८७} और बड़ोदा^{१८८} के शासकों को सहयोग देने के लिए अनुविनय की। नागपुर में उसकी पत्नी और अदिका बाई ने उसके पक्ष में एक प्रभावशाली गुट तैयार कर लिया था।^{१८९} नेपाल शासक ने अपना जी को सूचित किया कि वह अपने दूतों को भेजे जिससे धन और सेना सम्बन्धी सहायता, जितनी उसे आवश्यकता हो, दी जा सके।^{१९०} बड़ोदा के शासक ने १० से १२ लाख रुपयों की सहायता देने का वचन दिया।^{१९१} मानसिंह तो अपना साहिव का सबसे बड़ा सहायक था। उसने भोंसले को अग्रिम धारायि दी, जिससे वह शास्त्र और वारूद खरीद सके।^{१९२} उसकी (अपना जी की) योजना यह थी कि उसकी पत्नी और चाची दशहरा के अवसर पर नागपुर के शासक को पकड़ कर राज्य पर अपना अधिकार कर लेगी और दिवाली के आसपास वह नागपुर पहुँच जाएगा।^{१९३} अपना जी के कार्य ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर विभाग से छिपे नहीं रह सके। मेजर-जनरल के २२ अक्टूबर १८३८ के एक पत्र से मालूम होता है कि सितम्बर १८३८ में अपना जी को यह सूचना मिलती रही थी कि अपना जी या तो नेपाल या दक्षिण की ओर जाने की योजना बना रहा है।^{१९४} सरकार ने बीकानेर के शासक को लिखा कि महामन्दिर से अपना जी के उत्तर की ओर पलायन पर बड़ी निगरानी रखी जाए। अपना जी बेप बदल कर^{१९५} नहीं निकल जाए। ब्रिटिश सरकार ने अपना जी की सहायता से समाविष्ट पारों पर अश्वारोही रक्षक नियुक्त कर दिये।

१८३६ के प्रारम्भ में जोधपुर के प्रति, विशेषकर अग्रजों के प्रति सरकार ने कठोर नीति अपनायी। अग्रमेर में

सदरलैण्ड घोर उसका सहायक कॅप्टन सडलो अप्रैल १८३६ में जोधपुर पहुँचे और मानसिंह से मांग की कि अपना साहिब को अप्रैजो को सौंप दें।^{१०८} अपना साहिब भी कर्नल सदरलैण्ड से मिला।^{१०९} उसने भोसले को राय दी कि उसकी भलाई इसी में है कि वह अप्रैजो के सरक्षण में आ जाए।^{११०} परन्तु अपनाजी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने मई में ब्रिटिश प्रतिनिधि^{१११} को सूचित किया कि वह नागपुर की गद्दी पर अपने अधिकार को र्यागने की अपेक्षा एक मियारी की तरह जीवित रहकर मरना उचित समझता है।^{११२}

अचानक कर्नल सदरलैण्ड जून १८३६ को अजमेर लौटकर जोधपुर के विरुद्ध सैनिक तैयारियाँ करने लगा।^{११३} अगस्त-सितम्बर में उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया।^{११४} इस पर मानसिंह ने अपना साहिब को इस शर्त पर सौंपना स्वीकार किया कि उसे नागपुर में कुछ प्रदेश दिये जाएँ।^{११५} सदरलैण्ड ने इस शर्त को अस्वीकार किया क्योंकि गवर्नर जनरल के निर्देशानुसार अपनाजी के सचं के लिए कोई शर्त उस समय तक स्वीकार नहीं की जा सकती थी जब तक जोधपुर से उसे हटा नहीं दिया जाता।^{११६} इस स्थिति को उसी रूप में छोड़कर,^{११७} कर्नल सदरलैण्ड ४ दिसम्बर १८३६ को अजमेर चला आया।^{११८}

जाने से पूर्व सदरलैण्ड ने कॅप्टन सडलो को आदेश दिया कि अपना साहिब पर बड़ी निगरानी रखी जाए। सडलो ने उसके व्यक्तिगत पत्रों को, जो कि उसकी पत्नी से प्राप्त होते थे, सोलकर उनका निरीक्षण करना शुरू किया।^{११९} नागपुर के पोलिटिकल ऐजेंट को सचेत रहने के आदेश दिये गये।^{१२०} परन्तु अपनाजी घोर अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। जुलाई के प्रारम्भ में उसे अतिसार का रोग हो गया। वह पाँच दिन तक इसकी भयंकर पीड़ा को सहता रहा। १५ जुलाई १८४० को महामन्दिर में अपने निवास-स्थान पर उसकी मृत्यु हो गयी।^{१२१} मानसिंह ने राजकीय सम्मान के साथ उसकी अन्त्येष्टि क्रिया करायी।^{१२२} गवर्नर जनरल के सचिव बडोज के १६ जुलाई १७४२ के एक पत्र से प्रतीत होता है कि अपनाजी ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए साण्डेराव के ठाकुर सबलसिंह के पुत्र शिवनाथसिंह का नाम प्रस्तावित किया था।^{१२३} इसे अप्रैजो सरकार ने इसलिए स्वीकृति नहीं दी^{१२४} कि न तो अपनाजी की पत्नियों ने इसे माना^{१२५} और मानसिंह ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश ही की।^{१२६}

(ई) राठौड़-मराठा मंत्रों सम्बन्ध

मानसिंह और दौलतराव सिधिया के बीच राजनैतिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक सम्बन्ध भी थे। दोनों परिवार घनिष्ठ मित्रता में बंधे हुए थे। १८०५ मार्च में महाराजा मानसिंह ने दौलतराव सिधिया की पत्नी बेजावाई को अकोली गाँव प्रदान किया था। १८४० में ब्रिटिश रेजिडेंट सडलो की आज्ञा से दीवान गभीरीमल ने इस गाँव को जन्त कर लिया।^{१२७} जनवरी १८४२ में बेजावाई ने

स्वातियर के रेजिडेण्ट द्वारा जोधपुर सरकार से माग की कि उस गाँव पर उसके अधिकार को मान्यता दे ।^{११८} यह समस्या इस रूप में उलभन में पड़ गयी कि यह गाँव 'पेशकश' के बदले में दिया गया था या शासक ने अपनी इच्छानुसार दिया था । सिधिया सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि १७८० में महाराजा विजयसिंह ने इसे पेशकश के रूप में दिया गया था और ६० वर्ष तक यह सिधिया सरकार के अधीन था ।^{११९} लड़ने में जोधपुर सरकार का समर्थन किया और इसे 'पेशकश' मानने से इन्कार कर दिया । उसका कहना था कि मारवाड के शासकों के अधिकार और रीति-रिवाजों के अनुसार उनकी इच्छा पर दिये गये गाँव या भूमि पर वे पुनः अधिकार कर सकते हैं ।^{१२०} जब मानसिंह को इस मतभेद की सूचना मिली तो उसने अस्वीकार किया कि उसकी आज्ञा से गाँव की जवनी हुई थी ।^{१२१} उसका कथन था कि सिधिया परिवार के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने के लिए ही उसने उस गाँव को बेजाबाई को दिया था ।^{१२२} अतः उसने उक्त गाँव पुनः सिधिया की पत्नी को दे देने के लिए आज्ञा जारी की ।^{१२३} सितम्बर १८४२ में अकोली पुनः बेजाबाई को दे दिया गया और यह आदेश भी दिया गया कि जब तक वह जीवित है यह गाँव उसी के पास रहेगा ।^{१२४}

(३) मराठा प्रभाव का अन्त व अंग्ल प्रभाव की वृद्धि (१८१८-१८४३)

६ जनवरी १८१८ की सधि के अनुसार^{१२५} मारवाड के शासकों का मराठो, विशेषतः सिधिया से सभी प्रकार के सम्बन्धों का अन्त हो गया । सधि की धारा ६ व ७ के अनुसार सिधिया का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया । जोधपुर-शासक को सिधिया की बकाया धन-राशि से भी मुक्ति प्राप्त हो गयी । उसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश सत्ता के कर्तों पर आ पड़ा । चूँकि अंग्रेज-सिधिया सधि (१८०३) के अनुसार सिधिया भी अंग्रेज शक्ति को चुनौती देने में शक्तिहीन हो गया था, अतः मारवाड के शासकों की बकाया धन-राशि सिधिया को कभी प्राप्त नहीं हो सकी । इस सधि में ऐसी कोई धारा नहीं थी जिससे महाराजा मानसिंह के आंतरिक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी । धारा ६ के अनुसार तो अंग्रेजों ने महाराजा के राज्य को अपने क्षेत्राधिकार में न रखने का वचन भी दे दिया था । फिर भी सधि के शीघ्र बाद ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुईं कि अंग्ल सत्ता मानसिंह के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी ।

१८१८ के अन्तिम महीनों में सर डेविड डॉक्टरलूनी ने जोधपुर पहुँच कर^{१२६} मानसिंह और उसके विरोधियों के बीच में समझौता कराया, जिसके अनुसार अखेर राज को दीवान और ठाकुर शालिमसिंह को प्रधान नियुक्त किया गया ।^{१२७} अंग्रेजी हस्तक्षेप के कारण समझौता तो हो गया,^{१२८} पर दोनों दलों में से एक भी इसके प्रति ईमानदार नहीं रहा ।^{१२९} दिसम्बर १८१८ में जोधपुर में ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के पद पर बिल्डर नियुक्त हुआ ।^{१३०} उसे प्रभुसत्ता के निर्देश प्राप्त हुए कि 'राजा को समझाया जाए कि वह यूरोपियन अफसरों से सलाह ले और उसके लोगों

द्वारा अजमेर या अन्य राज्य से व्यापार करने वाले यात्रियों व व्यापारियों को सूटने के लिए जो ठगी होती है उसका दमन करे।^{१३१} विल्डर कुछ समय तक जोधपुर में रहा। उसने फरवरी १८१६ में अपना उत्तरदायित्व कर्नल टॉड को सौंपा जिसे कि उदयपुर, कोटा, दूँदी और मिरोही के भलावा जोधपुर का भी भार दिया गया था।^{१३२} कर्नल टॉड नवम्बर ४, १८१६ को महाराजा मानसिंह से प्रथम बार मिला।^{१३३}

टॉड के जोधपुर पहुँचने के ६ माह के भीतर ही मानसिंह ने अपनी शक्ति का कठोर प्रयोग करना शुरू किया।^{१३४} उसने १८२० के मध्य भाग में अखेचन्द को पदच्युत् कर दिया और राज्यकोष में गलतियों का उत्तरदायी बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।^{१३५} बाद में उसे और उसके पाँच सहयोगियों, किलेदार नर्थकरण, व्यास विनोदी राम, मुशो जीतमल और जोशी फतेचन्द तथा दो अन्य ठाकुरों को मृत्युदण्ड दिया।^{१३६}

ठाकुर सालिमसिंह भागकर नीमाज चला गया, फिर वहाँ से भी भागकर उसने जसलमेर में शरण ली।^{१३७} महाराजा न विरोधियों को दूँड-दूँडकर निकाला और दंडित किया। उनकी जागीरें छीन ली।^{१३८} सालिमसिंह को शरण देने के अपराध में नीमाज ठाकुर को जुर्माना भरना पड़ा। उसकी भी जमीन छीन ली गयी।^{१३९} फतेराज को नया दीवान नियुक्त किया गया।^{१४०} नयी सरकार ने विजयसिंह के समय ही गयी जागीर की भूमि को पुनः राज्य के अधिकार में लाने की नीति को कार्यान्वित करना प्रारम्भ किया।^{१४१}

इस नीति से जागीरदारों में असंतोष फैल गया। उन्होंने संयुक्त रूप में कर्नल टॉड को ३१ जुलाई १८२१ को एक प्रतिवेदन देकर प्रार्थना की कि मध्यस्थता कर उनका समझौता कराया जाए।^{१४२} टॉड ने हस्तक्षेप किया। मानसिंह ने फरवरी १८२४ में आउवा, आसोप, नीमाज और राठ के ठाकुरों की जागीरें वापिस की।^{१४३} अग्नेजो ने भी अपने लिए लाभ प्राप्त किया। आठ वर्षों के लिए मारवाड़ के मेरवाड़ा प्रदेश के ३१ गाँव अग्नेजो ने अपने सरक्षण में ले लिये।^{१४४} वहाँ पर एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रखी गयी, जिसका खर्च जोधपुर कोष से दिया गया।^{१४५} ब्रिटिश मध्यस्थता ने एक बार पुन (१८२१ की तरह) मानसिंह के विरोधी तत्वों को सन्तुष्ट कर मारवाड़ के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की परिस्थितियाँ बना ली।

मानसिंह की सामंतों के प्रति कोई निश्चित नीति नहीं थी। अग्नेजी सत्ता द्वारा हस्तक्षेप करने पर वह उनसे समझौता कर लेता परन्तु बाद में उनकी भूमि छीनकर उन्हें देश से निर्वासित कर देता। कई सामन्त जयपुर और बीकानेर राज्यों में शरण ले चुके थे।^{१४६} नीमाज, आउवा और राठ के ठाकुरों को एक बार पुन अपनी जागीरों से भागना पड़ा।^{१४७} इन ठाकुरों ने मानसिंह को गद्दी पर से हटाकर धोकलसिंह को शासक बनाने का पडव्यन्त्र रचा।^{१४८} जयपुर-शासक का सरक्षण

पाकर, उन्होंने जुलाई १८२८ तक दस हजार की फौज एकत्र कर ली। १५४ मानसिंह और उसका मन्त्री लाडूनाथ इस मत के थे कि सामंतों के विद्रोह के पीछे अंग्रेजों का हाथ था। १५० अतः उन्होंने पंजाब के शासक रणजीतसिंह से सहायता की प्रार्थना की। १५१ मानसिंह द्वारा किसी अन्य राज्य के साथ प्रत्यक्ष पत्र-व्यवहार से अंग्रेज दुग्ध हो उठे। यद्यपि वे जानते थे कि रणजीतसिंह उनकी सधि की अवज्ञा कर मानसिंह को सहायता नहीं देगा १५२ तो भी वे धोक्लसिंह का पक्ष लेकर सामंतों के विद्रोह को अनदेखा नहीं कर सकते थे। १५३ अतः उन्होंने मानसिंह को बाध्य किया कि ठाकुरों से अपने मतभेद को ब्रिटिश मध्यस्थता और निर्णय के लिए प्रेषित करे। १५४ मानसिंह ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए जो तैयारियाँ की थी वे फालतू गयीं। उसे अपने विद्रोही सामंतों को जागीरें, पद एवं अन्य सुविधाएँ पुनः लौटानी पड़ी। १५५

अब मानसिंह अंग्रेजों का खुला विरोधी हो गया। उसने १८२६ में अपना साहिब भोसले को अंग्रेजी कोष की परवाह न करते हुए भी, अपने यहाँ शरण दी। १५६ नाथ गुट को जिससे अंग्रेज अत्यन्त अप्रसन्न थे, उसने न सिर्फ़ सरक्षण प्रदान किया बल्कि राज्य की छाय का पाँचवाँ भाग नाथ गुट के लोगों को दिया जाने लगा। १५७ रणजीतसिंह से वह लगातार पत्र-व्यवहार करता रहा। अंग्रेजों ने इसे सधि का उल्लंघन माना तो भी उसने परवाह नहीं की। १५८ सिरोंही और अजमेर की सीमा पर उसने अपने लोगों को प्रोत्साहित कर उन प्रदेशों में लूट-पाट करने वालों को शरण दी। १५९ १८३२ में विलियम बेंटिक ने सभी शासकों का सम्मेलन बुलाया। वह उपस्थित नहीं हुआ। १६० चार पारकर में अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु वह अपनी सेना में खोखरा जाति के लोगों को भर्ती करने लगा तो अंग्रेजों को सन्देह हुआ कि वह उनके विरुद्ध सैनिक तैयारियाँ कर रहा है। १६१ सितम्बर १८३२ में अंग्रेजों ने सधि की शर्तों के अन्तर्गत १५०० अश्वारोहियों को खोखरा जाति के विरुद्ध भेजने को लिखा। १६२ पहले तो उसने नहीं भेजा बाद में अधिक दबाव आने पर लोढा रिडमल और महणोत रामदास के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी भेजी, जो सकटावस्या में शत्रु से मिल गयी। १६३ अंग्रेजों के लिए मानसिंह का आचरण असहनीय था। जब मानसिंह ने लगातार कर देना भी बन्द कर दिया तो अजमेर स्थित पोलिटिकल एजेण्ट लोकहाटें ने मानसिंह की स्थिति की गंभीरता बताया पर मानसिंह ने कोई धन-राशि नहीं भेजी। १६४ पोलिटिकल एजेण्ट ने मानसिंह को बार-बार आगाह किया कि किशनगढ़ क्षेत्र में होने वाली लूटमार के लोग उसके राज्य में आकर शरण लेते हैं, अतः वह इन्हे रोके १६५ और ठगी प्रथा को अपने राज्य में अवैध घोषित करे। १६६ परन्तु महाराजा पर इन धमकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने इनका कोई प्रत्युत्तर भी नहीं दिया। १६७ सिर्फ़ मई १८३३ में बकाया कर की कुछ राशि भिजवा दी। १६८ दूसरी ओर उसने अजमेर के डा० मोटले के हत्यारों को अपने यहाँ शरण देकर अंग्रेजों के रोष को और बढ़ा दिया। १६९

जोधपुर के शासक के सर्वोच्चसत्ता-विरोधी आचरण से अजमेर में उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का विचार होने लगा ।^{१७०} फिर भी पोलिटिकल एजेंट एलवेस ने मानसिंह को सम्बन्ध सुधारने के लिए एक बार अवसर देने का निश्चय किया । मानसिंह ने अपना प्रतिनिधि मण्डल अजमेर भेजा ।^{१७१} इस दल में व्यास अमोपराम, रीया के ठाकुर और युनगदा के ठाकुर सम्मिलित थे । यह दल एलवेस से ५ अगस्त, १८३४ को अजमेर में मिला ।^{१७२} यात्रा के दौरान एलवेस यह अनुभव करने लगा कि यह दल शक्ति हीन ही नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं रखता था ।^{१७३} अतः उसने एक रोप भरा पत्र मानसिंह को लिखा और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं के निवारण के लिए उसने उचित कार्यवाही नहीं की तो ब्रिटिश सरकार को बाध्य होकर उसे पदच्युत करना पड़ेगा और उसके स्थान पर थोबलसिंह को मारवाड का राज्य सौंप दिया जाएगा ।^{१७४} मानसिंह ने दिसम्बर में खीवसर ठाकुर रणजीतसिंह के नेतृत्व में दूसरा दल भेजा ।^{१७५} यह दल २६ दिसम्बर को एलवेस से मिला ।^{१७६} ८ अक्टूबर को उसने उन सभी शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये, जो एलवेस ने रखी थी ।^{१७७}

इस समझौते के अनुसार^{१७८} मानसिंह ने यह स्वीकार किया कि वह—

- (१) किशनगढ़, सिरौही और जैसलमेर प्रदेशों में हुई डकैती की क्षति पूर्ति देगा ।
- (२) ठगी प्रथा को अपने राज्य में अर्धव्यथ पोषित करेगा ।
- (३) डा० मोटले के हत्यारे को ब्रिटिश सरकार को सौंप देगा एवं उसके यहाँ हुई डकैती की क्षतिपूर्ति देगा ।
- (४) सिरौही में सीमा पर हुई डकैती की क्षतिपूर्ति के रूप में १० से १२ लाख रुपये देगा । परन्तु उस धनराशि में से धनराशि काट ली जाएगी जो उसे सिरौही के शासक की ओर से देय थी ।
- (५) पिछले बुरे आचरण के लिए क्षमायाचना करेगा तथा भविष्य में अग्रजों से अच्छा व्यवहार करेगा ।
- (६) अजमेर में जोधपुर के विरुद्ध सैनिक तैयारियों के लिए जो खर्च हुआ, उसकी मद में पाँच लाख रुपये चार महीनों के भीतर-भीतर देगा और
- (७) भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अग्रजों को अच्छे अग्रवारोही सैनिकों की टुकड़ी भेजेगा ।

ठाकुर रणजीतसिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर कर जोधपुर शासक को वचनबद्ध कर दिया परन्तु अग्रज मानसिंह के प्रति सशक बने रहे । अतः उसकी स्थिति पर कड़ा नियंत्रण करने एवं समझौते की शर्तों के पालन हेतु ब्रिटिश सरकार ने बाडमेर में एक सैनिक छावनी की स्थापना की ।^{१७८} महाराजा पर दृढ़ित क्षतिपूर्ति की लगातार अदायगी की जमानत के रूप में साँभर की नमक भौल पर अधिकार कर लिया ।^{१७९} मेरवाडा का क्षेत्र, जिसे आठ वर्ष के लिए अग्रजों ने अपनी अधीनता में लिया था अक्टूबर १८३५ से ६ वर्ष के लिए बड़ा लिया ।^{१८०} दिसम्बर में

ऐरनपुर में एक अन्य सैनिक छावनी स्थापित कर 'मारवाड लीजन' का संगठन किया, जिसका खर्चा १,१५,००० रुपये वार्षिक जोधपुर के शासक पर डाला गया।^{१५२}

१८३५ में इंग्लैंड के मलबोर्न मंत्रिमण्डल के समक्ष मध्यपूर्व की समस्या प्रत्यन्त उग्र होने लगी। अफगानिस्तान में ब्रिटेन और रूस के स्वार्थों का टकराव के कारण उक्त समस्या उत्पन्न हुई थी। मलबोर्न उग्रवादी विदेशी नीति का समर्थक नहीं था। परन्तु भारत में गवर्नर-जनरल लार्ड विलियम बेंटिंक की नीति उसके विपरीत थी। वह यह चाहता था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, सिंध नदी और पश्चिमी पहाड़ियों—किरथर, सुलेमान एव हिन्दूकुश तक होनी चाहिए। इस नीति का परिणाम न सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि रूस से खुली लड़ाई थी अतः मंत्रिमण्डल ने सितम्बर १८३५ में विलियम बेंटिंक को पदच्युत कर दिया उसका स्थान सर चार्ल्स मैटवॉफ ने लिया। यह मार्च १८३६ तक गवर्नर-जनरल बना रहा। फिर लार्ड ब्रॉकलैण्ड को इस पद पर नियुक्त किया गया। नये गवर्नर-जनरल ने लार्ड विलियम बेंटिंक की सीमान्त नीति का ही अनुकरण किया।^{१५३}

ब्रॉकलैण्ड ने शीघ्र ही 'वैज्ञानिक सीमा' की नीति को कार्यान्वित किया। सिंध और अफगानिस्तान के विरुद्ध सैनिक अभियानों के लिए उसने मारवाड को प्राधार-क्षेत्र बनाने का निश्चय किया। १८१८ की संधि के अनुसार जोधपुर-शासक अंग्रेजों के अधीनस्थ शासक हो चुका था अतः उसकी दृष्टि में यह कार्य संधि के अनुकूल था। उसने सितम्बर १८३६ में मालानी, मारवाड के पश्चिमी भाग को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया और वहाँ सैनिक केंद्र स्थापित कर दिये।^{१५४} इस सेना के खर्च के लिए नावा, गुडा, डोडवाना और मारोठ के नमक उत्पादक क्षेत्र पर भी प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना कर दी।^{१५५} जोधपुर, बीकानेर और जयपुर राज्यों को एक ब्रिटिश अधीशक के अन्तर्गत करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाने लगा।^{१५६} मेजर एलवेस ने गवर्नर जनरल के सचिव मेकनॉटन को सिफारिश की कि मारवाड के राजनैतिक वातावरण से लाहनाय व भीमनाय को अनिवार्य रूप से पृथक् कर देना चाहिए क्योंकि वे दोनों मानसिंह के अंग्रेज विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं।^{१५७}

मानसिंह ने अंग्रेजों की इस नीति का घोर विरोध किया। मालानी और अन्य क्षेत्रों पर अचानक बाह्य अधिभार उसके लिए असहनीय था। अंग्रेजों की यह नीति एक तरफ ही नहीं थी बल्कि मारवाड के आन्तरिक क्षेत्र में खुला हस्तक्षेप था तथा उससे मारवाड की भाव पर भी काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।^{१५८} अंग्रेजों ने उसके प्रतिरोध को सुना-अनसुना कर दिया। इस पर मानसिंह ने भारत में अंग्रेज विरोधी असन्नुष्ट तत्वों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए योजना तैयार की।^{१५९}

इसी बीच जोधपुर के प्रशासन में सुधार करने हेतु गवर्नर-जनरल लार्ड ब्रॉकलैण्ड ने ब्रजमेर के पोलिटिकल एजेण्ड एलमेस को आदेश दिया कि वह जोधपुर पर

जोधपुर के शासक के सर्वोच्चसत्ता-विरोधी आचरण से अजमेर में उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का विचार होने लगा ।^{१७०} फिर भी पोलिटिकल एजेंट एलवेस ने मानसिंह को सम्बन्ध सुधारने के लिए एव वार भ्रवसर देने का निश्चय किया । मानसिंह ने अपना प्रतिनिधि मण्डल अजमेर भेजा ।^{१७१} इस दल में व्यास अनोवराम, रीयाँ के ठाकुर और बुनन्दा के ठाकुर सम्मिलित थे । यह दल एलवेस से ५ अगस्त, १८३४ को अजमेर में मिला ।^{१७२} वार्ता के दौरान एलवेस यह अनुभव करने लगा कि यह दल शक्ति हीन ही नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं रखता था ।^{१७३} अतः उसने एक रोप भरा पत्र मानसिंह को लिखा और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं के निवारण के लिए उसने उचित कार्यवाही नहीं की तो ब्रिटिश सरकार को बाध्य होकर उसे पदच्युत करना पड़ेगा और उसके स्थान पर घोंकलसिंह को मारवाड़ का राज्य सौंप दिया जाएगा ।^{१७४} मानसिंह ने सितम्बर में खीवसर ठाकुर रणजीतसिंह के नेतृत्व में दूसरा दल भेजा ।^{१७५} यह दल २६ सितम्बर को एलवेस से मिला ।^{१७६} ८ अक्टूबर को उसने उन सभी शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये, जो एलवेस ने रखी थी ।^{१७७}

इस समझौते के अनुसार^{१७८} मानसिंह ने यह स्वीकार किया कि वह—

- (१) किशनगढ़, सिरौही और जैसलमेर प्रदेशों में हुई उर्ध्वती की क्षतिपूर्ति देगा ।
- (२) ठगो प्रथा को अपने राज्य में अवैध घोषित करेगा ।
- (३) डा० मोटले के हत्यारे को ब्रिटिश सरकार को सौंप देगा एवं उसके यहाँ हुई डकेती की क्षतिपूर्ति देगा ।
- (४) सिरौही में सीमा पर हुई डकेती की क्षतिपूर्ति के रूप में १० से १२ लाख रुपये देगा । परन्तु उस घनराशि में से घनराशि काट ली जाएगी जो उसे सिरौही के शासक की ओर से देय थी ।
- (५) पिछले बुरे आचरण के लिए क्षमायाचना करेगा तथा भविष्य में अश्रेष्ठों से अशुभ व्यवहार करेगा ।
- (६) अजमेर में जोधपुर के विरुद्ध सैनिक तैयारियों के लिए जो खर्च हुआ, उसकी मद में पाँच लाख रुपये चार महीनों के भीतर-भीतर देगा और
- (७) भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अश्रेष्ठों को अच्छे अश्वारोही सैनिकों की टुकड़ी भेजेगा ।

ठाकुर रणजीतसिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर कर जोधपुर शासक को वचनबद्ध कर दिया परन्तु अश्रेष्ठ मानसिंह के प्रति संशक बने रहे । अतः उसकी स्थिति पर कड़ा नियंत्रण करने एव समझौते की शर्तों के पालन हेतु ब्रिटिश सरकार ने बाडमेर में एक सैनिक छावनी की स्थापना की ।^{१७८} महाराजा पर दडित क्षतिपूर्ति की लगातार अदायगी की जमानत के रूप में सईमर की नमक झील पर अधिकार कर लिया ।^{१७९} मेरवाड़ा का क्षेत्र, जिसे आठ वर्ष के लिए अश्रेष्ठों ने अपनी अधीनता में लिया था अक्टूबर १८३५ से ६ वर्ष के लिए बड़ा लिया ।^{१८०} दिसम्बर में

ऐरनपुर में एक अन्य सैनिक छावनी स्थापित कर 'मारवाड लीजन' का समठन किया, जिसका खर्च १,१५,००० रुपया वार्षिक जोधपुर के शासक पर डाला गया।^{१५२}

१८३५ में इंग्लैंड के मेलबोर्न मंत्रिमण्डल के समक्ष मध्यपूर्व की समस्या अत्यन्त उग्र होने लगी। अफगानिस्तान में ब्रिटेन और रूस के स्वार्थी का टकराव के कारण उक्त समस्या उत्पन्न हुई थी। मेलबोर्न उग्रवादी विदेशी नीति का समर्थक नहीं था। परन्तु भारत में गवर्नर-जनरल लार्ड विलियम बेंटिक की नीति उसके विपरीत थी। वह यह चाहता था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, सिंध नदी और पश्चिमी पहाड़ियों—किरथर, सुलेमान एव हिन्दूकुश तक होनी चाहिए। इस नीति का परिणाम न सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि रूस से खुली लड़ाई थी अतः मंत्रिमण्डल ने सितम्बर १८३५ में विलियम बेंटिक को पदच्युत कर दिया उसका स्थान सर चार्ल्स गैंटकॉफ ने लिया। यह मार्च १८३६ तक गवर्नर-जनरल बना रहा। फिर लार्ड ऑकलैंड को इस पद पर नियुक्त किया गया। नये गवर्नर-जनरल ने लार्ड विलियम बेंटिक की सीमान्त नीति का ही अनुकरण किया।^{१५३}

ऑकलैंड ने शीघ्र ही 'वैज्ञानिक सीमा' की नीति को कार्यान्वित किया। सिंध और अफगानिस्तान के विरुद्ध सैनिक अभियानों के लिए उसने मारवाड को प्राधार-क्षेत्र बनाने का निश्चय किया। १८१८ की संधि के अनुसार जोधपुर-शासक अंग्रेजों के अधीनस्थ शासक हो चुका था अतः उसकी दृष्टि में यह कार्य संधि के अनुकूल था। उसने सितम्बर १८३६ में मालानी, मारवाड के पश्चिमी भाग को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया और वहाँ सैनिक केन्द्र स्थापित कर दिये।^{१५४} इस सेना के खर्चों के लिए नावा, गुडा, डीडवाना और मारोठ के नमक उत्पादक क्षेत्र पर भी प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना कर दी।^{१५५} जोधपुर, बीकानेर और जयपुर राज्यों को एक ब्रिटिश अधीक्षक के अन्तर्गत करने के धारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाने लगा।^{१५६} मेजर एलवेस ने गवर्नर जनरल के सचिव मेकनॉटन को सिफारिश की कि मारवाड के राजनैतिक वातावरण से लाडूनाथ व भीमनाथ को अनिवार्य रूप से पृथक् कर देना चाहिए क्योंकि वे दोनों मानसिंह के अंग्रेज विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं।^{१५७}

मानसिंह ने अंग्रेजों की इस नीति का घोर विरोध किया। मालानी और अन्य क्षेत्रों पर अचानक बाह्य अधिभार उसके लिए असहनीय था। अंग्रेजों की यह नीति एक तरफ ही नहीं थी बल्कि मारवाड के आन्तरिक क्षेत्र में खुला हस्तक्षेप था तथा उससे मारवाड की प्राय पर भी काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।^{१५८} अंग्रेजों ने उसके प्रतिरोध को सुना-अनसुना कर दिया। इस पर मानसिंह ने भारत में अंग्रेज विरोधी असन्तुष्ट तत्वों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए योजना तैयार की।^{१५९}

इसी बीच जोधपुर के प्रशासन में सुधार करने हेतु गवर्नर-जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने अजमेर के पोलिटिकल एजेण्ड एलभेस को आदेश दिया कि वह जोधपुर पर

जोधपुर के शासक के सर्वोच्चसत्ता-विरोधी आचरण से अजमेर में उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का विचार होने लगा । १७०० फिर भी पोलिटिकल एजेंट एलवेस ने मानसिंह को सम्बन्ध सुधारने के लिए एक बार अवसर देने का निश्चय किया । मानसिंह ने अपना प्रतिनिधि मण्डल अजमेर भेजा । १७०१ इस दल में व्यास धनोपराम, रीयाँ के ठाकुर और बुनन्दा के ठाकुर सम्मिलित थे । यह दल एलवेस से ५ अगस्त, १६३४ को अजमेर में मिला । १७०२ वार्ता के दौरान एलवेस यह अनुभव करने लगा कि यह दल शक्ति हीन ही नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं रखता था । १७०३ अतः उसने एक रोप भरा पत्र मानसिंह को लिखा और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं के निवारण के लिए उसने उचित कार्यवाही नहीं की तो ब्रिटिश सरकार को बाध्य होकर उसे पदच्युत करना पड़ेगा और उसके स्थान पर धोकलसिंह को मारवाड़ का राज्य सौंप दिया जाएगा । १७०४ मानसिंह ने १० सितम्बर में खीबसर ठाकुर रणजीतसिंह के नेतृत्व में दूमरा दल भेजा । १७०५ यह दल २६ सितम्बर को एलवेस से मिला । १७०६ ८ अक्टूबर को उसने उन सभी शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये, जो एलवेस ने रखी थी । १७०७

इस समझौते के अनुसार १७०८ मानसिंह ने यह स्वीकार किया कि वह —

- (१) किशनगढ़, सिरोही और जैसलमेर प्रदेशों में हुई डकैती की क्षति पूर्ति देगा ।
- (२) ठगी प्रथा को अपने राज्य में अवैध घोषित करेगा ।
- (३) डा० मोटले के हत्यारे को ब्रिटिश सरकार को सौंप देगा एवं उसके यहाँ हुई डकैती की क्षतिपूर्ति देगा ।
- (४) सिरोही में सीमा पर हुई डकैती की क्षतिपूर्ति के रूप में १० से १२ लाख रुपये देगा । परन्तु उस धनराशि में से धनराशि काट ली जाएगी जो उसे सिरोही के शासक की ओर से देय थी ।
- (५) पिछले बुरे आचरण के लिए क्षमायाचना करेगा तथा भविष्य में अग्रजों से अच्छा व्यवहार करेगा ।
- (६) अजमेर में जोधपुर के विरुद्ध सैनिक तैयारियों के लिए जो खर्च हुआ, उसकी मद में पाँच लाख रुपये चार महीनों के भीतर-भीतर देगा और
- (७) भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अग्रजों को अच्छे अश्वारोही सैनिकों की टुकड़ी भेजेगा ।

ठाकुर रणजीतसिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर कर जोधपुर शासक को वचनबद्ध कर दिया परन्तु अग्रज मानसिंह के प्रति सशक बने रहे । अतः उसकी स्थिति पर कड़ा नियंत्रण करने एवं समझौते की शर्तों के पालन हेतु ब्रिटिश सरकार ने बाडमेर में एक सैनिक छावनी की स्थापना की । १७०६ महाराजा पर दडित क्षतिपूर्ति की लगातार अदायगी की जमानत के रूप में साँभर की नमक भील पर अधिकार कर लिया । १७०७ मेरवाड़ा का क्षेत्र, जिसे आठ वर्षों के लिए अग्रजों ने अपनी अधीनता में लिया था अक्टूबर १६३५ से ६ वर्षों के लिए बड़ा लिया । १७०९ दिसम्बर में

ऐरनपुर में एक अन्य सैनिक छावनी स्थापित कर 'मारवाड सीजन' का संगठन किया, जिसका खर्च १,१५,००० रुपये वार्षिक जोधपुर के शासक पर डाला गया ।^{१८२}

१८३५ में इंग्लैंड के मेलबोर्न मंत्रिमण्डल के समझ मध्यपूर्व की समस्या प्रत्यन्त उग्र होने लगी । अफगानिस्तान में ब्रिटेन और रूस के स्वार्थों का टकराव के कारण उक्त समस्या उत्पन्न हुई थी । मेलबोर्न उपवादी विदेशी नीति का समर्थक नहीं था । परन्तु भारत में गवर्नर-जनरल लार्ड विलियम बेंटिंक की नीति उसके विपरीत थी । वह यह चाहता था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, सिंध नदी और पश्चिमी पहाड़ियों—किरसर, सुलेमान एव हिन्दूकुश तक होनी चाहिए । इस नीति का परिणाम न सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि रूस से खुली लड़ाई थी अतः मंत्रिमण्डल ने सितम्बर १८३५ में विलियम वेन्टिंक को पदच्युत कर दिया उसका स्थान सर चार्ल्स मैटकॉफ ने लिया । यह मार्च १८३६ तक गवर्नर-जनरल बना रहा । फिर लार्ड प्रॉकलैण्ड को इस पद पर नियुक्त किया गया । नये गवर्नर-जनरल ने लार्ड विलियम वेन्टिंक की सीमान्त नीति का ही अनुकरण किया ।^{१८३}

प्रॉकलैण्ड ने शीघ्र ही 'वैज्ञानिक सीमा' की नीति को कार्यान्वित किया । सिंध और अफगानिस्तान के विरुद्ध सैनिक अभियानों के लिए उसने मारवाड को आधार-क्षेत्र बनाने का निश्चय किया । १८१८ की संधि के अनुसार जोधपुर शासक अंग्रेजों के अधीनस्थ शासक हो चुका था अतः उसकी दृष्टि में यह कार्य संधि के अनुकूल था । उसने सितम्बर १८३६ में मालानी, मारवाड के पश्चिमी भाग को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया और वहाँ सैनिक केन्द्र स्थापित कर दिये ।^{१८४} इस सेना के खर्च के लिए नावाँ, गुडा, डीडवाना और भारोठ के नमक उत्पादक क्षेत्र पर भी प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना कर दी ।^{१८५} जोधपुर, बीकानेर और जयपुर राज्यों को एक ब्रिटिश अधीनस्थ के अन्तर्गत करने के धारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाने लगा ।^{१८६} मेजर एलबेस ने गवर्नर जनरल के सचिव मेकनाटन को सिफारिश की कि मारवाड के राजनैतिक वातावरण से लाहूनाय व भीमनाय को अनिर्धार्य रूप से पृथक् कर देना चाहिए क्योंकि वे दोनों मानसिंह के अंग्रेज विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं ।^{१८७}

मानसिंह ने अंग्रेजों की इस नीति का घोर विरोध किया । मालानी और अन्य क्षेत्रों पर अचानक बाह्य अधिकार उसके लिए असहनीय था । अंग्रेजों की यह नीति एक तरफ ही नहीं थी बल्कि मारवाड के आन्तरिक क्षेत्र में खुला हस्तक्षेप था तथा उससे मारवाड की भाय पर भी काफी प्रतिभूत प्रभाव पड़ रहा था ।^{१८८} अंग्रेजों ने उसके प्रतिरोध को सुना अनसुना कर दिया । इस पर मानसिंह ने भारत में अंग्रेज विरोधी असन्तुष्ट तत्वों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें उल्लास फैलाने के लिए योजना तैयार की ।^{१८९}

इसी बीच जोधपुर के प्रशासन में सुधार करने हेतु गवर्नर-जनरल लार्ड प्रॉकलैण्ड ने अजमेर के पोलिटिकल एजेण्ड एलबेस को आदेश दिया कि वह जोधपुर पर

आक्रमण करे और महाराजा को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर तथा उसके स्थान पर धोबलसिंह को या उसके नवजात शिशु को शासक बनाए । १६० एलवेस बीमार होने के कारण जोधपुर पर आक्रमण नहीं कर सका । माघ १५, १८३६ को उसके स्थान पर कर्नल सदरलैण्ड नया पोलिटिकल एजेण्ट नियुक्त किया गया । १६१ वह इस उद्देश्य से जोधपुर पहुँचा कि महाराजा से ब्रिटिश माँगो के बारे में वार्ता करे । १६२ इसके अलावा वह मानसिंह पर इस बात के लिए भी डालना चाहता था कि दोस्त मोहम्मद के विरुद्ध वह शाहशुजा की मदद करे । १६३

वह ३ अप्रैल १८३६ को जोधपुर पहुँचा और ४ अप्रैल को वार्ता प्रारम्भ हुई । सदरलैण्ड ने महाराजा के सामने माँगो का विवरण प्रेषित किया । १६४ इसके अनुसार—

१. पाच वर्ष का बकाया कर व तीन वर्ष का सवार खर्च दिया जाए ।
२. राज्य के प्रमुख ठाकुरों को उनके पदों पर पुनः नियुक्त किया जाए तथा उनकी जागीरें लौटायी जाएँ ।
३. राज्य के मन्त्रिमण्डल से उन लोगों को हटाया जाए जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हों । १६५

वार्ता आठ दिन तक चलती रही परन्तु मानसिंह ने किसी भी माँग पर स्वीकृति प्रदान नहीं की । १६६ वार्ता चल ही रही थी कि सदरलैण्ड को यिलोधवी से सूचना प्राप्त हुई कि भारत के देशी शासकों ने अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक संधि बनाया है, जिसका नेतृत्व मारवाड़ का महाराजा मानसिंह कर रहा है । १६७ सदरलैण्ड को पहले तो विश्वास नहीं हुआ परन्तु जब उसके रहते नेपाल का राजदूत जोधपुर आया और मानसिंह ने जिस आदर-सरकार के साथ उसकी धावभगत की उससे सदरलैण्ड को मानसिंह की नीति पर सन्देह होने लगा । १६८ इस पर उसने अप्रैल २५ से महाराजा से वार्ता भंग कर दी । १६९ तत्काल ही उसने धोबलसिंह को जोधपुर की गद्दी देने का निश्चय किया परन्तु इसके लिए वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं था । २०० उसने ८ जून को जोधपुर से प्रस्थान किया और १४ जून के एक पत्र में उसने महाराजा को सूचना भेजी कि उसने महाराजा के वकील को बर्खास्त कर दिया है २०१ क्योंकि उसने ब्रिटिश सरकार की माँगों को पूर्ति नहीं कर संधि का उल्लंघन किया है । इसलिए उसके प्रदेश को ब्रिटिश सुरक्षा नहीं दी जा सकती है । २०२

गवर्नर जनरल के आदेश प्राप्त होने के बाद, २०३ सदरलैण्ड ने अगस्त १७ को जोधपुर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । २०४ २८ अगस्त को १००० अश्वारोहियों ३००० पैदल सैनिकों और १२ युद्ध तोपों के साथ त्रिगैडियर रोश के नेतृत्व में उसने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया । २०५ मार्ग में असतुष्ट सामन्त १५०० सैनिकों के साथ उससे मिल गये । २०६ महाराजा ने इस आक्रमण का सामना करने के लिए नगर के मेडतिया द्वार के बाहर अपना डेरा डाला । २०७ परन्तु अंग्रेजों की

शक्ति अधिक जानकर उसने बार्ता का माध्यम ग्रहणनाया । २०८ सदरलैंड ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । उसने १६ सितम्बर को जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया । २०९ एक अंग्रेज सेना वहाँ पर रख दी गयी । २१०

महाराजा ने पूर्ण आत्म-समर्पण कर दिया । २११ सदरलैंड के आदेशों पर मानसिंह ने अरनी सरकार का पुनः संगठन किया । नाथों को प्रशासन से हटा दिया गया । क्षुब्ध सामंतों को पुनः विश्वास में ले लिया गया तथा जोधपुर स्थित पोलिटिकल एजेंट की राम से शासन करने का वचन दिया । २१२ सदरलैंड ने लडलो को जोधपुर का पोलिटिकल एजेंट नियुक्त २१३ किया और उसकी सेवा में एक अंग्रेजी सेना रखकर सदरलैंड ४ दिसम्बर को अजमेर चला आया । २१४ जब वह २५ फरवरी १८४० को जोधपुर वापिस आया २१५ तो महाराजा के आचरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाया । २१६ अतः उसने २८ फरवरी को जोधपुर का किला उसे वापिस दे दिया । २१७

नये शासन ने, जो कि लडलो की राय से कार्य करता था, नाथों का देश से निष्कासन कर दिया । इससे मानसिंह को अत्यन्त पीडा हुई । वह उनसे गुप्त पत्र-व्यवहार करता रहा और यह प्रयास करता रहा कि जोधपुर में उनका प्रभाव पुनः स्थापित हो सके । २१८ लडलो बार बार इसका विरोध करता रहा । २१९ पर जब मानसिंह ने इस विरोध की परवाह नहीं की तो पोलिटिकल एजेंट ने दो प्रमुख नाथों को गिरफ्तार कर अजमेर भेज दिया । २२० १८४२ के अन्त में जब मानसिंह को कहा गया कि वह दिल्ली जाकर नाथों की समस्या के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल से बात करे तो यह बहाना बनाकर दिल्ली नहीं गया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है । २२३ यह महाराजा ने अक्वली जामोर पुनः सिंधिया को लौटा देने के आदेश दिये तो लडलो की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी । २२२ १८४३ के प्रारम्भ में महाराजा ने राज्य का सारा कार्य संभालने और नाथों की मुक्ति की घोषणा करने का निश्चय किया । २२१ अंग्रेजों को यह अनुचित लगा । जब मानसिंह को नियंत्रित नहीं किया जा सका तो अंग्रेजी सरकार ने जून १८४३ में उसे गद्दी से हटाकर उसके निकट सम्बन्धी को उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय ले लिया । २२४ परन्तु इसके पूर्व कि यह निर्णय क्रियान्वित हो पाता, मानसिंह की ५ सितम्बर १८४३ को मृत्यु हो गयी । २२५

सन्दर्भ

१. वह रघुजी भोसले के छोटे भाई व्यकोजी मान्या बापू का पुत्र था जिसकी मृत्यु १८११ में बनारस में हुई (पी०आर०सी० ग्रन्थ (५), २१४)
२. पी०आर०सी० (५) २२७, २२६-२३१, नागपुर पर जैकिन्स की रिपोर्ट, पृ० ६८-६९
३. पी०आर०सी० (५) २३२, नागपुर पर जैकिन्स की रिपोर्ट, पृ० ७१-७२
४. पी०आर०सी० (५), २३५
५. उपर्युक्त २३६
६. उपर्युक्त २३६, कलकत्ता गजेटियर (१८१३-१८२३) ग्रन्थ ५, पृ० २५६
- ७-८. पी०आर०सी० (५) २४८
९. हॉकिन्स का स्विण्टन को प्रतिवेदन (गगासिंह के पडयत्र के बारे में) एफ०पी० १६ अप्रैल १८३० न० २५
१०. उपर्युक्त न० २६
११. उपर्युक्त न० २५
१२. मेटकॉफ का ए० स्टॉलिंग, गवर्नर-जनरल का फारसी सचिव, को पत्र, २० सितम्बर १८२६, एफ० पी० २५ अक्टूबर १८२६ न० ४
१३. वी०डी० बसु, 'राईज ऑफ क्रिश्चियन पाँवर इन इंडिया'; ग्रन्थ (४), पृ० ४४०-४४१
१४. हॉकिन्स का स्विण्टन को प्रतिवेदन (गगासिंह के बारे में) एफ० पी० १६ अप्रैल १८३० न० २५ व २६
१५. उपर्युक्त न० २५ व २६
१६. उपर्युक्त न० २६
१७. गवर्नर-जनरल के सचिव से दिल्ली रेजीडेण्ट को पत्र, २३ मई १८२८, एफ० पी० २३ मई १८२८ न० ४१
१८. हॉकिन्स का स्विण्टन को प्रतिवेदन (गगासिंह के बारे में) एफ० पी० १६ अप्रैल १८३० न० २५ व २६
१९. केवेण्डिश से कोलब्रुक को पत्र, १६ मार्च १८२६, एफ०पी० ५ जून १८२६ न० १२
२०. कोलब्रुक से केवेण्डिश को पत्र, २० मई १८२६, एफ०पी० ५ जून १८२६ न० १३
- २१-२२. केवेण्डिश से कोलब्रुक को पत्र, १६ मार्च १८२६ एफ०पी० ५ जून १८२६ न० १२

- २३ केवेण्डिश से कोलब्रुक को पत्र ८ व १३ मई १८२६, एफ०पी० ५ जून १८२६ न० १२ व १३, प्रप्पा साहिब के बारे में मराठी का पत्र, १३ व पन्द्रह अगस्त १८२६, एफ०पी० २८ मई १८३० न० १५
- २४ केवेण्डिश से कोलब्रुक को पत्र, ८ मई १८२६, एफ०पी० ५ जून १८२६ न० १२
- २५ कोलब्रुक से केवेण्डिश को पत्र, १६ मई, १८२६, एफ०पी० ५ जून १८२६ न० १२
- २६ केवेण्डिश से कोलब्रुक को पत्र, ८ मई १८२६, एफ०पी० ५ जून १८२६ न० १२
- २७-२८ उपर्युक्त पत्र, २५ मई, १८२६, एफ०पी० १६ जून १८२६ न० २६ व ११ जून १८२६, एफ०पी० ३ जुलाई १८२६ न० २८
- २९ कोलब्रुक का केवेण्डिश को पत्र, २० मई १८२६, एफ०पी० ५ जून १८२६ न० १३
- ३० कोलब्रुक का स्विण्टन को पत्र २ व ४ जून १८२६, एफ०पी० १६ जून १८२६ न० २६ व २७
- ३१ केवेण्डिश का कोलब्रुक को पत्र, २५ मई १८२६, एफ० पी० १६ जून १८२६ न० २३६
- ३२ ३३ उपर्युक्त
- ३४ केवेण्डिश का मानसिंह को पत्र, ८ मई १८२६, जे०बी०घार०एस० ग्रन्थ ३३ (१६४७) भाग १ व २
- ३५ केवेण्डिश का कोलब्रुक को पत्र, २५ मई १८२६, एफ०पी० १६ जून १८२६ न० २६
- ३६ रेजिस्ट्रार दिल्ली का जोधपुर के पोलिटिकल एजेंट, मेहुता बच्छराज को पत्र, एफ०पी० १६ जून १८२६ न० २६
- ३७ ३८ केवेण्डिश का मा सिंह को पत्र, ८ मई १८२६, जे०बी०घार०एस० ग्रन्थ (३३) (१६४७) भाग १ व २
- ३९ केवेण्डिश का कोलब्रुक को पत्र, २७ मई १८२६, एफ०पी० १६ जून १८२६ न० २७
- ४० उपर्युक्त, ८ जून १८२६ का पत्र, एफ०पी० ३ जुलाई १८२६ न० २५
- ४१ विलसन, ग्रन्थ (६) पृ० ३०६ ३११
- ४२ केवेण्डिश का हॉकिन्स को पत्र, २३ सितम्बर १८२६, एफ०पी० ७ नवम्बर १८२६ न० ३
- ४३ केवेण्डिश का मानसिंह को पत्र, ८ मई १८२६, जे० बी० घार० एस० ग्रन्थ (३३) (१६४७) भाग १ व २, केवेण्डिश का कोलब्रुक को पत्र, २५ मई

१८२६, एफ०पी० १६ जून १८२६ न० २६; रेजीडेण्ट दिल्ली का मेहता बच्छराज को पत्र, ए०पा० १६ जून १८२६

४४. केवेण्डिश का बालब्रुक को पत्र, ८ जून १८२६, एफ०पी० ३ जुलाई १८२६ न० २५ व २० जून १८२६, एफ०पी० ७ अगस्त १८२६ न० ८
४५. केवेण्डिश का हॉकिन्स का पत्र, २३ सितम्बर १८२६ एफ०पी० ७ नवम्बर १८२६, न० ३
- ४७-४८. केवेण्डिश का कोलब्रुक को पत्र, ८ जून १८२६ एफ०पी० ३ जुलाई १८२६ न० २५
४९. केवेण्डिश से बालब्रुक को पत्र, २७ जून १८२६, एफ० पी० २४ जुलाई १८२६ न० १६; अम्पाजी अग्रजों के शत्रु घोषित किये गये थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार भी रखा गया था (पी०आर०सी० (५) २४१)
५०. केवेण्डिश का मानसिंह को पत्र, १२ जून १८२६, जे०बी० आर० एस० ग्रन्थ (३३) (१६४७) भाग १ व २
- ५१-५२. केवेण्डिश का कोलब्रुक को पत्र, २६ जून १८२६, एफ०पी० ३१ जुलाई १८२६ न० ८, बालब्रुक का स्वीण्टन को पत्र, ४ जुलाई १८२६, एफ०पी० २४ जुलाई १८२६, न० २०
५३. अम्पा साहिब के बारे में मराठी पत्र, १४ जुलाई १८२६, एफ० पी० २८ मई १८३० न० १५
५४. हवीवत वही न० २. पृ० २१८
- ५५-५७. केवेण्डिश का हॉकिन्स को पत्र, १० अक्टूबर १८२६, एफ०पी० १३ नवम्बर १८२६ न० ६
५८. केवेण्डिश का हॉकिन्स को पत्र, २३ सितम्बर १८२६, एफ०पी० ७ नवम्बर १८२६ न० ३, हॉकिन्स का मानसिंह को पत्र, २ अक्टूबर १८२६, जे०बी० आर०एस० (३३) (१६४७) भाग १ व २, केवेण्डिश का हॉकिन्स को पत्र, १२ अक्टूबर १८२६ एफ०पी० १३ नवम्बर १८२६ न० ६
- ५९-६७. केवेण्डिश का हॉकिन्स को पत्र, १२ अक्टूबर १८२६, एफ०पी० १३ नवम्बर १८२६ न० ६
६८. जोधपुर में अखबारनवीस की सूचना का सारांश १७ अक्टूबर १८२६ (हॉकिन्स का स्विण्टन को पत्र १० नवम्बर १८२६, एफ०पी० ४ दिसम्बर १८२६ न० १०)
६९. जोधपुर अखबारनवीस की रिपोर्टें १८ व २० अक्टूबर १८२६ का सारांश (हॉकिन्स का स्विण्टन को पत्र, १० नवम्बर १८२६ एफ०पी० ४ दिसम्बर १८२६, न० १०)
- ७०-७१. टोक से अम्पा साहिब के बारे में गुप्त सूचनाएँ, केवेण्डिश का स्विण्टन को पत्र, १२ अक्टूबर १८२६, एफ०पी० १३ नवम्बर १८२६ न० ६

- ७२ केव्हेण्डिश का हॉकिन्स को पत्र, १२ अक्टूबर १८२६, एफ०पी० १३ नवम्बर १८२६ न० ६
- ७३ मानसिंह का गवर्नर-जनरल को पत्र, जो उसे १६ अक्टूबर १८२६ को प्राप्त हुआ, एफ०पी० ७ नवम्बर १८२६ न० ५
७४. मानसिंह का हॉकिन्स को पत्र, जो १६ अक्टूबर १८२६ को मिला : एफ०पी० १३ नवम्बर १८२६ न० ६
- ७५ विलियम बेन्टिक का मानसिंह को पत्र, ६ नवम्बर १८२६, एफ०पी० ७ नवम्बर १८२६ न० ६; स्वीफ्टन का हॉकिन्स को पत्र, ६ नवम्बर १८२६ एफ०पी० ७ नवम्बर १८२६ न० ७
- ७६ केव्हेण्डिश का हॉकिन्स को पत्र, १२ दिसम्बर १८२६, एफ०पी० १५ जनवरी १८३० न० ५
- ७७ मानसिंह का गवर्नर-जनरल को पत्र, जो १ फरवरी १८३० को प्राप्त हुआ, एफ०पी० ५, मार्च १८३० न० ७६
- ७८-७९ केव्हेण्डिश का हॉकिन्स को पत्र, १२ फरवरी १८३० एफ०पी०, १६ फरवरी १८३० न० १६
- ८० ए०एस० गोम, नागपुर रेजीडेण्ट का गवर्नर-जनरल के सचिव को पत्र, १५ सितम्बर १८३२, एफ०पी० २६ अक्टूबर न० १०२, प्रोसीडिंग्स पृ० ४३२
- ८१ एफ०पी० २७ फरवरी १८३३ न० २१
- ८२ ब्रिज, नागपुर में रेजीडेण्ट का गवर्नर-जनरल के सचिव को पत्र, १८ अगस्त १८३४, एफ०पी० ५ सितम्बर १८३४ न० २०
- ८३ उपर्युक्त, नागपुर से जोधपुर की यात्रा करने वाले 'रसीद' प्राप्त पत्रों का अनुवाद, पत्र न० ३, अम्पाजी का अमृतराव को पत्र, १४ जून १८३४, एफ०पी० ५ सितम्बर १८३४ न० २१ (उत्कमण्ड प्रोसीडिंग्स)
- ८४ ए०जी०जी० (अजमेर) का मेकनॉटन को पत्र, २८ जुलाई १८३५, एफ०पी० २४ अगस्त १८३५ न० २२, एलवेन का प्रेसकॉट को पत्र, १० नवम्बर १८३६, एफ०पी० १२ दिसम्बर १८३६ न० १३
- ८५ ए०जी०जी० (अजमेर) का मेकनॉटन को पत्र, २८ जुलाई १८३५, एफ०पी० २४ अगस्त १८३५ न० २२
- ८६ एलवेस का आर० स्कॉट को पत्र, १७ जुलाई १८३८, इसमें जोधपुर वकील की १३ जुलाई १८३६ की लिखी अर्जी है, एफ०एस० अगस्त २२, १८३८ न० ३६
- ८७ गवर्नर जनरल के सचिव का आर० स्कॉट को पत्र, १० अप्रैल १८३७, एफ०पी० १० अप्रैल १८३७ न० ६१
- ८८ एलवेस का मेकनॉटन को पत्र, १७ जुलाई १८३८, एफ०एस० २२ अगस्त १८३८ न० ३६

- ८६ उपयुक्त, १६ जून १८३८ का पत्र, एफ०एम० १२ सितम्बर १८३८ न० २६, १२ सितम्बर १८३८, एफ०पी० २३ जनवरी १८३६ न० २५ और १५ सितम्बर १८३८ ए०पी०, ३ अक्टूबर १८३८ न० १४७
- ८७ एलवेस का मेकनॉटन को पत्र, ६ अक्टूबर १८३८, एफ०पी० २३ जनवरी १८३६ न० २७
- ८८ उपयुक्त पत्र दि १७ जुलाई १८३८ जिममे जोधपुर से मिर्जा मोहिलाह की १२ जलाई १८३८ की सूचना है । एफ०एम० २२ अगस्त १८३८ न० ३६
- ८९ उपयुक्त, पत्र दि ६ अक्टूबर १८३८ एफ०सी० २३ जनवरी १८३६ न० २७
- ९० उपयुक्त, पत्र दि १२ सितम्बर १८३८ एफ०पी० २२ जनवरी १८३६ न० २६, ६ अक्टूबर १८३८, एफ०पी० २३ जनवरी १८३६ न० २७, २२ अक्टूबर १८३८ एफ०पी० २३ जनवरी १८३६ न० ३१
- ९१ मेकनॉटन का एलवेस को पत्र, २२ अक्टूबर १८३८, एफ०पी० २३ जनवरी १८३८ न० २६
- ९२ एलवेस का टोरेस को पत्र, २२ दिसम्बर १८३८, एफ०पी० ३ अप्रैल १८३६ न० ४८१
- ९३ एलवेस का मेकनॉटन को पत्र, १५ नवम्बर १८३८, एफ० २३ जनवरी १८३६ न० ३३
- ९४ मेकनॉटन का एलवेस को पत्र, २२ अक्टूबर १८३८, एफ०पी० २३ जनवरी १८३८ न० २६
- ९५ सदरलैण्ड का मानसिंह को पत्र, २६ अप्रैल १८३६ जे०बो०आर०एम० ग्रन्थ (३३) (१६४७) भाग १ व २, वेडॉक का सदरलैण्ड को पत्र २३ मई १८३६, एफ० पी० ७, अगस्त १८३६ न० ३०
- ९६ सदरलैण्ड का वेडॉक को पत्र ३ मई १८३६ (अपना साहिब-सदरलैण्ड पत्र व्यवहार की प्रतिलिपिवाँ एफ०पी० १६ जून १८३६ न० २५)
१००. उपयुक्त पत्र दि ६ जून १८३६, एफ०पी० २१ अगस्त १८३६ न० ६८, प्रोसार्डिङ्ग पृ० ८७ ८८
१०१. मई १८३६ को डा० रसेन को बीमार अपना साहिब का इलाज करने भेजा गया ।
- १०२ सदरलैण्ड का टॉरेस को पत्र, १८ जुलाई १८४०, एफ०पी० ३ अगस्त १८४० न० १२३
- १०३ सदरलैण्ड का मानसिंह को पत्र, १४ जून १८३६, एफ०पी० २४ जुलाई १८३६ न० ३६
- १०४ देखिए इसी अध्याय का खण्ड ३
- १०५ सदरलैण्ड का वेडॉक को पत्र, २६ दिसम्बर १८३६, एफ०पी० १२ फरवरी १८४० न० ४७

१०६. बेडॉक का सदरलैण्ड को पत्र, १० जून १८३६, एफ०पी० २१ अगस्त १८३६ न० ६७; सदरलैण्ड का बेडॉक को पत्र, २६ दिसम्बर १८३६, एफ० पी० १२ फरवरी १८४० न० ४२
१०७. उपर्युक्त, दिनांक को सदरलैण्ड का बेडॉक को पत्र
१०८. सदरलैण्ड का हेमिल्टन को पत्र, २ मार्च १८४०, एफ०पी० २३ मार्च १८४० न० ५७
- १०९-११०. लडलो का सदरलैण्ड को पत्र, २६ मार्च १८४६, एफ० पी० २७ अप्रैल १८४० नं० ३२
- १११-११२ उपर्युक्त, पत्र दि० १५ जुलाई १८४०, साय में सदरलैण्ड का टॉरिन्स को १८ जुलाई १८४० को पत्र, एफ० पी० ३ अगस्त १८४० नं० १२३
११३. बेडॉक का सदरलैण्ड को पत्र, १६ जुलाई १८४२, आर० ए० ओ० फाइल न० २८, जोधपुर, १८४२ पृ० १-२
११४. सदरलैण्ड का बेडॉक को पत्र, २६ जुलाई १८४२ आर० ए० ओ० फाइल न० २८, जोधपुर १८४२, पृ० ३-७
११५. सदरलैण्ड का लडलो को पत्र, २६ जुलाई १८४२ आर० ए० ओ० फाइल न० २८, जोधपुर १८४२, पृ० ७
११६. लडलो का सदरलैण्ड को पत्र, २६ जुलाई १८४२, आर० ए० ओ० फाइल नं० २८, जोधपुर १८४२ पृ० ८-१०
- ११७ लडलो का सदरलैण्ड को पत्र, २५ जुलाई १८४२—परिशिष्ट नं० १, आर० ए० ओ० फाइल नं० २७, जोधपुर १८४२, पृ० १६, अक्वोली का नाम आज कल एकेली है, जो मेड़ता के दक्षिण में ८ मील पर है।
११८. स्पेयर्स का सदरलैण्ड को पत्र, १४ जनवरी १८४२, आर० ए० ओ० फाइल न० २७, जोधपुर १८४२ पृ० १६
११९. उपर्युक्त एव एक अन्य पत्र ८ जून १८४२, उपर्युक्त भाइल पृ० ६-१०
१२०. लडलो का सदरलैण्ड को पत्र, १६ अप्रैल १८४२ आर० ए० ओ० फाइल नं० २७, जोधपुर १८४२ पृ० ५
- १२१-१२२. उपर्युक्त पत्र दि० २५ जुलाई १८४२, आर० ए० ओ० फाइल नं २७, जोधपुर (१८४२) पृ० १६
१२३. उपर्युक्त ७ सितम्बर १८४२, आर० ए० ओ० फाइल न० २७, जोधपुर १८४२, पृ० ३२
१२४. उपर्युक्त १२ सितम्बर १८४२, आर० ए० ओ० फाइल न० २७, जोधपुर १८४२ पृ० ३५
१२५. ऐषिचशन : ट्रीटी, एनगेजमेण्ट, सनदस, (३) पृ० १२८-१२९
१२६. ऑक्टारलोनी का जे० एडम्स को पत्र, १५ नवम्बर १८८८, एफ० पी० २६ दिसम्बर १८९८ न० ५५

- १२७ उपयुक्त पत्र एव ७ जनवरी १८१६ का पत्र, एक० पी० २६ दिसम्बर १८१८, न० ५५, मारवाड री ख्यात (४) पृ० ८६-६०, विलसन (६) पृ० ३०६-३०७
- १२८ ऑक्टरलोनी का विल्डर को पत्र, ४ दिसम्बर १८१८, एक० पी०, २६ दिसम्बर १८१८, न० ३२
१२९. ऑक्टरलोनी का जे० एडम्स को पत्र, १५ नवम्बर १८१८, एक० पी० २६ दिसम्बर १८१८ न० ५५
१३०. उपयुक्त, पत्र दि० ४ दिसम्बर १८१८, एक० पी० २६ दिसम्बर १८१८ न० ५१
- १३१ ऑक्टरलोनी का विल्डर को पत्र, ४ दिसम्बर १८१८ एक० पी० २६ दिसम्बर १८१८ न० ५२
- १३२ टॉड (२) पृ० १०६४ फुटनोट
- १३३ उपयुक्त, पृ० ८२२ १०६५
- १३४ मारवाड री ख्यात (४) पृ० ६० ६५, टाड (२) पृ० ८३२
- १३५ मारवाड री ख्यात (४) पृ० ६१ ६२, टाड (२) पृ० १०६७, विलसन, (८) पृ० ३०७
१३६. विल्डर का ऑक्टरलोनी को पत्र, २२ फरवरी १८२१, एक० पी० २१ मार्च १८२१ न० १४, मारवाड री ख्यात पृ० ६२-६३, टॉड ग्रन्थ (२), पृ० १०६७ ६६, विलसन (८) पृ० ३०७
- १३७ विलसन (८) पृ० ३०७
- १३८-१३९ मारवाड री ख्यात (४) पृ० ६७ ६८, टॉड (२) पृ० ११००-११०१, विलसन (८) पृ० ३०७
- १४०-१४१ विल्डर का ऑक्टरलोनी को पत्र, २२ फरवरी १८२१, एक० पी० २१ मार्च १८२१, न० १४, मारवाड री ख्यात (४) पृ० ६७ ६८
१४२. मारवाड के सामन्तो का बनल टॉड को पत्र, श्रावण सुदी २ वि० सं० १७७८ ३१ जुलाई १८२१ टॉड (१) पृ० २२८ ३० से उद्धृत
१४३. डब्लू० जे० श्रीगज रिपोर्ट एक० पी० २६ अप्रैल १८४१ न० ७७, प्रोसी-डिग्न, १६ २६ अप्रैल १८४१ न० ८६४ अ० पृ० ३३४-३३६, ऐश्विन ट्रीटीज, ए गेजमेण्ट्स और सनद (३), पृ० १३० १३१
- १४४ व्यास भूग्नराम द्वारा किया गया समझौता, फाल्गुन सुदी २ वि० सं० १८८० । ५ मार्च १८२४ (पी० फी० फाइल न० ७, पत्र ७ जोष०), ऐश्विन ट्रीटीज, ए गेजमेण्ट्स और सनदें (३) पृ० १३२ १३३
- १४५ उपयुक्त
- १४६ मारवाड री ख्यात (४), पृ० १०३, विलसन (६) पृ० ३०८
- १४७ मारवाड री ख्यात (४) पृ० १०३-१०४

१४८. ब्रिज रिपोर्ट : एक० पी० २६ अप्रैल १८४१ न० ७७, प्रोसीडिंज, १६-२६ अप्रैल १८४१ न० ८६४ अ० पृ० ३७७; विल्सन (६) पृ० ३०७; मारवाड री ख्यात (४) पृ० १०३-१०४
- १४९-१५०. ट्रेवलिन का कालबुक को पत्र, ६ अगस्त १८२८, एक० पी० ५, सितम्बर १८२८ न० २०, विल्सन (६) पृ० ३०६
- १५१-१५२, कालबुक का स्वीष्टन को पत्र, अगस्त १८२८, एक० पी० ५ सितम्बर १८२८ न० २०
- १५३-१५४. विल्सन (६) पृ० ३०६
- १५५ मारवाड री ख्यात भाग (४), पृ० १०४, विल्सन (६) पृ० ३११
१५६. देखिए इमी अध्याय का भाग (आ)
१५७. मारवाड री ख्यात (४) पृ० १०५; विल्सन (६) पृ० ३१२; राज्य की वार्षिक आय ३७ लाख रुपये थी, ७ लाख रुपये नाथ गुट को दिये जाने लगे, १२ लाख ठाकुरो की जानीर के लिए, राज्य के लिए २० लाख रुपये रखे जाते थे ।
१५८. मार्टिन का गवर्नर-जनरल के सचिव को पत्र, २४ दिसम्बर १८३१, एक० पी० ३० जनवरी, १८३२ न० ४०; लोकरहाट का गवर्नर-जनरल के सचिव को पत्र, २८ सितम्बर १८३२, एक० पी० २६ नवम्बर १८३२ न० १४
१५९. विल्सन (६), पृ० ३१२
१६०. मानसिंह का स्वीष्टन को पत्र, जो कि उमे ६ अप्रैल १८३२ को प्राप्त हुआ, (एक० पी० ७ मई १८३२ न. ३२); हकीकत यही न० ११ पृ० ३१८, ३२३; मारवाड री ख्यात (४) पृ० १०८-१०९
१६१. लोकरहाट का मेकनॉटन को पत्र, २८ सितम्बर १८३२ एक० पी० २६ नवम्बर १८३२ न० १६
१६२. लोकरहाट का मानसिंह को पत्र, १५ सितम्बर १८३२, एक० एम० २२ अक्टूबर १८३२ न० १०
१६३. मारवाड री ख्यात (४) पृ० १११; विल्सन (६), पृ० ३१२
१६४. लोकरहाट का मानसिंह को पत्र, १५ सितम्बर १८३२, एक० एम० २२ अक्टूबर १८३२ न० १०, विल्सन भाग (६), पृ० ३१२
१६५. वेडॉक का एनवीस को पत्र, २ अगस्त १८५४, एक० पी० २२ अगस्त १८३४ न० १८, विल्सन भाग (६), पृ० ३१२
१६६. उपर्युक्त, एनवीस का मेकनॉटन को पत्र, ११ सितम्बर १८३४, अग० ए० अग० फाइल न० ५, जोधपुर (२) १८३४ पैरा २
१६७. ब्रिज रिपोर्ट, एक० पी २६ अप्रैल १८४१ प्रोसिडिंज १६-२६ अप्रैल १८४१ न० ८६४ अ० पृ० ३४५; मारवाड री ख्यात भाग (४) पृ० १११-११२

१२७. उपर्युक्त पत्र एव ७ जनवरी १८१६ का पत्र, एफ० पी० २६ दिसम्बर १८१८, न० ५५; मारवाड की ख्यात (४) पृ० ८६-९०; विलसन (६) पृ० ३०६-३०७
१२८. डॉक्टरलोनी का विल्डर को पत्र, ४ दिसम्बर १८१८, एफ० पी०, २६ दिसम्बर १८१८, न० ३२
१२९. डॉक्टरलोनी का जे० एडम्स को पत्र, १५ नवम्बर १८१८, एफ० पी० २६ दिसम्बर १८१८ न० ५५
१३०. उपर्युक्त, पत्र दि० ४ दिसम्बर १८१८, एफ० पी० २६ दिसम्बर १८१८ न० ५१
१३१. डॉक्टरलोनी का विल्डर को पत्र, ४ दिसम्बर १८१८ एफ० पी० २६ दिसम्बर १८१८ न० ५२
१३२. टॉड (२) पृ० १०६४ फुटनोट
१३३. उपर्युक्त, पृ० ८२२, १०६५
१३४. मारवाड की ख्यात (४) पृ० ६०-६५, टॉड (२) पृ० ८३२
१३५. मारवाड की ख्यात (४) पृ० ६१-६२, टॉड (२) पृ० १०६७, विलसन, (८) पृ० ३०७
१३६. विल्डर का डॉक्टरलोनी को पत्र, २२ फरवरी १८२१, एफ० पी० २१ मार्च १८२१ न० १४, मारवाड की ख्यात पृ० ६२-६३; टॉड ग्रन्थ (२), पृ० १०६७-६९, विलसन (८) पृ० ३०७
१३७. विलसन (८) पृ० ३०७
- १३८-१३९. मारवाड की ख्यात (४) पृ० ६७-६८; टॉड (२) पृ० ११००-११०१, विलसन (८) पृ० ३०७
- १४०-१४१. विल्डर का डॉक्टरलोनी को पत्र, २२ फरवरी १८२१, एफ० पी० २१ मार्च १८२१, न० १४, मारवाड की ख्यात (४) पृ० ६७-६८
१४२. मारवाड के सामन्तो का बनल टॉड को पत्र, श्रावण सुदी २ वि० स० १७७८ ३१ जुलाई १८२१ टॉड (१) पृ० २२८-३० से उद्धृत
१४३. डब्लू० जे० थ्रीमज रिपोर्ट : एफ० पी० २६ अप्रैल १८४१ न० ७७, प्रोसी-डिग्न, १६ २६ अप्रैल १८४१ न० ८६४ अ० पृ० ३३४-३३६, ऐशियन ट्रीटीज, ए गेजमेण्ट्स और सनदे (३), पृ० १३०-१३१
१४४. ब्यास मूरनराम द्वारा किया गया समझौता, फाल्गुन सुदी २ वि० स० १८८० । ५ मार्च १८२४ (पी० फी० फाइल न० ७, पत्र ७ जोध०), ऐशियन : ट्रीटीज, ए गेजमेण्ट्स और सनदे (३) पृ० १३२-१३३
१४५. उपर्युक्त
१४६. मारवाड की ख्यात (४), पृ० १०३, विलसन (६) पृ० ३०८
१४७. मारवाड की ख्यात (४) पृ० १०३-१०४

१४८. बिग्न रिपोर्ट : एक पी० २६ अप्रैल १८४१ न० ७७, प्रोसीडिग्स, १६-२६ अप्रैल १८४१ न० ८६४ अ० पृ० ३७७; विल्सन (६) पृ० ३०७; मारवाड की ख्यात (४) पृ० १०३-१०४
- १४९-१५०. ट्रेवलिन का कालवृत्त का पत्र, ६ अगस्त १८२८, एक पी० ५, सितम्बर १८२८ न० २०, विल्सन (६) पृ० ३०६
- १५१-१५२, कालवृत्त का स्वीडन का पत्र, अगस्त १८२८, एक पी० ५ सितम्बर १८२८ न० २०
- १५३-१५४. विल्सन (६) पृ० ३०६
- १५५ मारवाड की ख्यात भाग (४), पृ० १०४; विल्सन (६) पृ० ३११
१५६. देखिए इसी अध्याय का भाग (आ)
१५७. मारवाड की ख्यात (४) पृ० १०५; विल्सन (६) पृ० ३१२; राज्य की वार्षिक आय ३७ लाख रुपये थी, ७ लाख रुपये नाथ मुट को दिये जाने लगे, १२ लाख ठाकुरों की जागीर के लिए, राज्य के लिए २० लाख रुपये रहे जाते थे ।
१५८. माटिन का गवर्नर-जनरल के सचिव को पत्र, २४ दिसम्बर १८३१, एक पी० ३० जनवरी, १८३२ न० ४०; लोकहार्ट का गवर्नर-जनरल के सचिव को पत्र, २८ सितम्बर १८३२, एक पी० २६ नवम्बर १८३२ न० १४
१५९. विल्सन (६), पृ० ३१२
१६०. मानसिंह का स्वीडन का पत्र, जो कि उसे ६ अप्रैल १८३२ को प्राप्त हुआ, (एक पी० ७ मई १८३२ न० ३२); हकीकत वही न० ११ पृ० ३१८, ३२३; मारवाड की ख्यात (४) पृ० १०८-१०९
१६१. लोकहार्ट का मेकनाटन का पत्र, २८ सितम्बर १८३२ एक पी० २६ नवम्बर १८३२ न० १६
१६२. लोकहार्ट का मानसिंह को पत्र, १५ सितम्बर १८३२, एक एम० २२ अक्टूबर १८३२ न० १०
१६३. मारवाड की ख्यात (४) पृ० १११; विल्सन (६), पृ० ३१२
१६४. लोकहार्ट का मानसिंह को पत्र, १५ सितम्बर १८३२, एक एम० २२ अक्टूबर १८३२ न० १०, विल्सन भाग (६), पृ० ३१२
१६५. वेडॉर का एलबीस को पत्र, २ अगस्त १८५४, एक पी० २२ अगस्त १८३४ न० १८, विल्सन भाग (६), पृ० ३१२
१६६. उपर्युक्त, एलबीस का मेकनाटन को पत्र, ११ सितम्बर १८३४, आर० ए० ओ० फाइल न० ५, जोधपुर (२) १८३४ पैरा २
१६७. बिग्न रिपोर्ट, एक पी० २६ अप्रैल १८४१ प्रोसीडिग्स १६-२६ अप्रैल १८४१ न० ८६४ अ० पृ० ३४५; मारवाड की ख्यात भाग (४) पृ० १११-११२

- १२७ उपयुक्त पत्र एव ७ जनवरी १८१६ का पत्र, एक० पी० २६ दिसम्बर १८१८, न० ५५, मारवाड री रयात (४) पृ० ८६-९०, विल्सन (६) पृ० ३०६-३०७
१२८. डॉक्टरलोनी का विल्डर को पत्र, ४ दिसम्बर १८१८, एक० पी०, २६ दिसम्बर १८१८, न० ३२
१२९. डॉक्टरलोनी का जे० एडम्स को पत्र, १५ नवम्बर १८१८, एक० पी० २६ दिसम्बर १८१८ न० ५५
१३०. उपयुक्त, पत्र दि० ४ दिसम्बर १८१८, एक० पी० २६ दिसम्बर १८१८ न० ५१
- १३१ डॉक्टरलोनी का विल्डर को पत्र, ४ दिसम्बर १८१८ एक० पी० २६ दिसम्बर १८१८ न० ५२
- १३२ टॉड (२) पृ० १०६४ फुटनोट
- १३३ उपयुक्त, पृ० ८२२, १०६५
- १३४ मारवाड री रयात (४) पृ० ६० ६५, टाड (२) पृ० ८३२
- १३५ मारवाड री रयात (४) पृ० ६१ ६२, टाड (२) पृ० १०६७, विल्सन, (८) पृ० ३०७
१३६. विल्डर का डॉक्टरलोनी को पत्र, २२ फरवरी १८२१, एक० पी० २१ मार्च १८२१ न० १४, मारवाड री रयात पृ० ६२-६३, टॉड ग्रन्थ (२), पृ० १०६७ ६६, विल्सन (८) पृ० ३०७
- १३७ विल्सन (८) पृ० ३०७
- १३८ १३९ मारवाड री रयात (४) पृ० ६७ ६८, टॉड (२) पृ० ११००-११०१, विल्सन (८) पृ० ३०७
- १४० १४१ विल्डर का डॉक्टरलोनी को पत्र, २२ फरवरी १८२१, एक० पी० २१ मार्च १८२१, न० १४, मारवाड री रयात (४) पृ० ६७-६८
१४२. मारवाड के सामन्तो का कनल टॉड को पत्र, थावण सुदी २ वि० स० १७७८ ३१ जुलाई १८२१ टॉड (१) पृ० २२८ ३० से उद्धृत
१४३. डब्लू० जे० श्रीगज रिपोर्ट एक० पी० २६ अप्रैल १८४१ न० ७७, प्रोसी-डिग्न, १६ २६ अप्रैल १८४१ न० ८६४ अ० पृ० ३३४-३३६, ऐश्विन ट्रीटीज, ए गेजमेण्टस और मनद (३) पृ० १३० १३१
- १४४ व्यास सूरनराम द्वारा किया गया समझौता, फाल्गुन सुदी २ वि० स० १८८० १५ मार्च १८२४ (पो० फो० फाइल न० ७ पत्र ७ जोष०), ऐश्विन ट्रीटीज, ए गेजमेण्टस और मनदें (३) पृ० १३२ १३३
- १४५ उपयुक्त
- १४६ मारवाड री रयात (४), पृ० १०३, विल्सन (६) पृ० ३०८
१४७. मारवाड री रयात (४) पृ० १०३-१०४

१४८. ब्रिगज् रिपोर्ट : एक० पी० २६ अप्रैल १८४१ न० ७७, प्रोसीडिंग्ज, १६-२६ अप्रैल १८४१ न० ८६४ अ० पृ० ३७७; विल्सन (६) पृ० ३०७; मारवाड री ख्यात (४) पृ० १०३-१०४

१४९-१५०. ट्रेवेलिन का कालबुक को पत्र, ६ अगस्त १८२८, एक० पी० ५, सितम्बर १८२८ न० २०, विल्सन (६) पृ० ३०६

१५१-१५२, कालबुक का स्वीष्टन को पत्र, अगस्त १८२८, एक० पी० ५ सितम्बर १८२८ न० २०

१५३-१५४. विल्सन (६) पृ० ३०६

१५५ मारवाड री ख्यात भाग (४), पृ० १०४; विल्सन (६) पृ० ३११

१५६. देखिए इसी अध्याय का भाग (आ)

१५७. मारवाड री ख्यात (४) पृ० १०५; विल्सन (६) पृ० ३१२; राज्य की वार्षिक आय ३७ लाख रुपये थी, ७ लाख रुपये नाथ गुट को दिये जाने लगे, १२ लाख ठाकुरो की जागीर के लिए, राज्य के लिए २० लाख रुपये रहे जाते थे ।

१५८. मार्टिन का गवर्नर-जनरल के सचिव को पत्र, २४ दिसम्बर १८३१, एक० पी० ३० जनवरी, १८३२ न० ४०; लोकहार्ट का गवर्नर-जनरल के सचिव को पत्र, २८ सितम्बर १८३२, एक० पी० २६ नवम्बर १८३२ न० १४

१५९. विल्सन (६), पृ० ३१२

१६०. मानसिंह का स्वीष्टन को पत्र, जो कि उसे ६ अप्रैल १८३२ को प्राप्त हुआ, (एक० पी० ७ मई १८३२ न. ३२); हकीकत वही न० ११ पृ० ३१८, ३२३; मारवाड री ख्यात (४) पृ० १०८-१०९

१६१. लोकहार्ट का मेकनॉटन को पत्र, २८ सितम्बर १८३२ एक० पी० २६ नवम्बर १८३२ न० १६

१६२. लोकहार्ट का मानसिंह को पत्र, १५ सितम्बर १८३२, एक० एम० २२ अक्टूबर १८३२ न० १०

१६३. मारवाड री ख्यात (४) पृ० १११; विल्सन (६), पृ० ३१२

१६४ लोकहार्ट का मानसिंह को पत्र, १५ सितम्बर १८३२, एक० एम० २२ अक्टूबर १८३२ न० १०, विल्सन भाग (६), पृ० ३१२

१६५. वेडॉन का एलबीस को पत्र, २ अगस्त १८५४, एक० पी० २२ अगस्त १८३४ न० १८, विल्सन भाग (६), पृ० ३१२

१६६. उपर्युक्त, एलबीस का मेकनॉटन को पत्र, ११ सितम्बर १८३४, आर० ए० अ० फाइल न० ५, जोधपुर (२) १८३४ पैरा २

१६७. ब्रिगज् रिपोर्ट, एक० पी० २६ अप्रैल १८४१ प्रोसिडिंग्ज १६-२६ अप्रैल १८४१ न० ८६४ अ० पृ० ३४५; मारवाड री ख्यात भाग (४) पृ० १११-११२

१६८. मानसिंह का गवर्नर-जनरल को पत्र, जो उसे २६ मई १८३३ को प्राप्त हुआ (एफ० पी० ६ जून १८३३ नं० १४)
- १६९ विल्सन भाग ९, पृ० ३१३
१७०. वेढाँक वा एलबीस को पत्र, २२ अगस्त १८३४ एफ० पी० २२ अगस्त १८३४, न० १८
- १७१-१७४ एलबीस का मेकनॉटन को पत्र, १८ अगस्त १८३४ एफ० पी० १३ सितम्बर १८३४ न० १०
- १७५-१७६ एलबीस का गवर्नर-जनरल के सचिव को पत्र ७ अक्टूबर १८३४, आर० ए० ओ० फाइल न० ५, जोधपुर (२), १७३४ पेरा ५
१७७. उपर्युक्त, १० अक्टूबर १८३४, आर० ए० को फाइल न० ५ जोधपुर (२) १८३४ पृ० १५५
१७८. उपर्युक्त, ९ अक्टूबर १८३४, आर० ए० ओ० फाइल न० ५ जोधपुर (२) १८३४, पृ० १४३-१४५; विल्सन भाग (९) पृ० ३१४
- १७९ मानसिंह का एलबीस को पत्र, २७ अक्टूबर १८३४, एफ० पी० २२ दिसम्बर १८३४ न० ४०
- १८० विलियम वेन्टिक का मानसिंह को पत्र, २ दिसम्बर १८३४ आर० ए० ओ० फाइल न० ५, जोधपुर (२), १८३४, पृ० १६६-२०२, विल्सन (९) पृ० ३१४
- १८१-१८२. एटिषचन : ट्रीटीज़, एंगेजमेण्ट्स और सनदें : (३) पृ० १३५
१८३. बी० डी० बसु : द राइज् ऑफ़ क्रिश्चियन पाँवर इन इण्डिया, भाग ५, पृ० ३६-४५; केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया भाग ५, पृ० ४८६-४९०
१८४. गवर्नर-जनरल के सचिव ए० बुश को पत्र, २६ सितम्बर १८३६, एफ० पी० २६ सितम्बर १८३६ नं० ३०;
बी० डी० बसु, 'राइज् आफ़ क्रिश्चियन पाँवर इन इण्डिया,' भाग ५, पृ० ४५
१८५. एलबीस के मेकनॉटन को पत्र, २८ जनवरी व ३१ मार्च १८३८, आर० ए० ओ० फाइल न० १४ अ, जोधपुर (२) १८३८, पृ० ४२ व १००
- १८६ मेकनॉटन का एलबीस को पत्र, १० जनवरी १८३८ आर० ए० ओ० फाइल न० १४ अ, जोधपुर (२), १८३८, पृ० ७-८
१८७. एलबीस का मेकनॉटन को पत्र, २९ जनवरी १८३८, एफ० पी० २१ मार्च १८३८ न० ११२
- १८८ मानसिंह का एलबीस को पत्र, जो कि उसे २७ अक्टूबर १८३६ को प्राप्त हुआ था, एफ० पी० २ दिसम्बर १८३६ न० ४०
१८९. सदरलैण्ड का वेढाँक को पत्र, १० जून १८३९, एफ० पी० २४ जुलाई १८३९ न० ३८, हैदराबाद का स्वतंत्रता का सघर्ष, भाग (१) (१८००-१८५७),

पृ० १३४-१३५, (१८३६-४० में मुबारिजउद्दीला द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध पट्टपत्र में भाग लेने पर कमीशन की रिपोर्ट,

१६०. मेकनाटन का एलबीस को पत्र, १ नवम्बर १८३८, एफ० पी० २६ दिसम्बर १८३८ न० २०, मारवाड की ख्यात भाग (४) पृ० ११६-११८, महाराजा के एक पुत्र १ मई १८३८ को हुआ पर उसकी २० अप्रैल १८३६ को मृत्यु हो गयी ।
१६१. सदरलैण्ड की गवर्नर-जनरल के सचिव को रिपोर्ट, ७ अगस्त १८४७, एफ० पी० ७ अगस्त १८४७ न० ८४५ पृ० १२
१६२. सदरलैण्ड का वेडॉक को पत्र, १० जून १८३६ एफ० पी० २४ जुलाई १८३६ न० ३८; सदरलैण्ड की गवर्नर-जनरल के सचिव को रिपोर्ट, ७ अगस्त १८४७ एफ० पी० ७ अगस्त १८४७ न० ८४५ पृ० १२; ब्रिटिश माँग सिर्फ १०, १०, १८६, रुपये और दो घाने की पी (सदरलैण्ड की मारवाड के ठाकुरों व जनता के नाम घोषणा, १७ अगस्त १८३६, एफ० एस० ६ नवम्बर १८३६ ।)
- १६३-१६४ सदरलैण्ड का वेडॉक को पत्र, १० जून १८३६, एफ० पी० २४ जुलाई १८३६ न० ३८
१६५. सदरलैण्ड का मानसिंह को पत्र, १४ जून १८३६ एफ० पी० २४ जुलाई १८३६ न० ३६
- ६६-२००. सदरलैण्ड का वेडॉक को पत्र, १० जून १८३६ एफ० पी० २४ जुलाई १८३६ न० ३८
- २०१-२०२. सदरलैण्ड का मानसिंह को पत्र, १४ जून १८३६ एफ० पी० २४ जुलाई १८३६ न० ३६
२०३. टॉरेन्स का सदरलैण्ड को पत्र, ६ अगस्त १८३६, एफ० एस० ६ अक्टूबर १८३६ न० ३२
२०४. सदरलैण्ड की घोषणा, १७ अगस्त १८३६, एफ० एस० ७ नवम्बर १८३६ न० ४३
२०५. सदरलैण्ड का वेडॉक को पत्र, २० अक्टूबर १८३६ एफ० पी० २४ फरवरी १८४० न० ३४; सदरलैण्ड की गवर्नर-जनरल के सचिव को रिपोर्ट ७ अगस्त १८४७, एफ० पी० ७ अगस्त १८४७ न० ८४५ पृ० १६-२०
- २०६-२०८. उपयुक्त; मारवाड की ख्यात भाग (४) पृ० ११६-११७
- २०९ २१०. सदरलैण्ड का वेडॉक को पत्र, २० सितम्बर १८३६, एफ० पी० ८ जनवरी १८४० न० ६६
२११. उपयुक्त, पत्र दिनांक २० अक्टूबर १८३६, एफ० पी० २४ फरवरी १८४० न० ३४; सदरलैण्ड की गवर्नर जनरल के सचिव को रिपोर्ट, ७ अगस्त १८४७ एफ० पी० ७ अगस्त १८४७ न० ८४५ पृ० २६, ३२

- २१२ उपयुक्त, ऐटिश्चन, ट्रीटीज, एगेजमेण्ट्स व सनदें, भाग ३, पृ० १३५-१३७
- २१३ सदरलैण्ड का डिविडयान को पत्र, १८ फरवरी १८४०, एक० पी० २३ मार्च १८४० न० ५५
- २१४-२१७ सदरलैण्ड का हेमिल्टन को पत्र, २ मार्च १८४०, एक० पी० २३ मार्च १८४० न० ५
- २१८-२१९ लडलो का मानसिंह को पत्र, ३० मार्च, १६ अप्रैल, २० अप्रैल, १८४१, सरीता यही न० १३, पृ० ४२७-४३० जोध०)
- २२० लडलो का सदरलैण्ड को पत्र, ३ मई १८४३, मार० ए० घो० फाइल न० १४ अ, जोधपुर (९) १८४३ पृ० ८५-११०
२२१. सदरलैण्ड की गवर्नर-जनरल के सचिव की रिपोर्ट ७ अगस्त १८४७, एक० ए० ७ अगस्त १८४७ न० ८४५, पृ० ४१ व ४३
२२२. देलिये यही अध्याय भाग 'ई'
२२३. लडलो का सदरलैण्ड को पत्र, १४ मई १८४३ मार० ए० घो० फाइल न० १४ अ जोधपुर (९) १८४३ पृ० १३६-१४४
- २२४ गवर्नर-जनरल के सचिव का सदरलैण्ड को पत्र, २३ जून १८४३ मार० ए० घो० फाइल न० १४ अ जोधपुर (९) १२४३ पृ० १६८
२२५. सदरलैण्ड की गवर्नर-जनरल की रिपोर्ट ७ अगस्त १८४७ एक० पी० ७ अगस्त १८४७ न० ८४५ पृ० ४४



मारवाड़ में मराठा प्रभाव

(क) राजनैतिक

मुगल सम्राट औरंगजेब और उसके बाद के बादशाहों की नीतियों के परिणाम-स्वरूप मराठा राष्ट्रीयता का उत्थान हुआ और राजपूत राज्यों ने मुगल आधिपत्य से स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया। जहाँ शिवाजी के नेतृत्व में विघटित मराठी प्रवृत्तियाँ एक राजनैतिक रंगमंच प्राप्त कर राष्ट्रीयता के रूप में संगठित हो गयी वहाँ राजपूत शासक अपनी पृथक् इकाइयों में बने रहे। राजपूत राष्ट्रीयता का विकास ऐतिहासिक दृष्टि से असंभव था। मराठों की तरह उनकी पृष्ठभूमि में कोई सांस्कृतिक आन्दोलन नहीं था, जो उन्हें प्रेरणा दे पाता। मुगल पतन के काल में मराठा राज्य का साम्राज्यवादी प्रसार उत्तर भारत की ओर हुआ। विरोधी शक्ति के रूप में राजपूत शासक विभाजित, कमजोर और अत्यन्त अयोग्य थे। बड़ी आसानी से मराठा शक्ति उन पर छा गयी, परन्तु मराठा साम्राज्यवाद न तो मुगल साम्राज्य की तरह केन्द्रीय शासन का आकांक्षी था और न बाद के अंग्रेजी साम्राज्य की तरह संगठित शोषण-कर्ता ही। उसके प्रभावी क्रियाकलाप चौथ और सरदेशमुखी की वसूली तक ही सीमित थे। इससे न तो राजनैतिक सम्बन्ध विकसित हो सके और न प्रशासकीय नियंत्रण ही स्थापित किया जा सका।

मारवाड़ मराठा सम्बन्ध शिवाजी और जसवतसिंह से ही प्रारम्भ हुआ। जसवतसिंह एक मुगल सूबेदार था और मराठों के प्रति उसका दृष्टिकोण मुगल राजनीति से प्रभावित था। १७२८ ई० में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मारवाड़ को 'सरजामी' क्षेत्र बनाकर महाराराव होदकर को वहाँ से धन वसूल करने का अधिकार दिया।^१ यह मराठों की एकतरफा घोषित नीति थी। अपने सैनिक दल से कर वसूल करने की इस नीति में कोई राजनैतिक औचित्य नहीं था। मारवाड़ के शासक अमरसिंह ने मराठों के इस हस्तक्षेप को 'सर्वोच्च शक्ति' के रूप में कभी मान्यता नहीं दी बल्कि उसकी दृष्टि में मराठे 'गनीम' थे, जो उससे धन वसूल करते थे। राठौड़ शासक इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह उनके सैनिक अभियानों को मारवाड़ में रोक सके। अतः, जब कभी मराठे मारवाड़ में आये, (१७३६,^२ १७४१^३ और १७४८^४) तो महाराजा को कर देना पड़ा। परन्तु १७५६ की राठौड़ सिंधिया संधि के बाद मारवाड़ कानूनी तौर पर मराठों का करद राज्य बन गया।^५ राठौड़ व मराठों का

इस प्रकार का सम्बन्ध १८१८ तक रहा।^{१६} मारवाड़ से लगातार धन वसूल करना ही मराठों की राजनैतिक महत्ता थी, जो वे महाराजा की मराठा-विरोधी नीति को कभी पसंद नहीं करते थे।^{१७}

प्रारम्भिक मारवाड़-मराठा सम्बन्धों के समय, जब मारवाड़ एक तरजामी क्षेत्र था, राठोड़ राजधानी में मराठी स्वार्थों के रक्षा हेतु पेशवा की ओर से एक 'पंडित' नियुक्त किया जाता था।^{१८} १७५६ के बाद मारवाड़ में पेशवा ने अपना 'वकील' रखना शुरू किया जो उसके व मराठों के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व कर सके।^{१९} वकील प्रतिदिन पेशवा को रिपोर्ट भेजता था, पेशवा से निर्देशन प्राप्त करता था और मारवाड़ में मराठा नेताओं की गतिविधियों की सूचना भेजता था। वर एकत्र करने का उसका दायित्व होता था। वह सम्पूर्ण धनराशि का हिस्सा वित्तव रखता था और इसके लिए उसे कार्यालय भी रखना पड़ता था, जिसमें उसके सहयोगी सहायता करते थे। सक्षेप में, वह कर वा सप्रहकर्ता था और राज्य में मराठों का राजपूत भी था।^{२०}

१७५६ की संधि के शीघ्र बाद में, पेशवा ने पण्डित सदाशिव को जोधपुर में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। उसे रामसिंह के प्रदेशों से भी कर एकत्र करने का भार सौंपा गया।^{२१} कृष्णाजी जगन्नाथ एक अन्य वकील था जो विजयसिंह के दरबार में लम्बे अर्से तक रहा।^{२२} ज्यो ज्यो सिंधिया का प्रभाव मारवाड़ में बढ़ता गया, मराठों को दिया जाने वाला वर सिंधिया के द्वारा पेशवा को भेजा जाने लगा। इस पर महादजी ने अपने प्रतिनिधियों को भी जोधपुर में नियुक्त करने की नीति अपनायी। उसका प्रतिनिधि पंडित रामाराव सदाशिव १७६१ से १७६३ के बीच रहा।^{२३} ये वकील मारवाड़ के आन्तरिक मामलों में गहन अभिरूचि लेते थे। जुलाई १७६३ में विजयसिंह की मृत्यु के पश्चात् दोनों, रामाराव सदाशिव व कृष्णाजी जगन्नाथ ने भीमसिंह को समर्थन दिया, जिसके फलस्वरूप वह गद्दी प्राप्त कर सका।^{२४}

वकील के अलावा मारवाड़ में अन्य मराठा पदाधिकारियों में कमवीसदार महत्वपूर्ण था। वह एक राजस्व अधिकारी होता था और प्रदेश में मराठों की कर-वसूली की देखरेख करता था। फल वटने के समय वह गाँवों में उपस्थित रहता था और मराठों को दिया जाने वाला हिस्सा उसी समय वसूल करता था। कभी-कभी कस्टम खुशी से भी वह मराठी कर की धनराशि एकत्र करता था। उसकी सहायता के लिए नायब कमवीसदार होते थे। कमवीसदार उनके कार्यों का निरीक्षण करता था तथा वकील को अपने क्षेत्र में महाराजा के पदाधिकारियों की गतिविधियों से अवगत कराता रहता था। समय-समय पर वकील के कार्यों, हिस्सा-वित्तव रखने व वर एकत्र करने में सहायता देने के लिए पेशवा फडनवीश, चिटणीस, अर्जीनवीस, मजुमदार, अमलदार, कारकुन आदि की नियुक्ति करता था। राज्य में मराठा के हितों का उत्तरदायित्व वकील का होता था।^{२५}

कभी-कभी पेशवा अपने विशेष प्रतिनिधि भी भेजा करता था। यथा समय उन्हें

सैनिक अधिकार भी दिये जाते थे । १८११ से १८१७ तक दौलतराव सिधिया और यशवतराव होल्कर के प्रतिनिधि के रूप में क्रमशः बापूजी सिधिया और अमीरखा मारवाड की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भाग लेते रहे । १८१५ में इन्द्रराज सिधिवो की हत्या और दो वर्ष बाद मानसिंह को गद्दी से हटाने में अमीरखा का प्रमुख हाथ था ।^{१४} जब भी मराठे राजदूत और प्रतिनिधि मारवाड में आते तो उनका भव्य स्वागत किया जाता था ।^{१७} राज्य की ओर से उनके लिए सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाता था तथा उनकी सुविधा के लिए सारी वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाती थी ।^{१८} समय समय पर आवश्यकतानुसार इन प्रतिनिधियों की सहायता से मारवाड के शासक घातक विरोध एवं विद्रोह का दमन करते थे । इसके बदले में न सिर्फ सैनिक खर्च ही दिया जाता था बल्कि उन्हें कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित और मनुष्ट किया जाता था । ऐसी स्थिति में मराठे सरदार अपने प्रतिनिधियों की सिफारिश पर अधिक महत्त्व देते थे । जब महाराजा विजयसिंह ने अपने विद्रोही पुत्र जालिमसिंह के विरुद्ध महादजी की सहायता चाही तो सिधिया ने उस समय तक कोई सहायता नहीं दी जब तक कि जोधपुर स्थित उसके प्रतिनिधि ने सही स्थिति से अवगत नहीं कराया । उसकी सिफारिश पर न सिर्फ सैनिक सहायता दी गयी बल्कि महादजी ने विजयसिंह के उत्तराधिकारी के रूप में शेरसिंह का 'युवराज' भी मान लिया ।^{१९}

जोधपुर शासक भी अपने प्रतिनिधियों को खालियर में, सिधिया के दरबार में, नियुक्त करते थे । सिधिया इन राजदूतों वकीलों व प्रतिनिधियों की बड़ी देख-रेख करता था । १८१३ से १८१८ में व्यास जसकरण राठी राजदूत की तरह खालियर में रहता था, जिसकी सुरक्षा, निवास एवं सुविधाओं का बहुत खयाल रखा जाता था । उस जोधपुर के राज्य-त्रय से ४००) रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता था । परन्तु यह राशि उसे लगातार प्राप्त नहीं होती थी और कभी-कभी तो वर्ष भर बकाया इकट्ठा हो जाता था । ऐसी स्थिति में सिधिया उसे खर्च के लिए धन उपलब्ध कराया करता था ।^{२०}

राठी शासकी ने मराठा नागरिकों व सेना के वप्तानों को अपनी राजकीय सेवा में लेने का नीति अपनायी, महारराव होल्कर के कहने पर अमरसिंह ने फरवरी १७४७ में गोपाल अयम्बर राव को ४००) रुपये माह पर अपनी सेवा में नियुक्त किया ।^{२१} महाराजा मानसिंह ने दौलतराव सिधिया की प्रशासकीय सेवा के एक सदस्य वाजेराव को, जो कि लेखा कार्यों का विशेषज्ञ माना जाता था अपनी सेवा में ले लिया ।^{२२} यह व्यक्ति उसके लिए बड़ा सहायक सिद्ध हुआ । १८२७ में उसे जोधपुर की कचहरी का कार्य सौंपा गया ।^{२३} उससे पास काम खास त्वक यपेशकशी रिवाजों की देखरेख का कार्य भी रखा गया, जिसे वह अत्यन्त विश्वास के साथ करता था ।^{२४} १८०८ में शिरजीराव घाटके की राना का हीरसिंह सैनिक टुकड़ी सहित मारवाड की सैनिक सेवा में ले लिया गया ।^{२५} इसी प्रकार १८१७ में अजमेर के मराठा सूबेदार की सेवा में नियुक्त कप्तान धनसिंह को मानसिंह ने अपने यहाँ लौकरी दी ।^{२६}

राठोड मराठा सम्बन्ध के कारण कई मराठे मझाराजा के विश्वासपात्र बन गये थे। उन्हे राज्य मे जागीरें दी गयीं। परबनसर के पास गागवा, २७ डेगाना मे हर-सौर २८, मेडना मे पाडुवाली और एवेली २९ और मारवाड की पूर्वी सीमा पर मण्डल ३० मराठा जागीरें थी। कुछ गाँव जैसे मकराना, 'इनाम' मे दिये गये थे। ३१ जसवन्तराव होल्कर के परिवार के खर्च के लिये, जब वह १८०५-१८०६ तक मारवाड मे था, गोडवाड के गाँव मसूडी और गोहली दिये गये थे। ३२ जयप्पा सिंधिया की छत्री मे, जो कि नागौर के ताऊमर गाँव मे बनायी गयी थी, शिव मंदिर की स्थापना की गयी तथा उमका प्वाचा कुडोली ग्राम की प्राय से दिया जाता था। ३३ शासकों ने अपने हस्ताक्षरों और मुद्रा के साथ इन जागीरों की सनदें और ताम्रपत्र दिये। ३४ यदि राज्य के पदाधिकारी और पडोसी जागीरदार मराठो की जागीरो मे हस्तक्षेप करते तो राज्य की ओर से उन्हे सुरक्षा प्रदान की जाती थी। ३५ जब कभी राज्य इन जागीरो को वापिस लेता तो इसके बदले मे अन्य व्यवस्था की जाती थी। ३६

मराठी राजनीतिज्ञों के लिए मारवाड का प्रदेश शरणार्थी आवास बन गया था। शम्भाजी व कवि कलभ की हत्या के बाद, कवि कलश के परिवार पर आपत्तियों के बादल मँडराने लगे। १७०६ मे इस परिवार ने मारवाड मे शरण ली। उन्हे बिलाडा मे रखा गया। दुर्गादास ने मेडता के हाकिम या उनके खर्च के लिए प्रतिदिन एक रुपया पन्द्रह आने देने के आदेश दिये। ३७ १८०० मे लक्ष्मण अनन्त (लखवादादा) ने दौलतराव मे विद्रोह कर अपने परिवार को मारवाड भेज दिया। ३८ जसवन्तराव होल्कर का परिवार १८०५-१८०६ तक जोधपुर मे रहा। ३९ अप्पाजी भोसले ने अपने जीवन के बारह वर्ष जोधपुर मे ही बिताये, जहाँ उसकी मृत्यु के बाद राजकीय सम्मान के साथ उसका शव-दाह किया गया। ४०

(ख) आर्थिक

मराठो का मारवाड के आर्थिक जीवन पर प्रभाव उसी समय से पडने लग गया था जबसे उन्होंने मारवाड में सैनिक अभियान कर शासक को धनराशि देने के लिए बाध्य किया। १७२८ से १७५६ तक समय समय पर जो धाराशि मराठो को दी जाती थी, वह न तो व्यवस्थित थी और न किसी नियम, सधि व समझौते पर आधारित थी। शासक मराठा सैनिको को अपने प्रदेश से दूर रखन के लिए धन देता था। फरवरी १७५६ मे महाराजा विजयसिंह और जनकोजी के बीच की सधि मे यह स्पष्ट कर दिया कि जोधपुर-शासक लगातार मराठो को वार्षिक कर देंगे। ४१ यह कर १,५०,००० रुपया प्रति वर्ष निश्चित किया गया। ४२ इसमे 'नजराना' भी शामिल था। ४३ मारवाड मे गोडवाड विजय के बाद शासको ने ३० हजार रुपये वार्षिक पृथक् रूप से कर देना स्वीकार किया। ४४ यह कर होल्कर और पेशवा मे नही बाटा जाता था। इसे तो सिंधिया अपने कोष मे ही जमा कराना था। ४५ मारवाड के शासको ने कभी भी लगातार या पूरा कर नही दिया। अतः कर की बहुत सी धनराशि बकाया रहती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राय, दस

प्रतिगत कर तो कभी दिया ही नहीं गया।^{५३} विधिया सामान्यतः कर में योग्य प्रतिगत धाराशि की छूट दे देता था।^{५४}

विजयसिंह ने मराठों को वापिस कर देने की जो बातें स्वोकार की उत्तरे पीछे यह विश्वास स्पष्ट हो कि जोधपुर-शासन मराठों के धात्रमणो मगुरादिन रहते।^{५५} इसके अनुसार शासन के लक्ष्यों में धात्रमणों के समय मराठे उन्हें गढ़ायता देने को बाध्य नहीं थे। ऐसा स्थिति में, जब उन्हें मराठी सैनिक सहायता की आवश्यकता होती, तो वे उन्हें अनिवार्य पनराशि देने थे। १७४८ में धर्मसिंह ने अपने भाई चरनसिंह के विशेष को दबावे के लिए महाराजराय की सहायता ११ हजार रुपयों में मरीदी थी।^{५६} रामसिंह ने अपने प्रतिभाषि पण्डित जगन्नाथ को १७५१ में यह अधिभार दिया था कि वह होल्कर या सिधिया को दत्त या बारह हजार की सेवा के लक्ष्य के लिए आवश्यक दो माह की अधिम राशि देकर उसकी सहायता के लिए वसतः कर ले।^{५७} यही तब कि चरनसिंह ने भी राजसिंह चौहान के द्वारा होल्कर को दो माह रुपये दिये, जिससे कि यह रामसिंह की सहायता न करे।^{५८} मानसिंह और मनमनराय होल्कर में पारिवारिक स्तर पर अधि-नता थी, फिर भी जयपुर के शासन जगतसिंह के विरुद्ध उसे दो माह रुपये देकर ही सैनिक सहायता लेनी पड़ी।^{५९}

शासकों के लिए देरी में कर देना तो एक सामान्य धापरण और प्रतिया बन गयी थी। इसका परिणाम भयंकर होता था। मराठे सेनापति समय-समय पर मारवाड़ में धाते और कर के भुगतान के लिए जोर देने थे। शासन इसे स्वोकार करते और नई किन्हीं निश्चित की जाती। साथ ही धाते वाले सेनापति को तरबाल सैनिक लक्ष्य देना पड़ता नहीं तो मराठे सैनिक व्यापारियों और कृषकों को मूट लेते थे। मक्ख १८३५-३६। १७७८ १७८२ में महादजी को जो कर दिया गया उसकी निम्नलिखित विशेष निश्चित था।^{६०}

पाँच वर्ष के बचाया कर की कुल राशि	
१,८०,००० रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से	६,००,००० रुपये
सिधिया द्वारा दी गयी छूट	२,००,००० रुपये
बचाया राशि	७,००,००० रुपये

मेडना के युद्ध (१७६०) के बाद विजयसिंह ने किशो में बचाया घन-राशि की सहायता की।^{६१} युद्ध की क्षतिपूर्ति भी किशो में दी जाती थी। यदि किशो लगातार दी जाती तो सिधिया छूट भी देता था।^{६२} कभी-कभी घन-राशि नकद न दी जानी तो कुछ गांव मराठों के पास 'इजारा' के रूप में रखा दिये जाते थे।^{६३} १७ सितम्बर १७६२ को विजयसिंह ने बचाया राशि के १,६४,००० रुपये के भुगतान के लिए मारवाड़ के उत्तर-पूर्व के मुख्य परगने मेडना, डीडवाना और नावा मराठों को इजारा में दे दिये।^{६४} कभी शासन अपने साहूकारों को हुकम देने थे कि वे मराठों का खुबारा कर दें। बाद में राज्य इन साहूकारों का ऋण चुकाया करता था।^{६५}

सामान्यतः मराठे अग्रिम राशि मागने रहते थे जो घाद में दी जाने वाली धनराशि में से काटकर हिसाब नियमानुसूल बना दिया जाता था ।^{५६} नरद धनराशि के अलावा शामको को 'मरणा' भी देना पड़ता था । भरखे में मुख्यतः हाथी, ऊँट, घोड़े, बैल, गहने, मूल्यवान् वस्त्र, हीरे-जवाहरात आदि दिये जाते थे ।^{५७} इनका कीमत धनराशि में से वमूल कर ली जाती थी । कभी-कभी शासक होल्कर और सिधिया के आदेशों पर वस्तुएँ खरीद कर भिजवाते थे । यह राशि कर से काट ली जाती थी ।^{५८} सिधिया के सेनापति जब उसमें धन प्राप्त नहीं कर पाते थे तो वे शासक के पास उपस्थित होकर सिधिया के कर में से भुगतान ले जाने थे । सिधिया महाराजा को इस प्रकार के भुगतान के सम्बन्ध में लिखित आदेश देना था ।^{५९} इस प्रकार सिधिया के प्रत्येक सेनापति को कर में से उसके अंश को देने का उत्तरदायित्व शासक पर अनायास ही हो गया था ।^{६०}

मराठों और शासकों के बीच धन सम्बन्धी जो भी समझौता होता था, वह कागजी अधिक था, व्यावहारिक कम । यद्यपि भुगतान, जो किशनों में किया जाता था, अधिक नहीं होता था, फिर भी कोष के लिए यह एक अतिरिक्त भार होता था । राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह असहनीय था । मराठों को दूर रखने के लिए इनके अलावा शासकों के पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं था । धनराशि के समझौते को सही रूप से कभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई । अतः जब-जब मराठे अपनी माँग लेकर आते और शासक उनकी माँग को पूरी नहीं कर पाते तो वे सेतियाँ लूट लेते एवं खाद्य-पदार्थ और चारा या तो ले जाते या नष्ट कर जाते ।^{६१} वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए शासक जनता व जागीरदारों पर नये कर लगाते थे । विजयसिंह ने जागीरदारों पर 'खैजराव' कर लगाया । पेशकश या 'हुकमनामा' कर दुगुना कर दिया । इससे जनसाधारण और जागीरदार असंतुष्ट रहने लगे ।

मराठे सिर्फ वापिक कर से ही संतुष्ट नहीं थे । जब कभी राज्य के विरुद्ध सैनिक अभियान करते तो वे नये नये प्रकार की कर राशि माँगते थे । १७६० के मेळता-युद्ध के बाद महादजी ने 'फौज-खर्च', 'दरद्वार खर्च', 'खासा सवारी', 'बराड' व 'बोला' की माँग की ।^{६२} इनकी पूर्ण रकम ६०,००,००० रुपये आँची गयी ।^{६३} १८१२-१८१४ के बीच बापूजी सिधिया ने इन करों के अलावा जो नये कर की धनराशि मागी वह थी 'भेंट होली', 'भेंट दशहरा', 'गणेश चौथ' जो कि इन समारोहों के अवसर पर ली जाती थी ।^{६४}

कभी जनता व जागीरदारों से मराठा प्रत्यक्ष रूप से कर एकत्र करते थे, जिसे 'घोडी बराड' या 'घासदाणा' कहा जाता था । किमाने से प्रतिबीघा चार आना, अन्य में प्रति परिवार एक रुपया और जागीरदारों से उनकी वापिक आय के अनुसार निश्चित कर लिया जाता था ।^{६५} इससे अलावा शासन-पदाधिकारियों को अपनी आय के अनुसार मराठों को दण्ड, भेंट, नजराने (उत्तराधिकारी भेंट) व टीका देना पड़ता था । यदि उनकी माँगें पूरी नहीं की जाती तो एक बार उन्हें स्मरण-पत्र दिया

जाता था। देरी का भय सैनिक कार्यवाही और प्रायिक व्यवस्था के ध्वंस की धमकी।^{१६}

मराठे धनराशि एकत्र करने में न तो नैतिकता और न कानून की परवाह करते थे। कभी तो वे व्यापारियों के मान पर अधिकार कर लेते थे^{१७} और कभी व्यापारियों को बंधक बनाकर धन धसून करते थे।^{१८} राज्य में कोई भी वस्तु खरीद ली जाती थी, परन्तु उस पर लगा हुआ राज्य कर वे नहीं देते थे।^{१९} उनके व्यापारियों को राज्य की ओर से सब प्रकार की गुविधा प्रदान की जाती थी।^{२०} यहाँ तक कि सब मराठी सेना मारवाड में से गुजरनी तो राज्य-कोष से उनके लिए राख पदार्थ और नमक की व्यवस्था की जाती थी।^{२१} सक्षेप में, मराठा प्राणियों ने राज्य की प्रायिक व्यवस्था को ध्वंस कर भराजवना का वातावरण पैदा कर रखा था।^{२२}

(ग) सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध

मगधकालीन ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर एक शताब्दी तक के राठौड़-मराठा सामाजिक सम्बन्ध का मूल्यांकन ममब है। महाराजा जसवतसिंह दक्षिण में १६६७ से १६७० तक रहे। इससे दोनों जानियों का एक दूसरे के सम्पर्क में घाने का अवसर मिला और सामाजिक स्तर पर उनके सम्बन्ध घनिष्ठ होने लगे। महाराजा ने शिवाजी को कई बट्टमून्य भेंटें भेजीं, जिनमें तीन घोड़े, तीन सामा, एक सरदार सरोपा, और १० ऊँट थे। शिवाजी ने भी इस भावना का आदर करते हुए अगस्त १६६७ में तीन राठौड़ प्रतिनिधियों को जो उपरोक्त भेंट मराठे राजा के पास ले गये थे, एक-एक हजार रुपये और एक एक घोड़ा दिया। अक्टूबर-नवम्बर १६६७ में जब शम्भाजी शाहजादा मुघलजम से मिलने के लिए गया तो उस जगधतसिंह के साथ ठहराया गया। राठौड़ शासक ने शम्भाजी को आबमगन शाही तरीके से की। जब शम्भाजी विदा होने लगा तो महाराजा की ओर से दो घोड़े, एक जोड़ा पटुघा और कपड़े का एक घान भेंट किया गया। शिवाजी ने त्रिए हीरो से जडित कटार व कपड़े के नौ घान दिये गये।^{२३}

दक्षिण में रहते हुए महाराजा ने एक नये नगर की नींव टाली जिसका नाम जसवतनगर रखा गया।^{२४} १६८१-१६८७ में दुर्गादाग मराठा राज्य में रहा। उनके और शम्भाजी ने प्रिय मित्र कवि कलश के बीच पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित हो गये। यह कलश की पत्नी का 'राखीवध भाई' बन गया।^{२५} अग्रेल १७११ में दामाई युद्ध के पूर्व पेशवा व जोराव महाराजा अमरसिंह के साथ एक माह तक रहा। उसे अहमदाबाद के शाही बाग में ठहराया गया और राठौड़ी आबमगन से उसकी सेवाशुभूषा की गयी। पेशवा ने १७३६ अग्रेल में अमरसिंह, रामसिंह व अमरसिंह को खिराशत व सरोपा से विभूषित किया।^{२६} महाराजराव महाराजा अमरसिंह का घनिष्ठ मित्र बन गया। १७४८ में जब होल्कर ने मुघल की यात्रा की तो महाराजा ने उसका शाही स्वागत किया और अग्रेल डेरे के पास उसका डेरा लगवाया। दोनों ने एक ही चौकी पर खाना खाया, पगडिया बदली और 'धर्म भाई' बन गये।^{२७} सब से होल्कर और राठौड़ परिवारों के सम्बन्ध प्रति मधुर बने रहे।

ज्यो ज्यो समय बीतता गया, दोनो परिवार और निबट घाते गये । जब कभी जोधपुर मिहामन पर नया शासक बैठता तो होल्कर परिवार बहुमूल्य भेंटो के साथ 'टीका' भेजता था । १७४६ में अमरसिंह की मृत्यु के बाद रामसिंह गद्दी पर बैठा तो मल्हारराव ने कई कपडे और एक हाथी टीके में भेजा ।^{५१} विजयसिंह के साथ भी मल्हारराव के सम्बन्ध अच्छे बने रहे ।^{५२} १० जनवरी, १८०४ को यशवतराव होल्कर ने बलवतराव के हाथ मानसिंह के लिए टीका भेजा ।^{५३} इस प्रकार नये शासक को टीका भेजना होल्कर-राठौड परिवारो के लिए एक सामान्य आचरण हो गया था । जून-अक्टूबर १८०६ में नाद में मानसिंह-यशवतराव होल्कर मिलन दोनो परिवारो के आपसो सम्बन्धो का चरम उत्कर्ष था ।^{५४}

मारवाड के शासकों की ओर से नये होल्कर शासक को भी 'टीके' भेजे जाते थे । मल्हारराव के उत्तराधिकारी तुकोजी होल्कर का जब राज-तिलक १७६६ में हुआ तो विजयसिंह ने आमोपा नवनराय और पंडित जीवनराम के साथ उनके लिए टीका भेजा ।^{५५} जब कभी होल्कर परिवार की ओर से माग आती तो अत्यन्त प्रसन्नता से राठौड शासक उसे पूरी करते थे । १७६४ में मल्हारराव ने अच्छी नस्ल के बँल मागे तो शीघ्र ही खुले बाजार में प्राप्त न होने पर तोपखाने से एक बँल जोड़ी इन्दौर भेज दी गयी ।^{५६} अहल्याबाई होल्कर अपने मन्दिर निर्माण के लिए मकराणा के सफेद सगमरमर की माग करती रहती थी । महाराजा ने ३० अप्रैल १७८४ की सनद द्वारा मकराणा के पत्थर भेजने की लगातार व्यवस्था करा दी ।^{५७} जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है,^{५८} मानसिंह जसवन्तराव होल्कर की पत्नियो का राखीबध भाई बन गया था । जब १८०६ में मारवाड से वे विदा होने लगी तो मानसिंह ने उन्हें दो जडाऊ साडियाँ, दो कीमखाब और चार दुशाले दिये । इनके साथ वालो की भी भेंट दी गयी ।^{५९} १८११ में जबतराव होल्कर के उत्तराधिकारी की समस्या हल करने के लिए, उसकी एक परनी तुलसीबाई ने प्रार्थना की तो मानसिंह ने अपनी सेवाएँ तरकाल दे दी ।^{६०} प्रतिवर्ष तुलसीबाई और लाखाबाई मानसिंह को राखिया भेजतीं और बदले में उन्हें भेंट प्राप्त होती थी ।^{६१}

सिधिया की ओर से जो मराठा सरदार मारवाड में राजनैतिक, सामाजिक व पारिवारिक कार्यों के लिए आते थे, उनका सादर सम्मान होता था और बहुमूल्य भेंटो से उन्हें प्रसन्न रखा जाता था । न सिर्फ ऐसे अवसरों पर उन पर काफी खर्च किया जाता बल्कि जब वे विदा होते तो सिधिया और उनके पदाधिकारियों के लिए बहुमूल्य भेंटें भेजी जाती थी । १७६६ में ५० अन्ताजी जन् जोधपुर से विदा होने लगे तो उन्हें एक सगेया और २०० रुपये दिये गये । उनके साथ सिधिया के मन्त्री बेहारजी तक्पोर के लिए ४५००) रु०, एक घोडा, एक पाग, कीमखाब के दो थान, एक पोतिया और छापल कपडे के आठ थान भेजे गये ।^{६२} जब महादजी का प्रतिनिधि गढवा फकीरजी जनवरी १७६१ में जोधपुर आया तो उसकी अगवानी करने के लिए

राज्य के पदाधिकारी राजधानी से ३ मील आगे भेजे गये ।^{१३} जब तक वह जोधपुर में रहा, उस पर प्रति दिन दो सौ रुपये खर्च किया जाता था ।^{१४} जब वह १३ मई, १७६३ को जोधपुर से विदा हुआ तो, उसे एक हाथी, एक घोडा, ५००० रु० ग्यारह प्रकार के कपड़े, दक्षिणी कुमूमल (कोरपान) का एक दुपट्टा, दो जडाऊ तलवारें, एक जडाऊ पल्लुआ, एक जडाऊ सिरपेंच, मोतियों का एक हार और उसकी पत्नी के लिए एक जोड़ी सोने की चूड़िया तथा तीन साडिया, (दो लाल रंग की और एक जीएदार) दी गई ।^{१५} जुलाई १७६१ में जमातदार हजारीसिंह जोधपुर आया । महाराजा उससे अपने खास महल में मिले और अपने पास बिठाया । उस पर प्रति दिन ३००) रु० खर्च किये ।^{१६} जब शिरजीराव घाटवा का पुत्र हिन्दू राव १८१६ में जोधपुर आया तो उस पर ५०) रु० प्रतिदिन खर्च के आदेश दिये गये ।^{१७} जोधपुर दरबार में उपस्थित होने वाले मराठा सरदार शासकों के प्रति राज्य-नियमानुसार आचरण करते थे । जब भी वे दरबार में उपस्थित होते तो महाराजा को 'नजर' (भेंट) प्रस्तुत करते एवं उन पर निह्यरावल की जाती थी, जो कि उनके प्रति भक्ति की सूचक थी । वे बिना सीख (प्रस्थान की आज्ञा) लिये जोधपुर से प्रस्थान नहीं करते थे ।^{१८} दरबार में रहते हुए वे उन सभी समारोहों में भाग लेते जो राज्य द्वारा आयोजित किये जाते थे । १८ अप्रैल १७६१ को गढवा फकीर जी ने राज्य द्वारा आयोजित मण्णौर समारोह में भाग लिया और रात्रि भर उस उत्सव से सम्बन्धित आमोद-प्रमोद कार्यक्रम में उपस्थित रहा ।^{१९} जो कोई भी मराठा प्रतिनिधि दिवाली के अवसर पर जोधपुर में उपस्थित रहता तो उन्हे राजकीय पदाधिकारियों के समान भेंटें प्राप्त होती थी ।^{२०} दोनों परिवारों के शाही विवाह के अवसरों पर घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्ध देखने को मिलता है । तू गा के युद्ध (१७८७) के एक वर्ष पूर्व विजयसिंह ने महादजी सिधिया की पुत्री की शादी के अवसर पर चार मोहरें और १०) रुपये भेजे तथा उसकी पत्नी के लिए लहरिया कोरपल्ला की दो साडिया भेजीं ।^{२१} दौलतराव की पुत्री की शादी के अवसर पर मानसिंह ने ध्यास जसकरण के साथ एक जुलाई १८१७ को चार हजार रुपये और कपड़ों के चार घान भेजे ।^{२२} जुलाई १८२२ में उसकी दूसरी लडकी की शादी के समय महाराजा ने हजार रुपये भेजे ।^{२३} प० बाजीराव की पुत्री की शादी प० रामचन्द्र से हुई । वरात अजमेर से जोधपुर आयी । मानसिंह ने किले में सम्पूर्ण वरात को ३ मई १८३० को भोज दिया । इसके अलावा प० रामचन्द्र को सोने के कड़े मोतियों की माला व दुशाला भेंट किया तथा उसके चार मित्रों को दुशाले दिये गये ।^{२४}

जब कभी मराठा सरदार शत्रुओं पर विजय पाते तो जोधपुर के शासकों की ओर से उन्हें बधाईया भेजी जाती थीं । महादजी द्वारा असीगढ पर प्रविहार होने पर विजयसिंह ने बधाईया भेजीं ।^{२५} महादजी ने १७८२ के मारवाड में पडे अवाल की सहायता के लिए महाराजा को १५,००० रुपये भेजे ।^{२६} मराठा सेनापतियों व पदाधिकारियों के समय-समय पर बीमार पडने पर, जोधपुर के प्रसिद्ध वैद्यों को

उनकी सेवा-गुथ्रूपा के लिए भेजा जाता था। सिंधिया के दीवान बाजी नरसिंह की बीमारी के समय सहायता की गयी थी।^{१०७}

मारवाड के शासकों की धार्मिक भावना की मराठा नेता बहुत इज्जत करते थे। उनके प्रभाव-क्षेत्र में शासकों के गृहधर्म के पलायन करते समय सुरक्षा का उत्तर-दायित्व मराठों का होता था। १७६६ में विजयसिंह के गृह गोसाईं मुरलीधर ने गोठुल की यात्रा की। महादजी ने उनके ठहरने की व्यवस्था की तथा मार्ग में उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया।^{१०८} भीमसिंह की प्रार्थना पर अम्बाजी इगले ने उनके गृह की उत्तरी भारत के धार्मिक स्थलों की तीर्थ-यात्रा का सुप्रबन्ध किया।^{१०९} शिरजीराव घाटगा ने जुलाई १८०८ में मानसिंह को लिखा कि अयमजी महाराज के मन्दिर, जो जयपुर के निवाई क्षेत्र में थे, हर स्थिति में सुरक्षित रहेंगे तथा आक्रमण करने वालों या छूटने वालों से उनकी सुरक्षा की जाएगी।^{११०}

राठौड मराठा सम्पर्क से जोधपुर की कला और स्थापत्य कला पर कोई मराठी प्रभाव नहीं हुआ। नागौर के पास ताऊवर में जयप्पा सिंधिया के अवशेषों पर छतरी का निर्माण कराया गया। इसमें मराठी शैली का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। यह तो राजपूत शैली से प्रभावित मुगल स्थापत्य कला का प्रतीक है। यह छतरी ७ फीट ऊँची चौकोर चबूतरा पर बनी हुई है। इसका गुम्बद मुगल शैली का है और नक्काशी में स्थानीय प्रभाव है।^{१११} छतरी के मध्य में गुम्बद के शीतलिक शून्य भाग के नीचे गिर्बलिंग है।^{११२} यद्यपि मराठे जोधपुर में कला के नाम पर कुछ भी निर्मित नहीं कर सके, तथापि महाराष्ट्र में उनकी कला के विकास में मारवाड की मट्टकपूर्ण देन रही। इन्दौर उज्जैन और ग्वाणियर में मराठों ने सगमरमर पत्थर के कई मन्दिर बनवाये। सगमरमर मारवाड की मकराणा खान से भेजा जाता था।^{११३} जोधपुर किले के मोती महल की असह्य पतली छिद्रमयी लकड़ी की पत्तियों और बरामदा-प्रणाली की कला का प्रभाव इन्दौर के होल्कर महलों के मुख्य द्वार पूना में नाना फडनवीस के निवासस्थान, नागपुर के पुराने मोसतावद के पश्चिमी नगरखाना पर पडा प्रतीत होता है।^{११४}

(ड) मूल्योक्त

वरीब एक शताब्दी से अधिक समय तक (अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में) मारवाड के राठौड शासकों और मराठों का आपसी सम्पर्क रहा। प्रारम्भ में मराठों और बाद में अंग्रेजों ने मारवाड के राजनैतिक जीवन पर छाने का प्रयास किया। उत्तरी भारत में इसका जितना सबल एव सगातार विरोध मारवाड के राठौडों ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया। यह वास्तव में इस प्रदेश की जनता व शासकों की वीरता, साहस और शानदार कार्यों की परम्परा थी कि वे मराठों का और बाद में अंग्रेजों का सामना कर सके। इतनी लम्बी अवधि तक उनके सघर्ष का यदि सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो उनकी प्रशंसा ही करनी

होगी क्योंकि एक छोटा-सा राज्य, जिसका अधिक भाग रेतीला है और जिसके साधन कम थे, भयकर अवरोधों के होते हुए भी सघर्ष करता रहा। अतः उन कारणों एवं स्थितियों का मूल्यांकन आवश्यक है जिनसे उन्हें शक्ति और सघर्ष के लिए प्रेरणा मिलती रही।

एक शताब्दी तक मराठों और अंग्रेजों से सघर्ष करते रहने का सबसे मुख्य प्रेरक तत्त्व राठौड़ों की अवरोध करने की परम्परा है। उन्हें अपने वंश की शुद्धता एवं महानता पर गर्व था। उनका वह दृढ़ विश्वास था कि वे शत्रुओं से लोहा लेने के तए पैदा हुए हैं। रावसिंह से जोधाजी तक शत्रुओं से सघर्ष की प्रेरणा से उन्हें आत्मविश्वास और आत्म-बल मिलता रहा अतः भयंकर सङ्कटकाल में भी वे नहीं डराये। जब उन्होंने सार्वभौम मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया तब भी वे इस शान्ति का परित्याग नहीं कर सके कि वे पापियों से लड़ने के लिए सत्तार में पैदा हुए हैं। यही कारण है कि मुगल बादशाहों ने मारवाड में उनके वंशानुगत अधिकारों को चुनौती नहीं दी और जब उन्होंने इस नीति का परित्याग किया (जसवन्तसिंह की मृत्यु के बाद) तो उन्हें जन-विद्रोह (१६७६ से १७०७ तक) का सामना करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि राठौड़ों ने एक और अपनी परम्परागत प्रतिष्ठा को बनाये रखा, दूसरी ओर मुगल साम्राज्य के पतन के द्वार खोल दिये।

उनके सघर्ष की सफलता उन किलों के कारण भी थी जो मारवाड के चारों ओर बने हुए थे^{११५} जैसे मेडता नागौर, जोधपुर, डीडवाना और जालोर। जब कभी सघर्ष के दौरान उन्हें सुरक्षा के लिए आवश्यक हो वे इन किलों में चले जाते और वहाँ से आक्रमणकारी के विरुद्ध अपना सघर्ष चालू रखते थे।^{११६} इससे उनमें स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम हो गया और यही भावना उनमें शक्ति और विश्वास पैदा करने लगी तथा उनकी सुरक्षात्मक पक्ति को दृढ़ता प्रदान करती रही।

राठौड़ की सामन्तवादी व्यवस्था भी उनकी सफलता का एक कारण थी। सारे सामन्त राज्य को अपना समुक्त उत्तरदायित्व सम्भलते थे अतः राज्य की सुरक्षा हेतु वे अपनी जान हमेशा हथेली पर रख कर चलते थे। इस सामन्ती प्रथा ने देशभक्त, वीर और योग्य ठाकुर पैदा किये जो इस वंश और देश के लिए गौरवमय थे। जहाँ भारत के अन्य स्थानों पर सामन्त व्यवस्था केन्द्रीय राज्य शक्ति के लिए निरर्थक और बाधक सिद्ध हुई, वहाँ मारवाड में यह शक्तिशाली संस्था के रूप में विकसित हुई। राठौड़ सामन्तों की युद्ध के समय अल्पकालीन सूचना पर सैनिकों को एकत्रित करने की विधि में अद्वितीय सगठन की सफलता निहित थी।^{११७}

उपरोक्त परिस्थितियाँ हर समय और हर युग में समान नहीं थीं। वे सामन्त जिद्दों ने राजपूतों शौर्य के उदाहरण प्रस्तुत किये और जो युद्ध काल में वंसरिया बाना पहनकर वंश भङ्गित करते थे, १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से पतन की ओर बढ़ने लगे। इस युग के सामन्त राज्य के सामान्य हित की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत

हियों पर अधिक ध्यान देने लगे। रामसिंह के ममय राठौड़ सामन्तों का भरने शासक को त्यागना एव रामसिंह का जयप्या से मिलना आदि राज्य के लिए घातक सिद्ध हुए।^{११८} जोधपुर के मुख्य जागीरदार पोरकरण के सवाईसिंह और उसके चाँपावत और मेडनिया राठौड़ मानसिंह का साथ छोड़ कर मारवाड़ में मराठों और पिडारियों को ले आये।^{११९} यहाँ तक कि युवराज भी इनसे जा मिला।^{१२०} अतः इन सामन्तों के कार्यों को समाप्त करने तथा अपनी स्वतन्त्र इकाई को बनाये रखने के लिए राठौड़ शासकों ने पड़ोसी प्रदेशों से वेतन भोगी सैनिकों को भर्ती करना शुरू किया।^{१२१} इससे राठौड़ जागीरदारों का सैनिक और राजनैतिक प्रभाव कम होने लगा। १८२१ में उन्होंने बर्नल टॉड को जा प्रतिवेदन दिया,^{१२२} उससे उनका राज्य के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट प्रकट होता है।

विजयसिंह के अंतिम जीवन-काल से मारवाड़ के राठौड़ों की युद्ध करने की क्षमता का पतन होने लग गया था। जब डी०बी०ई० के तोपखाने ने मेडता-युद्ध (१० सितम्बर १७६०) में उपा-काल में गोले दागने शुरू किये तो उसके प्रभाव का मार्मिक वर्णन कनलटॉड ने अपने ग्रन्थ में किया है उससे राठौड़ों की युद्ध-कला की अधोगति स्पष्ट दिखाई देती है। टॉड लिखता है कि,^{१२३} सब और गडगडाहट थी, विरोध बड़ा बमजोर था, सेनापति भाग गये। सुदूर आउवा और आसोप के ठाकुरों के कैंप में खडबडाहट की चेतावनी पहुँची। आसोप भफ़ीम खाकर गहरी निद्रा में तल्लीन था। बड़ी मुश्किल से उसके साथी ने उसे जगाकर शोचनीय स्थिति से अवगत कराया, उसके कैंप के सभी लोग भाग गये थे, सिर्फ वही भवेला वहाँ था। इस प्रकार रण-क्षेत्र में राठौड़ों का मनोबल आक्रांता मराठा शक्ति का विरोध करने की क्षमता नहीं रखता था। मराठे निश्चक मारवाड़ को लूटते रहे, और उनके देश को नष्ट करते रहे और उनके शासकों से लगातार कर वसूल करते रहे। मारवाड़ी नागरिकों, सामन्तों और शासकों की नैतिकता पतनावस्था की ओर थी। परिणाम-स्वरूप मराठा शक्ति के पतन के बाद सार्वभौम शक्ति के रूप में जब अंग्रेज भारत में छा गये, तो उन्होंने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और बिना विरोध के राठौड़ राज्य को अपना 'अधीनस्थ राज्य' बना लिया।



सन्दर्भ

१. पे०द० का (नयी सीरीज) भाग (१) ६
२. पे०द० का (१४), १४
३. उपर्युक्त (२७) २
४. दयालदास री रूपात (२) ७१-७२; मारवाड़ री रूपात (२) पृ० १६०
५. पे०द० का (२१) ८२; ऐतिहासिक पत्र १४२; दयालदास री रूपात (२) ८२
६. एटिशिचन : ट्रीटीज, ए गेजमेण्ट्स व सनदें (३) पृ० १२८-१२९
७. महादजी का विजयसिंह को पत्र, आश्विन सुदी ७, वि०स० १८४३ । २९ सितम्बर १७८६, (पो०फो० नं० ६, पत्र नं० ६५ जोष०); हयवही न० २, पृ० १३४
८. बाजीराव का जयसिंह को पत्र, आषाढ बदी ७ वि०स० १७८८ । १५ जून १७३१ (कपड-जय०)
९. जोषपुर येथील २; हयवही न० (२) पृ० १३४; राठोड दानेश्वर वशावली, पृ० ४०८, दोहा ६६५
१०. एस०एस० घाई०एस० (१), (२), १८, १९, २०, १६०
११. राठोड दानेश्वर वशावली, पृ० ४०८, दोहा ६६५
१२. जोष० येथील १-१२६
- १३-१४. भीमसिंह का महादजी को पत्र, आषाढ सुदी ९ वि०स० १८४९ । १७ जुलाई १७९३ (घ०व०नं० ४, पृ० ५०-जोष०)
१५. जोषपुर येथील १-२६; एस०एस०घाई०एस० (१), ६, १७, ४८, १५१ (२) ४१, १२२; राठोड दानेश्वर वशावली, पृ० ४०८, दोहा ६६५
१६. देविए ग्रंथाय पाँच खण्ड (४)
१७. हकीकत बर्ती न० ५ पृ० १९०
१८. उपर्युक्त न० ८, पृ० ४८०, न० ९, पृ० २-४, ३७
१९. विजयसिंह का महादजी को पत्र, पीप सुदी १४, वि०स० १८४८ । ८ जनवरी १७९२ (घ०व०नं० ४, पृ० ४८ जोष०)
२०. पत्र, चैत बदी ५, वि०स० १८७५ । १६ मार्च १८१८
२१. एस०एस०घाई०एस० (२), ४१
२२. बाजीराव की सास रुक्मा, भाद्रपद सुदी २, वि०स० १८९० । २ अगस्त १७८३ (घ०व०नं० ५, पृ० ७३ जोष०)

- २३ पत्र कार्तिक सुदी ५, वि०स० १८८४। २५ अक्टूबर १८२७ (जमा खर्च फाइल न० ४४, होलिया-जोध०)
- २४ हयबही न० ४, पृ० १८२ जोध०
२५. पी०घार०सी० (११) २६७; मानसिंह का दौलतराव सिधिया को पत्र, भाद्र पद बदी ३ वि०स० १८७५। २४ अगस्त १८०८ (अ०ब०न० ५, पृ० १०)
- २६ पी०घार०सी० (१४), ३२१, हकीकत बही न० (१०) पृ० ११८
२७. विजयसिंह वा महादजी को पत्र, भाद्रपद बदी १४ वि०स० १८३५। २१ अगस्त १७७८ (अ०ब०न० ४, पृ० ३७ जोध०)
- २८ दौलतराव मानाराव वावले का विजयसिंह को पत्र, श्रावण बदी १३, वि०स० १८४८। २७ जुलाई १७६१ (पो०फो० न० ६, पत्र ६० जोध०)
२९. विजयसिंह का महादजी को पत्र, आषाढ सुदी १, वि०स० १८४७। २ जुलाई १७६१ (अ०ब०न० ४, पृ० ४६ जोध०), स्पीयर्स का सदरलेण्ड को पत्र, १४ जनवरी १८४२, आर०ए०ग्रो० फाइल न० १७, जोध० १८४२ पृ० १
- ३० विजयसिंह का महादजी को पत्र, वैशाख बदी १४, वि०स० १८४८। २० अप्रैल १७६२ (अ०ब०न० ४, पृ० ४६ जोध०)
- ३१ उपर्युक्त, भाद्रपद सुदी १२, वि०स० १८४८। १६ सितम्बर १७६१ (अ०ब० न० ४, पृ० ४७)
- ३२ हकीकत बही न० ६, पृ० ३१, जोध०
३३. विजयसिंह वा महादजी को पत्र, आषाढ सुदी १, वि०स० १८४७। २ जुलाई १७६१ (अ०ब०न० ४, पृ० ४५ जोध०)
३४. महादजी का विजयसिंह को पत्र, भाद्रपद सुदी ५ वि०स० १८४०। १ सितम्बर १७८३, भाद्रपद बदी ४, वि०स० १८४८। १७ अगस्त १७६१ (पो०फो० न० ६, पत्र नं० ४५ व ६१ क्रमशः जोध०)
- ३५ उपर्युक्त को पत्र, भाद्रपद सुदी ५, वि०स० १८४०। १ सितम्बर १७३८ (पो०फो० न० ६, पत्र न० ४५); विजयसिंह का महादजी को पत्र, भाद्रपद बदी १४, वि०स० १८३५। ३१ अगस्त १७७८; ज्येष्ठ सुदी ४, वि०स० १८४६। १३ जून १७६३, (अ०ब०न० ४, पृ० ३७ व ५० जोध०)
३६. भीमसिंह वा दौलतराव सिधिया को पत्र, कार्तिक सुदी, १३, वि०स० १८५२। २४ नवम्बर १७६५ (अ०ब०न० ४, पृ० ५३ जोध०)
३७. दुर्गादास का दीवान भगवानदास (भाईजी का मन्दिर धिलाडा) को पत्र, आषाढ सुदी १३, वि०स० १७६२। १२ जुलाई १७०६, (काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ग्रन्थ (१))
३८. पी०घार०सी० (६), १४
३९. हकीकत बही न० (६) पृ० २-४ जोध०
४०. लडलो का सदरलेण्ड को पत्र, १५ जुलाई १८४० (सदरलेण्ड का टोरेन्स को

पत्र, १८ जुलाई १८५० मे सलग्न एक०पी० ३ अगस्त १८४० न० १२३)

- ४१ पे०द० का भाग (२१) ८२, एतिहासिक पत्र १४२
- ४२ महादजी का विजयसिंह को पत्र, ज्येष्ठ वदी ५, वि०स० १८२६ । ८ जून १७६६ (पी०फो० न० ६, पत्र न० ६ जोष०)
- ४३ उपयुक्त, पीप मुनी १, वि०स० १८४७ । ५ जनवरी १७६१ (पी०फो० ६, पत्र न० ६७ जोष०)
- ४४ ४५ उपयुक्त चंद्र वदी ५, वि०स० १८२६ । २३ मार्च १७७२, (पी०फो० न० ६, पत्र २०, २१ जोष०)
- ४६ ४७ मेटवॉक का जे० एडम्स की पत्र, १५ जनवरी १८१८, एक०एम० ६ फरवरी, १८१८, न० १०२
- ४८ महादजी का विजयसिंह को पत्र प्राशिवन सुदी ७, वि०स० १८४३ । २६ सितम्बर १७८६ (पी०फो० ६ पृ० न० ५५)
- ४९ मारवाड की ख्यात (२), पृ० १६०
- ५० दिगल्ले दफ्तर (१) ५६
- ५१ राठोड दानेश्वर वशावली पृ० ३६६, दोहा ४१३
- ५२ ए० सेटोन का एन०बी० एडमोन्स्टन की पत्र, २६ जनवरी १८०७, एक०पी० १२ फरवरी १८०७ न० ६६
- ५३ हृषिकेश भाग (२), पृ० १२४-१२५, विजैशाही और वृंदावन मुद्राओं का परिचयत अक १ १ २६ (सदाशिव का महता अखंडचंद्र को पत्र, ज्येष्ठ सुदी ६, वि०स० १८६२ । २७ मई १८०६ (अ०अ०न० ५, पृ० ६७)
- ५४ जमा खर्च की फाइल न० ४४, (ठोलिया-जोष०)
- ५५ महादजी का विजयसिंह को पत्र, पीप मुनी १, वि०स० १८४७ । ५ जनवरी १७६१ (पी०फो० ६, पत्र ५७)
- ५६ सिधवी इन्द्रराज का नाजर मोतीराम को पत्र, फाल्गुन वदी ७, वि०स० १८६४ । १८ फरवरी १८०८ (अ०अ०न० ५ पृ० २४५)
- ५७ ५८ जमाखर्च फाइल न० ४४ (ठोलिया-जोष०)
- ५९ १७६६ म महादजी ने जोधपुर से कर का धाना भाग अग्रिम ले लिया था । पेशवा ने यह स्वीकार किया कि जो भाग महादजी को दिया गया था वह उसे नहीं दिया जाएगा । (विजयसिंह का महादजी को पत्र, ज्येष्ठ वदी १२, वि०स० १८२२ । ४ जून १७६६ अ०अ० न० ४, पृ० २४ जोष०, पे०द० का भाग (२६), पृ० १२८, गढ़वा फकीरजी ने २५००० रुपये (५५५ मोहरें, जो कि दस हजार के मूल्य की थीं तथा १५००० की हडियाँ, जो वि १७६१ में जयपुर में भुगतायी गयी) अग्रिम लिये, जिसका हिसाब १७६२ के कर में नियमानुसूल कर लिया गया (जमा खर्च फाइल-ठोलिया-जोष०)

- ६० ५ जनवरी १७६२ को दस हजार के चार हाथी, ४७७ ऊँट त्रिनका प्रत्येक का मूल्य २०० रुपये था और १२५ रुपये जोड़े के ४४७ जोड़े बंल महादजी को भेजे गये थे (जमा-सर्च फाइल न० ४४ ठोलिया जोष०)
६१. धनसिंह ने १७६२ में राज्य से ४००० रुपये मूल्यवान गहने खरीदने के लिए जिसे बाद में महादजी के कर में से काट लिया गया (जमा-सर्च फाइल न० ४४ ठोलिया-जोष०)
- ६२ १७६२ में पण्डित रामाराव सदाशिव की जमानत पर धनसिंह को जोषपुर राज्य-कोष से २०,००० रुपये दिलाये गये जिनमें कि वह अपनी सेना को वेतन दे सके । (जमा-सर्च फाइल न० ४४, ठोलिया-जोष०)
- ६३-६४ महादजी का विजयसिंह को पत्र, ज्येष्ठ सुदी ५, वि०स० १८१६ । ८ जून १७६६ (पो०फो० नं० ६, पत्र ८, जोष०)
- ६५-६६. महादजी का विजयसिंह को पत्र, पौष सुदी १ वि०स० १८४७ । ५ जनवरी १७६१ (पो०फो० नं० ६, पत्र न० ५७ जोष०), फौज सर्च-जो कि सेना-निर्वाह के लिए लिया जाता था ।
दरबार सर्च—जो कि सिधिया दरबार के निर्वाह के लिए था ।
बराह—भिन्न-भिन्न देशों पर कर
बोला—यह बोलवा था, सुरदा-कर
- ६७ एक विल्डर का डेविड प्रॉक्टरसोनी को पत्र, २७ सितम्बर १८१८, अजमेर रिवाइंड (राज० अभिलेखागार)
६८. वि०स० १८१७ बस्ता नं० ५८ मण्डार (१) बोट रिवाइंड (राज० अभिलेखागार) घोड़ी बराह या घासदाणा—खेतों से मराठा घोड़ों को छुर रखने के बदले ये चार घाना प्रति बीघा ली जाती थी ।
६९. महादजी का विजयसिंह को पत्र, चैत्र बदी ५, वि०स० १८२६ । २३ मार्च १७७२ (पो०फो० नं० ६, पत्र न० १८)
- ७० विजयसिंह का महादजी को पत्र, पौष सुदी ७, वि०स० १८३२ । २८ दिसम्बर १७७५ (अ० व० नं० ४, पृ० ३५ जोष०)
- ७१ मानसिंह का वापूजी सिधिया को पत्र, वैशाख सुदी ३ वि०स० १८६४ । २८ अप्रैल १८०८ (अ० व० नं० ५, पृ० ४२-४३ जोष०)
७२. महादजी का विजयसिंह को पत्र, भाद्रपद बदी ४, वि०स० १८४७ । १७ अगस्त १७६१, भाद्रपद सुदी ६, वि०स० १८४६ । २६ अगस्त १७६२ (क्रमशः पो०फो० नं० ६, पत्र ६१, अ० व० नं० ४, पृ० १३३ जोष०)
७३. तुकोजी होल्कर का विजयसिंह को पत्र, घापाड़ बदी ६, वि०स० १८४१ । ६ जून १७८४ (पो०फो० २ ब (१) पत्र नं० ४ जोष०)
७४. विजयसिंह का महादजी को पत्र, पौष बदी १, वि०स० १८४८ । ११ दिसम्बर १७६१ (अ० व० नं० ४, पृ० ४८) ; मानसिंह का जसवन्तराव का

पत्र, वैशाख बदी ४, वि०स० १८६६, १६ अप्रैल १८१३ (अ०ब०न० ५, पृ० ६१)

- ७५ एफ०पी० २६ सितम्बर १८३६ न० ३६
७६. मारवाड़ की ख्यात (१), पृ० २४१-२४२
- ७७ हयबही न० ४, पृ० १७८-१७९
७८. दुर्गादास का दीवान भगवानदास (घाईजी मन्दिर बिलाडा) को पत्र, आषाढ़ सुदी १३, वि०स० १७६३ । १२ जुलाई १७०६ (काशी प्रचारिणी पत्रिका भाग (१), मुशी देवीप्रसाद का लेख 'कवि कलश')
- ७९ पे०द० का (३०) ३७४
८०. मारवाड़ की ख्यात (२), पृ० १५६; वन भास्कर (४), पृ० ३५३४-३५४२
८१. मारवाड़ की ख्यात (२) पृ० १५६
८२. विजयसिंह का जसवन्तराव बावले को पत्र, माघ बदी १२, वि०स० १८२५ । ३ फरवरी १७६६ (अ०ब०न० ४, पृ० ८४ जोष०)
८३. हकीकत वही न० ८, पृ० ४५०
- ८४ उपयुक्त न० ६, पृ० ७३-७६
८५. तुकोजी का विजयसिंह को पत्र, वैशाख बदी १०, वि०स० १८२६ । १ मई १७६६ (पो०फो० न० २, ब पत्र ३ जोष०)
- ८६ विजयसिंह का पंडित गंगाधर को पत्र, ज्येष्ठ सुदी १०, वि०स० १८२० । ६ जून १७६४ (अ०ब०न० ४, पृ० १७ जोष०)
- ८७ सवाईराम का तिलकोजी पडसाजी को पत्र, वैशाख सुदी १०, वि०स० १८४१ । ३० अप्रैल १७८४ (अ०ब०न० ४, पृ० २७१ जोष०)
- ८८ देविए अध्याय पाच, खण्ड 'ब' ' ' ' ।
- ८९ हकीकत वही नं० ६, पृ० २, ५, २२ व ३७
- ९० मानसिंह का तुलसीबाई को पत्र, मार्गशीर्ष सुदी १५, वि०स० १८६६ । ३० नवम्बर, १८११ (अ०ब०न० ५, पृ० १०४ जोष०)
- ९१ हकीकत वही न० ९, पृ० ३७
- ९२ विजयसिंह का बेहारजी तकवीर को पत्र, माघ बदी ४ वि०स० १८२५ । २६ जनवरी १७६६ (अ०ब०न० ४, पृ० ६८ जोष०)
- सगोसा—सिर से पैर तक वे वस्त्र
पाय — ५ गज लम्बा और एक गज चौड़ा साफा
पोतिया— ५ गज लम्बा और ढाई फुट चौड़ा साफा
थान — नौ हाथ लम्बा कपडा ।
- ९३ हकीकत वही न० ५, पृ० १६० जोष०
- ९४-९५. उपयुक्त, पृ० २०८

कसूमल — गहरा लाल रंग

कोरपाण—बिना धुला कोरा कपडा

सरपेचा साफे के चारो तरफ बांधने के लिये छोटी पाष

पट्टमा — तोलिया-नुमा डेढ गज लम्बा दो फुट चौडा मोटा कपडा ।

६६ उपयुक्त, पृ० २१६

६७ हकीकत बही न० १०, पृ० १०६

६८ निधिरावल शामक को धन भेंट करने का एक तरीका होता है । हकीकत बही न० (५) पृ० १६७

६९ उपयुक्त, पृ० २०४

१०० मेरुनाँटन का एलवीस को एक पत्र, ३० अक्टूबर १८३८, एफ०पी० २३ जनवरी १८३६ न० ३० (अप्पाजी को १८२६ से जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक दिवाली के अवसर पर ३०० रुपया भेंट में दिया जाता था) ।

१०१. हयबही न० २ पृ० १६८

१०२ मानसिंह का दीलतराव को पत्र, प्रथम श्रावण बदी ३, वि०स १८७४ ।

१ जुलाई १८१७ (अ०ब० न० ५, पृ० १८ जोष०)

१०४ हकीकत बही न० ११ पृ० २४८

१०५ विजयसिंह का महादजी को पत्र श्रावण बदी ६, वि०स० १८३६ । २ अगस्त १७८२ (अ०ब०न० ४, पृ० ४०, जोष०)

१०६ महादजी का विजयसिंह को पत्र, श्रावण बदी २, वि०स० १८३६ । २६ जुलाई १७८२ (पो०फो० न० ६, पत्र न० ४४ जोष०)

१०७ उपयुक्त, चंद्र बदी ११, वि०स० १७२५ । २ अगस्त १७६६ (पो०फो० न० ६, पत्र न० ४, जोष०)

१०८ विजयसिंह का महादजी को पत्र, वैशाख सुदी ४, वि०स० १८२६ । ६ मई १८२६ (अ०ब०न० ४, पृ० २६, जोष०)

१०९ भीमसिंह का अम्बाजी इग्ले को पत्र, फाल्गुन बदी ७, वि०स० १८५७ । ५ फरवरी १८०१ (अ०ब०न० ४, पृ० ७४ जोष०)

११० मानसिंह का एस०भार० घाटका को पत्र, श्रावण सुदी ६, वि०स० १८६५ । २६ जुलाई १८०८ (अ०ब०न० ५, पृ० ६७, जोष०)

१११ देखिए परिशिष्ट

११२. विजयसिंह का महादजी को पत्र, भाषाठ सुदी १, वि०स० १८४७ । २ जुलाई १७६१, (अ०ब०न० ४, पृ० ४५ जोष०)

११३ तुकोजी का विजयसिंह को पत्र, भाषाठ बदी ६, वि०स० १८४१ । ६ जून १७८४ (पो०फो० न० २, व फाइल न० १, पत्र न० ४ विजयसिंह का महादजी को पत्र, भाद्रपद सुदी १२ वि०स० १८४८ । ६ सितम्बर १७६१ (अ०ब०न० ४, पृ० ४७ जोष०)

११४. डा० एच० गोज का लेख 'मराठी कला और उसकी समस्या' (वी०सी०लॉ० स्मारिका ग्रन्थ भाग (२) १९४६, पृ० ४४१)
११५. होल्कर और सिधिया ने १७३६ मे मेडता का घेरा डाला (पे०द० का (१४) १४) । लम्बे भरते तक (१७५४-१७५६) घेरे के बावजूद जयप्पा सिधिया नागौर का किला नहीं ले सका । इस घेरे के फलस्वरूप उसकी हत्या हुई । (पे०द० का (२१) ६७, ६९, (२७) १०६, ११६ । १८०७ मे जोधपुर के किले की सुट्टड़ नाकेबन्दी के कारण ही राठोड़ अमीरखा और मराठो के घेरे का सफलतापूर्वक सामना करते रहे । (पी०आर०सी० (२) २३०), जालोर किले मे मानसिंह भीमसिंह के हाथो बचा रहा । टॉड (२) पृ० १०७६-१०८०), अक्टूबर १७५५ मे मराठो से हार जाने के बाद अनिरुद्धसिंह ने डीडवाना के किले मे शरण ली । (पे०द० का (१६) ७६, ७७)
- ११६ शासक नागौर पर हमेशा अपना अधिकार बनाये रखते थे क्योंकि इसके उत्तर मे रेगिस्तान था, जहाँ वे समय पढने पर सुरक्षा हेतु भाग सकते थे । (पे०द० का नयी सिरीज) (१) १८६)
- ११७ टॉड (२) पृ० ११२०, लिखता है कि मारवाड़ में २४ घराने सामन्तो के थे, जिनमे सिर्फ दो ही विदेशी थे । ये सभी एक ही वंश के थे ।
११८. पे०द० का (१६) ६०; उपर्युक्त, नयी सिरीज, भाग १, १७७
११९. पी०आर०सी० (११) २१०, २२४, २२५
- १२० हकीकत बही न० १०, पृ० ८४, मेटवॉफ का जे० एडम्स को पत्र, २ दिसम्बर १८१५, एफ०बी० १३ जनवरी १८१६ न० २७
१२१. टॉड (२) पृ० १०६७
- १२२ टॉड (१) पृ० २२८-२३०
- १२३ टॉड (२) पृ० ८७६-८८०

कमूमल — गहरा लाल रंग
 कोरपाण—बिना धुला कोरा कपड़ा
 सरपेचा साफे के चारों तरफ घाँघने के लिये छोटी पाघ
 पञ्चुमा — तोलिया-नुमा डेढ़ गज लम्बा दो फुट चौड़ा मोटा कपड़ा ।

- ६६ उपयुक्त, पृ० २१६
 ६७ हकीकत बही न० १०, पृ० १०६
 ६८ निछरावल शामक को धन भेंट करने का एक तरीका होता है । हकीकत बही न० (५) पृ० १६७
 ६९ उपयुक्त, पृ० २०४
 १०० मेकनॉटन का एलबीस को एक पत्र, ३० अक्टूबर १८३८, एफ०पी० २३ जनवरी १८३९ न० ३० (अप्पाजी को १८२९ से जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक दियाली के घरसर पर ३०० रुपया भेंट में दिया जाता था) ।
 १०१. हयबही न० २ पृ० १६८
 १०२ मानसिंह का दोलतराव को पत्र, प्रथम श्रावण बदी ३, वि०स १८७४ । १ जुलाई १८१७ (अ०ब० न० ५, पृ० १८ जोष०)
 १०४ हकीकत बही न० ११ पृ० २४८
 १०५ विजयसिंह का महादजी को पत्र श्रावण बदी ६, वि०स० १८३६ । २ अगस्त १७८२ (अ०ब० न० ४, पृ० ४०, जोष०)
 १०६ महादजी का विजयसिंह को पत्र, श्रावण बदी २, वि०स० १८३६ । २६ जुलाई १७८२ (पो०फो० न० ६, पत्र न० ४४ जोष०)
 १०७ उपयुक्त, चैत्र बदी ११, वि०स० १७२५ । २ अप्रैल १७६६ (पो०फो० न० ६, पत्र न० ४, जोष०)
 १०८ विजयसिंह का महादजी को पत्र, वंसाख सुदी ४, वि०स० १८२९ । ६ मई १८२६ (अ०ब० न० ४, पृ० २६, जोष०)
 १०९ भीमसिंह का अम्बाजी झाले को पत्र, फाल्गुन बदी ७, वि०स० १८५७ । ५ फरवरी १८०१ (अ०ब० न० ४, पृ० ७४ जोष०)
 ११०. मानसिंह का एस०भार० घाटका को पत्र, श्रावण सुदी ६, वि०स० १८६५ । २६ जुलाई १८०८ (अ०ब० न० ५, पृ० ६७, जोष०)
 १११ देखिए परिशिष्ट
 ११२. विजयसिंह का महादजी को पत्र, आषाढ सुदी १, वि०स० १८४७ । २ जुलाई १७६१, (अ०ब० न० ४, पृ० ४५ जोष०)
 ११३ तुकोजी का विजयसिंह को पत्र, आषाढ बदी ६, वि०स० १८४१ । ६ जून १७८४ (पो०फो० न० २, ब फाइल न० १, पत्र न० ४ विजयसिंह का महादजी को पत्र, भाद्रपद सुदी १२ वि०स० १८४८ । ६ सितम्बर १७६१ (अ०ब० न० ४, पृ० ४७ जोष०)

- ११४ डा० एच० गोज का लेख 'मराठी कला और उसकी समस्या' (वी०सी०लॉ० स्मारिका ग्रन्थ भाग (२) १९४६, पृ० ४४१)
११५. होल्कर और सिंधिया ने १७३६ में मेड़ता का घेरा डाला (पे०द० का (१४) १४)। लम्बे अरसे तक (१७५४-१७५६) घेरे के बावजूद जयपुरा सिंधिया नागौर का किला नहीं ले सका। इस घेरे के फलस्वरूप उसकी हत्या हुई। (पे०द० का (२१) ६७, ६९, (२७) १०६, ११६। १८०७ में जोधपुर के किले की मुट्ठ नावेवन्दी के कारण ही राठोड अमीरखा और मराठो के घेरे का सफलतापूर्वक सामना करते रहे। (पी०आर०सी० (२) २३०), जालोर किले में मानसिंह भीमसिंह के हाथों बचा रहा। टॉड (२) पृ० १०७९-१०८०), अक्टूबर १७५५ में मराठो से हार जाने के बाद अनिरुद्धसिंह ने डोडवाना के किले में शरण ली। (पे०द० का (१६) ७६, ७७)
- ११६ शासक नागौर पर हमेशा अपना अधिकार बनाये रखते थे क्योंकि इसके उत्तर में रेगिस्तान था, जहाँ वे समय पडने पर सुरक्षा हेतु भाग सकते थे। (पे०द० का नयी सिरीज) (१) १८६)
- ११७ टॉड (२) पृ० ११२०, लिखना है कि भारवाड़ में २४ घराने सामन्तो के थे, जिनमें सिर्फ दो ही विदेशी थे। ये सभी एक ही वंश के थे।
११८. पे०द० का (१६) ६०; उपर्युक्त, नयी सिरीज, भाग १, १७७
११९. पी०आर०सी० (११) २१०, २२४, २२५
- १२० हकीकत बही न० १०, पृ० ८४, मेटवॉक का जे० एडम्स को पत्र, २ दिसम्बर १८१५, एफ०वी० १३ जनवरी १८१६ न० २७
- १२१ टॉड (२) पृ० १०६७
- १२२ टॉड (१) पृ० २२८-२३०
- १२३ टॉड (२) पृ० ८७९-८८०



अध्याय ६

ऐतिहासिक ग्रन्थ विवरण

मारवाड-मराठा सम्बन्ध काल (१७२४-१८४३) का इतिहास जानने के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उनका वर्गीकरण निम्नलिखित है—

- (क) फारसी तवारीख
 - (ख) फरमान, अखबारात और बकील रिपोर्ट (फारसी में)
 - (ग) समकालीन मराठी ग्रन्थ
 - (घ) समकालीन मराठी पत्र
 - (ङ) समकालीन राजस्थानी खरीते और पत्र
 - (च) समकालीन बहो अभिलेख (राजस्थानी में)
 - (छ) राजस्थानी—हस्तलिखित ग्रन्थ
 - (ज) संस्कृत—हस्तलिखित ग्रन्थ और पत्र
 - (झ) ख्यात साहित्य
 - (ट) म प्रेजी अभिलेख (अप्रकाशित)
 - (ठ) म प्रेजी अभिलेख (प्रकाशित)
 - (ड) प्रकाशित पुस्तकें
 - (ढ) गजेटियर
 - (ण) पत्रिकाएँ
 - (त) मानचित्र
 - (थ) पचाग
- (क) फारसी तवारीखें

आलमगीरनामा—(फारसी में, बिल्लिघोषिका इण्डिका की प्रति)

लेखक मिर्जा मुहम्मद नासिम। यह ग्रन्थ औरंगजेब के प्रारम्भिक १० वर्षों का राजकीय इतिहास है। जसवतसिंह और औरंगजेब के बीच प्रारम्भिक सम्बन्धों पर यह ग्रन्थ प्रकाश डालता है। इसमें इन तथ्यों का भी उल्लेख है कि दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध जसवतसिंह के क्या कार्य थे।

मन्नासिर ए आलमगीरी—(सरस्वती भठार लाइब्रेरी, उदयपुर की प्रतिलिपि: बिल्लिघोषिका इण्डिका की प्रतिलिपि १८७०—फारसी में)—लेखक मुहम्मद साकी मुस्तदला।

गुजरात में जसवतसिंह की सूबेदारी, शिवाजी-शाहस्ताखा काण्ड मे जसवतसिंह का भाग, दक्षिण मे मराठो के विरुद्ध उसके अभियान, जसवतसिंह की मृत्यु के बाद राठौडो का मुगल विरोध और मराठो से सहायता लेने के लिए दुर्गादास का दक्षिण की ओर प्रयाण, इस काल के मारवाड-मराठा सम्बन्ध के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है ।

मुन्तखब उल-सुबाब (बिब्लियोयिका इण्डिका की प्रतिलिपि, १८६६, फारसी में) लेखक मुहम्मद हाशिम खफी खा ।

यह ग्रन्थ दो भागो मे है । एक भाग मे बाबर से शाहजहाँ तक की घटनाओं का वर्णन है । दूसरा ग्रन्थ औरंगजेब के समय का इतिहास बतलाता है । खफी खा औरंगजेब का समकालीन था । वह गुप्त रूप से इस ग्रन्थ की रचना करता रहा । जब मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई तो उसने इस ग्रन्थ को प्रकट कर दिया । लेखक ने इसे अस्वीकार किया है कि शाहस्ताखा काण्ड मे जसवतसिंह का पूर्व निर्धारित भाग था । इसके अलावा राठौडो की मुगल विरोधी सैनिक गतिविधियाँ, दुर्गादास की दक्षिण यात्रा, शम्माजी से उसकी मित्रता आदि पर भी नये तथ्य दिये है । १७१६ मे महाराजा अजीतसिंह के मराठो से मिलकर फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के प्रयत्नों के बारे मे भी विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है ।

मघासिर उल उमरा—(बिब्लियोयिका इण्डिका की प्रतिलिपि १८८७-१८६५ फारसी मे) लेखक—शाहनवाजखा ।

इस ग्रन्थ मे बाबर से लेकर औरंगजेब के शासन के २२ वें वर्ष (१६८०) तक के मुगल सामंतो, मनसबदारो और उच्च पदाधिकारियों के जीवन वृत्तांत हैं ।

मवशा ए विल खुश—(रघुवीर लाइब्रेरी, सीतामऊ की प्रतिलिपि, फारसी में) लेखक—भीमसेन

लेखक दक्षिण भारत मे मुगल प्रशासन का एक कर्मचारी था । १६७०-१७०७ की घटनाओं का वह चश्मदीद गवाह था । इस ग्रन्थ से मुझे ५ अप्रैल १६६३ की रात्रि मे शिवाजी के शाहस्ताखा पर आक्रमण व बाद की घटनाओं मे मराठा राठौड सम्बन्धो का मूल्यांकन करने मे अत्यन्त सहायता मिली । इस ग्रन्थ से शिवाजी और जसवन्तसिंह के बीच १६६७-१६७० मे मधुर सम्बन्धो के बारे में तथ्य दिये हुए हैं ।

फतूहात ए भालम गौरो—(रघुवीर लाइब्रेरी, सीतामऊ की प्रतिलिपि फारसी में, लेखक—ईश्वरदास नागर)

लेखक गुजरात के पाटन नगर का नागर ब्राह्मण था । जोधपुर मे मुगल शासन स्थापित हो जाने पर औरंगजेब ने किले में इसे नियुक्त किया । वह राजस्थान मे ऐतिहासिक घटनाओं (१६५७-१६६८) का प्रत्यक्ष दर्शक था । इसके ग्रन्थ में राठौड-मराठा सम्बन्ध पर कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं प्राप्त हुआ फिर भी राठौड मुगल

सम्बन्धों के लिए यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ गुजरात में जसवन्तसिंह की सूबेदारी के बारे में तथा अजीतसिंह के मुगलों के विरुद्ध सैनिक सघर्ष के बारे में अधिकारपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराता है।

मीरात ए एहमदी—(बिब्लियोग्रफिका इण्डिका की प्रतिलिपि, फारसी में) लेखक—अली मुहम्मद खा।

इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं। गुजरात में राठीड सूबेदारी—जसवन्तसिंह, अजीतसिंह अमरसिंह के कार्यों के बारे में इस ग्रन्थ में महत्त्वपूर्ण तथ्य हैं। बाजीराव और अमरसिंह के बीच अहमदाबाद समझौता, बडोदा पर अधिकार करने के लिए मराठों और राठीडों की लड़ाई, पीलाजी गायकवाड की हत्या तथा गुजरात में अमरसिंह के प्रशासन का इसमें विस्तृत वर्णन है।

सीयर मुताखरीन—(१९०२ आर वेम्ब्रे एण्ड कम्पनी, कलकत्ता) लेखक—संयद गुलाम हुसैन।

यह ग्रन्थ चार भागों में है। फारसी से प्रथम बार इसका अनुवाद एक फ्रांसिसी एम० रैमण्ड (हाजी मुस्तफा) ने ३ खण्डों में किया। १७८४ में नोटमन ने अंग्रेजों में अनुवाद कर तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को भेंट किया। १९०२ में कलकत्ता की वेम्ब्रे एण्ड कम्पनी ने, ११७ वर्ष बाद, अंग्रेजी प्रतिलिपि को प्रकाशित कराया। इस तदारीख में मुगल साम्राज्य के अन्तिम सात बादशाहों का इतिहास है। लेखक अपने जीवन में मुगल राजनीति का सिर्फ दर्शक ही नहीं था बल्कि कुछ घटनाओं से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भी था। इस ग्रन्थ के अनुसार फरखसियर को गद्दी से हटाने में बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा सेना ने भाग लिया था। इस सेना ने दिल्ली के नागरिकों पर, जो बादशाह के पक्ष में उठ खड़े हुए थे, भयंकर अत्याचार किये। इस ग्रन्थ के अनुसार १७५१ में बखतसिंह को सलावत खा ने सहायता दी तथा पीणाड के युद्ध में मराठों रामसिंह का समर्थन कर रहे थे।

तारीख ए हिन्द (इलियट और डाउसन भाग ८ में अनुवादित अंश) लेखक—रुस्तम अली

१७३४ में रामपुरा में होल्कर व मिथिया द्वारा राजपूत संयुक्त मोर्चे की हार, १७३६ में इन मराठी नेताओं का मारवाड में प्रवेश और नागौर के बखतसिंह से धन वसूली के सम्बन्ध में तथ्य इस ग्रन्थ से प्राप्त होते हैं।

(ख) फरमान, अखबारात और वकील रिपोर्ट (फारसी) में फरमान

मुगल बादशाहों द्वारा समय-समय पर मारवाड के शासकों को फरमान दिये जाते थे। ऐसे करीब २० फरमानों का बीकानेर स्थित राजस्थान अभिलेखाना में मुझे अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण पाये गये। १७१० में मुगल बादशाह ने फरमान भेजकर जोधपुर राज्य पर अजीतसिंह के अधिकार को मान्यता दी। अहमदशाह अब्दाली के १७५५, १७५६ और १७६१ के

फरमान मराठों के सम्बन्ध में थे । १७५५ में चन्द्रासी विजयगिह की मराठों के विरुद्ध सहायता देने की तैयार था; १७५६ में उसने राठोड शासक से मराठों के विरुद्ध सहायता की धाशा की । १७६१ की पानीपत के युद्ध में विजय की सूचना देते हुए चन्द्रासी ने जोधपुर शासक से विजय के लाभ को स्थायी बनाने में सहयोग के लिए लिखा ।

प्रखवारात-ए दरबार ए मुघलता (राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर)

ये छोटे भूरे रंग के वागज के टुकड़े हैं । प्रत्येक टुकड़े में शाही दरबार की दैनिक दिनचर्या उल्लिखित है, जैसे बादशाह का खाना, उसका कार्य करना दरबार का समय, की गयी नियुक्तियाँ, सूबों से आने वाली लिखित सूचनाएँ, उन पर शाही टिप्पणी और आदेश दिया जाना आदि । ये प्रखवारात फारसी भाषा में हैं तथा १६६६ से १७१६ तक के पाये जाते हैं । औरंगजेब के शासनाधिकार के १० वें तथा १२ वें वर्ष के प्रखवारात से जिवाजी के आगरा से लौट आने के बाद दक्षिण में राठोड कूटनीति की क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने में भुक्ते इनसे सहायता प्राप्त हुई । २४ वें वर्ष के प्रखवारात दक्षिण भारत में अकबर और दुर्गादास के आगमन पर प्रकाश डालने हैं । ४५ वें वर्ष के प्रखवारात में १७०० ई० में अजीतसिंह का औरंगजेब की समर्पण का दृष्टिकोण व्यक्त है । मरने के पूर्व औरंगजेब ने अजीतसिंह से गुजरात में सहायता चाही थी । उसके बदले में वह उसे मारवाह में कई सुविधाएँ देने की तैयार था । यह उल्लेख ५१ वें वर्ष के प्रखवारात में है ।

वकील रिपोर्ट—(राजस्थान अभिलेखागार, बीकानेर)

ये रिपोर्ट फारसी भाषा में है । जयपुर के शासक मुगल दरबार में अपने वकील रखा करते थे । ये वकील दरबार में होने वाली खबरों को लिखकर या तो महाराजा के पास भेजते थे या जयपुर के दीवान को । इन रिपोर्टों में शाही दरबार में होने वाली गतिविधियाँ, आने जाने वाली सूचनाओं, आशाओं और आदेशों का साराण और बादशाह के हुकम सम्बन्धी सूचनाएँ होती थीं । २६ अक्टूबर २५ वें वर्ष की वकील रिपोर्ट में दुर्गादास, अकबर और मराठों का १६८२ में अहमदाबाद की ओर पलायन और २६ वें वर्ष की रिपोर्ट में राठोडों के अहमदाबाद पर अधिकार का उल्लेख है । १७ अक्टूबर २६ वें वर्ष की रिपोर्ट में लिखा है कि राठोडों ने अकबर और औरंगजेब के बीच समझौते की योजना रखी, जिसे बादशाह ने अस्वीकार किया ।

(व) समकालीन मराठी ग्रंथ

अब तक प्रकाशित समकालीन मराठी ग्रन्थों का उपयोग किया गया, जिनके आधार पर कई तथ्यों की सत्यता पर प्रकाश पड़ता है ।

शिव छत्रपतिचें अत्रि (सम्पादक एम. साहें १६१२ तृतीय संस्करण)

इस ग्रन्थ का लेखक बृष्णाजी अनन्त सभापद था । उसने इस ग्रन्थ की रचना १६६६ में की । वह शिवाजी का समकालीन था और उसके समय की कई घटनाओं का चमत्कृत गवाह था । इस ग्रन्थ में दक्षिण में जसवंतसिंह और शिवाजी के सम्बन्धों का उल्लेख है । शिवाजी की भांगरा-यात्रा, शाही दरवार में जसवंतसिंह के मनसब पर शिवाजी की प्रतिज्ञिया तथा १६६७-१६६९ में शातिवाल में शिवाजी की सैनिक तैयारियों के बारे में सभासद अधिकारपूर्वक लिखता है ।

जैधे याची शाकावली (यदुनाथ सरकार द्वारा सम्पादित १६२७)

महाराष्ट्र के भावेल गाँव के जैधे परिवार ने, जो दानिय था, शिवाजी के समय से ऐतिहासिक घटनाओं की तिथि त्रम के अनुसार लिखा है । ये तिथियाँ शक सवत् में हैं । १५४० शक सवत् से १६१६ शक सवत् तक की घटनाओं का रिवाज है । इस ग्रन्थ से विस्तृत वर्णन नहीं पाया जा सकता । तिथि त्रमानुसार घटनाएँ एक या दो पक्तियों में लिख दी गयी हैं । शिवाजी शाइस्ताखी घटना में जसवंतसिंह का भाग, को-धाना पर राठौड सेना का आक्रमण, शम्भाजी का जसवंतसिंह के कैम्प में जाना व १६६७ में मुगल मराठा शाति तथा दुर्गादास और अक्बर का दक्षिण में पर्दापण आदि कई घटनाओं की तिथियों को अंकित करने में यह ग्रन्थ लाभदायक है । मैंने इस ग्रन्थ की पृष्ठ सख्या अंकित न कर सक सवत् माह व तिथि के अनुसार उल्लेख किये हैं । जैसे १५८५ शक फाल्गुन ।

(ड) समकालीन मराठी पत्र

मराठाच्या इतिहासाची साधनें(वी०के० राजवाडे द्वारा सम्पादित १८६८ १६०२) —

१६०८ से १६२६ तक राजवाडे ने कई ऐतिहासिक पत्रों व अभिलेखों का संकलन किया और उनका २२ भागों में वर्गीकरण किया । भाग नं १, २ व ६, ७ में संकलित पत्र मेरे विषय की दृष्टि से अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुए हैं । प्रथम भाग के पत्र स० ४४ में जयप्पा द्वारा नागौर के घेरे के समय अकाल की स्थिति का चित्रात्मक वर्णन है । भाग ६ के पत्र स० ३२७, ३४१ में पेशवा के स्पष्ट निर्देश हैं जो जयभप्पा को मारवाड अभियान के लिए दिये गये थे । इन निर्देशों में कहा गया था कि श्रीधरातिशीघ्र अभियान समाप्त कर दिया जाए तथा मराठी सेना को पूर्व की ओर भेज दिया जाए ।

ऐतिहासिक पत्रों आदि लेख (सम्पादक सखाराम सरदेसाई, काले और वाकसकर १६३०)

मेरे ग्रन्थ के लिए पत्र स० १२२, १२४, १२५, १२७, १३१, १३६, १४१, १४२ व १४३ उपयोगी पाये गये । पत्र स० १२२ और १२४ में तिघिया का मारवाड की ओर प्रयाण तथा मेडता के युद्ध में उसको विजय का उल्लेख है । पत्र स० १४१ में फरवरी १७५६ में राठौड तिघिया सधि की शर्तें दी गई हैं ।

पेशवा दफ्तर कागजात (मलेक्शन पुगने पेशवा दफ्तर)

गोविन्द सपाराम सरदेमाई ने ८१ भागों में १६३०-१६३५ के बीच इन इतिहासिक पत्रों का संकलन व सम्पादन किया है। पेशवाओं ने समस्त भारत में अपने प्रतिनिधियों को पत्र लिखे थे। ये पत्र १७०४-१७८१ के बीच के पाये गये हैं। इस ग्रन्थ के लिए भाग सं० २, १०, १२, १३, १४, १५, २१, २२, २७, २९, ३० व ३८ उपयोगी पाये गये हैं। भाग १४ का पत्र २३ के अनुसार होल्कर और सिधिया के १७३४ रामपुरा में गजपूत समुक्त भोवें को, जिसमें जोधपुर का धर्मसिंह भी शामिल था, दुरी तरह हराया। भाग २७ के पत्र से यह मालूम होता है कि १७४२ में मारवाड में अकाल पड़ा तथा सिधिया और होल्कर कालागुणा गाँव में घन एकत्र करने गये तो उन्हें बड़ी मुश्किल से १०० रुपये प्राप्त भी हुए। इसके भाग के पत्र २७५ जो कि ६ जुलाई १७६१ को लिखा गया था, के अनुसार गोविन्दवृष्ण ने रघुनाथ राव को लिखा कि वह जोधपुर के विजयसिंह से वार्ता नहीं करे अन्यथा सिधिया की प्रतिष्ठा पर बड़ा आघात लगेगा।

पेशवा दफ्तर कागजात (नई सीरीज)

श्री वी० वी० जोशी ने पेशवा दफ्तर के कुछ और पत्रों का सम्पादन किया है। इस पुस्तक का नाम मराठा शक्ति का प्रसार है। इसका प्रथम भाग उपयोगी रहा। पत्र सं० ६ के अनुसार मारवाड मराठों की सरजामी में था, जिसे १७२८ में पेशवा बाजीराव ने होल्कर को सौंपा था। पत्र सं० ११७ का पत्र उसी दिन लिखा गया था जिस दिन मेड़ता का युद्ध हुआ, (१४ सितम्बर १७५४)। अब तक यह तिथि १५ सितम्बर समझी जाती थी। पानीपत युद्ध के बाद रामसिंह विजयसिंह सवर्ण की पुनरावृत्ति और मराठों का रामसिंह को समर्थन पत्र सन्ध्या २४६ में मिलता है।

सिन्ध शाही इतिहासोंको साधरणें (सम्पादक आनन्दराव फालके)

कोटा के गुलगुने परिवार ने राजस्थान, विशेषत कोटा राज्य में मराठों के पत्राचार का संकलन किया। ये पत्र चार भागों में वर्गीकृत किये गये हैं। भाग ३ का पत्र सं० ३२० के अनुसार जुलाई १७५५ में जयपूरा सिधिया की हत्या हुई। भाग २ के पत्र ४१ में मराठा सरदारों का जोधपुर राज्य की सेवा में लिया जाना अंकित है। मराठों द्वारा कर वसूल करने का तरीका, मराठा पदाधिकारी एवं उनके बायों का विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में मिलता है।

होल्कर शाहीच्या इतिहासी साधरणें (सम्पादन वि० वि० ठाकुर)

ये पत्र दो भागों में संकलित किये गये हैं। प्रथम भाग में ४५६ पत्र हैं, और दूसरे में ३४६ पत्र। भाग प्रथम के पत्र २३६ के अनुसार जुलाई १७८६ में विजयसिंह ने सुहोजी होल्कर के मार्फत महादजी को शान्ति प्रस्ताव भेजे थे। यशवन्तराव की

न० ६ में सिधिया से प्राप्त अभिलेख मिलते हैं। प्रत्येक फोलियो के अभिलेख जोधपुर शासको के क्रमानुसार व्यवस्थित हैं तथा प्रत्येक में सूची सवलिन की गयी है। सबसे प्राचीनतम खरीता महाराजा जसवंतसिंह के समय का है और फिर लगातार कई शासको के काल के खरीते मिलते हैं। अंतिम खरीता महाराजा उम्मेदसिंह (१६५७ ई०) का है। सामान्यतः अजीतसिंह से मानसिंह (१७०७-१८४३) के खरीते पाये गये हैं। फोलियो सत्या दो (ब) फाइल न० १ में मल्हारराव होल्कर का विजयसिंह को लिखा हुआ एक पत्र उसकी नयी नीति पर प्रकाश डालता है। मल्हारराव अमरसिंह का धर्म-भाई था तथा उसने महाराजा की मृत्यु के पूर्व उन्हे विश्वास दिलाया था कि वह रामसिंह का समर्थक बना रहेगा। परन्तु उक्त पत्र के अनुसार जो कि वि० स० १८०६ आश्विन सुदी १२ को लिखा गया था, उसने विजयसिंह को जोधपुर का सिंहासन प्राप्त करने पर बघाई दी। एक अन्य पत्र (वि० सं० १८२८ आषाढ़ बदी २) फोलियो स ६ पत्र स १३) से महादजी का मेवाड में अपने स्वार्थों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व विजयसिंह को सौंपने का उल्लेख पाया जाता है।

राजस्थान अभिलेखानगर बीकानेर के जोधपुर विभाग में कई ऐसे पत्र मिले हैं जो महाराजा अमरसिंह ने १७३०-१७३३ के बीच गुजरात से दिल्ली स्थित अपने वकील भडारी अमरसिंह को लिखे थे। इन पत्रों से मराठा-राठौड़ संघर्ष का एक नया स्वरूप तथा तरकालीन राजनैतिक स्थिति का विस्तृत चित्र उपलब्ध होता है। वि० स० १७८२ कार्तिक सुदी १२ को लिखा गया एक पत्र राठौड़ों के उस संघर्ष का वर्णन करता है जो उन्होंने बिना मुगल सहायता से गुजरात में मराठों से किया था। पीलाजी गायकवाड की डाकोर में हत्या के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी महाराजा के उस पत्र से प्राप्त होती है जो उसने वि० स० १७८८ वैशाख सुदी १३, एवम् चैत्र सुदी ११ को भण्डारी अमरसिंह को लिखे थे। अमरसिंह की बड़ोदा विजय तथा मराठों के २४ किलो पर अधिकार का उल्लेख वि० स० १७८६ भाद्रपद बदी एकम से प्राप्त होता है।

(छ) समकालीन बही अभिलेख (राजस्थानी में)

जोधपुर विभाग में कई बहियाँ उपलब्ध हैं, जिनसे इस ग्रन्थ की रचना में महत्त्वपूर्ण एवं तथ्यपूर्ण सामग्री जुटायी गयी है। बहियों हस्तलिखित है हकीकत बही, हथबही, खास रुक्का बही, खरीता बही और धर्जी बही। हकीकत बहियाँ

इन बहियों में जोधपुर शासको की दिनचर्या, उनके पलायन और मुख्य स्थानों पर उनकी यात्राओं का वर्णन है। उनके दरबार में उपस्थित होने वाले महत्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तियों के बारे में भी ये बहियाँ प्रकाश डालती हैं। महाराजा विजयसिंह के शासन के बारहवें वर्ष (संवत् १८२१) से इन बहियों का लिखना प्रारम्भ किया गया, जो कि महाराजा हनवन्तसिंह (१६५२) के शासन तक चलता रहा। प्रत्येक

वही में प्रत्येक शासक के पाँच से दस वर्षों तक का इतिहास संगृहीत है। इस ग्रन्थ की दृष्टि से वही न० ११ तक की बहियाँ ही उपयोगी हैं। इनकी सहायता से सही तिथियाँ उपलब्ध हो सकी है। वही न० ६ पृष्ठ ४, २२ और ५७ पर १८०५ से १८०६ तक मारवाड में होल्कर-पग्वार के आवास का वर्णन पाया जाता है। वही न० १० के पृष्ठ न० ८० ८४, ८६, ८६ श्रीरत्ना द्वारा सिधवी इन्दरराज और आयास देवनाथ की हत्या का वर्णन है। जोधपुर में अण्णाजी भांसले की यन्त्रा और महामन्दिर में उनके निवास सम्बन्धी तथ्य वही न० ११, पृ० २१८ से उपलब्ध होते हैं।

हथबहियाँ

इनकी न० ५ है। इस ग्रन्थ की रचना के लिए प्रथम ४ उपयोगी थी। इन बहियों से मराठों को दिये गये करों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। महादजी सिधिया को वि०स० १८३५ से १८३६ तक जो कर दिया गया उसकी विस्तृत व्याख्या हथबही न० २ पृष्ठ सख्या १२४-१२५ पर अंकित है। हथबही न० ३, पृ० ४२-४३ में मानसिंह द्वारा श्रीरत्ना के सेना-नायको, मुख्यतया रजदीना, को मारवाड की राज्य सेवा में लिए जाने के सम्बन्ध में समझौते का वर्णन है। हथबही न० ४ में महाराष्ट्र में राठौड़ उपनिवेश के बारे में बताया गया है। इसमें उन उपनिवेशों का इतिहास, जनसख्या और कालान्तर में मराठों को दिये जाने वाले कर के बारे में जानकारी दी गयी है।

सात हक्का बहियाँ

इन बहियों में मारवाड के शासकों द्वारा अपने सामन्तों को दिये गये निर्देशों और आशाओं की प्रतिलिपियाँ मिलती हैं। वही नम्बर २ के पृष्ठ सख्या २ पर मानसिंह द्वारा अपने सामन्तों को मराठों एवं पठानों से मातृभूमि की रक्षा की अपील की प्रतिलिपि है। पृष्ठ तीन में मानसिंह की वह कूटनीतिक योजना अंकित है जिसके द्वारा वह श्रीरत्ना और सिरजी राव घाटका को अपनी ओर करने में सफल हुआ।

अर्जी बहियाँ

इनकी सख्या सात है। इस ग्रन्थ की रचना के लिए वही सख्या ४ व ५ ही उपयोगी हैं। इन बहियों में मराठों से पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध हैं। मारवाड के शासकों ने जो पत्र पेशवा, सिधिया, होल्कर तथा उनके सेना नायको और प्रशासकों को लिखे उनकी प्रतिलिपियाँ इन बहियों में उतार ली गयी हैं। ये पत्र १७५४ से १८४३ ईसवी तक के प्राप्त होते हैं। इन बहियों (वही न० ४ व ५) में कुल पृष्ठ ४७४ हैं, करीब ७०० पत्रों की प्रतिलिपियाँ हैं। मेडता-पुद्द (सितम्बर १०, १७६०) के बाद जोधपुर शासक व दोवान खीजी गोरधन ने वि०स० १८४६

घापाड बशी १२ को महादजी, रानेखा और पण्डित घाबा चिटणिस को सधि सम्बन्धी पत्र लिखे, यह सध्य बही सख्या ४ पृष्ठ ६४ से लगनन्ध होता है ।

इसी बही के पृष्ठ सख्या ५० के अनुसार भीमगिह ने जोधपुर--स्थित मराठा प्रतिनिधियों के सहयोग से जोधपुर पर वि०स० १८४६ घापाड मुदी ६ को अधिकार कर लिया था । वृष्णकुमारी काण्ड में सिधिया का सहयोग प्राप्त करने के लिए मानमिह ने विक्रम सरया १८६२ माघ मुदी ६ को एक पत्र दौलतराव सिधिया को लिखा कि वह उसके बदले में अंग्रेजों के विरुद्ध सधर्म में न सिर्फ सहायता ही देगा बल्कि होल्कर से उसके जो मतभेद हो गये थे वह भी दूर करा देगा । (अर्जी बही स० पृ० ३-४) । इस बही के पृष्ठ सख्या १२० के अनुसार महाराजा मानमिह ने अमीरखा को घा गेराव का किला उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए दिया परन्तु इसकी प्राप्ति के बाद अमीरखा मारवाड की राजनीति को अति प्रभावित करने लगा ।

ढोलियां के कोठार के अभिलेख

यह कोठार किले में स्थित था और 'श्री हज़ूर टपनर' के प्रायश्च निरीक्षण में इसका प्रबन्ध किया गया था । यहाँ में प्राप्त कई अभिलेख मूलरूप में पाये गये हैं । इस कोठार से प्राप्त अभिलेख, जो इस ग्रन्थ के लिए उपयोगी हैं, निम्न रूप से वर्गीकृत हैं—

अर्जी फाइलें	—	सख्या १-६ और २२
अमल चिट्ठी फाइलें	—	७ और १०५
गाँवों की उठतरी की फाइलें	—	सख्या २२
सतोखिताव फाइल	—	सख्या २८ और ३०
ताम्रपत्र फाइल	—	सख्या ४६
घोडा और सामान की फाइल	—	सख्या ३८७
इन्तजामी सीगा फाइल	—	सख्या ५८
रेव चाकरी और हुबमनामा फाइल	—	सख्या ७१
सायर फाइल	—	सख्या ७६
हजारा फाइल	—	सख्या १०६ व ११०
जमाखचं फाइल	—	सख्या ४३ व ४४
खस रुक्का व शीवानी परवाना फाइल	—	सख्या १०७
परवाना फाइल	—	सख्या १०७

अर्जी फाइल न० ५ के पत्र (२१ मई, १७८६) के अनुसार तू गा के युद्ध के बाद जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह और विजयसिंह के बीच यह समझौता हुआ कि वे सिधिया के साथ पृथक् से कोई समझौता नहीं करेंगे परन्तु बाद में प्रतापसिंह ने विजयसिंह के विरोध के उपरान्त भी महादजी के साथ पृथक् रूप से सधि कर ली ।

पमा-सचंच फाइल न० ४४ में साभर समझीता १७६१ के द्वारा निश्चित युद्ध की क्षतिपूर्ति, बकाया घनराशि और बापिक कर का विस्तृत लेखा जोखा है।

वस्ते

राजस्थान अभिलेखागार, बीकानेर में रगबिरगे वस्ती में नाना प्रकार के अभिलेख, बहियाँ, क्वातें, रजिस्टर, पत्र आदि मकलित हैं। इन वस्ती की संख्या १०३ है परन्तु इस ग्रन्थ की उपयोगिता के लिए संख्या ६,१४,२०,२८,३४,४०,४३,५२, ६०,६५,८०,९६ और १०१ वाले वस्ती के अभिलेखों का अध्ययन किया गया है।

(ज) राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ

अज्ञीत ग्रन्थ

यद्यपि इस ग्रन्थ में इस विषय के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण तथ्यों की उपलब्धि नहीं हो सकी फिर भी कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ का महत्त्व है। इसकी हस्तलिखित प्रतिलिपि 'पुस्तक प्रकाश,' उम्मेद भवन जोधपुर में पायी गयी। इसमें १६६६ ई० तक मारवाड के शासकों का इतिहास वर्णित है। इस ग्रन्थ के दोहे ६३० में दुर्गादास की दक्षिण यात्रा और दोहे १४२५-१४२७ के अनुसार उसकी मराठा छत्रपति शम्भाजी से मुलाकात का वर्णन है।

विजयवित्तास

यह ग्रन्थ बारहठ बिशनमिह द्वारा राजस्थानी भाषा में रचा गया। टॉड के अनुसार इसमें एक लाख दोहे थे। परन्तु अब तक मूल प्रति के १५२ पृष्ठ राजस्थान अभिलेखागार में जोधपुर विभाग के वस्ता न० १४ ग्रन्थ न० २५ में सुरक्षित पाये गये हैं। यह ग्रन्थ अभयसिंह में लेकर विजयसिंह के शासन के द्वितीय वर्ष (१७५४) तक की घटनाओं का उल्लेख करता है। प्राधा भाग ती अभयसिंह और बलरामसिंह के बारे में ही है। उसमें मराठों से सम्बन्ध के बारे में यदा कदा उल्लेख है। विजयसिंह और जयप्पा के बीच युद्ध का वर्णन पृ०स० ११४ से १५२ तक है। समकालीन ग्रन्थ होने के कारण यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें मराठों के विरुद्ध सघर्ष का राजपूत दृष्टिकोण पाया जाता है। अतः फारसी मराठी स्रोतों के लिए यह पूरक साधन है।

राठीड दानेश्वर वशावली (ग्रन्थ न० १४ वस्ता २८)

इसके लेखक के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। परन्तु यह समकालीन ग्रन्थ है, जिसकी रचना विजयसिंह के शासन के प्रारम्भिक काल में हुई थी। यह १७५६ तक मारवाड के इतिहास का वर्णन करता है। इसमें ४६३ पृष्ठ और ६६५ दोहे हैं। इसमें स्थान स्थान पर तिथियाँ दी गयी हैं। अन्य साधनों से प्राप्त तिथियों की तुलना करने पर ये तिथियाँ सामान्यतः सही पायी गयी हैं। यह ग्रन्थ १६६२-१७५६ तक मराठा राठीड सम्बन्धों के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य देता है। मराठों के विरुद्ध राजपूत

शासकी का १७३४ में हुए सम्मेलन का वर्णन पृ० २६६-२७० के नम्बर ३६-४४ तक के दोहों से प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ के लेखक के अनुसार यह सम्मेलन उदयपुर के महाराणा जगतसिंह की अध्यक्षता में हुआ था न कि जयसिंह की। इस सम्मेलन में विघटनकारी प्रवृत्तियाँ इसके समाप्त होने के पहले ही प्रविष्ट कर गयी थी। पृ० ३६६ के दोहों नम्बर ४१३ के आघार पर रामसिंह-बखतसिंह मध्य में होकर तटस्थता का मुख्य कारण यह था कि बखतसिंह ने होल्कर को राजसिंह के मार्फत तटस्थ रहने के लिए दो लाख रुपये दिये थे।

(त) संस्कृत के हस्तलिखित पत्र और ग्रन्थ

अभितोदय (हस्तलिखित प्रतिलिपि, पुस्तक प्रकाश, जोधपुर)

उम ग्रन्थ का रचयिता भट्ट जगजीवन था, जो अजीतसिंह और अमरसिंह का समकालीन कवि था। इसमें मराठा-राठीड सम्बन्धों पर मूल्यवान् तथ्य उपलब्ध हैं। इस ग्रन्थ में ३२ सर्ग और ३१२ श्लोक हैं। इसमें १६६४ से १७२४ ई० (५० वर्ष) तक का वर्णन है। मराठों से सम्बन्ध हेतु सर्ग ११ १३, २२ २३ और २७ महत्त्वपूर्ण हैं। सर्ग ११ में दुर्गादास व अकबर की दक्षिण-यात्रा, गभाजी द्वारा उनका स्वागत, कवि कनक की मित्रता, कवि के पुत्र के नेतृत्व में राठीडों और मराठों का अग्रमदावाद की ओर प्रयाण और दुर्गादास के मारवाड लौटने का वर्णन है। सर्ग २७ में अजीतसिंह द्वारा मराठों की सहायता से फारसस्यार बंदगाह को पदच्युत् करने के तथ्य वर्णित हैं।

अभयोदय (हस्तलिखित ग्रन्थ की प्रतिलिपि, पुस्तक प्रकाश उम्मेद भवन जोधपुर)

ग्रन्थ का रचयिता भट्ट जगजीवन था। यह ग्रन्थ अजितोदय की तरह विस्तृत है। परन्तु इस विषय के लिए अधिक उपयोगी नहीं पाया गया।

शम्भाजी द्वारा रामसिंह (जोधपुर शासक) को संस्कृत में लिखे गये दो पत्र (राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर-जोधपुर विभाग)

यद्यपि पत्रों में कोई निधि अंकित नहीं है, तथापि उनके विषय के आघार पर यह माना जा सकता है कि वे मई १६८२ में लिखे गये थे। पत्रों में शम्भाजी द्वारा जोधपुर-नरेश रामसिंह से दुर्गादास को धन और सेना के रूप में सहायता की प्रार्थना है। शम्भाजी ने यह उल्लेख भी किया कि वह उत्तर की ओर सेना भेज रहा है, जिनमें बख्तसिंह सेना भी मिल जानी चाहिए।

(थ) रघात साहित्य

मारवाड के इतिहास के रूप में रघातों की अत्यन्त महत्ता है। ये मानसिंह (१८४३) तक का इतिहास वर्णित करती हैं। समकालीन ग्रन्थ होने के कारण इनमें निम्ने तथ्यों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इनकी रचना समकालीन फारसी

व राजस्थानी ग्रन्थों, राजकीय पत्रों, साहित्य ग्रन्थों आदि के माध्यम पर की गयी थी। जिन रूपांतों का प्रयोग इस ग्रन्थ की रचना में किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:—

नेएसी री रूपांत (ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर द्वारा प्रकाशित)

मारवाड़ री रूपांत (अनूप सस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर—हस्तलिखित)

दयालदास री रूपांत (उपर्युक्त)

भुड़ियाड़ रूपांत— (बस्ता न० २० व ४० जोधपुर विभाग, राजस्थान अभिलेखागार)

बाँकीबास री रूपांत—(ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर प्रकाशन)

टाटोडी इलाका री रूपांत (बस्ता न० ४०, जोधपुर विभाग, राजस्थान अभिलेखागार)

मेलोनी रूपांत—(उपर्युक्त)

धाला री रूपांत—(उपर्युक्त, बस्ता न० १०१)

(द) ध अजी अभिलेख (अप्रकाशित) (नेशनल अभिलेखागार, नई दिल्ली)

दिल्ली, अजमेर और जोधपुर स्थित ब्रिटिश सरकार के एजेण्ट, रेजिडेण्ट और राजनैतिक पदाधिकारियों ने समय-समय पर गवर्नर जनरल या उसके सचिव के पास मारवाड़ व राठीडो से सम्बन्धित घटनाओं के बारे में पत्र लिखे हैं एवं उनके द्वारा प्रत्युत्तर, आदेश व निर्देश प्राप्त किये हैं। ये पत्र एवं अभिलेख दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मूल रूप से सुरक्षित रखे हुए हैं। इनका काल १७८५ से १८४३ तक का है। ये अभिलेख न सिर्फ समकालीन व्यक्तियों के द्वारा ही लिखे गये हैं बल्कि घटनाओं के स्थल पर लिखे जाने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन अभिलेखों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है—

१. फॉरेन सीक्रेट कन्सलटेशन्स (एफ० सी०)

२. फॉरेन पालिटिकल कन्सलटेशन्स (एफ० पी०)

३. राजपूताना एजेन्सी ऑफिस फाइल्स (भार० ए० ओ०) और

४. प्रासीडिंग्स ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (प्रासीडिंग्स)

२६ मई १८१७ को मेटकॉफ ने जान एडम्स को एक पत्र में इस बात की सूचना दी कि मानसिंह ने स्वेच्छा से अपने पुत्र अत्रसिंह को गद्दी नहीं सौंपी बल्कि अखेराज के दल ने उसे ऐसा करने को बाध्य किया (फॉरेन पालिटिकल कन्सलटेशन्स १४ जून १८१७ न० १३)। लार्ड विलियम बैंटिक ने २ दिसम्बर १८३४ को मानसिंह को आगाह किया कि यदि वह मुरबन्ध के प्रति उदासीन रहा तो जोधपुर पर उसका अधिकार अल्पकालीन माना जाएगा। (राजपूताना एजेन्सी ऑफिस फाइल्स न० ५, जोधपुर २-१८३४)

अजमेर और जोधपुर का इतिहास (हस्तलिखित राजस्थान अभिलेखागार)

इन ग्रन्थ के रचयिता गुलाम कादिर थे, जिन्होंने १८१७ में इसकी रचना की। यह अजमेर और जोधपुर का मञ्जिप्त इतिहास है। अजमेर किले के भिन्न-भिन्न मराठा और राठौड़ सूबेदारों का इसमें उल्लेख है। दिसम्बर १७८७ में राठौड़ों के अधिकार में और फिर १७९०-१७९१ में पुनः मराठों के अधिकार में यह नगर किस प्रकार आया इस पर भी प्रकाश डाला गया है।

(घ) अंग्रेजी अभिलेख (प्रकाशित)

'क्लेण्डर फार कोरेसपोण्डेन्स' (१० भाग)

'ईस्ट इण्डिया मिलिटरी क्लेण्डर' भाग ३ (१८२६)

पूना रेजीडेन्सी कोरेसपोण्डेन्स (१४ भाग) १८३७-१८५३

जेविन्स कृत 'रिपोर्ट ऑन दी टेरीटोरीज ऑफ नागपुर' (१८२७)

'सलेक्शन फरोम लेटर्स, डिस्पेचेज एण्ड अदर पेपर्स' (बाम्बे सचिवालय में सुरक्षित-मराठा-भाग) सम्पादक सर जी० डब्ल्यु० फोरेस्टर (१८८५ बम्बई)

'ट्रीटी एनगेजमेण्ट्स एण्ड सन्डे' भाग ३, सम्पादक ऐटिंशचन (५ वां संस्करण, १९२६)

'वेलजली डिस्पेचेज' (५ भाग) सम्पादक मार्टिन मोण्टेगोमरी (१८३६)

(न) प्रकाशित पुस्तकें

हिन्दी

विश्वेश्वर नाथ रेऊ	:	मारवाड का इतिहास (भाग २)
गौरीशंकर हीराचन्द मोभा	:	जोधपुर राज्य का इतिहास (भाग १-२)
जगदीशसिंह गहलोठ	:	मारवाड का इतिहास
	:	राजपूताने का इतिहास (भाग ४)
रामकरण घासोवा	:	मारवाड का मूल इतिहास
श्यामलदास	:	वीर-विनोद (भाग ३)
राजस्थानी		
बांकीदास	.	ऐतिहासिक वार्ता औरियण्टल रिसर्च
	:	इन्स्टीट्यूट, जोधपुर (१९६१)
करणीदास	.	सूरजप्रकाश (उपर्युक्त १९६२)
सूर्यमल मिश्रण	.	बन भास्कर (१८४१ में लिखित)
वीरभाण	.	राजरूपक (नागरी प्रचारिणी सभा काशी,
	.	वि० सं० १९६८)
अंग्रेजी		
ए० सी० बनर्जी	:	पेशवा माधवराव (१९४३) राजपूत स्टेट्स

- बो० एन० रेऊ एण्ड द ईस्ट इण्डिया कम्पनी (१९५१)
- बो० डी० बमु ग्लोरीज ऑफ मारवाड एण्ड ग्लोरियस राठीड (१९४३)
- वर्नियर राज्ज ऑफ क्रिश्चियन पाँवर इन इण्डिया, भाग ४ व ५
- वेम्प्रीज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ट्रेवल्स इन मुगल इण्डिया (तृतीय संस्करण) सम्पादक आर्चीबाइल्ड ए. वास्टेवेल (१९३४) भाग ४ व ५ (१९२९)
- दशरथ शर्मा शर्मा चौहान डायनेस्टीज डिगे पेशवा वाजीराव एण्ड मराठा एक्सपेंशन (१९४४)
- इलीयट और डाउसन : द हिस्ट्री ऑफ इण्डिया एज टोटल वार्ड इट्स हिस्टोरियन्म (भाग ७ व ८, १८७७) भाग १ (१८००-१८५७)
- फ्रीडम स्ट्रगल इन हैदराबाद, फोर्म् राममाला भाग २ (१८६६)
- जोन मॉलकम मेगोयर्स प्राफ सेन्ट्रल इण्डिया (भाग २, १८३२)
- जी० एन० शर्मा मेवाड एण्ड द मुगल एम्परर्स (१९५१)
- जी० एस० सरदेसाई न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठाज (भाग ३, १९४८)
- जे० ग्राण्ट डफ : हिस्ट्री ऑफ द मराठाज (भाग ३, १९१२)
- हवीबुल्ला फाल्गुशेन आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया
- हैमिल्टन वाल्टर : ज्योप्रावीबल, स्टेटिस्कल एण्ड हिस्टोरिकल डिम्प्रीयन आफ हिन्दुस्तान (भाग २, १८२०)
- एच० जी० बीन माधवराव सिधिया (१८९१)
- हर्बर्ट वॉन्गटन पर्टीकुलर एकाउण्ट ऑफ द यूरोपियन मिनिटरी एडवेंचर ऑफ हिन्दुस्तान (१७८४-१८०३)
- हेनरी टी० प्रिन्सेप : मेगोयर्स ऑफ अमीरगा (१८३२) हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल एण्ड मिलट्री ट्रान्जेक्शन (लार्ड हेमिंटज के समय)(भाग २, १८२५)
- हिस्ट्री एण्ड क्लबर आफ इण्डियन पीपल, भाग ५ व ६
- एस० एन० सिन्हा : राज्ज आफ द पेशवाज (१९५४)

इरविन	:	सेटर मुगल्स (भाग २ १६२२)
यदुनाथ सरकार	.	हिस्ट्री ऑफ घोरगजेव भाग ४) फाल ऑफ मुगल एम्पायर (प्रथम तीन भाग १६४६-५२, चतुर्थ भाग १६५०)
के० के० दत्ता	।	शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स (५ वा संस्करण) हाऊस ऑफ शिवाजी सर्वे ऑफ सोशल लाईफ एण्ड इकोनॉमिक कण्डीशन्स इन इण्डिया इन एटीन्थ सेंच्युरी (१६६१)
किनकेड एण्ड पारसनीस	.	ए हिस्ट्री ऑफ द मराठा पीपुल (भाग ३, १६२२)
के० एस० लाल मनुषी	.	हिस्ट्री ऑफ खिलजीज स्टोरिया द मोगोर (भाग ४, १६०७ ८)
एम० एस० मेहता	.	लाईव हेस्टिगज एण्ड द इण्डियन स्टेट्स (१६२५)
एन० आर० खटगावत	.	राजस्थान्स रोल इन द स्ट्रगल ऑफ १८५७ (१६५७)
धोर्मी	.	हिस्टोरिकल फ्रेमण्टस ऑफ द मुगल एम्पायर (१७८२)
कानूनगो रघुवीरसिंह	.	शेरशाह एण्ड हिज टाइम्स मालवा इन ट्रांजीशन (१६३६)
शारदा, एच० वी० एस० पी० धर्मा	:	अजमेर, पिक्टोरियल एण्ड हिस्टोरिकल ए स्टडी ऑफ मराठा डिप्लोमेसी (१६५६)
एस० एन० सेन	.	इ ग्लिश रिकार्ड्स ऑन शिवाजी (१६५१) फारेन बायोग्राफीज ऑफ शिवाजी
सतीशचन्द्र	.	पार्टीज एण्ड पालिटिक्स एट द मुगल कोट १७०७-१७४० (१६५६)
टाड	.	एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान (३ भाग, ऋक सम्पादित १६२०)
ट्रैवेनियर, जान वेपटिस्ट	:	ट्रैवल्स इन इण्डिया (१८८६ वी० बाल द्वारा सम्पादित)
धो० एस० भागंश	:	मारवाड एण्ड द मुगल एम्पायर
धीतर जे० टालबाँयज	:	समेरी ऑफ द एकेणर्स ऑफ द मराठा स्टेट १७२७-१८५६ (१८७८)

- विस्तार : मिल्स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इण्डिया, भाग ७ से ९ तक (१८४४)
- डब्लू० डब्लू वेब : द करेन्सी ऑफ हिन्दू स्टेट्स ऑफ राजपूताना

(घ) गजेटियर

- इम्पीरियल गजेटियर : प्रोविशियल सीरीज राजपूताना १९०८
- गजेटियर ऑफ दी बाम्बे प्रेजीडेन्सी भाग १ व २ (१८७७)
- राजपूताना गजेटियर, भाग ३ ए० : वेस्टर्न राजपूताना एण्ड बीकानेर एजेन्सी (१९०६)

- सलेक्शन फ्रॉम कलकत्ता गजेटियर्स १७८४-१८२७ (भाग ५, १८६४)
- गजेटियर्स ऑफ द टेरीटोरी अण्डर द गवर्नमेंट ऑफ ई० आई० कम्पनी एण्ड नेटिव इस्टेट्स इन द काण्टोनेण्ट ऑफ इण्डिया (लेखक पार्लटन एडवर्ड) (१८५४)
- एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ मारवाड १८८३, १८८४

(फ) पत्रिकाएँ

- इण्डियन हिस्टोरिकल रिकार्ड कमीशन प्रोसीडिंग्स (१९३८ से)
- इण्डियन हिस्ट्री कांफ्रेस प्रोसीडिंग्स (१९३८ से)
- जर्नल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री
- न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी (१९२६, १९३८)
- वरदा (भाग ४, वर्ष ४)
- डेमोक्रेटिक ग्रुप (फरवरी १९६१)

(ब) नक्शे

- गुजरात व मारवाड के गाँवों व नगरों की स्थिति हेतु गजेटियर ऑफ बाम्बे प्रेसीडेन्सी,
- राजपूताना गजेटियर, भाग ३ अ, एव सर्व डिपार्टमेंट ऑफ इण्डिया के राजपूताना के नक्शे व अन्य नक्शों के साधारण पर अध्ययन किया गया ।

(भ) पंचांग

- जे० एस० गहलोत : ऐतिहासिक-तिथि-पत्रक वि० सं० १७००-१९०० (हिन्दी साहित्य मन्दिर, जोधपुर, १९६२)

परिशिष्ट 'क'

मारवाड़ का शासन प्रबन्ध १७२४-१८४३

(फ) शासक

राठौड़ शासक को 'महाराजा'^१ और 'राजेश्वर'^२ शब्दों से सम्बोधित किया जाता था। उसकी राजकीय मुद्रा पर 'भानुतेजस्वरूपेण महीमध्ये' और 'महामाया श्री हिमाल राजप्रसाद छत्रपति महाराजधिराज राजराजेश्वर महाराजा' वाक्यांश अंकित रहते थे, जिससे यह प्रतीत होता था कि उसकी उत्पत्ति भ्रष्ट^३ दैविक था।^३ महाराजाओं का ध्वज 'पचग्गा' कहलाता था, जिसमें पीला, सफेद, हरा, भगवा और लाल रंग होते थे। ध्वज के मध्य 'वाज' पक्षी चिह्नित था। उसके परिवार की देवी 'चामुण्डा' थी तथा वह शक्ति, शंभू और वैष्णव धर्म का उपासक था।

शासक सर्वोच्च शक्तिशाली होता था। उम्मी म व्यवस्थापिका (विधाननिर्मात्री), न्यायपालिका एवं कार्यकारिणी शक्तियाँ केन्द्रित थी। प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ उसके आदेशों से ही होती थी। उसकी सद्दृष्ट्या पर ही पदाधिकारी अपने पदों पर रह सकने थे।^४ वह सर्वोच्च सेनापति भी होता था। सभी प्रकार की कूटनीतिक नियुक्तियाँ उसके नाम से ही होती थी।^५ वह किसी से युद्ध कर सकता था, शान्ति संधि पर हस्ताक्षर कर सकता था। परन्तु फिर भी उसकी शक्तियाँ सीमित थी। वह परम्पराओं, अनिश्चित रीति-रिवाजों और हिन्दु शास्त्रों का उल्लंघन नहीं कर सकता था।^६ मुगल सूबेदार के रूप में वह अत्यन्त कमजोर शासनाध्यक्ष बन चुका था।

(ख) सामन्ती कुलोनतन्त्र

मारवाड़ का शासक राठौड़ राजपूत वंश का होता था। यद्यपि जनसंख्या की दृष्टि से राठौड़ अल्पसंख्यक थे, तथापि शासन पर उनका एकाधिकार था।^७ राठौड़ परिवार का छोटे-से छोटा सदस्य अपने को पूर्वजों के नाम पर राज्य का उत्तराधिकारी मानता था।^८ अतः राज्य पर उसका अधिकार उतना ही सुरक्षित था, जितना शामरु का मिद्धान्तत राज्य पूरे 'राठौड़ परिवार' का समझा जाता था, जो राजनैतिक दृष्टि से जागीरदार वर्ग से सम्बन्धित होता था। शासक तो समानों में प्रथम ही माना जाता था।

जागीरदारों को राज्य के लिए सैनिक सेवा और शामरु के लिए व्यक्तिगत सेवा देनी पड़ती थी। उसके बदले में उन्हें जागीरों दी जाती थीं।^९ महाराजा

अजीतसिंह के समय ४६ जागीरदार थे जिनकी वार्षिक आय ७,००० से ४०,००० रुपये तक थी ।^{१०} इनकी मुख्य जागीरें निम्न थीं . ग्राहीर, ग्रामनिमावास ग्राऊवा, वगडो, बलुन्दा, भाखरी, बूडसा, चामण्ट, चण्डावल, घाणेरवा, हरसौर, जावलिया खेंजडला, खेरवा, खीवसर, कुचामण, मारोठ, मीठडी, नीमाज, पोकरण, रामपुर, रास, रीमा और रोहट । १८२६ में इन जागीरों की वार्षिक आय पन्द्रह हजार से एक लाख रुपये तक हो गयी थी ।^{११} राज्य की भूमि के दो तिहाई क्षेत्र में जागीरदारों की भूमि थी एवं उसकी कुल आय करीब चालीस लाख रुपये थी ।^{१२}

राज्य इन जागीरदारों से कई प्रकार के कर लेता था । प्रमुख कर 'रेय' थी, जो एक सैनिक कर होता था और ग्रामदानी का आठवा भाग होता था । एक हजार रुपये की 'रेख' के साथ जागीरदार को एक घोड़ा भी देना पड़ता था । जब किसी भी जागीरदार की मृत्यु हो जाती तो राज्य उसकी जागीर जन्त कर लेता था । फिर उसके उत्तराधिकारी के नाम पुनः दे दी जाती थी इसके लिए उत्तराधिकारी को 'हुक्मनामा'—कर देना पड़ता था । इस कर की राशि उसकी जागीर की वार्षिक आय की तीन चौथाई होती थी । इसके अलावा जागीरदारों से प्रशासन खर्च के लिए 'जगीरायत', और 'मुत्सद्दी-खर्च' नाम के कर भी लिये जाते थे ।^{१३}

सामंत वर्ग का राज्य की प्रशासनिक, राजनैतिक और सैनिक गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव था । मराठों से युद्ध करने के पूर्व विजयसिंह को इनकी स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया था ।^{१४} नये शासक को मान्यता इन्हीं के द्वारा दी जाती थी ।^{१५} कई ठाकुरों को विशेष शक्तियां प्राप्त थीं । 'प्रधान' के पद पर ग्राऊवा या पोकरण के ठाकुर ही नियुक्त किये जाते थे ।^{१६} वे नयी जागीरों के पट्टे पर प्रतिहस्ताक्षर करने का अधिकार रखते थे ।^{१७} बगडो ठाकुर अपने दाहिने अग्रगुंठे से शासक के राजतिलक पर रक्ष-तिलक लगाते थे ।^{१८} सीमा सुरक्षा का उत्तरदायित्व परिहार जागीरदारों को ही दिया जाता था ।^{१९}

समय-समय पर शासक इस वर्ग को प्रसन्न रखने हेतु 'ताजीम', 'खास-पसाव', 'मीसल' की पदवियों से विभूषित करता था^{२०} और नरों में सोन के बड़े पहनने की सुविधा देता था ।^{२१} कुछ जागीरदारों को 'दरबार' में उपस्थित होने के लिए किले में प्रवेश करने पर 'पालकी' के प्रयोग की इजाजत दी जाती थी और कुछ को प्रवेश करने पर 'नगाडे' बजाने का अधिकार दिया जाता था ।^{२२} शासक के परिवार की सातवी पीढ़ी तक के किसी जागीरदार की मृत्यु होने पर राज्य में बारह दिन का शोक मनाया जाता था ।^{२३}

शासक के व्यक्तित्व पर ही जागीरदारों के राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित थे । शक्तिशाली शासकों ने जागीरदारों को अपने नियन्त्रण में रखने में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की थी ।^{२४} परन्तु कमजोर शासक के लिए एक समस्या बन जाते थे । विजयसिंह ने उन्हें नियन्त्रण में रखने के लिए^{२५} प्रत्यक्ष सैनिक भर्ती कर

स्थायी सेना का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया ।^{२६} लगातार कर देने पर इनकी जागीरें जप्त करनी शुरू की । शासकों ने जागीरों में 'सासन' और 'डोली' प्रदान करने का एकाधिकार अपने पास ही रखा । समय-समय पर जागीरदारों के हिस्से की जांच करायी जाती थी । इसके लिए राज्य इनसे 'दाणा' कर लेता था ।^{२७} कभी-कभी राठौड़ ठाकुरों के प्रभाव को शून्य करने हेतु शासक बाह्य क्षेत्र से आने वाले ठाकुरों को जागीरें प्रदान करता और प्रशासकीय क्षेत्र में उन्हें ऊँचे पद देता था । टॉड ऐसे ठाकुरों को विदेशी ठाकुर कहता है, जिनमें प्रमुख ये, ईंदा के परिहार, भंजडला के भाटी, भीखमखोर के भाटी और तोलाई के राणावत (गुहिलीत) ।^{२८}

(ग) केन्द्रीय प्रशासन

शासक राज्याध्यक्ष होता था । वह कई सलाहकारों की सहायता से प्रशासन चलाता था । ये सलाहकार उसके द्वारा नियुक्त किये जाते थे तथा उसकी स्वेच्छा पर ही पदासीन रह सकते थे । प्रशासन का मुखिया 'हजूरि दीवान' या 'मुनाहिब' कहलाता था । जब कभी शासक लम्बे समय तक राज्य के बाहर रहता या युद्ध के लिए जाता तो आन्तरिक प्रशासन का उत्तरदायित्व 'हजूरि दीवान' को सौंपा जाता था । उस समय वह 'देश दीवान' के नाम से सम्बोधित होता था ।^{२९}

दीवान के कई कर्तव्य होते थे । वह नागरिक प्रशासन का प्रधान होता था । वह परगनों के हाकिमों के कार्य का निरीक्षण करता, उन पर नियन्त्रण रखता, और समय-समय पर निर्देशन भी देता था । वह 'श्री हजूर दफ्तर' मुखिया भी था । प्रधानतः वह राजस्व एवं वित्तीय अधिकारी था । उसकी सहायता के लिए दो नायब दीवान होते थे । एक का कार्य 'दिवान-कार्यालय' की देखरेख करना था और दूसरे को कोष का कार्य सौंपा जाता था । वह कार्यालय किल की फतहगोल पर स्थित था ।^{३०}

नियुक्ति के समय दीवान को 'दीवानगी दुपट्टे' से विभूषित किया जाता था, जिसका रंग हल्का लाल (गुलाबी) या पीला होता था । उसे कार्य की शपथ लेनी पड़नी थी । इस समारोह में दीवान शासक पर पांच रुपये 'निखरावल' करता था । तब शासक उसे दीवान के नाम की 'मोहर' देता था, जो उसके काल तक रखी जाती थी । नये दीवान के लिए नयी मोहर बनायी जाती थी ।^{३१}

दीवान के अलावा राज्य का अन्य मुख्याधिकारी 'प्रधान' होता था । उसकी नियुक्ति शासक करता था परन्तु सामान्यतः पौकरण और भाऊवा के ठाकुर ही इस पद पर नियुक्त किये जाते थे । इसका कोई कार्यालय नहीं था । इस पद की महत्ता इसमें थी कि एक तो वह राठौड़ सामन्तों का सिरमौर होता, दूसरा यह कि जागीर के पट्टों पर 'महाराज' के हस्ताक्षर के साथ-साथ उसके हस्ताक्षर भी होते थे ।^{३२}

राज्य की स्थायी सेना 'बखशी' के अधीन रखी जानी थी । सामान्यतः दीवान और बखशी के पद पंतुक थे । कर्नल मदरलैंड के अनुसार राज्य में दो या तीन

मन्त्रियों के पद होने थे । बारी बारी से दीवान या बखशी पद पर नियुक्त मन्त्री एक दूसरे पद पर नियुक्त किए जाते थे ।^{३३} बखशी के कर्त्तव्य वे ही होते थे, जो मुगल प्रशासन में बखशी के थे । उसका मुख्य कार्य सेना में वेतन वितरण करना था । वह नये सैनिकों की भर्ती भी करता था तथा युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन भी करता था ।

दीवान और बखशी के अलावा 'वकील' भी एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय व्यक्ति होता था । वह अन्य राज्यों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता था । इस काल के महत्त्वपूर्ण वकील थे अमरसिंह भण्डारी, जो मुगल दरबार में अमरसिंह का प्रतिनिधि था,^{३४} व्यास जसकरण जो मानसिंह के प्रतिनिधि के रूप में खालियर में १८१३-१८१८ तक रहा,^{३५} और आसोपा विशनराम, जो दिल्ली के ब्रिटिश रेजीडेण्ट के साथ रहता था और जिसने मानसिंह के नाम पर फरवरी १८१८ को आंग्ल-राठोड सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे ।^{३६}

राज्य का एक महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी 'किलेदार' था ।^{३७} उस पर किले की सुरक्षा का उत्तरदायित्व था । शासक अपने विश्वास पात्र को ही इस पद पर नियुक्त करता था । कुछ महत्त्वपूर्ण किलेदार थे, खीची सुन्दरदास, जो रामसिंह और बखतसिंह के समय जोधपुर का किलेदार था,^{३८} किलेदार नगमी, जो प्रारम्भ में मानसिंह का अत्यन्त विश्वास पात्र व्यक्ति था, परन्तु १८१६ में विद्रोही बन गया अतः उसे मृत्यु दण्ड दिया ।^{३९}

अन्य पदाधिकारियों में 'दुपोडीदार'^{४०} जो कि महाराजा के महलों का पहरेदार होता था, 'पुरोहित'^{४१} जो कि राज्य के धार्मिक समारोहों की देखभाल करता था, तथा कभी कभी उसे अत्यन्त गुप्त कार्यों के लिए अन्य राज्यों में भी भेजा जाता था, कम महत्त्व के व्यक्ति नहीं होते थे । 'घामार्ड' और 'खास-पासवान' व्यक्तिगत परिचारक होते थे ।^{४२} 'खानसामा' गृहकार्य को देखता था ।^{४३} 'कोतवाला' न सिर्फ नगराध्यक्ष होता था बल्कि पुलिस पदाधिकारी भी था । उसके पास नगर के बोट दरवाजों की चाबियां रखी जाती थी तथा वह 'कोतवाली चबूतरा' न्यायालय की अध्यक्षता भी करता था ।^{४४}

महाराजा बखतसिंह ने 'पियाद-बखशी' का नया पद स्थापित किया था । यह पदाधिकारी अलकारी, मुत्सद्दियों कारवारियों और नवो-तो-सभों को वेतन वितरण करता था ।^{४५} अन्य कार्यालयों में मुख्य थे । 'दफ्तर दस्तरी'^{४६} जहां महत्त्वपूर्ण सारी, बहियां पत्र, अमिलेख आदि रखे जाते थे, 'दफ्तर मीर मुणो'^{४७} जहाँ फारसी में लिखे हुए पत्रादि रखे जाते थे और 'जवाहर खाना' जो कि किले में स्थित था और बहुमूल्य हीरे, जवाहरात गहनों आदि का भण्डार गृह था । शासकों ने 'मिरदा'^{४८} पद की स्थापना की, जो कि डाक आदि लाने ले जान का कार्य करता था ।

इसके अलावा शासक के घरेलू कार्यों की देख-रेख करने के लिए कई विभाग थे, जैसे, 'ठोलियाँ का कोठार,' यह हज़ूर दीवान के अधीन था और इसमें शासक की तलवारें, ढालें, बिस्तर, व्यक्तिगत पत्र आदि रखे जाते थे, ५० घन्न का कोठार, जहाँ भोजन-सामग्री सग्रहीत की जाती थी; इसका अध्यक्ष 'दीवानी मुसरिफ' होता था । ५१ 'घावदारखाना' (जल विभाग); 'रसोबडा' (रसोईघर), 'बाग का कोठार' (बाग विभाग), 'सेज खाना' (बस्त्रादि विभाग) 'फर्राखाना' (फर्नीचर व वैभव आदि की व्यवस्था का विभाग), और 'जनानी ह्योडी' (अन्त पुर विभाग) । ५२

(घ) जिला प्रशासन

प्रशासकीय सुविधा के लिए मारवाड़ को परगनों में विभाजित किया गया । धर्मसिंह और बख्तसिंह के समय परगनों की संख्या अठारह थी । ५३ जब १७७० ई० में गोडवाड मारवाड़ का एक भाग बन गया तो परगनों की सीमा पुनः निर्धारित की गयी, और उनकी संख्या तेईस कर दी गयी, बाली, विलाडा, डीडवाना, जालौर, जंतारण, जसवन्तपुरा, जसवन्तगढ जोधपुर, मारोठ, मेडता, नागौर, नावा, पचपदरा, पाली, परबतसर, फलीदी, साचोर, सकडा, शेरगढ़, शिव, सिवाना और सोजत । ५४

परगने (जिला) का मुख्याधिकारी 'हाकिम' कहलाता था, जिसकी नियुक्ति दीवान की सलाह पर शासक करता था । हाकिम परगने के लिए न सिर्फ राजस्व-धिकारी ही था, बल्कि दण्डनायक और न्यायाधीश भी था । वह वार्षिक प्रतिवेदन शासक के दरबार में भेजता था । उसके न्याय-निर्णयों की अपीलें ही सकती थी, वह निश्चित बजट से अधिक खर्च नहीं कर सकता था, परन्तु परगने में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के उसके अधिकार पर्याप्त थे । ५५

हाकिम जागीरदारों से प्राप्त होने वाले सभी कर एकत्र करता था । ५६ उसका कार्यालय परगना कचहरी कहलाता था । ५७ इस कचहरी (कचहरी) में चुंगी, उत्पादन-कर एवं भूमि-कर जमा कराया जाता था । ५८ हाकिमों को 'अमील' एवं नवी-तॉ-सन्दा की नियुक्ति करने के अधिकार प्राप्त थे । ५९ परन्तु इनका स्थानांतर वह नहीं कर सकता था । यह अधिकार 'दीवान' का होता था । ६० जंग की हुई जागीर पर राज्य की ओर से अधिकार करने का उत्तरदायित्व भी हाकिम का होता था । ६१

परगनों में ग्रन्थ पदाधिकारी थे वानूतगों, ६२ जो राजस्व रिकार्डों की देख-रेख करता था; 'कन्वाडी' ६३ जो कृषि की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था, सहणा (शहना) ६४ और चौबडो । ६५ परगनों के मुख्य नगरों में 'कोतवाल' की नियुक्तियाँ होती थी । वह प्रधानतः पुलिस पदाधिकारी था परन्तु कभी-कभी हाकिम के निर्देशनों पर 'न्यायिक जांच' का कार्य भी करता था । वह व्यापारियों तथा महाजनों से कर वसूली करता, जिसे 'कोतवानी पैदाइश' कहा जाता था ।

उसके पास नगर के प्रत्येक घर की सूची होती थी तथा घरों के पट्टे देने का कार्य उसको सौंपा जाता था ।^{६६}

परगने को तहसील (तालुका) मे विभाजित किया जाता था । इस इकाई का मुख्याधिकारी 'धानेदार' होता था । वह हाकिम के प्रति उत्तरदायी होता था । तहसील गांवों मे विभाजित थी । प्रत्येक गांव मे एक पचास होती थी तथा राज्य 'चौधरी' गांव का मुखिया होता था ।^{६७}

(इ) सैनिक प्रशासन

इस काल के प्रारम्भिक वर्षों मे शासक सैनिक दृष्टि से जागीरदारों पर पूर्ण-तया निर्भर था । युद्ध-काल मे जागीरदारों द्वारा दी गयी सैनिक सहायता ही राज्य की सैनिक शक्ति होती थी । सिद्धान्ततः प्रत्येक जागीरदार को शासक की सेवा में एक निश्चित सहायता मे सैनिक देने पड़ते थे, जिनका खर्च वह स्वयं वहन करता था । मारवाड के शासक मुगलों के सूबेदार थे । अतः इनकी पारिवारिक सेना का खर्च मुगलकोष से भी लिया जाता था । जसवन्तसिंह और अजीतसिंह की सेवा मे भाटी, मडेवा, पत्तोत, जमलोन, ऊदौत, मेड़तिया, जोधा, चांपावत और कूमावत खांभ के राजपूत जागीरदारों की सेना मुख्य होती थी । सेना मे सवार, पैदल, रथ ऊँट और तोपखाना होता था । जब कभी सेना रण के लिए प्रस्थान करती तो उनमें चारण, कायस्थ, धनिया, कामदार, ब्राह्मण, खास-यासवान, ऊँट सवार, और वेतन विनरण पदाधिकारी भी होते थे ।^{६८}

विजयसिंह के समय से राज्य मे स्थायी सेना का संगठन किया जाने लगा । इस सेना मे रहले, अफगान, सिंधी और पुरबियों की भर्ती की जाती थी । इन्हें नकद वेतन दिया जाता था । ये बन्दूकधारी होने से तथा तोपखाने का संचालन भी करते थे । आवश्यकता पड़ने पर राज्य सत्यासिधियों, विशेषतः भागा और दादूपन्थी साधुओं की त्रिशूड भी तैयार करता था ।^{६९}

मानसिंह के अन्तिम वर्षों मे राज्य की सैनिक शक्ति का नियंत्रण अंग्रेजों के अधिकार मे चला गया था । उन्होंने १८३५ मे 'जोधपुर सौजन' की स्थापना ऐरनपुरा मे की । इस सेना में २५४ अश्वारोही, ७३६ पैदल, २२२ भीन और ३१ तोरची थे । कुल १२४६ सैनिक होते थे । इसका वायिक खर्च एक लाख पन्द्रह हजार रुपया था, जो जोधपुर-कोष से दिया जाता था ।^{७०}

(ख) न्याय और कानून

शासक न्याय का अधिकार धारण करता होता था । यह अधिकार का अन्तिम न्यायालय भी था तथा तत्काल बड़ी कानूनी सौर पर मृत्यु दण्ड दे सकता था । राजधानी में स्थित मुख्य न्यायालय को 'चारखाना मदालत' कहते थे । इसमें चार न्यायाधीश होते थे । महारथपूर्व मुकदमों का निर्यात करने के लिए शासक विशेष न्यायालय की स्थापना करता था, जिनमे दरय के अनाया दीवान, बहरी और चार न्यायाधीश होते थे ।^{७१}

परगना-स्तर पर 'कारकून' और 'इजलास नवीस' की सहायता से हाकिम न्याय प्रशासन करता था। इन अदालतों से अपीलें 'कारखाना अदालत' में भेजी जाती थीं। साधु अपराधियों के लिए जो अदालतें होती थी, उनकी अध्यक्षता पुरोहित करता था, जिसके लिए चार अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति भी की जाती थी। 'नायो' के मुकदमों में महामन्दिर के आयसजी महाराज के दरबार में भेजे जाते थे।^{७२}

कुछ जागीरदारों को न्याय के अधिकार प्राप्त थे। परन्तु उनके द्वारा दिये गये निर्णयों की अपील मुख्य 'कारखाना अदालत' में की जा सकती थी।^{७३} गाँवों में न्याय करने के अधिकार पचायतों के पास थे। इसकी अपीलों परगना हाकिम के न्यायालय में की जा सकती थी।^{७४} साधारणतः गाँवों में मध्यस्थता द्वारा आपसी झगड़ों को निपटा दिया जाता था।^{७५} सेना में अनुशासन भंग करने पर, अपराधियों को विशेष अदालत में उपस्थित कराने का उत्तरदायित्व सैनिक टुकड़ी के कप्तान का होना था, अन्यथा वह दण्ड का भागी होना था।^{७६}

समकालीन ग्रंथों, प्रलेखों, बहिषों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आगिक दंड प्रचलित नहीं था।^{७७} दंड साधारण थे। चोरी करने पर सिर्फ़ अर्थ-दण्ड की व्यवस्था थी।^{७८} भयंकर अपराधियों को तहखाने में रखा जाता था। राजनैतिक अपराधी जोधपुर जिले के भीतर 'सलीम कोट' में नजरबंद किये जाते थे।^{७९} शासक के जन्म-दिवस, राजनिक एव पुत्र उत्पन्न होने पर कैदियों को मुक्त करने की व्यवस्था प्रचलित थी।

(ख) राजस्व प्रबन्ध और कर-प्रणाली

राजस्व विभाग दीवान के अधीन होता था। वह 'खालसा' और 'खालसा' भूमि से राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था का निर्देशन देता, निरीक्षण करता तथा निबन्धन रखता था। 'हवलदार'^{८०} या 'गुमास्ता'^{८१} जिनकी नियुक्ति दीवान नहीं करता था, भूमिकर एकत्र करते थे। कभी-कभी यह कर 'इजारा' प्रणाली द्वारा भी एकत्र किया जाता था।^{८२} राज्य की आय के अन्य साधन थे—परगना व तहसील आय, जागीरदारों पर कर, चुगी और उत्पादन शुल्क।^{८३}

सोगों का मुख्य धंधा कृषि था। भूमि को 'बापी,' 'मागली,' 'हासिली,' 'सासन' 'डोली,' 'पसंता,' 'जागीरी,' और 'भूम' में वर्गीकृत किया जाता था। किसी निश्चित प्रणाली से सभी स्थानों पर भूमिकर एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी। सामान्यतः 'लौटा,' 'कूत,' 'काकर-कूत,' 'मुक्ता,' बीघोड़ी और घूघरी प्रणालियाँ प्रचलित थीं।^{८४} उपज का एक तिहाई भाग राज्य का भाग माना जाता था। मारवाड में प्रति तोमरे वर्ष प्रकाल पड़ने से कृषि उत्पादन पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ना था।^{८५}

कृषि-कर के अनाथ राज्य की आय का मुख्य साधन चुगी-कर (करटम) था। यह सामान्यतः 'इजारा'—प्रणाली द्वारा एकत्र किया जाता था। नीलामी के द्वारा सबसे अधिक बोली बोलने वाले को चुगी वसूल करने का अधिकार दिया जाता

था ।^{५६} वहाँ-वहीं पर राज्य चुंगी वसूल करने के लिए अपने कर्मचारियों की नियुक्ति भी करता था । ये कर्मचारी चुंगी दरोगा कहलाते थे । जो परगना हाकिम के नियन्त्रण में रहे जाते थे । इस प्रकार एकत्र की हुई धनराशि परगना-क्षेप में जमा करायी जाती थी ।^{५७} जिन वस्तुओं के आयात पर चुंगी लगनी थी, उनमें मुख्यतः धी-बैल, ऊँट, घोड़े, चमड़ा, सींग, हाथी दाँत, कपड़ा, रेशम, चंदन, रंग, अफीम, मिर्च-मसाला अखरोट, सूखा मेवा, पोटोश, नारियल, बम्बल, ठाँवा, लोहा ।^{५८}

नाना प्रकार के अन्य कर भी प्रचलित थे, 'बराड' घासमारी 'घरवार', सवार-खर्च 'धाणा' और 'फौज बल' ।^{५९} कर्नल सदरलैण्ड के अनुसार शादियों के समारोहों पर भी कर लगाया जाता था ।^{६०}

साँभर, डीडवाना, पचपदरा और नावाँ की नमक की भीली से राज्य की आय होती थी । 'ठोलिया के बोठार' के प्रलेखों में 'जमा-खर्च फाइल' के दिनांक २० मवम्बर १८०० के प्रलेख के अनुसार, ^{६१} १७६६ ई० में नमक की भीली से राज्य की आय थी । पचपदारा से एक लाख रुपया, डीडवाना से पचास हजार रुपया, नावाँ से सत्तर हजार रुपया और साँभर से उनसठ हजार मात सौ पचास रुपया । १८४७ में कर्नल सदरलैण्ड अपने प्रतिवेदन में साँभर भील से वार्षिक आय तीन लाख रुपया बताता है ।^{६२}

राज्य की आय बढ़ाने के लिए अन्य साधन भी आवश्यकतानुसार काम में लाये जाते थे । कोतवाल की घादेश दिये जाते थे कि नगरों में महाजनों से धन वसूल करे । टॉरेन्स ने ६ अगस्त १८२८ को एक पत्र कोलब्रुक को प्रेषित कर सूचित किया कि जोधपुर शहर के सराफों ने हड़ताल कर दी । उनकी दूकानें बन्द पायी गयी क्योंकि कोतवाल उनसे जबरदस्ती बीस हजार रुपयों की वसूली करते समय उचित धाचरण नहीं करता था ।^{६३} १८४२ में मानसिंह ने 'दफ्तरी' पद छः हजार रुपयों में बेच दिया था ।^{६४} कभी-कभी शासक 'बिलों' का भुगतान करने के लिए अपने पदाधिकारियों, महाजनों तथा घोसवालों के नाम 'चिट्ठी' कर देता था ।^{६५} एक तरफ से घोसवाल महाजन राज्य के वीर थे ।^{६६} अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में ये महाजन भारत के पूर्वी भाग में जाकर बस गये और 'जगत सेठ' कहलाने लगे ।^{६७}

कुछ समकालीन प्रलेखों से राज्य की वार्षिक आय का लेखा-जोखा प्राप्त किया जा सकता है । सर चार्ल्स मेटकॉफ के अनुसार १८०५ ई० में राज्य की आय पचास लाख रुपया वार्षिक थी ।^{६८} सन् १८८४ के कार्तिक बदी ५ (२५ अक्टूबर, १८२७ जमा-खर्च फाइल न० ४४) की झीली में अंकित जुलाई से अक्टूबर, १८२७ माह तक की राज्य की आय चार लाख, चौहत्तर हजार दो सौ निम्नानवे रुपये छ आना थी ।^{६९} कर्नल सदरलैण्ड ने १० जून १८३६ के अपने प्रतिवेदन में राज्य की आय बीस लाख रुपये वार्षिक बतलायी है ।^{७०} विल्सन के अनुसार यह आय सैंतीस लाख रुपये थी ।^{७१}

सन्दर्भ

१. प्रथम बार जसवतसिंह 'महाराजा' पद से सम्बोधित किया गया था। (मुघासिर-उल-उमरा भाग ३, पृ० ६००)
२. मुहम्मद शाह रगीले ने अमरसिंह को 'राज राजेश्वर' की पदवी दी। (अमरयोदय सर्ग ४, दोहा ११, १२)
३. अजीतसिंह का राय खीमसो को पत्र, ज्येष्ठ बदी ३, वि०स० १७७०। २१ अप्रैल १७१४ (खरीता, बस्ता न० ६६ जोष०)
४. सदरल्लेख का वेडॉक को पत्र, १० जून १६३६, एफ०पी० २४ जुलाई १६३६ न० ३८
५. हयबही न० ३ पृ० ४२-४३
६. मानसिंह का गवर्नर जनरल को पत्र, जो उसे १६ अक्टूबर १६२६ को प्राप्त हुआ, एफ०पी० ७ नवम्बर १६२६ न० ५
७. १६१८-१६१६ ई० के वर्ष में, मारवाड की कुल जनसंख्या में ५/८ जाट, २/८ राठीड राजपूत और १/८ अन्य जातिवासी थीं (टॉड २, पृ० ११०५)
८. मारवाड के सामन्तों का कर्नल टॉड को पत्र, आबण सुदी २, वि०स० १६७८। ३१ जुलाई १६२१ (टॉड १, पृ० २२८-२३०)
९. गाँवों की उठन्तरी की फाइल न० २२, ठोलियाँ-जोष० (बस्ता न० ५६, ६०, ६५ और १०१ में जागीर प्रदान के प्रलेख मरे पड़े हैं)
१०. मुडियाड रपात (अजीतसिंह) पृ० १३-१४, बस्ता न० ४० जोष०
११. सदरल्लेख का वेडॉक को पत्र, १० जून १६३६, एफ०पी० २४ जुलाई १६३६ न० ३६ परिशिष्ट
१२. उद्युक्त-परिशिष्ट न० ५, खालसा भूमि से आय हिसाब २० साल ४० की थी।
१३. पत्र दिनांक, ११ जिल्वाद, ३ रा शामन-वर्ष। १ जनवरी १७१०, बकाया रिपोर्ट न० १७२४, जय०; पत्र, दिनांक पोप बदी ७, वि०स० १६६६। २५ दिसम्बर १६१२, अमल की विट्टी की फाइल न० १०५, ठोलियाँ जोष०, मेहतिया स्य त (२) अन्य न० १, पृ० १२४८, अन्य न० १४, पृ० १३५५-५६, बस्ता न० १०१; मलोनी स्यात, अन्य न० ३६ पृ० १२, बस्ता न० ४०, जोष०, सोना फाइल, ठोलियाँ जोष०)
१४. विजय विल'स, पृ० १२६

१५. विजयसिंह का महादजी को पत्र, पोप मुदी १४, वि०स० १८४८ । ८ जनवरी १७६१ (अ०ब०न० ४, पृ० ४८)
- १६-१७. एलबीस वा मेकनॉटन को पत्र, २१ फ़रवरी १८३८, एफ०पी० २६ दिसम्बर १८३८, न० २७
१८. राठौड दानेश्वर बशावली पृ० ३३८ दो० २४६-२५०
१९. परिहार (ई दा) ख्यात पृ० २६-२७, बस्ता न० १०१ जोध०
२०. भाटी (भीखम खौर) ख्यात ग्रन्थ न० २३ पृ० ६-१०, बस्ता न० १०१; बाला ख्यात, ग्रन्थ न० ४, पृ० १७७-१७८ बस्ता न० १०१ । महाराजा द्वारा हाथ ठठाकर अभिनन्दन को 'कुरब' कहा जाता था, 'खाम पासवाव' (खाम पासवान) व्यक्तिगत परिचारक को कहा जाता था, दरवार मे महाराजा के दायी ओर बायीं ओर बैठने की राजाज्ञा को 'मिसल' कहा जाता था ।
२१. हकीकत बही न० ४, पृ० ४४६, खाम हक्का फाइल न० १०७, ठोलिया-जोध०
२२. भाटी (भीखम खौर) ख्यात, ग्रन्थ न० २३, पृ० ६-१० बस्ता न० १०१, बाला ख्यात, ग्रन्थ न० ४, पृ० १७७-१७८, बस्ता न० १०१ जोध०
२३. हथबही न० २, पृ० १७८
२४. हथबही न० ३, पृ० ४२-४३, न० ४, पृ० २२८ २२९
२५. राठौड कनीराम बदनसिंह रतनमिषोत (नौमाज) को पट्टा, पोप मुदी ५, वि०स० १७६८ । ३१ दिसम्बर १७४१, मेडतिया ख्यात २, ग्रन्थ १४ पृ० १३५५-१३५६ बस्ता न० १०१ जोध०)
२६. अजीतसिंह का सिक्दार दयालदास को पत्र, चैत्र बदी ७, वि०स० १७६६ । १० मार्च १७१० (खरीता, बस्ता न० ६६ जोध०); सदरलेण्ड का वेडॉक को पत्र, १० जून, १६३६, एफ०पी० २४ जुलाई १८३६ न० ३८
२७. राठौड मुरताणसिंह को पट्टा, भाद्रपद बदी ६, वि०स० १८०६ । २२ अगस्त १७५२, मेडतिया ख्यात (२) ग्रन्थ न० १४, पृ० १३५६, बस्ता न० १०१, जोध० ।
२८. सदरलेण्ड का वेडॉक को पत्र, १० जून १८३६, एफ०पी० २४ जुलाई १८३६ न० ३८, टॉड (२), पृ० १२०, परिहार (ई दा) ख्यात, ग्रन्थ १५ पृ० २६-२७, बस्ता न० १०१, जोध०
२९. सिधवी सिवराज का विजयसिंह को पत्र, ज्येष्ठ मुदी १०. वि०स० १८३२ । २७ मई १७७६ (अर्जी फाइल न० ५, ठोलिया—जोध०), मुठियाड ख्यात (मानसिंह) पृ० २२-२३, बस्ता न० ४० जोध० एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ मारवाड पृ० २७६

३०. हयबही न० १, पृ० १, जमा खर्च फाइल न० ४३ डोलिया-जोध०, भॉक्टरलोनी का जे० एडम्स को पत्र, ७ जनवरी १८१६, एफ०पी० ३० जनवरी १८१६, न० ५८
३१. हकीकत, बही न० १०, पृ० १०७, जमा-खर्च फाइल न० ४३, डोलिया जोध०, मुडियाड स्यात (मानसिंह) पृ० १२७, बस्ता न० ४०—जोध० 'एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ मारवाड पृ० २८२-२८४
३२. एलबीस का मेकनॉटन को पत्र, २१ अक्टूबर १८३८, एफ०पी० २६ दिसम्बर १८३८ न० १७, मानसिंह की दृष्टि म 'प्रधान' का पद चयनित था, किसी जागीरदार वश का अधिकार नहीं माना जा सकता था (सदरलैण्ड का वेडॉक को पत्र, १० जून १८३६, एफ०पी० २४, जुलाई १८३६ न० ३८)
३३. सदरलैण्ड का वेडॉक को पत्र, २० अक्टूबर १८३६, एफ०पी० २४ फरवरी १८४० न० ३४ पेरा १६
३४. भ्रमयसिंह का भण्डारी भ्रमरसिंह को पत्र, कार्तिक बदी २, वि० स० १७८७। १६ अक्टूबर १७३० जोध०
३५. पत्र, दिनांक चैत्र बदी ५, वि० स० १८७५ । ३६ मार्च १८१८, सतोखिताब फाइल न. ३०, डोलिया-जोध०
३६. मारवाड री स्यात (४) पृ० ८१-८४, ऐचीशन ट्रीटीज, एनगेजमेण्ट्स एण्ड सनदस (३) पृ० १२८-१२९
- ३६-३८ मुडियाड स्यात (बखतसिंह) पृ० १०, बस्ता न० २० जोध०
३९. जो० येर्यान २, हकीकत बही न० ६, पृ० ४४
४०. मानसिंह का गोमाजी सिधिया को पत्र, आषाढ बदी १३ वि० स० १८६८ । ६ जुलाई १८१२ (घ० ब० न० ५, पृ० ५४ जोध०), हकीकत बही न० १०, पृ० ११७
४१. हयबही न० ४, पृ० २२५-२२६
४२. उपयुक्त, मुडियाड स्यात (अजीतसिंह) पृ० १६-१७, बस्ता न० ४० जोध०
४३. उपयुक्त, मुडियाड स्यात (बखतसिंह) पृ०, १० बस्ता न० २०, मुडियाड स्यात (मानसिंह) पृ० २२-२३, बस्ता न० ४० जोध०
४४. मुडियाड स्यात (बखतसिंह) पृ० १०, बस्ता न० २०, विजय विलास पृ० १६ दोहा ४०, राठीड दानेश्वर वशावली पृ० ३२०, दो० १५०-१६१
४५. हयबही न० ४ पृ० २२-२२६, जमा-खर्च फाइल न० ४३, डोलियो-जोध०, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आफ मारवाड, पृ० ४७७
४६. लडलो का सदरलैण्ड को पत्र, ६ फरवरी १८४३ पृ० २६२ धार० ए० धो० १४ म जोधपुर (६) १८४३
४७. एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आफ मारवाड, पृ० ७७२
४८. जमा खर्च फाइल न० ४३, डोलिया जोध०, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आफ मारवाड, पृ० ७७२

- ४६ मुडियाड ख्यात (अजीतसिंह) पृ० १७-१८, बस्ता न० ४० जोध०, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आफ मारवाड पृ० ६०८-६०९
- ४७ पत्र, दिनांक ज्येष्ठ बदी ३, वि० सं० १८७६ । १ मई १८२०, घोडा और सामान की फाइल न० ३७, डोलियाँ-जोध०
- ४८ पत्र, दिनांक ज्येष्ठ बदी १३, वि० सं० १६०२ । जनवरी १८४३, उपयुक्त फाइल
- ४९ जे० आई० एच० पत्रिका भाग (३४) पार्ट (१) पृ० ७२ में डा० जी० एन० शर्मा का लेख 'सोसाइटी एण्ड कल्चर आफ राजस्थान एज रीवीस्ड, फ्रॉम द बहाज बहीज ऑफ दपतरी रिकार्ड्स ऑफ जोधपुर'
- ५० मनसब ग्रन्थ (हस्तलिखित) बस्ता न० ६६ जोध०
- ५१ हबबही न० ४ पृ० ५५-५७, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आफ मारवाड पृ० ६-७
- ५२ पत्र, दिनांक पौष बदी ७, वि० सं० १८६६ । २५ दिसम्बर १८१२, अमल की चिट्ठी की फाइल न० १०५, डोलियाँ जोध०
- ५३ इजारा फाइल न० ११० डोलियाँ—जोध०
- ५४ हबबही न० ४, पृ० २२५-२२६
- ५५-६० पी० आर० सी० (८) पत्र, न० १३२, पृ० १७७ मेहता विजयमल की मेहता सरदारमल, नागौर को पत्र, इतजामी सीमा फाइल न० ५८, डोलियाँ जोध०
- ६१ गोडवाड के हाकिम के नाम पत्र, श्रावण बदी १०, गाँवों की उठन्तरी फाइल न० २२, डोलियाँ जोध०
- ६२ विजयसिंह का महादजी को पत्र, कार्तिक बदी ८, वि० सं० १८४८ । ३ नवम्बर १७६१ (अ० व० न० ४, पृ० ४७ ४८)
- ६३ टॉड (२) पृ० १११५
- ६४ हबबही न० ३ पृ० ४२, राठीड दानेश्वर बशाबली, पृ० ४८, दो० ६६५; एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आफ मारवाड पृ० ७०६ ७१०
- ६५ हबबही न० ४, पृ० ४२ टाटोडी ख्यात पृ० ६ बस्ता न० ४० जोध०, टॉड (२) पृ० १११२-१११४, उक्त पत्रिका (१६६१) में डॉ० जी० एन० शर्मा का लेख 'हवाला एण्ड ट्योडी बहीज आफ मारवाड'
- ६६ मुडियाड ख्यात (जसवन्तसिंह) पृ० १७६, बस्ता न० २०, जोध०, नेनसी ख्यात (१) पृ० ११४
- ६७ हबबही न० ३, पृ० ४२ ४३, न० ४, पृ० २२८ २२९, विजय-विलास पृ० ११६ दोहा ३६
- ६८ ग्यानमल का निर्मयराम को पत्र, फाल्गुन सुदी ४, वि० सं० १८४२ । ४ मार्च १७८६ (अ० व० न० ४, पृ० २७४)
- ७० किल्लत (८) पृ० ३१४, पार्टन (२) पृ० ३३७, ऐचीमन (३) पृ० १३५

- ७१ हयबही न० ४, पृ० २२६
- ७२ उपयुक्त पृ० ५७ ५८, २२६, सायर की फाइल न० ७८, डोलियाँ जोध०
- ७३ बालून्दा के महाजनो का महाराजा को पत्र, प्रापाड बदी ३, मर्जी फाइल न० ३, डोलिया जोध०, सूरनराम का ठापुर रतनसिंह को पत्र, बैगाव बदी ८, वि०स० १८८० । २१ अप्रैल १८२४, खती खिनाव फाइल न० २८, डोलियाँ-जोध०
- ७४-७५ हयबही न० ४, पृ० ४२
- ७६ परदेशी घेडा के रसालदार का मुचनका, मार्गशीर्ष सुदी १०, वि०स० १८८७ । २५ नवम्बर १८३० (हय बही न० ४ जोध०)
- ७७ वनेल सदरलैण्ड की रिपोर्ट, ७, अगस्त १८४७ न० ८५५ पृ० ३०
- ७८ मेहता विजयमल का नावा कचेडो के थारकूनो के नाम पत्र, (मर्जी फाइल न० ५ डोलियाँ जोध०)
- ७९ एडमिनिस्ट्रटिव रिपोर्ट आफ मारवाड, पृ० ७१६
- ८० पत्र, दिनांक पौष बदी ६, हजारों फाइल न० ११०, डोलियाँ-जोध०
८१. पत्र, दिनांक २२, रबी-उल आखीर, द्वितीय शासन वर्ष । २७ अप्रैल १७७५ जय०
- ८२ बखतसिंह का अमरसिंह को पत्र, पौष सुदी ५, वि०स० १७६२ । ८ दिसम्बर १७३५ तरीता, बस्ता न० ६६ जोध०
- ८३ हयबही न० १, पृ० ६-७, जमा-खर्च फाइल न० ४३, डोलियाँ जोध०
- ८४ हयबही न० ४ पृ० ६५ ६७, विजयसिंह का महादजी को पत्र, भाद्रपद बदी १४, वि० स० १८३५ । २१ अगस्त १७७८ (अ० ब० न० ४, पृ० ३७), मेडतिया ह्यात (२) पृ० १३५५ ५६, बस्ता न० १०१ जोध०, एडमिनिस्ट्रटिव रिपोर्ट आफ मारवाड पृ० ३५३-३५५
- राजस्थानी शब्दो (बापी, मांगली, हासिली, सासन, डोली, पुसंता, जागीरी, भ्रम, लाटा, कूँठ, काकर कूँठ, मुक्ता, धिगोडी, घूघरी की व्याख्या के लिये देखिए परिशिष्ट "ख"
- ८५ पी०आर०सी० (१४) १३६, मुडियाड ह्यात (मानसिंह) पृ० १०५ १०८ बस्ता न० ४० जोध०, सबसे भयकर अकाल १८१० १८१२ में पडा ।
- ८६ ८७ जमा-खर्च फाइल न० ४३, डोलियाँ जोध०, हयबही न० १, पृ० ६७, सायर फाइल न० ७६, डोलिया जोध०, खास रुक्का व परवाना बही न० १ पृ ७६
- ८८ टॉड (२) पृ० १०७, घाटें (२), पृ० ३२४
- ८९ बराड 'घासमारी' घरबाव 'सवार खच' (फौजबल) की व्याख्या के लिए, देखिए परिशिष्ट 'ख'
- ९० सदरलैण्ड रिपोर्ट ७, अगस्त १८४७, न० ८४५ पृ० ३०

६१. जमा-खर्च फाइल नं० ४३, डोलिया जोध०
६२. सदरलैण्ड रिपोर्ट, ७ अगस्त १८४७, न०८४५ पृ० ११
६३. टॉरेन्स का कोलब्रुक को पत्र, ६ अगस्त १८२८, एफ०पी० ५ सितम्बर १८१८ न० २०
६४. लडलो का सदरलैण्ड को पत्र, ६ फरवरी १८४३, आर०ए०प्रो० १४, अ० जोध० (६) १८४३, पृ० २६२
६५. विजयसिंह का नन्दवाना के बोहरो का पत्र, पीप बदी ३०, वि०स० १८२३। ३१ दिसम्बर १७६६ (अ०ब०न० ४, पृ० २८६,) जमा-खर्च फाइल न० ४४, डोलिया-जोध०)
६६. मेकनॉटन का एलबीस को पत्र, ६ अक्टूबर १८३८, एफ० पी० २३ जनवरी १८३६ न० २७; जमा खर्च फाइल न० ४४, डोलिया-जोध०
६७. के०के० दत्ता पृ० १७२ (डा० दत्ता के अनुसार हीरानन्द साहू का परिवार मारवाड से बगाल व बिहार की ओर गया। वे वही व्यापार करने लगे। बाद में वे 'जगत सेठ' कहलाने लगे।)
६८. हेमिस्टन (२) पृ० ६०
६९. जमा-खर्च फाइल न० ४४, डोलिया जोध०
१००. एफ०पी० २४ जुलाई १८३६ नं० ३८, परिशिष्ट नं० ५७
१०१. विहसन (८) पृ० ४४७



परिशिष्ट 'ख'

ग्रन्थ में प्रयोग किए गए राजस्थानी शब्द

उठतरी	—	जागीरदारों को दिये गये गावों को राज्य द्वारा पुन
(गावों की)	—	अधिकार में लेने की प्रणाली ।
काकर कूँत	—	खड़ी फसल पर वर प्राप्त करने की प्रणाली ।
कामदार	—	प्रतिनिधि
कूरव	—	अतिथि वा स्वागत करने हेतु शासक द्वारा हाथ सजा करना ।
कूँत	—	घनाज से, तीले बिना, उपज में से राजकीय भाग लेने की प्रणाली ।
खरीता	—	शासकों का अन्य शासकों को राजकीय पत्र ।
खासा	—	व्यक्ति परिचारक
खामा सवारी	—	शासक के निजी यातायात के साधन ।
खास पासवा	—	खास पासवान (व्यक्ति परिचारक)
खेडा	—	क्षेत्रीय सेना की टुकड़ी
ख्यात	—	शासकों की उपलब्धियों एवं प्रमुख घटनाओं के विवरण ग्रन्थ ।
शुमास्ता	—	दीवान या साहूकार का प्रतिनिधि
धूमरी	—	वर के रूप में निश्चित घनाज लेने की प्रणाली
धरव ड	—	शुद्ध वर
धसिपारा	—	घास वा व्यापार करने वाला समूह
घाट	—	देसूरी और चारभुजा नगरों के बीच का पहाड़ी भाग
घाम दाणा	—	मराठों के घोड़ों की खेतों से दूर रखने का कर
घोड़ी बराह	—	घास दाणा
जागीरी	—	राज्य द्वारा जागीरदार की भूमि को जब्त करने पर जागीरदार के निर्वाह के लिए छोड़ी हुई भूमि ।
जुनार	—	प्रणाम करने की विशिष्ट शालीन विधि
थरदार	—	बहुमूल्य जवाहरान
थान	—	नौ हाथ लम्बा वपडा

दरबार खर्च —	राज्य दरबार की व्यवस्था हेतु कर
दाणा —	जागीरदारों के टिमाव की जाच के लिए राज्य-शुल्क
घणो —	मालिक
घरणा —	बैटक-दृष्टनाल
घामाई —	शासक की आया का पुत्र
नगारची —	डोल नगाड़े बजाने वाले
नवी तो-सन्दा —	लेखा-लिपिक
निछरावल —	शासक को भेंट देने की विशेष प्रक्रिया
टोलियां —	निवाह की खाट
डोली —	जागीरदार द्वारा ब्राह्मण को दी गयी कर-मुक्त भूमि ।
पवरगा —	जोधपुर राज्य का घञ
पाघ —	साफा (५ फीट लम्बा, १ फीट चौड़ा)
पुच्छीरा —	वस्तुओं की निकासी पर पाच प्रतिशत कर
पुर्सता —	जागीरदारों के कर्मचारियों को दी गयी कर-मुक्त भूमि
पोतदार —	बोस लिपिक
पोतिया —	साफा (५ गज लम्बा, २ १/२ फीट चौड़ा)
प्रधान —	मुख्य सामन्त, जिसे भूमि के पट्टे पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त था ।
फौज खर्च —	सेना के खर्च के लिए कर
फौज-बल —	राज्य की सीमा-सुरक्षा हेतु सीमान्त गाँवों पर कर
बराड —	व्यवसाय कर
बाव —	कर
बापी —	पिता द्वारा पुत्र को दी गयी भूमि ।
बीघोडी —	भूमि की तपाई करने के बाद उपज पर प्रति बीघा कर, नकद या अनाज के रूप में, लेने की प्रणाली
बीला —	धीमदा, सुरक्षा कर
भगवा —	बेरुदा रंग
भरणा —	मिथित वस्तुएँ जैसे जवाहरात, पशु, कपड़े आदि
भूम —	राज्य सेवा के बदले में दी गयी भूमि
भोमियो —	सामन्त
मागली —	ब्राह्मणों को दी गयी पट्टे की भूमि
मिसल —	शासक के दाँयी-बायी ओर बैठने की स्थिति
भुक्ता —	प्रति बीघा उपज का नकद कर
भुत्तहीखर्च —	प्रशासन के खर्च के लिए जागीरदारों पर विशेष कर

रुक्का	—	छोटा पत्र
रेख	—	जागीरी भाय पर भाठ प्रतिशत कर नैतिक खर्च हेतु ।
साटा	—	उपज को तौल कर नेत पर ही राज्य का हिस्सा लेने की प्रणाली
सरदार	—	सामन्त
सरपेच	—	छोटी पाष, जो साफे पर बांधी जाती है ।
सरोपा	—	सिर से पाव तक के वस्त्र
सवार खर्च	—	प्रश्वारोही सेना के खर्च के लिए कर
सासन	—	जागीरदारी के क्षेत्र में शासन द्वारा दान दी हुई कर-मुक्त भूमि
सीख	—	विदा
शाहवार	—	महाजन, भ्यापारी
शासिली	—	खालसा भूमि
हुक्मनामा	—	जागीरदारों पर उत्तराधिकार-कर

